1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का इकतालीसवां दिवस [संख्या : 23

मंगलवार,

2 मई, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपालजी बैरवा (अनुपस्थित)। उनके स्थान पर शैलेन्द्रजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : स्थान पर?

श्री अध्यक्ष : अनुमति ली है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : नहीं, इन्होंने तो अनुमति ली है, उन्होंने तो लिख कर नहीं दिया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : आपको सपने आते हैं क्या, मुख्य सचेतक महोदय, मैंने लिखित में दिया है, आप आभासी तरीके से नहीं बोलें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या बुरा है यह करते हैं तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई बुरा नहीं है, आप जरूर पूछिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

पंचायत समिति अन्ता (बारां) के ग्रामों का विद्युतीकरण

632. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) (श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) के स्थान पर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति अन्ता जिला बारां के गांव यथा सीमल्या, बालापुरा, रामपुरा भगतान को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है? यदि हाँ, तो क्या इन गांवों में वास्तव में बिजली के कनेक्शन दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक इन गांवों में बिजली कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीरसिंह कौशल) : जी हां, पंचायत समिति अन्ता के ग्राम सीमल्या, बालापुरा एवं रामपुरा भगतान को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। रामपुरा भगतान एवं सीमल्या में ट्रांसफार्मर स्थापित कर व 6 पोल की एल.टी. लाइन खींच कर इन्हें वास्तविक रूप से विद्युतीकृत कर दिया गया है। ग्राम सीमल्या में 43 घरेलू विद्युत के प्रार्थना पत्रों की मांग-पत्र की राशि जमा है परन्तु आवेदकों द्वारा एल फार्म प्रस्तुत नहीं करने के कारण कनेक्शन जारी नहीं किये जा सके। ग्राम रामपुरा भगतान के 34 घरेलू कनेक्शनों के मांग-पत्र जारी किये जा चुके हैं किन्तु आवेदकों द्वारा मांग-पत्र की राशि जमा नहीं करवायी गयी है। दोनों ग्रामों के आवेदकों द्वारा नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण करने पर कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे। ग्राम बालापुरा में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय, आपका जो उत्तर है वह सत्य से परे है। ग्राम सीमल्या में न तो कोई पोल ही लगे

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

हैं, न ही कनेक्शन दिये गये हैं और यही स्थिति रामपुरा भगतान की है और गये तीन दिन पहले की यह स्थिति है कि वहाँ पर न तो पोल लगा और न लाइन खींची। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब आपका यह कथन है कि सीमल्या में और रामपुरा भगतान में पोल लग गये और लाइन खिंच चुकी है, तो यह पोल लगने और लाइन खींचने की कार्यवाही कब हो चुकी है आपके हिसाब से, वह समय बता दीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : ग्राम सीमल्या, रामपुरा भगतान में तो डिमाण्ड नोटिस भी जमा हो चुके हैं, सीमल्या में और रामपुरा भगतान में डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये गये हैं। ग्राम बालापुरा में लाइन नहीं खींची है जो इसी महीने खींच दी जायेगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा, मंत्री महोदय, स्पष्ट सवाल यह था कि आपके दस्तावेजी सबूत के अनुसार रामपुरा भगतान और सीमल्या में कब कनेक्शन लगाये जा चुके हैं। मेरा तो कहना है कि कोई पोल नहीं लगा, लाइन नहीं खींची, ट्रांसफार्मर नहीं आया, तो यही सवाल था समयावधि का, किया जा चुका है क्या, यदि किया जा चुका है तो कब? तो यह कब की स्थिति है, स्पष्ट कीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह ग्राम सीमल्या में तो 1991 में और बालापुरा में 31.3.94 से काम शुरू है, खम्भे गड़ चुके हैं, केवल लाइन खींचनी है और सीमल्या में कनेक्शन जारी करने के डिमाण्ड नोटिस जमा हो चुके हैं, अभी 21 तारीख को कनेक्शन किया गया, यह तो जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों में पूरा काम हो चुका है और तीसरे का पूरा काम इस महीने में हो जायेगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय, एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि सीमल्या में 21 तारीख तक यह काम हो जायेगा, दूसरी तरफ मैंने यह प्रश्न—

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सीमल्या में नहीं, बालापुरा में।

श्री शैलेन्द्र जोशी : लगाया था तो गये साल ही इस ग्राम सीमल्या को आपके विभाग ने तारांकित प्रश्न के द्वारा विद्युतीकृत माना था जिसकी असल कॉपी यहाँ मेरे पास मौजूद है। ऐसी स्थिति में जब कि सीमल्या में, यह लिस्ट है, विद्युतीकृत गांवों की सूची में 23वें नम्बर पर सीमल्या को आपने गये साल ही विद्युतीकृत गांव घोषित किया है और यह इसी विधानसभा में आप ही के द्वारा दिया हुआ उत्तर है, माननीय मंत्री महोदय, जिसकी असल कॉपी मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में अब आप ही स्पष्ट हो कि सीमल्या में आप 21 तारीख तक विद्युतीकरण करने वाले हैं, आपके कागजों के हिसाब से गये साल ही किया जा चुका है और वास्तविक स्थिति यह है कि न तो गये साल किया जा चुका है और न ही अभी 21 तारीख तक ही होने का सवाल है, वहाँ लाइन भी नहीं खींची, पोल भी नहीं आये और न ट्रांसफार्मर है वहाँ। तो ऐसी विषम स्थिति में आपका जो कथन है वह असत्य है और सत्यता से परे है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपने इन गांवों के बारे में रामगोपालजी से पूछ लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। आप वहां के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी से लगा हुआ गांव है। मेरे प्रश्न के उत्तर में आप लगातार यह कहते रहे कि आप असत्य है, असत्य बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि दोनों में ट्रांसफार्मर लग चुके हैं और एक में 31

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

डिमाण्ड नोटिस जमा हो चुके हैं, एक में इश्यू हो चुके हैं और एक बालापुरा में लाइन खींची जायेगी, इसी महीने में लाइन पूरी कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, हो गया पूरा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्री महोदय, मेरा बार-बार यही कहना है कि आपका जो कथन है वह गये साल भी असत्य था और अभी भी असत्य है। इस तरह का जो विद्युतीकरण आप कागजों में कर रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : हो गया, आप विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : वह विद्युतीकरण तो गये साल भी आपने किया था...

श्री अध्यक्ष : आप तो एल फार्म जमा करा देना, सब हो जायेगा। बिराजिये आप।

चम्बल कमाण्ड एरिया के किसानों की कर्जा माफी

633. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल कमाण्ड एरिया के सिंचित क्षेत्र में आने वाले किसानों के कर्जे माफ करने के संबंध में सरकार द्वारा कोई घोषणा की गयी थी ? यदि हाँ, तो किन-किन किसानों के कितनी-कितनी राशि के कर्जे अब तक माफ कर दिये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त किसानों के कर्जे उक्त घोषणा के पश्चात् भी अब तक माफ नहीं हुए हैं ? यदि हाँ, तो क्यों और अब कब तक इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : यह स्थगित।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : स्थगित तो आपने फरमा दिया लेकिन तारीख फरमा दें, मैं उसी हिसाब से...

श्री अध्यक्ष : बता देंगे। बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसी सत्र में लगवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में लगवा देंगे, बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : इस पर डिस्कस करवायें साहब, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, विधान सभा चली जायेगी। यह लोग कहते हैं बी.जे.पी. आयी है गांवों में, साहब पैसे मत दो, लट्ठ मारो, जेलों में भर दो, अब आज राज में आ गये और...

श्री अध्यक्ष : अब हो जायेगा, इसी सत्र में लगा देंगे। बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : सत्र तो दिन का है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, सत्र में लगाने के साथ नम्बर दो पर ही आना चाहिये मेरा।

श्री रामनारायण मीणा : यह तो बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह बी.जे.पी. वाले दोमुंही बात करते हैं तो साफ तो हो, राजस्थान की जनता जाने तो सही।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय, आप यह कथा बंद करो, मैं जबाव दूँ।

श्री अध्यक्ष : बुरडक साहब को ना करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : दोमुंही बात करते हैं, आप हमसे यह आशा करते हो कि हम माफ कर दें, यही हमारे प्रसन्नता की बात है, आप तो नहीं कर सके।

श्री रामनारायण मीणा : सरकार आपकी है, आपके और मेरे, ऊपर वालों के पैसे नहीं हैं, आम ज़नता का पैसा है, आम जनता की बात है, आप कौन होते हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय, आगे प्रश्न आने दें। श्री हरजीरामजी बुरडक।

उपखण्ड स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन

634. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या मुख्य (जन अभियोग निराकरण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने उपखण्ड स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया है? यदि हां, तो कब से? समितियों के कार्यकलापों की समीक्षा किस स्तर पर किस प्रकार की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि नागौर जिले में उपरोक्त समितियाँ कार्यरत हैं? यदि हां, तो जिले में कार्यरत समितियों द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? की गयी कार्यवाही के विवरण की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में जो समितियां कार्य नहीं कर रही हैं, क्या यह राज्य आदेशों की अवहेलना में शुमार नहीं है? यदि हां, तो संबंधित उपखण्ड अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? अब इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी, हां। यह सही है कि राज्य सरकार ने उपखण्ड स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया है। सतर्कता समितियों का गठन दिनांक 11 मार्च, 1994 से किया गया है। समितियों के कार्यकलापों की समीक्षा जिला कलेक्टर स्तर पर उपखण्ड क्षेत्र से संबंधित शिकायतों/अभाव अभियोगों की सुनवाई व निर्णय कर की जा रही है।

(2) जी, हां। यह सही है कि नागौर जिले में भी चार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियां यथा—1. नागौर, 2. मेड़ता, 3. डीडवाना, 4. परबतसर कार्य कर रही हैं। जिले में कार्यरत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों द्वारा की गयी। कार्यवाहियों का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जिले में समितियां हालांकि कार्य कर रही हैं और सदस्य मनोनयन आदि कार्य हुआ है और बैठकों का आयोजन भी किया गया है। डीडवाना व परबतसर उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति द्वारा दो बार ही बैठकों का आयोजन किया गया है। कम बैठकें आयोजित करने एवं समय पर बैठकें आयोजित नहीं किये जाने के कारण जिला कलेक्टर द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, पहला तो मेरा इसमें यह सवाल है कि आपने जो चार उपखण्ड समितियों का कार्य करना बताया है नागौर जिले में, लेकिन आपने जो प्रोसीडिंग्स पेश की हैं वह सिर्फ मेड़ता की ही हैं और वास्तव में मेड़ता के अलावा किसी भी

(श्री हरजीराम बुरडक)

समिति ने कोई बैठक आयोजित नहीं की। आपने डीडवाना के लिए कहा है कि दो बैठकें आयोजित की गयीं, तो बैठक में किसको बुलाया, दो छोड़ कर एक भी नहीं हुई। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज तक कोई भी बैठक नहीं हुई। 14 महीने इन समितियों का गठन किये हुए आपको हो गये और हर माह बैठक करनी आवश्यक थी। प्रश्न के भाग तीन में मैंने पूछा है कि क्या यह राज्य आदेशों की अवहेलना नहीं है, तो आपने इस बारे में तो कुछ नहीं कहा और कह दिया कि कलेक्टर ने जबाब मांगा है तो कलेक्टर ने जबाब मांगा है, आप भी कुछ कहेंगे? इन सारी समितियों का जो आपने विवरण प्रस्तुत किया है इसमें सिवाय एक मेड़ता के और किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। आपने जो परिशिष्ट "अ" दिया है उसमें नागौर के लिए जो आपने यह लिख दिया है कि वहां जिला सतर्कता समिति में एस.डी.ओ. उपस्थित रहते हैं इसलिए अलग से कोई मीटिंग ही नहीं की, न कोई समिति का कार्य चालू हुआ। तो जिला स्तरीय समिति में सारे एस.डी.ओ. ही उपस्थित रहते हैं फिर आपने अलग समितियां बनाने का क्या औचित्य समझा और आपने जो आदेश जारी किये हैं उनमें साफ लिखा हुआ है कि अगर इसमें कोई अधिकारी चूक करेगा तो उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही करेंगे, तो क्या माननीय मंत्री महोदय, उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के विरूद्ध कोई कार्यवाही आप राज्य स्तर से करायेंगे?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मेरे उत्तर में निवेदन किया, नागौर चूंकि जिला हैड क्वार्टर है वहां पर जिला सतर्कता समिति की नियमित बैठक होती है और इसलिए प्रकरण उसमें दर्ज होते हैं। नागौर उपखण्ड अधिकारी के पास एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। उप खण्ड अधिकारी स्वयं भी उस सतर्कता समिति के अन्दर मौजूद रहता है इसलिए अलग से जब प्रकरण ही दर्ज नहीं हुआ तो कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी। जिला सतर्कता समिति की नियमित बैठक के अन्दर उपखण्ड अधिकारी हमेशा मौजूद रहता है। यह सही है कि डीडवाना और परबतसर में बैठक कम हुई। अब डीडवाना की भी यही स्थिति है।

श्री हरजीराम बुरडक : हुई ही नहीं। नहीं, आप बता दें, कोई बैठक का नोटिस जारी किया हो, किसी मैम्बर को बुलाया हो?

श्री अनंग कुमार जैन : मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ।

श्री हरजीराम बुरडक : अगर मीटिंगें हुईं तो उनकी कार्यवाही कहां की? जब आपने मेड़ता की कार्यवाही की—

श्री अध्यक्ष : पूरा सुन लें, माननीय।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं निवेदन कर रहा हूं, डीडवाना में दिनांक 3.6.94 व 31.8.94 को बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। यह बैठकें समिति के गठन पर विचार-विमर्श हेतु माह नवम्बर, 1994 व फरवरी हेतु हुईं। डीडवाना में, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बैठकें हुई। इसमें कोई प्रकरण उनके सामने आया ही नहीं। जब कोई प्रकरण दर्ज ही नहीं हुआ तो इसलिए आगे—

श्री हरजीराम बुरडक : किसको बुलाया, मीटिंग किसकी की? मीटिंग में आया कौन? नोटिस किसको जारी किये?

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सूचना मैंने दी है, जून और अगस्त के अन्दर बैठक हुई। अब माननीय सदस्य का कहना यह है कि यह बैठकें नहीं हुईं या इनको सूचना नहीं दी गयी तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को व सदन को निवेदन करना चाहूँगा कि इन दोनों बैठकों के बारे में जांच करवा ली जायेगी और यदि सूचना नहीं हुई है तो निश्चित रूप से उस अधिकारी के खिलाफ जो भी नियमों में कार्यवाही होगी वह करवायी जायेगी लेकिन यदि बैठक आयोजित हुई और प्रकरण दर्ज नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने फिर कोई बैठक आमंत्रित नहीं की। फिर नवम्बर से लेकर जनवरी, फरवरी तक लगातार नगरपालिका के चुनावों और पंचायत चुनावों का प्रकरण चलता रहा। इस वजह से बैठक आयोजित नहीं हुई। इन सबके बावजूद मेरा विनम्र निवेदन है कि जैसे राज्य सरकार के निर्देश हैं कि इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिये तो सम्बन्धित विभाग को इसके बारे में लिखा जायेगा और मैंने स्वयं ने कहा कि कलेक्टर, नागौर ने उन दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या कारण है कि आपने नियमित बैठकें आयोजित नहीं की हैं इसलिए कार्यवाही तो माननीय सदस्य के फरमाने के पहले ही चालू कर दी गयी है। उसके बावजूद भी नियमों में जो भी सम्भव कार्यवाही होगी वह यदि दोनों अधिकारियों ने गलती की है तो उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, आपने सिर्फ बैठकों का हवाला दिया है। यह 14 महीने हो गये तो 14 मीटिंग होनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष : आइन्दा ध्यान रखेंगे माननीय मंत्रीजी, बिराजें आप। श्री जगदीप धनखड़।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : यह बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, यह अभी नागौर जिले की बात चल रही है, आप बूंदी जिले की बात कर रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : फायदा क्या हुआ फिर ?

श्री अध्यक्ष : बूंदी जिले की बात कर रहे हैं माननीय आप, बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : यह किन का मामला है, प्रश्न यही देख लें।

श्री अध्यक्ष : एक जवाब आ गया, बिराजें आप। आइन्दा से ध्यान रखेंगे। आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : आपके आदेश के अनुसार 14 महीने में 14 बैठकें होनी चाहिये थीं। आपने दो का विवरण दिया वह भी गलत है।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न लग रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप। प्रश्न आने दो। माननीय जगदीप जी धनखड़। बिराजें आप।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : मंत्रीजी को एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि मंत्रीजी के खुद के जिले में हो रहा है या नहीं हो रहा है ? इसका जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, इसका सम्बन्ध नहीं है। दलीचन्द जी। दो बार नाम

(श्री अध्यक्ष)

पुकार लिया था आप बोले नहीं इसलिए फिर मैंने कहा।

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, पुकारा नहीं था।

श्री अध्यक्ष : श्री दलीचन्द जी।

ग्राम वनाला (बांसवाड़ा) के दुधारू पशुओं का मृत्यु प्रकरण

635. **श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले के वनाला ग्राम में दिनांक 4 अक्टूबर, 1994 को हुई 13 दुधारू पशुओं की एक साथ मौत के सम्बन्ध में जिला पशुपालन अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

(2) इस सम्बन्ध में दिनांक 13 अक्टूबर, 1994 को सदर थाना बांसवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दोषी चिकित्सक के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

(3) क्षेत्रीय विधायक द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 1994 को इस सम्बन्ध में जिला पशुपालन अधिकारी, बांसवाड़ा को लिखे गये पत्र का प्रत्युत्तर न दिये जाने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह सही है कि रीजनल बायोलोजिकल वेटरिनरी इन्स्टीट्यूट, जयपुर द्वारा निर्मित एच.एस. वेक्सीन, बैच नं. 52 जिसका की उपयोग इस घटना में किया गया था, दोषपूर्ण था? यदि हां, तो पीड़ित किसान को क्या हर्जाना दिया गया?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री अर्जुन सिंह देवड़ा) : (1) जिला पशुपालन अधिकारी, बांसवाड़ा को वनाला ग्राम से दिनांक 5.10.94 को पशुओं के मौत के सम्बन्ध में नहीं बल्कि पशुओं के बीमार होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। तत्काल डॉक्टरों की टीम भेज दी गयी।

(2) 11.10.94 को सदर थाना बांसवाड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई तथा जांच कर थाना प्रभारी द्वारा इस रिपोर्ट पर एफ.आर. लगा दिया।

(3) आपके पत्र दिनांक 12.12.94 का उत्तर 9.2.95 को जिला पशुपालन अधिकारी द्वारा दे दिया गया।

(4) जी, नहीं। बी.पी.लेब. द्वारा राजस्थान में इस बैच के 50 हजार खुराक निर्माण कर वितरित किये गये हैं, कहीं से इनके बारे में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी ने यह जबाव दिया है, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। घुमा-फिराकर, इनके अधिकारियों ने जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, वास्तविक बात तो यह है कि वनाला में एक हनिया करके आदिवासी है जिसकी तीन साल की एक भैंस की पाड़ी बीमार हुई तो वहाँ सूरजपुर से डॉक्टर लाया गया। उस डॉक्टर ने उस पाड़ी की दवाई की, इंजेक्शन लगाया। उसके बाद भी उसने यह सलाह दी की भाई, सभी पशु बीमार हो सकते हैं तो सबको टीके लगाना अनिवार्य है। उस हिसाब से उस आदिवासी ने सारे पशुओं को टीका लगाया। वह टीका लगाने के तुरन्त बाद ही उस दवाई ने रि-एक्शन किया या उस दवाई में ऐसी कोई मिस्टेक थी जिससे 8 घण्टे में 13 पशु मरे जिनमें से 7 भैंसे दुधारू थीं, जो दूध दे रही थीं, 7 भैंसे मरीं और 4 गायें मरी हैं

(श्री दलीचन्द)

और आब इन्होंने बताया कि बीमार होने के **बाद उनको यह** सूचना **दी** गयी कि पशु बीमार हुए हैं। इस तरह की एक इन्होंने यह रिपोर्ट दी है जो सरासर गलत है।

दूसरी बात, यह है कि यह थाना सदर में जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, जब वे पशु बीमार थे और कोई ऐसी घटना ही नहीं थी तो उस थाने में रिपोर्ट कराने क्यों गये? जब थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है उसका पोस्टमार्टम हुआ है, सारी डॉक्टर रिपोर्ट आयी है लेकिन वह सारा इन्होंने दबा रखा है और उस आदिवासी के साथ उसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, वह गरीब था। इसके पीछे सारा दबा रखा है।

तीसरी बात, मैंने 12.12.94 को एक पत्र लिखा था कि इसके मामले में पशुपालन अधिकारी जी जवाब दें तो उन्होंने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया लेकिन यहाँ जवाब में दिया है कि हमको 9.2.95 को जवाब दे दिया है जब कि जवाब हमारे पास आज तक आया ही नहीं है।

चौथी बात, मैंने यह पूछी थी कि डाक्टर के खिलाफ आपने सही-सही जांच तो करायी नहीं है और आपने सीधा-सीधा जवाब दे दिया तो मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि उस किसान आदिवासी के 13 पशु मरे उसका क्या किया गया? दूसरा, उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है? और अगर नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गयी?

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एच.एस. के करीब साढ़े 35 लाख टीके निर्मित किये गये जिसके अन्दर बांसवाड़ा में 205429 टीक लगाये गये। जो माननीय सदस्य बात बता रहे हैं, यह बात सही है कि उस गांव में 13 पशुओं के जो टीके लगे उसके बाद में उनकी मौत भी हुई। कुल टीके 20 पशुओं के लगे थे उनमें से 13 की मौत हुई। जब वह ज्यादा बीमार हुए उन्होंने बांसवाड़ा जिला पशुपालन अधिकारी के पास रिपोर्ट पेश की। तत्काल ही वहां से तीन डॉक्टरों की टीम गयी, उन्होंने वहां पर उपचार भी किया। उसके बाद में जिस व्यक्ति के पशु मरे थे उसको बहकाया गया और उसने जाकर पुलिस में एफ.आई.आर. लॉज करायी। एफ.आई.आर. लॉज करवाने के बाद में पुलिस ने भी उसकी जांच की। उस प्रार्थी ने स्वयं ने भी एक हल्फनामा पेश किया कि मेरे पशु बीमारी के कारण से मरे थे, डॉक्टर की गलती से नहीं मरे।

इसी प्रकार जिला सतर्कता समिति में भी इस केस को लिखा गया। उस समय माननीय विधायक महोदय भी वहां पर थे और उसमें भी यही प्रकरण सामने आया, उसमें भी इस केस को ड्रॉप किया गया। इस प्रकार दोनों जगह पर तफ्तीश इसकी हो चुकी और मामला यह पाया गया कि वहां पर पशु बीमार थे और गलघोंटू बीमारी में यदि पशु की बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद में उसका इलाज अच्छी तरह नहीं हो पाता और इसी कारण से वह पशु मरे।

श्री दलीचन्द : मंत्री महोदय, आपने जो जवाब **दिया है। मैं जानता हूँ कि 13 पशु एक साथ तो बीमार नहीं हो सकते हैं। उस दवाई का रि-एक्शन होने की वजह से उन पशुओं के एक तरफ से पूरा गर्दन पर असर आ गया** था। उसके बाद में जाकर पशुपालन अधिकारी, बांसवाड़ा को रिपोर्ट दी कि इस तरह की दवाई करने से पशुओं को इस तरह

(श्री दलीचन्द)

का यह रि-एक्शन हुआ है और पशु वहां तड़प रहे हैं। तब जाकर पशुपालन अधिकारी वहां मौके पर पहुंचा। उसके बावजूद उन्होंने दवाई की, दवाई करने के बावजूद वह रि-एक्शन का मामला नहीं बैठा और वह पशु 13 एट ए टाइम मरे। उसके बाद में जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है। जो आपने सूचना दी है वह गलत है और सरेआम असत्य है। उस आदिवासी के घर में एक पशु जिन्दा नहीं रहा है और आज वह दर-दर भटक रहा है। इस मामले में यही आपसे और सरकार से निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि उस आदिवासी किसान को क्या सरकार की तरफ से कोई राहत दे रहे हो ?

दूसरी बात, यह है कि अगर वह दवाई सही थी तो उस दवाई की लेबोरेटरी से जांच क्यों नहीं करायी गयी? जब कि वह दवा उन्होंने आज तक किसी को पता ही नहीं, वह दवाई कहां दबा दी, उस बोतल का ही पता नहीं लग रहा है तो पूरी जांच करवाकर उस चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस केस के सम्बन्ध में, मैंने जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा से भी चर्चा की और उन्होंने भी इस मामले में यही बताया कि पशुओं की जो मौत हुयी थी, बीमारी के कारण से हुयी थी क्योंकि पशु मर गये थे 6 तारीख को, और पुलिस में केस दर्ज हुआ है, 11 तारीख को। इस दरम्यान उनकी खाल निकाल ली गयी और उनको गाड़ दिया गया था इसलिए उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और जहां तक माननीय सदस्य राहत के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर वे चयनित होंगे तो उसके बारे में कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप जी धनखड़।

श्री दलीचन्द : नहीं, आप इन्क्वायरी करायेंगे या नहीं करायेंगे, यह मैं चाहता हूँ। (व्यवधान) इतने पशु एक साथ मरे हैं तो क्यों मरे हैं? उस काश्तकार आदिवासी को क्या दिया आपने? यह बतावें और राहत देना चाहते हो कि नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य, हो गयी बात। श्री जगदीप धनखड़।

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ वहां पर एक आदिवासी मर रहा है, वहां पर उसके सारे पशु मर गये हैं और आप इसमें कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। आ गया प्रश्न आपका।

श्री दलीचन्द : मैं कह रहा हूं वह आदिवासी है। उसके इतने दुधारू पशु मरे हैं, जैसे सात बेटे मरे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। दूसरा प्रश्न आने दीजिये। माननीय, दूसरा प्रश्न आने दें (व्यवधान)

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सारी जांच करवा ली। कलेक्टर ने, सब ने कह दिया है (व्यवधान) बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री दलीचन्द : कब जांच हो गयी मंत्रीजी, जांच या कुछ भी करेंगे, यह बता दो (व्यवधान) आप हमको जवाब नहीं दिलवा रहे हो—

श्री अध्यक्ष : धनखड़ साहब। बिराजिये आप।

श्री दलीचन्द : फिर यहां प्रश्न उठाने का मतलब क्या हुआ हमारा।

श्री रामनारायण मीणा : एक चिकित्सक दोषी है। (व्यवधान)...

श्री दलीचन्द : एक आदिवासी गरीब के साथ में ऐसा अन्याय हो रहा है और इस पर दबाव डाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप आप। (व्यवधान) आपने प्रश्न उठा दिया है, उन्होंने देख लिया है। (व्यवधान) बिराजिये आप।

श्री दलीचन्द : उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : वह चिकित्सक दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दे मंत्रीजी (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान) मंत्रीजी।

श्री रामनारायण मीणा : आदिवासी एरिया में इस तरह के हालात हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, बिराजिये। माननीय सदस्य, दूसरे भी प्रश्न आने दीजिये। दूसरे भी इम्पार्टेण्ट प्रश्न हैं (व्यवधान) पूरी बात आ गयी। बिराजिये आप। (व्यवधान) माननीय दलीचन्द जी, बिराज जाये आप। बिराजिये आप।

श्री दलीचन्द : वह पशु किसके मरे। आप बीमारी बता रहे हैं। एक साथ 13 पशु बीमार नहीं हो सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय दलीचंद जी, बिराज जाये। आप दूसरा प्रश्न आने दें। अब बिराज जाये।

श्री दलीचन्द : आप जवाब तो दिलवाइये साहब (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : दे दिया जवाब। बिराजिये।

श्री दलीचन्द : मैं नम्रता से कह रहा हूँ, उस गरीब का कोई (व्यवधान) कोई जांच... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : एक माननीय सदस्य को (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय, दूसरा प्रश्न आने दीजिये। (व्यवधान) बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री दलीचन्द : उसका क्या करने जा रहे हैं, मंत्रीजी?

श्री अध्यक्ष : यह क्या तरीका है आपका? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : आदिवासी का मामला है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं। बिराजिये आप।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : बेजुबान जानवरों की एक साथ मृत्यु हो रही है (व्यवधान) जवाब मंत्री महोदय नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई सहायता हो सकेगी तो वे देंगे। यह कहा है उन्होंने। बिराजिये अब।

श्री दलीचन्द : मंत्रीजी का जवाब दिलवाइये आप।

श्री रामनारायण मीणा : आप जवाब दिलवाइये, डाक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : मान्यवर, अब आप दूसरे प्रश्न आने दें। (व्यवधान) आप दूसरे प्रश्न आने दें। (व्यवधान) बिराजिये आप।

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, एक साथ 13 पशुओं की मृत्यु हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक लाइन का जवाब दिलवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक साथ चार माननीय सदस्यों को खड़ा होने की क्या जरूरत पड़ गयी ? (व्यवधान) बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री दलीचन्द : आप जवाब नहीं दिला रहे हैं तो क्या करें ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : पहले यह प्रश्न लाया जायेगा। आदिवासी विधायक परेशान है। उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात हो चुकी है। आप बिराज जाय। (व्यवधान)

श्री दलीचन्द : साहब, गायें मरी हैं और (व्यवधान) सुनवाई नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : इसका जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न उठा लिया है (व्यवधान) प्रश्न उठ गया है, बात हो गयी है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : पहले इस प्रश्न का जवाब दिलवाना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री दलीचन्द : आप इसका जवाब दिलवाइये, साहब।

श्री रामनारायण मीणा : हम आसन से निवेदन करते है कि प्रश्न का जवाब दिलवाया जाय। (व्यवधान)

श्री दलीचन्द : श्रीमान्, ऐसा मामला है नहीं (व्यवधान) मैं मौजूद था। (व्यवधान) मैं मौजूद था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप प्रश्न आगे लेने दीजिये। आप आगे प्रश्न नहीं लेना चाहते क्या ? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : जांच तो करवा लीजिये साहब (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अधिकारी को बचा रहे हैं ये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय चौधरीजी।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी कह दिया है कि इसकी पुलिस थाने में जांच हुई है। सतर्कता कमेटी में भी जांच हुई है और माननीय विधायक महोदय वहां पर विराज रहे थे तो उस समय उसको रोक देते और उसकी जो जांच चाह रहे थे, वैसी करवा लेते और 29/12 को ऐसा हुआ है। (व्यवधान) आप उस कमेटी में उसकी पुनः जांच करवा सकते थे, पर आपने करवायी नहीं।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय अध्यक्षजी, एक प्रश्न (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप। अपना नाम दर्ज करवाने के लिए वहां जाता है,

श्री दलीचन्द : मंत्रीजी कहते हैं कि -जांच करवा ली (व्यवधान) कोई कार्यवाही करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : और थोड़ा जोर से बोलो आप, मेज पर चढ़ जाओ।

एक माननीय सदस्य : श्रीमान्, आदिवासियों का मामला है कतई, पशु मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : उसको सस्पेण्ड क्यों नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उसको सस्पेण्ड किया जाय। (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : उस डाक्टर को सस्पेण्ड क्यों नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्षजी, एक प्रश्न पूछने दो मेरे को इसमें। (व्यवधान) माननीय अध्यक्षजी, एक आदमी के 13 पशु मरने का सवाल है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूँ कि आपके डाक्टर की टीम पशु के बीमार होने की इत्तला होने के बाद पहुँची, तब कितने पशु बीमार थे और किस बीमारी से पीड़ीत थे? आप बता सकते हैं क्या? बताओं आप किस बीमारी से पीड़ित थे वे (व्यवधान) वे 13 ही बीमार थे क्या?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, उनके गलघोंटू था, उस बीमारी से पीड़ित थे।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्षजी, आप भी गांव में रहते हैं। एक साथ एक घर में 13 पशु एक गलघोंटू बीमारी से बीमार नहीं हो सकते हैं। एक पशु बीमार था उसके इलाज के लिए गये और दूसरों को गलघोंटू की बीमारी न हो इसलिए दूसरों को टीका लगवा दिया। उस टीके का रि-एक्शन होने के कारण वे 13 पशु मर गये। अब अपने बचाव में सरकार कह रही है कि उसकी तो हमने डॉक्टरों की जांच करवा ली। एफ.आई.आर. लॉज करवाई थी तो एफ.आर. दे दी। क्या आप बता सकते हैं कि एफ.आर. देने के क्या कारण थे?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उसकी जांच भी नहीं कराई।

श्री दयाराम परमार : किस आधार पर एफ.आर. दी। आपने बचाने की कोशिश की है एक गरीब आदमी के 13 पशु मर गये। उसके पास पशु के अलावा कुछ सम्पत्ति नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय इसकी पूरी जांच कराये कि वे पशु वास्तव में बीमार थे या बिना बीमारी से उन्होंने दवाई से मार दिया (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, दो बार जांच हो गयी। उसके बाद में भी जब डॉक्टरों की टोली गयी उस समय 8 भैंसों और 5 गौ-वंश के और भी वहां पर बीमार थे। उनका भी इलाज किया गया (व्यवधान)

श्री दलीचन्द : मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पशु एट-ए-टाइम, एक व्यक्ति के 13 पशु मरना, गांव में किसी का पशु नहीं मरा।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : यदि माननीय सदस्य और जांच कराना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अध्यक्ष महोदय...

श्री दलीचन्द : किसी का पशु नहीं मरा और एक ही आदमी के 13 पशु मरने के क्या नतीजे हो सकते हैं? (व्यवधान) यह तो बताओ आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अब बिराजिये आप।

श्री दलीचन्द : अब ये गोलमोल जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप। पूरे 15 मिनट ले लिए। श्री जगदीप धनखड़।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अगर जांच कराना चाहें तो (व्यवधान)

वर्ष 1971 के भू-संशोधन

636. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अजमेर जिले के किसानों को वर्ष 1971 के भू-संशोधन को मान्यता नहीं दिये जाने के कारण हो रही कठिनाइयों से अवगत हैं? यदि हाँ, तो सरकार इसका निराकरण कब तक करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार ने पूर्व में इस सम्बन्ध में कोई समिति का गठन किया था? यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार अब कब तक वर्ष 1971 के भू-संशोधन को मान्यता दिये जाने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय ले लेगी?

(4) इस विषय में अन्तिम निर्णय होने तक किसानों को ऋण प्राप्ति में हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में क्या सरकार कोई अन्तरिम आदेश पारित करने की योजना रखती है? यदि, हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) अजमेर जिले के 1971 के भू-संशोधन को मान्यता नहीं दिये जाने के कारण उत्पन्न हुई कठिनाइयों के समाधन हेतु राज्य स्तर से निर्णय लिया जाकर दिनांक 24.11.92 को जिला कलेक्टर, अजमेर को निर्देश जारी किये जा चुके हैं। (प्रति संलग्न है)

(2) जी नहीं।

(3) राज्य स्तर से निर्णय लिया जाकर दिनांक 24.11.92 को जिला कलेक्टर अजमेर को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

(4) राज्य स्तर से दिनांक 24.11.92 को दिये गये दिशा-निर्देशों की क्रियान्विति के पश्चात् किसानों को ऋण प्राप्ति में सामान्यतः कोई कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट –1 देखें)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, 1971 के भू-संशोधन के सम्बन्ध में 25 साल में उस क्षेत्र के किसानों को एक कानून के मकड़ीजाल में फंसा दिया गया है। अध्यक्षजी, अनेक बार किसानों ने इस बात के लिये आन्दोलन किया है। 25 साल के बाद भी मामले पर किसी प्रकार का निर्णय सरकार ने नहीं लिया है और अब जो निर्णय 24 नवम्बर, 1992 का माननीय मंत्रीजी बता रहे हैं, मंत्रीजी ढाई वर्ष की अवधि हो गयी। आपने जो निर्णय लिया है, जिलाधीश को जो स्पष्ट आदेश दिये हैं कि इन मामलों में अन्तिम रूप से निर्णय ले लिये जायेंगे, ढाई वर्ष की अवधि में माननीय जिलाधीश महोदय ने इस विकट समस्या से किसानों को उबारने के लिए कितने

(श्री जगदीप धनखड़)

निर्णय लिये हैं ? यह मेरा पहला सप्लीमेण्ट्री है।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 1971 के बाद में लम्बे समय तक यह समस्या होती रही थी। कई सरकारों ने, बीच में जो आयीं, उन्होंने भी प्रयत्न किये थे लेकिन 1990 से 1992 तक लगातार इस सम्बन्ध में प्रयास किया गया इस सरकार की ओर से। जन प्रतिनिधियों से सलाह-मशविरा किया, राजकीय अधिकारियों से सलाह मशविरा किया, उसके बाद में एक निर्णय लिया जिसका 24.11.92 को सर्क्यूलर जारी कर दिया गया। उसके अनुसार सारे किसानों को पूर्णतया राहत इसमें मिल जायेगी, जो समस्याएँ हैं, सारी दूर हो जायेगी। केवल मात्र जो समय इसमें लगा है उसके लिए निवेदन कर दूं कि बीच में 1993 में राष्ट्रपति शासन में जन प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि इसमें ऐसे कई मामले हैं जिन में आबंटन सलाहकार समिति की सलाह की आवश्यकता रहती है। इसलिए राज्य सरकार ने राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी प्रकार के आबंटन और नियमन किये जाने पर रोक लगा दी थी। एक साल तो उस तरह से चला या गया और उसके बाद में 1994 में हमारे राजस्व अधिकारी, अनेक कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। चुनाव आ गये थे और अजमेर जिले के अन्दर अकाल भी था। इस कारण यह काम हाथ में नहीं ले सके। अब उन्होंने जनवरी से कार्य शुरू किया है और जनवरी में अजमेर के पैराफेरी एरिया में काफी बड़ी तादाद में मामले निपटा दिये। अब दूसरे इलाकों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस सर्क्यूलर के तहत नियमन का कार्य शुरू करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस सर्क्यूलर के तहत अजमेर की सारी तहसीलों में काम हाथ में ले लिया जायेगा। जहां बंदोबस्त चल रहा है, वहां शायद कुछ कठिनाई होगी। बाकी सारी तहसीलों में काम हाथ में लिया जाकर 3 महीने के अन्दर यह कार्य पूरा कर दिया जायेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : अन्तिम रूप से।

श्री गंगाराम चौधरी : समस्या हमेशा के लिए मिट जायेगी। डेफिनेटली, पोजीटिवली।

श्री जगदीप धनखड़ : सैकण्ड सप्लीमेण्ट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा निर्णय नहीं लेने से किसानों को ऋण प्राप्त करने में जो कठिनाई हो रही है। माननीय मंत्रीजी, उन किसानों को इस संकट से बचाने के लिए आपकी क्या योजना है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैं निवेदन करूं। आप सही कह रहे हैं किसानों को ऋण प्राप्त करने के लिए कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई थी तो हमने पहले भी निर्देश दिये थे और सैटलमेण्ट और राजस्व विभाग दोनों ने मिलकर के कई म्यूटेशन जो ऋण प्राप्त करने के लिए लोग चाहते थे उनका जल्दी से म्यूटेशन कर दिया गया और 31/5 तक तो सारा कर लिया गया। अब भी एप्लीकेशन मंगाकर के म्यूटेशन बाकी है, वह म्यूटेशन निपटा देंगे। म्यूटेशन के काम करने के बाद में ऋण प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं आयेगी। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

रोजगार कार्यालय, श्रीगंगानगर द्वारा विभिन्न विभागों को प्रेषित उम्मीदवारों के नामों की सूची

637. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : क्या नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री राधेश्याम)

(1) रोजगार कार्यालय श्रीगंगानगर से गत दो वर्षों में किस-किस विभाग द्वारा किस-किस पद के लिए कितने-कितने उम्मीदवारों के नामों की सूची कब-कब मांगी गयी?

(2) विभाग द्वारा नामों की सूची भेजने में किन-किन सिद्धान्तों का पालन किया जाता है? क्या विभाग द्वारा गत दो वर्षों में जो सूची भेजी गयी उनमें सिद्धान्तों का पालन किया गया? यदि हां, तो कहां तक?

(3) प्रश्न के भाग एक के अनुसार जो सूचियां भेजी गयीं उन अभ्यर्थियों के नाम रोजगार कार्यालय के किस-किस वर्ष में दर्ज कराये गये?

(4) क्या यह सही है कि रोजगार कार्यालय सूची भेजने में सिद्धान्तों का पालन नहीं करता एवं मनमाने तरीके से नामों की सूची भेज देता है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार रोजगार कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा गत दो वर्षों में भेजे गये नामों में बरती गयी अनियमितता की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, नियोजन (श्री नन्दलाल मीणा) : (1) रोजगार कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा गत दो वर्षों में जिन विभागों को उनके द्वारा ज्ञापित पदों के लिए उम्मीदवारों के नामों की जो सूचियां मांगी गयीं उनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) रोजगार विभाग द्वारा आवेदकों के नामों की सूचियां भेजने में राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियम पुस्तक खण्ड-प्रथम में दिये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों व समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों तथा राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना की जाती है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियम पुस्तक खण्ड-प्रथम के अध्याय-9 में मुख्य रूप से मार्गदर्शी सिद्धान्त पैरा 9.15 व 9.16 में दिये गये हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं अन्य आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु रोजगार कार्यालयों के कार्यों की निरीक्षण की व्यवस्था है। निरीक्षण के दौरान जो कमियाँ पाई जाती हैं उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(3) रोजगार कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा गत दो वर्षों में जो सूचियां भेजीं उनमें भेजे गये आशार्थियों के नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज करने का वर्षानुसार विवरण परिशिष्ट "स" में संलग्न है।

(4) विगत दो वर्षों में रोजगार कार्यालय श्रीगंगानगर के सम्बन्ध में मनमाने तरीके से नामों की सूची भेजने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(5) रोजगार कार्यालय, श्रीगंगानगर द्वारा गत दो वर्षों में भेजे गये नामों के सम्बन्ध में अनियमितताओं की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार जांच अवश्य करवाई जायेगी।

(सूची आदि विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि जो शिकायत की जाती है, वह ही अधिकारी रिपोर्ट बना कर दे देता है और उसको मंत्री महोदय पढ़ देते हैं। प्रश्न इस बात का है कि जो व्यक्ति

(श्री राधेश्याम)

उसको छह-छह महीने चक्कर कटाये जाते हैं। उनका नाम दर्ज नहीं किया जाता है। उनसे पैसे लिये जाते हैं और पैसे लेने के बाद उनका नाम दर्ज होता है। आपने कहा कि शिकायत नहीं है। मेरे ख्याल से यह गंगानगर में ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान में इस प्रकार की बहुत सारी शिकायतें हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आया कि कार्ड नहीं निकल रहा है, आप कार्ड निकलवाइये। मैंने कहा कि यह तो कोई नियमानुसार ही निकलेगा, एम.एल.ए. के कहने से तो निकलेगा नहीं। वहां तो सूची बनी हुई है, सूची के अनुसार ही वह नाम निकलेगा। वह वहां से चला गया और वह दुबारा वापस मेरे पास आया और उसने कहा कि वे दो हजार रुपये मेरा नाम निकालने के लिये मांग रहे हैं। मैंने कहा कि आप दो हजार रुपये खर्च कर दो और अगर वे वाकई में आपका नाम निकाल देंगे तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पैसे आपको दिलवाऊंगा। उसके उपरान्त मैंने उसके जाने के बाद फौरन टेलीफोन किया। वह आदमी अभी वहां पहुंचा भी नहीं होगा और उस व्यक्ति के लिए मेरे को यही कहा गया कि इसका नाम तो बहुत देर में आयेगा और उसका दो हजार रुपये लेकर नाम निकाला गया और नौकरी में लग गया। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मंत्री महोदय, कृपा करके इस बात की जांच करवाइये_

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप प्रश्न पूछें।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : आम गरीब व्यक्ति को किस तरह से_

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप प्रश्न पूछें, कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछें।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : हाँ, प्रश्न यह है कि प्रश्न के भाग पांच में जो मैंने कहा है कि दो वर्षों में भेजे गये नामों में बरती गयी अनियमितताओं की जांच करवाई जाये, क्या आप जांच करवाने का मन रखते हैं?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वर्ष 1993-94 में नियोजन कार्यालय, श्रीगंगानगर द्वारा जो नाम भेजे गये, उनके बारे में शिकायत की है और शंका जाहिर की है कि नियोजन कार्यालय में कार्यरत जो अधिकारी हैं, उन्होंने किसी प्रकार की रिश्वत ली। अध्यक्ष महोदय, अभी वर्ष 1995 चल रहा है और सवा साल हो गया, माननीय सदस्य और हम यहां पर आपस में बैठते रहे और साथ रहे हैं। इनके द्वारा एक भी शिकायत इस प्रकार की मेरी जानकारी में नहीं लायी गयी। फिर भी माननीय सदस्य तथ्यात्मक दृष्टि से कोई शिकायत लाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी और जांच के दौरान कोई दोषी अधिकारी, यदि पाया गया तो उसको दंडित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बजा फरमाया कि साल-डेढ़ साल में मैंने इनको कोई शिकायत नहीं की, यह बात इनकी सत्य है लेकिन जब तक मेरे सामने कोई बात नहीं आयेगी तो मैं माननीय मंत्रीजी को कष्ट क्यों दूंगा_

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर)।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा था कि

(श्री राधेश्याम)

माननीय मंत्री महोदय, वहां तीन साल से कोई आदमी ही नहीं है...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलाल शर्मा।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि वहां कोई अधिकारी ही नहीं है। वहां पर एक एलडीसी. उसके नाम निकालता है और हनुमानगढ़ जिला, गंगानगर जिला और चूरू के...(व्यवधान)...

श्री नन्दलाल मीणा : आप जो कह रहे हैं अगर रिक्त स्थान है तो निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : ठीक है।

प्रश्न संख्या 638.

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर)।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 639.

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलाल शर्मा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर ।

640. **श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राशमी (चित्तौडगढ़) में दो-तीन वर्ष पूर्व भूमि विकास बैंक की शाखा स्थापित की गयी थी? यदि हां, तो क्या राशमी से उक्त बैंक की शाखा बन्द कर इसे भूमि विकास बैंक, कपासन में सम्मिलित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि राशमी से उक्त बैंक की शाखा बन्द कर दिये जाने से वहां की जनता को 25 किलोमीटर दूर कपासन जाना पड़ता है, जिससे गरीब किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील मुख्यालय राशमी में पुनः भूमि विकास बैंक की शाखा को स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री सुजानसिंह यादव) : (1) जी हां। राशमी शाखा को खण्डीय संयुक्त रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति द्वारा शाखाओं की सक्षमता का आकलन कर इस शाखा को बन्द किया जाकर कपासन शाखा में सम्मिलित कर दिया गया।

(2) राशमी की शाखा बन्द किये जाने के बावजूद भी बैंक के सुपरवाइजर का मुख्यावास राशमी में है, जो कृषकों को ऋण दिलाने एवं ऋण वसूली कर राशि जमा कराने की कार्यवाही करता है। इस प्रकार की सुविधा होने पर क्षेत्र के किसानों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। इस विषय में बैंक की दिनांक 13.1.1994 की हुई आमसभा में निर्णय हो चुका है कि राशमी की शाखा को पुनः चालू करना उचित नहीं है एवं बैंक के लिये हितकर नहीं है।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वह बिलकुल तथ्यों से परे है। संयुक्त रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति के सदस्य कौन-कौन थे? यह पहला प्रश्न है मेरा। उक्त समिति ने राशमी शाखा की क्षमता का आकलन किस आधार पर किया, हानि लाभ के आधार पर या ऋण देने

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

या वसूली के आधार पर? बैंक सुपरवाइजर **किसको लगा रखा है राशमी** में ? बैंक सुपरवाइजर का क्या नाम है, उसका कार्यालय कहां है और यदि वह मुख्यालय पर रहता है तो उसका निवास स्थान, किस व्यक्ति के यहां किरायेदार है ? बैंक की दिनांक—

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : सप्लीमेंट्री प्रश्न और है। बैंक की दिनांक 13.1.1994 को हुई आम सभा में कौन-कौनसे सदस्य उपस्थित हुए ? इन्होंने जो आम सभा रखी थी, उसमें कौन-कौनसे सदस्य थे ? क्या उसमें क्षेत्रीय विधायक को भी सूचना दी गयी, उनको भी बुलाया गया ? राशमी बैंक की शाखा को पुनः चालू करना बैंक के हित में नहीं है, ऐसा क्यों, इसका क्या आधार है, इन सब प्रश्नों के जवाब दे दें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ सहकारी बैंक की आठ शाखाएं हैं और चित्तौडगढ़ भूमि विकास बैंक जो कि घाटे में चल रहा था, घाटे में चलने के बाद पंजीयक, सहकारी समिति, राजस्थान ने एक आदेश पारित किया कि इसकी समीक्षा की जाये कि यह बैंक घाटे में क्यों चल रहा है ? **इसकी एक कमेटी गठित की गयी, जिसमें संयुक्त रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय प्रबन्ध निदेशक और सचिव भूमि विकास बैंक, चित्तौडगढ़ थे।** इन तीन व्यक्तियों की एक समिति गठित की और गठित समिति ने अपनी बैठक कर यह आकलन किया कि बैंक को घाटे से किस तरह से उभारा जाये। तो इन्होंने रावतभाटा, गंगरार और राशमी, जो तीन शाखाएं थीं उनके प्रति उनकी रिपोर्ट यह आयी कि इनको बन्द कर दिया जाये और बन्द इस आधार पर किया जाये कि यहां बैंक का जो कारोबार होता है वह कम होता है। ऋण कम बंटता है और बंटता भी है तो उसकी वसूली नहीं होती है। उसके आधार पर यह आकलन किया गया कि इन शाखाओं को बन्द करके रावतभाटा को तो बेगूं के साथ लगा दिया जाये और राशमी को लगा दिया कपासन के साथ और गंगरार शाखा जो थी उसको चित्तौडगढ़ के साथ लगा दिया। अब जो राशमी की दूरी है, 21 किलोमीटर की दूरी और कपासन के साथ लगा दिया और वहां पर बैंक का एक सुपरवाइजर रहता है। वह ऋण पत्रावलियां तैयार करवाता है और वसूली भी करता है। इसके उपरान्त ग्रामों में जो कर्जा बंटता है उसका पंचायत स्तर पर एक शिविर भी आयोजित करता है और उसके आधार पर पत्रावलियां तैयार करके किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है। तो मेरे विचार से यह जो व्यवस्था की गयी है वह बैंक के हित में की गयी है, बैंक में आर्थिक घाटा चल रहा था उसकी बचत के सम्बन्ध में की गयी है और 13.01.1994 को माननीय सदस्य ने यह पूछा कि मेरे को नहीं बुलाया गया, तो मेरे पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि आप पधारे कि नहीं पधारें, पर मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में इस बात का अनुमोदन किया है कि **इन शाखाओं को बंद कर दिया जावे जो बैंक के हित में नहीं हैं।**

श्री अर्जुनलाल जीनगर : सभा में **कौन-कौन उपस्थित हुए, यह तो बता दीजिये।** मुझे नहीं बुलाया गया, कोई बात नहीं लेकिन उपस्थित कौन-कौन हुए थे ?

(19)

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी से घर पर जानकारी कर लेना, बिराजें आप। श्री गुलाबसिंह जी शक्तावत।

प्रश्न संख्या 641.

(अनपुस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष : श्री जीतराम जी।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : यह मामला बहुत गम्भीर है, अध्यक्ष महोदय, किसानों को परेशानी होती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, आप। श्री जीतरामजी।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : किसानों को बहुत भारी परेशानी होती है और इसका जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से यह कहलाएं कि जो सुपरवाइजर लगा रखा है उसका क्या काम है?

श्री अध्यक्ष : लोन देने का काम है, कह दिया इन्होंने लोन देता है वह, बिराजिये आप।

भूतपूर्व उप निदेशक, जोधपुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

642. **श्री जीतराम (मालपुरा)** : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्रीमती प्रभा टांक, आर.ए.एस., भूतपूर्व उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर के विरूद्ध महेन्द्रसिंह व अन्य की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थीं?

(2) क्या यह सही है कि श्रीमती टांक के पदस्थापन के समय उनके कार्यक्षेत्र के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पोषाहार वितरण में गम्भीर अनियमितताएं की गयीं?

(3) क्या लूणी एवं शेरगढ़ परियोजना कार्यालयों द्वारा वितरित किये गये पोषाहार की ऑडिट करवायी गयी है?

(4) क्या जोधपुर परियोजना में श्रीमती प्रभा टांक द्वारा करवाये गये पोषाहार परिवहन की ऑडिट करवायी गयी है?

(5) क्या श्रीमती प्रभा टांक द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए साथ गुड़ क्रय नहीं करके सभी के लिए अलग-अलग आदेश देकर क्रय किये गये गुड़ से सम्बन्धित लेखों की जांच करवायी गयी है?

(6) क्या श्रीमती प्रभा टांक ने बिना टेण्डर इत्यादि प्राप्त किये ही तथा विभागाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त किये बिना विभिन्न परियोजना क्षेत्रों के गेहूं की दलाई व्यक्ति विशेष से करवा के विभाग के लिए 40,000/- रुपये का उत्तरदायित्व अनाधिकृत एवं अवांछनीय रूप से खड़ा कर दिया?

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) जी, हां। श्रीमती प्रभा टांक, आर.ए.एस., भूतपूर्व उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी।

(2) जी, हां। श्रीमती टांक के क्षेत्रीय उप निदेशक, जोधपुर के पदस्थापन दिनांक 21.05.1990 से 3.9.1991 तक की अवधि के दौरान अंकेक्षण रिपोर्ट्स के अनुसार लूणी एवं शेरगढ़ परियोजनाओं के पोषाहार वितरण में अनियमितताएं पायी गयीं।

(3) जी, हां। परियोजना लूणी एवं शेरगढ़ कार्यालयों में पोषाहार वितरण की विशेष जांच करवायी गयी थी।

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

(4) जोधपुर परियोजना में श्रीमती प्रभा **टांक द्वारा करवाये गये पोषाहार** परिवहन की **कोई विशिष्ट जांच** नहीं करवायी गयी। परन्तु सामान्य रूप से आंतरिक जांच दल द्वारा परियोजना के लेखों की सामान्य जांच करवायी जा चुकी है।

(5) परियोजना लूणी व शेरगढ़ के लेखों की जांच विभागीय जांच दल द्वारा करवायी गयी है।

(6) श्रीमती प्रभा टांक द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष की स्वीकृत दरों पर गेहूं की दलाई का कार्य श्री रतनलाल जैन, जोधपुर से करवाया गया था। सम्बन्धित फर्म को कुल राशि रुपये 14,900/- का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

श्री जीतराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने जो कहा है कि अनियमितताएं पायी गयीं पोषाहार और वितरण में, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यह बतायें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : इसके लिए 21.08.1991 से कार्यवाही चालू करनी थी।...(व्यवधान)... पूरी डिटेल्स दूं क्या आपको ? अच्छा...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : जांच अधिकारी, शेरगढ़ से इसकी जांच करायी गयी थी। फिर उसमें अनियमितता पायी गयी इसलिए विभागीय जांच करायी गयी थी और जो विभागीय जांच करी उसमें 2,52,602....(व्यवधान)... पोषाहार में गड़बड़ी पायी गयी और 1,16,222 रुपये की अनियमितता पायी गयी। इसके ऊपर...(व्यवधान)... आप एक बार सुन तो लीजिये पूरी रिपोर्ट।

श्री रामस्वरूप मीणा : खोलो आप तो पूरे घोटाले।

(मंत्री का मूल उत्तर जो सदन में दिया गया)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : इसके बाद में इसकी जांच के लिए लिखा गया, अंकेक्षण रिपोर्ट की जांच की दोनों की, उसमें श्रीमती उषा जोशी को दोषी पाया गया गबन और इस मामले में। इनके अलावा कनिष्ठ लिपिक और 7 महिला पर्यवेक्षकों को दोषी पाया गया, इनको निलम्बित कर दिया गया।...(व्यवधान)... और श्रीमती उषा जोशी को अधिकारियों ने, हमने बुलाया कि आप आकर रिपोर्ट दें तो उन्होंने हमारे पत्रों का जवाब नहीं दिया और वो आयीं तक नहीं। इसलिए यह जांच हमने 21.09.1993 को फिर, वहां पर श्री पी.पी. विद्यासर हैं उनको दी जांच करने के लिए। वह जब यह जांच कर रहे थे उस के बीच में ही उनका ट्रांसफार हो गया और उनका ट्रांसफर जैसलमेर में 28.12.1994 को हुआ। जब उनका ट्रांसफर हो गया तो इसलिए इसमें यह विलम्ब हुआ और इसकी जांच अभी भी चालू है, पूरी जांच करा रहे हैं। जो दोषी पाये गये हैं उनको तो कर ही दिया...(व्यवधान)...

(मूल उत्तर के स्थान पर मंत्री द्वारा भेजा गया उत्तर)

*** विभागीय अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रशासनिक जांच क्षेत्रीय उप निदेशक, जोधपुर**

---

* माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार मंत्री का संशोधित उत्तर स्वीकार किया गया।

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

से करवाई जा रही है। जांच अधिकारी ने दिनांक 22-6-93 से अन्तरिम जांच उपलब्ध करवाई है कि जांच के आधार पर श्रीमती उषा जोशी, गबन तथा दुराचरण के लिए दोषी पाई गयीं। इसके अलावा एक कनिष्ठ लिपिक व सात महिला पर्यवेक्षकों को भी जांच अधिकारी ने निलम्बित करने के लिए लिखा है, इसी क्रम में श्रीमती उषा जोशी को दिनांक 21-9-93 से निलम्बित कर दिया गया एवं एक कनिष्ठ लिपिक व 7 महिला पर्यवेक्षकों के विरूद्ध जांच की कार्यवाही अभी तक जारी है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रश्न पूछने दीजिये...

श्री अध्यक्ष : नहीं, बिजराजिये। श्री भीमसेनजी चौधरी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : इन्होंने जवाब अच्छा दिया है। अध्यक्ष महोदय, नीचे वालों को तो सस्पेंड कर देते हैं और जो ऊपर के अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, यह क्या बात है?

श्री अध्यक्ष : बिराजें, आप। भीमसेनजी चौधरी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इसका तो स्पष्टीकरण दीजिये।...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था दी हुई है कि एक पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। दो पूरक प्रश्न पूछेंगे प्रश्नकर्ता और बाकी एक प्रश्न किया जाता है, आप मुझे मना कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : हम पूरे संतुष्ट हो गये हैं कि इन्होंने सही कार्यवाही कर दी, बिराजिये आप।

श्री भंवरसिंह डांगावास : संतुष्ट कहां हुए।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेनजी चौधरी।

श्री भंवरसिंह डांगावास : जांच की हुई है, विभागीय जांच कौनसे नियम के तहत ...(व्यवधान)... गबन का मामला है, कौनसी एफ.आई.आर. दर्ज करवायी है? ऊपर वाले अधिकारियों को छोड़ देते हैं नीचे वाले को सस्पेण्ड करके वाह-वाही ले लेते हैं, इस तरह की बात है यह। ...(व्यवधान)... मैं प्रश्न पूछता हूँ, इस प्रश्न का जवाब दें आप।

श्री जीतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछता चाहूंगा...

श्री भंवरसिंह डांगावास : मंत्री महोदया इस बात का जवाब दें कि जो सीनियर आफिसर, चाहे प्रभा थी या कोई भी थी, नाम से मतलब नहीं है, उनके खिलाफ विभागीय जांच नियम 16 के अन्तर्गत शुरू की कि नहीं की? और 409 का अपराध पुलिस में पंजीबद्ध कराया या नहीं कराया गया?

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि इस प्रकरण में जो आर.ए.एस. अधिकारी, प्रभा टांक इन्वाल्व हैं उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? ...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह (महुआ) : ... और सस्पेण्ड कर रही हैं उषा जोशी को, उषा जोशी से सम्बन्धित कोई प्रकरण था ही नहीं। पूछताछ ही नहीं की।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : कैसे नहीं था।

श्री अध्यक्ष : विराजें, आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इसमें कहीं इन्वाल्व ही नहीं उसको तो सस्पेण्ड कर दिया और जिसको करना है उसका नाम ही नहीं, यह क्या मतलब है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक एल.डी.सी. है। प्रभा टांक को आपने क्या सजा दी, यह भी तो इसमें बताइये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : प्रभा टांक को भी सस्पेण्ड कर दो।

श्री अध्यक्ष : माननीय, सुनें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : कैसे सस्पेण्ड कर दें ?

श्री परसादीलाल मीणा : क्यों नहीं, कर दो।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : प्रभा टांक का जो आप फरमा रहे हैं, उन्होंने यह जो गुड़ का आर्डर दिया था उसमें कमेटी फार्म करी हुई है। जिला कलेक्टर अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय उप निदेशक हैं, जिला कोषाध्यक्ष हैं और अधिकारी बाल विकास निदेशक, इन चारों की कमेटी में बना कर दिया था। प्रभा टांक ने तो नीचे वालों को दे दिया नीचे वालों ने घपला किया तो क्या करे वो।

अब वो भी मरेंगे। _(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री भीमसेनजी चौधरी। _(व्यवधान)_ माननीय, विराजें आप। _(व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी है। _(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : माननीय, विराजें आप।

श्री भंवरसिंह डांगावास : सुपरवाइजरी आफिसर को किस बात का वेतन मिलता है ? _(व्यवधान)_

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में चालान पेश हुआ क्या ? _(व्यवधान)_

श्री भंवरसिंह डांगावास : सुपरवाइजरी आफिसर को किस बात का वेतन मिलता है ? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या ? _(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : विराजें, आप। _(व्यवधान)_

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप ऊपर वालों को सस्पेण्ड करो। _ (व्यवधान) _

श्री शैलेन्द्र जोशी : न्यायालय में क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का चालान पेश हुआ क्या ? _ (व्यवधान) _ चालान पेश क्यों नहीं किया गया ? _ (व्यवधान) _

श्री रामस्वरूप मीणा : जिस तरह से नीचे वालों को सस्पेण्ड किया ऊपर वालों को भी सस्पेण्ड करो। _ (व्यवधान) _

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरह की जब फाइंडिंग आ गयी थी, गबन है तो न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता में 409 के अन्तर्गत चालान पेश किया कि नहीं किया गया ? _ (व्यवधान) _

श्री अध्यक्ष : माननीय, क्या एक साथ खड़े हो गये आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। _ (व्यवधान) _

श्री शैलेन्द्र जोशी : गबन करने के आरोप हैं, सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया गया या नहीं किया गया ? _ (व्यवधान) _

श्री अध्यक्ष : आप कोई दूसरा प्रश्न आने ही नहीं देना चाहते। कोई 10 जनों ने ले लिया — (व्यवधान) —

श्री भंवरसिंह डांगावास : अधिकतर सबोर्डिनेट अफसरों के खिलाफ कार्यवाही होती है, सुपरवाइजरी अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। आप सीनियर अफसरों को बचाना क्यों चाहते हैं ? — (व्यवधान) —

श्री अमराराम (धोद) : उनको पनिशमेंट नहीं देकर सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रही है। — (व्यवधान) —

श्री शैलेन्द्र जोशी : न्यायालय में कोई चालान पेश किया कि नहीं किया ? — (व्यवधान) — भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कोई चालान इस तरह का हुआ ? — (व्यवधान) — भ्रष्टाचारी आदमियों को बचाया गया।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप सुनिये तो सही। — (व्यवधान) —

श्री अध्यक्ष : बिराजें, आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : नीचे के अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होती है, ऊपर वालों के खिलाफ नहीं। — (व्यवधान) —

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्या न्यायालय में चालान पेश किया गया ?

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, हमेशा हर प्रश्न में मास्टरी हासिल कर के बोलना जरूरी है — (व्यवधान) —

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्री महोदय, इस बात को स्पष्ट करें। — (व्यवधान) —

श्री भंवरसिंह डांगावास : मंत्री महोदय का जवाब कि ऊपर वालों ने नीचे वाले को देदी, क्या करती ? उसको किस बात की तनख्वाह मिलती थी, उसने क्यों नहीं सुपरवाइज किया ? क्यों गबन हो रहे हें यह ?इसका जवाब दिलवाइये। — (व्यवधान)—

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जीतराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो रह ही गया। — (व्यवधान) —

एक माननीय सदस्य : एक सप्लीमेंट्री प्रश्न मेरा है। — (व्यवधान) —

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप सुनना नहीं चहाते — (व्यवधान) —

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से चालान पेश नहीं किया जाता है। अपराधियों की जो मनोवृत्ति है उसको रोका नहीं जाता है। — (व्यवधान) —

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप जवाब नहीं सुनना चाहते हो, मैं बैठ जाती हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा राज्य मंत्री) : मंत्री महोदया, जवाब देना चाह रही हैं और वह बोलने नहीं दे रहे, अध्यक्ष महोदय। — (व्यवधान) —

श्री शैलेन्द्र जोशी : शैलेन्द्र जोशी : कोई चालान न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। — (व्यवधान) —

श्री अध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते, आपके तो पांच जनों ने ले लिया है सब।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप नहीं सुनना चाहते हैं क्या जवाब ? — (व्यवधान) —

श्री भंवरसिंह डांगावास : चालान न्यायालय में क्यों नहीं पेश किया गया ? दण्डित क्यों नहीं किया ? — (व्यवधान) —

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय, आप थोड़ी शांति रखें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप या तो जवाब सुन लीजिये या बोलने दीजिये, नहीं तो मैं बैठ जाती हूँ।

श्री अध्यक्ष : जब मंत्री जी जवाब देती हैं तो आप सुनते नहीं, एक साथ सब माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : ऐसा है यह डिपार्टमेंटल जांच करायी थी, अगर आप लोग कहते हैं तो और अच्छी तरह से जांच करा लेंगे, आप बोलें जिससे करा लेंगे। — (व्यवधान) —

श्री भंवरसिंह डांगावास : विधान सभा के चार सदस्यों से जांच कराइये। इस विधान सभा की समिति बनाइये आप एक। — (व्यवधान) —

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेनजी चौधरी।

श्री भंवरसिंह डांगावास : विधान सभा के चार सदस्यों से इसकी जांच करवाइये। — (व्यवधान) — यह फेक्ट बात है करोड़ों रुपयों का गबन हुआ है। करोड़ों का।

श्री शैलेन्द्र जोशी : न्यायालय में चालान पेश हुआ कि नहीं हुआ ? यह हम जानना चाहते हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत लोक सेवक द्वारा जो अपना कार्य अंजाम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया उसके लिए आई.पी.सी. के सैक्शन 409 में चालान पेश हुआ कि नहीं — (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप विधायकों की एक कमेटी बना दीजिये और उसमें मंत्री महोदया भी आयें और उसके द्वारा जांच करवाइये। कैसे जांच नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये रामस्वरूप जी।

श्री भंवरसिंह डांगावास : आप खड़े होकर यह आश्वासन दीजिये मंत्री महोदया। आप खड़े होकर यह आश्वासन दीजिये कि विधान सभा के चार सदस्यों की कमेटी बनेगी और वह जांच करेगी। जवाब दीजिये खड़े होकर आप। — (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय शांति बनाये रखें। बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो संवेदनशील सरकार के मंत्री हैं, क्यों नहीं कमेटी बनाते हैं ? क्यों दोषियों को छिपाते हैं ? क्यों उनको — (व्यवधान) सिस्टम में भेजने से बचाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय, शांति बनाये रखें। माननीय शांति बनायें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरह बाल पोषाहार के कार्यक्रम में जो घटना घटी। जो बाल पोषाहर के कार्यक्रम में हो घटना कर दें, उसको भी आप भारतीय दण्ड संहिता के कानून के शिकंजे में नहीं लाना चाहते हैं, मात्र एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी करके ही उसको बहाल करना चाहते हैं। यह आपका पक्षपातपूर्ण रवैया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गबन साबित है तो उसकी रिकवरी भी होनी चाहिये।

जो गबन की हुई राशि है, जिसने गबन किया, उस अधिकारी का क्या हुआ ? आई.पी.सी. की प्रोसीडिंग क्यों नहीं स्टार्ट की गयी ? — (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप अपने ऊपर वाले को तो बचाते हो — (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप जान-बूझकर इस तरह के अपराधियों को पनाह दे रहे हैं, शह दे रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : कमेटी से दुबारा जांच करवाइये। _(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह संवेदनशील सरकार है लेकिन यहां पर भ्रष्टाचारी लोगों को जिस तरह श्रेय मिलता है, इसका यह एक निर्णय सबूत है। _(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मैं स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : प्रश्न तो करने दें।

श्री रोहिताश्व कुमार (यातायात राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर से तो यह सन्तुष्ट हैं लेकिन सवाई माधोपुर में जो उनका सफाया हो गया, उसके प्रति यह बोल रहे हैं _(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गाडियान गोडिया नहीं बनानी है। _(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : माननीय भंवर सिंह जी आप बिराजें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मंत्री महोदया, इस बात से सहमत हो गयी है कि इसकी जांच मैं विधान सभा के सदस्यों से करवाऊंगी ?

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : हां, तो सुनिये न आप।

श्री भंवरसिंह डांगावास : उन्होंने हां भर ली है। कृपया उनसे खड़े होकर _(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जांच की घोषणा कीजिये।

श्री अध्यक्ष : अप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पुलिस में यह प्रकरण भेजा जाये। इस बात के लिये सदन में घोषण कीजिये कि इस तरह के आपराधिक षडयंत्र को केवल प्रशासनिक रूप में नहीं लिया जायेगा बल्कि इसको आपराधिक प्रकरण मानकर इसकी रिपोर्ट की जाय _(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : भंवर सिंह जी की अध्यक्षता में बना दीजिये कमेटी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, वह घपला सदन के सामने है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी कुछ बात कह रहे हैं। बिराजिये आप _(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यदि बाल पोषाहार के _(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : ताकि जांच भी करवाई जाये और पुलिस में भी (व्यवधान) भेजा जाये _(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : संवेदनशील मामलों को भी सरकार पुलिस में नहीं भेजना चाहती है, अधिकारियों को बचाना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरसिंह बिराजिये आप। मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं माननीय।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, कमेटी की घोषणा कराओ भंवर सिंह जी की अध्यक्षता में _(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसको क्रिमिनल आफेंस में भी माना जाता है। आपराधिक

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

प्रकरण है। क्रिमिनल आफेंस माना जाये और भारतीय दण्डसंहिता के प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं। बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : (व्यवधान) आपको नहीं पता हो तो कमेटी की घोषणा कराओ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपराधिक प्रकरण घोषित करके प्रथम सूचना दर्ज करवाई जाकर चालान पेश करवाया जाये। दण्डित करवाया जाये सक्षम न्यायालय से। यह हमारी मांग है।

श्री रामस्वरूप मीणा : घोषण करिये सदन में माननीय मंत्री महोदया _ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं। आप सुनें तो सही। सुनें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी अपराधी को बचाने की कोई इसमें इच्छा नही है और माननीय सदन की यह तो इच्छा है कि इसकी कोई जांच हो जाय तो मेरा यह निवेदन है कि जांच पुलिस से भी हो सकती है, जांच सरकारी अधिकारी से हो सकती है, विधान सभा से भी हो सकती है। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप पत्रावली देखकर अध्यक्ष महोदय जिससे कहते हैं, उससे जांच करा देंगे। अध्यक्ष महोदय, जिससे कहेंगे उससे जांच करा लेंगे हम। चाहे विधायकों से करायें, चाहे किसी और से करायें, करा देंगे वह।

श्री अमराराम (धोद) : भंवरसिह जी की अध्यक्षता में।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मेरा इतना ही अनुरोध था। अनुरोध सुनें। सारी विभगीय जांच के साथ-साथ एक अनुरोध सुनें, पूरे राजस्थान में इस दलिया विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं कोई बात नहीं कहता। मैं किसी अधिकारी के विरूद्ध बात नहीं करता। सिम्पल बात है। यह आरोप आया है। आरोप के लिए विभागीय जांच भी साथ-साथ साइमल्टेनियसली होती है और पुलिस में भी एफ.आई.आर. दर्ज करके तफतीश होती है। उसकी अकर्मण्यता के लिए विभागीय जांच करवाइये। अपराध के लिए आप अपराध पंजीबद्ध करवाइये। और इसमें आप क्या करवाना चाहते हैं। मंत्री महोदया खुद एग्री हो गयी थीं कि हम अपनी विधान सभा के चार सदस्यों से जांच करवा लेंगे। उन्होंने हाथ ऊंचा किया था। वह कह दें बस। _ (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : (व्यवधान) कर दिया, सन्तोषप्रद है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भीमसेन जी चौधरी।

सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं हेतु आबंटित राशि

643. **श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सीमान्त क्षेत्र विकास **कार्यक्रम** के **अन्तर्गत विभिन्न विभागों की योजनाओं** के लिये वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में कितनी-कितनी राशि का आंबटन किया गया ?

(श्री भीमसेन चौधरी)

(2) क्या उक्त योजनाओं के संबंध में कभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में सदस्यों को आंबटित धनराशि की जानकारी दी गई है व तत्संबंधी सुझाव मांगे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, विशिष्ट संगठन योजना (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) वर्ष 1992-93 में योजना प्रारम्भ ही नहीं की गयी थी। वर्ष 1993-94 हेतु भारत सरकार द्वारा 19.05 करोड़ रुपये की राशि 31 मार्च, 1994 को प्राप्त होने से उक्त राशि वर्ष 1994-95 में दो किश्तों में संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं विभागों को निर्गमित कर दी गई। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "एक" पर उपलब्ध है। वर्ष 1994-95 हेतु भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम अन्तर्गत दो किश्तों (फरवरी व मार्च माह) में 20.44 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। प्रथम किश्त के 10.22 करोड़ की विभागवार राशि का आंबटन परिशिष्ट "2" में दर्शाया गया है। द्वितीय किश्त की 10.22 करोड़ की राशि को चारों सीमावर्ती जिलों के जिलाग्रामीण विकास अभिकरणों में एक मुश्त जमा करवाया गया। जिलेवार आंबटित राशि का विवरण परिशिष्ट "3" में दर्शाया गया है।

(2) सीमावर्ती क्षेत्र जिलों की संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की शासकीय समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों को राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। भारत सरकार ने राशि प्राप्त होते ही अनुमोदित कार्यों के अनुसार राशि आवंटित कर दी जाती है। अतः राशि आबंटन के पश्चात् सुझाव मांगने का कोई औचित्य नहीं होता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सिम्पल प्रश्न था कि ग्रामीण विकास अभिकरण में भारत सरकार से सीमान्त क्षेत्र के विकास के लिए जो राशि दी जाती है, ग्रामीण विकास अभिकरण के समक्ष वह उसमें डिस्कस की जाती है या नहीं की जाती है ?

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसमें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया उसमें जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में दो तरह की समितियां हैं। एक तो संचालन परिषद और एक है शासकीय परिषद। शासकीय परिषद में तो सिर्फ पांच-सात अधिकारी बैठकर के निर्णय ले लेते हैं। जब आप गवर्निंग कौंसिल में इस मामले को क्यों नहीं रखते हैं? क्या कोइ ऐसे दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं कि यह-यह मामले तो शासकीय परिषद में आयेंगे और यह-यह मामले गवर्निंग कौंसिल में आयेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि जो भी प्रस्ताव होते हैं, वह जो शासकीय समिति होती है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की, उसके अंदर प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं और उसमें अनुमोदित करवाये जाते हैं। जो प्रस्ताव शासकीय समिति अनुमोदित कर देती है, वही प्रस्ताव यहां पर राज्य सरकार के पास आते हैं। वह स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकार किये जाते हैं तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में, शासकीय समिति में माननीय सदस्यों द्वारा जो सुझाव दिये जाते हैं उन्हीं प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाता है और उन प्रस्तावों के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी उनका फाइनल करती है। इसलिए

(श्री अनंग कुमार जैन)

दुबारा राशि आबंटित करते वक्त सुझाव **मांगने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।**

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, मेरा सवाल यह था...

श्री अध्यक्ष : माननीय पूरा सुन लें आप।

श्री हरजीराम बुरड़क : गवर्निंग कौंसिल का पूरा क्या कार्य है?

श्री अनंग कुमार जैन : मेरी बात सुन लीजिये। जब यह राशि भारत सरकार से मिलती है। वहां से मिलने में काफी देरी हो जाती है। कई बार रनिंग ईयर की 1994-95 की राशि मार्च में मिलती है, उसको हम आबंटित करते हैं तत्काल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को। वहां जाने के बाद फिर उस शासकीय कमेटी से सारे प्रस्ताव अनुमोदित होते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में आते हैं। उसके बाद स्वीकृति जारी होती है। उसके बाद कार्य प्रारम्भ होता है। इस वजह से इतना विलम्ब हो जाता है कि यदि बार-बार सुझाव मांगे जाएं तो इसका पैसा ही खर्च होना सम्भव नहीं होता और कई बार कई जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में इस प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है कि इस पैसे का यदि समय पर हम हिसाब भारत सरकार को नहीं भेजते तो हमारे अगले साल की किश्त रिलीज नहीं होती है या उस पैसे के अंदर कटौती हो जाती है। इसलिए राज्य सरकार यह प्रयास करती है कि जैसे ही यह राशि आबंटित हो जल्दी से जल्दी उन प्रस्तावों को अनुमोदित करके उनकी सैंक्शन जारी करके और उनके ऊपर कार्य प्रारम्भ करवा दिया जाये और जो खर्चा हो जाये उस खर्चे का हिसाब भी समय पर भारत सरकार को भेज दिया जाये।

कई बार समय पर हिसाब नहीं भेजने के कारण ही भारत सरकार द्वारा पूरे राजस्थान के अंदर करोड़ों रुपये हमारे काट लिये जाते हैं और उसके ऊपर फिर यह दोषारोपण आता है कि चूंकि संबंधित जिला विकास अभिकरण में या राज्य सरकार ने समय पर हिसाब नहीं भेजा। इसलिए बार-बार राज्य सरकार से दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं कि इनका सख्ती से पालन किया जाये, जल्दी से जल्दी प्रस्ताव भेजे जाये और प्रस्ताव मंजूर होने के बाद जल्दी से जल्दी कार्य प्रारम्भ करवाया जाये और उसके बाद जो पैसा बुक हो जाता है, खर्च हो जाता है, उसकी तत्काल सूचना राज्य स्तर पर या एस.एस.ओ. के अंदर दी जाये। ताकि एस.एस.ओ. के माध्यम से केन्द्र सरकार को निवेदन किया जाये कि जो पैसा आपने हमको दिया है उसको हमने समय पर खर्च कर दिया है। उसके बाद अगली राशि शीघ्रातिशीघ्र केन्द्र सरकार से रिलीज करवाई जाये।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, आपने जो बाइ लॉज बना रखे हैं इनको रजिस्ट्रेशन संस्था में आपने रजिस्टर्ड करा रखा है डी.आर.डी.ए. को। उस बाई लोज के हिसाब से गवर्निंग कौंसिल ही सर्वोच्च सत्ता है। आप उसके सामने यह सारी स्कीमें ले जायेंगे और दो-चार अधिकारी बैठकर इसको भेज देंगे। फिर डी.आर.डी.ए. का मतलब क्या हुआ?

यह सही है कि आप जन प्रतिनिधियों से इस बात को छिपाने के लिए यह एक अलग से रास्ता निकालकर इसको चला रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि इन बाइलोजेज के हिसाब से चलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट—3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कुम्हेर क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय

638. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर में कितने पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं?

(2) क्या सरकार इन स्थानों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के 4 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं।

(2) वर्ष 1995-96 के लिए क्रमोन्नति के लिए प्राप्त प्रस्तावों के साथ उपरोक्त विद्यालयों के प्रस्तावों पर भी, मापदण्डों के अनुकूल होने पर, वर्षा 1995-96 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

जिला धौलपुर में अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरण

639. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर जिले में अनुसूचित जाति/जन.जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कितने प्रकरण विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार के प्रकरणों की संख्या अत्यधिक होने के उपरान्त भी वहां विशेष अदालत का गठन अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ऐसी अदालत कब तक स्थापित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) धौलपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 31.3.95 को 263 मामले विचाराधीन हैं।

(2) नया अनुसूचित जाति/जनजाति न्यायालय खोलने के संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है। नया न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंषा पर ही खोला जा सकता है व अभी वहां से ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वहां पर नया न्यायालय अभी खोले जाने का कोई विचार नहीं है।

कानोड़ (उदयपुर) में आयुर्वेदिक औषधालय

641. श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वल्लभनगर, जिला उदयपुर में वर्ष 1994-95 में कहां-कहां आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र के ग्राम कानोड़ में औषधालय खोलने हेतु कोई पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1995-96 में यहां औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1994-95 में विभाग का कोई भी नवीन औषधालय स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं । उदयपुर जिले के ग्राम कानोड़ में नवीन आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विभागीय स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शौर्य चक्र प्राप्त विकलांग भूतपूर्व सूबेदार को भूमि आबंटन

920. श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य (सैनिक कल्याण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शौर्य चक्र प्राप्त विकलांग भूतपूर्व सूबेदार, सुबेसिंह यादव ग्राम कान्हावास, तहसील बहरोड़, जिला अलवर को सरकार के निर्देशों के अनुसार अभी तक भूमि आबंटित नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इनके ग्राम कान्हावास में ही रिक्त पड़ी सिवाय चक भूमि को अलाट करने हेतु श्री यादव ने कई बार अनुरोध किया है ? यदि हां, तो अब इन्हें कब तक उक्त भूमि आबंटित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों के ऐसे मामलों में 18-20 वर्ष का समय लगाना उचित मानती है ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में सरकार आबंटन संबंधी कार्यवाही शीघ्र करने हेतु स्थाई व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भूतपूर्व पी.टी.आर. (सिपाही) सूबेसिंह यादव को शौर्य चक्र मिलने पर उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आबंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आबंटन करने को कहा गया, परन्तु उन्होंने आवेदन नहीं किया जिसके कारण उन्हें भूमि आबंटन नहीं की जा सकी।

(2) जी, नहीं। श्री यादव ने ग्राम कान्हावास के पास रिक्त पड़ी सिवाय चक भूमि को आबंटन करने हेतु दिनांक 17 अप्रेल, 1995 को जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिन पर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) शौर्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को भूमि, आबंटन संबंधी कार्यवाही त्वरित गति से की जाती है। श्री यादव ने भूमि आबंटन के लिए आवेदन ही नहीं किया जिससे इतना विलम्ब हुआ है।

राज्य सेवा में मृतक कर्मचारी की पत्नी को पेंशन

921. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सेवाकाल में यदि किसी कर्मचारी का स्वर्गवास हो जाये तो उसकी पत्नी को पेंशन देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त नियम व आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्री चन्द्रसिंह, आबकारी विभाग, नागौर में कार्यरत थे और उनका स्वर्गवास दिनांक 14 नवम्बर,

(श्री हरजीराम बुरडक)

1955 को सेवा में रहते हुए हुआ था, यदि हां, तो उनकी पत्नी को अभी तक पेंशन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ? अब कब तक उक्त को पेंशन दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है। राज्य कर्मचारी का स्वर्गवास हो जाने पर पारिवारिक पेंशन देने हेतु समय-समय पर अलग-अलग नियम लागू रहे हैं—

1. दिनांक 1.3.1964 से पूर्व सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 261 एवं उसके नीचे अंकित राजकीय निर्णयों के तहत पारिवारिक पेंशन/एक्सग्रेसिया पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती रही हैं। (परिशिष्ट—ए)।

2. दिनांक 1.3.1964 से नये पारिवारिक पेंशन लागू किये गये। दिनांक 1.3.1964 को सेवारत कर्मचारी को यह छूट थी कि जो पुराने पारिवारिक पेंशन नियम 261 हेतु भी विकल्प दें सकता था अन्यथा दिनांक 1.3.1964 को सेवारत कर्मचारियों पर नये पारिवारिक पेंशन नियम लागू होंगे जिसका प्रावधान राजस्थान सेवा नियम 268-ए से 268-एच में वर्णित है। (परिशिष्ट—बी)।

3. राजस्थान राज्य सरकार ने परिपत्र सं. एफ1(50) वित्त/ग्रुप-2/82 दिनांक 18.7.1988 के द्वारा 1.4.1951 से 28.2.1964 तक सेवानिवृत कर्मचारियों एवं 1.3.1964 के बाद सेवानिवृत कर्मचारी जिन्होंने पुराने पारिवारिक नियमों हेतु विकल्प दिया था उन सभी पर नये पारिवारिक पेंशन नियम दिनांक 1.4.1988 से लागू किये। (परिशिष्ट—सी)

4. राजस्थान राज्य सरकार परिपत्र सं. एफ1(47) वित्त/ग्रुप-2/88-II दिनांक 2.12.1989 के द्वारा दिनांक 1.4.1951 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों में नये पारिवारिक पेंशन नियम दिनांक 1.11.1989 से लागू किए (आदेशों की प्रतियां संलग्न है)। (परिशिष्ट—डी)।

(2) स्व. श्री चन्द्रसिंह की धर्मपत्नी श्रीमती गुमान कंवर ने आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित करते हुए जो पत्र 24.2.1995 को लिखा है वह इस कार्यालय में 2.3.1995 को प्राप्त हुआ जिसमें दिनांक 14.11.1955 को बीमारी के कारण मृत्यु होना अंकित किया है और आबकारी विभाग में जून, 1939 से भर्ती होना बताया है। (पत्र की फोटो प्रति संलग्न है)।

श्रीमती गुमान कंवर के पत्र दिनांक 24.2.1995 के संदर्भ में वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-नागौर को आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय के पत्र दिनांक 18.3.1995 को लिखा गया कि श्रीमती गुमान कंवर का पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाकर इस कार्यालय को सूचित करें। (फोटो प्रति संलग्न है)।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-नागौर ने दिनांक 3.4.1995 को श्रीमती गुमान कंवर को पेंशन सम्बन्धी सूचना पेश करते हुए इस कार्यालय को भी सूचित किया है।

उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, जोधपुर से दूरभाष पर ली गई सूचना अनुसार वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-नागौर ने श्रीमती गुमान कंवर को सूचित किया है कि वे पेंशन सैट (वारिसान का फोटो, पारिवारिक

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

विवरण आदि) पेश करें। इस कार्यालय वर्तमान में पेंशन प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

पेंशन सैट पेश होने पर ही पेंशन के सम्बन्ध में नियमानुसार तथ्यों की जांच कर शीघ्र कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। पेंशन सैट पेश न होने के कारण पेंशन दिये जाने की निश्चित अवधि इंगित करना कठिन है। पेंशन सैट उपलब्ध होते ही निदेशक, पेंशन विभाग को भिजवा दिया जावेगा। प्रस्ताव को शीघ्र ही निपटाने की कोशिश की जा रही है। विभाग को भी सहानुभूति पूर्वक विचार कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये जा रहे हैं।

श्रीमती गुमान कंवर ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया था कि अपने मृतक के वारिसान लड़का, जो कि 11वीं कक्षा पास है, उसको नौकरी दी जावे। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं. 3010 दिनांक 18.3.1995 के माध्यम से श्रीमान् शासन उप सचिव, (कार्मिक) विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर से मार्गदर्शन चाहा गया है। (फोटो प्रति संलग्न है)।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आबकारी अधिकारी जालौर को आबकारी निरीक्षक का अतिरिक्त चार्ज

922. श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर आबकारी अधिकारी के पास जालौर आबकारी निरीक्षक का चार्ज है एवं आबकारी अधिकारी द्वारा स्वयं निरीक्षक के रूप में हस्ताक्षर कर खुद के द्वारा ही प्रति हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं ? क्या यह प्रक्रिया नियम विरूद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रक्रिया को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) निरीक्षक एवं उसके सुपरवाइजर अधिकारी के रूप में एक ही व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर पर्यवेक्षणीय दायित्व के प्रति इस प्रकार लापरवाही जालौर के अलावा और कहां-कहां पर हो रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निरीक्षक का पद रिक्त होने के कारण जालौर सहायक आबकारी अधिकारी के पास आबकारी निरीक्षक का कार्यभार है। विदेशी मदिरा के निर्यात/परिवहन के लिए अनुमति प्राप्त मदिरा के थोक बोण्डेड गोदाम में पहुँचने पर निर्धारित प्रपत्र विप्र. 6 में निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया जाता है और आबकारी अधिकारी अथवा सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाते हैं। ये दोनों कार्य जालौर में सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा किये जा रहे हैं। यह प्रक्रिया नियम विरूद्ध नहीं है।

(2) जालौर के अलावा राजसमन्द जिले में सहायक आबकारी अधिकारी के पास नाथद्वारा वृत्त के निरीक्षक का अतिरिक्त चार्ज है। आबकारी निरीक्षकों के वर्तमान में काफी संख्या में पद रिक्त होने के फलस्वरूप उक्त व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में कोई अनियमितता नहीं है।

वरिष्ठ लेखाधिकारी के पदों के सृजन हेतु मानदण्ड

923. डा. रामराय शर्मा (जमवारामगढ़) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के वरिष्ठ लेखाधिकारी के कितने पद सृजित हैं एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद सृजन के लिए वित्त विभाग द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में वर्तमान में लेखाधिकारी का ही पद स्वीकृत है ? यदि हां, तो यह पद कब सृजित किया गया था ?

(3) क्या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में लेखाधिकारी का पद जब सृजित किया गया था उसके पश्चात् कई नई योजनाओं का संचालन एवं बजट में भारी वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो जिला ग्रामीण अभिकरण में वरिष्ठ लेखाधिकारी का पद सृजन न करने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद सृजन के लिए वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हैं ? यदि हां, तो यह पद कब तक सृजित कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 6 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 27-4-93 के अधीन राज्य में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के 124 पद सृजित हैं। वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद विभिन्न विभागों की प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर सृजित किये जाते हैं।

(2) जी हां। राज्य के समस्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में वर्तमान में लेखाधिकारी के पद सृजित किये हुए है जिनकी विगत इस प्रकार है—

योजना का नाम	अभिकरणों की सं.	सृजन की दिनांक
मरू विकास कार्यक्रम	8	5-7-75
	3	11-1-78
सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम	2	11-5-79
एकीकृत	4	5-3-82
ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3	24-2-87 व 2-11-87
	2	3-7-91
	8	1-7-92
	1	11--8-94
कुल	31	

(3) यह सही है कि अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं एवं उनकी बजट राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इस परिपेक्ष्य में मरू क्षेत्र के 11 जिलों के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में लेखाधिकारी के पद के स्थान पर वरिष्ठ लेखाधिकारी का पद सृजित करने हेतु राजेन्द्र जैन कमेटी के समक्ष दिनांक 20-9-91 की बैठक में प्रस्तावित किया गया था, किन्तु राजेन्द्र जैन कमेटी, जो प्रशासनिक व्यय एवं विभागीय पदों के पुनरीक्षण हेतु गठित की गई थी, ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार योग्य नहीं पाया था।

(4) वित्त विभाग द्वारा वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद के सृजन के संबंध में कोई अलग से मापदण्ड निर्धारित नहीं किये हुये हैं। वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं पर

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

विचार कर उपयुक्त पाये जाने पर इस आशय के प्रस्ताव पर निर्णय किया जाकर वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद सृजित किये जाते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद सृजन का मामला विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान पेंशनर चिकित्सा कोष

924. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पेंशनर चिकित्सा कोष के क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) अस्पताल में भर्ती पेंशनर को क्या-क्या सुविधायें व औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। इस व्यय की जाने वाली राशि की सीमा कितनी हैं ?

(3) क्या ओपन हार्ट सर्जरी, पेसमेकर के लिए भी पेंशनर को राशि इस कोष से उपलब्ध कराई जाती है ? यदि हां, तो कितनी व इसकी क्या प्रक्रिया है ? क्या उक्त राशि पहले पेंशनर को स्वयं खर्च करनी पड़ती है व उसके बाद इस कोष से भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या इस प्रक्रिया में सरकार का सुधार करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पेंशनर को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायत योजना के अन्तर्गत राजस्थान पेंशनर चिकित्सा निधि का गठन किया गया है। निधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर समस्त सेवारत कर्मचारियों द्वारा प्रतिमाह अभिदान किया जाता है। अनुदान की राशि कर्मचारियों के वेतन से काटी जाती है। निधि में राज्य सरकार भी अनुदान देती है।

निधि में प्राप्त राशि का उपयोग राज्य के पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर किया जाता है। नियमों की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) राजकीय चिकित्सालय में भर्ती पेंशनर को चिकित्सालय में निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है—

1. उस सवर्ग की निःशुल्क आवास सुविधा जिसके लिये वह सेवानिवृत्ति से तुरन्त पूर्व हकदार था आवास उपलब्ध होने पर उपलब्ध कराई जाती है।

2. सभी प्रकार के टेस्ट जो चिकित्सालय में ही उपलब्ध हो, निःशुल्क किये जाते हैं।

3. सभी प्रकार की ऐलोपेथिक औषधियां, दवाइयां, टीके, सेरा या भेषज शास्त्र के संबंधित अन्य पदार्थ के प्रदाय की व्यवस्था है। अनुपलब्धता की स्थिति में व्यवस्था, सरकारी अस्पताल के प्रमुख द्वारा, सरकारी निधि से की जाती है। व्यय की जाने वाली राशि की कोई सीमा नहीं है।

(3) जी हां। निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा राज्य से बाहर स्वीकृत किसी चिकित्सालय में उपचार करवाने पर चिकित्सालय व्यय का 80 प्रतिशत अथवा रुपये 50,000/- जो भी कम हो, का पुनर्भरण ऐसे समस्त रोगों के उपचार/सर्जरी जिसकी

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

सुविधा राज्य सरकार के चिकित्सालय में उपलब्ध न हो, किया जाता है। पेसमेकर लगवाने पर पेसमेकर मय अन्य सामान की कीमत का 80 प्रतिशत या 20,000/-रु. जो भी कम हो, का पुनर्भरण किया जाता है। राज्य के अन्तर्गत सभी राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क ईलाज का प्रावधान है। ऐसे रोग जिनका उपचार राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं होता है, उनकी चिकित्सा राज्य से बाहर अधिकृत चिकित्सालय व्यय का पुनर्भरण करवाने हेतु पेंशनर को अपना दावा (क्लेम) संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से न्यासी बोर्ड कार्यालय को भेजना होता है और न्यासी बोर्ड की उप समिति द्वारा स्वीकृति के उपरान्त संबंधित जिला कलेक्टर को भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर, संबंधित पेंशनर को स्वीकृत की गई राशि का भुगतान कर देता है।

पेंशनर को अग्रिम के रूप में राशि दिये जाने का कोई प्रावधान योजना में नहीं है। पेंशनरों को चिकित्सा व्यय पहले स्वयं खर्च करना पड़ता है।

(4) इस प्रक्रिया में फिलहाल कोई कमी प्रतीत नहीं होती है। अतः सुधार की आवश्यकता भी वर्तमान में प्रतीत नहीं होती।

(नियमों का विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को रिक्त पदों की सूचना

925. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)** : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को 1985 से 1992 तक किन-किन रिक्त पदों की सूचना दी गई ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सूचना प्राप्त न होने के कारण 1243 कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर चयन नहीं हो सका था ?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 27-9-1993 को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिये थे कि दिनांक 19-4-1991 से पूर्व के रिक्त पदों पर कनिष्ठ लिपिकों को नियुक्ति दी जावे ? यदि हां, तो क्या सरकार इन 1243 पदों पर चयनित (सफल) कनिष्ठ लिपिकों को नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) 1985 से 10.4.1991 तक शीघ्रलिपिकों के 22 पद एवं कनिष्ठ लिपिकों के 557 पद रिक्त थे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा परीक्षा ली जा चुकी हैं जिसका परिणाम भी जल्द ही घोषित किये जाने वाला है।

(2) जी नहीं।

(3) यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27-9-93 को यह आदेश दिये थे कि दिनांक 10-4-91 तक के रिक्त पद कनिष्ठ लिपिक को दे दिये जावें, न कि दिनांक 19-4-91 तक के। उपरोक्तानुसार उक्त तिथि तक, रिक्त पदों पर कनिष्ठ लिपिकों के नियुक्ति आदेश जारी कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना कर दी गई थी।

तहसीलदारों का चयन एवं पदस्थापन

926. **श्री फूलचन्द (सलूम्बर)** : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1978 के बैच में कितने तहसीलदारों का चयन कर पदस्थापित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने व्यक्तियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कब-कब पदोन्नतियाँ दी गईं तथा शेष की क्या स्थिति है ? वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बैच में से विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किन-किन व्यक्तियों को वंचित किया गया है एवं वंचित रखने के क्या-क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) तहसीलदार के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते है। नायब तहसीलदार के पद पदोन्नति के अलावा सीधी भर्ती से भी भरे जाते हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति "बैच" नायब तहसीलदार के संबंध में ही प्रयुक्त होती है। इस आधार वर्ष 1978 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका परीक्षा परिणाम आयोग द्वारा दिनांक 26.9.79 को घोषित किया गया था, और आदेश दिनांक 21.2.80 द्वारा नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति दी गई थी। आदेश दिनांक 21.2.80 द्वारा नियुक्त नायब तहसीलदारों को डी.पी.सी. के माध्यम से वर्ष 1982-83 की रिक्तियों के विरूद्ध तहसीलदार पद पर मौलिक रूप से पदोन्नत किया गया था।

(2) जिन तहसीलदारों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति दी गई है, उनसे संबंधी सूचना सूची "क" में अंकित कर दी गई है। शेष की स्थिति वर्ष 1995-96 व आगामी वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर निर्भर करेगी। "1978 बैच" (जिसका विवरण खण्ड (1) के उत्तर में अंकित है) की वरिष्ठता सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिन व्यक्तियों को पदोन्नति नहीं दी गई है, उनकी सूची "ग" सदन की मेज पर रख दी गई है। वंचित रखने का कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुपयुक्त पाया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मदनगंज (किशनगढ़) अजमेर के कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण

927. **श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार के समक्ष मदनगंज (किशनगढ़) अजमेर में स्थित मलंगशाह पीर साहब की दरगाह के चारों और 99 बीघा जमीन जो महाराजा मदनसिंह द्वारा कब्रिस्तान के लिए दी गई थी, पर अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्व रिकार्ड में उक्त कब्रिस्तान की भूमि को सन् 1991 में शमशान भूमि बताया गया है ? यदि हां, तो किस विधिक आधार पर कब्रिस्तान को शमशान भूमि बताया गया है ? संबंधित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीप धनखड़)

(3) सरकार द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए गत 2 वर्षों में क्या प्रयास किये गये ? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मलंग पीर शाह (मलक पीर शाह) स्थित दरगाह के चारों ओर महाराजा मदनसिंह द्वारा कब्रिस्तान के लिये 99 बीघा जमीन दिये जाने बाबत कोई अंकन नहीं है किन्तु वर्तमान राजस्व रेकार्ड एवं मौके अनुसार उक्त दरगाह के पास ख.नं. 702 रकबा 68-08-00 बीघा किस्म गैमु. श्मशान खाता संख्या एक में दर्ज है। ख.नं. 703 रकबा 18-00-00 बीघा किसम गैमु. कब्रिस्तान खाता नम्बर 916 में नगर परिषद के खाते में दर्ज है। दिनांक 9.1.95 को कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर हरे पेड़ों की कटाई संबंधी शिकायत तहसीलदार, किशनगढ़ को प्राप्त हुई थी जिस पर जांच किये जाने पर पाया गया कि ख.नं. 702 रकबा 68-08-00 बीघा किस्म गैमु. श्मशान भूमि में लगभग 30 बीघा भूमि पर काफी समय पूर्व में आबादी बसी हुई है जिसमें नगरपालिका द्वारा मूलभूत सुविधाएं सड़क, नल एवं लाइट भी उपलब्ध कराई गई है। शेष भूमि मौके पर कब्रिस्तान है। ख.नं. 703 रकबा 18 बीघा गै. मु. कब्रिस्तान की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

(2) ग्राम किशनगढ़ में भू-संशोधन से पूर्व अन्तिम जमाबन्दी सम्वत् 2024-27 में निम्न प्रकार अंकन है—

ख.नं.	रकबा	किस्म
489	9-05-00	कब्रिस्तान
489	59-18-00	कब्रिस्तान
489	00-05-00	कब्रिस्तान
490	18-00-00	कब्रिस्तान

इसके पश्चात् भू-संशोधन वर्ष 70-72 में उक्त चारों नम्बर (उक्त रेकार्ड में ख.नं. 489 तीन बार अलग-अलग जगह दर्ज है) के नवीन नम्बर निम्न प्रकार बने है—

ख.नं.	रकबा	किस्म
700	01-00-00	गै. मु. पहाड़
702	68-08-00	(श्मशान) कब्रिस्तान
703	18-00-00	(श्मशान) कब्रिस्तान

तत्पश्चात् सेटलमेन्ट विभाग, भीलवाड़ा से बनकर आई वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 में निम्न प्रकार अंकन हैं—

ख.नं.	रकबा	किस्म
700	01-00-00	गै. मु. पहाड़
702	68-08-00	गै. मु. श्मशान
703	18-00-00	गै. मु. श्मशान

इसके अनुसार ही वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2048-51 में निम्न प्रकार अंकन हुआ है—

ख.नं.	रकबा	किस्म
700/1	01-00-00	गै. मु. पहाड़ी
702	68-08-00	गै. मु. श्मशान
703	18-00-00	गै. मु. कब्रिस्तान

उपरोक्त विवरण अनुसार भू-संशोधन से पूर्व पौसाला जमाबन्दी में अंकित कब्रिस्तान की भूमियों में से ख.नं. 700/1 व 702 वर्तमान राजस्व रेकार्ड में क्रमशः गैमु. पहाड़ व श्मशान दर्ज होना पाया जाता है उन्हें पुनः कब्रिस्तान दर्ज कराने की कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

(3) गत दो वर्ष में उक्त आराजीयात की भूमि पर अतिक्रमण होने संबंधी कोई

(राजस्व मंत्री)

मामला तहसीलदार, किशनगढ़ के यहां प्राप्त नहीं हुआ है। माह जनवरी, 95 में अतिक्रमण होने पर हरे पेड़ काटने संबंधी प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही जैरकार है जिसमें यदि जांच अपेक्षित कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

जिला कलेक्टर (भू-अभिलेख) जयपुर के कार्यालय में मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति के विचाराधीन प्रकरण

928. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला कलेक्टर (भू-अभिलेख) जयपुर के कार्यालय में मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने के कितने-कितने प्रकरण कब से विचाराधीन है ?

(2) क्या तहसील बस्सी (जयपुर) में 30-6-1969 को पटवारी के पद पर कार्य करते हुये मृतक कर्मचारी के आश्रित द्वारा नियुक्ति दिये जाने का आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब ? क्या इनको नियुक्ति दे दी गई ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ? अब कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी ? उक्त प्रकरण में विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है एवं उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(3) मृतक कर्मचारी के आश्रित को नियमानुसार कितनी अवधि में नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) कलेक्टर (भू-अभिलेख) जयपुर के कार्यालय में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति का एक प्रकरण दिनांक 1.12.92 से विचाराधीन है।

(2) जी हां। दिनांक 1.12.92 को एक प्रार्थना पत्र श्री मुन्नालाल पारीक निवासी टहटडा तहसील बस्सी का प्राप्त हुआ जो अपूर्ण था। जिलाधीश (भू-अभिलेख) जयपुर द्वारा श्री पारीक को पूर्ण ब्यौरे सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने हेतु निर्देशित किया, जिस पर श्री पारीक ने दिनांक 26.10.94 को निर्धारित प्रपत्र में सम्पूर्ण ब्यौरे सहित एक प्रार्थना पत्र सचिव, व्यवस्था एवं पद्धति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजते हुए प्रति जिलाधीश, जयपुर को प्रस्तुत की। जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि तहसील बस्सी में न तो श्री राधामोहन पारीक नाम का कोई पटवारी कार्यरत था न ही उक्त दिनांक को किसी कार्यरत पटवारी का निधन हुआ। किसी कर्मचारी का सेवा में रहते निधन ही नहीं हुआ तो नियुक्ति देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) नियमों में अवधि का कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु नियमों के सम्बन्ध में जारी मार्गदर्शन के अनुसार विधिवत् रूप से प्रस्तुत आवेदन पत्र का निस्तारण एक माह में किये जाने का प्रावधान है।

कालवाड़ (जयपुर) की बाण्डी नदी में वृक्षारोपण हेतु भूमि का आबंटन

929. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसील जयपुर सब तहसील कालवाड़ के पास बाण्डी नदी में वृक्ष लगाने हेतु भूमि आबंटित की गई थी ? यदि हां, तो कितनी बीघा भूमि ?

(2) क्या यह भी सही है कि आबंटित भूमि में पेड़ लगाये गये ? यदि हां, तो किस-किस के कितनी-कितनी बीघा में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपीराम जाट)

(3) क्या यह सही है कि आवंटित भूमि में पेड़ न लगाकर काश्त की जाती है ? यदि हां, तो क्या आवंटित शर्तों की पालना न करने पर आवंटन निरस्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कुल 169 व्यक्तियों को 696 बीघा भूमि राजस्थान भू राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृषक बजंड़ भूमि का आबंटन) नियम 1986 के अन्तर्गत आवंटित की गई थी।

(2) जी हां। निम्नांकित 8 आवंटियों ने उन्हें आवंटित भूमि पर वृक्ष लगाये है। विवरण निम्नानुसार है—

क्रमांक	नाम आवंटी	क्षेत्रफल (बीघा)
1.	श्री बी. डी. चारण	10.00
2.	श्री धर्मचन्द ओता	10.00
3.	श्री एम. जे. जोशी	10.00
4.	श्री जे. पी. शर्मा	10.00
5.	श्री एल. एन. जैफ	10.00
6.	श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव	10.00
7.	श्रीमती उमा अग्रवाल	10.00
8.	श्रीमती प्रमिला जाट	4.00

(3) यह सही है कि एक आवंटी श्रीमती कमला पत्नी रणजीतसिंह ने अपनी भूमि के कुछ भाग में पेड़ लगाये हैं व अधिकांश भाग में काश्त की है। 160 आवंटियों ने वृक्ष न लगाकर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है। इस प्रकार 161 व्यक्तियों को आवंटित भूमि का आवंटन रकबा 622 बीघा को निरस्त किया जा चुका है।

इण्डिया हयूम पाइप कम्पनी, केकड़ी को भू-आबंटन

930. श्री शम्भूदयाल बडगूजर (केकड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केकड़ी स्थित इण्डिया हूम पाइप कम्पनी को कितनी भूमि किन दरों पर प्रारम्भ में देने का प्रस्ताव था ? क्या इस भूमि की दर निश्चित होने के बाद कम्पनी ने राशि जमा कराने में विलम्ब किया एवं यह विवाद न्यायालय तक पहुंचा ? यदि हां, तो क्या इसके पश्चात् निर्धारित दर में कमी की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केकड़ी स्थित कोयना रोकला पाइप फैक्ट्री को कितनी भूमि किस किस्म की किन दरों पर कब आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस भूमि पर किसी प्रकार का विवाद लम्बित है ? भूमि का स्वामित्व अधिकार किसके पास था ?

उत्तर

(1) कलेक्टर (उद्योग) अजमेर के आदेश संख्या एफ( )आईपी/केकड़ी/89-90/9847-53 दिनांक 25-9-89 से राजस्थान भू राजस्व (औधोगिक क्षेत्र भूमि आबंटन) नियम, 1959 के अन्तर्गत कस्बा केकड़ी के ख.नं. 102 में से 25 बीघा भूमि का आबंटन किया गया। इसके अनुसार मैसर्स इण्डियन हयूम पाइप कम्पनी लि. से निम्न प्रकार राशि वसूल करने के निर्देश तहसीलदार केकड़ी को दिये गये—

(राजस्व मंत्री)

1.	भूमि की कीमत 25000/- रुपये प्रति बीघा से 25000 × 25	625000/-
2.	अविकसित दरों पर प्रीमियम भूमि को कीमत 15% प्रशासनिक खर्च सहित	718750/-
3.	150/- रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष से 25 बीघा या 10 एकड़ का नगरीय निर्धारण	1500/-
	योग	1345250/-

यह सही है कि मैसर्स ह्यूम पाइप फैक्ट्री लि. द्वारा उक्त राशि जमा कराने में विलम्ब किया गया एवं इसके द्वारा एक दीवानी वाद संख्या 53/90 न्यायालय मुन्सिफ, मजिस्ट्रेट, केकड़ी के यहां प्रस्तुत किया गया था, जो उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 4-10-93 को खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध कम्पनी द्वारा अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट नं. 2, अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जो कम्पनी द्वारा दिनांक 5-1-94 को वापस ले ली गई।

कम्पनी से राशि वसूली के संबंध में नियमों के परिपेक्ष में राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 27-11-93 से निर्देश दिये थे कि राजस्थान भू राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि आबंटन) नियम 1959 के नियम 3 के अनुसार जिन कस्बों और शहरों में राज्य सरकार व रीको द्वारा विकास कार्य किया गया है, वहां विकास शुल्क राज्य सरकार व रीको की दर से लिया जायेगा किन्तु जहां उपरोक्त द्वारा विकास कार्य नहीं किया गया है वहां विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा। अतः कम्पनी से निम्न राशि वसूल करने के निर्देश जारी किये गये थे—

1.	आवंटित भूमि 25 बीघा को 25000/- प्रति बीघा से कीमत	625000/-
2.	दिनांक 22-9-88 देने को दिनांक से 31-3-94 तक नगरीय निर्धारण रुपये 150/- प्रतिवर्ष प्रति एकड़ से	718750/-
	योग	633288/-

कम्पनी द्वारा अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट नं. 2 अजमेर से अपील वापस ली जाकर दिनांक 4-12-93 को उक्त राशि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, केकड़ी में जमा करा दी गई॥

(2) तहसील केकड़ी के ग्राम नाईखेड़ा के आराजी खा.नं. 255 रकबा 98-09-00 बीघा किस्म बारानी दो चरागाह में से 22-08-10 बीघा भूमि चरागाह से खारिज कर मैसर्स कोयना रोकला पाईप्स लि. जयपुर को रुपये 3000/- प्रति बीघा की दर से आवंटन के लिये राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प2(188)राज/ग्रुप-3/88 दिनांक 17-11-89 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई॥

उपरोक्त के अलावा कोयना रोकला कम्पनी से नियम 1959 के नियम 5 के प्रावधानुसार आवंटित 22-08-10 बीघा या 8-97 एकड भूमि का 150/- रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड की दर से लगभग 1264/- प्रति वर्ष किराया देय होता है॥

(3) इस भूमि से संबंधित कोई विवाद लम्बित नहीं है। आवंटन से पूर्व इस भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग में निहित था॥

ग्राम सिमारला (श्री माधोपुर) की जमाबन्दी में दुरुस्ती

931. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामेश्वर लाल भाटी)

(1) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 846, 847, 905 व 908 की भूमि सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्व जमा बन्दी में वर्ष 1980 में दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो किस नाम से ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री राधेश्याम जांगिड़, भू-मापक ने ए.एस.ओ. श्री माधोपुर से मिलकर परिशोधन पत्र संख्या 53 दिनांक 29-3-1981 को मूल खातेदार मदनलाल पुत्र जयनारायण के खातेदारी हकूक खत्म करके मु. सरस्वती देवी, कालूराम साकिन देह के नाम दर्ज की ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री राधेश्याम जांगिड़, भू-माप को इस कृत्य के लिए निलम्बित किया गया ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार यह भूमि मूल खातेदार के नाम दुरूस्त करके उसके जमा बन्दी में दर्ज करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान खसरा नम्बर 846, 847, 905 व 908 की भूमि ग्राम सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 में खाता संख्या 140/136 द्वारा श्री मदनलाल पुत्र जयनारायण कौम ब्राह्मण के खातेदारी में दर्ज थी।

(2) खसरा परिशोधन पत्र संख्या 53 में उक्त खसरा नम्बरों के अतिरिक्त और दर्ज करते हुए श्री मदनलाल के खाते की भूमि को मु. सरस्वती देवी पत्नी कालूराम ब्राह्मण के नाम करने का इन्द्राज श्री राधेश्याम जांगिड भूमापक द्वारा किया गया। श्री जांगिड़ द्वारा की गई उक्त कार्यवाही नियम विरूद्ध होकर गलत थी।

(3) श्री राधेश्याम जांगिड़, भूमापक को इस कृत्य के लिए निलम्बित नहीं किया गया। श्री जांगिड़ के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर उसे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

(4) गलती की दुरूस्ती करने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-82 के अन्तर्गत रेफरेन्स की कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 932.

(स्थगित)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर के विद्यालयों में व्याख्याताओं/अध्यापकों के पद

933. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर में किन-किन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं/अध्यापकों के कितने-कितने पद निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कम हैं और कब से ? गत एक वर्ष में इस कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किये गये ?

(2) उपरोक्त विद्यालयों में कितने-कितने व्याख्याताओं/अध्यापकों के पद रिक्त हैं और कब से तथा क्यों ? गत एक

(श्री विष्णु मोदी)

वर्ष में इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किये गये ?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर के सभी 7 राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय व 18 माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही पद स्वीकृत हैं।

(2) उपरोक्त विद्यालयों में व्याख्याताओं/अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैं—

विद्यालय	रिक्त पद	विषय	कब से	कारण
1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुष्कर	1	राजनीति शास्त्र	12/94	स्थानान्तरण
2. " पीसांगन	1	अर्थशास्त्र	12/94	सेवा-निवृत्त
3. " लीड़ी	1	इतिहास	12/93	"
4. " बाघसूड़ी	1	हिन्दी	9/94	नव-क्रमोन्नत
	1	राजनीति शास्त्र	9/94	"

द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों का कोई पद रिक्त नहीं है। व्याख्याताओं के रिक्त पदों के विरूद्ध वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सेवानिवृत्त व्याख्याताओं से 100/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था की गई है। इन पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को 622 व्याख्याताओं की प्रार्थना भेजी गई है चयनित सूची उपलब्ध होने पर ही रिक्तियां भर दी जायेंगी।

उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद

934. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं में अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो नागौर जिले की उक्त शालाओं में चालू शिक्षा सत्र के दौरान कितने-कितने पद रिक्त हैं ?

(2) उक्त शालाओं में छात्र संख्या के हिसाब से विभागीय मानदण्डों के आधार पर कितने-कितने पद स्वीकृत होने चाहिये और कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ?

(3) रिक्त स्थानों की संख्या शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र की सूची सदन की मेज पर रखें ?

(4) रिक्त स्थानों के कारण छात्रों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी, हां। नागौर जिले के उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त शालाओं में विभागीय मानदण्ड के अनुसार पद स्वीकृत है। विद्यालयवार छात्र संख्या एवं स्वीकृत पदों का विवरण संकलित किया जा रहा है। संकलित होते ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(3) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के रिक्त

(शिक्षा मंत्री)

पदों का विवरण निम्नानुसार है—

पद का नाम	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
व्याख्याता	46	54
वरिष्ठ अध्यापक-II	05	02
अध्यापक	01	30
योग	52	86

(4) रिक्त पदों के कारण छात्रों के अध्ययन में विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके उपाय के लिए अध्यापक तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी के पदों की पूर्ति तत्काल करने का प्रस्ताव/व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर वैकल्पिक व्यवस्था, 100/- रुपये प्रतिदिन पर सेवानिवृत्त तथा बेरोजगार पढ़े लिखे युवकों की नियुक्ति आदि द्वारा अध्यापन कार्य सुचारू रुप से जारी रखने का प्रयास किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

शिक्षा विभाग के मृत कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन

935. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) विभाग के कितने मृतक कर्मचारियों की विधवाओं को दिनांक 28 फरवरी, 1995 तक पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है? जिलेवार मृतक कर्मचारियों के नाम, पता दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पेंशन स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं और अब कब तक पेंशन स्वीकृत करायी जावेगी ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग के मृतक कर्मचारियों की विधवाओं/परिवार के सदस्यों को 28-2-95 तक जिन्हें पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है, की सूची जिलेवार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पेंशन स्वीकृति में विलम्ब होने के निम्नांकित एक या अधिक कारण हैं :—

1. मृतक का उत्तराधिकारी होने का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होना।

2. विभागीय जांच बकाया होना।

3. स्वयं प्रार्थी के द्वारा समय पर आवेदन नहीं करने तथा सहयोग नहीं करने के कारण।

4. सेवा प्रमाणीकरण/लम्बित अवकाश प्रकरण

5. विभाग का समान/राशि एवं स्थाईकरण का बकाया होना।

बकाया पेंशन प्रकरणों को विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जाकर निपटाये जा रहे हैं। परन्तु उपरोक्त वर्णित तथ्यों की पूर्ति होने के पश्चात् ही बकाया पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—5 देखें)

मोहम्मद अली मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर की भूमि पर अतिक्रमण

936. श्री उगम राज मेहता (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर का मोहम्मद अली मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय सरकार द्वारा अनुदानित है ? यदि हां, तो क्या इस अनुदान प्राप्त विद्यालय के प्रशासन को संस्था की भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिरिक्त निर्माण करने की शिक्षा

(श्री उगम राज मेहता)

विभाग से स्वीकृति लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त अनुदानित विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यालय की भूमि पर "फिरोज खान कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स" का निर्माण किया गया ? यदि हां, तो इसके लिए क्या विद्यालय प्रशासन द्वारा सरकार एवं विभाग से कोई स्वीकृति प्राप्त की गई ? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त विद्यालय प्रशासन ने विद्यालय की भूमि पर निर्मित कथित "फिरोज खां कॉमर्शियल काम्पलेक्स" की दुकानें पगड़ी व मासिक किराये पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उठा दी ? यदि हां, तो किस-किस दुकानदार से कितनी-कितनी राशि पकड़ी के रूप में प्राप्त की गई और कितना मासिक किराया तय किया गया ? किये गये एग्रीमेंट की प्रति सहित सूचना मय दुकानदारों के नाम, सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यालय की भूमि पर छात्रों के लिए अध्ययन कक्षों के निर्माण किये जाने की कोई स्वीकृति सरकार से प्राप्त की गई ? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस स्वीकृति के तहत विद्यालय भूमि पर कक्षों का निर्माण कराया गया ? यदि हां, तो इन कक्षों में वर्तमान में कौन-कौन सी कक्षा के छात्रों को अध्ययन कराया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह विद्यालय अनुदानित है, किन्तु अतिरिक्त निर्माण हेतु स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा नहीं दी जाती है।

(2) जी नहीं। फिरोजखान कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण विद्यालय की भूमि पर नहीं किया गया है बल्कि राजपूताना मोहम्मद अली सोसायटी ने अपनी भूमि पर वक्फ बोर्ड की अनुमति लेकर बनाया है। अनुदानित शिक्षण संस्था को अतिरिक्त निर्माण हेतु शिक्षा विभाग से स्वीकृति लेने का प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं। कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स की दुकानें किराये पर दी गई है परन्तु इसके लिए पगड़ी नहीं ली गई। पगड़ी संबंधी कोई अनुबन्ध ट्रस्ट और किरायेदार के बीच नहीं किया गया है। किराये के रूप में रुपये 10,575/- प्रतिमाह प्राप्त होता है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए आधार

937. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मेरिट सूची कक्षा 10 में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर तैयार **की जाती है ? यदि हां, तो किस आदेश के तहत ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।**

(2) क्या बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् कक्षा 10 की श्रेणी में सुधार करने का अवसर दिया जाना नियमान्तर्गत है ? यदि हां, तो सम्बन्धित परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या यह सही है कि बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् कक्षा 10 में श्रेणी सुधार के जरिये प्राप्त अंकों के प्रतिशत को अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए तैयार की जाने वाली मैरिट सूची में मान्य किया जाता है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) अध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु सैकण्डरी एवं बी.एस.टी.सी. में प्राप्त कुल अंकों को जोड़कर 2 का भाग देने पर प्राप्त होने वाले भागफल के आधार पर मैरिट सूची का निर्माण अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 परिशिष्ट के अनुच्छेद एफ के अनुसार विभागीय संदर्शिका के अध्याय में भाग ख-IV चयन प्रणाली उप नियम "योग्यता अंक" के अनुसार बनाई जाती है। परिशिष्ट के अनुच्छेद-एफ के खण्ड-9 (ए) की प्रति तथा चयन प्रणाली "योग्यता अंक" की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विवरणिका के विनियम 20(1) के अनुसार उच्च परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी में पूर्व में लिये गये विषय में से या किन्हीं विषय के अंक सुधार एवं विषय एवं वर्ग में श्रेणी सुधार हेतु पुनः परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दिये जाने का प्रावधान है। विवरणिका के विनियम 20(1) की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) अधीनस्थ शिक्षा विभाग सेवा नियम, 1971 के परिशिष्ट के अनुच्छेद-एफ के खण्ड 9(1) के अनुसार कक्षा 10 एवं बी.एस.टी.सी/बी.एड. के अंकों के आधार पर मैरिट तैयार की जाती है। यदि अध्यापक के पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के पूर्व यदि अंक/श्रेणी सुधार का परीक्षा फल घोषित होता है तो सुधरे हुए अंकों को मैरिट में शामिल किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, जसवंतगढ़ (नागौर) के तत्कालीन प्रधानाध्यापक द्वारा गबन

938. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, जसवंतगढ़ जिला नागौर में वर्ष 1987 से 1990 की अवधि के दौरान तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाध्यापक श्री इकबाल द्वारा राशि का गबन किया गया ? यदि हां, तो कितनी राशि का तथा सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) उक्त विद्यालय के उक्त अध्यापक श्री इकबाल सिलावट के विरूद्ध वर्ष 1991 से अब तक जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु क्या-क्या आदेश निकाले गये तथा इन आदेशों के अध्यधीन क्या कार्यवाही की गई? क्या यह भी सही है कि उक्त आदेशों पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? अब क्या कार्यवाही की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक को उपनिदेशक, जोधपुर के आदेशों को अनदेखा कर बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक के निलम्बन काल में इनका

(श्री रामेश्वर लाल भाटी)

मुख्यालय नागौर की बजाय डीडवाना कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या दोषी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक को वर्ष 1993 में जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर द्वारा पासपोर्ट हेतु अभिशंसा की गई थी ? यदि हां, तो क्यों, और किस आधार पर ?

उत्तर

(1) जी, हां। अंकेक्षण दल के द्वारा 5,784.50 रु. की राशि का गबन होना पाया गया। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के विरूद्ध पुलिस थाना, जसवंतगढ़ में प्रथम दृष्टया का मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस द्वारा श्री इकबाल सिलावट को गिरफ्तार किया गया, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के कारण उसे निलंबित किया गया। एस.एच.ओ., जसवंतगढ़ द्वारा मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक की निगरानी में करवाई गई। जांच में रिकार्ड एवं बयानों के आधार पर श्री सिलावट दोषी नहीं पाये जाने के कारण फाइनल रिपोर्ट (एफ.आर) लगाते हुये माननीय न्यायालय में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायाधीश महोदय ने 7.2.94 को सी.आर.पी.सी. 169 के तहत श्री सिलावट को रिहा कर दिया गया। रिहा करने पर श्री सिलावट को पुनः बहाल कर दिया गया।

(2) श्री इकबाल सिलावट को वर्ष 1990 में जालसाजी के आरोप में सी.सी.ए. नियम, 1957 के उप नियम 13 के तहत निलम्बित किया गया। 2/1992 में सी.सी.ए. नियम 16 के तहत आरोप पत्र दिया गया। 5/92 में उक्त जांच में दोषी पाये जाने पर 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से दण्ड स्वरूप रोकी गई तथा निलम्बन से बहाल कर दिया गया। आरोप पत्र, वेतन वृद्धि रोकने के आदेश की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) जी, नहीं। श्री इकबाल के विरूद्ध प्रस्तावित जांच पर दण्ड के रूप में दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के पश्चात् जांच समाप्त होने पर उप निदेशक (पुरुष) के आदेशों पर ही बहाल किया गया।

(4) श्री इकबाल सिलावट का वास्तविक पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डीडवाना था न कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, जसवंतगढ़, अतः निलंबन काल में मुख्यालय डीडवाना रखा जाना नियमानुसार था।

(5) जी, नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति सोजत (पाली) की ग्राम पंचायत बासना के विद्यालय की क्रमोन्नति

939. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सोजत, जिला पाली के ग्राम पंचायत मुख्यालय बासना के विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्रमोन्नति से अब तक उक्त विद्यालय में बच्चों की संख्या कितनी रही तथा

(श्री माधव सिंह दीवान)

पंचायती राज एवं शिक्षा विभाग के कितने-कितने अध्यापक कार्यरत रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बच्चों की संख्या को देखते हुये उक्त विद्यालय में अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इन अध्यापकों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत मुख्यालय बासना के विद्यालय को वर्ष 1989 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया।

(2) सत्र 91-92 से सत्र 94-95 तक इस विद्यालय में छात्र संख्या निम्नानुसार रही है—

सत्र	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
छात्र सं.	269	236	253	267

इस विद्यालय में विकास विभाग के 3 तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं शिक्षा विभाग के एक प्रधानाध्यापक, दो तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं एक शारीरिक शिक्षक, शिक्षण कार्य कर रहे हैं।

(3) छात्रों के अनुपात के आधार पर विद्यालयों में पद आबंटन हेतु मंगल बिहारी समिति के सुझावों के आधार पर पदों के समानीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों की सूची

940. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा मई, 1991 में अप्रेल, 1991 से पूर्व के रिक्त पदों की कोई सूची जारी की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा पुरुषों हेतु 119 पद व स्त्रियों हेतु 213 पद कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त बताये गये थे ? यदि हां, तो रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या रिक्त पदों की सूचना समय-समय पर शासन सचिवालय को दी गई ? यदि नही, तो क्यों और यदि हां, तो कब-कब ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हाँ। वर्ष 1990-91 तक 904 कनिष्ठ लिपिक के पद रिक्त थे एवं वर्ष 1991-92 तक 1243 (904 + 339) कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त थे। उक्त रिक्त पदों को भरने के प्रयोजनों से आशार्थी उपलब्ध करवाने के लिये क्रमशः दिनांक 1-6-91 एवं 13-9-91 को कार्मिक विभाग को अर्चना भेजी गयी।

विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों को शिक्षकों की भांति अवकाश

941. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन एवं अन्य अवकाशों के अतिरिक्त शारीरिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक भी अवकाश पर रहते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुस्तकालयाध्यक्षों को इन अवकाशों से वंचित रखा जाता है, जबकि अवकाश के दिनों में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पुस्तकालयों में कोई अध्ययन हेतु नहीं आता है ?

(3) क्या सरकार पुस्तकालयाध्यक्षों को भी शिक्षकों की भांति ग्रीष्मकालीन एवं अन्य अवकाश देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हाँ।

(2) जी, हाँ। ग्रीष्मावकाश केवल शिक्षकों को ही देय है, मंत्रालयिक कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश देय नहीं है। ग्रीष्मावकाश में पुस्तकालय पुस्तकों के रख-रखाव, जीर्ण पुस्तकों की मरम्मत पुस्तकालय सेवा आदि का कार्य सम्पादित किया जाता है।

(3) पुस्तकालयाध्यक्षों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोटा जिले में अध्यापकों के स्थानान्तरण

942. **श्री रामकिशन वर्मा** (रामगंजमंडी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में वर्ष 1994-95 में सरकार ने कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण करने के आदेश दिये ? आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेश स्थानान्तरण नीति के अनुसार किये गये थे ?

(3) क्या उपरोक्त आदेशों के अतिरिक्त भी शिक्षा अधिकारियों के द्वारा स्थानान्तरण किये गये ? यदि हां, तो उनमें से कितने स्थानान्तरण नीतिगत थे ? श्रृंखलावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने किसी भी अध्यापक के स्थानान्तरण किये जाने के आदेश जारी नहीं किये।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) जी, हाँ। कोटा परिक्षेत्र के शिक्षा अधिकारियों के द्वारा निम्नानुसार शृंखलावार अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं, जो नीति के अन्तर्गत ही हैं।

संवर्ग	किये गये स्थानान्तरणों की संख्या
व्याख्याता	152
अध्यापक (II ग्रेड)	218
अध्यापक (III ग्रेड)	140

तहसील सुजानगढ़ के ग्राम मलसीसर के उच्च प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

943. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मलसीसर, तहसील सुजानगढ़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं ? यदि हां,तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस स्कूल के साथ खोली गई उच्च प्राथमिक स्कूलें क्रमोन्नत हो गई हैं ? यदि हां, तो चूरू जिले में कौन-कौन सी स्कूलें क्रमोन्नत की गईं तथा कब-कब से ?

(3) अब तक इस स्कूल को क्रमोन्नत

(श्री रामेश्वर लाल भाटी)

क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार का अब इस स्कूल को क्रमोन्नत करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हाँ। ग्राम-मलसीसर तहसील-सुजानगढ़ में वर्ष-1977 से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

(2) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मलसीसर के साथ चूरू जिले में 8 प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया था। जिसमें से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खींवासर को वर्ष 1992 में माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जा चुका है।

(3) सरकार अपने सीमित वित्तीय साधनों के तहत निर्धारित मापदण्ड के आधार पर क्रमोन्नति प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधर पर विद्यालय क्रमोन्नत करती है। वर्ष 1995-96 हेतु क्रमोन्नति प्रस्ताव मांगे गये हैं। प्राप्त प्रस्तावों में से मापदण्डों के अनुकूल होने पर सीमित वित्तीय साधनों को तथा वर्ष 1995-96 के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर गुणा-व-गुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने पर समग्र विचार किया जा सकेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर द्वारा अध्यापकों की नियुक्तियां

944. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर द्वारा मार्च, 1994 में कुछ अध्यापकों की नियुक्तियां की गईं ? यदि हां, तो किन-किन की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नियुक्तियां विशुद्धतः मैरिट के आधार पर दी गई हैं ? यदि हां, तो मैरिट निर्धारित करने का आधार क्या रहा ?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 30 मार्च, 1995 को जिला शिक्षा अधिकारी ने वरिष्ठता को नज़र अन्दाज कर कम प्रतिशत प्राप्त अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति प्रदान की है? यदि हां, तो किन-किन को और क्यों? नियुक्ति हेतु पात्र वरिष्ठतम अभ्यर्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हाँ। नियुक्ति आदेश की प्रतियाँ सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी, हाँ। मैरिट शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता के अंकों के आधार पर बनाई जाती है, तथा इसमें खेलकूद, स्काउट आदि के नियमानुसार अंक दिये जाते हैं।

(3) जी, नहीं। वर्ष 1994-95 की नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुंस्तकालय में रखी गयी)

विद्यालयों में उर्दू विषय का अध्यापन

945. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के कितने विद्यालयों में उर्दू विषय का अध्यापन कराया जा रहा है ?

(2) ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें उर्दू विषय होने के बावजूद भी उर्दू अध्यापकों

(श्री रघुवीर सिंह)

के अभाव में उर्दू विषय नहीं पढ़ाया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा जिला जयपुर के लिए वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 में 31 उर्दू अध्यापकों की विद्यालयवार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर प्रथम व जयपुर द्वितीय को पद आबंटित किये थे ?

(4) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इन समस्त 31 पदों पर उर्दू अध्यापकों की नवनियुक्तियाँ कर प्रति निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर को भेज दी थी लेकिन अप्रेल, 1993 में इस कार्यालय के वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह आदेश निरस्त कर इन उर्दू अध्यापकों को ऐसे स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया गया जहां उर्दू विषय नहीं है ?

(5) क्या यह भी सही है कि उर्दू अध्यापकों के अभाव में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी के अधीनस्थ 12 विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के अभाव में उर्दू विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है ? क्या इससे लगभग 3100 छात्र/छात्राएं उर्दू विषय पढ़ने से वंचित रह रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उर्दू विषय की पढ़ाई कराने के बारे में कब तक क्या उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में 634 विद्यालयों में उर्दू विषय का अध्यापन करवाया जा रहा है, जिनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय-170 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय-219, राजकीय माध्यमिक विद्यालय-128 तथा राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय-125 में उर्दू विषय का अध्यापन करवाया जा रहा है।

(2) उर्दू अध्यापकों की व्यवस्था करने के पश्चात् ही विद्यालयों में उर्दू विषय पढ़ाने की स्वीकृति दी जाती है।

(3) जी, हाँ।

(4) जी, हाँ। अप्रेल, 1993 में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की पुनरावलोकन/जाँच की गई। विभाग के नियमानुसार नवनियुक्त अध्यापकों को शहर में पदस्थापित नहीं किया जाता है। इन नवनियुक्त 23 उर्दू अध्यापकों में से केवल 14 को ही पुनः नियुक्ति, उर्दू विषय के पदों पर तथा शेष 9 को उर्दू के पद रिक्त नहीं होने के कारण सामान्य अध्यापक के पद पर दी गई।

31 में से शेष 8 अध्यापकों को जांच में पात्र नहीं पाये जाने के कारण हटा दिया गया। इनमें से 3 माननीय न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर कार्यरत हैं। केवल मात्र 2 पद रिक्त हैं जो नहीं भरे जा सके हैं।

(5) वर्तमान में केवल 2 विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के पद रिक्त है जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि इन विद्यालयों मे उर्दू विषय पढ़ाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

(शिक्षा मंत्री)

(6) जी, नहीं। केवल मात्र 2 विद्यालयों में उर्दू विषय के अध्यापकों के पद रिक्त हैं तथा इन विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या मात्र 124 हैं। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायकों के स्वीकृत पद

946. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायकों के 459 द्वितीय श्रेणी के पद स्वीकृत हैं ? यदि हाँ, तो उक्त पद किन-किन जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पर आबंटित किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में इन पदों को स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इन पदों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी आबंटित करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि इन पदों के अनियमित आबंटन से तृतीय श्रेणी के प्रयोगशाला सहायकों के अनावश्यक स्थानान्तरण होंगे जिनसे सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा ? यदि हाँ, तो कितना ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। शिक्षा विभाग में 309 + 146 = 455 पद प्रयोगशाला सहायक द्वितीय वेतन श्रृंखला के स्वीकृत हैं। विद्यालय एवं आबंटित पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। 146 पदों की सूचना संकलित की जा रही है, संकलित होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(2) 455 पदों का आबंटन राज्य के बड़े राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तृतीय वेतन श्रृंखला के पदों को द्वितीय वेतन श्रृंखला में क्रमोन्नत कर किया गया है। यह पद उन्हीं विद्यालयों में आबंटित किये गये जहां विज्ञान संकाय की प्रयोगशाला है।

(3) जिन विद्यालयों में विज्ञान संकाय की प्रयोगशाला है और प्रयोगशाला सहायक II ग्रेड का पद आबंटित नहीं है, उन विद्यालयों में मानदण्ड के अनुसार पद आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) पदों का आबंटन निर्धारित मापदण्ड के आधार पर किया गया है। मापदण्ड के आधार पर पद आबंटन अनियमित नहीं है।

(पदों के विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

आसीन्द एवं मांडलगढ़ (भीलवाड़ा) सहकारी मिलों में संचालक मण्डल का मनोनयन

947. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि आसीन्द (भीलवाड़ा) में कताई सहकारी मिल और मांडलगढ़ (भीलवाड़ा) में वनस्पति सहकारी मिल का पंजीकरण होकर सदस्यों की हिस्सा राशि, संचालक मंडल का मनोनयन आदि कार्य प्रारंभ हुए थे ? यदि हाँ, तो कब तथा

(श्री रामपाल उपाध्याय)

कितनी हिस्सा राशि एकत्रित हुई थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें कुल कितने सदस्य, कितनी हिस्सा राशि, मनोनीत संचालक कौन-कौन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इनमें उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक उत्पादन कार्य प्रारंभ हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, हाँ। आसीन्द कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स एवं मांडलगढ़ अपर माल किसान सहकारी वनस्पति मिल्स लि. की हिस्सा राशि सम्बन्धी सूचना इस प्रकार है—

1.	आसीन्द कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि. दिनाँक 31.3.93 तक एकत्रित हिस्सा राशि।	2,75,600 रु.
2.	मांडलगढ़ अपर माल किसान सहकारी वनस्पति मिल्स लि. दिनाँक 31.3.90 तक एकत्रित हिस्सा राशि।	2,27,700/- रु.

(2) आसीन्द कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि. आसीन्द एवं मांडलगढ़ अपर माल किसान सहकारी वनस्पति मिल्स लि. के **सदस्यों की संख्या, हिस्सा राशि एवं संचालक मण्डल का ब्यौरा परिशिष्ट (1) के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया है।**

(3) जी, नहीं। दोनों इकाइयां चूंकि स्वीकृत नहीं हुई हैं, अत: उत्पादन प्रारम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ एवं विपणन सहकारी समितियों का विलीनीकरण

948. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर की दिनांक 15 मार्च, 1994 की बैठक में विपणन सहकारी समितियों का सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत आने के कारण इनका विलीनीकरण राज्य संघ में किये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त बैठक के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बैठक के निर्णय के अन्तर्गत सहकारी विभाग द्वारा अध्यक्ष, क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. आबूरोड, जिला सिरोही को इस बाबत पत्र प्रेषित किया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अध्यक्ष, क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. आबूरोड, जिला सिरोही द्वारा उक्त निर्णय की पालना नहीं की गई ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) सरकार अब कब तक विपणन समितियों का विलीनीकरण राज्य संघ में करने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार इस संबंध में समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की राय जानने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हाँ। निर्णय की प्रति परिशिष्ट "एक" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हाँ। पत्र की प्रति परिशिष्ट "दो" पर उपलब्ध है।

(3) निर्णय की पालना के लिए संस्था को निर्देश नहीं दिए गए थे, अतः पालना करने एवं नहीं करने का कोई प्रश्न ही नहीं है तथा कोई कार्यवाही भी प्रस्तावित नहीं है।

(4) यह विषय विभाग के विचाराधीन है।

(5) जी, नहीं। नियमानुसार इसकी आवश्यकता नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भूमि विकास बैंक एवं स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक का विलीनीकरण

949. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक एवं राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के विलीनीकरण के सम्बन्ध में विचार चल रहा है ? यदि हां, तो इन दोनों संस्थाओं का विलीनीकरण कब तक हो जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि दोनों संस्थाओं के कृषि ऋण एवं अकृषि ऋण दायित्व समान (एक जैसे) हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि दोनों के विलीनीकरण से इनके परिचालन व्यय में कमी आयेगी ? यदि हां, तो दोनों संस्थाओं के विलीनीकरण में क्या दिक्कत आ रही है ?

उत्तर

(1) जी, हाँ। दीर्घकालीन व अल्पकालीन साख संस्थाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की दृष्टि से इन संस्थाओं के समायोजन की संभावनाओं का पता लगाने सम्बन्धी प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी, नहीं।

(3) प्रकरण में प्रशासनिक व्यय एवं प्रशासनिक पहलू आदि बिन्दुओं पर परीक्षण कराया जा रहा है।

अजमेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के ऑडिट आक्षेपों बाबत कार्यवाही

950. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 1993-94 में अंकित आक्षेप बाबत कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कार्यवाही विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करवाली जायेगी ?

(2) क्या बैंक स्टाफ संघर्ष समिति द्वारा भी बैंक के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त शिकायत की जांच पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हाँ। की गई कार्यवाही से संबंधित पत्र परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। शिकायत की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी, नहीं।

(प्रति आदि विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., कूणी (नागौर)

951. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., कूणी, पंचायत समिति कुचामन, जिला नागौर के अन्तर्गत ग्राम-लौहराना चौसला, कूणी, गुढ़ासाल्ट में माह मई, 1994 से अल्पकालीन ऋण कितने सदस्यों को बांटा गया और वर्तमान में समिति के कितने सदस्य हैं ? शेष सदस्यों को खादबीज हेतु अल्पकालीन ऋण देने में इन्द्राज नहीं रकने का क्या कारण था ?

(2) क्या यह सही है कि लौहराना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. कूणी, पंचायत समिति कुचामन, जिला नागौर के अध्यक्ष पद पर 1982 से अब तक एक ही व्यक्ति शिवकरण पुत्र मेवाराम जाट लगातार चला आ रहा है ? जो राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 34 (7) (क) का उल्लंघन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समिति में प्रशासक नियुक्त कर संचालक मंडल को भंग कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लौहराना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., कूणी, पंचायत समिति कुचामनसिटी, जिला नागौर के अन्तर्गत ग्राम लौहराना चौसला, कूणी व गुढ़ासाल्ट में माह मई, 94 व जून, 94 में कुल 336 सदस्यों को रु. 131990/- अल्पकालीन ऋण वितरण किया गया है। दिनांक 31.12.94 को इस समिति में 798 सदस्य है। शेष सदस्यों को अल्पकालीन ऋण नहीं देने के मुख्य-2 कारण निम्नलिखित हैं—

1. सांभर झील क्षेत्र में नमक उद्योग के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिगृहित करने की अवस्था में कृषि भूमि नहीं होना।

2. अवधिपार ऋण बकाया रहना।

(2) जी, नहीं।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति इटावा (कोटा) का ऑडिट

952. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति, इटावा जिला कोटा की वर्ष 1993-94 की ऑडिट रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे आक्षेप सामने आये हैं जिनमें संस्था की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ?

(2) क्या इस प्रकार संस्था की धनराशि का दुरुपयोग कर संस्था को हानि पहुँचाने वाले कारणों की जाँच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(3) यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हाँ।

(2) संस्था की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 93-94 में धनराशि में दुरुपयोग के मामलों पर की जा रही कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) इसका उत्तर बिन्दु संख्या 2 के उत्तर में शामिल है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

सहकारी उपभोक्ता संघ की जेकेलोन स्थित दवाई की दुकान की चोरी का प्रकरण

953. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मेडिकल ब्रांच जेकेलोन द्वितीय में दिनांक 14 अक्टूबर, 1994 को चोरी हुई थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और जिस पर अन्तिम रिपोर्ट (एफ. आर) भी लग गई ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्तिम रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकान में कितनी राशि की सामग्री थी तथा कितनी राशि का बीमा कराया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि जितनी राशि की दुकान में सामग्री थी उससे कम राशि का बीमा कराया गया था ? यदि हां, तो कम राशि का बीमा कराने के लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट हो जाने के उपरांत भी यहां कार्यरत सेल्समैन श्री सुरेश चन्द ओझा को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस के आदेश से, कब से तथा क्यों ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त सेल्समैन को वेतन का भुगतान करने तथा इसमें दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हाँ। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर अंतिम रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) उक्त दुकान की दिनांक 14.10.93 को लगभग 1.92 लाख की सामग्री थी। दिनांक 7.1.93 से 6.1.94 तक की अवधि का 50,000/- रुपये की राशि का बीमा करवाया गया था।

(3) इस दुकान का बीमा 50,000/- रुपये का था एवं स्टॉक की अधिकतम सीमा एक लाख निर्धारित थी। निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक स्टॉक रखने के लिए सेल्समैन दोषी है जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(4) जी, नहीं। श्री सुरेशचन्द्र ओझा सेल्समैन का वेतन 14.10.93 के प्रकरण के कारण नहीं रोका गया है बल्कि श्री सुरेशचन्द्र ओझा के मामले में स्टॉक की कमी के कारण

(सहकारिता मंत्री)

वेतन प्रबन्ध संचालक के आदेश से रोका हुआ है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) उपभोक्ता संघ की नीति के अनुसार उक्त सेल्समैन के वेतन प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जावेगा। चूंकि कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः दण्डित करने का प्रश्न हीं नहीं उठता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर की पंजीकृत ग्रुप हाउसिंग सहकारी सिमितियां

954. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में कितनी पंजीकृत ग्रुप हाऊसिंग सहकारी समितियाँ हैं ? समितियों के नामों की सूची, रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 अप्रेल, 1995 तक किस-किस ग्रुप हाउसिंग सहकारी समिति का ऑडिट हो चुका है ? शेष ग्रुप हाउसिंग सहकारी समितियों का ऑडिट सरकार कब तक करवाने का विचार रखती है ?

(3) नई ग्रुप हाउसिंग सहकारी समिति के पंजीयन की क्या प्रक्रिया है ? प्रक्रिया का विवरण तथा प्रारूप संविधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में 8 पंजीकृत ग्रुप हाउसिंग सहकारी समितियां हैं। समितियों के नाम, रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं दिनांक की सूची संलग्न परिशिष्ट-1 पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्रुप हाउसिंग सहकारी समितियों के 1.4.95 तक ऑडिट की स्थिति संलग्न परिशिष्ट-2 में दी गई है। शेष रहे ऑडिट का कार्य कराया जा रहा है।

(3) ग्रुप हाउसिंग सहकारी समिति के पंजीयन हेतु प्राप्त पंजीयन प्रस्तावों का पंजीयन राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 6, 8 एवं 9 तथा राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम 4 से 8 के प्रावधानानुसार किया जाता है। प्रक्रिया सम्बन्धी प्रावधान एवं प्रारूप संविधान (उप नियम) की प्रति परिशिष्ट 3 व 4 (अ) (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 955
(स्थगित)

अलवर में पर्यावरण अनुसंधान केन्द्र खोलना

956. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार अरावली पहाड़ियों के पर्यावरण सुधार हेतु अलवर में पर्यावरण अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अलवर में प्रदूषण चैक करने की व्यवस्था

957. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर में वाहनों से बढ़ते हुए

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

प्रदूषण को चैक करने व रोकने की क्या कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या उसका उपयोग नहीं हो रहा है ?

(2) क्या राजस्थान रोडवेज व शासकीय वाहनों को तथा प्राइवेट वाहनों को भी चैक किया जाता है एवं इन सभी को प्रदूषण न फैलाने का प्रमाण-पत्र दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर में वाहनों के प्रदूषण को चैक करने हेतु प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर को एक गैस ऐनेलाइजर तथा 2 स्मोक मीटर आवंटित है जिनसे वाहनों की प्रदूषण सम्बन्धी जांच की जाती है। ट्रांसपोर्ट वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्र उनकी प्रदूषण सम्बन्धी जांच कर उनके इस दृष्टि से सही पाये जाने पर जारी किया जाता है।

(2) ऐसे वाहनों की भी प्रदूषण सम्बन्धी जांच की जाती है परन्तु प्रदूषण न फैलाने बाबत प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है।

बरसालू कलां एवं बरसालू खुर्द (ओसियां) वृक्षारोपण कार्य

958. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वन विभाग ने ओसियां पंचायत समिति के बरसालू कलां व बरसालू खुर्द में वृक्षारोपण का कार्य स्वीकृत किया था ?

(2) इन ग्रामों में वक्षारोपण कार्य हेतु कितने मजदूर लगवाये गये ?

(3) क्या यह सही है कि बाद में कार्य रोक दिया गया ? क्या उन श्रमिकों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? भुगतान करने योग्य राशि कितनी है तथा लम्बे समय से भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) बरसालू खुर्द में वर्ष 1993-94 में वृक्षारोपण कार्य स्वीकृत किया गया था।

(2) वृक्षारोपण हेतु माह जनवरी, 1994 के द्वितीय पक्ष में 43 मजदूर एवं फरवरी माह में दिनांक 20.2.94 तक 47 मजदूर लगाये गये।

(3) जी, हां। जन प्रतिरोध के कारण कार्य रोक दिया गया। भुगतान योग्य राशि 10687 रुपये में से 10093 का भुगतान कर दिया गया है शेष मजदूरों के न मिलने के कारण 594 रुपये का भुगतान नहीं हो सका हैं। जो श्रमिकों के उपस्थित होने पर कर दिया जावेगा।

न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की पालना

959. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री बच्चू माली पुत्र श्री सेहराम निवासी गुढ़ाचन्द्रजी, तहसील नादोती, जिला सवाईमाधोपुर को उप वन संरक्षक, सामयिक वानिकी ने दिनांक 1 मार्च, 1989 को सेवामुक्त किया ? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बच्चू माली को न्यायालय द्वारा पुनः सेवा में लेने का आदेश दिया गया है ? यदि हाँ, तो आदेश की क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। श्री बच्चू माली स्वेच्छा से स्वयं कार्य स्थल से अनुपस्थित था।

(2) जी, हां। श्रम न्यायालय, भरतपुर द्वारा दिनांक 17.10.94 को श्री बच्चू माली को पुन: सेवा में लेने का अवार्ड पारित किया है। इस अवार्ड के विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जाना प्रस्तावित है।

विभाग में कार्यरत ट्रेसर

960. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान वन विभाग में ट्रेसर के कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने ट्रेसर कार्यरत हैं ?

(2) वर्तमान में कर्यरत ट्रेसर किन-किन पदों के विरुद्ध कार्यरत हैं ? क्या विभाग इन पदों को ट्रेसर के संवर्ग में बदलने का विचार कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत ट्रेसर अभी तक नियमित नहीं माने गये है ?

(4) क्या यह भी सही है कि 10 वर्ष से अधिक से कार्यरत ट्रेसर्स को वेतन स्थिरीकरण एवं चयनित वेतनमान जैसे लाभ अभी तक नहीं दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) वन विभाग में ट्रेसर के 9 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 20 ट्रेसर कार्यरत हैं।

(2) वर्तमान में कुछ ट्रेसर, सर्वेयर/अमीन के पदों के विरूद्ध कार्यरत हैं। सर्वेयर/अमीन के पदों को ट्रेसर के संवर्ग में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) तकनीकी योग्यता पूर्ण न होने के कारण कुछ ट्रेसर नियमित नहीं माने गये हैं।

(4) अनियमित नियुक्त कर्मचारियों को चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

लूणी एवं बिलाड़ा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा किये गये कार्यों की शिकायतें

961. श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर) एवं **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वन विभाग द्वारा लूणी व बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में क्या-क्या कार्य किये गये ?

(2) क्या उन कार्यों की अनियमितता की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वन विभग द्वारा लूणी व बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कराये गये वन विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) ग्रामवासी खुडाला द्वारा बीज एकत्रीकरण कार्य की मजदूरी का भुगतान करवाने का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। जिसकी जाँच करवाई गई तथा श्रमिकों को भुगतान कर दिया गया है।

(3) जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमों के विपरीत कार्य कराने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

59

खान आबंटन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र

962. श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर) **एवं श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या काकाणी ग्राम तहसील व जिला जोधपुर में खनिज विभाग को खानें आबंटित करने के लिए वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो किन-किन व्यक्तियों को यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

जी, हाँ। सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

वन विभाग में 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान के लम्बित प्रकरण

963. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मियों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग के योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी साहिबी नदी के परियोजना (ग्रास फार्म नर्सरी) जयपुर स्थित कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त लाभ दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो किन-किन कर्मियों को उक्त लाभ अब तक किन-किन कारणों से नहीं दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालय के कार्यालय सहायकों को उक्त लाभ नहीं दिया गया ? यदि हां, तो किन-किन को क्यों व इन्हें उक्त लाभ अब कब तक दे दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त विभाग के कर्मियों को उक्त लाभ अभी तक न देने में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हाँ। नियमों की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गई हैं।

(2) जी, नहीं। जिन कर्मचारियों/अधिकारियों को चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जा सका है उसका विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" के अनुसार रख दिया गया हैं।

(3) जी, नहीं। इस कार्यालय में एक ही कार्यालय सहायक है जिसे चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है।

(4) चयनित वेतनमान स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है तथा इसका लाभ न देने के लिये कोई कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं।

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

धौलपुर ताप विद्युत गृह

964. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर ताप विद्युत गृह की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है ? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के साथ क्या समझौता हुआ है ? समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्युत गृह का कार्य कब शुरू होगा, कब तक पूरा होगा और व्यावसायिक उत्पादन कब तक होगा ?

(3) इसमें उत्पादित विद्युत उत्पादन लागत क्या होगी और उपभोक्ता को प्रति यूनिट किस दर से प्राप्त होगी ?

उत्तर

(1) धौलपुर ताप विद्युत गृह (2 × 350 मे. वा.) की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा मै. आरपीजी. एन्टरप्राइजेज, कलकत्ता के साथ उक्त परियोजना हेतु 17 फरवरी, 1994 को एक आशय पत्र (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) निविदा का विश्लेषण/आकलन तथा कार्य का निर्धारण होने के बाद ही इस बारे में कुछ कहना संभव होगा। यद्यपि मैसर्स आरपीजी. द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन में धौलपुर ताप विद्युत गृह (2 × 350 मेगावट) की प्रथम इकाई की स्थापना मुख्य उपकरणों हेतु आदेश जारी करने के 28 माह में तथा द्वितीय इकाई उसके चार माह पश्चात् पूर्ण होनी दर्शाई गई है। जहां तक कार्य प्रारम्भ होने का प्रश्न है, इसके पूर्व भारत सरकार से कई प्रकार की क्लियरेंस लेनी पड़ती है अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्लियरेंस कब जारी हो पायेंगी।

(3) वास्तविक उत्पादन लागत निविदाएं खुलने व स्वीकार करने पर ही ज्ञात होगी।

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

तहसील नैनवां (बून्दी) के ग्रामों के लम्बित विद्युत सम्बन्ध

965. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युतीकृत घोषित ग्राम कुम्हारिया, खासीपुरा तथा हीरापुर (ग्राम पंचायत माणी) तहसील नैनवां में रिहायशी तथ कृषि विद्युत सम्बन्ध प्राप्त करने के लिए कितने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हुए हैं तथा उनमें से कितनों में डिमाण्ड राशि जमा करवाने के बाद भी मौके पर विद्युत सम्बन्ध नहीं दिये गये हैं ? नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त वर्णित आवेदनकर्ताओं के पक्ष में समय पर विद्युत सम्बन्ध जारी नहीं करने के क्या-क्या कारण रहे हैं तथा अब कब तक विद्युत सम्बन्ध स्थापित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) तहसील नैनवां के ग्राम कुम्हारिया, हीरापुरा एवं काशीपुरा में क्रमशः 7,5 व 7 कृषि आवदेन पत्र व कुम्हारिया ग्राम में 11 घरेलू आवदेन पत्र विचाराधीन हैं जिनकी सूची प्रपत्र "अ" व "ब" में संलग्न है। ग्राम काशीपुरा व हीरापुर में कोई घरेलू आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है। कृषि कनेक्शन दिये जाने हेतु ग्राम कुम्हारिया में दो उपभोक्ताओं की मांग पत्र की राशि जमा है व ग्राम हीरापुरा व काशीपुरा में किसी भी कृषि आवेदक की मांग

(ऊर्जा मंत्री)

पत्र को राशि जमा नहीं है। सूची प्रपत्र "स" संलग्न है। ग्राम कुम्हारिया में 11 घरेलू आवदेकों को मांग पत्र राशि जमा है जिनको संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है। ग्राम काशीपुरा में 16 घरेलू आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि सितम्बर, 1992 में जमा करवाई गई थी किन्तु निर्धारित समय में "एल" फार्म प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र मण्डल नियमानुसार निरस्त कर दिये गये। सूची प्रपत्र "द" संलग्न है। वर्तमन में इस ग्राम में कोई घरेलू आवदेन पत्र विचाराधीन नहीं है।

(2) उक्त ग्रामों में विद्युत लाइन आंधी, के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा इन ग्रामों में कोई कनेक्शन चालू नहीं होने व सामान एवं श्रमिकों की कमी के कारण लाइन का रख रखाव व प्राथमिकता से नहीं किया जा सका। जिन ग्रामों में आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवाई हुई है उनमें प्राथमिकता से लाइन दुरुसत करने हेतु कार्य ठेके पर दिया जा चुका है जो कि दो माह में पूर्ण होने की संभावना. आवेदकों द्वारा वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

बिजली की छीजत रोकने के उपाय

966. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बिजली की छीजत रोकने के लिए विद्युत मण्डल अन्तराज्यीय विद्युत लाइनों पर तथा कुछ विशिष्ट प्रकार के उद्योगों के परिसरों में नये और विश्वसनीय मीटर लगाने की योजना बना रहा है ? यदि हां, तो इस योजना के अनुसार कुल कितने मीटरों की आवश्यकता होगी ?

(2) नये मीटर विद्युत मण्डल किस कम्पनी से खरीद रहा है और इसके लिए विद्युत मण्डल को कितनी राशि की आवश्यकता होगी तथा नये मीटर लगाये जाने की योजना कब तक क्रियान्वित की जा सकेगी ?

(3) अब तक इस योजना में कितनी प्रगति हो चुकी है ?

उत्तर

(1) जी, हां। बिजली की छीजत रोकने व विद्युत ऊर्जा के सही पठन के उद्देश्यों को पूर्ति हेतु विद्युत मण्डल में अन्तरराज्यीय विद्युत लाइनों व विशिष्ट प्रकार के औद्योगिक परिसरों पर चरणबध्दता से इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाने की योजना है। इसके लिये लगभग 600 मीटरों को आवश्यकता होगी। यह संख्या विशिष्ट उद्योगों में आयरन इण्डस्ट्रीज, ग्वार गम आदि उद्योगो को सम्मिलित करने पर सम्भावित है। अन्य उद्योगों को विशिष्ट श्रेणी में शामिल करने पर संख्या में वृद्धि संभव है।

(2) विद्युत मण्डल 5000 नये इलेक्ट्रोनिक मीटरों की खरीद, मैसर्स पी. आई. इण्डस्ट्रीज, उदयपुर से कर रहा है। इन मोटरों में दर्ज (रिकार्डेड) विद्युत उपभोग व अन्य वांछित सूचनाओं के पठनार्थ सम्बद्ध उपकरण की आपूर्ति भी उक्त फर्म द्वारा ही की जा रही है। सम्बद्ध उपकरणों सहित मीटरों को खरीदने के लिये लगभग 912.35 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी। मैसर्स पी. आई. इण्डस्ट्रीज, उदयपुर को मीटर खरीद का निविदा स्वीकार्य पत्र एल. ओ आई. दिनांक

(ऊर्जा मंत्री)

24.4.1995 को जारी किया जा चुका है व विस्तृत क्रय आदेश जारी किया जा रहा है। अन्य फर्मों के मामले भी विचाराधीन हैं। फर्म द्वारा उक्त मीटरों की आपूर्ति अनुसूचित सुपुर्दगी (शिड्यूल डिलीवरी) के अनुसार निम्न प्रकार संभावित है—

प्रथम न्यूनतम 50 मीटर सम्बद्ध उपकरणों सहित	फर्म द्वारा क्रय आदेश प्राप्ति से 10 सप्ताह की अवधि में।
उपरान्त 300 मीटर उपकरणों सहित की दर से	मण्डल द्वारा पूर्व लाट की प्रेषण अनुचित डिस्पेच क्लियरेंस प्रदान करने के 45 दिवस की अवधि में।

नये खरीदे गये मोटरों को लगाये जाने की कार्यवाही उनकी प्राप्ति के बाद शीघ्र वर्ष 1995-96 में की जायेगी।

(3) पूर्व में अन्तरराज्यीय विद्युत लाइन व अंतग्रिड उप चौकियों पर विद्युत ऊर्जा अंकेक्षण तथ विशिष्ट उद्योगों के परिसरों पर प्रयोजनार्थ 260 इलेक्ट्रोनिक मीटर टेण्डर प्रक्रिया से वर्ष 1994 में खरीदे जा चुके हैं।

कृषि कार्यों हेतु विद्युत सम्बन्ध देने की परिवर्तित नीति

967. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) एवं श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार की कृषि कार्यों हेतु कनेक्शन दिये जाने की वर्ष 1994-95 में क्या नीति निर्धारित थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस नीति का पूर्णतः क्रियानवयन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या-क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

(3) क्या यह परिवर्तन राज्य के आदेश से किये गये हैं या मण्डल ने अपने स्तर पर किये हैं ? परिवर्तित किये गये आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस परिवर्तन के कारण कृषि उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार पड़ा है ? यदि हाँ, तो कितना ?

(5) क्या इस परिवर्तित नीति से जारी किये कृषि कनेक्शनों पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से विद्युत के उपभोग की राशि वसूल की जा रही है अथवा अन्य किसी दर पर ? यदि अन्य दर से राशि की वसूली की जा रही है तो उन उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट एवं प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष कितना आर्थिक भार पड़ा है ?

उत्तर

(1) 1994-95 में राज्य सरकार द्वारा कृषि कनेक्शन दिये जाने की नीति की प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) राज्य सरकार की नीति के अनुपालना में ही पंचायत समिति व गांववार लक्ष्य निर्धारित किये गये। राज्य सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत **दिये जाने वाले सामान्य श्रेणी** व एक पोल **योजनाओं के अतिरिक्त कृषकों की मांग पर पूर्णरूप से स्वेच्छिक कृषि श्रेणी की एक पोल योजना को दो पोल तथा दो से अधिक पोल** तक बढ़ाया गया व **नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन** लेने की औपचारिकताओं को कम किया गया है। यह ये योजनाएं कृषकों में काफी लोकप्रिय

(ऊर्जा मंत्री)

हुई जिसके फलस्वरूप कम समय में ही करीब 25000 प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

(3) विद्युत मण्डल द्वारा स्वेच्छिक योजना के अन्तर्गत कनेक्शन लेने के आदेश आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही निकाले गये हैं। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल राजकीय विभाग न होकर राजकीय उपक्रम है, जिसे कार्मशिलय पेटर्न पर चलाना होता है। अतः प्रत्येक काम के लिये राज्य सरकार की औपचारिक अनुमति नहीं लेनी पड़ती। विद्युत मण्डल द्वारा कृषि कनेक्शन देने के सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रतिलिपि (परिशिष्ट "ब" 1 से 11 तक) संलग्न है।

(4) नये आदेशों के अन्तर्गत कृषि कनेक्शन लेने पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आया है। राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत एक पोल योजना में दिये जाने वाले कृषकों को अनुदान देय नहीं है। उसको पहले पोल के लिये 7000/- रुपये देने होते हैं। उसी योजना को दो पोल तक बढ़ाया गया है, जिसमें पहले पोल के लिये 7000/- रुपये ही देय हैं। लाइनों व पोल की लागत बहुत बढ़ जाने के कारण नयी स्वेच्छिक योजनाओं में रुपये 9000/- प्रति पोल लिया जा रहा है। दो पोल योजना के प्रत्येक पोल के लिये 9000/- रुपये लिये जा रहे हैं। 2500/- रुपये प्रति हार्स पावर सब स्टेशन चार्जेज लिये जा रहे हैं, जिन्हें बिलों में समायोजन द्वारा रिफण्ड करने के आदेश दे दिये गये हैं।

विद्युत मण्डल आर्थिक संकट में है। प्रतिदिन मंहगी बिजली खरीद कर सस्ती देने से भारी घाटा हो रहा है। इसमें वर्ष 1994-95 में 1993-94 के मुकाबले पर परचेज पर करीब 230 करोड़ अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। आज भी सैंकड़ों करोड़ का भुगतान राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा करना है। समय पर भुगतान नहीं होने से कई बार पड़ौसी राज्यों ने हमारी बिजली काट दी है। कोटा तापीय विद्युत गृह में कभी-कभी एक या दो दिन का कोयला हो रहा है। अतः राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने साधन नहीं जुटाये तो राज्य के 40 लाख उपभोक्ता गहरे संकट में आ जायेंगे।

(5) दो पोल योजना में सामान्य कृषि दर से ही विद्युत उपभोग चार्ज किया जायेगा। नये निर्देशों के अनुसार नर्सरी श्रेणी में दिये गये कनेक्शनों पर ट्रान्सफार्मर चार्जेज 2500/- प्रति हार्स पावर के आधे कर दिये है तथा टेरिफ भी नर्सरी श्रेणी (एनडीएस) की आधी कर दी है। नर्सरी श्रेणी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत टेरिफ के अन्तर्गत पहले से ही है। अब इस श्रेणी में कनेक्शन लेने की औपचारिकताओं को कम किया गया है। कोई परिवर्तित योजना या टेरिफ लागू नहीं की गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बरसिंहसर विद्युत परियोजना

968. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोयला व लिग्नाइट पर आधारित विद्युतगृह कहां-कहां स्थापित करने की योजना है तथा उनकी क्या प्रगति है ?

(2) क्या यह सही है कि बरसिंहसर में लिग्नाइट खनन व तापीय विद्युत परियोजना हेतु विश्वस्तरीय प्रिक्वालिफिकेशन निविदाएं दिनांक 30-6-94 को खोली गई थीं तथा

(श्री भीमसेन चौधरी)

उनमें से 6 कम्पनियों की निविदाएं शर्तों के अनुरूप पायी गई थीं ? यदि हां, तो निविदाओं की स्वीकृति में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

(3) उक्त परियोजना की स्वीकृति से उत्पादन कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना पर पूर्व में नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ने कार्य शुरू किया था तथा उक्त कम्पनी ने काफी धनराशि भी व्यय की थी ? यदि हां, तो उक्त कम्पनी को कार्य क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) निम्न स्थानों पर कोयला व लिग्नाइट पर आधारित विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है—

अ. कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजनाएं

1. कोटा तापीय विद्युत परियोजना में चतुर्थ चरण की 210 मे. वा. की इकाई।

2. चित्तोड़गढ़ में 1 × 500 मे. वा. की निजी क्षेत्र में तापीय विद्युत परियोजना।

3. धौलपुर में 700 मे.वा. की निजी क्षेत्र में तापीय विद्युत परियोजना।

4. सूरतगढ़ में प्रथम व द्वितीय चरण की 2×250 मे. वा. प्रत्येक चरण में तापीय विद्युत परियोजना। प्रथम चरण का क्रियान्वयन मण्डल द्वारा किया जा रहा है तथा द्वितीय चरण की कार्यवाही निजी क्षेत्र के लिये की जा रही है।

ब. लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत परियोजनाएं

1. बीकानेर जिले में बरसिंघसर 2 × 240 मे.वा. की तापीय विद्युत परियोजना।

2. बाड़मेर जिले में जालिपा 4 × 250 मे. वा. की तापीय विद्युत परियोजना।

3. बाड़मेर जिले में कपूरडी 2 × 250 मे. वा. की तापीय विद्युत परियोजना।

उपरोक्त परियोजनाओं की प्रगति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हाँ। यह सही है कि बरसिंहसर में लिग्नाइट खनन व तापीय विद्युत परियोजना हेतु विश्वस्तरीय प्रिक्वालिफिकेशन आर. एफ. क्यू. निविदाएं दिनांक 30.6.94 को खाली गई थीं तथा उनमें से 6 कम्पनियों को विस्तृत निविदाएं देने आर. एफ. पी. के लिये चयनित किया गया है। इनसे विस्तृत निविदाएँ मांगी गई। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7.4.95 थी मांगी गई चार कम्पनियों द्वारा दी गई निविदाएं दिनांक 7-4-95 को खोली गई हैं, उनका विश्लेषण किया जा रहा है। चूंकि निविदाएं इसी माह प्राप्त हुई हैं, अतः निविदाओं की स्वीकृति में देरी का प्रश्न ही नहीं है।

(3) बरसिंहसर लिग्नाइट खनन व तापीय विद्युत परियोजना की स्वीकृति से प्रथम इकाई से 42 महिनों में तथा द्वितीय इकाई से 48 महिनों में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी, हाँ। यह सही है कि इस परियोजना पर पूर्व में नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन ने कार्य शुरू किया था, परन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन इस परियोजना पर कार्य करने में कठिनाई महसूस की। इसलिये भारत

(ऊर्जा मंत्री)

सरकार की निजी कम्पनियों को ऊर्जा क्षेत्र में आमंत्रित करने की नीति के तहत तथा राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इस परियोजना को निजी क्षेत्र में देने का निर्णय लिया गया।

(प्रगति विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जिला उदयपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण

969. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1995-96 में सरकार की नवीन ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना है ? यदि हां, तो उदयपुर जिले में कौन-कौन सी तहसील के कौन-कौन से गांवों को विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है ? विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गत वर्ष 1994-95 के लक्ष्यानुसार गांवों का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार इन कारणों के स्थाई समाधान का कोई उपाय सोच रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96 की ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अभी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। अतः नीति निर्धारण के पश्चात् ही विवरण देना संभव हो सकेगा।

(2) जी, हां। वर्ष 1994-95 में राज्य में 750 ग्रामों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसे प्राप्त कर लिया गया है।

(3) सरकार अपने कर्तव्य के प्रति सजग है।

कोटा थर्मल विद्युतगृह से प्रदूषण

970. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबडा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा थर्मल विद्युतगृह में लगा हुआ इलेक्ट्रो-स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.) कम क्षमता पर काम कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों एवं वर्तमान में यह कितनी क्षमता पर कार्य कर रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कम क्षमता से चलने के कारण कोटा शहर का पर्यावरण दूषित हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। कोटा थर्मल में लगे हुए सभी इलेक्ट्रो-स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.) अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहे हैं। प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण के ई.एस.पी. की क्षमता क्रमशः 99,82,99,84 तथा 99.94 प्रतिशत है।

(2) जी, नहीं। यह सही नहीं है।

विद्युत मण्डल कार्यालय, रेलमगरा (राजसमन्द) के कर्मचारी के चुनाव लड़ने की अनुमति का प्रकरण

971. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसंमद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारी/अधिकारी सेवा में रहते हुए पंचायत राज से संबंधित चुनाव नहीं लड़ सकते हैं ?

(66)

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

(2) यदि हां, तो संबंधित प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या रेलमगरा (राजसमंद) के सहायक अभियंता कार्यालय में कार्यरत किसी कर्मचारी ने पिछले चुनावों में सरपंच का चुनाव लड़ा है ?

(4) यदि हां, तो क्या बोर्ड द्वारा उक्त कार्य के लिए अनुमति दी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारी/अधिकारी सेवा में रहते हुऐ पंचायत राज से सम्बन्धित चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल आचरण नियम, 1976 के विनियम 6 की प्रति प्रपत्र "अ" सलंग्न है।

(3) जी, हां। कुछ समय पूर्व मिली जानकारी के अनुसार श्री नन्द लाल दशोरा, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस), रेलमगरा में कार्यरत ने ग्राम पनोपिया तहसील रेलमगरा से सरपंच का चुनाव लड़ा था।

(4) उक्त कर्मचारी द्वारा ना तो विभाग से किसी प्रकार की अनुमति मांगी गई है और ना ही अनुमति दी गई है। उक्त कर्मचारी के विरूद्ध विद्युत मण्डल अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर रहा है।

(नियम की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

परबतसर (नागौर) क्षेत्र के अनुसूचित जाति के कृषकों को विद्युत सम्बन्ध

972. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर (नागौर) में पिछले तीन वर्षों से कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ? विद्युतीकृत गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले तीन वर्षों में हुए विद्युतीकृत गांवों में किसानों को कृषि हेतु कितने कनेक्शन दिये गये ?

(3) उपरोक्त में से कितने अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन देकर के लाभान्वित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर (नागौर) में पिछले तीन वर्षों में तीन गांवों मुण्डाखेरी, उचेरिया चारण व चकराणी गांव को विद्युतीकृत किया गया है।

(2) पिछले तीन वर्षों में इन विद्युतीकृत गांवों में एक कृषि कनेक्शन मुण्डाखेडी गांव में सामान्य श्रेणी का दिया गया है।

(3) उपरोक्त ग्रामों में अनुसूचित जाति के किसी भी आवेदक की पत्रावली जमा नहीं हुई है।

तहसील नावां (नागौर) के ग्रामों में 33 के.वी. स्टेशन खोलना

973. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नांवा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चितावा

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

(तहसील-नावां) के विद्युत स्टेशन में 25 एम.वी. से अधिक भार है ? यदि हां, तो क्या ग्राम चितावा (नावां) में विभागीय मानदण्डों के अनुसार 132 के.वी. में परिवर्तन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि टोडास, शीव, मुआना, व चौसला ग्रामों में वर्तमान में विद्युत् भार अधिक होने के कारण इन ग्रामों में 33 के.वी. के स्टेशन खोलने हेतु विभाग द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजे गये हैं ? यदि हां, तो सरकार अब नावां तहसील के किन-किन ग्रामों में 33 के.वी. स्टेशन कब तक खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्तमान में चितावा में 6.7 एम.वी.ए. का विद्युत भार है। कुचामन से पाचंवा तक एक और 33 के.वी. लाइन बन जाने से चितावा पर वोल्टेज रेगूलेशन निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप ही रहेगा। यद्यपि चितावा पर 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने हेतु तकनीकी साध्यता की जांच करने हेतु योजना प्रस्तावित है तथापि वर्तमान में विद्युत भार को देखते हुये चितावा में अभी 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने की प्रथम दृष्टया आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(2) ग्राम टोडास एवं शिव में नये 33 के.वी. सब स्टेशन बनाने के प्रस्ताव स्वीकृत किये जा चुके हैं। ग्राम मुवाना में 33 के.वी. का नया सब स्टेशन बनवाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ग्राम चौसला में 33 के. वी. सब स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है तथा ना ही विचाराधीन है। नावां तहसील में ग्राम टोडास, शिव एवं राजास में सब स्टेशनों को इस वर्ष की 33 के.वी. कार्यों की वार्षिक योजना में सम्मिलित करना संशाधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये विचाराधीन है।

कृषि उपज मंडी समिति, रावला (सूरतगढ़) द्वारा प्रस्तावित कार्य

974. श्री अमर चन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सूरतगढ़ की कृषि उपज मण्डी समिति, रावला द्वारा वर्ष 1993-94 में निर्माण हेतु जो प्रस्ताव भेजे गये उनमें में कितने मंजूर कर लिये गये व उनके निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(2) उक्त समिति की वर्ष 1993-94 की आय क्या रही ? इस आय का संस्थापन व्यय घटाने के पश्चात् शेष राशि कितनी रही ?

(3) क्या उपरोक्त शेष रही राशि का 60 प्रतिशत सम्पर्क सड़कों पर सड़कों के निर्माण में व्यय कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस सड़क पर कितना व्यय हुआ ?

(4) शेष बचे हुये प्रस्तावों को सरकार कब तक स्वीकृति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ की कृषि उपज मंडी समिति, रावला द्वारा वर्ष 1993-94 में निर्माण हेतु भेजे गये प्रस्तावों में से सम्पर्क सड़क 365 हैड से 2 के.एल.डी. आबादी 0.5 किलोमीटर की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

(कृषि राज्य मंत्री)

(2) मंडी समिति, रावला की वर्ष 1993-94 की आय 81.47 लाख रुपये रही है। संस्थापन व्यय को घटाने के पश्चात 67.76 लाख रुपये की राशि शेष रही है।

(3) जी, नहीं। शेष रही राशि में सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर 22.74 लाख का व्यय किया गया है। सड़कवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	सड़क का नाम	व्यय राशि
1.	सम्पर्क सड़क घडसाना रावला रोड से 5 पी.एस.डी.	0.10 लाख
2.	सम्पर्क सड़क रावला डण्डी रोड से 4 के. पी. डी.	1.76 लाख
3.	सम्पर्क सड़क 365 हैड से 2 के.एल.डी. आबादी	0.10 लाख
4.	सम्पर्क सड़क रावला खाजूवाला रोड से 4 के.एल.एम.	15.00 लाख
5.	सम्पर्क सड़क 5 कडी. से 2 के. डी.	5.36 लाख
6.	सम्पर्क सड़कों की वार्षिक मरम्मत	0.42 लाख

(4) लम्बित प्रस्तावों को राज्य सरकार की सड़क नीति परिपत्र दिनांक 10-3-95 के अन्तर्गत परीक्षण कर टिप्पणी भेजने हेतु मंडी समिति को लिखा गया है। टिप्पणी प्राप्त होने पर स्वीकृति संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।

कुम्हेर (भरतपुर) क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कें

975. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत किये जाने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर में स्थित निम्नलिखित सड़कें जो दस वर्ष पूर्व बनी हैं तथा जिनकी दशा खराब हो चुकी है की मरम्मत कराने का विचार रखती है—

1. राष्ट्रीय राज्य मार्ग नं. 11 से घानोता

2. भरतपुर-मथुरा मार्ग से ग्राम लुधवाड़ा।

3. भरतपुर-मथुरा मार्ग से ग्राम धौरमुई होते हुये जाटोली रथमान।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कों की मरम्मत हेतु निम्न प्रावधान है :

(अ) वार्षिक मरम्मत हेतु कमाण्ड एरिया की सड़कों के लिए 8,000/- रुपये प्रति किलोमीटर एवं गैर कमाण्ड एरिया की सड़कों के लिए 5000/- रुपये प्रति किलोमीटर।

(ब) विशेष मरम्मत हेतु 10 वर्ष पूर्व निर्मित सड़कों के लिए मण्डी समिति की मांग अनुसार बजट आवंटन किया जाता है।

(2) कृषि उपज मण्डी, भरतपुर के अन्तर्गत 10 वर्ष पूर्व निर्मित निम्न सड़कों की मरम्मत आलोच्य वर्ष में कराये जाना विचाराधीन है—

1. जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से घानोता।

2. भरतपुर मथुरा रोड से लुधवाड़ा।

3. भरतपुर मथुरा रोड से हथैनी वाया धौरमुई।

भरतपुर मथुरा रोड से धौरमुई होते हुए जाटोली रथमान तक रोड का निर्माण मण्डी समिति द्वारा नहीं कराया गया है।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में रिक्त पद

976. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में व उसके अनतर्गत विभिन्न श्रेणियों के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं तथा उनकी आपूर्ति के लिए सरकार कब तक क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षकों की समय पर नियुक्तियां व पदोन्नति न किये जाने से छात्रों की पढ़ाई में नुकसान होता है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर व उसके अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के जो पद रिक्त हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है—

	अध्यापन/अनुसंधान (टीचिंग/रिसर्च)	अशैक्षणिक (नान टीचिंग)
1.	आचार्य-35	कनिष्ठ लिपिक-50
2.	सह-आचार्य-61	आशुलिपिक एवं अन्य (तकनीकी)
3.	सहायक आचार्य-213	पद-१७२

उपरोक्त पदों की आपूर्ति के लिए पद विज्ञापित किये जा चुके हैं एवं उक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) यह सही है कि पद रिक्त रहने से छात्रों की पढ़ाई में हानि होती है, परन्तु इसे यथ सम्भव कम करने के लिए अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा में लगे शिक्षकों की सेवाएं लेकर इसकी पूर्ति की जाती है। साथ ही अशंकालीन अध्यापन के लिए व्यवस्था की जाकर इस समस्या का समाधान किये जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। जहाँ तक रिक्त स्थानों पर नियुक्ति का प्रश्न है, रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा चयन प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है।

गंगापुर (भीलवाड़ा) कृषि उपज मण्डी समिति की आय-व्यय

977. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगापुर (भीलवाड़ा) में कार्यरत कृषि उपज मण्डी समिति के आय-व्यय का विवरण वर्ष 1990-91 से 28 फरवरी, 1995 तक का सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मण्डी क्षेत्र में उप गौण मंण्डी यार्ड भी स्थापित है ? यदि हां, तो कब से व कहां-कहां तथा उन पर कब-कब कितना-कितना व्यय किया गया ? इन सबका क्या उपयोग हो रहा है ? विगत 5 वर्षों में उनसे हुई आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस मण्डी क्षेत्र में जनहित में सड़कों का निर्माण, उनका रख-रखाव, कृषकों के लिए अन्य लाभकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई ? यदि हां, तो उनका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गंगापुर (भीलवाड़ा) कृषि उपज मण्डी समिति की वर्ष 1990-91 से 28.02.95 तक आय व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

(कृषि राज्य मंत्री)

वर्ष	कुल आय (रुपयों में)	कुल व्यय (रुपयों में)
1990-91	8,80,351.22	7,79,758.17
1991-92	13,17,770.90	16,97,227.27
1992-93	7,15,154.68	17,56,540.55
1993-94	11,83,350.53	13,62,904.02
1994-95	11,52,294.37	10,81,993.90

(2) जी, हाँ। कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर (भीलवाड़ा) के क्षेत्र में एक गौण मण्डी यार्ड, रायपुर में दिनांक 29.08.84 से स्थापित है। इस गौण मण्डी यार्ड में गत 5 वर्षों में हुई आय एवम् व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	कुल आय (रुपयों में)	कुल व्यय (रुपयों में)
1990-91	84,616.91	Nil
1991-92	1,20,765.17	6,60,068.00
1992-93	94588.13	10,17,254.00
1993-94	70,469.21	84,737.00
1994-95	1,76,404.59	Nil

रायपुर गोण मण्डी यार्ड में निर्मित दुकानों का आबंटन माँग के अभाव में नहीं हो सका है जिससे इनका उयोग नहीं हो पाया है। आबंटन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने हेतु पुनः दिनांक 27.04.95 को विज्ञप्ति जारी की गयी है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर (भीलवाड़ा) की आय कम होने के कारण सड़क निर्माण हेतु पर्याप्त राशि के अभाव में इस मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों का निर्माण नहीं करवाये जा सके हैं। कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर में कृषकों के लाभार्थ पानी, बिजली, सफाई, चौकीदारी आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गयी हैं। कृषक कार्य करते हुए दुर्घटना पर मुआवजे के लिए "कृषक साथी" योजना भी लागू है।

कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर के सड़क निर्माण कार्य

978. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति अजमेर द्वारा भीमपुरा-अन्सरी-लीड़ी-अमरगढ़ रूदलाई खर्रवा मार्ग पर सड़क निर्माण का कार्य पूर्व में अलग-अलग भागों में यथा लीड़ी से अमरगढ़, भीमपुरा से अन्सरी करवाया गया है ? परन्तु इसके बीच के भाग अन्सरी से लीड़ी तथा अमरगढ़ से रूदलाई व खर्रवा के भाग पर काम नहीं हुआ है ? क्या यह सही है कि इस वजह से यह सड़क पूरी तरह काम में नहीं आ रही है ?

(2) यदि हां, तो सरकार इस पूरे मार्ग के अधूरे छूटे भागों पर कब तक निर्माण करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हाँ। परन्तु यह सही नहीं है कि इस वजह से यह सड़क पूरी तरह काम में नहीं आ रही है उक्त सड़कों का उपयोग आवागमन हेतु हो रहा है।

(2) सम्बन्धित मंडी समितियों की वित्तीय स्थिति के अनुसार एवं निर्धारित नीति अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त होने पर शेष कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर की निर्मित सड़कों की मरम्मत

979. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर द्वारा निर्मित निम्न सड़कें जर्जर हालत में हैं व इन्हें निर्मित होने के बाद से इनकी मरम्मत पर कोई समुचित व्यय नहीं किया गया है—

1. नसीराबाद-देराठू-भटियानी-झड़वासा

2. दिलवाड़ी-गादेरी-मोढी-लवेरा

3. लामाना-लीड़ी

4. सम्पर्क सड़क बिडक्च्यावास-अर्जुनपुरा जागीर-नेशनल हाइवे नं. 8

5. सनोद-तिलाना

6. भवानीखेड़ा-हटूंडी

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि प्रश्न में वर्णित सम्पर्क सड़कों पर निर्माण के बाद इनकी मरम्मत पर कोई समुचित व्यय नहीं किया गया है। सड़कों पर कराई गई मरम्मत की स्थिति निम्नानुसार है—

क्र.सं.	नाम सम्पर्क सड़क	लम्बाई (कि. मी.)	निर्माण वर्ष	विशेष विवरण
1.	स.स. नसीराबाद देराठू	4.70	78-79	इस सड़क पर वर्ष 89-90 में विशेष मरम्मत के तहत कार्य कराया गया, तदुपरान्त वर्ष 94-95 में वार्षिक मरम्मत कार्य।
2.	स.स. भटियाणी से झड़वास	6.00	83-84	" "
3.	स.स. दिलवाड़ी गादेरी	1.95	78-79	सड़क की स्थिति ठीक है।
4.	स.स. मोडी लवेरा	3.50	83-84	वर्ष 89-90 में विशेष मरम्मत।
5.	स.स. लामाना लीड़ी	6.00	78-79	सड़क की स्थिति सही। वर्ष 92-93 में वार्षिक मरम्मत कराई गई
6.	स.स. बिडक्च्यावास	-	-	इस सड़क का निर्माण कार्य विभाग द्वारा नहीं कराया गया
7.	स.स. अर्जुनपुरा जागीर एन.एच.	83.00	83-84	सड़क की स्थिति ठीक है। वर्ष 92–93 में पेच रिपेयर करवाया गया।
8.	स.स. सनोद तिलाना	4.70	83-84	सड़क की स्थिति ठीक है। पेच रिपेयर कार्य कराया जाना है।
9.	स.स. भवानी खेड़ा हटूंडी	10.00	78-79	बोर्ड द्वारा सम्पर्क सड़क नादला रावेसी वाया भवानी खेड़ा का कार्य कराया गया था। वर्ष 92-93 में वार्षिक मरम्मत कार्य कराया गया।

(2) राज्य सरकार की नीति अनुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के उपरान्त मरम्मत कार्य करवाया जाना संभव है।

विधान सभा क्षेत्र मकराना एवं नावां में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कें

980. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना व नावां में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा पिछले पांच वर्षों में कितनी सड़कें स्वीकृत की गई हैं ? नाम व माप सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 1995-96 में उक्त क्षेत्र में कौन-कौनसी सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित हैं?

(3) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा उक्त क्षेत्र में सड़क निर्माण की स्वीकृति हेतु डिजायर प्रेषित की गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना व नावां में पिछले पांच वर्षों में कोई भी सड़क स्वीकृत नहीं की गई है। शेष प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) वित्तीय वर्ष 1995-96 में किसी भी सड़क का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी, हां। माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र मकराना द्वारा प्रेषित डिजायर के सम्बन्ध में उन्हें अवगत करा दिया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर मास्टर प्लान की सड़कों के निर्माण के पश्चात यदि मंडी समिति के पास धन राशि शेष रहती है तो सड़क निर्माण पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

कृषि उपज मण्डी समिति, सूरजपोल, जयपुर में पदस्थापित मण्डी सचिव

981. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सूरजपोल, जयपुर स्थित कृषि उपज मण्डी समिति "ए" श्रेणी की मण्डी है जिसकी आय 4.50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा है ?

(2) क्या गत 17 सालों से इस मण्डी के सचिव पद पर सहायक निदेशक की योग्यता के समकक्ष योग्य व्यक्ति को सचिव नियुक्त किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या वर्तमन में इस मण्डी में कार्यरत सचिव पूर्व की भांति "ए" श्रेणी की मण्डी में नियुक्त सचिव के पद की योग्यता रखते हैं ? यदि नहीं, तो उनकी नियुक्ति क्यों की गई है ?

(3) क्या कम योग्यता के सचिव की उपरोक्त मण्डी में नियुक्ति बाबत प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्यवाही चली है ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

(4) क्या सरकार वर्तमान में कार्यरत सचिव जो कि कम योग्यता व कनिष्ठ स्तर के हैं, उन्हें हटाया जाकर वरिष्ठ योग्यता रखने वाले अधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। कृषि उपज मंडी (अनाज) जयपुर विशिष्ट श्रेणी की मंडी है जिसकी वर्ष 1994-95 में 4.61 करोड़ रुपये की आय हुई है।

(2) जी, हाँ। वर्तमान में मंडी समिति

(कृषि राज्य मंत्री)

में सहायक निदेशक (वरिष्ठ) स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) उपरोक्तानुसार प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी, नहीं। वर्तमान में निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारी सचिव पद पर कार्यरत हैं। शेष प्रश्न हीं नहीं उठता है।

कृषि उपज मण्डी समिति, सादुलशहर द्वारा ग्राम नूरपुरा ढाणी का सड़क निर्माण प्रकरण

982. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, सार्दुलशहर जिला श्री गंगानगर में गांव नूरपुरा ढाणी का सड़क निर्माण कार्य कब से विचाराधीन है तथा यह कार्य सम्पन्न क्यों नहीं कराया जा रहा है ?

(2) क्या कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा जनहित में इस सड़क को बनाने हेतु निविदा आमन्त्रित की गई थी ? यदि हां, तो निविदा आदेश किस को दिए गये ?

(3) कृषि उपज मण्डी समिति यह सड़क पूर्ण रूप से कब तक बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मंडी समिति सादुलशहर जिला श्री गंगानगर में गांव नूरपुरा ढाणी (17 के एसडी) के सम्पर्क सड़क के निर्माण कार्य दिनांक फरवरी, 94 से प्रारम्भ कराया गया है। सड़क का कार्य प्रगति पर है।

(2) जी, हां। उक्त कार्य की निविदा पत्रांक 3417-42 दिनांक 7.9.93 के तहत जारी की जाकर मै. रमेश कुमार बसंल श्री गंगानगर को दिये गये।

(3) उक्त कार्य के वित्तीय वर्ष 95-96 में पूर्ण होने की संभावना है।

बीज निगम द्वारा कपास/मूंग बीज का क्रय

983. श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीज निगम ने वर्ष 1994-95 में कितनी यात्रा में कपास/मूंग बीज का क्रय किया एवं बीज का कितनी मात्रा में उत्पादन किया ? निजी बीज उत्पादकों के नाम, खरीद की मात्रा, दरों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिस दिन कपास/मूंग का बीज क्रय किया इस दिन बीजों की मण्डी में दरें क्या थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कपास/मूंग बीज खरीदने के लिए निविदा की शर्तें क्या थीं ? क्या निगोसियेशन भी किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या दरें निविदा समिति द्वारा अनुमोदित की गयी थीं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या बीज क्रय नियमों में सप्लाई एफ.ओ.आर. गन्तव्य स्थान भी शामिल था ? यदि नहीं, तो मूल निविदाओं में क्या शर्तें थीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या बीजों के नमूने निविदाओं के समय प्राप्त कर गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट प्राप्त

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

की गई और जांच के बाद भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या निविदादाताओं के निविदा के समय प्राप्त नमूने बीज निविदा कमेटी के हस्ताक्षरयुक्त हैं ? नमूने की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीज निगम द्वारा वर्ष 1994-95 में 6926.20 क्वि. प्रमाणित कपास बीज एवं 773.21 क्वि. मूंग का प्रमाणित बीज क्रय किया गया। वर्ष 94-95 में 7600 क्वि. कपास एवं 258 क्वि. मूंग के प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया। कपास बीज के निजी उत्पादकों के नाम व खरीद की मात्रा इस प्रकार से है। यह बीज 1925/- रु. प्रति क्वि. की दर से क्रय किया गया है।

क्र.सं.	बीज उत्पादक का नाम	स्थान	मात्रा क्विं. में
1.	मै. एम. आर सिंघल	श्रीगंगानगर	290.00
2.	मै. गंगा सीड्स	"	450.00
3.	श्री कृष्णा सीड्स	"	100.00
4.	मै. सिंघल सीड्स	"	300.00
5.	मै. विष्णु सीड्स	"	114.20
6.	श्री राम ट्रेडिंग कं.	"	347.20
7.	नोरदन सीड्स पीलीबंगा	"	830.00
8.	कुबेर सीड्स पीलीबंगा	"	812.40
9.	प्रीमियर सीड्स पीली.	"	275.00
10.	ओसवाल सीड्स	"	390.00
11.	मै. बालाजी सीड्स पीलीबंगा	"	165.00
12.	मै. मित्तल सीड्स	हनुमानगढ़	607.00
मूंग 1.	मै. गंगा सीड्स	श्रीगंगानगर	139.60

(2) कपास/मूंग का बीज जिस दिन क्रय किया गया उस दिन अथवा अन्य किसी भी दिन मण्डी में बीज की दरें प्रचारित/प्रकाशित नहीं होती है।

(3) निविदा की शर्तें परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। निगोसियेशन किये गये थे।

(4) निविदा समिति द्वारा प्राप्त दरों का तुलनात्मक विवरण व निगोसियेटेड दरों का तुलनात्मक विवरण बनाया गया व तत्पश्चात् दरें अनुमोदित की गई।

(5) जी, हां। निविदा में सप्लाई एफ.ओ.आर. अंकित थी।

(6) बीजों को नमूने के आधार पर क्रय नहीं किया जाता बीजों के मानक वैरायटीवार तय हैं एवं उन्हें बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित बीज का ही भुगतान किया गया।

(7) जी, नहीं।

(निविदा की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट -16 देखें)

विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में मुन्सिफ न्यायालय

984. श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजाखेड़ा में मुन्सिफ कोर्ट की स्वीकृति का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ?

उत्तर

राजाखेड़ा में मुन्सिफ कोर्ट (सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय) की स्थापना, राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1(3) न्याय/93 दिनांक 26.12.94 द्वारा कर दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सन्दर्भ हेतु श्रम विभाग में लम्बित प्रकरण

985. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले समझौता वार्ता में असफल होने से संदर्भ के लिए श्रम विभाग में कब-कब से लम्बित हैं ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समझौता वार्ता में असफल होने के संदर्भ में लम्बित विवादों का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	विवादों की संख्या
1993 से	795
1994 से	2087
1995 (20 अप्रेल तक)	544
योग	3426

राजस संघ द्वारा मत्स्य आखेट व विपणन

986. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजससंघ उदयपुर द्वारा मत्स्य आखेट व विपणन का कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो कहां ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों में मत्स्य विपणन में राजससंघ को राशि प्राप्त करने में कानूनी कार्यवाही करनी पड़ रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) विपणन की क्या-क्या शर्तें थीं एवं क्या इन शर्तों की पालना की गई ? यदि नहीं, तो इसके लिये किस-किस को जिम्मेदार ठहराया गया एवं उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) राजस संघ द्वारा माही बजाज सागर, कडाना बेकवाटर एवं जयसमन्द जलाशय तथा जयसमन्द के आसपास स्थित, राज्य सरकार से आबंटित 12 छोटे जलाशयों में मत्स्य आखेट व विपणन का कार्य कराया जा रहा है।

(2) मत्स्याखेट वर्ष 1993-94 (1 सितम्बर, 1993 से 15 जून, 1994 तक) एवं मत्स्याखेट वर्ष 1994-95 की अवधि 1 सितम्बर, 1994 से 30 सितम्बर, 1994 तक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सहकारी संस्था, फिशकोपैड, नई दिल्ली एवं उसके नोमिनल मेम्बर को निर्धारित दर पर अनुबंध के तहत की गई मछली बिक्री में से 12,10,956.00 रुपये जमा नहीं कराये जाने के कारण अनुबंध के अनुसार वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करनी पड़ रही है।

(3) विपणन की शर्तें अनुबन्ध के अनुसार थी। अनुबंध की प्रतियां परिशिष्ट 1 एवं 2 पर उपलब्ध है। फिशकोपेड, नई दिल्ली एवं नोमिनल मेम्बर द्वारा द्वितीय अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं किये जाने के लिए फिशकोफैड, नई दिल्ली एवं उसके नोमिनल मेम्बर को जिम्मेदार ठहराया गया है तथा राशि वसूली हेतु बहु राज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, 1984 के तहत केन्द्रीय रजिस्ट्रार, नई दिल्ली के न्यायालय में दिनांक 8.3.95 को वाद दायर किया जा चुका है।

(अनुबंध की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र पाली के ग्रामों में सुविधाएं

987. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पाली के ग्राम राखाणा, खुन्टाणी, पाली, हजावा, पांच पदरिया, मूलियावास, जैतपुर, सिणगारी, नया गाँव, खारड़ा, भाकरीवाला, अरटिया, आंटण, सावलतां, कला एवं खुर्द, गिरादड़ा, पुनायतां, भान्डाई, निम्बली, पटेलान, निम्बली ब्राह्मणान, चातेलाव, गेलावास, भीलों की ढाणी, दिवान्दी, राणा, खुण्डावास, डूँगरपुर, साजी, तिगरा, रामपुरा, कलाली, कानावास एवं रोहट में बहुत अधिक संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग रहते हैं ? यदि हाँ, तो इनकी कुल जनसंख्या कितनी हैं ?

(2) क्या उक्त ग्रामों में पीने के पानी, रोशनी, शिक्षा इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या वित्तीय वर्ष 1995-96 में उक्त ग्रामों के अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिये कोई कल्याणकारी व विकास की योजनाएँ क्रियान्वित की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक, कौन-कौनसी योजनाएं क्रियान्वित करने का सरकार विचार रखती है ? विवरण मय राशि सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 1991 की जनगणना के आधार पर इन ग्रामों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 8244 व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2508 है।

(2) उक्त ग्रामों में पानी, रोशनी तथा शिक्षा आदि सेवाओं की उपलब्धि की ग्रामवार स्थिति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी व विकास की योजनाओं का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। जनजाति के व्यक्तियों के कल्याण/विकास की योजनाएं बिखरी जनजाति कार्यक्रम के अन्तर्गत इन ग्रामों में संचालित की जाती है। वर्ष 95-96 में बिखरी योजना के अन्तर्गत पाली जिले के लिये 2.39 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। पाली जिले में बिखरी योजना के अन्तर्गत पशु चिकित्सा शिविर, अंश पूंजी अनुदान, ब्लास्टिंग से कुएं गहरे कराना, छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन, शल्य चिकित्सा शिविर, हैण्डपम्प आदि कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाएंगे। इन ग्रामों में भी आवश्यकता एवं उपयुक्तता को देखते हुए उक्त कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा सकेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 988
(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में स्वीकृत बाल विकास परियोजनाएँ

989. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज, जिला बारां में महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के स्वीकृत केन्द्रों की सूची मय संचालन की तिथि व ग्राम के सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल सहरिया)

(2) क्या यह भी सही है कि इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य कुपोषण से ग्रसित बच्चों, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाती माताओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है ?

(3) कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के स्थानीय होने के भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देश होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य ग्रामों में भी अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं को न तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में नियुक्ति दी गई है और न ही सहायिकाओं के रूप में ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार इसके सम्बद्ध कुछ केन्द्र आरक्षित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र किशनगंज जिला बारां के अन्तर्गत दो बाल विकास परियोजनाएं किशनगंज एवं शाहबाद के लिए स्वीकृत हैं। बाल विकास परियोजना शाहबाद के अधीन 94 एवं किशनगंज के अधीन 111 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। उक्त दोनों परियोजनाएं वर्ष 1982-83 से संचालित की जा रही है। परियोजनाओं के आधीन स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परियोजनावार परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। बाल विकास परियोजना, शाहबाद एवं किशनगंज दोनों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के चयन में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को पूर्ण अवसर प्रदान किए गए हैं। बाल विकास परियोजना शाहबाद में अनुसूचित जाति की 3 जनजाति की 6 कुल 9 कार्यकर्ताएं तथा किशनगंज में अनुसूचित जाति की 10 तथा जनजाति की 2 कुल 12 कार्यकर्ताएं कार्यरत हैं।

(4) जी, नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का चयन करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति की योग्य महिलाओं को सदैव प्राथमिकता दी जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—18 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र

990. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1994-95 में कौन-कौन से तथा कहां-कहां, नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये थे ?

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों में बजट आबंटन का मानदण्ड क्या है ? उक्त क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों को कितना बजट आबंटित किया गया था तथा उक्त केन्द्रों ने किस-किस मद में कितना-कितना व्यय किया ?

(3) क्या यह सही है कि अब तक स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कुछ केन्द्र बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से तथा कब-कब से एवं क्यों ? क्या सरकार इनको पुनः चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की नियुक्ति करने संबंधी नियम हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(श्री रामेश्वर लाल भाटी)

(5) क्या सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्त्ताओं तथा सहायिकाओं को नियुक्ति दे दी गयी है ? यदि हां, तो किन-किन को कब-कब ? क्या इनके चयन में चयन प्रक्रिया अपनायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना, सुजानगढ़ के लिये वर्ष 94-95 में 19 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न हैं।

(2) (क) आंगनबाड़ी केन्द्रों को विभाग द्वारा सीधे बजट आबंटन नहीं किया जाता है, बल्कि बजट संबंधित बाल विकास परियोजना को आबंटित किया जाता है, जिसके मापदण्ड निम्नानुसार हैं—

1. संवेतन—

स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी की मांग के अनुसार।

2. मानदेय—

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैट्रिक 400/- रुपये प्रतिमाह।

2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नान मैट्रिक 350/- रुपये प्रतिमाह।

3. आंगनबाड़ी सहायिकाक 200/- रुपये प्रतिमाह।

3. आंगनबाड़ी व्यय—

1. आवर्तक 180/- रुपये प्रति केन्द्र प्रति वर्ष।

2. अनावर्तक 1000/- प्रति केन्द्र (एक बार)

3. भवन किराया 25/- रुपये प्रतिमाह।

4. खाद्यान्न एवं परिवहन व्यय—

बाल विकास परियोजना सुजानगढ़ ने केयर संस्था से प्राप्त निःशुल्क सी.एस.बी. (दलिया) तथा एस.आयल (तेल) का वितरण किया जा रहा है। केवल खाद्यान्न, परिवहन एवं मिर्च, गुड़ आदि हेतु 25 पैसे प्रतिदिन प्रति लाभांवित की दर से उपलब्ध करवाया जाता है।

(2) (ख) बाल विकास परियोजना, सुजानगढ़ को बजट का आबंटन एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है—

क्र. सं.	उप पद	(राशि लाखें में) आबंटन	व्यय
1.	संवेतन	4.34.	4.30
2.	मानदेय	10.31	9.90
3.	यात्रा व्यय (कार्यालय कर्मचारी)	0.72	0.655
	" " (क्षेत्रीय कर्मचारी)	0.75	0.53
4.	चिकित्सा व्यय	0.20	0.173
5.	कार्यालय व्यय	0.109	0.109
6.	टेलीफोन	0.019	0.019
7.	आंगनबाड़ी व्यय (आवर्तक)	0.345	0.236
	" " (अनावर्तक)	0.190	-
8.	विज्ञापन, प्रचार, प्रसार	0.025	0.023
9.	दवाईयां	0.03	-
10.	भवन किराया (कार्यालय)	0.22	0.22
	भवन किराया (आंगनबाड़ी केन्द्र)	0.33	0.33
11.	पी.ओ.एल.	0.48	0.467
	योग	18.073	16.965
	खाद्यान्न एवं अन्य व्यय	1.17	0.91
	परिवहन	0.50	0.08

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(3) बाल विकास परियोजना, सुजानगढ़ में 207 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। जिनमें से 19 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति क्रमांक 309-24 दिनांक 3.1.95 द्वारा जारी की गई, जिन्हें प्रारम्भ किया जाना है। शेष 188 केन्द्रों में से 175 केन्द्र वर्तमान में कार्यरत हैं एवं 13 केन्द्र स्वीकृत हैं, लेकिन संचालित नहीं हो रहे हैं। जिन्हें शीघ्र ही क्रियाशील कर दिया जायेगा। विभाग द्वारा कोई भी केन्द्र बन्द नहीं किया गया है। अक्रियाशील केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) जी, नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं की नियुक्ति संबंधी नियम नहीं हैं, किन्तु दिशा निर्देश (गाइड लाइंस) निर्धारित किए हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को मानदेय पर कार्य करने हेतु चयनित किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं का चयन बाल विकास परियोजना अधिकारी, संबंधित महिला पर्यवेक्षक एवं स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि की समिति द्वारा किया जाता है। स्थानीय महिलाओं को ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन में प्राथमिकता दी जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा मैट्रिक से कम निर्धारित किये जाने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा रखा गया है।

(5) जी, नहीं। प्रश्न संख्या 1 व 3 में वर्णितानुसार नए स्वीकृत 19 केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का चयन किया जाना शेष है। पूर्व में स्वीकृत 188 केन्द्रों में से 175 पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का चयन किया जा चुका है एवं वे कार्यरत हैं। इन 175 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में वर्णित प्रक्रियानुसार ही कार्यकर्ता/सहायिकाओं का चयन किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—19 देखें)

संभागीय मुख्यालय कोटा पर अभिलेखागार

991. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या कला एवं संस्कृति, राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में अवस्थित है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा संभाग के शोध अध्येता व अन्य उपयोगकर्ताओं को कोटा संभाग से संबंधित शोध के विषय में जानकारी प्राप्त करने व अध्ययन करने बीकानेर जाना पड़ता है ?

(3) क्या सरकार शोध अध्येताओं की असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए संभागीय मुख्यालय कोटा पर अभिलेखागार बनाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। निदेशालय, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में कोटा संभाग से सम्बन्धित शोध सामग्री 1670 से 1900 तक संकलित की गयी है। यदि किसी शोध्य अध्येता अथवा अन्य उपभोगकर्ता के शोध विषयक का काल, उक्त काल के अन्तर्गत आता है तो उन्हें सामग्री प्राप्त करने के लिये बीकानेर जाना पड़ता है। 1900 के बाद का रिकार्ड कोटा में ही उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, कला एवं संस्कृति)

(2) कोटा में सन् 1963 से राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मध्य शाखा कार्यालय कार्यरत रहा है जो वर्तमान में क्षेत्र विस्तार कियाँ जाकर कोटा, बून्दी, बारां तथा झालावाड़ क्षेत्र सहित क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।

(3) क्योंकि कोटा में क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य अभिलेखागार कार्यरत है और वह शोध सन्दर्भ सेवा प्रदान करता है, अतः अन्य कार्यालय खोले जाने का प्रश्न नहीं उठता।

झुंझुनूं मार्ग के पर्यटन केन्द्र निर्माण पर व्यय

992. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मण्डावा कस्बे के पूर्व में झुन्झुनूं सड़क पर विभाग की ओर से पर्यटकों की सुविधा हेतु कोई निर्माण कार्य हुआ है ? यदि हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ और वर्तमान में इसका क्या उपयोग हो रहा है ?

उत्तर

जी, हां। मण्डावा कस्बे में झुन्झुनूं सड़क पर पर्यटकों को सुविधा हेतु कियोस्क का निर्माण कराया गया है। इसके निर्माण पर 1.40 लाख रुपये व्यय हुये हैं। इसको लीज पर देने की कार्यवाही विचाराधीन है।

ग्राम काकोनी (गणेशपुरा) तहसील छीपाबड़ौद का पर्यटन विकास

993. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबडा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही हैं कि बारां जिले की छीपाबड़ौद तहसील के ग्राम काकोनी (गणेशपुरा) को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की प्रबल सम्भावना है ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

जी, नहीं। वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

हिण्डोली एवं किशोर सागर महलों के विकास हेतु योजनाएं

994. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा से झालावाड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 के सहारे हिण्डोली के महलों तथा कोटा व झालावाड़ के बीच दरा के यहां बने किशोर सागर के महलों का पर्यटन की दृष्टि से महत्व है ?

(2) क्या हिण्डोली के महलों तथा किशोर सागर के महलों को विकसित करने हेतु पर्यटन विभाग ने कोई योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या निजी पर्यटन संस्थानों के माध्यम से उपरोक्त पर्यटन स्थलों को विकसित करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) पर्यटन विभाग ने हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन की सम्भावनाओं का पता लगाने के

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

उद्देश्य से वर्ष 1994-95 में मै. टाटा कन्सलटेन्सी सर्विस, नई दिल्ली से सर्वेक्षण कराया है। विकास कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं को मद्देनजर रखते हुये सम्पन्न कराये जायेंगे।

(3) जी, नहीं।

बायोगैस मिस्त्रियों को चयनित वेतनमान

995. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में नियुक्त बायोगैस मिस्त्रियों को चयनित वेतनमान देने के आदेश जारी हो चुके हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या आदेशानुसार इन मिस्त्रियों को चयनित वेतनमान दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों को चयनित वेतनमान देने का मानस रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) मामले का कार्मिक व वित्त विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

जिला अजमेर में ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जारी स्वीकृति

996. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 1994-95 में कुल कितने नये एवं अधूरे कार्यों की स्वीकृति विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जारी की गई ? सूची विधान सभा क्षेत्रवार मय स्वीकृति व व्यय की गई राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृति के क्या मानदण्ड रखे गये ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा वर्ष 1994-95 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 1599 नये कार्य स्वीकृत किये गये। इसके अतिरिक्त गत वर्ष के 736 स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने बाबत कार्यवाही की गई। उपरोक्त समस्त कार्यों हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय की गई राशि का विधानसभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) विभिन्न योजनान्तर्गत क्षेत्र की आवश्यकता अनुरूप लिये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव विभिन्न कार्यकारी विभागों से प्राप्त किये जाते है तथा संदर्भित योजनाओं हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार उनकी जांच की जाकर शासकीय निकाय के अनुमोदनोपरान्त क्षेत्रवार बजट की उपलब्धता के आधार पर कार्य स्वीकृत किये जाते है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट—20 देखें)

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत सहायता

997. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में गत 3 वर्षों में किन-किन व्यक्तियों को इन्दिरा

(श्री जगदीप धनखड़)

आवास योजना के अन्तर्गत सहायता दी गई है ? बकाया किश्तों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के तहत दी गई सहायता के सम्बन्ध में यूटिलाइजेशन-वेरिफिकेशन हुई है ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ की पंचायत समिति किशनगढ़ एवं अराई में वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत 233 व्यक्तियों को कुल रु. 26.76 लाख सहायता राशि दी गई थी, जिसमें से रु. 21.47 लाख राशि व्यय की गई तथा रु. 5.29 लाख राशि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्य नहीं करने के कारण नहीं दी गई, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) जी, हां। उक्त योजना के तहत किश्तों में दी गई सहायता राशि की उपयोगिता के सम्बन्ध में सत्यापन इस कार्य हेतु गठित समित द्वारा किया गया है जिसके आधार पर व्यय राशि के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स प्राप्त हुये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला सवाईमाधोपुर में मछलियां पकड़ने के ठेके

998. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या मत्स्य पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाईमाधोपुर में मछलियां पकड़ने के ठेके होते हैं ? यदि हां, तो पूरे जिले में ऐसे कितने जलाशय हैं जिनका ठेका होता है और कितने बांध, तालाब व छोटे-छोटे जलाशय हैं, जो लीज पर दे रखे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मछलियों का बीज जिला सवाईमाधोपुर में भी तैयार किया जाता है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी जगह पर और प्रतिवर्ष प्रत्येक जगह का कितना-कितना खर्च होता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला सवाईमाधोपुर में मत्स्य विभाग को प्रतिवर्ष कितनी आय होती है और प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला सवाईमाधोपुर के प्रत्येक बांध, तालाब व छोटे जलाशयों से मछलियों के ठेके से प्रतिवर्ष कितनी-कितनी आय होती है ? अलग-अलग राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। जिला सवाईमाधोपुर में मत्स्याखेट का ठेका देने हेतु 45 जलाशय व नदियां उपलब्ध हैं। जिनमें से जिले के 8 जलाशय (बांध) दीर्घ अवधि की लीज पर तथा 22 अतिरिक्त तालाब एवं छोटे-छोटे जलाशय मस्तस्य पालन विकास अभिकरण की लीज पर आबंटित है।

(2) जी, हां। जिले में मत्स्य बीज उत्पादन जिन केन्द्रों एवं स्थानों पर किया जाता है उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के कॉलम-1 पर अंकित है। इस काम पर व्यय का विवरण सम्बन्धित कार्यालयों के व्यय में सम्मिलित है। सम्बन्धित कार्यालयों का वार्षिक व्यय परिशिष्ट-2 में अंकित है।

(राज्य मंत्री, मत्स्य पालन)

(3) जिला सवाईमाधोपुर के जलाशयों के मत्स्याखेट के ठेके से एवम् मत्स्य पालक विकास अभिकरण को आबंटित जलाशयों की लीज राशि एवम् अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व एवं व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट-2 में अंकित है।

(4) जिला सवाईमाधोपुर के प्रत्येक बांध, तालाब, छोटे जलाशय जिनका मछली का ठेका दिया जाता है, से प्राप्त प्रतिवर्ष आय का विवरण संलग्न परिशिष्ट-3 के कॉलम 3,4,5 में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

जिला अजमेर की मछली पालन योजनाएं

999. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या मत्स्य पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर जिले में मछली पालन योजनाएं लागू हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनाएं किस-किस जगह पर कब से लागू हैं तथा इनके संचालन की क्या प्रक्रिया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन योजनाओं से सरकार को कोई आमदनी होती है ? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी-कितनी आय हुई ? गत 10 वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला अजमेर में मत्स्य पालन की निम्न योजनाएं चालू हैं—

(अ) मत्स्य पालक विकास अभिकरण की वर्ष 78-79 में जिला मुख्यालय अजमेर पर स्थापना कर जिले के लघु वर्ग के जलाशयों में मछली पालन के व्यवसाय से जिले के लोगों के लिए स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई इसके संचालन हेतु गठित प्रबन्ध समिति द्वारा इसका संचालन किया जाता है इसके जिला कलेक्टर अध्यक्ष है तथा मनोनीत सदस्य सचिव उक्त अभिकरण के मुख्य अधिशाषी अधिकारी हैं। अभिकरण के जरिये योजना की क्रियान्विति के कार्यक्रम/प्रस्ताव तथा उसके वित्तीय अनुमान मुख्य अधिशाषी अधिकारी द्वारा तैयार कर प्रबन्ध समिति/अध्यक्ष महोदय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाते है तथा अनुमोदित प्रस्ताव मत्स्य विभाग के माध्यम से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। स्वीकृत अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवम् संचालन मुख्य अधिशाषी अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा प्रबन्ध समिति द्वारा वर्ष के त्रैमास में किया जाता है।

(ब) निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मत्स्य हैचरी की स्थापना ग्राम बीर जिला अजमेर में वर्ष 93-94 में स्वीकृत कर प्रारम्भ की गई तथा इस स्थापित हैचरी से मत्स्य प्रजनन प्रारम्भ किया जा चुका हैं। इस योजना के अन्तर्गत तकनीकी परामर्श विभाग द्वारा दिया जाता हैं।

(स) अभिकरण को आबंटित जलाशयों से शेष उपलब्ध जलाशयों में मत्स्य उत्पादन की वृद्धि के उद्देश्य से मत्स्य बीज की स्टोकिंग एवं संधारण व्यवस्था की जाती है।

(2) जी, हां। अभिकरण को आबंटित जलाशय एवं विभाग द्वारा मत्स्याखेट के ठेके पर दिये जलाशयों से गत 10 वर्ष के राजस्व का ब्यौरा परिशिष्ट-1 पर अंकित हैं।

(राजस्व के ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट—22 देखें)

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं दुग्ध संघों के प्रबन्ध का स्थानान्तरण

1000. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं दुग्ध संघों का प्रबंन्ध राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को दे दिया है ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर एवं कब तक के लिए दिया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान की डेयरियों में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के आदमी लगाये जा रहे हैं एवं यहां के अधिकारियों/कर्मचारियों को सरप्लस कर हटाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? डेयरी के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा क्या होगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि एनडीडीबी. के आने के बाद आरसीडीएफ. की आर्थिक एवं भौतिक स्थिति बदतर हो गयी है ? जिससे किसानों के भुगतान में 2 से 3 माह का विलम्ब हो रहा है एवं कई संघों में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि डेयरी में कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार पेन्शन योजना लागू करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि एनडीडीबी. के आने के बाद कर्मचारियों को पदोन्नति लाभ बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो पदोन्नति लाभ कब से देने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) राजस्थान को-ऑपरेटिव फैडरेशन एवं दुग्ध संघों का प्रबन्ध राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं एनडीडीबी. के मध्य प्रस्तावित अनुबन्ध शर्तों पर विचार-विमर्श जारी है।

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अधिकारियों को आरसीडीएफ. दुग्ध संघों में पदस्थापित किया गया है, जिसके कारण आरसीडीएफ. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सरप्लस कर नहीं हटाया गया है। फैडरेशन कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

(3) वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में वर्ष 1991-92 की तुलना में भौतिक प्रगति हुई है। हालांकि वर्ष 1994-95 में दुग्ध संकलन में गिरावट आई है जबकि आर्थिक स्थिति बदतर हुई है। कुछ संघों में दुग्ध भुगतान एवं वेतन वितरण में विलम्ब हुआ है।

(4) फैडरेशन में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना लागू करने के संबंध में फैडरेशन का संचालक मण्डल सिद्धान्ततः सहमत है। इस सम्बन्ध में पेंशन योजना के नियम तैयार किये गये हैं जिन्हें कानूनी सलाहकार से पूर्ण कराये जा रहे हैं। तत्पश्चात् आरसीडीएफ के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आरसीडीएफ पेंशन योजना अथवा भविष्य निधि पेंशन योजना जो भी अधिक लाभदायक होगी लागू किये जाने का प्रयास किया जावेगा।

(5) जी, नहीं। एनडीडीबी. प्रबन्ध के पश्चात् कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ समाप्त नहीं किया गया है। भविष्य में पदोन्नति लाभ जैसे-जैसे आवश्यक होगा नियमानुसार दिया जायेगा।

एन.डी.डी.बी. के अधिकारियों के आर.सी.डी.एफ. में पदस्थापन का विरोध

1001. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि एनडीडीबी. के अधिकारियों के आरसीडीएफ. में पदस्थापन के विरोध में डेयरी फैडरेशन में माह फरवरी, 1995 में आन्दोलन हुआ था ? यदि हां, तो यह आन्दोलन किस बात पर समाप्त हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि एनडीडीबी. के अधिकारी अगले 6 माह तक आरसीडीएफ. में नहीं लगाये जायेंगे और 6 दिन बाद ही बहुत सारे अधिकारी आरसीडीएफ. में लगा दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि एनडीडीबी. से बहुत कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को आरसीडीएफ. के शीर्षस्थ पदों पर लगा दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार यह मानस बना रही है कि शीघ्र ही एनडीडीबी. के अधिकारियों को पुनः वापस अपने पैतृक स्थान पर भेज दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह आन्दोलन दिनांक 16.2.95 को प्रमुख शासन सचिव, डेयरी विकास एवं प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ के साथ आन्दोलनकारियों से वार्ता के पश्चात् समाप्त हो गया।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं। एनडीडीबी. एवं राज्य सरकार के बीच डेयरी प्रबन्ध हेतु अनुबन्ध की शर्तों पर विचार-विमर्श जारी है।

धौलपुर जिले को मत्स्य पालन के लिए अनुदान

1002. श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या सरकार धौलपुर जिले को मत्स्य पालन के लिए अनुदान श्रेणी में रखे जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से अनुदान योजना लागू कर दी जायेगी ?

उत्तर

जी, हां। जिला धौलपुर के "ग" एवं "घ" श्रेणी के जलाशयों में मत्स्य पालन कार्य को मत्स्य पालक विकास अभिकरण, भरतपुर से सम्बद्ध कर अनुदान व्यवस्था की कार्यवाही करने का प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन है।

जिला झालावाड़ के उप खण्ड अकलेरा ग्राम आमेण में बीमारी से मृत पशुधन

1003. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अकलेरा उप खण्ड जिला झालावाड़ के ग्राम आमेण में वर्षा ऋतु के बाद लगभग तीस पशु कुछ ही दिनों में बीमारी के कारण मर गये थे ?

(श्री भरतसिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि आमेण तथा उसके आस पास के गांव के भील लोगों का पशुपालन ही प्रमुख व्यवसाय है ?

(3) क्या यह भी सही है आमेण से अकलेरा की दूरी 14 किलोमीटर है तथा असनावर की दूरी भी 14 किलोमीटर है व वर्षा ऋतु में इन दोनों स्थानों पर चिकित्सालय तक मवेशी को ले जाना सम्भव नहीं है ?

(4) क्या सरकार आमेण गांव जो पंचायत मुख्यालय भी है में वर्ष 1995-96 में पशु औषधालय खोलने या अन्य समुचित पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। अपितु अकलेरा उप खण्ड जिला झालावाड़ के ग्राम आमेठा में 8 पशु अगस्त में, 10 पशु सितम्बर में. वर्षा ऋतु में बीमारी के कारण मरे हैं।

(2) ग्राम आमेठा एवं उसके आस-पास के गांवों में भील लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है।

(3) जी, हां। वर्षा ऋतु में केवल असनावर पशु चिकित्सालय में पशुओं को ले जाना सम्भव नहीं है।

(4) वर्ष 1995-96 में नई चिकित्सा संस्था खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

पशु पालन विभाग में विभिन्न स्तर के रिक्त पद

1004. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विभाग में विभिन्न स्तर के उच्च पद रिक्त हैं जिसके कारण विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में परेशानी होती है तथा काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नस्ल सुधार कार्यक्रम में सही समय पर तरल नाइट्रोजन गैस नहीं मिलने के कारण नस्ल सुधार कार्यक्रम में परेशानी हो रही है।

उत्तर

(1) जी, हां। उच्च पद पर कुछ पद रिक्त है जिन्हें भरने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 1994-95 में लगभग 415 सहायक पशु शल्य चिकित्सकों के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भरे गये हैं।

(2) तरल नाइट्रोजन गैस की उपलब्धता सीमित स्रोतों से होने के कारण कुछ समय सप्लाई नियमित नहीं रही है। अब तरल नाइट्रोजन गैस की आपूर्ति व्यवस्था नियमित हो गई है।

कोटा संभाग के जलाशयों का ठेका

1005. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा संभाग के ऐसे कौन-कौन से जलाशय हैं जिनका प्रति वर्ष ठेका दिया जाता है तथा इनसे कुल कितनी आय वर्ष 1994-95 में हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस संभाग के ऐसे कौन-कौन से जलाशय हैं जिनका ठेका एक वर्ष से अधिक समय तक के लिए दिया गया है ? जिन व्यक्तियों को ठेका दिया गया है, उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरतसिंह)

(3) इस संभाग में मत्स्य बीज उत्पादन कहां-कहां पर किया जाता है तथा गत वर्ष 1994-95 में कुल मत्स्य बीज का उत्पादन इस संभाग से कितना किया गया तथा बीज का वितरण किस प्रकार किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में कोटा संभाग में किस फार्म पर किस प्रकार की मछली का कितना बीज उपलब्ध है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा संभाग के जलाशय जिनका प्रतिवर्ष मत्स्याखेट का ठेका दिये जाने हेतु उपलब्ध है का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के कॉलम 2 में दर्शाया गया है तथा इनमें से जिन जलाशयों से वर्ष 1994-95 में आय हुई का विवरण परिशिष्ट-1 के कॉलम 3 में दर्शाया गया है।

(2) कोटा संभाग में जिन जलाशयों का ठेका एक वर्ष से अधिक समय तक के लिए दिया गया है, का विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 के कॉलम 2 में दर्शाया गया है। जिन व्यक्तियों को ठेका दिया गया है, के नामों की सूची परिशिष्ट-2 के कॉलम 3 में दर्शाया गया है।

(3) इस संभाग में जिन स्थानों/ केन्द्र पर मत्स्य बीज उत्पादन किया जाता है, का विवरण परिशिष्ट-3 में दर्शाया गया है, तथा इस संभाग में वर्ष 1994-95 में कुल 130.818 लाख मत्स्य बीज उत्पादन हुआ, तथा बीज का वितरण किस प्रकार किया का विवरण परिशिष्ट-4 में दर्शाया गया है।

(4) वर्तमान में कोटा संभाग में किसी भी फार्म पर मत्स्य प्रजनन एवम् बीज उत्पादन की अवधि की समाप्ति के कारण किसी प्रकार का मछली का बीज उपलब्ध नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

विधान सभा क्षेत्र माण्डल के ग्राम पीथास में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र

1006. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या माण्डल विधान सभा क्षेत्र जिला भीलवाड़ा के ग्राम पीथास में कोई पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र है ?

(2) क्या उपरोक्त पीथास पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई कम्पाउण्डर लगा हुआ है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार अब उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कम्पाउण्डर कब तक लगाने का विचार रखती है ?

(4) भीलवाड़ा जिले में ऐसे कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां इस समय कम्पाउण्डर नहीं लगे हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार इन सभी स्थानों पर कब तक कम्पाउण्डर लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) भीलवाड़ा जिले में पशुपालन के 68 उपकेन्द्र स्वीकृत हैं। 30 उपकेन्द्रों पर

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

कम्पाउण्डर नहीं लगे हुए हैं जिसकी सूची संलग्न है।

(5) 200 प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को नई नियुक्ति देने के पश्चात् 88 पद पशुधन सहायकों के रिक्त हैं। प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होते ही इन पदों को भी भर दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

वर्तमान आयुर्वेद निदेशक पर भ्रष्टाचार के आरोप

1007. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान आयुर्वेद निदेशक सत्र 1987-88 में जिला आयुर्वेद अधिकारी, डूंगरपुर के पद पर कार्यरत थे और क्या उन्हें उक्त पद पर कार्य करते हुए अनियमितताओं और विभिन्न भ्रष्टाचार के आरोपों में कोई चार्जशीट जारी की गई थी ? यदि हां, तो वे चार्जेज क्या थे ? चार्जशीट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग, राज. सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 16 (7) वि.क.स.क. वि/10476 दिनांक 23-2-87 के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को अधिकाधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया था और तद्नुसार आयुर्वेद अधिकारी, डूंगरपुर को भी इस संबंध में सूचना दी गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि तत्कालीन आयुर्वेद अधिकारी, डूंगरपुर के विरुद्ध राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, बांसवाड़ा का परिवाद संख्या 1014/91 में मामला दर्ज कर जांच कराई गई ? यदि हां, तो जो जांच की गई उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) तत्कालीन आयुर्वेद अधिकारी, डूंगरपुर के विरुद्ध आयुर्वेद विभाग ने कब-कब जांच की और यदि अनुशासनिक कार्यवाही हुई हो, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हाँ। वर्तमान आयुर्वेद निदेशक वर्ष 1987-88 में जिला आयुर्वेद अधिकारी, डूंगरपुर के पद पर कार्यरत थे। तब निर्धारित प्रक्रिया नही अपनाने पर चार विकलांग व्यक्तियों को परिचारक के रिक्त पदों पर अनियमित नियुक्ति करने हेतु आरोप पत्र कार्मिक विभाग के ज्ञापन सं.पं. 1 (210) कार्मिक/क-3/92 दिनांक 6.4.93 द्वारा दिया गया था। ज्ञापन एवं आरोप पत्र की प्रति सदन की मेज पर (परिशिष्ट-"क" पर) रख दी गई है।

(2) जी, हाँ।

(3) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो बांसवाड़ा द्वारा दर्ज किये परिवाद सं. 1014/91 में तत्कालीन जिला आयुर्वेद अधिकारी, डूँगरपुर वर्तमान में निदेशक आयुर्वेद के विरूद्ध विभागीय जाँच शुरू करने का निर्णय करने का निर्णय लिया गया जिसकी अनुपालना में उन्हें आरोप पत्र दिया गया था। जैसा कि प्रश्न के भाग सं. 1 में अंकित है उक्त विभागीय जाँच माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-6654/93 में दिनांक 1.4.94 को दिये गये आदेश के संदर्भ में कार्मिक विभाग के आदेश सं. एफ. 1 (210) कार्मिक/क-3/92 दिनांक 4.8.94 के द्वारा समाप्त कर बन्द कर दिया गया।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(4) तत्कालीन जिला आयुर्वेद अधिकारी, डूंगरपुर के विरूद्ध पैरा 1 में अंकित जाँच के अलावा और कोई विभागीय जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की गई।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित-प्रश्न

शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रेल, 1995

चित्तौड़गढ़ जिले के मृत पुलिस कर्मियों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति

689. **श्री बाबूलाल वर्मा (डग)** : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 1975 से 1980 के मध्य पुलिस विभाग में किन-किन पेन्शनयाफ्ता कांस्टेबल एवं हैड कांस्टेबलों का स्वर्गवास हो जाने पर उनकी विधवाओं को परिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई ? स्वीकृति की प्रति एवं मूल पी.पी.ओ. नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में स्वर्गवास हुए कई कांस्टेबल/हैड कांस्टेबलों के आश्रितों को अभी तक पेन्शन स्वीकृत नहीं की गई ? यदि हां, तो किन-किन को व क्यों विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त आश्रितों को कब तक पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में सन् 1975 से 1980 के मध्य पुलिस विभाग में पेंशन याफ्ता 9 कांस्टेबल एवं 4 हैड कांस्टेबलों, कुल 13 का स्वर्गवास हो जाने पर उनकी विधवाओं को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई। उस समय पारिवारिक पेंशन की अलग से स्वीकृति न निकालकर पेंशनर के मूल पी.पी.ओ. पर ही पारिवारिक पेंशन स्वीकृति का इन्द्राज कर दिया जाता था। विवरण संलग्न है।

(2) जी, नहीं। रिकार्ड में अब ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसके अनुसार उक्त अवधि में स्वर्गवास हुए कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल के आश्रितों को पेंशन स्वीकृति नहीं हुई है। अतः इस बाबत सूचना शून्य मानी जाए।

(3) सूचना शून्य है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-25 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले की तहसील थानागाजी के गांव सूरतगढ़ स्थित श्री ठाकुरजी के मंदिर की नीलम की प्रतिमा अन्तरराष्ट्रीय चोर गिरोह द्वारा चोरी कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील लूणकरणसर के बीड संगरेड व महाजन के कंवर सैन नहर की चक 289.600 काश्तकारों की भूमि का केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री कुबेर सिंह एवं नौ अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका गुलाबपुरा के अध्यक्ष द्वारा किये गये कथित अवैधानिक कार्यों से पालिका कोष को हुए करोड़ों रुपये के नुकसान के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 17.3.1995 को ग्राम सीतारामपुरा पंचायत समिति मण्डावर जिला टोंक में एक महिला के साथ कथित बलात्कार की घटना की जांच करवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभी की ओर से जयपुर जिले के थाना चाकसू में दर्ज मुकदमा नम्बर 79/95 के अपराधियों को आज तक गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री शांति कुमार धारीवाल एवं चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ महोत्सव के आयोजन में हेरिटैज_(व्यवधान)_

कम बोलें माननीय मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं रामस्वरूप जी। हेरिटैज फाउण्डेशन एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा सरकारी धन का कथित दुरुपयोग करने एवं बिल बनाकर भुगतान प्राप्त करने के संबंध में।

(4) श्री अमराराम (धोद), सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगरिया की रसोई गैस वितरण एजेंसी मैसर्स प्रिया गैस सर्विस द्वारा उपभोक्ताओं को कथित लूटने एवं परेशान करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक मा. सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा जिले की नहरों एवं ड्रेनों की सफाई नहीं किये जाने से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(2) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायती राज कर्मचारियों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील के नगला मोतीनाम के नगला को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में।

(4) श्री एमादुद्दीन अहमद खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से तिजारा विधान सभा क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे के **चयनित गरीब परिवारों को नवीन सूची बनाकर राहत प्रदान करने के संबंध में।**

(5) श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अजमेर जिले के सर्वांगींण विकास की ओर दिखाये जा रहे उदासीन रवैये के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर की मानसरोवर कॉलोनी में चोरी, मारपीट एवं कत्ल की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दो थाना व कतिपय अन्य पुलिस चौकियां स्थापित करने के संबंध में।

(7) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर के ऐतिहासिक गुलाब बाग की समुचित व्यवस्था और रख रखाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर डिवीज़न में प्रशिक्षित अध्यापक, डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स, कम्पाउण्डर्स को रोजगार उपलब्ध करावाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालयों में अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(10) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बेगूं के ओराई डेम की डूब में आयी भूमि का किसानों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री बद्री प्रसाद गुरूजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से खराब हुई सड़कें व टूटी हुई पुलिया के पुनर्निमाण के सम्बन्ध में।

(12) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीडूंगरगढ जिला चुरू के कतिपय किसानों को कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध में।

(13) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के उप पंजीयकों द्वारा किसानों की जमीन की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री में बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

(14) डॉ. जितेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की विद्युत संबंधी समस्याओं को निराकरण करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (औसियां) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं और सदन का भी। शकधर साहब की किताब पेज 190 :—

"The all important conventional and ceremonial head of Lok Sabha is the Speaker. Within the walls of the House his authority is supreme. This authority is based on the Speaker's absolute and unvarying impartiality - the main feature of his office, the law of its life. This obligation of impartiality appears in the constitutional provision which ordains that the Speaker is entitled to vote only in the case of equality of votes. Moreover, his impartiality within the House is secured by the fact that he remains above all considerations of party or political career, and to that effect he may

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

also resign from the party to which he belogned."

His duties are very arduous etc.

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर मुझे आप का ध्यान आकर्षित करना है अध्यक्ष महोदय, तो मैं खड़ा होकर आपसे विनती करूं। यहां अनेक बार मर्यादाओं की बात आती है, मुख्य मंत्री जी बड़ी + + + हैं। मुझे याद है, अध्यक्ष महोदय, कि जितना अपमानित, पूनम चन्द जी साहब यहां विराजमान हैं, जितना अपमानित स्पीकर को हाउस में तो आप छोड़िये पर हाउस के बाहर जितना अपमानित इन मुख्य मंत्रीजी ने किया कि तख्तियां लगाकर ...(व्यवधान)... नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरा राइट यह है कि मैं आपको 23 तारीख से पुकार रहा हूं। यह चौथा सत्र चल रहा है। मुझे इनको नोटिस देकर मैंने इश्यू उठाया तो वह बन्द हो गयी बात। पूरा हाउस जानता है इस बात को, यह किसी से छिपी हुई नहीं बात। जब राजस्थान की जनता के सामने यह भ्रष्टाचार का कहते हैं कि हमारी तो मुहिम है मैं अर्ज करता हूं एज ए मैम्बर आफ दी हाउस, मैं और कहां रेज करूं, अध्यक्ष महोदय, सड़कों पर तो जाऊंगा ही। पूनम चन्द जी साहब के हाउस के सामने जब यह स्पीकर थे तो भारतीय जनता पार्टी के अनेकों सदस्यों ने ठीक है उन्होंने नारे लगाये, सब कुछ किया काली पट्टियां बांधी, काली बैल्ट बांधी और क्या-क्या नहीं किया उसको तो आप पूर्व स्पीकर साहब से पूछ लेना। अब पिछले दो दिन से यह वातावरण मैं देख रहा हूं मेरे साथी धनखड़ साहब और पारीक साहब इन पर लाकर सोर्ड लटका दी सिर्फ इंटिमिडेशन का पूरा विचार है। अध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ, आपने यहां की रूलिंग्स हैं, मैंने आपको मेरा पिटिशन नजर किया, इस हाउस की रूलिंग्स हैं, इन्होंने खुद ने रेज की है। इन्होंने और मुख्य मंत्री जी के दूसरे साथी नाथूसिंह साहब, वह मैं आपको पढ़कर सुना दूं चम्पालाल जी वाले केस में, अब मैं अर्ज करना यह चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे पूरा विश्वास है। सोमवार को आपने मुझे फरमाया कि भाटीजी मैं आपको दो या तीन दिन में व्यवस्था दे दूंगा। कल आपने मुझे फरमाया कि मैं कल दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, तीन दिन और रहे हैं। यह तो प्रिविलेज वाला मामला है। जो मैंने भ्रष्टाचार वाला मामला रेज किया तो सी.बी.आई. का विवरण देकर उस बात को इन्होंने टाल दिया अब मैं उसको रेज करूंगा तो आप रोकेंगे मुझे। ठीक है आप रोक लीजिए। उसके लिए मेरे पास और भी साधन हैं। मैं इनको कोर्ट तक ले जाऊंगा। क्योंकि अगर इस सदन में मुझे बोलने की अनुमति न मिले और पूरी रूलिंग पार्टी, अब जिस मुख्य मंत्री का, अध्यक्ष महोदय + + + ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठें। ...(व्यवधान)...

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा के खिलाफ बात है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप इतिहास को नहीं जान सकते_(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। क्या पाईंट आफ आर्डर है आपका ? कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है_(व्यवधान)_ कोई अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : x x x

श्री भंवर सिंह डांगावास : x x x

श्री देवीसिंह भाटी : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। _(व्यवधान)_ कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है आपका, बिराजिये आप। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है आपका। आप क्या पाइंट आफ आर्डर उठाना चाह रहे हैं _(व्यवधान)_ आप हमेशा पाइंट आफ आर्डर उठाकर के मर्जी आये जो बोलने लगते हो। दिस इज नोट पर्मिशियेबल। बिराजिये आप। _(व्यवधान)_

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये। आप बिराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : x x x

श्री किशन गोपाल कोगटा : x x x

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : x x x

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : x x x

श्री देवीसिंह भाटी : x x x

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : x x x

श्री राजेन्द्र गहलोत : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। भाटी साहब, बिराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : x x x

श्री अध्यक्ष : वह कर दिया हमने। पहले ही कह दिया अंकित नहीं होगा।

श्री भंवरसिंह डांगावास : x x x

श्री अध्यक्ष : भाटी साहब, बिराजें आप। आप पाइंट आफ आर्डर उठा रहें हैं_

श्री देवीसिंह भाटी : x x x

श्री अध्यक्ष : कोई सारभूत तथ्य हों तो बतायें। सारभूत बात हो रही है। आप तो मरजी आये जो बोलने लग जाते हैं, इसकी मैं परमिशन नहीं दूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : x x x

श्री देवीसिंह भाटी : x x x

श्री भंवरसिंह डांगावास : x x x

श्री राजेन्द्र गहलोत : x x x

श्री अध्यक्ष : किस पर ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : x x x

श्री अध्यक्ष : एक व्यवस्था आपने सर्किट हाउस में ठहरने के लिये दी। दिल्ली में ठहरने के बारे में कहा है आपने। बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : x x x

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : x x x

श्री भंवरसिंह डांगावास : x x x

---

x x x अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : x x x

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : x x x

श्री अध्यक्ष : शून्यकाल में इस प्रकार की बात उठाना, पाइंट आफ आर्डर उठाना, यह मनाही है। फिर भी मैंने यह समझा कि आप यह बात कहना चाहते हैं कि आपने सर्किट हाउस के बारे में क्या फैसला दिया है। आप सुन लीजिये। बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : x x x

श्री अध्यक्ष : मुझे नहीं सुननी है बात। मेरी मरजी, आप बिराज जाएं। स्पीकर की रूलिंग को बाइंड नहीं करें। बैठ जाएं आप। मैं बिना नोटिस दिये कुछ भी कहने की अनुमति आपको नहीं दूंगा। आप बिराजें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : x x x

श्री देवीसिंह भाटी : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजिये अमराराम जी। बिराज जायं आप। आप बैठ जायं माननीय। आप बोलें। बैठ जायं आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। कोई नहीं हो रहा है अंकित। बोल दिया है आपको।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : x x x

श्री देवीसिंह भाटी : x x x

श्री भंवरसिंह डांगावास : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। भाटी साहब, बिराजिये आप। आप बिराज जायं भाटी साहब। आप बिराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं। मुझे आपकी अभी कोई बात नहीं सुननी है। बैठ जायं आप...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : x x x

श्री अध्यक्ष : नियम तो मैं बनाऊंगा। नियम से चलाने का काम मेरा है, आपका नहीं। आप बिराज जायं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। मैं आपका नाम पुकार रहा हूं। माननीय, आप बिराज जायं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : x x x

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं। बिना नोटिस दिये कोई आरोप नहीं होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) **:** x x x

श्री रतनलाल ताम्बी : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप अपने माननीय सदस्यों को समझाइये। बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री अध्यक्ष : मैं तो गला फाड़-फाड़कर कह रहा हूं आप बैठ जायें। आप बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

---

x x x अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : हम कोई मूक दर्शक नहीं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री भंवरसिंह डांगावास : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित ही नहीं हो रहा है, आप क्यों बोले जा रहे हो ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो रहा है। आप बिराजिये। _(व्यवधान)_

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री देवीसिंह भाटी : x x x

श्री मदन दिलावर : x x x

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : x x x

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय बिराजिये। _(व्यवधान)_ माननीय धारीवाल साहब, बिराजिये। _(व्यवधान)_ कृपया बिराजिये आप। _(व्यवधान)_ आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराजे।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : x x x

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : x x x

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये। _(व्यवधान)_ बिराजिये आप। _(व्यवधान)_

अनुरोध

कार्यवाही के सुचारु संचालन हेतु लम्बित प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन उसी प्रकार से चलता रहेगा, अभी तीन दिन पहले ही मामला आया था। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, सदन के नेता, आपने बैठ कर एक रास्ता निकाला था। हम जो माननीय सदस्य यहां आये हैं, हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता के हितार्थ कुछ काम यहां करें, सोचें। सदन में इतना बिजनस पड़ा हुआ है, लेजिस्लेटिव बिजनस है, एप्रोप्रिएशन बिल है और इस प्रकार की यहां बहुत सी समस्याएं हैं और राजस्थान की

---

x x x अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री शिवनाथ सिंह)

जनता हमसे अपेक्षा करती है इस सदन में बैठ कर काम करने के लिये। आप 5-10 मिनट का समय हो सकता है आपने बिजनस एडवाइजरी कमेटी में निर्धारित कर दिया उसमें कोई कुछ भी बोलें, कोई कुछ भी कहे लेकिन सदन की कार्यवाही चलनी चाहिये। आरोप प्रत्यारोप के अपने नियम बने हुए हैं। मैं न तो उधर के लिए कहता हूं, न इधर के लिए कहता हूं, चाहे जो जिस प्रकार से खड़ा होकर कोई आरोप लगायेंगे तो उसका कोई अंत होगा नहीं। माननीय अध्यक्षजी, इसलिए नियम बने हुए हैं और जिनको भी आरोप लगाना हो लेकिन मेरा हाथ जोड़ कर सबसे निवेदन है कि इस सदन को चलने दीजिये और इस सदन के चलने में कोई बाधा न हो। हम राजस्थान की समस्याओं पर यहां पर विचार करना चाहते हैं। अधिकांश सदस्य, 200 सदस्यों में से मेरे ख्याल से 190 सदस्य ऐसे हैं जो सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को कैसे चलायें, जिस प्रकार से आप चलायें यह आपके ऊपर है लेकिन हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सदन को चलायें और हमारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमारी बात कहने का हमें मौका दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये माननीय सदस्य। मुझे आपकी अभी बात नहीं सुननी है, बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : यह सब चाहते हैं कि सदन चले। लेकिन सदन में कोई बात अगर चल रही थी तो उसके बाद में रूलिंग पार्टी है, उनके मंत्रियों को स्पेशली और बाकी लोगों को इस बात की आप हिदायत दें और आप इस बात को देखें कि इस तरह की बात जो चल रही है उसको डीरेल करने के लिए, उसकी बात को डाइल्यूट करने के लिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये (व्यवधान) बिराजिये। माननीय गृह मंत्री जी। ...(व्यवधान) दो मिनट रुकिये आप।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं + + + और इसलिए नहीं है कि ये बारबार यहां पर भी ...(व्यवधान) आप सुन लीजिये, पहले सुनिये आप। ...(व्यवधान) नहीं, सुनना पड़ेगा। ...(व्यवधान) शेखावतजी के पास कोई भी ...(व्यवधान) इनके प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। ...(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं बोलूंगा तो विष्णुजी को बाहर जाना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : मैं बोलूंगा तो विष्णु जी को बाहर जाना पड़ेगा, यह कोई माननीय मंत्री महोदय के कहने का तरीका है।

श्री अध्यक्ष : मेरे लिए तो सब माननीय हो। आप बिराजिये।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक ऐसा कभी भी ...(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : माननीय खेतसिंहजी, कुछ फरमा रहे हैं। राधेश्यामजी आप विराजिये। मुख्य सचेतकजी कुछ बता रहे हैं। ...(व्यवधान) आप खेतसिंहजी साहब को बोलने दें।

श्री रामनारायण मीणा : समाचार पत्र के आधार पर गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी विराजिये। आप विराजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना था कि भाटी साहब कई दिनों से यह इश्यू उठा रहे हैं और इनका प्रिविलेज मोशन भी है। आप उसके ऊपर निर्णय दे दें तो उसके आगे अपने आप कार्यवाही चलेगी। रोजाना खड़े होते हैं, रोजाना यह इश्यू उठता है, उस पर कोई डिसीजन होता नहीं, जो कोई भी हो, आप डिसीजन दे दीजिये। दूसरा मेरा निवेदन है कि माननीय गृह मंत्रीजी ने कुछ तेजी में या गर्मी में यह कह दिया कि विरोधी दल के सभी माननीय सदस्य हैं, + + + उसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, आप पुराने एम.एल.ए. रहे हैं, वर्षों से विधान सभा के मेम्बर हैं, ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, आज जो चर्चा चली उसमें माननीय भाटी साहब ने यहां पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया। व्यवस्था का प्रश्न उठाया तब तक किसी भी सत्ता पक्ष के सदस्य ने किसी भी प्रकार की बात का उनका विरोध नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था देने को मामला माननीय सदस्य के और आसन के बीच का है। इसके बाद माननीय सदस्य ने जिस प्रकार व्यक्तिगत द्वेषपूर्वक आज के 50 वर्ष पहले कौन क्या था और था ही नहीं, असत्य व्यक्तिगत द्वेष या अपने मुकदमे, मामले में बचने के लिए मुख्य मंत्रीजी को टार्गेट बनाकर ...(व्यवधान) सुन लीजिये भाटी साहब, और यहां पर आरोप लगाया। आरोप लगाया तो उसका प्रतिवाद किया और, अध्यक्ष महोदय, हमने प्रत्यारोप इसलिए नहीं लगाये कि सदन के नियमों के अन्तर्गत, अगर ये नियमों के अन्तर्गत आते तो सदन में इस बात पर बहस हो सकती है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : मदन दिलावर को आपने नियम नहीं समझाये थे क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आ रहा हूं न उस पर ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : एक अखबार लेकर कोटा के मामले में कुछ का कुछ बोलना शुरू कर दिया। यह कोई हाउस का मजाक कर रखा है ...(व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : मैंने कोटा दिखाया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई नोटिस दिया ? अध्यक्ष से कोई इजाजत ली ? कोई किसी प्रकार का वह नहीं है और आप आज तक इस प्रकार की बातें करते रहते हो। सदन का दुरूपयोग करते हैं आप लोग।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दुबारा आरोप लगाता हूं, कोटा के मेयर ने _(व्यवधान)_ गेरेज बना लिया, पुनः दोहराता हूं आरोप को और अखबार ने फोटो छापा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसी सदस्य को विशेषाधिकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह यहां आकर कुछ भी बोलना शुरू कर दे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + क्या बात करते हो _(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, धारीवाल साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दुबारा आरोप लगाता हूं, अभी खोलता हूं, पचासों आरोप हैं _(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पचासों।

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + +

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, आप थक गये होंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हो हिम्मत तो, ये बैठे गृह मंत्रीजी लगा दो पुलिस को, पूरी को, बंदा तैयार है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, बिराजिये _(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आरोपों को आपने अंकित नहीं होने दिया, निकाल दिया, वहां तक तो ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि व्यवस्था का प्रश्न लेना आपसे, आरोप लगाना मुख्य मंत्रीजी पर, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लगातार पूरे सत्र में सुनते आ रहे हैं। किसी न किसी प्रसंग पर व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी को कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। इस सदन में तीन बार चर्चा हुई। जिस बात को उठा रहे हैं उसको विपक्ष के नेता ने भी मान लिया, सबने मान लिया और उस प्रश्न को बार-बार ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की बात जब शुरू होती है, कल जब कोटा में भारतीय जनता पार्टी के महापौर और उप महापौर पर बिना नोटिस दिये चार्ज लगाया गया, अखबार के आधार पर, उन्होंने भी अखबार दिखा दिया। मैं न तो उस चीज को उचित मानता _

श्री रामनारायण मीणा : ये बी.जे.पी. के नगर निगम के _(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहेंगे, आप बिराजें _(व्यवधान)_ ये न तो आरोप लगा रहे हैं, न प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एडजॉर्नमेंट मोशन डाल रखा है, उसकी आपको जानकारी नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : नगर निगम में है _(व्यवधान)_ करोड़ों रुपये की जमीनें दबा लीं और + + +

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एडजॉर्नमेंट मोशन डाल रखा है और मैंने तो जांच की मांग की है, एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए रखा है _(व्यवधान)_

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : अभी आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है। घनश्यामजी कोई बात रख रहे हैं, शालीनतापूर्वक रख रहे हैं, उनको आप सुनना भी नहीं चाहते _(व्यवधान)_

श्री विष्णु मोदी : महापौर के प्रति यह बात धारीवाल साहब ने कही कि इंक्वायरी बैठाओ और आप तो इंक्वायरी बैठाने से भी घबराते हो और आपने जिन्दगी भर आरोप लगाये हैं, जिन्दगी भर अखबार पढ़-पढ़ कर आपने सदन का समय व्यर्थ किया है, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप लगाइये इंक्वायरी बैठाये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आ रहा हूं, इस बात पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। मोदी साहब, बिराजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आगे ये आरोप प्रमाणित भी हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जिस प्रकार इन्होंने लगाये, उस प्रतिक्रिया में इन्होंने भी आरोप लगाये। अध्यक्ष महोदय, अगर चर्चा कराना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से, मैं कहना चाहूंगा _(व्यवधान)_

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, आपने जब किसी आरोप प्रत्यारोप को दर्ज ही नहीं किया तो श्रीमानजी सफाई किसको दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई पांइट आफ आर्डर नहीं है। अपनी बात कहने दें उन्हें आप।

श्री जुबेर ख़ान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इधर से भी कुछ कहने दीजिये,हम भी कुछ कहना चाहते हैं _(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : परसादीलालजी कोई बात कह रहे हैं। मैंने उनको अनुमति दी है। आप बिना अनुमति के खड़े हो। आप बिराजिये। बैठिये आप _(व्यवधान)_ आप बिराजिये। मैंने उनको अनुमति दी है कि वे बोलें। आरोप नहीं लगाया, प्रत्यारोप नहीं लगाया, किसी प्रकार की बात नहीं कही है उन्होंने _(व्यवधान)_ आप बिराज जाइये _(व्यवधान)_

श्री जुबेर ख़ान : लेकिन आप हमें नहीं कह सकते, हमें नहीं बोलने दें, हम भी कोई बात उसी विषय में कहना चाहते हैं और शालीनता से कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या यही होगा ? एक साथ 4 माननीय सदस्य खड़े होकर के बोलेंगे _(व्यवधान)_ घनश्यामजी अपनी बात कोई कह रहे हैं और आप 4 माननीय सदस्य खड़े होकर के बात कह रहे हैं _(व्यवधान)_ मैंने इनको अनुमति दी है। वह कोई बात कह रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आप सबको बंद करवा करके हाउस का काम शुरू करवाइये _(व्यवधान)_ आप इनको बैठाइये, हम भी बैठ जायेंगे _(व्यवधान)_।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आप बिराजिये, सभी माननीय बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, सदन इस वक्त घनश्यामजी की बजाय मदन दिलावर साहब को सुनना चाहता है। कृपया उनको बुलवाइये।

श्री परसादीलाल मीणा : फिर उधर से भी, आरोप होंगे और इधर से भी आरोप होंगे _(व्यवधान)_।

श्री अध्यक्ष : ये आरोप नहीं लगा रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, फिर आप उनको बैठाइये न _(व्यवधान)_

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय को कोई अधिकार नहीं है। कोई ओपन लाइसेंस नहीं है कि वे माननीय ना पक्ष के लोगों को कुछ भी कह दें _(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : हाउस आर्डर में चलना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : नहीं, माननीय गृह मंत्रीजी इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते कि किन्हीं सदस्यों का + + + । वे न कोई साइकेटिस्ट हैं, उनका खुद का + + +, जो इस तरह की अभिव्यक्ति करते हैं और आप प्रश्रय दे रहे हैं, गृह मंत्री को क्या अधिकार है कि वे माननीय सदस्यों के बारे में इस तरह का निर्णय करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय गृह मंत्री महोदय को क्या अधिकार है कि इस तरह की टिप्पणी कर दें, आप सुनते रहें और आप वरीयता हासिल कर रहे हैं। गृह मंत्री को न तो कोई प्रीमियम हासिल है न कोई बोनस हासिल है कि वे ना पक्ष के लोगों के खिलाफ कोई इस तरह का आरोप लगायें कि आज उनका + + + हम उनका दिमाग ठीक कर देंगे, यह कोई सदन की स्वस्थ परम्परा बनाये रखने के लिए आप कर रहे हैं _(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप माननीय गृह मंत्री जी से कहिये कि वे माफी मांगें।

श्री परसादीलाल मीणा : आप इनको बैठाइये, इधर से भी नहीं बोलेंगे और उधर से भी नहीं बोलेंगे।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो बात सत्य होगी वह बोलेंगे, आपके जैसे भ्रष्टाचार वाली बात है, + + + इसलिए आपको कोई सुनना पसंद नहीं करता।

श्री परसादीलाल मीणा : जब कोई आरोप रिकार्ड ही नहीं हुए, कोई कार्यवाही दर्ज ही नहीं की _(व्यवधान)_

एक माननीय सदस्य : आप आराम से सुनिये, प्रेम से सुनिये, परसादीलालजी।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, ये + + + अपने आपको बचाना चाहते हैं इनका एक ही मतलब है कि सदन न चले, मिलकर के बचा लें अपने आप को _(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : विराजें आप, माननीय विराजें। _(व्यवधान)_

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपने सारे आरोपों को एक्सपंज कर दिया है क्या ? भाटीजी ने जितने आरोप लगाये उनको एक्सपंज कर दिया न ?

श्री अध्यक्ष : जी, हां। आरोप सारे एक्सपंज कर दिये हैं हमने।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम कहें तो पाप और वे कहें तो पुण्य। + + + आपका ? अध्यक्ष महोदय, तुला तो समान होती है, उसमें तो आरोप-प्रत्यारोप दोनों तरफ देखिये आप। हमारा कहना पाप है, उनका कहना पुण्य है, जो उनको कहने दिया जाय। आरोप हमारे ऊपर मंडित किये हैं _(व्यवधान)_

एक माननीय सदस्य : आप किस व्यवस्था के तहत चलवा रहे हैं, जब आपने कोई दर्ज नहीं होने दिया।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं माननीय _(व्यवधान)_ आप बिराजिये।

श्री जुबेर खान : हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आप उधर से अलाऊ करेंगे तो इधर से भी स्पष्टीकरण के लिए अलाऊ करिये। _(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण के लिए इन्होंने कहा है। आप बिराजिये, _(व्यवधान)_ आप बिराजें, आप बिराजिये। _(व्यवधान)_ आप बिराजिये एक मिनट _(व्यवधान)_ जुबेर ख़ान जी मैं आपको नाम से पुकारता हूं। बिराजिये आप। आप बिराजिये। बिराज जाइये। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बिराज जाइये, आप बैठ जाइये। मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइये। बैठ जाइये, आपने हाउस को मजाक बना रखा है। आप सुन लीजिये, + + + आप बैठ जाइये _(व्यवधान)_ माननीय सदस्य खेत सिंहजी ने कोई बात रखी, हाऊस चलना चाहिए, उसका जवाब घनश्यामजी मेरी अनुमति से दे रहे थे _(व्यवधान)_ सुनिये आप और उन्होंने कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाये, वह हाउस किस प्रकार से चले उसके लिए बात चली थी। _(व्यवधान)_ बिराजिये आप, श्री रामगोपाल बैरवा, बिराजिये आप _(व्यवधान)_

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, सदन में शांति _

श्री अध्यक्ष : आप बहुत शांति मेन्टेन कर रहे हैं। बिराजिये आप_बिराजिये आप_

श्रीमती बीना काक : क्या बिराजिये आप _

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप_बिराज जायें आप_

श्रीमती बीना काक : + + + और खुद इतना शोर मचा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये। मुख्य मंत्री जी।

श्रीमती कमला : मेरी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने जिस तरह से माननीय सदस्या से कहा है जैसे कोई टीचर विद्यार्थी से कहता है ऐसे आपने कहा है_

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जिस प्रकार का आज वातावरण बना है उस वातावरण में गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह वास्तव में बहुत गम्भीर है। राजस्थान की जनता इस विधान सभा के माध्यम से अपने दुःखदर्द का किस प्रकार से समाधान हो, हमेशा इसकी इच्छा रखती है और उनकी समस्याओं को किस प्रकार से यहां उजागर किया जाये यह अपने विधायकों से अपेक्षा करती है। यदि इस वातावरण में आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति बनती है तो, अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी कि नियमों में इस प्रकार की भी व्यवस्था है कि किसी सदस्य का आचरण ठीक नहीं है और जिसकी सदन में चर्चा करना बहुत आवश्यक समझा जाता है, तो नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि उस संबंध में चर्चा उठाई जा सकती है। चर्चा उठाने के लिए सूचना दी जायेगी। सूचना देने के साथ ही जिसके विरुद्ध वह चर्चा उठायी जानी अपेक्षित है उससे उत्तर लिया जायेगा और उत्तर लेने के बाद में अध्यक्ष महोदय यह समझें कि यह सदन में चर्चा होना बहुत आवश्यक है तो बाकायदा नियमों के अनुसार उस चर्चा की इजाजत दी जायेगी। आज तक इस संबंध में जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं वह व्यवस्थाएं भी पर्याप्त हैं, उन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नही है। प्रश्न यहां उठे हैं, आरोप-प्रत्यारोप भी हुए हैं। उन आरोप-प्रत्यारोपों के ऊपर निर्णय भी हुए हैं। सदन ने किस प्रकार से उन प्रश्नों के ऊपर चिन्तन किया है और गम्भीरता से अपने विचार प्रकट किये हैं, उसके लिए समय भी निश्चित हुआ है और निश्चित समय के अन्दर ही वह डिबेट खतम हुई है। अब यदि इस प्रक्रिया को आपको बदलने की आवश्यकता है, अगर विपक्ष यह चाहे कि इस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करना है तो जैसा मैं कई बार कहता हूं कि प्रक्रिया, नियम या कानून यह देश की जनता के लिए बने हैं, देश की जनता नियम, प्रक्रिया और कानून के लिए नहीं बनी है। यदि आज राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक समझे कि इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य के आचरण करने की चर्चा हो, चर्चा करने की छूट हो या चर्चा करने की कोई व्यवस्था रखी जाये तो इस सदन का अधिकार है कि अपने नियमों में उसी प्रकार का परिवर्तन कर ले जिसके कारण से मेम्बर जिस समय चाहे उस पर किसी प्रकार का भी आरोप लगा सके लेकिन इसमें खतरे बहुत हैं। इसमें यह नहीं समझें कि कोई प्रक्रिया में इस व्यवस्था करने के कारण से किसी पर आरोप लगा दिया और सन्तोष कर लिया कि मैंने बिना कुछ कहे बिना कुछ नोटिस दिये यहां एक सदस्य के ऊपर आरोप लगा दिया, वह आरोप कल दुनिया में जायेगा और उस आदमी की इमेज खराब हो जायेगी तो आज तक शायद मैंने किसी दूसरे की इमेज खराब की है लेकिन कल उनका भी नम्बर निश्चित रूप से आयेगा। उसमें कोई सन्देह करने का कारण होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, मैं कई दिनों से यह देख रहा हूं कि आज अगर यह सदन व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है तो व्यवस्था में परिवर्तन कर ले और व्यवस्था में यह परिवर्तन कर ले कि जिस समय चाहे कोई भी मेम्बर किसी भी मेम्बर के ऊपर आरोप लगा सकता है, उसकी बिना चिंता किये हुए कि अगले मेम्बर को अपना जवाब देने का मौका मिला या नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अपने मेम्बर को किसी प्रकार की बात कहने का मौका मिला या नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय, यहाँ व्यवस्थायें हैं कि जो मामला जुडीशियल कोर्ट में है उसका यहां रेफरेन्स नहीं किया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह अपनी व्यवस्था है। हमने ही तो लिखा है कि जो जुडीशियल कोर्ट में मामले चल रहे हैं उनकी चर्चा नहीं होगी, उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है कि जो मामला जुडीशियरी में है यहां चर्चा हो जाये उसका अल्टीमेट रिजल्ट यह निकलेगा कि जुडीशियल फंक्शन के लिए उस विधान सभा की कार्यवाही कितनी प्रभावी है है उसका प्रभाव समाप्त हो जायेगा, लोग उसको सीरियसली देखेंगे लेकिन यदि कोई मेम्बर चाहे कि जुडीशियल कोर्ट्स में जो मामले पेन्डिंग हैं उसके ऊपर भी यहां चर्चा हो सकती है तो भी चर्चा करें। प्रमाण नहीं हैं तो भी चर्चा कर लें लेकिन ईमानदारी से यह विचार करें कि इस चर्चा में इस प्रकार की छूट लेकर हम राजस्थान की जनता का भला कर रहे हैं या राजस्थान की जनता ने जो हमसे आशायें की हैं उनके विपरीत आचरण कर रहे हैं ? मेरी यह समझ में नहीं आता कि आज मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया जाये, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, मैं इस सदन का सदस्य 1952 से हूं, कोई एक दिन से नहीं हूं। 1952 से लेकर आज तक इस विधान सभा का सदस्य रहा हूं लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। आपस में यदि इस प्रकार की चर्चा होती हैं तो करें। आज मैं भाटी साहब के लिए कहना चाहता हूं कि भाटी साहब के और मेरे अच्छी मित्रता थी जब तक मैं विपक्ष में था ...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अभी भी है। भैरोंसिंहजी से है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूं आपको। मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सुन लीजिए। जब तक मैं विपक्ष में था तब मेरे और इनके बहुत अच्छे संबंध थे। सत्ता में आया हूं तो मेरे संबंध बिगड़ गये। वह तो बोल सकते हैं लेकिन मैं मुख्य मंत्री के पद पर हूँ, सदन का नेता हूं और सदन का नेता होने के नाते मैं नियमों की पाबंदियों के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं सदन की गरिमा से जुड़ा हुआ हूं। वह मेरे ऊपर हजार आरोप लगा लें लेकिन मैं आरोपों का उत्तर सदन की गरिमा के अनुसार ही देना चाहूंगा, अपनी मर्जी से नहीं देना चाहूंगा। मैं आज भी कहता हूं, आपने जिस प्रकार के आरोप लगाये या नहीं लगाये, छोड़ दीजिए उस विषय को लेकिन यदि सदन चाहे तो मैं आज अपने आपको आफर करता हूं इस सदन के सामने कि जो भी मेरे ऊपर चार्जेज लगाने हैं वह चार्जेज लगायें लेकिन मुझे सुनने का भी, सारी मर्यादाओं को तोड़कर नहीं बल्कि मर्यादाओं के अन्दर सुनने का मुझे भी मौका दिया जाये। उस समय कोई यह नहीं कहे कि यह जुडीशियल कोर्ट में मामला चल रहा है, उस समय कोई यह नहीं कहे कि यह मामला फला ट्रिब्यूनल में चल रहा है, उस समय यह कोई नहीं कहे कि इस मामले में अभी तक जानकारी पूरी नहीं है और पूरी जानकारी के साथ इस सदन के सामने मामला रखूंगा। मैं सदन के ऊपर छोड़ूंगा कि इसके ऊपर निर्णय कर लें कि जिन मेम्बर्स के खिलाफ मैं बोल रहा हूं या किसी मेम्बर के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खिलाफ किसी घटना के संबंध में बोल रहा हूं उसमें सदन अपने बहुमत से निर्णय कर ले तो भविष्य के लिए फैसला हो जायेगा। लेकिन इसमें भी खतरा है। आज तो मैं और भाटी साहब आपस में रंजिश रखते हैं लेकिन अगर रंजिश के कारण बहुमत से फैसला होगा तो यह सदन खाली हो जायेगा और बहुमत के आधार पर मामलों का निर्णय होगा। इसलिए मैं न तो इसके पक्ष में हूं कि बहुमत के आधार पर इन मामलों का निपटारा हो—

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप करवाइये साहब, भैरोंसिंहजी साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनिये, सुनिये। और न मैं इस पक्ष में हूं कि सदन में बिना छूट किसी प्रकार की यह बातें करने की इजाजत दी जाये लेकिन यह नहीं समझें कि विपक्ष के आरोपों के कारण हम लोग घबरा गये हैं। यह तो जैसी विपक्ष की हालत होगी वैसी ही सत्ता पक्ष की हालत होगी। एक दूसरे की टोपी उछालने का सवाल पैदा होगा इसलिए मैं समझता हूं, सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि रोज रोज झगड़ा करने के बजाय एक बार निपटारा कर लें और निपटारा कैसे किया जाये इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप अपनी तरफ से जैसा चाहें, आप यह कहें कि हम बिना इजाजत के आरोप लगाना चाहते हैं हमारे पक्ष की तरफ से छूट है। आप यदि यह आरोप लगाना चाहें कि अखबारों में बिना किसी जांच किये हुए हम इस प्रकार की बात सदन में कह सकते हैं तो छूट है, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। आप नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई बात कहना चाहें तो मेरी तरफ से छूट है। मेरी तरफ से तो मांग केवल इतनी सी होगी कि आरोप लगायें लेकिन लगाने के साथ ही आपमें सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। वह क्षमता होगी तो मैं समझता हूं कि आरोप लगाने की प्रक्रिया अपने आप ही समाप्त हो जायेगी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी यह चैप्टर चला है वह कांग्रेस के मित्र चलाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं और जिस रूप में चलाना चाहते हैं वह चलायें। नहीं तो इस चेप्टर को यहीं समाप्त करके आगे का बिजनस लिया जाये।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : एक मिनट अध्यक्ष महोदय। जस्ट फोर ए मूमेन्ट प्लीज।

श्री अध्यक्ष : 295

श्रीमती बीना काक : एक मिनट मुझे बोलने का मौक दें—

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा। (अनुपस्थित) ।—(व्यवधान)—

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह इस विषय को रशथू नहीं करें। बात यह खतम नहीं होगी। एक मिनट आप बिराजें —(व्यवधान)—

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट बोलने का मौका दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूं कि मैं बहुत कम सदन में बोलती हूं अगर सदन के माननीय सदस्य अपना संयम खो देते हैं या अपनी गरिमा बनाये रखने में कोई कमी रखते हैं तो मेरी आपसे इल्तजा है कि आप कृपया अपना

(श्रीमती बीना काक)

संतुलन नहीं खोयें और आप तो तसल्ली से कहें कम से कम, हमें एक मार्गदर्शन दें वरना + + + बात हो जायेगी और एक बार मैंने बोलने की कोशिश की आपने उनका गुस्सा एकदम झिड़क दिया_

श्री अध्यक्ष : नहीं, झिड़का नहीं, मैंने कहा माननीय नेता खड़े हो गये हैं, आप बिराजें। बिराजने के लिए कहना कोई बहुत बुरी बात नहीं है।

श्रीमती बीना काक : आप तो मुख्य मंत्रीजी से मीठा कैसे बोलते हैं यह सीख जाइये। इतना मीठा बोलते हैं सबको राजी रख लेते हैं, मीठा बोलना उनसे सीख लीजिए आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ज्यादा टाइम न लेकर जो भी मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया, मैं आपको अर्ज करूं कि एक दिन इस पर एक्चुअली डिबेट हो जाए और मैं कहीं मुख्य मंत्रीजी को नहीं टोकूंगा और मैं कोई ज जुडीशियल एपेरेटस को यहां कोट नहीं करूंगा कि अध्यक्षजी आप इस डिस्कशन को बन्द करें लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं हर समय नियमों में चला हूं। 16 मार्च, 1994 को इस हाउस में चार घंटे मैंने लेकर के और नोटिस देकर के, यह नहीं है कि मैंने नोटिस नहीं दिया है, 119 के तहत मैंने नोटिस मुख्य मंत्री जी को दिया, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने नोटिस मुख्य मंत्रीजी के दामाद साहब को दिया उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया_

श्री देवीसिंह भाटी : अब यह विषय क्या है ? आप अपनी बात कह दो।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : विषय यह है देवी सिंहजी साहब, जो मुख्य मंत्रीजी ने यहां फरमाया _(व्यवधान) मुझे बोलने दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बोलना तो आप पर है। सारी कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि इसी प्रकार शुरू हो जाए। क्या आपने यह तय कर लिया है यह कहिये ? या यह केवल भाटीजी का विचार है या कांग्रेस का विचार है ? यह तय हो जाए पहले। उसके बाद बोलेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रक्रिया और नियमों से बन्धे हुए हैं, नियमों के ऊपर न तो कोई जा सकता है। यह तो इंडिविजुअल ख्यालात थे मुख्य मंत्री जी ने फरमा दिया कि चाहो तो ऐसा कर लो। लेकिन ऐसा कोई चाहा नहीं जा सकता। नियम बने हुए हैं, नियमों के अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा, नियमों के अनुसार ही हाउस को चलाना पड़ेगा और इसलिए मैं तो यही निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आप आगे की कार्यवाही शुरू करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इस पर तो व्यवस्था दिलवायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनके इश्यूज के ऊपर आप व्यवस्था दे दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरे प्रिविलेज मोशन्स हैं, मैं और किसी सब्जेक्ट पर बोलना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, 31 तारीख से

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

रोजाना मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ और आप भी नियमों से बंधे हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, The Chair is also bound by the rules and regulations, and paramparas of this House.

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं सरकारी पक्ष को तो कह सकता नहीं हूँ मुझे बार-बार आपको यह अर्ज करना पड़े, अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिए। सोमवार को आपने फरमाया_

श्री अध्यक्ष : मैंने आज के लिए कहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सोमवार को आपने फरमाया कि मैं दो-तीन दिन में दे दूंगा_(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ओसियां की जनता के लिए, उनकी समस्या के लिए_(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने तो ब्रह्म कुमारियों के लिए गलत बोला जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि यह तो दुर्भाग्य है। आप तो खुद ही गलत टिप्पणी करते हैं। ब्रह्मकुमारी आश्रम के लिए आपने अनाप शनाप बोला। उन्होंने अफसोस जाहिर किया और माफी मांगी। यही एक अच्छा संगठन है जो शांति और ईश्वरवाद ला सकता है। आपके लगाये हुए आरोप तो गलत हैं माननीय सदस्य महोदय। आपने तो ब्रह्मकुमारी आश्रम के लिए भी सदन में गलत टिप्पणी की है_

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मेरी भी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपके माध्यम से दो मिनट अर्ज करना चाहता हूँ। आपको विनती करना चाहता हूं अगर आप सुन लें तो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप व्यवस्था कब दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं कल तक सारी व्यवस्था दूंगा। आज भी दूंगा, कल भी दूंगा। आपने तो दस विषय लगा रखे हैं जितने भी हैं मेरे पास_

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : दो हैं।

श्री अध्यक्ष : कल तक आपको दे दूंगा, बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण आप खतम करें उससे पहले दो मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने पाइंट आफ आर्डर लिया है या ऐसे ही खड़े हो गये।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : हमें तकलीफ होती है, हमारा टाइम खराब हो रहा है।

श्री विष्णु मोदी : मैंने आज सुबह जीरो आवर के अन्दर जलदाय विभाग के अन्दर जो धांधलियां हो रही हैं_

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। मैं बिजनस लेना चाहता हूं, आप लेने नहीं दे रहे हैं, खड़े हो रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : बिजनस लेने से पहले, मैंने आज सुबह आपसे निवेदन किया है जलदाय विभाग के अन्दर करोड़ों रुपये का घपला हो रहा है_

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आप का नम्बर आयेगा माननीय सदस्य, क्यों टाइम जाया कर रहे हैं?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं भी यहां पर, इनके साथ, पिछली विधानसभा में भी 1985 से 90 में रहा और अभी भी साथ में हूँ। वह जब मंत्री थे इनका कार्यकाल भी देखा है_

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरी विनती यही है कि जब भी भाटी साहब_

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री बनवारी लालजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया है। वह भी गलत नहीं। मेरा यह निवेदन है कि जब कभी यह बोले, बड़ी शालीनता से और बहुत ही इंट्रेस्टिंग सबजेक्ट पर बोलते थे_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें माननीय।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, आसन के लिए सब सदस्य बराबर हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, मैं सबको ही कह रहा हूँ। आपको सौ बार कह चुका हूँ आज। आप बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : हम आरोप नहीं लगाते हैं_

श्री अध्यक्ष : आप चला लो हाउस। बिराजें आप। श्री परसादी लालजी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि चाकसू थाने में एक मुकदमा नं. 79/95 दर्ज हुआ। लड़की के पिता ने अपनी पुत्री को कुएं में डालकर हत्या कर देने की एक रिपोर्ट दर्ज करायी। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे से इतने रुपयों की मांग की थी। लड़की को बार-बार तंग किया गया। 4 अगस्त, 1994 को लड़की का अपहरण करा कर लड़की के ससुर ने और लड़की के पति ने दूसरी जगह भेजने की योजना बनायी और जब लड़की चिल्लाई तो गांव वालों ने आकर उस योजना को फेल किया। उसके बाद समाज की एक मीटिंग हुई। समाज की मीटिंग में जिन लोगों ने अपहरण किया था उन लोगों के खिलाफ दस-दस, ग्यारह-ग्यारह हजार रुपये जुर्माने हुए। उसके बाद लड़की को फिर ससुराल भेज दिया और 21 मार्च, 1995 को शाम को लड़की को मारकर कुएं में डाल दिया। कुएं में से निकाल कर उसको अस्पताल ले जाकर और उसके बाद उसका दाह संस्कार कर दिया। यह मुकदमा नं. 79/95 में गृह मंत्रीजी, आपने कोई भी

(श्री परसादी लाल मीणा)

मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस मुल्जिमों के साथ मिली हुई है लड़की का पिता इतना गरीब है कि वह "अ" भी लिखना नहीं जानता है। वह मेरे से पांच-छह दिन पहले मिला। वास्तव में उसकी आंखों में आंसू थे। वास्तव में उसकी बातें मेरे को लग रही थीं, सारी सही थीं। वह कह रहा था कि पुलिस मेरी नहीं सुनती है। पुलिस का थानेदार मुल्जिमों से मिल लिया। रोज मुल्जिम थाने पर जाकर यह कहते हैं कि अगर कोई यहां पर गवाही देने भी आ गया तो हमने जो हालत लड़की की है वही हालत हम उनकी करेंगे।

तो मेरा गृह मंत्रीजी आपसे निवेदन है कि दहेज के मामलों में जो लड़कियों की हत्यायें होती हैं, वह चाहे किसी भी बिरादरी में क्यों न हों, इसमें लड़की का अपहरण 4 अगस्त, 1994 को किया गया था, समाज के बीच बचाव के कारण मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया था। उसका रिकार्ड भी है, उसका एक पम्फलेट भी मेरे पास है जो उन्होंने समाज की मीटिंग की थी। जिन लोगों ने अपहरण किया उन लोगों के खिलाफ दस हजार से लेकर ग्यारह हजार रुपये तक का जुर्माना किया। अब आप उसमें मेहरबानी करके पुलिस को केस न देकर के सी.आई.डी. (सी.बी.) से जांच करायें, क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। पुलिस का रवैया वैसा हो गया है, उनको 50 हजार भी मुकदमें में एफ.आर. लगाने के मिलेंगे तो मिलेंगे। न तो आप रोक सकते हैं, न आप मुकदमे की जाकर पैरवी कर सकते हैं, न आप उनको देख सकते हैं। आप मेहरबानी करके दहेज के मामले में इस मुकदमे को सी.आई.डी. (सी.बी.) से जांच कराने के लिए रेफर करें और इसमें निष्पक्ष ईमानदारी से जांच हो। अगर उन्होंने वास्तव में लड़की की हत्या की है, हत्या करके कुएं में डाला है तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही करें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमार जी धारीवाल।

श्री परसादीलाल मीणा : गृह मंत्रीजी कहना चाहते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय विधायक ने ठीक-ठीक तथ्य रख दिये हैं। जो स्थिति सामने आयी है, मैं माननीय विधायक की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि पहली जांच उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है 176 में और मैंने जब यह जबाब भिजवाया जा रहा था उस समय स्पष्ट कहा है कि वह जांच आ जायेगी, न केवल पुलिस जांच हो रही है, उप जिला मजिस्ट्रेट भी इसमें जांच कर रहे हैं 176 के अन्तर्गत और उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हो गया है उसके रिश्तेदारों के कहने पर। तो उप जिला मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी आने के बाद मैं अपना अगला सारा तय करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें निष्पक्ष जांच की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, 18 और 19 मार्च को झालावाड़ में झालावाड़ महोत्सव मनाया गया। यह महोत्सव झालावाड़ हैरिटेज फाउंडेशन के

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

द्वारा, आरटीडीसी., आईटीडीसी., डायरेक्टर टूरिज्म और जिला प्रशासन, इन चारों की मदद से हर साल की भांति यह 18 और 19 मार्च को महोत्सव मनाया गया। अध्यक्ष महोदय, इस महोत्सव के लिए झालावाड़ हैरिटेज फाउंडेशन, जो कि झालावाड़ जिले के निवासियों की एक संस्था है, उसके द्वारा..

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पहले डिस्कस हो गया, चर्चा हो गयी है। इसको बार-बार उठाने से कोई फायदा नहीं है। यह आ चुका है आलरेडी और नियमों में व्यवस्था है कि जिस विषय पर एक बार डिस्कस हो गया हो, चर्चा हो गयी है, उसको दुबारा नहीं लिया जाये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोई डिस्कस नहीं हुआ है इस पर और न कभी आया है। यह मेरा एडजोर्नमेंट मोशन है, वह आज आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है और जब तक हाउस इन-आर्डर नहीं होगा तब तक मैं बोल नहीं पाऊंगा। मेरा अर्ज करना आपके माध्यम से यह है कि..

श्री कैलाश मेघवाल : दो मिनट ही बोलिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय पूरा करने दें। आप पूरा करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो मिनट, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो दो मिनट बोल लूंगा, नहीं बोलने देंगे तो कहता रहूंगा।

इस महोत्सव को मनाने के लिए झालावाड़ हैरिटेज फाउंडेशन को आईटीडीसी. के द्वारा, आरटीडीसी. के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा आर्थिक सहायता हमेशा से मिलती रही है। इसके अलावा भी हैरिटेज फाउंडेशन रामगंज मण्डी के खदान व्यापारियों, मंगलम सीमेंट, जेके.उद्योग, इनसे भी आर्थिक सहायता लेता रहा। निश्चित तौर पर जिस परपज के लिए यह फाउंडेशन बनाया गया वह बहुत अच्छा परपज था। यह भी स्वीकार करता हूँ कि पर्यटन के विकास के लिए ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता थी। इन्होंने 18 और 19 मार्च को जो महोत्सव मनाया, अध्यक्ष महोदय, उसके लिए जिलाधीश को अधिकार दिये गये कि वह एक कमेटी बनाये, जिलाधीश ने एक कमेटी बनायी जिसमें आफिसर्स के अलावा वहां की जो सांसद थीं, लोक सभा की सदस्या थीं..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां बिराजूं साहब, अभी तो चालू ही नहीं हुआ हूँ।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट के लिए ही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पूरी बात तो बताऊंगा साहब। उन्होंने एक समिति बनायी, समिति बनाकर उसकी बैठक की, झालावाड़ हैरिटेज फाउंडेशन की एक बैठक हुई और उस बैठक के अन्दर सारी कमेटी बनाकर के कामों का बंटवारा हुआ। 51 आदमी बाहर से बुलवाये गये जिनको कि डिग्निटरीज कहा जायेगा, जिनकी लिस्ट यह मौजूद है जिसमें कई एम्बेसेडर्स थे, कई इण्डस्ट्रियलिस्ट, कई लोग ऐसे थे जिनका कि पर्यटन के विकास से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन उन 51 आदमियों के ऊपर 91 हजार रुपये का खाने के खर्चे का बिल रखा गया, 51 हजार का बिल सिर्फ स्टेज की सजायी का रखा गया, 60 हजार रुपये का बिल कार्ड की और दीगर छपवाइयों का रखा गया। जिलाधीश को

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

शिकायत हुई कि इसमें गड़बड़ घोटाला है। जिलाधीश ने जांच की, पहली रिपोर्ट जो मुख्य मंत्रीजी को जिलाधीश ने भेजी तब तक कोई शिकायत नहीं की, उसमें उन्होंने कहा कि महोत्सव बहुत सफल रहा है, लाखों आदमियों ने देखा और सराहा। लेकिन जब शिकायतें पेमेण्ट के बाबत होनी लगीं तो जिलाधीश ने वहां पर जांच की। तत्कालीन जिलाधीश गिर्राज सिंह अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, समाप्त करें। माननीय हो गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां बिराजूं। वे लिखते हैं कि...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। रिकार्ड नहीं करें अब। अंकित नहीं करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। अमराराम जी। (व्यवधान) दो मिनट का मतलब दो मिनट ही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : दो मिनट नहीं, आप पूरे पांच मिनट बोले हैं। आप बिराजें। (व्यवधान) पांच मिनट बोले हैं आप। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) आप बिराजिये माननीय (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। **श्री अमरा रामजी (धोद)।** (व्यवधान)

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, कोई माननीय सदस्य जब दो मिनट का किसी प्रस्ताव को फरमाते हैं तो उनको तसल्ली से अपनी बात कहने की कृपा रखें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरे 7-8 मिनट बोले हैं। (व्यवधान) मेरे पास दो घण्टे में एक घण्टा तो रोज ऐसे ही हो जाता है आजकल। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : x x x

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात कह चुके हैं। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : x x x

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री शांति कुमार धारीवाल : x x x

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें। हो गया। **अब आप तो एक घण्टे तक इसी पर कहते रहेंगे, मेरे** पास समय नहीं है। श्री अमरारामजी। बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

---

x x x अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) आप विद्वान हैं तीन घण्टे में बात कह सकते हो लेकिन (व्यवधान) विराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराज जायें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री किशनगोपाल कोगटा : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय कितनी बार कहना पड़ेगा आपको। (व्यवधान) आप बिराजिये। शांतिकुमारजी धारीवाल, आप बिराजें। (व्यवधान) बिराजिये आप। पूरे 15 मिनट ले लिये हैं। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री बाबूलाल वर्मा : x x x

श्री अनंग कुमार जैन : x x x

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें। माननीय सदस्य, आप बिराज जायें। माननीय सदस्य बिराज जायें। श्री शांतिकुमारजी, मैं आपको नाम से पुकार रहा हूँ। आप बिराज जायें। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री शांतिकुमारजी धारीवाल, मैं आपको नाम से पुकार रहा हूँ। बिराज जायें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री बाबूलाल वर्मा : x x x

श्री अनंग कुमार जैन : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, बिराजिये। बिराजिये आप। श्री अमरारामजी। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अनंग कुमार जैन : x x x

श्री बाबूलाल वर्मा : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : x x x

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री बाबूलाल वर्मा : x x x

श्री अध्यक्ष : श्री धारीवाल साहब, बिराजिये आप। बिना नोटिस के किसी का नाम आया हो तो उसको निकाल दें आप। बिना नोटिस लिये किसी का नाम लिया है उसको निकाल दें आप। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : x x x

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें। आप बिराज जायें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : फिर आप कहेंगे कि जोर से बोल रहे हैं। अभी श्रीमती बीनाजी फिर खड़ी होकर कहेंगी कि आप जोर से कह रहे हैं। कैसे कहूँ कि आप बिराज जायें। (व्यवधान)

---

x x x अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री बाबूलाल वर्मा : x x x

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराजना चाहते हैं या नहीं ? मैं माननीय सदस्य आपको वार्निंग दे रहा हूँ। वार्निंग दे रहा हूँ कि आप बिराज जायें।

श्री बाबूलाल वर्मा : x x x

श्री शांतिकुमार धारीवाल : x x x

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी।..आप बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया और जिस पर आपने अनुमति दी है संगरिया, जो खाद्य मंत्री जी का गृह जिले का मामला है और जिस व्यक्ति ने प्रिया गैस एजेन्सी ले रखी है वह इतना प्रभावशाली है कि लोगों को लूटता रहे, जहां निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करने की बात है वहां पर 5 से 15 रुपये लेता रहे, ब्लैक में बेचता रहे और उसके लिए हनुमानगढ़ के जिला रसद अधिकारी अगर फूड कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं 3-1-1995 को कि इस एजेन्सी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति दी जाय। वह 4 महीने तक हमारे फूड कमिशनर उसकी अनुमति नहीं देते हैं और वह लूटते रहते हैं। जब एरिया मैनेजर को लेकर इस प्रकार की घटनाएं घटती रहीं और जहां 615 रुपये एक गैस कनेक्शन रिलीज करने में लेने चाहिये वहां 1300 और 2300 रुपये तक लिये गये, गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा देने को बाध्य करके देते रहे तो वहां के एरिया मैनेजर को लेकर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जिनमें कांग्रेस भी शामिल थी, भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी एरिया मैनेजर को लेकर इनके कारनामों को दिखाने के लिए जा रहे थे तब 61 सिलेण्डर गैस के खाली तथाकथित मैनेजर ब्लैक करने के लिए लेकर जा रहा था तब उनको एरिया मैनेजर के सामने पकड़ लिया गया..खाली थे, ब्लैक में खाली बेच रहे थे तब पकड़ लिया गया।..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आप इन्हें बोलने दें।

श्री अमराराम (धोद) : तब तथाकथित मैनेजर छोड़कर भाग गया। इस बात को लेकर संगरिया बन्द किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया, उसका लाइसेंस सस्पैंड किया गया है। लेकिन उस व्यक्ति को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमारी सरकार जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है, हमारे खाद्य मंत्रीजी विधान सभा में खड़े होकर कहते हैं कि हमारे पास शिकायत की जाय, हम एक्शन लेंगे लेकिन उनके फूड कमिश्नर 3 महीने तक एफ.आई.आर. दर्ज कराने की अनुमति मांगने के बाद भी नहीं देते हैं और केवल इसी बात को लेकर, मजबूर होकर संगरिया बन्द करना पड़ा और जिला रसद अधिकारी को वहां जाकर एफ.आई.आर. दर्ज करवानी पड़ी,.उसको सस्पैंड किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनता को राहत पहुँचाने के लिए ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त

---

x x x अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अमराराम)

हैं उनको अरेस्ट किया जाना चाहिये, जो गैस एजेन्सी है उसकी पूर्ण जांच की जानी चाहिये और ये जो गैस एजेन्सी है उसे उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए क्रय-विक्रय सहकारी समिति को दी जानी चाहिये। यही मुझे निवेदन करना है माननीय गृह मंत्रीजी और खाद्य मंत्रीजी से।

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान)... मैं जीरो आवर आज आगे नहीं चला सकता कल देख लेंगे। एक घण्टा पहले ही ले लिया है।...(व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको 4 दिन से लगातार जीरो आवर के लिये स्लिप दे रहा हूँ।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय सचेतक महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 4 माननीय सदस्य बाकी हैं, 31 स्लिप आ गयी हैं और सवा घण्टा इसमें हो गया है।

श्री विष्णु मोदी : आपने केवल एडजोर्नमेंट मोशन में दिया है।...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : आपने एडजोर्नमेंट मोशन में दिया है, जीरो आवर में मैं आपको पिछले 4 दिनों से लिख कर स्लिप दे रहा हूँ। आप देखिये...

श्री अध्यक्ष : कल भी बोले थे जीरो आवर में...आपने नहीं बोला होगा।

श्री विष्णु मोदी : नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपने यह ठान लिया है कि सरकार के भ्रष्टाचार के मामले यहां उजागर नहीं होंगे, मैंने आपको स्पेसिफिकली लिखकर दिया है कि पी.एच.ई.डी. में पाइप घोटाले के अन्दर इतना बड़ा घपला हुआ है, 10 आदमियों ने टेंडर दिये, 10 तारीख को खुले उसके अन्दर यह कहा, 2 लिफाफे मांगे...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुझे आपको अलाऊ करना होगा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी 2 मिनट बोलने का मौका दीजिये।

श्री विष्णु मोदी : करोड़ों रुपये पी.एच.ई.डी. में...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। 295. श्री रामस्वरूप जी। ...(व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी : इस तरह से सरकार के भ्रष्टाचार को... नहीं रोक सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : आप यह नियमों के अनुसार भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। यह अंकित नहीं होगा।

श्री विष्णु मोदी : x x x मैं धरने पर बैठता हूँ।

(श्री विष्णु मोदी, सदस्य सदन के आसद में (वैल में) धरने पर बैठे)

---

x x x अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आप आराम से बैठिये। यह तो तरीका नहीं हुआ। डेढ़ घण्टा तो हाउस को रोक रहे हैं और उसके बाद 295 श्री रामस्वरूप जी (व्यवधान) आप बिराजिये। श्री रामस्वरूप जी।

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है। फिर बार-बार कोई अंकित नहीं होगा अभी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित ही नहीं किया गया। बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप। अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री भंवरसिंह डांगावास : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। अंकित ही नहीं हो रहा है। आप बोले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, 295. पढ़ने दें उन्हें।

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री भंवरसिंह डांगावास : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री परसराम मोरदिया : x x x

श्री कालूलाल गुर्जर : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री कालूलाल गुर्जर : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। रामस्वरूप मीणा। (व्यवधान) बात हो गयी है। बिराजिये आप।

---

x x x अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट दीजिये। मैंने कल भी निवेदन किया है। सदन के सारे माननीय सदस्यों का प्रश्न है। मैंने निवेदन किया था कि पंचायत समिति की गाड़ियां विधायकों को 8 दिन के लिए दी जाती है, ऐसा राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। मेरा निवेदन करना यह है कि आज प्रधानों और एम.एल.ए. (व्यवधान) का विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए वे गाड़ियां जिला पूल से दिलायी जायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये। श्री रामस्वरूपजी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, ये बात सही कह रहे हैं कि बी.डी.ओ. कहता है कि कोई गाड़ी नहीं मिलेगी...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आप सरकार से बात करें।

श्री श्रवण कुमार : सरकार ही तो बैठी है और कौन बैठा हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय रामस्वरूपजी।

श्री श्रवण कुमार : क्या सरकार से बात करें ? बी.डी.ओ. अपनी मनमर्जी कर रहा है और सरेआम भ्रष्टाचार मचा रखा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये। श्री रामस्वरूपजी।

श्री श्रवण कुमार : बी.डी.ओ. ने सरे आम भ्रष्टाचार कर रखा है और प्रधानों को गाड़ी नहीं देते हैं और सरेआम ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। आज बहुत समय हो गया है। आप बोलने दें माननीय सदस्य को।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पंचायती राज कर्मचारियों की समस्याएँ

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के पंचायती राज कर्मचारियों के दुःख-दर्द प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत की समस्याओं के निराकरण के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

राजस्थान में पंचायत राज की स्थापना नागौर में हुई थी। लेकिन पंचायती राज कर्मचारियों की जो दयनीय स्थिति है ऐसी अन्य किसी की नहीं। इनके साथ भेदभाव एवं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पंचायती राज अधिनियम, 1959 से अब तक पंचायती राज प्रहरियों को राज्य कर्मचारी घोषित न करना तथा राज्य कर्मचारियों को आयु 40 वर्ष तक प्रशासनिक सेवा में प्रवेश की है। पंचायती राज कर्मचारी की आयु 33 के बाद आजीवन ही यह भेदभाव है। पंचायती राज का एल.डी.सी. एल.डी.सी. ही रहता है जबकि अन्य विभाग में ओ.ए. पर पहुंच जाता है। राज्य कर्मचारियों को गुजरात में कर्मचारी घोषित कर दिया पर राजस्थान में नहीं। यहां पदोन्नति नहीं हो रही है। इनको पंचायत समितियों में समय पर वेतन तक नहीं मिलता है।

अतः सदन का ध्यान राजस्थान के पंचायती राज कर्मचारियों की उपरोक्त समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (अनुपस्थित)। श्री एमादुद्दीन अहमद खान।

चयनित गरीब परिवारों को राहत

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, गरीबी रेखा से नीचे चयनित गरीब परिवारों को नवीन सूची बनाकर राहत देने हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु विशेष उल्लेख की सूचना नियम 295 के अन्तर्गत देना चाहता हूँ।

तिजारा विधान सभा क्षेत्र में किसानों की जमीनें वक्त-दर-वक्त रीको, हाउसिंग बोर्ड व अन्य एजेन्सियों द्वारा अवाप्त करने व बिजली की समस्या, बढ़ती जनसंख्या से सीमित होती काश्त की जमीनों के कारण गरीबी बढ़ रही हैं।

उक्त क्षेत्र की पंचायत समिति तिजारा एवं पंचायत समिति कोटकासिम के गरीब परिवारों की हालत काफी दयनीय हैं। छप्परों में भी निवास करने वाले अपने को काफी असुरक्षित मानते हैं, खासकर गर्मी के मौसम में होने वाली आगजनी की बढ़ती घटनाओं के कारण। उक्त क्षेत्र में गरीब परिवारों को घर भी नसीब नहीं हैं। इस क्षेत्र में गरीबों की सहायता हेतु चयनित परिवारों की सूची मार्च, 1992 में बनायी गयी थी। 1992 से अब तक काफी तब्दिलियां हुई हैं। काफी परिवार पूर्व में ही इस चयनित सूची में आने से रह गये थे। चयनित सूची में नाम के अभाव में इन्दिरा आवास योजना व अन्य सहायता योजनाओं का लाभ इन वास्तविक गरीब परिवारों को नहीं मिल रहा है, इनकी हालत दयनीय है। किसी भी प्रकार की केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की सहायता योजना का लाभ भी चयनित सूची में नाम के अभाव में इन परिवारों को नहीं मिल पा रहा है जो कि चिन्ता का विषय है।

अतः राज्य सरकार को तुरन्त नवीनतम चयनित परिवारों की सूची बनाकर गरीब लोगों को राहत देने के आदेश दिये जावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

अजमेर के विकास के प्रति सरकार की उदासीनता

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अजमेर के विकास की ओर दिखाये जा रहे उदासीन रवैये की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

रामायण, महाभारत और पुराणों में पुष्कर का उल्लेख इस शहर के ऐतिहासिक पक्ष को उजागर करता है। 13वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण होने से अजमेर विश्व विख्यात हुआ और आज भारत के संविधान की मूल भावना - धर्म निरपेक्षता का प्रतीक हैं।

राज्य के हर दृष्टि से प्रथम तीन शहरों में आने वाला अजमेर शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी है। देश के श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थाएं यहां विद्यमान हैं। हाल के वर्षों में अजमेर के हितों पर कुठाराघात कर राज्य के अन्य शहरों को ज्यादा तरजीह देना न्यायसंगत नहीं है।

देश के रेल्वे से सम्बन्धित ढांचे के लिए जानेवाला अजमेर आज मात्र एक साधारण दर्जे में आ गया है। रेलवे प्रशासन ने अजमेर के साथ अत्यन्त दर्दनाक सौतेला व्यवहार किया है। यदि ऐसा न होता तो

(श्री जगदीप धनखड़)

निश्चित ही अजमेर रेलवे की दृष्टि से देश में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता।

काफी लम्बे अर्से से अजमेर के ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व को दृष्टिगत रखकर यहां एक हवाई पट्टी की मांग पर राज्य सरकार का उदासीन रवैया एक चिन्ता का विषय है। अब इस ओर अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है।

देश का इतना महत्वपूर्ण शहर राजधानी से सुलभ तरीके से यातायात की दृष्टि से जुड़ा हुआ नहीं है। आवश्यकता है, अजमेर से दिल्ली एक अति विशेष रेल सेवा की जो इस क्षेत्र की वास्तविक हैसियत को दर्शावे। उच्च कोटि की शताब्दी सेवा से भी इसे जोड़ा जावे।

पर्यटन की दृष्टि से विशेष स्थान वाले अजमेर में विकास नगण्य है। अजमेर में राज्य सरकार द्वारा अपने दफ्तरों के पलायन की प्रवृत्ति पर भी अंकुश आवश्यक है।

अजमेर के साथ न्याय करने के लिए आवश्यकता है एक अजमेर विकास बोर्ड के गठन की, जो उच्च स्तर पर अजमेर के ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप विकास कराने में सहायक हों। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्रीमती इन्दिरा मायारामजी। (अनुपस्थित)। श्री शिवकिशोरजी सनाढ्य।

उदयपुर स्थित गुलाब बाग उद्यान की समुचित व्यवस्था और रख-रखाव

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सार्वजनिक निर्माण एवं उद्यान मंत्री महोदय का ध्यान उदयपुर स्थित गुलाब बाग उद्यान की समुचित व्यवस्था और रख-रखाव न होने के संबंध में आकृष्ट करने हेतु विशेष उल्लेख के मार्फत निवेदन है कि उदयपुर का एक प्रमुख उद्यान, जो कि ऐतिहासिक महत्व का भी है, गुलाब बाग के नाम से सुप्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक गुलाब बाग के विकास, इसके संरक्षण, रख-रखाव एवं अतिक्रमण रोकने के संबंध में प्रशासन पूर्णरूपेण उदासीन है, इस संबंध में जिला कलक्टर, उदयपुर की अध्यक्षता में कई बैठकें हो चुकी हैं, समितियों का गठन भी किया गया लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार और जनता एक ओर तो पर्यावरण को लेकर चिंतित है, दूसरी ओर जो महत्वपूर्ण उद्यान है वह उपेक्षा के कारण नष्ट होता जा रहा है। गुलाब बाग के अन्दर अनेक सरकारी विभाग हैं जिनके कारण आवागमन अवरूद्ध होता रहता है। उद्यान विभाग से संबंधित व्यक्ति यहां रहें या वन्य जीव संग्रहालय (जू) से संबंधित कर्मचारी रहें तो समझने वाली बात है लेकिन दूसरे व्यक्तियों के कारण बकरियां, कुत्ते, सूअर आदि विभिन्न पालतू एवं आवारा पशु भी घूमते-फिरते रहते हैं जो उद्यान को निरन्तर नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहां पर अतिक्रमण की समस्या भी भयंकर है।

(13.30)

(श्री समरथलाल मीणा, सभापति, पदासीन)

कुछ व्यक्तियों ने उद्यान के अन्दर कब्जे कर रखे हैं लेकिन जिला कलक्टर, पुलिस या सार्वजनिक निर्माण विभाग उन्हें हटाने में अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं। लगातार आश्वासनों के बाद भी आज तक उनके अतिक्रमण नहीं हटाये जा सके। धीरे-धीरे

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

उनके संबंधियों ने यहां कब्जे शुरू कर दिये हैं और डेरे डाल दिये हैं। चारदीवारी को तोड़ कर लोग निर्बाध रूप से आते-जाते हैं। स्थानीय प्रशासन एवं विभाग ने दीवार भी ऊंची कर दी, परन्तु दीवार को पुनः तोड़ दिया है। विभाग ने कुछ जगह पाइप लगाकर अवरोध भी खड़े किये हैं लेकिन धनाभाव के कारण दीवार पूरी नहीं होने से अवैध अतिक्रमण व आवागमन बंद नहीं हुआ है।

इस समय इसी उद्यान में निर्माण विभाग, जलदाय विभाग, उद्यान विभाग, वन एवं वन्य जीव प्रतिपालक विभाग, शिक्षा विभाग का सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय के अलावा भी कई छोटे-बड़े दूसरे कार्यालय चल रहे हैं। उद्यान की सुरक्षा, रख-रखाव, पर्यावरण सौन्दर्य तथा नागरिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है और इस उद्यान तथा जन्तुओं के रख-रखाव हेतु उनसे संबंधित व्यक्तियों के अलावा यहां से अन्य कार्यालयों को हटाया जाये, नाजायज कब्जा किये हुए को हटाया जाये, चारदीवारी का अधूरा कार्य पूरा कराया जाना बहुत आवश्यक है। अतिक्रमण को रोकने, गुलाब बाग का विकास करने और इसकी समुचित सुरक्षा करने के लिए माननीय उद्यान मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सभापति महोदय, इस बार जब प्रवास पर जाऊंगा, माननीय सदस्य भी मेरे **साथ होंगे और अधिकारी भी होंगे, सारी स्थिति को देखकर उद्यान की हालत को ठीक कराने का पूरा प्रयास किया जायेगा।**

श्री सभापति : श्री नाथूराम अहारी। (अनुपस्थित)।

श्री रामनारायण चौधरी (अनुपस्थित)।

श्री चुन्नीलाल धाकड़।

ओराई डेम (बेगूं) की डूब में आयी भूमि का मुआवजा

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय सभापतिजी, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ओराई डेम (बेगूं) की डूब में आयी भूमि का किसानों को मुआवजा दिलाने हेतु माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

ओराई बांध बने करीब पच्चीस-तीस वर्ष हो गये हैं। इस बांध में जिन किसानों की भूमि डूब में आयी है वे अनूसूचित जन जाति के गरीब काश्तकार हैं। लम्बे अरसे से उनकी मुआवजा राशि, जो करीबन पांच-छह लाख रुपये होती है, अटकी पड़ी है। किसानों की इसी पीड़ा की मांग को मैंने गत वर्ष सन् 94 में भी इसी सदन में उठाया था तब माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने मार्च, 94 में मुझे बताया था कि मार्च, 94 में ही भुगतान किया जा चुका है। जब मैं क्षेत्र में गया और किसानों को पूछा कि क्या मुआवजा का भुगतान हो गया है तो उन्होंने बताया कि उन्हें मुआवजा राशि नहीं मिली है।

मेरा माननीय सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध है कि जिन अधिकारियों ने मुआवजा **राशि भुगतान करने की गलत सूचना दी और मुआवजा राशि का भुगतान जान-बूझ कर नहीं किया, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। साथ ही उन गरीब आदिवासी किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र किया जाय।** धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी।

माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से खराब सड़कें व पुलिया

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : सभापति महोदय, नियम 295 के तहत माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से खराब हुई सड़कें व टूटी हुई पुलिया के पुनर्निर्माण की आवश्यकता व अन्य आवश्यक सड़कों के निर्माण बाबत निवेदन है कि इस क्षेत्र में भयंकर अतिवृष्टि से काफी सड़कें व पुलिया पूर्ण रूप से जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं। सिंगोली से त्रिवेणी चौराहा सड़क पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गयी है, इस पर मैनाली नदी पर बनी हुई पुलिया टूट गयी है, पुलिया नीची बनी हुई है जिस कारण प्रतिवर्ष यह पुलिया टूट जाती है। इसलिए इसका निर्माण इस तरीके से कराया जाये कि भविष्य में इस पुलिया को दुबारा क्षतिग्रस्त होने का मौका ना मिले। इसी प्रकार सवाईपुर से बडलियास सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो गयी है। आकोला के पास बनी हुई बनास नदी पर पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गयी है। यह पुलिया इस प्रकार बनी हुई है कि प्रति वर्ष इसके मोखों में कई गायें व अन्य पशु फंस कर मर जाते हैं। अतः इसका पुनः निर्माण कराना आवश्यक है व मोखों को चौड़ा करना भी अत्यावश्यक है। इसी प्रकार त्रिवेणी से काछोला, महुआ से धामनिया, त्रिवेणी से महुआ-श्यामपुरा-जलिन्द्री सड़क काफी क्षतिग्रस्त हुई है। बिजोलिया से भीलवाड़ा व बिजोलिया से बूंदी सड़क भी काफी क्षतिग्रस्त हो गयी है। सलावटीया से तिलस्वा-कास्या-गढ़ा सड़क विशेषकर तिलस्वा से बान्या का तालाब, गुढ़ा के बीच सड़क काफी क्षतिग्रस्त है। इस प्रकार अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। जिनकी अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। इनके अलावा अकाल राहत में बनी सड़क सवाईपुर से सोपुरा भी काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इन सड़कों को अविलम्ब पुनः मरम्मत निर्माण की आवश्यकता है।

इसके अलावा भीलवाड़ा से बेगूं मार्ग, जिस पर काफी बसें आती-जाती हैं, दान्थल-गेन्दलिया-जित्या तक डामर की सड़क नहीं है, जिस कारण से यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इसी प्रकार बिगोद से खटवाड़ा-जीवा खेड़ा सड़क भी खटवाड़ा से जीवा-खेड़ा तक बीच में कच्ची है, इस पर भी काफी बसें आती-जाती हैं। ये दोनों मार्ग महत्वपूर्ण बस रूट हैं, इनको डामर कराकर पूर्ण कराना अति आवश्यक है।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में निम्न पंचायत केन्द्र भी डामर की सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं। बड़ला, थलकला, इन दोनों की आबादी 1971 की जनसंख्या के अनुसार एक हजार से अधिक है। अतः बनका खेड़ा से बडला सोलंकियों का खेड़ा व एप्रोच रोड थलकला बनाने के आदेश प्रदान करायें। इसी प्रकार राजगढ़, गेंगा का खेड़ा, जालिया, कल्याणपुरा पंचायत केन्द्र भी डामर की सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। जे.आर.वाई. आरक्षित राशि द्वारा काछोला से राजगढ़-बिगोद से जालिया, कुडी से गेंगा का खेड़ा, नील की खेड़ी से कल्याणपुरा सड़कों पर ग्रेवल सड़क बना दी गयी है। गिट्टी रोड या तो पूर्ण हो चुका है या चल रहा है। अतः इन सड़कों पर साथ-साथ डामर कराने का आदेश प्रदान करा राहत प्रदान करायें। इनके अलावा आरोली, सुखपुरा, श्यामगढ़, रलायता, दौलपुरा, विकरण, जसूजी का खेड़ा आदि पंचायत केन्द्र भी डामर की सड़कों से जुड़े हुए नहीं है। अतः मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध में निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए अविलम्ब आदेश प्रदान करा जनजीवन को राहत प्रदान करायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री किशनाराम नाई।

डूंगरगढ़ (चूरू) में एल.एच.एन. स्कीम के तहत कृषि कनेक्शन

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ जिला चूरू के वर्ष 1993-94 के कोटे के एल.एच.एन.एल. स्कीम के तहत निम्नांकित ग्रामों के कृषि कनेक्शन हेतु आवेदकों ने डिमाण्ड राशि जमा करायी जिन्हें 31 मार्च, 1995 तक कनेक्शन दिये जाने थे परन्तु कनेक्शन नहीं दिये—

इम्पालसर (धायकान), बगासर, कितासर, लाखनसर, लाधडिया, रेवाडा, जोधासर, जालबसर, सूरजनसर तथा झनेऊ।

महोदय, इसी प्रकार वर्ष 1994-95 में निम्नांकित ग्रामों के कृषकों ने उपखण्डीय स्तर पर सामान्य कृषकों ने डिमाण्ड नोटिस के जरिए राशि जमा करायी जिन्हें 31 मार्च, 1995 तक कनेक्शन मिल जाने चाहिए थे परन्तु एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया।

लिखमीशर में 16, ठुकरियासर में 7, सांवतसर में 6, ऊपणी में 6, आडसर में 6, बीसर में 4, कोठासर में 2, दुलचासर में 2, अभयसिंहपुरा में 2, गुसाईशर बड़ा में 2, लोढेरा में 2, रिडी में 2, मोमासर में 3, बाना में 2, देराजसर में 2, लालासर में 2, गोपालसर में 3, जैतासर में 2, बाडेला में 1, पुनरासर में 1, उदासर चारनाम में 1, सतासर में 3, सूडसर में 1, केऊ में 1, नारसीसर में 1, धिरदेशन में 1, लिखमीसर में 1, लिखमीसर उतराद में 1, खालासर में 1 तथा कल्याणसर में 1।

महोदय, इस प्रकार इसी वर्ष में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के निम्नांकित ग्रामों के कनेक्शन होने अपेक्षित थे—

ठुकरियासर में 1, सांवतसर में 1, लालासर में 1, लिखमादेशन में 6, सतासर में 1 तथा जैतासर में 1

श्रीमान् एक अथवा दो पोल योजना के तहत निम्नांकित कृषकों ने डिमाण्ड नोटिस के जरिए राशि जमा करायी थी जिन्हें भी मार्च, 93 तक कनेक्शन मिलने चाहिए थे परन्तु आज तक नहीं मिले हैं—

ठुकरियासर में 4, लिखमादेशर में 3, दुलचासर में 2, सावंतसर में 4, उपणी में 1, गोपालसर में 1 तथा आडसर में।

इस प्रकार महोदय, कुल 128 जिनमें उपरोक्त सामान्य वर्ग के 94, एल.एच.एन.एल. के 4, अनुसूचित जाति व जनजाति के 11 तथा एक अथवा दो पाले के 19 कनेक्शन देने थे परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विद्युत के मामले में मेरे क्षेत्र को पिछड़ा रखा जा रहा है। प्रत्येक गरीब किसान ने 50 हजार से ढाई लाख तक की राशि इसी आशा में जमा करायी कि उन्हें मार्च, 95 तक कनेक्शन मिल जायेगा परन्तु नहीं मिला इससे यह साबित हो रहा है कि मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय तथा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उक्त ग्रामों के आवेदन पत्रों की सूची सदन के पटल पर रख रहा हूं। आशा है, मंत्री महोदय, गौर करके इन्हें कनेक्शन तत्काल जारी करने का आदेश करेंगे।

उप पंजीयक, झालावाड़ द्वारा रजिस्ट्रियों में अनियमितता

श्री सभापति : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झालावाड़ जिले के उप पंजीयकों द्वारा किसानों की जमीन की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री के दौरान जो अनियमितता बरती जा रही है इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, झालावाड़ जिले में खरीफ की फसल लेने के बाद यदि पिछली बरसात हो जाती है तो किसान अपने असिंचित खेतों में विशेष तकनीक द्वारा बरसात का पानी खेत में ही रोककर जमीन के अन्दर उतार लेता है और फिर बाद में उस खेत में गेहूं, चना, धनिया, सरसों आदि की बुआई कर फसल पैदा करता है, इसे उन्हालू की फसल कहते हैं जो बिना सिंचाई के ही पैदा की जाती है। पटवारी ऐसे खेतों को गिरदावरी के दौरान खसरा टीप में सिंचित दर्ज कर देता है जबकि खेत पर न कोई कुआं, न कोई अन्य स्रोत सिंचाई का होता है। ऐसी जमीन को जब किसान बेचता है या खरीदता है तो उस जमीन को सिंचित भूमि मानकर भूमि की दर निश्चित की जाती है और इसी हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगती है जो असिंचित भूमि की लगभग डेढ़ी होती है जबकि जमीन असिंचित ही होती है। इस तरह से किसान को अकारण ही रजिस्ट्री के दौरान आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि तहसीलदारों को पाबन्द कर निर्देशित करें कि खेतों पर सिंचाई का कोई स्रोत उपलब्ध हो तभी सम्बन्धित खेत को सिंचित इन्द्राज करें। बरसात के पानी से यदि किसान अपनी मेहनत से अपने खेत में दो फसल ले लेता है तो उसे सिंचित नहीं माना जाय और न ही रेकार्ड में सिंचित दर्ज किया जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति : डाक्टर जितेन्द्रसिंह।

खेतड़ी (झुंझुनूं) में बिजली एवं पेयजल समस्या

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी (झुंझुनूं) की बिजली एवं पेयजल सम्बन्धी विकट समस्याओं के सम्बन्ध में उनके निराकरण हेतु विशेष उल्लेख के जरिए माननीय विद्युत मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा।

महोदय, खेतड़ी में गत एक वर्ष में एक ही कृषि कार्य हेतु इस क्षेत्र में कोई सिंगल पोल कृषि कनेक्शन नहीं दिया गया है। एक व्यक्ति के कनेक्शन के कोर्ट-स्टे के कारण करीबन 80 उपभोक्ताओं को कनेक्शन से वंचित रहना पड़ रहा है। अतः माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त रोके गये एक कनेक्शन को छोड़कर शेष 79 कनेक्शन वितरित कराये जाने का कष्ट करें। गत 6 वर्षों से स्वीकृत 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन सेपरा ग्वार का निर्माण कार्य तुरन्त प्रारम्भ करवाने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की निम्न समस्याएँ हैं—

1. नंगली सेलेदी सिंह में तुरन्त 33 के.वी. का ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने का कष्ट करें।

(डा. जितेन्द्रसिंह)

2. बीलचा पंचायत को नवगठित एईएन. आफि, सुल्ताना के स्थान पर खेतड़ी के अन्तर्गत ही रखा जाय क्योंकि सुल्ताना करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर है।

3. ग्रामीण क्षेत्र में डी.एल. के कनेक्शन तुरन्त जारी किया जाना आवश्यक है। जैसे ग्राम ढेराचाला, ताल बाखूंटी आदि।

महोदय, इसके अतिरिक्त गत 6 वर्षों से निर्मित पानी की करीबन एक दर्जन टंकियों को तुरन्त सम्बन्धित ट्यूबवैलों से जोड़कर शुरू करवाने का कष्ट करें, इसमें पानी की टंकियां जैसे—बीलवा, सेंफराग्वार, माधोगढ़, कालोटा, दूधवा, बबई, शिमला, बेसरडा, जमालपुर एवं जेसरापुर आदि। ग्राम डोसी में हरियाणा से पानी लाना पड़ता है। कृपया तुरन्त जलदाय योजना डोसी एवं कांकरिया ग्रामों के लिए जलदाय योजना स्वीकृत कराने का कष्ट करायें। खेतड़ी हेतु स्वीकृत 4.50 करोड़ की योजना को तुरन्त प्रारम्भ करवाने का कष्ट करें क्योंकि खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के कारण खेतड़ी व गोठड़ा का पानी दूषित हो रहा है जिससे यहां पानी में फ्लोराइड का प्रतिशत 6.5 है लेकिन फिर भी लोग मजबूरी में पी रहे हैं। कंटिंजेंसी प्लान में एक वर्ष पूर्व खोदे गये 30 नये हैण्ड पम्प बगैर फिटिंग के अधूरे पड़े हैं उन्हें तुरन्त शुरू कराया जाय। यह पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां हैण्ड पम्प की कमी को देखते हुए 50 नये हैण्ड पम्पों की स्वीकृति जारी कराकर इस क्षेत्र की ग्रामीण जनता को राहत पहुंचाये। धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री रामपाल उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा तहसील के आमली ग्राम में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे के सम्बन्ध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। (अनुपस्थित)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री अमराराम (धोद), सदस्य, विधान सभा सहकारी भूमि विकास बैंक, सीकर के अध्यक्ष द्वारा कथित अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : सहकारिता मंत्री जी है कहां ?

श्री सभापति : सदन में मौजूद हैं।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय सभापति महोदय, आप सहकारिता मंत्रीजी को प्रताड़ित करें कि वह अपनी जगह पर रहें। इस तरह हाउस में कहीं इधर उधर घूमते हैं।

सीकर भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष द्वारा कथित अनियमितताएं

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 131 के तहत सहकारिता मंत्रीजी का सीकर भूमि विकास बैंक के चेयरमेन और बैंक द्वारा किये गये घोटालों की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण किया है उसके तथ्य निम्न प्रकार से हैं :—

सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल सदस्यों के लिये निरर्हता सम्बन्धी प्रावधान राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 34 में दिया गया है। बैंक के उप नियम संख्या 26 के अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल 3 वर्ष का है। अधिनियम में वर्णित निरर्हता में 6 वर्ष या दो टर्म्स से अधिक संचालक मण्डल के सदस्य नहीं रहने बाबत निरर्हता भी अधिनियम की धारा 34 (7)(क) में वर्णित है लेकिन इनमें योग्यता का निर्धारण करने की शक्ति रजिस्ट्रार में निहित होती है, जिसकी अपनी प्रक्रिया निर्धारित है।

जहां तक श्री संतोष महरिया का प्रश्न है, श्री संतोष महरिया सीकर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक में दिनांक 1-1-92 से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं एवं संचालक का तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। स्वीकृति भी की गयी है। दुबारा ऋण वितरण में की गयी अनियमितताओं के आरोप की जांच के लिये, जांच करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। राज्य सरकार की जानकारी में मामला आने पर विषयान्तर्गत समुचित कार्यवाही की जा चुकी है। अत: यह मामला लोक हित का नहीं रह गया है।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, जब तक मैंने नियमों के विरुद्ध यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं लगाया था यह विभाग सो रहा था। सहकारिता नियमों के बावजूद 7 महीने तक यह सरकार सोती रही। वह बैंक जो सीकर जिले के किसानों का बैंक है, उसका मिसयूज होता रहा। अपने परिवार के लोगों को बेनिफिट देते रहे और आज भी, जिन किसानों के बारे में यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने लगाया था उसके बाद आपने उसको हटाया है लेकिन पहला प्रश्न मेरा यह है कि 7 महीने, नियमों के विरुद्ध यह संचालक मण्डल रहा, जिसमें सरकार ने उसका पीरियड भी नहीं बढ़ाया। इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? दूसरा है कि जिन किसानों को, आपने इसी विधान सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 28 में मेरे को उत्तर दिया कि सीकर भूमि विकास बैंक में फाइलें वरीयता के आधार से स्वीकृत की जा रही हैं। मैंने बाकायदा आपको ध्यान आकर्षण के समय एक लिस्ट दी थी कि जो 94 के छठे महीने से, ग्याहरवें महीने से पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद भी वरीयता से आगे आने वाली फाइलें जो उनके कन्सर्न, उनके परिवार के, उनके चचेरे भाई हैं, उनके सगे भाई हैं उनकी फर्म से सम्बन्धित तमाम फाइलें, इनके बाद भी क्रम के बाद भी आने वालों को उन्होंने स्वीकृत कर दिया। वहां के किसानों ने बार-बार विभाग और मंत्रालय तक शिकायतें भेजीं लेकिन वे फाइलें उस अध्यक्ष को हटाये जाने के बाद भी आज तक स्वीकृत नहीं हुई हैं तो ये किसान जिनको नियम विरुद्ध रखा गया, अनलॉफुली अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया गया, इसमें आप क्या करेंगे और इन किसानों को कब तक ये पत्रावलियां स्वीकृत करके लोन मिल जायेगा।

तीसरा, जो नियम विरुद्ध इन्होंने छह साल तक अपने सगे भतीजे राजेन्द्र महरिया को नियमों के विरुद्ध जो एक एल.डी.सी. है, बाइ-लॉज के अनुसार ऋण का इंजार्च नहीं हो सकता है, उसके बावजूद भी उसको इंजार्च

(श्री अमराराम)

रखा। सब बीमारियों की जड़ और आपके जो अधिकारी यहां से गये हैं उन्होंने जो निर्देश दिये हैं इसके बावजूद भी उसको नहीं हटाया गया तो विभाग इन पर क्या कार्यवाही करेगा ? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

श्री सुजानसिंह यादव : सभापति महोदय, प्रथम बिन्दु माननीय सदस्य ने उठाया है कि महरियाजी का कार्यकाल 9-1-95 को समाप्त हो चुका था, मगर राज्य सरकार की तरफ से जब तक कोई चुनाव न हो 6-6 महीने का समय बढ़ाया जाता है उसकी अवधि 30-6-95 तक थी। मगर यह बात बिलकुल सत्य है कि इस तरह की कई दरख्वास्तें, ये इतनी दरख्वास्तें आयी हैं उनके खिलाफ हमने टाइम-टू-टाइम, समय-समय पर इन दरख्वास्तों पर कार्यवाही शुरू की। लास्ट में एक दरख्वास्त आयी जिसके अन्तर्गत हमने पहले ही वह चालू कर दी थी। इस दरमियान माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रख दिया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आने के बाद और यह इन्क्वायरी पूरी होने के बाद हमने इस बात की तत्काल कार्यवाही की कि उस संचालक मण्डल को भंग कर दिया। उसकी जगह एडीएम. (विकास) को हमने प्रशासक नियुक्त कर दिया और उन्होंने चार्ज भी ले लिया।

माननीय सदस्य ने दूसरा यह प्रश्न रखा कि कोई राजेन्द्र महरिया नाम के व्यक्ति हैं। वे व्यक्ति उसी बैंक में हैं। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका भाई है ? मगर हमारी जानकारी में उनके खिलाफ जब बात आयी और एप्लीकेशंस आयीं, आवेदन-पत्र आये। हमारी नॉलेज में आया, उसके तुरन्त बाद उस सीट से तो उसको हटा दिया। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि वह ही बैंक का कर्त्ताधर्ता है, उस सीट से हटा दिया और उसको एक नोटिस दे दिया। हमने इस आधार पर नोटिस दिया कि आपके खिलाफ ये शिकायतें हैं कि आप मनचाहे व्यक्ति को लोन स्वीकृत कराते हो और मनचाहे व्यक्ति को लोन स्वीकृत नहीं कराते हो। उसके परिवार की जानकारी तो हमको अब मिली कि इनके परिवार का सदस्य है। इसलिये उस सीट से तो उसको हटा दिया, जहां वह कार्य करता था। अब हमने उसके खिलाफ इन्क्वायरी शुरू कर दी। हमारी ओर पूरे बोर्ड की धारा 70 के अन्तर्गत हमने इन्क्वायरी चालू कर दी है। इन्क्वायरी के फैक्ट्स जब सामने आयेंगे, तभी मैं यह कह सकूंगा कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। यदि इस दरमियान 5-10 दिन में कहीं राजेन्द्र महरिया दोषी मिला तो हम उसके खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय से मेरा निवेदन यह है कि जिन किसानों को वरीयता लांघने के बाद भी स्वीकृति नहीं मिली है (व्यवधान) एक मिनट, जिनको बोर्ड के सामने उस ऋण प्रभारी ने रखा ही नहीं, इससे बड़ी गफलत की बात और क्या हो सकती है कि जिस व्यक्ति को (व्यवधान)

श्री सभापति : उसे सीट से हटा दिया।

श्री अमराराम (धोद) : जिन पत्रावलियों को उसने अपने पास रखा जबकि मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं कि वरीयता के क्रम में फाइलें बोर्ड के पास रखी जाती हैं, अब यह बात अलग है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसने क्यों नहीं इन फाइलों को, अगर इनमें ऑब्जेक्शंस थे तो प्राथमिक ब्रांच ऑफिस में उनको ऑब्जेक्शन लगाकर के वापस भेज देना चाहिए था। न तो उस ऋण प्रभारी ने उन

(श्री अमराराम)

फाइलों को ब्रांच ऑफिस में भेजा और न सैक्रेटरी के पास रखा। फिर भी हमारे मंत्रीजी यह कहें कि उसकी जांच कर रहे हैं। दूसरा यह है कि जिन किसानों की वरीयता लांघकर बाकी की दे दी गयी, जिनको रख दिया गया, नियम विरुद्ध, अनलॉफुल कार्य कर दिया गया उनको अब कब तक आप लोन स्वीकृत कर देंगे ?

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुजानसिंह यादव : सभापति महोदय, 50 फाइलों का जिक्र किया गया है। 50 फाइलों में से उनकी विगत इस तरह से है। 2 फाइलें तो अवधि पार थीं, अवधि पार लोन बकाया था, उसको लोन नहीं मिल सका। 13 फाइलें थीं, उन पर आक्षेप थे। आक्षेप पूरे नहीं कर पाये, ऋण लेने वाले लोग। 28 फाइलें ऐसी थीं राजेन्द्र महरिया ने उन फाइलों को दबाकर रख लिया। एक फाइल स्वीकृत हो गयी। पत्रावलियों में 4 फाइलें जमा ही नहीं हो पायीं। जांच में यह मालूम पड़ा कि 4 पत्रावलियां तो जमा ही नहीं हो पायी और एक फाइल का भुगतान होगा। एक फाइल बिजली कनेक्शन के अभाव के कारण रह गयी। इस तरह से 50 फाइलों का निस्तारण तो हुआ। जहां तक सवाल इस बात का है और प्रश्न उठा है इस बात का कि हमने जानकारी हासिल की, जहां से यह तथ्य सामने आये कि यह बात सही है रामेश्वर महरिया और दूसरे अध्यक्ष हैं, उनकी तीन फर्में हैं वहां पर। तीन फर्मों में 217 फाइलें तो 53.85 लाख की है। मैसर्स शांति सेल्स कॉरपोरेशन की 92 फाइलें हैं 22.69 लाख और इंडिया ट्रेडर्स की 118 फाइलें थी 37.19 लाख की, इस तरह से 427 फाइलों का डिस्पोजल तो उन्होंने इस तरह से किया। कुल अमाउण्ट 113.73 लाख का है। बाकी फाइलों का निस्तारण किस आधार पर, 33 फर्मों द्वारा 644 फाइलों का निस्तारण किया—166.80 लाख का। अब माननीय सदस्य कुछ फाइलें और बता रहे हैं तो वे कौनसी फाइलें ऐसी हैं, आप बतायें कि उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, उस पर एक्शन ले लिया जायेगा। जांच चल रही है और उस जांच के आधार पर यदि कोई गलती हुई है तो विभाग उनकी मदद करेगा।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि मंत्री महोदय को मैंने 54 फाइलों की लिस्ट दी थी और आप 50 बता रहे हैं। मैंने 54 की लिस्ट दी है—

श्री सुजानसिंह यादव : चार फाइल तो जमा ही नहीं हुई।

श्री अमराराम (धोद) : दूसरी अब कौनसी लिस्ट बता रहे हैं? मैंने जो लिस्ट दी है वह 54 की दी है।

दूसरा, मंत्री महोदय, आप खुद यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि 28 फाइलें राजेन्द्र महरिया ने दबा कर रख लीं, क्या यह नियम के पक्ष में था और फिर भी आप कह रहे हैं कि जांच होगी, उसके बाद उसको सस्पैंड करेंगे। उस सीट से हटा दिया, उसी बैंक में रहेगा। मतलब 28 फाइलें दबा कर रख लीं, यह जो फाइलें हैं, इनको वहां, खुद मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं कि इनकी जो कन्सर्न्ड परिवार की फर्में हैं, 80 प्रतिशत फाइनेंस उनके यहां हुआ है, इससे बड़ा सबूत मैं समझता हूं कि कोई हो नहीं सकता और जहां सहकारिता को यहां इस राजस्थान का विकास का केन्द्र होना चाहिये वहां यह परिवार सहकारिता पर धब्बा है। इसके चाचा रामेश्वर महरिया ने दो करोड़ रुपये का को-आपरेटिव बैंक में घोटाला किया

(श्री अमराराम)
है और जांच में जो प्रूव हो गया है...(व्यवधान)...

श्री सभापति : जांच चल रही है, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं-नहीं, वह दूसरी है। इसमें यहां 28 फाइलों को दबा लिया गया। यहां 80 प्रतिशत केवल उनके परिवार से सम्बन्धित फर्मों की फाइलें हुई हैं, बाकी कोई फाइल आती है, तो यहां तो मैं समझता हूँ कि सहकारी बैंक सहकारिता नहीं महरिया कन्सर्न्ड का बैंक हो गया और उनकी मर्जी आये जिनकी शेयर पूंजी लगी हुई है, सीकर जिले के किसानों का सबसे बड़ा घोर अपमान हुआ है और मैं समझता हूँ कि उनको जितनी गति से अभी, मेरा यह कहना है कि मंत्री महोदय शायद उसको बचाना चाहते हैं। खुद स्वीकार करने के बाद भी कि 28 फाइलों को राजेन्द्र महरिया दबा कर बैठ गया, उनको न जांच में भेजा, न सैक्रेटरी के पास रखा और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि उसकी जांच होगी। कैसे जांच होगी ? मैन-मैन जो लिस्ट दी है, आपने कहा है कि जिनकी पूर्ण नहीं थी उनको वापस भेजना चाहिये था...

श्री सभापति : कृपया, मंत्रीजी को सुनिये।

श्री सुजानसिंह यादव : सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से यह निवेदन किया है कि 28 फाइलों की बात तो मैं स्वीकार करता हूँ। 28 फाइल उसने दबा कर रखीं और हमारे नोटिस में आयीं। हमने पहले उसको उस सीट से हटा दिया और उसको नोटिस दे दिया। इसी आधार पर नोटिस आयेगा जब ही तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। उसमें कोई दो-चार वर्ष तो लगेंगे नहीं, दस-पांच दिन लगेंगे...

श्री अमराराम (धोद) : 28 फाइल तो दबा दी।

श्री सुजानसिंह यादव : आप और चाहते क्या हो हमसे ? हमने तो इस मामले में पूरी चीरफाड़ कर दी। पूरा पोस्टमार्टम कर दिया और क्या चाहते हो हमसे ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप 100-100 रुपये की 28 फाइलें तो हटा सकते हो और अलवर जिले...(व्यवधान)...

श्री सभापति : उत्तर पर्याप्त है, बिराजिये। माननीय मंत्रीजी, बिराजिये।

श्री सुजानसिंह यादव : उस बात को आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ...

श्री सभापति आप बिराजिये।

श्री सुजानसिंह यादव : सभापति महोदय, मैं विधान सभा में आया राजस्थान की सेवा करने के लिये। मेरा दर्द है राजस्थान की सेवा करने का...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह (महुआ) : अलवर में तो कर दी 75 लाख की सेवाएं...(व्यवधान)...

श्री सुजानसिंह यादव : और मेरे सार्वजनिक जीवन में यदि कोई व्यक्ति यह धब्बा बता दे तो मैं सभापति महोदय के सामने खड़ा हुआ हूँ, अभी तत्काल इस्तीफा देने के लिये तैयार हूँ।

श्री अमराराम (धोद) : जो खा रहे हैं उनका इस्तीफा ले लें आप।

श्री सुजानसिंह यादव : सभापति महोदय, मैंने कह दिया...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके लिये नहीं कह रहे हैं।

श्री सुजानसिंह यादव : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ

(श्री सुजानसिंह यादव)

और मैं इस विधान सभा के आज के वातावरण से इतना दुःखी हूँ कि इस विधान सभा में बेइज्जती करने के लिये आते हैं, बेइज्जती सहने के लिये आते हैं ? हम अपनी छवि को सुधारने के लिये आते हैं। राजस्थान हमारी छवि को देखे और आपको मालूम होगा कि इस बार मैं निर्दलीय जीत कर आया हूँ और दो बार आपके साथ विधायक रहा हूँ अगर मेरी यह साख नहीं होती तो मैं जिन्दगी में जीत कर नहीं आ सकता था। आप मेरे पर लांछन लगाते हो...

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, आप पर नहीं लगा रहे हैं।

श्री सुजानसिंह यादव : मेरी कार्यशैली से लोग दुःखी हैं। मैं नहीं चाहता कि बेईमान आदमी सहकारिता में रहे। इसी के आधार पर 14 व्यक्तियों को मैंने घर बिठाया... (व्यवधान)... 14 व्यक्तियों को मैंने, उनकी फाइल देखी है और फाइल देख कर यह कल्प्रीट हैं, यह अपराधी हैं, इनको घर भेज दिया। मैं एक सुधार करना चाहता हूँ को-आपरेटिव में, आप लोगों का यदि सहयोग रहा तो, अकेला सुजानसिंह कुछ नहीं कर सकता। मेरी एक टीस है, मैं किसान से सम्बन्धित व्यक्ति हूँ और किसान से सम्बन्धित व्यक्ति होने के कारण मैं किसान के साथ धोखा नहीं होने दूंगा, किसान को लुटने देना नहीं चाहता, किसान के साथ बेईमानी होने देना नहीं चाहता। मैं यह चाहता हूँ कि सहकारिता विभाग में कुछ सफाई हो, निष्पक्ष फैसले हो, इस आधार पर मैं विधान सभा में निर्वाचित होकर आया हूँ इसलिये राजस्थान की जनता की सेवा निःस्वार्थ भाव से करना चाहता हूँ। यह हमेशा के लिये मेरा दृढ़ निश्चय है। आज कहते हैं कि 75 लाख, 75 लाख से कोई सम्बन्ध ही नहीं है, मेरा लेना-देना नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिस आदमी को आज मैं इस विधान सभा में कह नहीं सकता आप मुझसे अलग से बात कर लें, मैं सही हूँ कि और लोग सही हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, आपके लिये थोड़े ही कह रहे हैं, आपके ऊपर आरोप नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपके खिलाफ आरोप नहीं है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुजानसिंह यादव : आप सुनना नहीं चाहते किसी की बात। मान लीजिये उस व्यक्ति ने 75 लाख रुपये...(व्यवधान)...

श्री सभापति : मंत्री महोदय, यह प्रसंग नहीं है, आप विराजिये।

श्री सुजानसिंह यादव : प्रसंग ऐसा आ गया, मैं बता रहा हूँ, सफाई पेश कर रहा हूँ सभापति महोदय,... (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री मदन मोहन, सदस्य, विधान सभा अलवर स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

अलवर स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से फैल रहा प्रदूषण

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत अलवर स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में पर्यावरण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका नम्बर 4677/85 श्री एम.सी.मेहता बनाम भारत सरकार व अन्य पर दिनांक 24.3.1995 को यह आदेश दिया है कि दिल्ली और उसके आस-पास धूल के कणों का इतना बाहुल्य है कि यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर है। प्रदूषण के अनेक कारण हैं जिनमें वाहन प्रदूषण भी शामिल है परन्तु करीब 30 प्रतिशत प्रदूषण उद्योगों द्वारा किया जा रहा है, हालांकि इस प्रदूषण में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी महत्वपूर्ण योगदान है जो यमुना नदी को प्रदूषित कर रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि 8378 उद्योग गैर औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, यह सभी इण्डस्ट्रीज हानिकारक एवं खतरनाक हैं। इन उद्योगों में वृहत एवं बड़े उद्योग भी शामिल हैं, इन 8378 उद्योगों के अलावा 256 अन्य उद्योग भी हानिकारक व खतरनाक किस्म के हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने इनके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के उद्योगों को वर्णित किया है जो वायु/जल प्रदूषण फैलाने में लगे हुए हैं। यह सभी उद्योग देहली मास्टर प्लान जो प्रथम बार 1962 में और द्वितीय बार अगस्त, 1990 में तैयार किया गया, उसके अनुसार कार्यरत नहीं है। मास्टर प्लान में उद्योग कहां पर स्थापित हो, इसके लिये स्थान निर्धारित होता है और इस प्रकार के उद्योग घोषित क्षेत्रों में ही स्थापित किये जा सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय प्रदूषण मण्डल को यह निर्देश दिये हैं कि उपरोक्त प्रकार के सभी उद्योगों को मास्टर प्लान के अनुसार अन्यत्र निर्धारित क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने हेतु 30 अप्रेल, 1995 तक प्रत्येक उद्योग को अलग-अलग नोटिस दिया जाये। यह भी स्पष्ट किया है कि उन उद्योगों को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर-अन्दर अगर उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति है तो वे सचिव, पर्यावरण, नई दिल्ली को प्रेषित कर सकते हैं। उद्योगों को यह भी मौका दिया है कि वे अन्यत्र स्थापित होने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का भी सहयोग ले सकते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय को यह भी निर्देशित किया है कि इस आदेश से सम्बन्धित नोटिस को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को भी उनके मुख्य सचिवों के माध्यम से भिजवाया जाये। राजस्थान प्रदेश में इस प्रकार का कोई उद्योग स्थानान्तरित होकर आता है तो उसका समस्त पर्यावरण पहलुओं से अध्ययन कर पर्यावरण की सुरक्षा हेतु सभी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी।

मैसर्स श्रीराम फाइबर्स एवं मैसर्स मोदी एल्कलीज, दोनों उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उपकरण लगा रखें हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इन उद्योगों की बराबर मोनीटरिंग की जाती है, इसके अलावा मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स द्वारा किसी प्रकार की दुर्घटना आदि न घटे और गैस आदि का लीकेज न हो, उसके लिए सुरक्षात्मक कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा मैसर्स केडिया समूह उद्योग की स्थापना अभी प्रारम्भिक स्तर पर है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना का दायित्व अभी सिर्फ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल व देहली प्रशासन को करना है और जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, इस विभाग को

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

नोटिस प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में सरकार के उच्च स्तर पर वे सभी ठोस कदम उठाये जायेंगे ताकि प्रदेश का पर्यावरण प्रदूषित न हो।

श्री मदन मोहन : सभापति महोदय, पर्यावरण मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वह पूर्णतया गुमराह करने वाला है। जिस तरह से सरिस्का के अन्दर अभी करीब 20 दिन पहले मीटिंग हुई है उसमें 9000 इकाइयों को स्थापित करने के लिए अलवर जिले को ही चुना गया। अलवर जिले में करीब 3000 औद्योगिक इकाइयां इस समय कार्यरत हैं जिनमें से बहुत सी इकाइयां तो ऐसी हैं जिनमें करीब 5 वर्ष में 10 बार गैस लीक हो चुकी है लेकिन पर्यावरण विभाग ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। श्रीराम फाइबर्स में 5 वर्ष के दौरान 10 बार गैस लीक हुई है लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी और यहां के पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है और कुछ प्राइवेट एजेन्सियां भी ऐसी होती हैं जो अनापत्ति प्रमाण-पत्र देती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मोदी एल्कलीज जिसमें तेजाब बनता है, उसके चारों तरफ करीब दो-दो किलोमीटर में उस तेजाब की वजह से खेती नहीं होती और इसकी वजह से यदि कोई गलती से भी वहां पर कुछ बो भी देता है तो वह जल जाती है तेजाब से। वहां तेजाब लीक होता है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह इन दोनों कम्पनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?

दूसरा, जितनी भी क्रेशर की मशीनें अलवर जिले में कार्यरत हैं वह मुख्यतया मैन रोड पर ही लगी हुई हैं। रात्रि के समय जब वहां से निकलते हैं तो इतना प्रदूषण होता है कि रात्रि के समय उस रोड को क्रॉस नहीं किया जा सकता है और इससे कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं लेकिन पर्यावरण विभाग ने कभी भी इसके बारे में कोई सजगता से प्रयास नहीं किया।

इसी प्रकार से जो केडिया ग्रुप के बारे में कहा गया है, वहां करीब 267 एकड़ भूमि इस बार ली गयी है। वहां जो झील है, मैंने प्रश्न भी पूछा था, तो इसके बारे में कहा कि वहां पर कोई झील नहीं है जबकि वहां पर झील है और उस झील के विकास के लिए करीब 10 करोड़ रुपये अभी 1993 में दिये गये। उस झील में करीब 7.5 किलोमीटर की नहर निकाली गयी और उस झील से करीब 267 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। लेकिन उस झील के विकास के लिए फ्रांस की एक कम्पनी थी, उसने वहां पर गोल्फ का मैदान और एक पर्यटन स्थल बनाने की योजना बनायी लेकिन सरकार ने उसको अनुमति देने से मना कर दिया, सिंचाई विभाग ने मना कर दिया लेकिन इस बार जब शराब का कारखाना लग रहा है उससे राजस्थान सरकार का पर्यावरण खराब नहीं होगा, सुधर रहा है। कारण यह है कि वहां पर जितने भी लोग जो दलाली के धन्धे में लिप्त हैं उन्होंने उस उद्योग की स्थापना के लिए वहां के लोगों की जमीन को डायरेक्ट खरीदा और जमीन को खरीद करके अपने माध्यम से उस केडिया ग्रुप को दिया जिसमें करीब लाखों रुपये का घोटाला है। लेकिन उन किसानों को गुमराह कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि जो शराब का कारखाना वहां पर लग रहा है और एक शराब का कारखाना वहां पर पहले लगा हुआ है, न तो उसकी कोई परमिशन ली गयी,

(श्री मदन मोहन)

न एन.ओ.सी. ली गयी लेकिन वह चालू हालत में है, उसके बाद में यह केडिया ग्रुप वाला है। यह भी उस झील के बीचों बीच अपना शराब का कारखाना लगाना चाहता है जिसको प्रति घंटे के हिसाब से डेढ़ लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी और वहां किसानों को जो सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होगी कहां से पूरी होगी ? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सिंचाई विभाग ने इस प्रकार की कोई एन.ओ.सी. नहीं दी तो पर्यावरण विभाग की तरफ से आप भी अनापत्ति प्रमाण जारी न करें और इस प्रकार के जो अलवर जिले के पर्यावरण को नष्ट करने वाली इकाइयां हैं, उस प्रकार की इकाइयां स्थापित न होने दें।

सभापति महोदय, पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या पर्यावरण विभाग जयपुर में भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर रहा है कि जितने भी टैम्पू चलते हैं और उनसे जो प्रदूषण फैलता है, क्या इनको भी आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है या बंद करने का विचार रखते हैं ? उनसे फैलने वाला प्रदूषण, मेरा तो यह मानना है कि एस.एम.एस. हास्पिटल के सामने से जितने भी टैम्पू निकलते हैं उनको सब को बंद कर देना चाहिये। एस.एम.एस. की जो दीवारें हैं उनमें जो मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, उनको आधे से ज्यादा इस पर्यावरण की वजह से नुकसान भुगतना पड़ता है, गरीब व्यक्ति गांव से चल कर यहां पर जयपुर में इलाज कराने आते हैं। लेकिन पर्यावरण विभाग पूर्णतया सोया हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही करें जिससे अलवर जिले में जो औद्योगिक इकाइयां असंतुलन से वहां पर स्थापित हो रही हैं उसके संतुलन को स्थापित करने के लिए पूरे राजस्थान में समानता के अधिकार के आधार पर स्थापित किया जाये, मेरा यही निवेदन है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, सरिस्का में यह कोई मीटिंग हुई है, इसकी जानकारी तो हम को नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी फैक्ट्री जब दिल्ली से हटायी जायेगी उसको राजस्थान के जन-जीवन को खतरा पहुंचाने की कीमत पर किसी को अनुमति नहीं दी जायेगी। उनकी पर्यावरण की दृष्टि से पूरी जानकारी लेने के बाद ही उनको इजाजत दी जायेगी। जहां तक केडिया समूह की बात है, इसका पर्यावरण का क्लियरेंस तो सेण्टर गवर्नमेंट से आया है, यहां से स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया।

अलवर के बारे में माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है इसमें काफी कुछ सत्यता है और पर्यावरण विभाग ने भी इस पर कुछ विशेष अध्ययन प्रारम्भ किया है, एक प्रोजेक्ट बनाया है कि जिसमें प्रोजेक्ट का उद्देश्य इस मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर में लगे हुए तथा चल रहे ऐसे उद्योगों, जिनमें खतरनाक रसायनों का उपयोग किया जाता है, से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना है। इस प्रोजेक्ट में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सभी जल एवं वायु प्रदूषक उद्योगों को सूचीबद्ध कर इनसे जनहित प्रदूषण भार का आकलन करना शामिल है। साथ ही इन उद्योगों से क्षेत्र के 20 किलोमीटर की परिधि में स्थित विभिन्न पर्यावरणीय संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जाता है। यदि औद्योगिक क्षेत्र में कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो इससे होने वाली सम्भावित क्षति का अनुमान भी लगाया जाता है। इस प्रोजेक्ट के परिणाम भविष्य में नये बनने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्थल

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

चयन में एवं इन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के लिए स्थान निश्चित करने में सहायक होंगे। तो अलवर के लिए यह एक स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया है।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने कहा यह मोदी एल्कलीज_

श्री मदन मोहन : सभापति महोदय, जो माननीय मंत्रीजी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तरप्रदेश में इनको स्थापित किया जाये और उसके लिए अभी सरिस्का के अन्दर मीटिंग हुई थी करीब 20 दिन पहले। यह आप अपने अधिकारियों से पूछ लें यह बिलकुल सत्य है, इस सत्यता को छिपाने का प्रयास कर रहें हैं और एन.सी.आर. के क्षेत्र में 100 किलोमीटर का क्षेत्र आता है, अलवर से यह एन.सी.आर. में पूरा भिवाड़ी क्षेत्र आता है और भिवाड़ी में इतनी इण्डस्ट्रीज हो चुकी कि अब यदि और अधिक बढ़ावा दिया गया तो वहां का पर्यावरण का संतुलन पूर्णतया खराब हो जायेगा और मेरा आप से यही निवेदन है कि अलवर जिले में इससे अधिक औद्योगिक इकाइयां और स्थापित नहीं की जाये और जो औद्योगिक संतुलन है उसको बनाये रखने के लिए उपाय करें।

श्री सभापति : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जैसा कहा। मैं कोई राजनीति से संबंधित बात नहीं कर रहा हूँ। एम.आई.ए. एरिये की स्थिति यह है कि प्रदूषण फैलाने वाले यह जो कैमिकल्स बनाते हैं ज्यादातर वहीं इण्डस्ट्रीज बची हैं, एक-एक करके बाकी बंद होती जा रही हैं। मंत्री महोदय, यह मोदी एल्कलीज की जो बात खैरथल वाले माननीय सदस्य ने कही है, मेरे क्षेत्र में पड़ती है और एक अग्यारा का बांध है पास में। जिस तरह से पानी प्रदूषित होता है। पशु पानी पीने के बाद मर जाते हैं। रात को वह अपनी गैस जाकर सड़कों पर छोड़कर आते हैं। सफेद-सफेद लिक्विड टाइप होता है। कोई भैंस अगर उसको सूंघ लेती है तो वह एक-आध घण्टे में वहीं मर जाती है। यह बात नहीं है कि प्रदूषण फैल नहीं रहा है। और सरकार ने यहां सदन में स्वीकार भी किया है लिखित उत्तरों में, कि हां, इनसे प्रदूषण फैल रहा है। हम इसको रोकने की उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन फैक्टरी के मालिकों को या जो भी मैनेजमेंट है इनको पाबन्द करिये कि रात को देर-सवेर गैसें क्षेत्रों में नहीं फैलायें और अग्यारा के बांध में इनका जो तेजाब बहकर जाता है। उससे जो नुकसान होता है उसकी रोकथाम के लिये कुछ न कुछ करें। किसान परेशान हैं। पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। पुलिस कहती है यह हमारे अधीन नहीं आता। वहां किसान लोग किससे कहें। इससे भारी नुकसान हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जागरूक मंत्री हैं। कोई न कोई कदम उठाइये। ताकि यह प्रदूषित पानी, वहां जो करीब में बांध बना हुआ है, बांध में नहीं छोड़कर या तो कम्पाउण्ड में ही उसको खतम करें या उसको जलायें। लेकिन उसको गांवों में नहीं छोड़ें। जवान-जवान भैंसों की मौतें हुई हैं, सभापति महोदय, आपकी भी कई बार जानकारी में आया है। वहां आसपास में जिन गरीब लोगों के गांव हैं मीणापुरा है, अग्यारा है, बजीठ है, खेड़ली सैय्यद है। आये दिन सब लोग परेशान रहते हैं। कलक्टर को भी शिकायत करते रहते हैं। आप इस संबंध में कोई न कोई कार्यवाही अवश्य करें।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, मंत्री महोदय से एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। जैसा आपने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसमें यह लिखा है कि यह उद्योग राजस्थान, हरियाणा, यू.पी. इनमें स्थानान्तरित किये जायें। अगर कोर्ट के फैसले में ऐसा निर्देश है कि यह राजस्थान में ही उद्योग आने हैं तो फिर आप उनको कैसे रोक सकेंगे ? इस बारे में आपने कोई कार्यवाही की है ? आगे इस संबंध में आप क्या विचार करेंगे ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : रोकने का सवाल नहीं है। जब किसी प्रकार का उद्योग यहां एप्लाई करता है आने के लिये। उसके लिये कौनसी जगह सूटेबल होगी, यह देखने का अधिकार तो हमारा ही है। और न सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सारे उद्योग अलवर में ही लगाये जायें या भिवाड़ी में ही लगाये जायें। राष्ट्रीय क्षेत्र में लगाये जायें। उसमें सारी व्यवस्था, आज यह दिल्ली के उद्योगों को भी निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि यह मास्टर प्लान के अनुसार लगे होते। कोई भी काम किया जाये वह यदि प्लानिंग से किया जाय तो उसमें ज्यादा दुविधा नहीं रहेगी और यह अलवर के बारे में माननीय सदस्य ने चिन्ता बतायी है। इसीलिये मैंने आपसे कहा कि यह एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जो प्रत्येक उद्योग के बारे में पूरी जानकारी लेगा और उसके पश्चात् क्या निराकरण किया जा सकता है प्रदूषण का, उस पर विचार किया जायेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : **निराकरण तो फिर नहीं हो सकता था, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट यह क्यों कहता है कि बाहर भेजा जाये।** वह मान लो कह सकते थे कि ऐसे उपाय किये जायें जिससे प्रदूषण नहीं फैले।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : वह शहर के अन्दर थे। अब यदि कोई भी उद्योग आयेगा तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि उसको कौनसी जगह लगाया जाय, जहां पर उसकी स्थिति ठीक रहे। मास्टर प्लान के हिसाब से और रीको भी यह देखेगा कि उसको और सुविधाएं भी उपलब्ध हैं कि नहीं हैं। इन सब बातों को देखकर ही पर्यावरण का क्लियरेंस दिया जायेगा।

अभी केडिया समूह को भारत सरकार का भी क्लियरेंस नहीं मिला।

श्री मदन मोहन : (व्यवधान) अलवर जिले की करीब नौ पंचायत समितियां उसमें आती थीं।

श्री सभापति : आपका पर्याप्त उत्तर आ गया। कृपया बिराजें।

श्री मदन मोहन : नहीं, यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में लगाये जायेंगे। तो इधर से तो यू.पी. का तो गाजियाबाद, मोहनबाग, नारनौल तक, हरियाणा, गुडगांव यह पूरा क्षेत्र और अलवर का केवल यह क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र से बाहर यह राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में ही जब यह उद्योग लगने हैं तो उससे बाहर कहां जायेंगे ?

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय सभापति महोदय, मैं अलवर और भिवाड़ी से हटकर बात करता हूं। मूल वक्ता ने जयपुर का नाम लिया था टैम्पुओं के संबंध में।

श्री सभापति : **यह तो केवल अलवर का मामला है।**

श्री भंवरसिंह डांगावास : **नहीं, इन्होंने** खुद ने लिया था। जयपुर के सारे निवासियों का और आने वाले सबके स्वास्थ्य के साथ यह सरकार खेल रही है। मैं आपसे सच बताऊं। आप अगर दो घण्टे अजमेरी गेट पर

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

खड़े हो जाये तो आपका रंग बदल जायेगा। नाक के अन्दर धुआं प्रवेश हो जायेगा। मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय यह विचार करते हैं कि इनके पास मोबाइल यूनिट्स हों जो इन टैम्पुओं को चैक करे? उसके बाद में अगर यह प्रदूषित धुंआ फेंकने वाला हो तो उनके परमिट और रजिस्ट्रेशन सस्पैण्ड करके कुछ कार्यवाही करें।

श्री रोहिताश्व कुमार (राज्य मंत्री, यातायात) : माननीय सभापति महोदय, टैम्पू के मामले में माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की और माननीय सदस्य ने कहा इनके परमिट सस्पैण्ड कर दें।

माननीय सभापति महोदय, शायद माननीय सदस्य को यह जानकारी नहीं है कि यह सारी की सारी शक्ति राज्य सरकार के पास नहीं है। जब हम सस्पैण्ड करते हैं या रिन्यूवल नहीं करते हैं तो न्यायालय से स्थगन आदेश आ जाता है और ऐसे कई मामले हुए हैं। हमने रोकने की कोशिश की। हम भी चूंकि इस प्राब्लम को लेकर चिन्तित हैं। अब हम जैसे ही यह एक्सपायर होगी परमिट्स की लिमिट, उसके बाद उनको रिन्यूवल नहीं करेंगे।

श्री सभापति : याचिका का उपस्थापन। श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे। श्री कासनियां।

याचिका का उपस्थापन

पीलीबंगा व टीबी विधान सभा क्षेत्र के 40-50 गांवों में सेम समस्या

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, मैं पीलीबंगा व विधान सभा क्षेत्र टीबी के 40-50 गांवों में सेम समस्या के समाधान बाबत पांच माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूँ।

श्री सभापति : श्रीमती शशीदत्ता, प्रभारी मंत्री, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगी।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995

श्रीमती शशीदत्ता (राज्य मंत्री, विधि) : माननीय सभापति महोदय, मैं, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री महोदया पुरःस्थापित करेंगी।

श्री शिवनाथ सिंह : साथ में यह भी बतायें कि आप यह क्यों कर रही हैं ?

श्रीमती शशीदत्ता : यह डिस्कशन के दिन सारा_

श्री सभापति : पुरःस्थापित कीजिये मंत्री महोदया।

श्रीमती शशीदत्ता : नहीं, सारी डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : अभी बता दीजिये न, आपको क्या दिक्कत है ?

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करती हूँ।

श्री सभापति : विनियोग विधेयक। श्री चन्दनमल जी बैद।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1995

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : सभापति महोदय, बजट के जनरल डिस्कशन पर जो मुद्दे हम लोगों ने उठाये थे, उन मुद्दों का अगर माननीय मुख्य मंत्री जी समुचित जवाब दे देते तो हममें से बहुत से लोगों को एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जैसे कि उनकी आदत है। बातों को घुमा देना। टालू मिक्सचर पिला देना। उसी तरीके से उन्होंने बजट पर जो बहस हुई उस पर बहुत से मुद्दों को टालने की कोशिश की। राजस्थान की बात करने के बजाय उन्होंने यह उचित समझा कि भारत सरकार के बजट पर वह बोले। उस पर क्या कर्जा है, उसका कितना कर्जा है, उस पर कितना ब्याज है। इन बातों के ऊपर तो खूब बोले वह और इन बातों पर भी वह काफी बोले कि किस साल में, किसने कैसा बजट पेश किया था और उस बजट में क्या कहा था। यह सारी बातें भी उन्होंने कही है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट का घाटा और इस बजट का जो कर्जा है उसके लिये बहुत कुछ जिम्मेवार भारत सरकार भी है और इसके लिये हमारे उप मुख्य मंत्रीजी ने भी काफी दलीलें दीं।

सभापति महोदय, जैसे उन्होंने कुछ बजट पढ़कर, पुरानी बजट स्पीचों को पढ़कर सुनाया। मैं भी कुछ उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जिससे कि जो उन्होंने एक भ्रमात्मक स्थिति इस सदन में बनायी है, वह कुछ हद तक दूर हो सके। सबसे पहले मैं उन्हीं के मुख्य मंत्री काल में जो यह बजट पेश हुआ था उसके कुछ अंश आपको सुनाना चाहता हूँ। "उपरोक्त आंकड़ों द्वारा अगले वर्ष की जो विषम वित्तीय स्थिति प्रकट हुई है उसका प्रमुख कारण सातवें वित्त आयोग द्वारा अगले पांच वर्षों के लिए केन्द्र से राजस्थान को अन्तरित होने वाली राशि का विभेदकारी निर्धारण है। जबकि पांचवें और छठे वित्त आयोग ने कुछ राज्यों को अन्तरित होने वाली राशि का क्रमशः 5.20 प्रतिशत तथा 5.87 प्रतिशत राजस्थान को दिया था। सातवें वित्त आयोग ने इस प्रतिशत को घटाकर 4.33 कर दिया है।"

आगे इसी स्पीच के 89 पैरा में "सातवें वित्त आयोग द्वारा राजस्थान पर की हुई ज्यादती के बाद आशा थी कि योजना के लिए जो केन्द्रीय सहायता राज्यों को प्राप्त होती है उसके वितरण के सिद्धान्तों के पुनः निर्धारण द्वारा हमारी वित्तीय स्थिति सन्तुष्ट हो जायेगी। किन्तु खेद है कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता पर जो निर्णय हाल ही में लिये हैं उनके फलस्वरूप राजस्थान को राहत मिलनी चाहिए, और अधिक धक्का पहुंचा है।"

सभापति महोदय, यह बजट स्पीच आज जो माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं उन्हीं के मुख्य मंत्री काल में उन्हीं के वित्त मंत्री ने पेश की। मैं यह पाइंट बताना चाहता हूँ आपको कि आज हमारे पर यह चार्ज लगा रहे हैं कि चूंकि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और यहां बीजेपी. की सरकार हैं इस वास्ते हमारे साथ सौतेला बर्ताव हो रहा है और हम कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और हमारा घाटा बढ़ रहा

(श्री चन्दनमल बैद)

है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस समय यह बजट पेश हुआ था उस समय राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार थी और केन्द्र में भी जनता पार्टी की सरकार थी। सातवें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट थी जनता पार्टी की सरकार में पेश की गयी थी और यह जिसका हवाला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद। उस विकास परिषद में ज्यादातर जनता पार्टी के मुख्य मंत्री और जनता पार्टी की केन्द्र की सरकार के प्रधान मंत्री बैठे थे। तो, उन्होंने ही यह आपके साथ विभेदकारी, भेदभाव पूर्ण बर्ताव किया। कांग्रेस सरकार ने तो आपको ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ रुपये की पंचवर्षीय योजना दी है और आपकी टैंथ फाइनेंस कमीशन को दी हुई, गलत मेमोरेण्डम के बावजूद भी आपको ग्यारह हजार चार सौ करोड़ रुपये का डिवोल्यूशन दिया। तो विभेदकारी जो बर्ताव है वह आपकी सरकार ने आपके साथ किया या कांग्रेस सरकार आपके साथ कर रही है यह इससे अच्छी तरह से आपको मालूम हो जायेगा। आपने उस समय यह बात की थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने जिस वित्त आयोग का उदाहरण दिया है उस वित्त आयोग की स्थापना तो कांग्रेस पार्टी के राज में हुई थी।

श्री चन्दनमल बैद : आपने अपने जवाब के वक्त कहा था कि सातवें वित्त आयोग ने आपको 4.33 प्रतिशत जो पूरा डिवोल्यूशन हुआ था, जो धन का बंटवारा हुआ था उसको 4.33 प्रतिशत दिया और जब आठवें वित्त आयोग का मेमोरेण्डम आपने दिया तो उसमें 4.25 जो धन का बंटवारा था, आपको दिया। इस वास्ते आपकी गलती हुई। आपका 5.20 प्रतिशत और 5.87 प्रतिशत से घटकर 4.33 प्रतिशत हो गया। उसका तो आपने कुछ जिक्र नहीं किया और केवल 0.1 प्रतिशत कम हो गया आठवें वित्त आयोग में उसके लिए आपको बड़ी फिकर हो गयी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उस दिन जब मैं वित्त मंत्री था उस समय इस बजट स्पीच का हवाला दिया था वह बजट स्पीच मैं साथ लाया हूँ बड़ी ढूंढ-ढांढ़ करके आपको तो आसानी से मिल जाती है मुझे तो ढूंढ़नी पड़ती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे से मंगवा लेते।

श्री चन्दनमल बैद : आपसे मंगवा लेता तो आप कहते मैंने दी है। आपने उस समय यह कहा था मेरे एक पैराग्राफ का हवाला देते हुए कि मैंने यह बजट स्पीच पेश की है। मैंने उसी समय विरोध किया था यह बजट स्पीच मेरी पेश की हुई नहीं है। मैंने 1982-83 का बजट पेश किया था। आपने कुछ आधा अधूरा अंश पढ़ दिया। मैं उस पूरे अंश को पढ़ देता हूँ , क्योंकि अपनी स्पीच पढ़ने में मजा जरा ज्यादा आता है जैसे आईने में अपनी शक्ल देखना अच्छा लगता है वैसे अपनी स्पीच पढ़ने में भी अच्छा लगता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह भी एक जमाना था।

श्री चन्दनमल बैद : जी हाँ, जमाना था और अभी तक रिकार्ड होल्डर हूँ मैं, आपको मालूम होना चाहिए। आपके मुख्य मंत्री जी ने पांच बजट पेश किये और मैंने सात पेश किये हैं। यह सात बजट पेश करने के पहले ही नहीं चले जायें तो मुझे कहना आप।

इस भूमिका के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज से करीब दो वर्ष पहले प्रदेश की जनता ने हमारी पार्टी को सरकार चलाने का दायित्व सौंपा था जब हमारी पार्टी ने इस

(श्री चन्दनमल बैद)

प्रदेश का शासन छोड़ा था उस समय हमने विरासत में एक सन्तुलित, अनुशासित, अन्तरित वित्तीय व्यवस्था छोड़ी थी। सन् 1976-77 का साल जब समाप्त हुआ था उस समय राज्य पर कुल 7.48 करोड़ का ओवरड्राफ्ट था और उसके विपरीत प्रदेश के राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकों में 8.50 करोड़ रुपये की राशि जमा थी। उसके बाद हमारी सही और परखी हुई नीतियों का परित्याग कर दिये जाने के कारण देश और प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था लड़खड़ा गयी। हमारी पार्टी पर यह दायित्व आया है कि हम इस गम्भीर वित्तीय स्थिति को सुधारें, उत्पादन को बढ़ायें और विकास की गति को तेज करें। यह सारे काम कठोर परिश्रम, अनुशासन और संयम मांगते हैं। मैं पूर्ण आशा के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के यह कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी में यह क्षमता है।

सभापति महोदय, मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो स्थिति उस समय हुई थी, 1977 और 1980 के बीच में, वही स्थिति आज फिर होने वाली है, क्योंकि आज अनुशासन, संयम और कठिन परिश्रम, जो एक वित्तीय अनुशासन को कायम रखने के लिए किया जाना चाहिए उसका बहुत बड़ा अभाव है और यह दायित्व फिर इसी पार्टी पर आने वाला है कि इस बात को सुधारने के लिए हमको ही आगे आना पड़ेगा। क्योंकि हम ही इस बात को जानते हैं कि संयम और अनुशासन क्या चीज है और किस तरीके से कायम रखा जा सकता है। मैं केवल भाषण से ही यह बात नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको यह साबित करना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है, टैंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसका पेज 123, आपको ढूंढ़ने में दिक्कत नहीं हो। आपने कल मुझे कहा था कि आंकड़े कम पेश करना। मैं पेज नम्बर बता देता हूँ 123 पर टैंथ फाइनेंस कमीशन ने सारे स्टेट्स का, चाहे स्पेशल कैटेगरी के हैं, चाहे नोन स्पेशल कैटेगरी के हैं उनके पांच साल के नोन प्लान रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एक तखमीना तैयार किया है। आपने जो एस्टीमेट उनके पास भेजे थे उनके आधार पर उन्होंने तैयार करके यह बताया है कि 1995 से 2000 तक, पांच साल में राजस्थान सरकार ब्याज के रूप में सात हजार तेरह करोड़, अड़तालीस लाख रुपये का भुगतान करेगी और इन पांच सालों में आपकी टैक्स रेवेन्यू होगी 17 हजार 568 करोड़ 14 लाख रुपये और नोन टैक्स रेवेन्यू होगी दो हजार अट्ठावन करोड़ अठ्यानवें लाख रुपये, कुल टैक्स और नोन टैक्स रेवेन्यू होगी 19672 करोड़, 79 लाख। जो एस्टीमेट टैंथ फाइनेंस कमीशन ने आप द्वारा भेजे गये एस्टीमेट के आधार पर एक जो तखमीना बनाया है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ और यह तखमीना उन्होंने 123 पेज पर दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे उसी के साथ उन्होंने यह तखमीना लगाया है।

इन पांच साल में शिक्षा पर आप खर्च करेंगे 6 हजार 528 करोड़ 24 लाख और चिकित्सा पर आप खर्च करेंगे 1533 करोड़ 20 लाख रुपये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ब्याज के रूप में अब की टैक्स रेवेन्यू का 40.59 पर्सेण्ट खर्च होगा और टैक्स और नोन टैक्स रेवेन्यू दोनों को मिलाकर ब्याज चुकाने में टैक्स और नोन टैक्स रेवेन्यू का 36.25 पर्सेण्ट खर्च होगा जबकि शिक्षा पर आपकी टैक्स रेवेन्यू का 37.85 पर्सेण्ट खर्च होगा और टैक्स और नोन टैक्स रेवेन्यू दोनों को मिलाकर 33.8 पर्सेण्ट खर्च होगा। चिकित्सा पर आपकी टैक्स रेवेन्यू का 8.72

(श्री चन्दनमल बैद)

परसेंण्ट खर्च होगा, टैक्स और नोन टैक्स रेवेन्यू दोनों का 7.79 परसेण्ट खर्च होगा।

सभापति महोदय, पिछले साल हमारे मुख्यमंत्रीजी ने एक घोषणा की कि यह बजट शिक्षा को समर्पित है और इस साल घोषणा कर दी कि इस साल का हमारा बजट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिये समर्पित है। मैं, पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा खर्चा, यह एस्टीमेट्स सब इसमें हैं, आपका सबसे बड़ा खर्चा ब्याज चुकाने में है। यह आंकड़े चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि यह बजट न शिक्षा को समर्पित है, न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को समर्पित है, यह आपका बजट ब्याज को समर्पित है। आज यह स्थिति है और उधर से लोग खड़े होकर यह कहते हैं कि हम कर्जा लेकर परिसम्पत्तियाँ बना रहे हैं। कर्जा लेना क्या बुरा है ? कर्जा लेना बुरा नहीं है लेकिन कर्जा लेते लेते अकर आपकी टैक्स और नोन टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में जाता है तो यह शोचनीय और अफसोस की बात हो जाती है। आप परिसम्पत्तियां बना रहे हैं, आपने कुछ फिगर्स दिये थे कि हमने इतना कर्जा लिया। 14 हजार कुछ करोड़ का कर्जा लिया, 13 हजार कुछ करोड़ की या 14 हजार कुछ करोड़ की परिसम्पत्तियां बनायी। सभापति महोदय, राजस्थान में लाखों करोड़ों रुपये की परिसम्पत्तियां हैं। इंदिरा गांधी नहर, माही, भाखरा, चम्बल ये लाखों करोड़ों रुपये की परिसम्पत्तियां है। इनके सहारे पर आप चाहे जितना कर्जा ले सकते हैं लेकिन कर्जा और कर्जे का ब्याज चुकाते वक्त क्या इन परिसम्पत्तियों को बेचेंगे आप? तो फिर यह परिसम्पत्तियां बनाने का प्रश्न कहां पैदा होता है ? इंदिरा गांधी नहर को ही प्लेज करना चाहते हो क्या आप? माही को प्लेज कराना चाहते हो आप ? भाखरा को प्लेज करना चाहते हो आप ? चम्बल को प्लेज कराना चाहते हो आप ? यह स्थिति आने वाली है क्या राजस्थान में ? और फिर हम यह कहते हैं कि कर्जा लेना अच्छा है। हम परिसम्पत्तियां बना रहे हैं। परिसम्पत्तियां तो लाखों-करोड़ों रुपये की बनी हुई हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मुझे आप सुझाव नहीं देते हैं। सुझाव देने से कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। क्योंकि नवीं विधान सभा में मैंने आपको कुछ सुझाव दिये थे, आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब मैं फिर आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं इस आशा के साथ कि कम से कम यह सदन तो सुनेगा, राजस्थान तो सुनेगा, आप तो उसको नहीं मानेंगे मैं जानता हूं।

पहला सुझाव तो मेरा यह है कि आपको खर्चे में निर्ममता के साथ, निर्दयता के साथ कटौती करनी चाहिये, उसको आप नहीं कर रहे हैं। अभी आपने दो सप्लीमेन्ट्री ग्राण्ट्स हमसे पास करायीं। एक अभी और एक एम्फोर्ट के हल्ले के बीच में भागते-भागते आपने पास करायी। 1300 कुछ करोड़ की दो सप्लीमेन्ट्री ग्राण्ट्स पास करायीं। देखिये उनमें क्या है ? उनमें टेलीफोन के बिल

(14.44)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

चिकित्सा के पुनर्भरण, गाड़ियां, पैट्रोल, यह सारी चीजें उसमें हैं। एक-एक डिप्टी मिनिस्टर के लाखों रुपये के टेलीफोन के बिल, यह अगर आप निर्दयता के साथ नहीं रोकेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। यह गुड़ी-गुड़ी बनकर के, आराम से बनकर नहीं हो सकता। मुझे कभी-कभी मुख्यमंत्रीजी, संदेह होता है कि

(श्री चन्दनमल बैद)

आप बुड्ढे जो गये हैं। कमजोर हो गये हैं। आपमें ऊर्जा नहीं रही है। इच्छा शक्ति नहीं रही है। शेर बुड्ढ़ा हो गया है और मन मरजी चाहे वह पूंछ खींच लेता है और कोई मूंछ भी खींच लेता है। यह क्या हालत हो गयी है आपकी ? या तो आप मेहरबानी करके कह दीजिये कि मैं बुड्ढ़ा हो गया, हाथ जोड़ता हूँ आपके और किसी जवान आदमी को, जैसे चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य हैं, अच्छे दावेदार हो सकते हैं आपकी कुर्सी के लिये। लेकिन इस तरीके से तो काम नहीं चल सकता।

दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूँ कि आज वक्त है जब प्रदेश के सारे खर्चों पर, सारी योजनाओं का पुनरावलोकन किया जाये और सोचा जाये कि क्या खर्च कम किये जा सकते हैं ? क्या योजना ऐसी है जो जब शुरू की थी तब काम की थी और आज वह काम की नहीं रही। आपने की कभी कोशिश इस बात की ? और कोशिश की तो हमें बताइये आप इस बात को कि कौन-कौनसी योजनाओं का, कौन-कौनसे खर्चों का आपने पुनरावलोकन किया ? चतुर्वेदी जी के सभापतित्व में आपने एक कमेटी बनायी थी। गाड़ियां कम करेंगे, पैट्रोल का खर्चा कम करेंगे, टेलीफोन का खर्चा कम करेंगे। कम करने के बजाय वह बढ़ गया, घटा नहीं।

तीसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूँ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं उनका निरीक्षण कीजिये, जांच कीजिये और हमेशा से घाटे में चलने वाली यूनिट्स हैं, देखिये वह जरूरी नहीं हैं तो उनको बंद कीजिये।

चौथी बात, मैं, निवेदन करना चाहता हूं नोन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाइये।

पांचवीं बात, जो बहुत कड़ी है लेकिन जरूरी है, वित्त मंत्री के लिये जरूरी नहीं है कि वह पापूलर बना रहे। वित्त मंत्री तो सबसे अन पापूलर आदमी होता है। हाउस का सबसे अन पापूलर आदमी वित्त मंत्री होता है और आप सबसे पापलूर बनना चाहते हैं। इस वास्ते कड़ी बात भी कीजिये और जरूरत हो तो टैक्स भी लगाइये। और उन आदमियों पर टैक्स लगाइये जो सरकारी योजनाओं से फायदा उठा रहे हैं उनसे कुछ पैसा लीजिये आप। अगर आप वह नहीं करेंगे और खाली कर्जा लेकर स्टेट के विकास करने का, समृद्ध बनाने का विचार करेंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से आप कर्जे में हमको डुबोते चले जा रहे हैं, हमेशा के लिये हमको कर्जे में डुबो देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी के बजट भाषण का छोटा सा उल्लेख करना चाहूंगा। 4 बरस की अवधि एवं उससे आगे की अवधि के लिये संविधान में संशोधन कर केन्द्र सरकार की समस्त कर एवं शुल्कों से प्राप्तियों को डिविजबल पूल में शामिल कर राज्यों के हिस्सों को 29 पर्सेण्ट तक सीमित करने की वैकल्पिक व्यवस्था सम्बन्धी सिफारिश को भारत सरकार ने पुनरीक्षण हेतु अपने विचाराधीन रखा है। हमारा अनुरोध है कि भारत सरकार इस पर शीघ्र ही निर्णय ले। आप भाषण में यह बात कह जाते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन आपने तो बजट स्पीच में यह बात लिखी है। मुख्यमंत्रीजी, आप दो बार गलती कर चुके हैं। इससे राजस्थान को बड़ा नुकसान होगा। सातवें वित्त आयोग को आपने मेमोरेन्डम दिया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ राजस्थान को। दसवें वित्त आयोग को आपने मेमोरेन्डम दिया गलती से, उस समय मैंने आपको टोका भी था। मैंने इस सदन में कहा था मेहरबानी

(श्री चन्दनमल बैद)

करके दसवें वित्त आयोग को मेमोरेन्डम देने के पहले कुछ लोगों से सलाह-मशविरा कीजिये। आपने नहीं किया। नुकसान उठाया। राजस्थान को करीब तीन हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और आज यह बात कह कर आप राजस्थान का फिर नुकसान करना चाहते हैं। मैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आपने जो यह बात लिखी है, खड़े होकर कह दीजिये कि मैंने गलती से लिख दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ पेज 219 टैंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट

जिस तरीके से सारे स्टेट के नान प्लान रेवेन्यू और एक्सपेण्डीचर का तखमीना किया है उसी तरीके से टैंथ फाइनेंस कमीशन ने भारत सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेण्डीचर का भी तखमीना किया है। उसमें उन्होंने तखमीना टैक्सेज का किया है उन टैक्सेज का जो शेयर टैक्सेज हैं जिनको सेट के साथ शेयर किया जाता है और उन टेक्सेज का तखमीना दिया है पांच साल का जिसको कि स्टैट के साथ शेयर नहीं किया जाता है। उन दोनों की जो नान शेयरेबल टैक्सेज है वह है 3 लाख 18 हजार 462 करोड़ और शेयरबेल टैक्सेज है 3 लाख 18 हजार 949 करोड़। अब जिसके बारे में आप कह रहे हैं नान शेयरबल में कॉर्पोरेशन टैक्स भी है और कस्टम भी है और शेयरेबल में वह सारे टैक्सेज हैं, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बेसिकल स्पेशन एक्साइज ड्यूटी, एडीशनल एक्साइज ड्यूटी। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों की जोड़ होती है 7 लाख 7 हजार 411 करोड़ और टोटल डिवोल्यूशन जो स्टेट को हुआ है ग्रां एन एड को छोड़कर ग्रांट इन एड 20 हजार 300 करोड़ को निकल करके टोटल डिवोल्यूशन हुआ है 2 लाख 6 हजार 343 करोड़ टोटल डिवोल्यूशन का यह 7 लाख 7 हजार 411 करोड़ का 29.168 प्रतिशत है और आप यह कहते हैं कि 29 प्रतिशत के लिए सिफारिश करें और हमारे प्रतिपक्ष के नेता से आप कह रहे है कि मैं यह प्रस्ताव लाऊं तो मेरा समर्थन करना। 29 पर्सेण्ट के लिए आप हमारा समर्थन चाहते हैं और आल रेडी भारत सरकार, फाइनेंस कमीशन आपको 29.168 पर्सेण्ट दे रही है और 29 पर्सेण्ट का आप समर्थन लेना चाहते हैं। तो हम 15 साल के लिए बंध जायेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि एकदफा यह करने के बाद 15 साल तक आपको इस प्रकार से बंधना होगा। अध्यक्ष महोदय, इससे सारे स्टेट को 1 हजार 194 करोड़ रुपये का नुकसान होगा और राजस्थान का 60 करोड़ का नुकसान होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके फाइनेंसियल एडवाइजर कौन हैं ? कम से कम फाइनेंस सेक्रेटरी तो आपके फाइनेंसियल एडवाइजर कौन हैं ? कम से कम फाइनेंस सेक्रेटरी तो आपके फाइनेंसियल एडवाइजर नहीं हैं, वह तो ऐसी गलती नहीं कर सकते। पता नहीं कौन है ?

एक माननीय सदस्य : आप हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं होता तब तो यह वहां नहीं बैठे होते, यहां बैठे होते फिर तो मैं ही वहां बैठता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : बैठते-बैठते ही वहां गये हो।

श्री चन्दनमल बैद : हां, मुझे मालूम है। यहां बैठे-बैठे यहां आ गये और आप यहां बैठे-बैठे वहां चले गये और यह कौन सी गारन्टी है–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनता ने कोई अन्तर तो देखा होगा।

श्री चन्दनमल बैद : यह कौन सी गारन्टी है कि आज आप वहां से यहां नहीं आयेंगे और मैं यहां से वहां नहीं जाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं कि ग्रांट इन एड से नहीं आये हैं, न फाइनेंस कमीशन से आये हैं, फाइनेंस का मैनेजमेण्ट किसने अच्छा किया है उसके आधार पर हम आये हैं।

श्री चन्दनमल बैद : लेकिन आप जो 29 पर्सेण्ट का कह रहे हो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जवाब दे दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो 29 पर्सेण्ट की बात कर रहा हूं। 29.168 पर्सेण्ट आपके, हमारे सेट को आल रेडी मिल रहा है। जब 29.168 पर्सेण्ट मिल रहा है और आपको 5 पर्सेण्ट के हिसाब से 60 करोड़ का घाटा होगा अगर आप 29 पर्सेण्ट मान लेंगे तो लेकिन हम तो यह बता नहीं मानने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता है कि ज्यादा आंकड़े देकर के आपका मैं वक्त लूं लेकिन मैं एक बात कहे वगैर नहीं रह सकता कि हमने जो पाइंट यहां उठाये थे उनका जवाब देने से माननीय मुख्य मंत्री जी कैसे अलग हट जाते हैं, यह समझ में नहीं आता। मैंने उनसे यह कहा था कि 21 तारीख को हमार ऊर्जा मंत्री जी ने हमको एक नौट देकर कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर को 4 हजार 30 मेगावाट सौंप रहे हैं, 23 तारीख को राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम 3200 मेगावाट के टेण्डर काल कर रहे हैं और 27 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम 4300 मेगावाट प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। अब कौन सी बात सही है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीनों ही सही है।

श्री चन्दनमल बैद : तीनों सही हैं 3200 भी सही है, 4300 भी सही है और 4 हजार 30 भी सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी सही है।

श्री चन्दनमल बैद : यह आप ही का जादू है कि तीनों बातें सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, जादू नहीं है, यह समझने का सवाल है।

श्री चन्दनमल बैद : अच्छी बात है, ठीक बात है, आप समझा दीजिये मैं समझ लूंगा। अब मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, चित्तौड़ का कुछ पता नहीं, धोलपुर का 5-7 साल भी नहीं आने वाला है, सूरतगढ़ की फर्स्ट यूनिट है वह कम से कम आठवीं पंच वर्षीय योजना में तो आने वाली नहीं है।...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी में आयेगी।

श्री चन्दनमल बैद : मैं इसको चेलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ले आयें तो मैं आपको मानूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मान ही लीजिये, इसी में आयेगी।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं आयेगी आठवीं पंच वर्षीय योजना में। बरसिंहसर के तो अभी तक टेण्डर ही काल नहीं हुए हैं, कपूरड़ी और जालिपा का तो कुछ पता ही नहीं है, डीजल यूनिट का आपने अभी तक टाई-डाउन ही नहीं किया है। एक आप ले देकर के मथानिया पर डाल देते हैं। मथानिया की 30 मेगावाट की यूनिट जिसका खर्चा आयेगा 10 रुपये, 12 रुपये प्रति यूनिट। आप किस को देंगें ? किसान को तो देंगे नहीं, व्यापारी आपसे लेगा नहीं, उद्योगपति आपसे लेगा नहीं, डोमेस्टिक कन्ज्युमर को देंगे तो वह भी लेगा नहीं। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप कर्जा लेकर के सस्ती बिजली देकर के कर्जे का बोझा फिर राजस्थान पर डालेंगे। कोटा की पांचवीं यूनिट थर्ड स्टेज का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी शायद आप ही ने किया था। क्यों आप ही ने किया था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने ही किया था।

श्री चन्दनमल बैद : वह कितने दिनों के बाद बन्द हो गयी। जहां जहां चरण पड़े सन्तन के वहां वहां बंटाधार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर.ए.पी.पी. का उद्घाटन नेहरूजी ने किया था और 10 वर्ष के बाद बन्द हो गयी।

श्री चन्दनमल बैद : नेहरूजी से मुकाबला कर लो, ठीक है लेकिन जहां-जहां चरण पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुकाबला नहीं, मुकाबले में आप यह मत समझिए कि पांव उनके पड़े इसलिए बन्द हो गयी। आप मेरी मार्फत नेहरू जी की बदनामी कर रहे हैं कि उनके जहां पांव पड़े वे दोनों ही कारखाने बंद हो गये।

श्री चन्दनमल बैद : बिजली की हालत यह है, यह खुद ऊर्जा मंत्री जी मान रहे हैं कि 50 पर्सेण्ट की कमी रहेगी। मुख्य मंत्री जी आपसे बिजली की कमी दूर होने वाली नहीं है, ऊर्जा मंत्री जी से दूर होने वाली नहीं है। उप मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं है, मैं उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता था कि माननीय उप मुख्य मंत्रीजी मेहरबानी करके बिना पावर से चलने वाली 10-15 मोमबत्ती की फैक्टरीज लगावा दीजिये जिसे कम से कम राजस्थान की जनता को मोमबत्ती तो सुलभ हो सके क्योंकि बिजली तो है नहीं, केरोसिन की हाय-हाय मची हुई है, केरोसिन तेल मिल नहीं सकता इस वास्ते मोमबत्ती की फैक्टरीज अगर लगवा दें और वह भी हाथ से चलने वाली, बिना पावर के चलने वाली तो कम से कम राजस्थान की जनता को कुछ तो मिले और बिजली के—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक जानकारी दे दूं। बिजली में जितनी खपत और बिजली के उत्पादन में कमी है उसका औसत करीब पिछले 10-12 वर्षों से एकसा ही रहा है, कभी पांच पर्सेण्ट कम हो गया, कभी पांच पर्सेण्ट ज्यादा हो गया, यह स्थिति रही है। आप आंकड़ें सी.ई.सी. के देख ले तो यही नतीजा निकलेगा।

श्री विष्णु मोदी : पिछले पांच साल से है, दस साल से नहीं है, आपके आने के बाद—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पांच साल नहीं पिछले दस साल में शुरू से ही है।.(व्यवधान) मुझे आप बता रहे है। आप उस समय बोलते जब कमी थी और आपका राज था। उस समय आने मोमबत्ती पर टैक्स लगाया था उसको महंगा किया था या सस्ता किया था ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं मोमबत्ती पर टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं उस बात को टालिये मत। मैं यह कह रहा हूं कि आप राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें बिजली की सबसे बड़ी कमी रही है। यह आप मानते हैं कि नहीं मानते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मानता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : तो फिर क्या बात है फिर मोमबत्ती तो—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे आप बता दीजिये कि राजस्थान किस समय बिजली के अन्दर और राज्यों से आगे रहा है।

श्री विष्णु मोदी : सुखाड़ियाजी के टाइम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कभी नहीं। क्या बात कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय,

(श्री चन्दनमल बैद)

मैंने बजट स्पीच देते समय यह कहा था कि आपने 270 मेगावाट बिजली का उत्पादन पांच साल में कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं 250 मेगावाट में से 210 निकला दीजिये क्योंकि वह तो फैल हो गयी–

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अब खराब हो गयी, कभी भी खराब हो सकती है।

श्री चन्दनमल बैद : आज तक नहीं आ रही है। आज आ रही है क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक इकाई चार महीने खराब रहने के बाद क्या वह सदा के लिए हो गयी। एप्रिसिएट तो करिये कि 220 आ गयी, 220 और आ रही है।

श्री चन्दनमल बैद : एप्रीसिएट कर रहे हैं कि आपने राजस्थान का पैसा डुबो दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खैर चलिये मोमबत्ती का इंतजाम करेंगे हम।

श्री चन्दनमल बैद : हां कीजिये और क्यो करेंगे आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : यही होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही लगेगी आपके।

श्री चन्दनमल बैद : आज आप सब जगह बिजली से पानी निकाल रहे हैं और त्राहिमाम-त्राहिमाम मच रही है। यहां तक कि गंधेली-साहवा योजना जो सारे एशिया की प्रसिद्ध योजना थी, 325 गांवों को जिससे पानी मिल रहा है और जिसके लिए फेडरल डेमोक्रेटिक ऑफ जर्मनी आपको 8 सौ करोड़ रुपये दे रही है, उस योजना में भी आज जगह-जगह पानी नहीं मिल रहा। रीजनल योजना है, उनमें पनी नहीं मिल रहा है। आपकी प्रिय राजस्थान पत्रिका रोज जयपुर की दयनीय स्थिति दिखाती है, उस जगह क्या हुआ, उस जगह क्या हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालत तो बहुत खराब हैं।

अब मैं थोड़ी-सी बात राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर के बारे में कर लूं। इंदिरा गांधी नहर के बारे में मेरी डिवीजन के मंत्री महोदय, नोहर साहवा एक लिफ्ट योजना है, जिसका पानी चूरू जिले में आने वाला है। वह तेजी के साथ बन रही थी, बड़ी खुशी हुई। तीन एम.एल.ए., नरेन्द्र सिंह जी बुडानिया, इन्द्रसिंहजी पूनिया और मैं अपने साथियों के साथ नहर देखने के लिए चले गये। देखा कि कितना कम हो गया है और कैसा काम हो रहा है। वहां के एक्स इन ने देखा कि तीन एम.एल.ए. आए हैं, उन्होंने अच्छी तरह से दिखा दिया कि कहां खुदाई हो रही है, कहां चिनाई हो रही है। हमने वहां से कुछ लिया नहीं, पानी भी नहीं पिया। अब जब आपके सिंचाई मंत्रीजी को मालूम हुआ कि कांग्रेस के तीन एम.एल.ए. यहां आये हैं और उनके साथ बहुत से कार्यकर्ता आये थे, उन्होंने एक्स इन. को बुलाया कि तुमने उन एम.एल.एज. को दिखाया क्यों, सुविधा क्यों दी ? वहां हम कोई ठहरे नहीं डाक बंगले में, कोई भी दिखाने की सुविधा..(व्यवधान)...और उसको ससपेंड कर दिया।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : कैसे सुविधा, आप स्वयं जानते हैं कि अलग-अलग क्षेत्रों के कितने लोग वहां रुचि रखते हैं, वे स्वयं वहां जाते हैं, पत्रकार जाते हैं, कोई रोक नहीं है, कोई अलग से सुविधा नहीं होती।

श्री चन्दनमल बैद : उसके बाद एक साल बीत गया। मैंने सोचा कि फिर उस नहर

(श्री चन्दनमल बैद)

को देखने चलें। इंदिरा गांधी नहर के अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह कपूर को मैंने फोन किया कि मैं फिर वहां नहर देखने के लिए अपने साथियों के साथ जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि शौक से जाइये। वहां के नये एक्स. ईन. को मालूम हुआ तो उसने मुझे कहलाया कि मेहरबानी करके मत आइये, नहीं तो मुझे भी ससपेंड कर देंगे। मंत्रीजी उस नहर को डिब्बे में बंद कर लीजिये, नहीं तो किसी की नजर न लग जाए और आपने उसका काम बंद कर रखा है क्योंकि वह नहर राजस्थान के चूरू जिले में आने वाली है और चूरू जिले में आये, यह आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : चूरू ही नहीं सरदारशहर में आने वाली है इसलिए बर्दाश्त नहीं...(व्यवधान)...

श्री देवीसिंह भाटी : मार्च, 95 तक 45 किलोमीटर का कार्य किया गया है उसके ऊपर।

श्री चन्दनमल बैद : 43 का तो पिछले साल हो गया था।

श्री देवीसिंह भाटी : हमने किया है मार्च, 95 तक...(व्यवधान)...अर्थ वर्क और लाइनिंग का काम किया है।

श्री चन्दनमल बैद : 43 किलोमीटर तो पिछले साल हो गया था, उसके बाद इस साल कितना किया?

श्री देवीसिंह भाटी : मार्च, 95 तक हुआ है यह 45 किलोमीटर का काम।

श्री चन्दनमल बैद : 43 तक तो पिछले साल हो गया था, अब क्या हो गया यह ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा वक्त नही लेकर के यही निवेदन करना चाहूंगा कि यदि यही भेदपूर्ण नीति, इसी तरीके से आप राज चलाने का तरीका समझते हैं, यही राज करने का तरीका है और इसी तरीके से आप राज करते रहें तो वहां मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरी जमीन नहीं है वहां पर। वहां किसान बसते हैं, किसानों की जमीन की सिंचाई होगी। उसमें राजपूत भी है, जाट भी हैं, हरिजन भी हैं, गुर्जर भी हैं, माली भी हैं और गिरिजन भी हैं। आप यह समझ कर बंद कर रहे हैं कि चन्दनमल बैद के बाप दादों की जमीन है वहां पर, तो आपकी गलतफहमी है। इस बात को आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के साथ यह भेदपूर्ण नीति मत बरतिये, नहीं तो आप भेदपूर्ण नीति अगर बरतेंगे, आप यह समझ कर कि किसानों के वोट वहां ले लेंगे तो आप बड़ी भारी गलतफहमी में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब देंगे, एक-एक बात का।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिजली आपके पास नहीं, पानी आपके पास नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे पास खेतसिंहजी हैं

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खेतसिंहजी के साथ भारत सरकार के बड़े-बड़े मंत्री भी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके भी यही जलन हैं। रात में तो उन मंत्रियों की खुशामद करते हो, सुबह उनकी आलोचना करते हो, काम यही है।

श्री चन्दनमल बैद : एक मंत्री ने आपको महिला कह दिया, आपको मोहिनी कह दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो साधु आदमी हैं, कोई भी कुछ भी बना दें।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहिनी मंत्र राजस्थान विधान सभा में चला है, राजस्थान में चला है, प्रधान मंत्री पर चला है। मैं आपके माध्यम से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि अब क्लिटन पर और इंग्लैण्ड और एशिया पर भी चले तो देश को ज्यादा फायदा होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मोदीजी, अब द्रुत उदारीकरण है, जो दूर-दूर तक जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री चंदनमलजी बैद का आज ओजस्वी भाषण हुआ। मैं उनसे सदा सारगर्भित भाषण सुनने की उम्मीद करता हूं लेकिन आज के दिन सारगर्भित नहीं होकर उनका ओजस्वी भाषण सुना और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री जी आप वृद्ध हो रहे हैं, मैं थोड़ा जवान हूं, आपमें ऊर्जा की थोड़ी कमी हो रही है, मेरे ऊर्जा ज्यादा आ गयी है। इस परिस्थिति में ऊर्जा पर भी चर्चा हुई।

अध्यक्ष महोदय, दो-तीन बातें प्रमुख रूप से उभर कर सामने आयीं पहली बात, बजट के जनरल स्पीच पर भी चर्चा हुई और आज भी हुई है, वह है कर्ज के बारे में। माननीय चन्दनमल जी बैद ने कहा कि शिक्षा पर 37 पाइंट खर्च होगा बाद के अगले पांच साल में, चिकित्सा पर इतना खर्च होगा और ब्याज पर 40 प्रतिशत खर्च होगा केवल टैक्स रेवेन्यू का 40 प्रतिशत खर्च होगा। 37 प्रतिशत होगा टैक्स रेवेन्यू और नोन टैक्स रेवेन्यू को मिला करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई तुलना नहीं है। यदि हम तुलना करना चाहें, भारत सरकर की तुलना में, भारत सरकार प्रतिवर्ष 46 हजार करोड़ रुपये ब्याज के चुकाती है और इतना बड़ा देश है। इस देश के रक्षा व्यय पर सिर्फ 23 हजार करोड़ रुपये का खर्चा है। आप तो पांच वर्ष की बात कर रहे थे कि शिक्षा पर इतना खर्च और चिकित्सा पर इतना खर्च मेरा कहना है कि भारत सरकार जो 23 हजार करोड़ रुपये सिर्फ एक साल में भारत की रक्षा पर खर्च करती है, और 46 हजार करोड़ रुपये, दुगने रुपये प्रतिवर्ष ब्याज पर चुकाती है तो उसका क्या होल होगा ? फिर आपने आंकड़े दिये, यह ब्याज और कर्ज के...

श्री चन्दनमल बैद : दिल्ली चले जाओ आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह भारत सरकार से जुड़ी हुई बात कह रहा हूं। आप तो नीचे ही नहीं उतरते हो, हम तो राजस्थान की धरती पर उतरना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कहां भारत सरकार और कहां आप, छोटी बात करो न आप।

श्री विष्णु मोदी : अगली बार ये दिल्ली ही जा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब कौन कहां जायेगा, इसका फैसला तो 19 तारीख को हो जायेगा। मैं निवेदन कर रहा था कि कर्ज की बात करते समय मैंने पिछली बार भी कहा था कि कर्ज की बात करते हो, अभी हमने तय किया कि कर्जा कितना होना चाहिए ? सात बजट पेश करने वाले माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जब 3 हजार करोड़ रुपये की थी और अंतिम साल की 791 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना थी। उस समय एक रुपये में 22 पैसे ब्याज पर और लोन चुकाने पर खर्च किया था और 13 हजार करोड़ रुपये लेकर राजस्थान की वर्तमान सरकार सिर्फ 18 पैसे ब्याज पर और ऋण की अदायगी पर खर्च कर रही है। 3 हजार करोड़ रुपये की योजना, साढ़े छह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हजार करोड़ रुपये का कर्जा, 11,500 करोड़ रुपये की योजना और 13 हजार करोड़ रुपये का कर्जा, कितना बड़ा फर्क है ? आपने जो किया, वह कर नहीं रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। एक रुपये में 22 पैसे कर्ज और ब्याज पर चुकाते थे।

और आज जब हम एक रुपये में 10 पैसा ब्याज का चुकाते हैं तो आप कहते हो कि हमारा वित्तीय प्रबंधन बिगड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार ने इस बार जो बजट बढ़ाया है आप उस पर नहीं गये माननीय चन्दनमल जी। आपने पानी की चर्चा की आपने नहीं देखा कि पानी पर इस बार कितना व्यय बढ़ा है। आपने शिक्षा की चर्चा की आपने नहीं देखा कि शिक्षा पर कितना व्यय बढ़ा है। आपने चिकित्सा की चर्चा की आपने नहीं देखा कि चिकित्सा पर कितना व्यय बढ़ा है। 73 करोड़ से एकदम 124 करोड़ और 25 पर्सेण्ट पैसा हम विद्युत पर खर्च कर रहे हैं, 15 पर्सेण्ट बजट का सिंचाई पर खर्च कर रहे हैं और $62\frac{1}{2}$ पर्सेण्ट पैसा बजट का खर्च हम ग्रामीण जनता के विकास पर इस बार कर रहे हैं। स्कूल पिछली बार खोल दिऐ। इस बार नये स्कूल खोल रहे हैं, औषधालय खोल रहे हैं—क्या यह चाहते हैं कि हम कोई काम नहीं करें और यह हिन्दुस्तान की स्थिति किस ने बनायी हम कर्जा लेकर तनख्वाह नहीं चुका रहे हैं, कर्जा लेकर ब्याज नहीं चुका रहे हैं, हम कर्जा लेकर विकास कर रहे हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि 21वीं शताब्दी में जाने से पहले राजस्थान के प्रत्येक गांव को सड़क से नहीं जोड़ना चाहिए ? हमने घोषणा की 81 की जनगणना के अनुसार 500 तक की आबादी वाले गांवों को चाहे हम कहीं से भी कर्जा लेकर 3 हजार करोड़ की स्कीम बनाकर उसको सड़कों से जोड़ना चाहते हैं। यह काम है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बजट यह अपना नहीं बता सकते। यह कहते हैं कि मैंने 7 वर्ष बजट पेश किया है। एक बजट मुझे यह बता दें जिसमें आज की तुलना में अब 11,500 करोड़ की योजना है पीछे 3000 की थी, पहले उससे कम थी, एनुअल बजट कितना था, एनुअल प्लान कितना था। उसकी देनदारी में ब्याज का चुकारा जो आज हम कर रहे हैं उसकी पर्सेण्टेज से ज्यादा न हो। एक भी बजट बता दो।...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही तो मैं कह रहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक भी बता दो बजट।

श्री चन्दनमल बैद : आफहैण्ड कह रहे है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आफहैण्ड नहीं कर रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : बिलकुल आफ हैण्ड कह रहे हैं आप। आप बैठकर मुझसे बात कर लीजिए और मेरे बजट को ले लें और अपने बजट को भी ले लीजिए। मैंने कभी भी केपिटल अकाउन्ट के पैसों को इस तरह से बैजा रूप से खर्च नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिलकुल सही है, वह आप कह सकते हैं। मैं कहना नहीं चाहता था। उस समय भी आपको टोकता मगर माननीय सदस्य ने जब कह दी और आप कह रहे हैं कि आप तो फाइनेन्शल विजार्ड थे, सब के ऊपर आपने नियंत्रण किया है...

श्री चन्दनमल बैद : वह तो मैंने नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो कई इनफरेन्स निकलता है कि "यू आर ए फाइनेन्शल विजार्ड"। आप कह रहे हैं मैंने 7 वर्ष तक बजट पेश किया है, मैंने कीर्तिमान कायम किया है...

श्री चन्दनमल बैद : This is a fact not wizardry. This is a fact.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 'दिस इज दी फैक्ट' कि आपने 7 वर्ष बजट पेश किया है तो आपने सात बार बजट पेश करके राजस्थान को 17 वर्ष पीछे धकेल दिया है। आपने किया क्या है ? छोटे-छोटे बजट और छोटी-छोटी योजनायें बनाकर राजस्थान की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर पाये और आज आप कहते हैं कि आपने कर्जा ज्यादा ले लिया। आज का बजट सारा ब्याज के चुकारे में जाता है। आपको मैं चैलेंज करता हूं...

श्री चन्दनमल बैद : यह भाखड़ा, माही तो आपने ही बनाये हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके 7 वर्ष के बजट से इस वर्ष का आपका एनुअल बजट और 7 वर्ष का एनुअल प्लान, उन दोनों की तुलना में राजस्थान में आज जो हम ब्याज का चुकारा कर रहे हैं आपसे पर्सेन्टेजवाइज ज्यादा है या कम है ? आपका ज्यादा था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका ज्यादा था यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : यह जुबानी आंकड़ों से नहीं होगा। आंकड़े देखकर बताइये आप। आपको सुविधा है, आपके पीछे बहुत बड़ा स्टाफ बैठा है। आप आंकड़ों को देखकर बताइये। उस दिन भी आपने 10वें फाइनेन्स कमीशन के लिए कहा था...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं फाइनेन्स कमीशन के बारे में कह दूंगा...

श्री चन्दनमल बैद : उस दिन भी आपने गलत कहा...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कैसे कहते हैं कि मैंने ब्याज कम दिया है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं खड़े होकर कैसे कह सकता हूं जब तक कि मैं सारे आंकड़े नहीं देख लूं। आप आंकड़े बताइये। कोई सारे आंकड़े मुझे जुबानी याद हैं क्या ? आज से 25 साल पहले मैंने बजट पेश किये हैं। सारे 72 में पेश किये हैं और उसकी मुझे आप आज पूछ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैद जी मैं आपसे यह एक्सपेक्ट करता था कि आप दोनों परिस्थितियों की तुलना करेंगे। यदि हमारे में कोई कमी होगी तो उस कमी को उजागर करेंगे। हम आपकी सलाह को स्वीकार करते लेकिन आपने एक तरफा साइड की ही पिक्चर रखी। आपने एक तरफा रखकर कह दिया कि आप इतना ब्याज चुकाते हैं। आप कितना चुकाते थे ? आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रकम आपको मिली नहीं, कर्जा आपको मिला नहीं, साख आपकी थी नहीं, राजस्थान का विकास आप कर नहीं पाये...

श्री चन्दनमल बैद : आपको तो अपनी पर्सनल क्रेडिट पर मिल रहा है ना ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी खड़ी की गयी सम्पत्तियों पर मिल रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : भाखरा, माही, चम्बल, इन्दिरा गांधी नहर सब आपने ही बनाये हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपने भी नहीं बनाये। राजस्थान की जनता ने बनाये हैं। यह क्रेडिट मत लो कि चन्दनमल जी ने बनाये हैं। यह राजस्थान की जनता ने बनाये हैं। हमने पैसा दिया है।

श्री चन्दनमल वैद : नहीं हमने तो डुबो दिया और आने यह सब बना दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं न डुबोने की कहता न गिराने की कहता। मैं तो यह कहता हूं कि आप एक वनसाइडेड पिक्चर लेकर यह इमेज बनाना चाहे कि आपने तो राजस्थान को बिलकुल सोने का बना दिया और हमने मिट्टी का कर दिया। यह नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : मुख्य मंत्री जी आपको जो पीड़ा हुई उस पर मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे पीड़ा इस बात की हुई कि यह तो मैं साफ कहता हूं। मैं आज आपसे कुछ सुनना चाहता था इस विषय में कि इस बजट में आज की जिस प्रकार की परिस्थितियों में हम फंसे हैं उन परिस्थितियों से किस प्रकार से निकला जाये और इसलिए आपको याद होगा मैंने आपको एक दिन रिक्वेस्ट भी की थी कि उस समय न कह सके हों तो आप विनियोग विधेयक पर बोलकर कुछ बतायें ताकि हम कुछ व्यवस्था कर सकें। मेरे पास पीड़ा होने का सवाल नहीं था। पीड़ा केवल इसी बात की थी।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने तो सुझाव दिये है आपको लेकिन आप मानेंगे नहीं, मैं जानता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आप जयपुर में रिक्शा वालों से पूछ लो कि सरकार टेलीफोन पर ज्यादा खर्च कर रही है, पेट्रोल जल रहा है। यह तो वही आदमी कह देगा। लेकिन कौन सा ऐसा सुझाव है कि जिसके ऊपर गम्भीरता से चिन्तन करने की आवश्कता है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने वित्त मंत्री के समय कौन सा ऐसा काम किया है, ऐसा वित्तीय अनुशासन किया है, ऐसी मानीटरिंग की है कि जिसके कारण हम कोई प्रेरणा लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हैं एक दो बातें हैं। मैं बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि डुबोने और तिराने का सवाल नहीं है। माननीय चन्दनमल जी को मैं वित्त विशेषज्ञ मानता हूं और मैंने उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। इसमें मैं कोई दो राय प्रकट नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, तो एक बात तो क्लियर हो गयी सदन में कि जब शिक्षा आपको देनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि 500 तक की आबादी के जो गांव हैं उन गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे। तो इस बजट में इसका प्रावधान नहीं है बल्कि वह योजना के अलावा 3 हजार करोड़ रुपया अलग से लेकर हम उसकी व्यवस्था करेंगे। अगर आप अपने आज तक के कार्यकाल में जायें इस योजना के बाहर निकलकर इतनी बड़ी स्कीम तो आप बता दीजिए। हम 500 की आबादी वाले गांवों को आपकी बता मानकर और कटौती करके 21वीं शताब्दी में बिना सड़क के नहीं रहने देंगे...

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन्टरप्ट नहीं कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बोलने दें माननीय सदस्य

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर कहोंगे मुझे क्यों टोका और फिर मैं कहूंगा कि आपके काका जी बोले थे। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि हम 150 की ढाणी में एक प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे और 2 हजार वां वर्ष पूरा होने तक राजस्थान के हर गांव को विद्युतिकृत हम करना चाहते हैं। स्कूलें खोल रहे हैं...

श्री चन्दनमल बैद : $5\frac{1}{2}$ हजार बन्द किये हैं इन्होंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह स्कूल नहीं थे। वह कांग्रेस के शिक्षा केन्द्र थे वह बन्द किये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो पेड़ों के नीचे पढ़ाते थे। हम स्कूल भवनों में पढ़ायेंगे।

श्री विष्णु मोदी : कौन से पैसे से? भारत सरकार के पैसे से? रूरल डवलपमेन्ट मिनिस्ट्री के पैसे से।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : (व्यवधान) भारत सरकार के सेक्रेटरी ने एक आदेश भेजा था कि आप किस नाम से स्कूल खोल रहे हैं जिसमें 500 और 700 रुपये देंगे।

आपने उस पत्र को नहीं पढ़ा होगा जो भरत सरकार के एज्युकेशन सेक्रेटरी ने सरकार को चिट्ठी लिखी है।

श्री विष्णु मोदी : जो स्कूल बिल्डिंग बनाने वाले हैं वह उसके लिए आपके बजट में कितना एलोकेशन है और जितना डी.आर.डी.ए. में पैसा आने वाला है जो सारी स्कीम्स में आने वाला है उस पैसे आप बनाने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : बोलने दें माननीय सदस्य। बीच में टोकाटाकी नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे टोकने से कोई असर नहीं पड़ता है। मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस बार मोदी आपको इतने ठेके मिलेंगे कि चाहे जितने स्कूल भवन बनाना, सरकार के बजट में कोई कमी नहीं है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि बिजली, सड़क, स्कूल, सिंचाई, विद्युत और चिकित्सा राजस्थान के आम आदमी को किसी भी प्रकार से कठोरतम परिश्रम और मेहनत करके यह चीज हमको देनी हैं ताकि 21वीं शताब्दी में जाने से पहले वह भी सोचे कि मैं 50 वर्ष से आजाद देश का नागरिक हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 21वीं शताब्दी तो आयेगी तब आयेगी लेकिन इस गर्मी में तो व्यवस्था कर पानी और बिजली की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आ रहा है पानी भी, चिन्ता मत करो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी तो लोग मर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं मरने देंगे आपको।

श्री विष्णु मोदी : पानी आ रहा है, सड़क भी आ रही है, स्कूल भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, आ रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक बात चन्दनमल जी ने बहुत महत्वपूर्ण कही है और श्री बुड़ानिया जी ने भी कही थी। अन्य लोगों ने भी कही थी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी एक बात कही थी। इस समय हम संक्रमण काल में चल रहे हैं अर्थ व्यवस्था में हमारे परिवर्तन आ रहा है जो अत्याधिक केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था थी जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की अर्थ व्यवस्था थी वह अर्थ व्यवस्था को हम आज बदल रहे हैं और इस संक्रमणकाल में जा रहे हैं और आम आदमी का जो स्तर तय है वह सबसे बढ़िया है।

उसको किस प्रकार संरक्षण मिलना चाहिए इस बजट में इस बात का चिन्तन किया गया है। मैं उदाहरण के लिए एक बात आपको कहना चाहता हूं। प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, चलेगा। एक आदमी बीमार पड़ गया

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गरीब आदमी है। वह सरकारी कर्मचारी नहीं है, सरकार के खजाने से उसको पैसा नहीं मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन होगा तो आगे चलकर सरकार के अस्पताल कम होंगें सरकार के अस्पताल होंगे तो भी पूरा चिकित्सा का खर्चा सरकार वहन नहीं कर सकती। उसके बाद में वह किसी प्रकार से प्रोटेक्टेड भी नहीं है। उसको अगर प्राइवेटाइजेशन युग में दो लाख रुपये खर्च करने पड़े तो उस गरीब आदमी का क्या होगा यह सोचने की बात है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आज तक नहीं दिया। आम आदमी को इस प्रकार का अम्ब्रेला कोई भी सरकार उपलबध नहीं करा पायी और इसलिए उदारीकरण पर जाते सम हमको इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि उस गरीब आदमी को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाय और इसलिए चाहूंगा कि बड़े बड़े देश जो इस तरफ गये हैं उन्होंने पहले इतना बड़ा अपना खाका बिछाया कि हर आदमी उसके अन्तर्गत आ रहा था। आज कांग्रेस पार्टी उदारीकरण पर जा रही है वह उदारीकरण नहीं है वह विश्वीकरण कर रही है और आज बड़ी-बड़ी सारी कम्पनियां इस बात के लिए आ गयी कि भारत को गुलाम बनाकर चलना चाहती हैं। आज 75 पर्सेण्ट साबुन उत्पादन करने वाली-(व्यवधान)-

श्री विष्णु मोदी : लाखों रुपये का खर्चा होगा समाजवाद से अर्थव्यवस्था हट रही है और इस बजट में चिन्हित है कि उस गरीब आदमी के ऊपर कवच उपलब्ध करायेंगे। क्या समाजवाद के वक्त में अगर गरीब आदमी बीमार पड़ जाता तो राज का उत्तरदायित्व नहीं था ? क्या आज राज का उत्तर दायित्व नहीं है ? और उदारीकरण के अन्दर आप क्या कहना चाहते हैं कि इसके बाद आपको कोई क्लीयरिटी नहीं है। आप स्पेसिफिकली बताइए कि आपने किन बातों को चिन्हित किया है कि उदारीकरण से गरीब आदमी की रक्षा के लिए आपने बजट में आपने प्रावधान किया है, कौन से हैड में आपने पैसा रखा है और किस-किस तरह से आप प्रोटेक्शन देंगे-

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : किस तरह से आपने डंकल में हल्ला मचाया किस तरह से आपने कहा कि हम वह करेंगे यह भाषण करने की बात है-

श्री अध्यक्ष : बिराजें, इनको अपनी बात पूरी करने दें।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, उस आम आदमी को-

एक माननीय सदस्य : मोदी जी, समाजवाद की परिभाषा तो बता दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस आम आदमी को प्रोटेक्शन देने की बात हमको निश्चित रूप से सोचनी पड़ेगी। साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इस सदन की अब आम राय है कि इस प्रकार की जो कम्पनियां आयेगीं इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी तो उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि वस्तु की उत्पादन लागत क्या है। आज हिन्दुस्तान में कोई भी कम्पनी इस बात को, कोई भी उत्पादन करने वाला इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वह उत्पादकता की लागत बताए। इसलिए मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर भारत सरकार पहले करती है तो भारत सरकार-

श्री राजेन्द्र पारीक : केन्द्र सरकार ने लागू कर दिया।

श्री विष्णु मोदी : नहीं तो राजस्थान सरकार इस प्रकार का नियम बनाये कि जो भी वस्तु उत्पादन होकर आये उसका उत्पादन मूल्य क्या है इस बात का पता उपभोक्ता को रहना चाहिए और निश्चित रूप से रहना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : केन्द्र सरकार ने लागू कर दिया है...

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : कम्पनी लॉ में आलरैडी प्रोवीजन है कि आपकी क्या उत्पादन कास्ट है। कास्ट एकाउंटेन्सी का आडिट होता है। क्यों सदन को गुमराह करना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : मोदी जी बिराजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक एक बात पर इस तरह से गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और मैं दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में बहुत बड़ी चर्चा चली कि बिजली पर हम इतना खर्च करते हैं, हमें इतनी इनकम होती है। पानी पर हम ऑपरेशन और मेनटीनेंस पर 300 करोड़ रुपये खर्च करते है 60 करोड़ रुपये आते हैं। सिंचाई पर इतना खर्च करके 25 करोड़ रुपये आते हैं जिन लोगों ने एक बार सुविधा प्राप्त कर ली वह दूसरे को आगे सुविधा देना नहीं चाहते। चन्दनमल जी ने कहा कि टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए। बुड़ानिया जी ने भी कहा कि ऑपरेशन और मेनटीनेंस की कास्ट वसूल होनी चाहिए। मैं भी इस बात के पक्ष में हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं यह चाहता हूं राजस्थान में राजस्थान सरकार इस प्रकार की एक एजेन्सी बनाये, एक न्याधिकरण बनाये जिसका अध्यक्ष कोई हाईकोर्ट का जज हो उसमें और भी मेम्बर हों, जो सरकार से इस बात के लिए पूछें कि बिजली किस कीमत पर आती है ? पानी किस कीमत पर देते हो ? जितने उपभोक्ता मंच हैं वह उपभोक्ता मंच अपने प्रतिवेदन उनको दें, उपभोक्ता संघ उनको दें और वह एक निश्चित न्यूनतम कीमत तय करे और उसके बाद में सरकार को जो सब्सिडी देनी हो सरकार गरीब आदमी के लिए सब्सिडी दे। इस प्रकार का नीति निर्धारण का काम होना चाहिए। आम उपभोक्ता की नीति बन सके.(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आन्दोलन कौन करेगा, बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यही चांस है आपको कि डिस्टर्ब करके ही मैं अपना नाम लिखा लूं, आप बोलिए। आप बोलेंगे तो अच्छा है हम भी सुनेंगे लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बोल चुके हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार नीति तय की जाए। अध्यक्ष महोदय, यहां पर पानी पर चर्चा की गयी कि पानी की बहुत कमी है। राजस्थान में पानी की कमी है इसको हम सब जानते हैं। जब पानी की कमी है तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं आपके साथ गया था जमुना जल की 1960 से इस राजस्थान की विधान सभा में चर्चा चलती आयी है और राज बहादुर जीने चर्चा की थी यहां 1980 के अन्दर जब एम एल ए बनकर आये थे। 1965 में चर्चा की थी और जमुनाजल का जो बहुत बड़ा समझौता राजस्थान का हुआ है उसके लिए राजस्थान की सरकार बधाई और धन्यवाद की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, इस बात का सब को पता है...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यदुनाथ सिंह जी को भी धन्यवाद दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनको भी धन्यवाद है और आपने उनको किताब दी है उसके लिए आपको भी धन्यवाद है।पर आप उस समय कर नहीं पाये आप सिंचाई मंत्री थे तो उसके लिए क्या मैं आपकी भर्त्सना करूं ? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जमुना के जल में यह हक ही प्राप्त नहीं हुआ है राजस्थान की गंगा के जलपर अधिकार भी उस समझौते से प्राप्त हो गया है। 1901 में केन्द्रीय जल आयोग ने इण्डस बेसिन को माना था उसमें गंगा और जमुना के बेसिन में राजस्थान को माना है उनका कहना था कि राजस्थन की कई नदियां चम्बल में जाकर मिलती हैं, चम्बल जमुना में जाती है और जमुना गंगा में जाती है इस कारण से गंगा और यमुना के पानी पर राजस्थान का अधिकार बनता है। केन्द्रीय जल आयोग ने 40 हजार क्यूसेक पानी राजस्थान को गंगा से देने का तय किया था उस पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सतलज, रावी और व्यास का जो पानी मिला, माननीय चन्दनमल जी, वह 1955 में वर्ल्ड बैंक ने राजस्थान को देखकर भारत की इन तीन नदियों का पानी दिया था उसके बाद एट पाइंट एम एफ पानी राजस्थान को मिला था। उसके बाद 1984 में–

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वर्ल्ड बैंक का क्या लेना देना, उस वक्त वर्ल्ड बैंक था ही नहीं उस समय।

श्री अध्यक्ष : बिराजो। बाद में चैलेंज कर देना। इनको अपनी बात पूरी करने दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं यह कह रहा हूं उस वक्त वर्ल्ड बैंक नहीं था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किस ने फैसला किया ?

श्री विष्णु मोदी : कमीशन बना था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कौन सा कमीशन ?

श्री विष्णु मोदी : युनाईटेड नेशन्स के नीचे स्पान्सर्ड थी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किसी ने किया हो, मैंने नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : विराजें। माननीय सदस्य को बात पूरी करने दें। समय जाया नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वर्ल्ड बैंक से हुआ है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : क्या बात कर रहे है, वर्ल्ड बैंक 1945 में बन गया था। यू एन ओ के अन्दर वर्ल्ड बैंक बना है। शर्त हो जाय इस बात की। वर्ल्ड बैंक बहुत छोटा था, अमेरिका ने ही पहल की थी और रूजवेल्ट ने की थी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : रेफरेन्स टू कान्टेस्ट बात करिये। राजस्थान कैनाल की बात हो रही है–

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और गुलाटी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और उस प्रतिनिधित्व के आधार पर तीन नदियों का पानी मिला था। उन नदियों के पानी का हिस्सा जो राजस्थान को मिलता उसकी बिजली का हिस्सा भी राजस्थान को पूरा मिलना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1984-85 में समझौता करके और जो पाइंट 60 एम ए एफ पानी हमेशा-हमेशा के लिए पंजाब को दे दिया। इसी प्रकार से आनन्दपुर सहिब में, रोपड़ में, सातकेंडी में और मुकेरियामें जो बिजली थी उस बिजली में नॉन कंजम्बटिव यूज के आधार पर हमको जो बिजली का हिस्सा मिलना चाहिए था वह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बिजली का हिस्सा आज तक नहीं मिला और अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बिजली की कमी बात करते थे, 1984 में सुप्रीम कोर्ट को रैफर करने के बाद नॉन कंजम्बटिव यूज को अगर सुप्रीम कोर्ट को रैफर करा देते तो उनमें हमारे अधिकार तयक होते हव आज तक हमारा अधिकार तय नहीं हो पाया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है और यह यमुना का जो पानी है..

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : लोंगोवाल समझौते में राजस्थान का कोई नुकसान नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लोंगोवाल की बात कहां हो रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 84-85 की किसकी बात हो रही है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कह रहा हूं नॉन कंजम्पटिव यूज जो वाटर काथा, सुप्रीम कोर्ट को रैफर करना था..

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : घनश्यामजी, आपको याद है, यहां जबरदस्त डिबेट हुई थी और आपके नेता ने पूरे हाउस को गुमराह किया था और 199 विधायक उसमें ठप्पा लगाने वाले थे, इंटरवेंशन के बाद में आधे घण्टे तक डिबेट बन्द रही और पीछे वापस कोई रिजोलूशन नहीं हुआ और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी को लोंगोवाल समझौता लाने के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि पहली बात तो आपने कहा कि वर्ल्ड बैंक के बीच में पड़ने के आधार पर ही नदियों के पानी का समझौता हुआ, वह तो मानते ही हो क्या ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मुझे कह रहे हैं क्या ? आप अध्यक्ष को फरमाओ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर अपनी रंजिश वाली बात सामने आयेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको ही कह रहा हूं। नहीं, नहीं वह गलती कोई नहीं निकलेगी। जिस आदमी को यह जानकारी नहीं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो नदियों का विवाद था उस विवाद का निर्णय वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बाद में हुआ।

श्री माधवसिंह दीवान : वर्ल्ड बैंक के चेयरमेन लूजिंग प्लेकी को..

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वर्ल्ड बैंक नहीं, इण्टरनेशनल कोर्ट में हुआ था। बेनवास साहब गयेथे, इण्टरनेशनल कोर्ट का मैं मानता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, उस समय यह विवाद था कि किन नदियों का पानी हिन्दुस्तान को मिले, किन नदियों का पानी पाकिस्तान को मिले। यह मामला काफी उलझ गया। उलझ गया तो वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने इस बीच में आकर इसका समझौता कराया नम्बर एक।

श्री माधव सिंह दीवान : वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन लूजिंग प्लेकी को मीडियेटर नियुक्त किया था इंडीविजुअल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह एक बात आ गयी है। आप कह रहे थे वर्ल्ड बैंक था ही नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ल्ड बैंक का यह कह रहा हूं कि वर्ल्ड बैंक में राजस्थान..

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : अब राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कोई एतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने मान ली आपकी बात।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो यह कह रहा हूं, इण्टरनेशनल कोर्ट में इंटरवेंशन से वर्ल्ड बैंक का आदमी चैयरमैन नियुक्त हुआ था, उसने निर्णय लिया तो वर्ल्ड बैंक कहां से आ गया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आ गया, आप तो उस समय कह गये कि वर्ल्ड बैंक था ही नहीं। खैर, वह बात समाप्त हुई। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन यह था कि 1981 में एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में आधार तो यह बनाया गया कि राजस्थान को यह जो पानी आता है उस पानी की मात्रा इतनी है या उसी पानी की मात्रा बनी हुई है। उस समय हमें 8 एम. ए. एफ. पानी मिलता था। उसके बाद में, मुझे डेफिनेट तो याद नहीं, 17 पांइट के करीब एम. ए. एफ. की मात्रा तय की गयी और उसमें राजस्थान का हिस्सा 8.6 लिखा गया। 1981 के एग्रीमेंट में यह मंजूर कर लिया कि यह जो पाइंट 60 एम. ए. एफ. है यह पानी उस समय तक पंजाब यूज करता रहेगा।

जब तक राजस्थान इस पानी को यूज करने के लिए पोटेंशियल तैयार नहीं करे, यह हुआ। अब यह मामला चलता रहा, पंजाब आज तक इस आधार पर पानी नहीं छोड़ रहा है इसलिए 1981 के एग्रीमेंट से तो यह आपको नुकसान हुआ। दूसरा एग्रीमेंट हुआ 1984 में। 1984 के पहले, इस एग्रीमेंट के पहले इन तीन नदियों के पानी नॉन कंजम्पटिव यूज से जो बिजली हमको मिलती थी उसमें राजस्थान का हिस्सा 2-3 कमीशन के अवार्ड के आधार पर हमको मिलता रहा था। एक जगह शायद 15.20 पर्सेण्ट मिलता था और दूसरी जगह 51 पांइट कुछ पर्सेण्टेज हमको बिजली उसमें मिलती थी। 1984 में जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट में राजस्थान की सरकार ने यह स्वीकार कर दिया कि इन तीन नदियों के पानी में जो इसका नॉन कंजम्पटिव यूज है उसमें हमारा हिस्सा है या नहीं है यह सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और उसके कारण से आज यह प्रोजेक्ट तो बन रहे हैं, हमारा हिस्सा हमको देने की कोई बात ही पैदा नही होती। इस यमुना नदी के विवाद में मैंने इस क्वेश्चन को फिर उठाया और उठाकर यह कहा कि नॉन कंजम्पटिव यूज का मैटर, यह तीन नदियों से सम्बन्धित है। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी रैफर करे, मुझे इर्रिगेशन डिपार्टमेंट से सूचना मिली है मंत्रालय से कि हमने पावर मिनिस्ट्री को लिखकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए आग्रह किया है। वह भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में तो जाना ही है और जाकर वहां से ही निर्णय होगा वरना पहले हमें न तो सुप्रीम कोर्ट में जाना था, जैसे हमें भांखड़ा में हिस्सा मिला था पोंग डेम के कारण बिजली जो पैदा हुई उसमें हिस्सा मिला। उसी प्रकार से हमें हिस्सा मिलता रहता तो वह सारा हिस्सा डूब गया इस 1984 के एग्रीमेंट से।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, कृपया—

श्री अध्यक्ष : बिराजें। इस पर कोई डिबेट नहीं है। अपनी बात पूरी करें माननीय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा कि अगर नॉन कंजम्पटिव यूज का फैसला कराने के लिए रेफरेंस जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में जाय उतना ही राजस्थान के हित में रहेगा और वह रेफरेंस जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि जो पानी हमको मिलता है उस पानी का यूज वह करते हैं, बिजली बनाने के लिए, उस बिजली में भी राजस्थान का हिस्सा है और राजस्थान को बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ राजस्थान के कई अन्य मामले पड़े हुए हैं जिसमें सारे सदन को एकमत होकर फैसला करना चाहिए। कोल और पार्वती का खेतसिंह जी आपको ध्यान होगा, आप मंत्री थे उस समय, शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री थे, आपने एक श्वेत किताब प्रकाशित की थी कि कोल और पार्वती का समझौता हो गया है और इतने मेगावाट बिजली हमको मिलेगी। आज यह समझौता खत्म होकर प्राइवेट कम्पनी को दिया जा रहा है। आपके राज में ही समाप्त हो गया था। आपने जो पैसा तय किया था, पैसा नहीं दिया उसके बदले और पैसा नहीं दिया उसके कारण से वह समझौता समाप्त हो गया कोल और पार्वती में। इसी प्रकार से नाथपाझाकड़ी में हुआ, अब भारत सरकार उसको बना रही है। इसी प्रकार दोआब में...

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज चला गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राज चला गया, राज के रहते-रहते काम डुबोकर गये आप और बिजली की सबसे बड़ी कमी राजस्थान में पैदा की। यह 1983 में मैंने राजस्थान की विधान सभा में एक प्रश्न उठाकर कहा था, मेरा भाषण है, मैं पढ़कर पूरा उसको सुना सकता हूं कि राजस्थान की सरकार बिजली के इस मामले पर ध्यान नहीं देगी तो 1995-96 में जाकर 50 से 60 पर्सेण्ट तक बिजली की कमी राजस्थान में आयेगी और आज कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है जिसके कारण से राजस्थान के किसानों को बिजली के लिए तड़फना पड़ रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने 6 वर्ष में कितनी बढ़ा दी वह तो बता दो।

श्री चन्दनमल बैद : 15 मेगावाट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह भी बता रहा हूं वह भी सुनो। 15 मेगावाट आपने बतायी, 4300 मेगावाट की स्कीम बना दी है। अगली साल सूरतगढ़ आ रहा है। आप कौनसी छोड़कर गये थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कौनसी बिजली पैदा की। आप तो 40 साल का इतिहास बता दे। 40 वर्षों में आपने कितनी बिजली पैदा की वह बता दो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जोधपुर में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारे राजस्थान में। आप बतायें कि 40 वर्ष में। आपसे नहीं पूछ रहा हूं। आप तो सब चीजों के एक्सपर्ट हो। तो आप खेतसिंह जी को बता दो। 40 वर्ष में आपने कितनी बिजली पैदा की राजस्थान में। राजस्थान बना उस समय मुझे याद है कि...

श्री चन्दनमल बैद : सेवन्थ प्लान में 569 मेगावाट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां से ?

श्री चन्दनमल बैद : अब यह सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बताओ बिजली कहां से पैदा की ?

श्री चन्दनमल बैद : 569 मेगावाट बिजली हमने सेवन्थ प्लान में 85-90 में पैदा

(श्री चन्दनमल बैद)

की और आपने 274 में से 210 निकला दो, 64 मेगावाट की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता दूं, आप बिजली के बार में रोज-रोज बोलते हो, आपको बिजली मिलती है भांखड़ा से, वह मिलती है अन्तर्राज्यीय समझौते के कारण।

श्री विणु मोदी : कौन लाया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन लाया वह छोड़िये, आप तो यह कहें राजस्थान कौन लाया, उससे मतलब नहीं। दूसरी आपकी बिजली पोंग डेम से

श्री चन्दनमल बैद : आप तो यह कहोगे कि यमुना जल मैं लाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह नहीं कहने वाला हूं। लेकिन मैं आपको भी यह नहीं कहने देने वाला हूं कि आप लाये हैं। यह अन्तरराज्यीय परिस्थितियां थीं, परिस्थितियों में पानी हमको तीन नदियों का मिला। तीन नदियों से पैदा होने वाली बिजली में हमारा शेयर रहा लेकिन उसमें आपका क्या लेना-देना अब भांखड़ा में या पोंगडेम में बिजली पैदा हुई, उसमें आपका लेना-देना नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : किसका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मतलब ? राजस्थान का तो है ही, राजस्थान को हिस्से में मिला है लेकिन आप यह समझें कि आप लेकर आ गये हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आर.ए.पी.पी. की आपने दो यूनिट तीन यूनिट लगायी तो आर.ए. पी. पी. की यूनिट अटामिक पावर प्रौजेक्ट की लगी वह राजस्थान सरकार ने इसको नहीं लगाया वह भारत सरकार ने लगाया, इसको भी आप मंजूर करेंगे। आप कहो कि कोटा थर्मल...

श्री चन्दनमल बैद : भारत सरकार किसकी है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये। अब यह छोड़िये भारत सरकार कांग्रेस की हो चाहे किसी की हो, बस इसको छोड़िये। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि और कौनसी बिजली पैदा की आपने ? अब आप कहेंगे कि हमने कोटा में बिजली पैदा की, कोटा में 1977 के पहले कोई कारखाना नहीं लगा था, उसको मैंने लगवाया था और अब उसके बाद में 5 यूनिट लगी है। अब आपने 40 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने अगर बिजली पैदा की है तो माही की 32 मेगावाट बिजली पैदा की और बाद का जो एक्सटेंशन हुआ है वह सारी पैदा की और तालियां बजा रहे हैं कि हमने बिजली पैदा करदी, हमने क्या बिजली पैदा कर दी, बिजली आयी थी वह ले गये...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया कि 1977 के पहले कोटा में कोई बिजली पैदा नहीं होती थी। यह अटोमिक एनर्जी का प्लान कब आया ? यह गांधी सागर, राणा प्रतापसागर, जवाहर सागर पर हाइडल इलेक्ट्रिसिटी 1977 के पहले...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने पहले बता दिया, बता दिया।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कांग्रेस के शासन में पैदा हुई और...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : एन. टी. पी. सी. का कारखाना भी कांग्रेस के शासन में लगा और कोटा का थर्मल का कारखाना जब श्री के. सी. पंत एनर्जी मिनिस्टर हुआ करते थे, 1995 में उन्होंने सैंक्शन किया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कौनसी ऐसी बिजली है, अध्यक्ष महोदय, चाहे हाइडल इलेक्ट्रिसिटी को ले लें, चाहे एटोमिक एनर्जी को ले लें और चाहे थर्मल को ले लें...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। केन्द्र सरकार की बात हो रही है या राजस्थान सरकार की ?

श्री शांति कुमार धारीवाल : गैस प्लांट को ले लें, कोल बेस्ड हो सारी की सारी बिजली हमने पैदा की।

श्री अध्यक्ष : केन्द्र सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। बिराजिये आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : सारा करण्ट हम में है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, माननीय सदस्य, इन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : और ये करण्टहीन मोमबत्ती वाले।...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ...(व्यवधान)...

श्री शांति कुमार धारीवाल : चिराग जलाना तक नहीं आता है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लगा देंगे।

श्री शांति कुमार धारीवाल : चिराग भी नहीं जलाये जायेंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : श्री भुवनेशजी को साधुवाद दे दो।

श्री मदन दिलावर : मोमबत्ती जल जायेगी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : श्री मदन दिलावर फिर दिखाऊं दूसरा वारण्ट ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। बोलने दें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हर चीज की एक लिमिट होती है। (व्यवधान)... यह सच कर दिया कि लड़की को ये नहीं लेकर भागे थे, लड़की इनको लेकर भाग गयी थी।

अध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि बिजली आज हमारी आवश्यकता है, पानी आज हमारी आवश्यकता है इस बात को हम राजनैतिक वाद-विवाद में नहीं फंसा कर इसकी अधिक उपलब्धता पर जोर दें, तब हमारा काम सही होगा।

श्री चन्दनमल बैद : मोमबत्ती की फैक्ट्री लगाने की बात करो।...(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : मोमबत्ती की बात करते हैं तो मुझे कष्ट होता है। बिजली उत्पादन के लिए जो प्रयास अभी हो रहे हैं कांग्रेस के इतने सालों के शासन में कभी नहीं हुए और मैं आपसे यह उम्मीद करता था कि आप इसको एप्रिशिएट करेंगे पर इसमें आप मोमबत्ती देखना चाहते हैं और हम जगमगाता राजस्थान देखना चाहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अंधेरा जितना आज हुआ है उतना 40 साल में कभी नहीं हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 1984 में, जिस समय आप थे राजस्थान में 60 पर्सेण्ट बिजली की कमी थी...

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछले साल जितनी बिजली आयी है उसमें प्रतिमास ज्यादा बिजली आयी है, मांग बढ़ रही है और आपने कोई काम नहीं किया था और पिछली बार बड़ी शान से चैलेंज किया था कि पंचवर्षीय योजना में 1 मेगावाट बिजली नहीं आयेगी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

210 मेगावाट थर्मल की वह आयेगी या नहीं आयेगी ?

श्री चन्दनमल बैद : यह नहीं कहा मैंने, मैंने कहा, मैं फिर कहता हूँ कि वह थर्मल नहीं आया है, अभी तक थर्मल नहीं आया...

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह जो विधान सभा में जो प्रकृति है, मुझे बड़ा कष्ट होता है, जब आप यह बात करते हैं, आप यह कह कर इण्डस्ट्रीज...

श्री चन्दनमल बैद : और यह सूरतगढ़ नहीं आयेगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक भावना पैदा करना चाहते है कि राजस्थान में बिजली नहीं है। 2 साल में राजस्थान की स्थिति बदल जायेगी बिजली में, मैं दावे से कहता हूँ आपको। आपने जितनी बिजली पैदा की है आज दिन तक उतनी बिजली 2 साल में पैदा करके बतायेंगे।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप जो प्रयास कर रहे हैं वे सफल नहीं होने देंगे, भाई साहब, आप जो प्रयास कर रहे हैं ये सफल नहीं होने देंगे।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : दो साल से अगर आप 1 मेगावाट बिजली भी ले आये, न सूरतगढ़ आयेगा, न बरसिंगसर आयेगा, न आपका 4 हजार और कुछ मेगावाट का वह आयेगा...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री मोदी साहब, आप बिराजिये। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : डीजल आयेगा, डीजल आयेगा।

श्री विष्णु मोदी : न डीजल आयेगा, न आपका 35 मेगावाट गैस का, यह आप चालू कर लें तो गनीमत समझेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप लोग इस मामले में बहुत उदासीन रहे हैं, निराश हैं। मैं आपको राजस्थान के भविष्य की कल्पना दे रहा हूँ कि राजस्थान में बिजली की कमी थोड़े दिन बाद नहीं रहेगी, 2 साल बाद कम हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा है। माननीय श्री घनश्यामजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली आयेगी, राजस्थान में निश्चित रूप से बिजली आयेगी।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : औद्योगीकरण भी होगा और मोदी जी...(व्यवधान)...

श्री जगदीप धनखड़ : जेनरेशन कम है, बिजली के आपके आंकड़े कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : आप ओवर ड्रा करना जानते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मोदीजी, +++ राजस्थान में बिजली आयेगी और राजस्थान में बिजली आयेगी।

श्री चन्दनमल बैद : बिजली आयेगी और आ रही है, आ रही है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री विष्णु मोदी : आ रही है, आ रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आ रही है और 2 हजार मेगावाट डीजल जेनरेशन से आयेगी और डेढ़-दो साल में राजस्थान ऐसा प्रान्त होगा जिसमें सबसे बढ़िया औद्योगिक विकास, औद्योगिक वातावरण राजस्थान का होगा और सबसे अधिक विद्युत प्राप्त होगी और हम यह करके बतायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा की गयी और माननीय मुख्यमंत्री से एक निवेदन करना चाहूंगा कि पानी के रिचार्ज सिस्टम को डवलप करने के लिए यहां पर मंत्रालय का गठन किया जाना चाहिये या किसी मंत्रालय के अधीन इस काम को निश्चित रूप से दिया जाना चाहिये। आज हिन्दुस्तान और राजस्थान के किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पानी नीचे जा रहा है और आज तक पानी के रिचार्ज की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए चाहे वाटर रिचार्ज एक्ट लगाया जाय, कानून बनाया जाय और कानून बनाकर पानी के बारे में किसानों में जागृति पैदा की जाय, आम उपभोक्ताओं में जागृति पैदा की जाय और वाटर रिचार्ज सिस्टम को डवलप करने के लिए किसी न किसी प्रकार का कानून बनाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्रीजी ने पिछले बजट भाषण में कहा था, आज माननीय श्रीमती कमलाजी अभी नहीं हैं, उन्होंने यह मांग भी की थी कि राजस्थान कई मामलों में समृद्ध प्रान्त रहा है। राजस्थान में वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, ज्यौतिष के बारे में और संस्कृति के बारे में, भारत की धाती के बारे में दुनिया भर में अपना नाम कमाया है और इस राजस्थान की पवित्र धरती पर हर कीमत में इस साल संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिये। मुझे आशा है, माननीय मुख्यमंत्रीजी संस्कृत विश्वविद्यालय को इसी वर्ष शुरू करने की बात राजस्थान में करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ बजट मैनुअल में चेंज जरूर किया गया है लेकिन विभागों की टेंडर की प्रक्रिया के बारे में कई अलग-अलग प्रश्न यहां पर उठते हैं इसलिए विभागों की टेंडर की प्रक्रिया जो बहुत पुरानी हो गयी है उस प्रक्रिया को बदलने का काम भी करना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय सदस्य श्री धनखड़ साहब ने कल उठायी थी कि राजस्थान में पंचायतों के चुनाव तो हो गये लेकिन उनको अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं और पंचायतों के अधिकारों के बारे में कांग्रेस पार्टी ने कल वाक आउट भी किया था। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल सारी रात कोशिश की कि हरियाणा में 73 वें संविधान संशोधन होने के बाद चुनाव हुए हैं, मध्य-प्रदेश में इसके बाद चुनाव हुए हैं और बहुत से राज्यों में...

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान की बात करिये आप यहां पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आ रहा हूँ, आ रहा हूँ साहब इतना क्यों घबरा रहे हैं ? राजस्थान में चुनाव हुए हैं...

श्री जगदीप धनखड़ : वहां क्या ढूंढ रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : करने की मांग कर रहा हूँ आपके साथ, आप सुने तो सही।...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी पंचायतों को अधिकार तो दिलाना नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहती है लेकिन उसके लिए एक भ्रान्ति पैदा करना चाहते हैं पहले के पंचायत एक्ट में जो पंचायतों को अधिकार प्राप्त थे उनमें से कुछ अधिकारों का स्थगन ग्राम सेवकों को एडमिनिस्ट्रेटर होने के कारण हो गया था। उसमें एक पट्टे देने का काम भी था। चुनाव होने के बाद में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके जो पुराने काम पंचायतों के थे वह सारे के सारे काम पंचायतों को राज्य सरकार ने वापस दे दिये हैं और आज वह काम कर रही है। यहाँ एक प्रश्न उठाया गया कि इनको नये काम दिये जायें, क्या विधान है ? पंचायत एक्ट की धारा 50-51 और 52, 50 में पंचायतों के लिए, 51 में पंचायत समितियों के लिए और 52 में जिला परिषदों के लिए उनकी अनुक्रमणिका 1-2 और 3 में सारा प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार से अधिकार...(व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप मीणा : डाइरेक्टर रो रहे है कि हमको क्या अधिकार मिले हैं। वह परेशान है न वह जिला परिषद् में जा सकते हैं, न पंचायत में जा सकते हैं कोई काम नहीं हो रहा है, डाइरेक्टर लोग धरने पर बैठे हुये है बाहर और आप कह रहे हैं कि उनको पूरे अधिकार दिये गये हैं। यह क्या कानून बनाया आपने ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। ...बिराजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति के जीते हुए सदस्य और जिला परिषद के जीते हुए सदस्यों के बारे में बार-बार प्रश्न उठाया जाता है कि इनको क्या अधिकार प्राप्त हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे जिला परिषद के प्रमुख को प्रशिक्षण भी नहीं दे पा रहे हैं। उनको वहां से निकाल दिया और इससे बड़ी बात क्या होगी। इसमें आपने पार्टीबाजी फैला दी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। इतनी जल्दबाजी नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनकी ट्रेनिंग हो रही है और आज उनको ट्रेनिंग में क्या-क्या काम करना बताया जा रहा है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि एम.एल.ए. चुनकर आते हैं, उनको लेजिस्लेटिव बिजनस है। पंचायत समिति के क्या अधिकार होंगे, जिला परिषद के क्या अधिकार होंगे और पंचायतों के क्या अधिकार होंगे, यह तो प्रश्न पूछने का और अधिकार देने का है लेकिन पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद का सदस्य और पंच, इनके क्या काम हैं ? इनका काम पंचायत समितियों की मीटिंगों में भाग लेना, पंचायत समिति और जिला परिषद को संचालित करना, अपने क्षेत्र के विकास का काम करना, ये उनके काम हैं और वे चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव जीते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है कि उनको क्या अधिकार प्राप्त हैं ? कोई माननीय सदस्य...

श्री रामस्वरूप मीणा : ...और आपके सरपंच जो पंचायत समिति में नहीं जा सकते थे, उससे बड़ी बात और क्या होगी।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोले माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस सदन के सदस्य रहे हुए कई माननीय सदस्य भी जिला परिषद के मेम्बर हैं। मिनिस्टर रहे हुए मेम्बर भी जिला परिषद के मेम्बर हैं। वे जानते हैं कि मुझे क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं ? कोई उनको ज्यादा समझदार बनकर समझाने की कोशिश नहीं करें राजस्थान की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सरकार निश्चित रूप से पंचायतों को अधिकार देगी लेकिन कौनसे अधिकार और कैसे अधिकार ? इस पर सदन सहमत हुआ कि एक समिति बनायी जाय। मैं कहना चाहता हूँ, दो प्रकार के अधिकार हैं, एक प्रशासकीय और एक विकास का। आज ये संस्थाएं अनुदान की संस्थाएं हैं। आज इन संस्थाओं को अगर राजस्थान की सरकार अनुदान बंद कर दे, इन संस्थाओं के पास कुछ नहीं है और इसलिए वित्त आयोग की रिपोर्ट का इन्तजार करना पड़ेगा कि वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पहला काम होगा कि इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारा जाय और इनकी वित्तीय स्थिति को ठीक किया जाय और इस काम के आधार पर मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा। मुख्यमंत्रीजी, पूरे अधिकार देने में एक बात शायद आपकी नजर से निकल गयी। आपने पंचायतों का अनुदान बढ़ा दिया...

श्री रामस्वरूप मीणा : आप ही निकल गये नजर से, बात ही नहीं निकली।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भगवान से मैं आपके लिए थोड़ा मांगकर लाता हूँ। मैंने मांगी लेकिन मिलती नहीं बाजार में। बाजार में मिल जाये तो सबसे पहले खरीद कर आपको ही देता (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इनको काम देने की बात है तो इनको विकास का काम देना है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ। अगर इनको प्रशासन का काम दिया। यहां पर राजस्थान विधानसभा में बैठे हैं। यहां पर हैण्ड पम्प के बारे में बराबर दोनों तरफ से चर्चा होती है कि पंचायतों से वापस ले लिया जाय। यहां पर आयुर्वेद के बारे में दोनों तरफ से चर्चा होती है कि आयुर्वेद वापस ले लिया जाय। यहां पर मिडिल तक की, 8वीं तक शिक्षा को, माननीय चन्दनमल जी और खेतसिंह जी के मंत्रित्वकाल में शिवचरण जी माथुर ने पंचायतों से वापस लिया था। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ। हमको सोच-समझकर व्यवस्था करनी पड़ेगी कि पंचायत में किस प्रकार का अधिकार दिया जाय ताकि विकास का केन्द्र बन सके और सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में इनका विकास हो। इसके लिए मुख्यमंत्रीजी सदन की कमेटी बनायेंगे। इस पर सहमति हुई है सबकी और सहमति के बाद में इस पर कार्यवाही होगी।

लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो काम संचालित होते हैं, उनके पर्यवेक्षण और उनके विकास की सारी जिम्मेदारी अपनी पंचायतों को दें, इस बात को करना चाहिए। अपन जानते हैं अच्छी तरह से कि हिन्दुस्तान के बहुत से प्रान्तों में अधिकार दिये गये हैं और वापस लिये गये हैं। अगर इसी प्रक्रिया को चलाना है राजनैतिक आधार पर तो कोई भी मांग की जा सकती है, लेकिन आंगनबाड़ी का कार्यक्रम है, साक्षरता का कार्यक्रम है, परिवार नियोजन का कार्यक्रम है...

श्री चन्दनमल बैद : आप तो यह बता दीजिये कि डी.आर.डी.ए., जिला परिषद को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ज्यादा लम्बा-चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक डी.आर.डी.ए. का मामला है, व्यक्तिगत रूप से इस बात के ऊपर इतना ही कहूंगा कि दो प्रान्तों में दिया गया था, महाराष्ट्र और कर्नाटक में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वापस ले लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जब कर्नाटक में जनतादल की सरकार थी तब डी.आर.डी.ए. को पंचायतों को दिया गया था और कांग्रेस की सरकार आयी तो डी.आर.डी.ए. को पंचायतों से वापस ले लिया...

श्री चन्दनमल बैद : आप दे दो ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह दो मुंही राजनीति नहीं चल सकती। हरियाणा और मध्यप्रदेश में हमारा राज होते हुए भी हम कुछ नहीं देना चाहें और राजस्थान में हम इस बात को राजनैतिक पाइण्ट बनाना चाहें। कर्नाटक में जनतादल ने दिया और कांग्रेस ने वापस लिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह भूमिका क्यों बांधते हो कि नहीं दे रहे हैं। खतम हुई बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो अध्यक्ष महोदय, इसका एक नीतिसंगत (व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई : ...जनता पार्टी का राज आना तो बाद में, मुख्यमंत्री भैरोंसिंह जी शेखावात बाद में हुए हैं, अभी कहां है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमको सोच-समझकर देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के घोषणा पत्र में इस बात की मांग की थी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्राम हैं, ग्राम पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में विकसित करने का भारतीय जनता पार्टी का नारा है और सरकार से इसी प्रकार का हमने निवेदन किया कि इस प्रकार का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया जाय ताकि ग्राम पंचायत का सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में विकास हो। मैं मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पंचायतों को तो आपने अनुदान बढ़ा दिया...

श्री खेतसिंह राठौड़ : और उसमें समय लगेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और आप और भी बढ़ायेंगे लेकिन हम सबको इस बात का ताज्जुब है, पंचायत समिति को भी सरकार अनुदान देती है और आज भी 25 पैसा प्रति व्यक्ति ही पंचायत समितियों को अनुदान मिलता है इसलिए मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बात पर भी विचार करें कि जिस प्रकार आपने पंचायतों को बढ़ाया है, उसी प्रकार से पंचायत समितियों को भी कुछ अनुदान बढ़ाये। लेकिन ये अनुदान के आधार पर संस्थाएं चलती रहीं तो स्वायत्तशासी संस्था सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में विकसित नहीं होगी इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर ठीक प्रकार से इसको दें।

इसी प्रकार से टैक्स के बारे में निवेदन करूंगा। कपड़ा पर हथकरघा और कपड़े का टैक्स सरकार ने माफ कर दिया लेकिन कम्बल और तौलिया, इन पर 2 प्रतिशत टैक्स लगा दिया। आप इस पर...

श्री शिवनाथ सिंह : पौंछ गये क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एडिशनल एक्साइज लगने के कारण से हिन्दुस्तान के बहुत से प्रान्तों में टैक्स नहीं लगता था लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होने के बाद इस पर यह लागू हुआ। मैं इस टैक्स के लगाने, नहीं लगाने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन कॉटन का या किससे बना हुआ है, इनको तय करने के लिए जितने भी व्यापारी हैं, वे इंसपेक्टर्स की परिधि में आ चुके हैं और इंसपेक्टर्स की परिधि में आने के बाद उनके सामने भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा इसलिए इससे कैसे उनको बचाया जा सकता है। टैक्स लगाकर रखना है तो लगाकर रखें लेकिन इसको अलग से परिभाषित कर दें और अगर टैक्स इसमें नहीं लगाकर रखना हो तो उनको इंसपेक्टर्स से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किस प्रकार से मुक्त कराया जा सकता है, इसकी व्यवस्था करें। अन्यथा राज्य सरकार को इससे कम आय होती है तो उसको हटाने का भी मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का जो बजट है, वह बजट फिलासफी और दर्शन के आधार पर लाया गया बजट है और उस बजट के आधार पर राजस्थान में आम आदमी का, गरीब आदमी का भला करके उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं और राजस्थान का किसान विकास का केन्द्र बने और इस संक्रमण काल में आम उपभोक्ता और किसान अपने ऊपर होने वाले उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन के दुष्प्रभाव से बच सकें, इस प्रकार की बजट में व्यवस्था हो।

अध्यक्ष महोदय, समय आ गया है, जिस समय हमको देश में आर्थिक राष्ट्रवाद की तरफ सोचना पड़ेगा। आज स्वदेशी का मूल मंत्र लेकर हमको चलना पड़ेगा। स्वदेशी केवल आर्थिक तंत्र नहीं है, स्वदेशी राष्ट्र का स्वाभिमान है और महात्मा गांधी ने "अंग्रेजों भारत छोड़ो" कहा था और विदेशी कपड़ों की होली भी जलायी थी तो आर्थिक राष्ट्रवाद और स्वदेशी के चिन्तन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है और उसी चिन्तन के प्रतीक के रूप में मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किया है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि हमको सफलता मिली है। इण्टर-स्टेट मैटर्स में सफलता मिलनी शुरू हुई है। हमने बिजली की स्कीम बनायी है, लोगों तक पानी पहुंचा रहे है और सन् 2000 तक राजस्थान के हर गांव में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार बढ़ रही है। इस प्रकार का यह बजट हर कार्यक्रम में, पुलिस का आर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, सड़कों की नीति बना रहे हैं, उद्योगों का केन्द्र बना रहे हैं। हर गांव में स्कूल, चिकित्सालय, सड़क उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकार का बजट, और इस प्रकार के आरोप जो लगाये कर्ज का और इस प्रकार का, उन आरोपों में दम नहीं है और सब हमारी परिधि के अन्तर्गत हैं। विकास की ओर राजस्थान बढ़ रहा है। माननीय भूतपूर्व वित्त मंत्रीजी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन सात बजट माननीय मुख्यमंत्रीजी प्रस्तुत कर देंगे। आपने राजस्थान को पिछड़ा रखा है। भारतीय जनता पार्टी के सात बजट आने के बाद राजस्थान हिन्दुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आयेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) क्या पता, माननीय चन्दनमल जी बैद साहब का भाषण सुनने के बाद सोचता तो यह था कि ये जवाब देंगे। कोई जवाब नहीं, लाजवाब भाषण था। एक चीज का जवाब नहीं दे सके।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक का ही नहीं दिया।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हां, दे ही नहीं सकती सरकार और मैं अपने आपको दो या तीन बिन्दुओं तक ही सीमित रखूंगा क्योंकि आप अंकित करो कि नहीं करो। दिन में ही आपने अंकित नहीं किया (व्यवधान) बारां पधारे थे। मुख्यमंत्री महोदय, मिनी सचिवालय का उद्घाटन करने। पब्लिक मीटिंग में भाषण दिया कि राजस्थान में पर्याप्त बिजली, ब्राडग्रेज रेलवे लाइन और सड़कों का आधारभूत ढांचा खड़ा हो जायेगा उस दिन राजस्थान में उद्योग खोलने के लिए उद्योगपति

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

कतार लगाकर खड़े रहेंगे। मैं कोटा से आता हूँ अध्यक्ष महोदय, और कोटा राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां पर आधारभूत ढांचे की, इन्फ्रा-स्ट्रक्चर की कमी कभी रही ही नहीं। बारह महीने बहने वाली चम्बल मौजूद, ब्राडगेज शुरू से मौजूद, पानी मौजूद, बिजली मौजूद, जमीन मौजूद, रेल मौजूद और हर चीज मौजूद। हालत यह है वहां पर, एक न एक, एक न एक जो कांग्रेस के शासन में स्थापित यूनिट्स थीं, औद्योगिक इकाइयां थीं, आज सिक होती जा रही हैं, बंद होती जा रही हैं। सुदर्शन टैक्सटाइल मिल बंद हो गयी, ओरिएण्टल पावर केब्रल बंद हो गयी और राजस्थान के लिए जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान था और इस राज्य के इतिहास में पहली बार जो कोलोबरेशन से स्थापित किया गया था इन्स्टुमेंटेशन, आज वह बंद होने जा रहा है लेकिन इस सरकार की

(16.01)

(श्री समर्थलाल मीणा, सभापति, पदासीन)

+ + + और भाषण + + + रहे थे कि आधारभूत ढांचा तैयार हो जाने दो। जहां तैयार है वहां पर एक न एक ईकाई रोज बीमार होती जा रही है और आपके पास दवाइयों का इन्तजाम नहीं है, सम्भालने की ताकत नहीं है। आप क्या यूनिट लगा पाओगे।

एक माननीय सदस्य : धारीवालजी की वजह से बीमार हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरी वजह से तो आप भी बीमार दिखते हो। सभापति महोदय, बजट भाषण के पैरा 159 में आदरणीय मुख्यमंत्रीजी ने कहा कि "राज्य की आश्यकताओं की तुलना में राज्य की वनस्पति विनिर्माता इकाइयों की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। बहुत ज्यादा यूनिट्स लग चुकी हैं यहां पर। विद्यमान स्थिति में सुधार की दृष्टि से मैं नयी वनस्पति घी उत्पादक इकाइयों को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना की नेगेटिव लिस्ट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता हूं। यह व्यवस्था उन इकाइयों पर लागू नहीं होगी जिनके द्वारा अधिकांश पूंजी विनियोजन किया जा चुका है। कुछ पैसा जो लगा चुकी हैं उन पर लागू नहीं होगी और जो लग चुकी हैं उन पर लागू नहीं होगी। मतलब जो नयी यूनिट्स लगने वाली है उन पर लागू होगी। साथ में, मैं वनस्पति घी के अन्तरराज्यीय बिक्री कर हेतु सी फार्म की आवश्यता को भी समाप्त करना प्रस्तावित करता हूँ।" सभापति महोदय, सवाल यह खड़ा होता है—

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : क्या ?

श्री शांति कुमार धारीवाल : आज राजस्थान में देखा जाये तो इन्सानों की तादाद से पशुधन की तादाद ज्यादा है और मिल्क रिवोल्यूशन के बाद, व्हाइट रिवोल्यूशन के बाद मिल्क का प्रोडक्शन इस तेजी से बढ़ा है और उसी का परिणाम निकला कि यह वनस्पति की यूनिट्स यहां पर आयी। लेकिन नयी यूनिट्स यहां पर आने से आपने क्यों मना कर दिया ? आपने अपनी इण्डस्ट्रियल पालिसी को, जिसकी प्रशंसा करते आप थकते नहीं हो, उसमें सेल्स टैक्स के इन्सेंटिव की बात कही और आप यहां पर नयी यूनिट्स के लिए सेल्स टैक्स का इन्सेंटिव खत्म करके उनको नेगेटिव लिस्ट में लाने की बात कर रहे हैं। आखिर यह जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

उनको फेवर करने की बात क्यों उठी ? 159 के क्लाज में पढ़ने से ही स्पष्ट लगता है कि आप एग्जिस्टिंग के वेस्टेड इन्टरेस्ट को बरकरार रखना चाहते हो। नयी यूनिट्स को इसलिए नहीं आने देना चाहते क्योंकि आप उनकी मोनोपोली बनाना चाहते हो, आखिर इसके पीछे कारण क्या है ? सभापति महोदय, राजस्थान से दो किलोमीटर दूरी पर हरियाणा मौजूद है और दो-पांच किलोमीटर दूरी पर ही पंजाब मौजूद है, यह यूनिट्स यहां नहीं आयेगी तो एक्साइज ड्यूटी, पचास तरह के दूसरे टैक्सेजे, सेल्स टैक्स वगैरह-वगैरह, यहां के रोजगार, इन सब का उन प्रदेशों को फायदा होगा, राजस्थान को कोई फायदा नहीं होगा। आखिर क्या कारण है कि आपने इन वनस्पति यूनिट्स को आने में रोक लगायी ? और रोक लगाने का तरीका भी आपका कैसा, आपने गुपचुप तरीके से, पीछे के दरवाजे से सेल्स टैक्स इन्सेंटिव खत्म कर दिया। इण्डस्ट्रियल पालिसी आपने कुछ और लिखी और काम कुछ और किया।

ठीक इसी तरह से, भ्रष्टाचार की बात होती है, बीकानेर का भुजिया है। 1986 में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करी कि बीकानेर के भुजिये पर जो दस प्रतिशत सेल्स टैक्स था उसको घटा कर चार प्रतिशत कर दिया और बाकी सब पर, बाकी सब का मतलब क्या समझे आप सभापति महोदय, बाकी सब का मतलब **भुजिया को छोड़ कर बाकी सारी नमकीन। उस पर दस प्रतिशत यथावत रहेगा। 1986 में यह अधिसूचना जारी हुई। वहां के व्यापारियों ने सेल्स टैक्स** के अधिकारियों से मिल कर यह फायदा उठाया कि भुजिया था तो कोई बात नहीं, उस पर तो चार प्रतिशत हो ही गया था दस से, लेकिन दूसरी जो नमकीन थी वह भी चार प्रतिशत पर ही बेचना चालू कर दिया और यह किस्सा चलता रहा 1994 तक। 1994 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक आदेश निकाला कि नहीं, अब सारी नमकीन पर चार प्रतिशत कर दिया जाता है और इस आर्डर से व्यापारियों में और व्यापारियों से मिले हुए वाणिज्यिक कर अधिकारियों में हड़कम्प मच गया क्योंकि इससे यह साबित हो गया कि 1986 में जो चार प्रतिशत किया गया था तो बाकी पर दस प्रतिशत था और वसूल किया जा रहा था सिर्फ चार प्रतिशत। नतीजा यह हुआ कि जो ईमानदार वाणिज्यिक कर अधिकारी थे उन्होंने बड़े-बड़े व्यापारियों के बही खाते चैक करना चालू कर दिया। पांच साल तक के बही खाते चैक करने का उनको अधिकार था और एक ही पार्टी का, बीकानेर में कम से कम भी दस या बीस बहुत बड़े उद्योग हैं और दो सौ के करीब छोटे उद्योग हैं जो कि यह भुजिया और नमकीन वगैरह बनाते हैं। एक का सेम्पल चैकिंग किया, वह थी शिवदीप फूड प्रोडक्टस। उसका जब रेकार्ड देखा तो 1989-90 में 67 लाख के करीब था उसका व्यापार, 1990-91 में 1 करोड़ 15 लाख का व्यापार। टैक्स कितना ? चार प्रतिशत, सारी तरफ, दस प्रतिशत के बजाय। 1991-92 में 82 लाख, 1992-93 में 79 लाख और 1993-94 में 1 करोड़ 65 हजार। कुल मिलाकर एक ही पार्टी की तरफ राज्य सरकार का कर, अगर वह **ईमानदारी से देता तो कम से कम एक करोड़ रुपये का बकाया निकलता। सभापति महोदय, 25 करोड़ के लगभग का घोटाला है और यह 25 करोड़ के लगभग का घोटाला, सिर्फ इन चार लाइनों को बजट भाषण में लिखकर के** सरकार के 25 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया गया। लिखा है—

श्री महावीर प्रसाद जैन : छूट दे दी क्या उनको, कितनी छूट दे दी ?

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अच्छा बोलते हो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : 167-भुजिया और नमकीन, जो मोटे तौर पर एक ही श्रेणी के खाद्य पदार्थ हैं, पर अन्तरराज्यीय कर की पृथक-पृथक दरें लागू हैं, उससे उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने की दृष्टि से कर दायित्व में एकरूपता लाना प्रस्तावित करता हूँ।" इस एकरूपता ने 25 करोड़ का सरकार को चूना लगा दिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कैसे ?

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं आया समझ में आपके ? दुबारा से समझाऊं आप कहे तो। होती है किसी में मोटी बुद्धि और छोटी बुद्धि। फर्क पड़ता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बुद्धि से ही कोई मतलब नहीं है...

श्री शांति कुमार धारीवाल : सभापति महोदय, इस सदन के एक माननीय विधायक...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसको जरा स्पष्ट समझ लो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप फरमाओ, क्या समझाऊं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समझ लो, बोलो तो समझ कर बोलो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं बता रहा हूँ न आपको। आगे देखें आप। आगे मैं सब बता रहा हूं आपको। यानि मुझे अच्छा टाइम दे रहे हैं।

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : अगर आप बजट के प्रगति प्रस्ताव को पढ़ जाते तो बजट की सम्पूर्णता का ज्ञान आपको हो जाता और आज यह अहसास नहीं होता कि आप चश्मा लगाकर पढ़ते होते।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मगर यह ज्ञान सुबह घर पर ही देती हैं आप। सभापति महोदय, इस सदन के एक माननीय सदस्य ने उनके धर्म भाई श्री गोपालजी के साथ बातचीत की चूंकि इसमें भुजिया बनाने में हल्दीराम वगैरह-वगैरह बड़े-बड़े लोग थे, कुछ तय हो गया। वहां पर ही जो वाणिज्य कर अधिकारी थे वह उनके खास, घर के ही, भाई कहो, रिश्तेदार कहो, कुछ ऐसा कहो। बातचीत तय हो गयी और तय होकर यह परिवर्तन आया कि एकरूपता लाने के लिए पुराने जितने भी मामले थे उन सबको 4 प्रतिशत से असेस करना चालू कर दिया और यह 25 करोड़ का चूना इस तरीके से लगाया गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : छूट दे दी क्या उनको ?

श्री शांति कुमार धारीवाल : बिल्कुल छूट दे दी।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, पिछली भी दी है आपने।

श्री शांति कुमार धारीवाल : पिछली दे दी आपने। आपने पिछली क्यों दे दी ? अगर पिछली नहीं देते तो क्या फिर बात ही क्या थी? आप कह देते कि वह वसूल किया जायेगा, मैं मेरी बात तो विथड्रा करता हूँ। आप बोल दीजिये, सरकार से बुलवा दीजिये कि पुराना वसूल किया जायेगा, उनकी बही खातों की पांच साल की जांच की जायेगी और जांच करके 10 प्रतिशत के हिसाब से उनसे टैक्स लिया जायेगा, सन् 1994 तक लिया जायेगा। मैं मेरी बात को विथड्रा करता हूँ। आप कहलवा दीजिये। इस तरीके से राज्य सरकार का कुशल वित्तीय प्रबन्ध चल

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

रहा है। सभापति महोदय, प्रमाण पत्र पर प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, बड़े राजी हो रहे हैं लेकिन इस राजस्थान में रहने वाला गरीब इन छोटी-मोटी बारीकियों को और पीछे के दरवाजे से चोरी करवाने की हरकतों को देख रहा है। वह बख्शेगा नहीं, सभापति महोदय, वक्त पर जवाब देगा और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इस सरकार को कि इस तरह की हरकतें करना छोड़ दे। हम जो कांग्रेस के सदस्य हैं, वक्त वक्त पर बोलते रहें, चेताते रहें और इस प्रकार की कुरीतियों को बराबर उजागर करते रहेंगे लेकिन राजस्थान की सरकार की वित्तीय स्थिति को इस प्रकार से यदि गिराना चाहोगे तो गिरने नहीं देगें। (जयहिन्द)

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनियां। (अनुपस्थित)

श्री रमाकान्त शर्मा। (अनुपस्थित)

श्री टीकम चन्द कान्त। (अनुपस्थित)

श्री माधवसिंह दीवान : आप तो इधर विपक्ष को ही बुलवाओ आज।

श्री सभापति : श्री मदन मोहन।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : सभापति महोदय, कल माननीय सदस्य श्री जगदीप जी धनखड़ ने यहां पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को चेतावनी देता हूं कि भारत की केन्द्र की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार जितनी किसान विरोधी है, शायद ही इस विश्व में कहीं पर किसानों की विरोधी कोई सरकार हो। इनका नमूना आपने सन् 1991 और 1992 में जब इस देश के अन्दर गेहूं का मूल्य मात्र 250 रुपये प्रति क्विटंल था तो उस समय पर कांग्रेस सरकार ने 527 रूपये प्रति क्विटल के हिसाब से अमेरिका और कनाड़ा से आयात किया और यहां के किसानों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। उसका परिणाम यह रहा कि आज तक वह किसान उठ नहीं पाया है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक समय तो इस देश में केवल ईस्ट इण्डिया कम्पनी आयी थी, ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने आकर सूरत में जहांगीर से इजाजत ली थी कि मैं यहां पर एक कोठी बनाना चाहती हूँ, कोठी बनाकर राज करना चाहती हूँ लेकिन उस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी केवल सूरत में आयी थी लेकिन आज तो ईस्ट इण्डिया कम्पनियों का रेला आ रहा है इस हिन्दुस्तान के अन्दर। यदि इनका रेला स्थापित हो गया तो यह पूरा हिन्दुस्तान बरबादी के कगार पर होगा। पूरे विश्व के अन्दर करीब 180 करोड़ किसान है जिनमें से 80 करोड़ किसान भारत और चीन में बसते हैं जिनका 40 प्रतिशत किसान इस हिन्दुस्तान में बसता है उसके यह अगर 10 करोड़ किसान, लघु और सीमान्त कृषक आपकी कृषि पर पूर्णतया भार हो जायेंगे, माननीय सभापति महोदय, इससे बड़ा इस देश के किसानों के साथ अन्याय और कौन सा हो सकता है। यदि उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं माना तो आर्थिक अतिक्रमण फैलाकर पूर्णतया अपना सम्प्रभुत्व स्थापित करेंगे।

मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से केन्द्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों का हनन किया है और राज्य सरकारों के अधिकारों को ध्यान में न रखकर उस प्रस्ताव को मान लिया है। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के समझौते पूरी राज्य सरकारों को, सभी को

(श्री मदन मोहन)

सम्मिलित करने जैसा प्रस्ताव मानना चाहिए जिससे कि सभी का समुचित विकास हो और देश को किसी प्रकार की हानि न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि गत वर्ष का बजट पूर्णतया शिक्षा को समर्पित बजट था जिसके लिए गत वर्ष में करीब 2368 प्राथमिक विद्यालय खोले गये और 240 सैकेण्डरी और सीनियर सैकेण्डरी स्कूल खोले गये, उसके लिए मैं राज्य सरकार को माननीय मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ लेकिन उसी के आधार पर इस बार का जो बजट था वह पूर्णतया स्वास्थ्य को समर्पित किया। इस वर्ष जनता का स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए, पूरे प्रदेश की जनता, गरीब जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पूरा बजट स्वास्थ्य को समर्पित किया। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। माननीय सभापति महोदय 89 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे, वह तय है कि ज्यादातर वह ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोले जायेंगे क्योंकि शहरों के अन्दर तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग पूर्णतया खुले हुए हैं और 10 जो सामुदायिक केन्द्र खोले जायेंगे इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ लेकिन जो आज करीब 40 वर्षो से लगाकार इस प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई थी कि जो सघन इकाइयों का पूर्णतया अभाव था। इस बार सघन चिकित्सा इकाइयाँ करीब 20 जिलों के अन्दर स्थापित की जायेंगी। इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राज्य के मरूस्थलीय विकास के लिए, पीने के पानी की किल्लत को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने 255 करोड़ 40 लाख रुपये का जो अनुदान मिलेगा उसके लिए भी मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से फॉरेन कोलोबोरेशन यहां पर आ रहा है उसके आधार पर यहां पर उद्योग स्थापित होंगे और राजस्थान के आर.एफ.सी. के द्वारा जो लोन दिया जाता है और यहां की रूग्ण इकाइयों के बारे में जो बात की जाती है। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जितनी भी रूग्ण इकाइयां हैं इनको पूर्णतया बन्द कर देना चाहिए और जो विदेशी प्रतिस्पर्द्धा का सामना नहीं कर पाये उन उद्योगों को भी आर्थिक सहायता पूर्णतया बन्द करके और जो उनकी प्रतिस्पर्द्धा में जो बढ़ने के लायक हों उनको ही आगे बढ़ाने के लिए मौका देना चाहिए न कि आर.एफ.सी. को पूर्णतया बरबाद करके उसकी आर्थिक स्थिति को पूर्णतया खत्म करने की जो संरचना रची गयी है वह ऐसी नही हो।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश के अन्दर जो खनिज नीति और सड़क नीति बनी, खनिज नीति के अन्दर खनिज के दोहन के लिए जो नीति बन गयी लेकिन खनिज के निर्यात के लिए नीति नहीं बनी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में खनिज बहुत अधिक मात्रा में निकलता है और बहुत सस्ता निकलता है, जहां पर खनिज बहुतायत में मिलता है उस खनिज का पूर्णतया उपयोग हो और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसके जितने भी मेले लगें उनमें अपने इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्यात नीति बनाकर उसको प्रोत्साहित करें।

माननीय सभापति महोदय, जो लॉ एण्ड आर्डर की बात कही जाती है, राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर काफी स्थिति तक अच्छा रहा है लेकिन मैं आपको अलवर जिले की लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बताता हूं। अलवर जिला इस राजस्थान में प्रथम जिला रहा है जो कि

(श्री मदन मोहन)

पूर्णतया इस समय एक क्रिमिनल क्षेत्र बन चुका है, राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किये हुए है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की पुलिस जिस तरह पूर्णतया निष्क्रिय बनी हुई है वहां पर इस वर्ष में करीब 10 डकैतियों पड़ीं और लगातार डकैतियां पड़ी हैं लेकिन वहां का पुलिस प्रशासन सोया रहा। उस इलाके में महीने में लगभग 10 रोड रॉबरी होती हैं, लेकिन वहां का पुलिस प्रशासन सोता है। मेरे खैरथल विधान सभा क्षेत्र में महीने में करीब 10 चोरियां होती हैं लेकिन पूरा प्रशासन सोया हुआ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां के पुलिस प्रशासन में आमूल चूल परिवर्तन करके और वहां के जितने भी जो भी अधिकारी हैं उनको दण्डित किया जाये। आवश्यक रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। वे जो आराम और चैन की नींद लेकर के वहां सोते हैं, बंगलें में आराम करते हैं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अलवर जिले का जो भी पुलिस प्रशासन है उसको पूर्णतया वहां से आज बदलने की आवश्यकता है। अन्यथा, अलवर जिला बर्बादी के कगार पर खड़ा है। जितने भी क्रिमनल केस होते हैं, अलवर जिले में होते हैं। बलात्कार के केस वहां होते हैं। रोड-रॉबरी वहां होती है। डकैतियां वहां पड़ती हैं लेकिन पुलिस प्रशासन एक भी डकैती को आज तक खोल नहीं पाया। बड़े शर्म की बात है। **वहां एक एस.पी. जो पहले गंगानगर में था, जो गंगानगर गत वर्ष में प्रथम स्थान पर था आज गंगानगर छठे स्थान पर है लेकिन गंगानगर से स्थानान्तरित** होकर एस.पी. अलवर आया, उसने आते ही अपना नाम रोशन किया। अलवर जिले को प्रथम स्थान पर लेकर के आया। इससे ज्यादा डूब मरने की बात और कोई नहीं हो सकती है। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि...

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री मदन मोहन : वहां के पुलिस प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मणसिंह।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पर सदन में चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों की मैं मजबूरी भी समझ सकता हूँ कि सत्तापक्ष में रहकर मुख्यमंत्रीजी को अगर धन्यवाद न दें तो इतने पावर-सेण्टर जो उन्होंने बना रखे हैं, उनके कोप का भाजन उनको बनना पड़ता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इस वर्ष में या पिछले वर्ष का इस सरकार का लेखा-जोखा देखा जाये तो यह पूर्ण रूप से एक निराशाजनक कार्यकाल माना जायेगा और यदि मुख्यमंत्रीजी के जो तीन कार्यकाल हैं उनमें तुलनात्मक रूप से अगर कोई कार्यकाल ठीक था तो वह उनका पहला कार्यकाल था, 1977 से लेकर 1980 तक।

इस बजट में बहुत अपेक्षाएं थीं और आकांक्षाएं थीं, विशेष रूप से किसानों को, गरीबों को और मजदूरों को लेकिन उनकी आशाओं पर तुषारापात हुआ है। सभापति महोदय, यह पूर्णतया एक दिशाहीन बजट था **जिसके अमाउण्ट के एप्रोप्रियेशन के लिए हम आज चर्चा कर रहे हैं। कई बार चर्चा हो गयी कि यह सरकार पूरी तरह से राजस्थान को ऋण में धकेलती जा रही है और राजस्थान** ऋण में आकण्ठ डूबता चला जायेगा।

सभापति महोदय, इस साल सरकार ने अपना बजट चिकित्सा को समर्पित किया।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

पिछले साल शिक्षा को समर्पित किया था। यह एक अजीब सी स्थिति होती जा रही है कि जहां प्रदेश का समन्वित, संतुलित और चहुंमुखी विकास होना चाहिए था। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि प्रत्येक वर्ष सरकार एक-एक विभाग का लेखा-जोखा रखेगी और एक-एक विभाग के माध्यम से ये विकास के काम होंगे। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात् कांग्रेस के शासन में स्कूलें भी खुलती थीं, सड़कें भी बनती थीं, हॉस्पिटल्स भी खुलते थे और बांध भी बनते थे लेकिन आज स्थिति यह है कि पिछले साल आपने कुछ स्कूलें खोलीं और इस साल आपने चिकित्सा को हाथ में लिया। इस साल आपने स्कूलें इतनी कम खोली हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है अब पता नहीं शिक्षा विभाग का वापिस कब नम्बर आयेगा और तब तक राजस्थान की शिक्षा की क्या स्थिति होगी। इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। सभापति महोदय, जो चहुँमुखी विकास होना चाहिए था वह सरकार नहीं कर रही है और एक-एक डिपार्टमेण्ट के माध्यम से, एक-एक डिपार्टमेण्ट समर्पित कर रही है राजस्थान की जनता को। यह राजस्थान की जनता के साथ एक क्रूर मजाक है।

सभापति महोदय, अगर मैं यह कहूं कि इस वर्ष की नीतियों की घोषणा और इस वर्ष का जो बजट था वह इस प्रदेश के + + + मुख्य मंत्रीजी का एक अटरली कन्फ्यूजिंग बजट था, राज्य की सरकार और मुख्य मंत्रीजी कहते कुछ हैं स्थिति उसके बिलकुल विपरीत है, घोषणाएं कुछ और करते हैं और करते कुछ और हैं। इनकी कथनी और करनी के अन्दर बहुत बड़ा अन्तर होता जा रहा है। मैं तीन उदाहरण देना चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी ने 9 अप्रेल को कोटा में एक भाषण दिया था, राजस्थान अब पिछड़ा राज्य नहीं रहा। वे कहते हैं कि अब तक राजस्थान को पिछड़ा कहने के आदी थे, ऐसे लोगों को अपनी भाषा सुधारने के लिये उन्होंने मजबूर कर दिया है क्योंकि राज्य सरकार ने विकास का आधारभूत ढांचा तैयार करने में कामयाबी पायी है। उनके अनुसार सब कुछ यहां पर तैयार है। आधारभूत ढांचा आपने तैयार कर लिया। साथ में मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, 6 मार्च को जब उन्होंने सड़क नीति की घोषणा की थी कि राजस्थान को पिछड़ा प्रदेश कहने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना था कि राजस्थान को पिछड़ा बताने वाले यहां आकर देखें कि यहां बिजली, पानी वगैरह की कोई कमी नहीं है। अब, माननीय सभापति महोदय, सच्चाई इसके पूरी तरह से विपरीत है। यह राजस्थान का बच्चा-बच्चा जानता है कि यहां पानी की क्या स्थिति है। आये दिनों सदन में माननीय सदस्य जो अपना रोष प्रकट करते हैं, वह क्या दर्शाता है ? बिजली की स्थिति है मेरे ख्याल से हर दूसरे-चौथे दिन बिजली की कटौती होती है। लघु उद्योगों पर होती है, मध्यम उद्योगों पर होती है, वृहद उद्योगों पर होती है। पिछली सिंचाई के वक्त में जब किसानों को बिजली की आवश्यकता थी, उस वक्त बिजली के ऊपर कटौती चल रही थी। तो मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि आधारभूत ढांचा तैयार है लेकिन हकीकत यह है कि यहां पर आधारभूत ढांचा बिलकुल नहीं है। आज जो हम इण्डस्ट्रीज लगा रहे हैं, एक साल के अन्दर वे इण्डस्ट्रीज तैयार हो जाएंगी प्रोडक्शन के लिये लेकिन अगले साल 1996 में सबसे भयावह स्थिति होने वाली है सभापति महोदय

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

और उसके कारण से जो आज इण्डस्ट्रीज लग रही हैं, यह कटु सत्य है, हम यहां पर बैठेंगे, मिलेंगे और बात करेंगे कि अगले एक-दो साल के बीच में बहुत सी इण्डस्ट्रीज सिक होने जा रही हैं क्योंकि जो भी आप जनरेशन करने वाले हैं उसका रिजल्ट दो साल से पहले या ढाई साल से पहले आने वाला नहीं है लेकिन इस बीच में जो इण्डस्ट्रीज लगेंगी उनका क्या होगा। इण्डस्ट्रियलिस्ट्स का पैसा डूबेगा और साथ में हमारी सरकार से अगर वे पैसा लेंगे वह भी डूबेगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से मुख्य मंत्रीजी ने एक और बात कही। राजस्थान दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा, जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि आप देशी उद्योगों की बात करते हैं, तो उनका उत्तर था राजस्थान के अपने पारम्परिक उद्योग हैं जिन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। जैसे डेयरी, पशुपालन। इस दिशा में हम कोई प्रभावी काम नहीं कर पाये। इस गलती को स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैंने परसों ही अधिकारियों से कहा है कि यह क्षेत्र ही है जहां राजस्थान को बहुत काम करना चाहिए। इसके बाद क्या किया ? पशुपालन मंत्रीजी बहुत उत्साही हैं लेकिन पशुपालन का जो बजट है वह बिलकुल इसके विपरीत बात करता है। राजस्थान के बजट में इस साल पशुपालन को बिलकुल गौण रखा गया है। राजस्थान का पशु जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और जिसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि किसान की बैक-बोन पशु है। मुख्य मंत्रीजी एक तरफ तो कहते हैं कि हमने इसको नेग्लेक्ट किया और करते कुछ नहीं हैं, तो यह कैसी विडम्बना है। अपने आप में विरोधाभासी है, अपने आप में एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग स्थिति है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने 6 मार्च को यह कहा कि अपने साधनों से आगे बढ़ना सम्भव है। अपने साधनों से ही आगे बढ़ने की वकालत की लेकिन यह सरकार पूरी तरह से कर्ज ही कर्ज लेकर काम चला रही है और अगर आप कर्ज को भी अपना साधन मानें तो यह तो बहुत अजीब बात होगी। इसका उदाहरण आप देखें कि बजट के अन्दर जो डिपार्टमेण्ट्स हैं उसमें बाल विकास के लिये आप यूनिसेफ से सहायता ले रहे हैं। जल संसाधन और सिंचाई के लिये आप वर्ल्ड बैंक से मदद ले रहे हैं। हाथ-करघा, जूती मोचरी तक के लिये आप यू.एन.ओ. से मदद ले रहे हैं। टैक्निकल एजुकेशन से सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ल्ड बैंक से मदद ले रहे हैं। सड़कों के निर्माण के लिये 740 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से मदद ले रहे हैं। छह बड़े शहरों के लिये एशियन डवलपमेण्ट बैंक से पैसा ले रहे हैं। जलग्रहण विकास के लिये 142 करोड़ जर्मनी से ले रहे हैं। गरीबी उन्मूलन के लिये 5 करोड़ की आप बाह्य सहायता ले रहे हैं। वन विकास के लिये 145 करोड़ आप जापान से ले रहे हैं। जनजाति छात्रों के स्कूलों के लिये आप जर्मनी से मदद ले रहे हैं। पेयजल के लिये आप 253 करोड़ रुपये जर्मनी से ले रहे हैं। बीसलपुर के लिये आप 550 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं। 108 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं और पर्यटन के ऊपर भी आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन्स पर आधारित है। अब सभापति महोदय, एक तरफ तो कहते हैं कि अपने साधनों से ही सब सम्भव है और दूसरी तरफ यह पूरी तरह से कर्ज ही कर्ज के अन्दर डूबते जा रहे हैं और राजस्थान को डुबोते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान की प्रमुख समस्या दो ही है। पापुलेशन और पॉवर। पापुलेशन के ऊपर मुख्य मंत्री जी चिन्तित

(श्री लक्ष्मणसिंह)

जरूर लगते हैं। इन्होंने यहां पर विधायकों का भी एक प्रोग्राम किया था, अच्छी बात थी, इन्वॉल्व किया, उससे वातावरण बना लेकिन सिर्फ चिन्ता करने से क्या होता है ? जिन स्टेट के अन्दर पापुलेशन कण्ट्रोल की गयी है, उनका असेसमेंट इवेल्युएशन करना चाहिये था कि क्या कारण था कि केरल के अन्दर और तमिलनाडु के अन्दर पापुलेशन कण्ट्रोल हुई है। सभापति महोदय, जब तक इस समस्या को हम कण्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपकी दूसरी कोई समस्या कण्ट्रोल नहीं होगी। न आपकी पेयजल की समस्या कण्ट्रोल में आयेगी और कितना ही पॉवर जनरेशन किया जाये आपकी पापुलेशन बढ़ती जायेगी तो पॉवर जनरेशन भी इनूएडिक्वेट रहेगी। केरल के अन्दर क्या हुआ है ? केरल के अन्दर एजुकेशन बढ़ी, इसी कारण से वहां की पापुलेशन भी कण्ट्रोल के अन्दर आयी लेकिन हम यहां पर एजुकेशन को क्या महत्व दे रहे हैं ? सिर्फ 600-650 के आस-पास आप प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं। It is a shame on the Government, एक साल में करीबन 10-12 लाख बच्चे-बच्चियां जन्म ले रहे हैं और प्राइमरी स्कूल आप खोल रहे हैं, 600-650. पिछली बार ठीक खोली थीं, दो हजार की संख्या में। जब तक आप गांवों में बालक-बालिकाओं को बैसिक प्राइमरी एजुकेशन नहीं देंगे तब तक आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बिना शिक्षा के पापुलेशन के ऊपर हम कण्ट्रोल कर पायेंगे ? इस बात की तरफ मुख्य मंत्री जी चिन्तित जरूर हैं लेकिन ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं ? एक सीधी-सादी सी बात है कि बिना शिक्षा को बढ़ाये हम अपनी जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो शिक्षा पर तो हर वर्ष ही यह बजट समर्पित होना चाहिये, इन एडिशन टू अदर डिपार्टमेंट्स और इसलिये सरकार को इस विषय पर पुनर्विचार करना चाहिये कि यह एजुकेशन स्कूल और ज्यादा खुले और विशेष रूप से प्राइमरी स्कूल।

सभापति महोदय, पापुलेशन कण्ट्रोल के लिये मेडिकल फेसेलिटीज भी बढ़नी चाहिये। इस साल आप 700 सेण्टर खोलने जा रहे हैं, अच्छी बात है लेकिन 700 सब सेण्टर से कुछ होने वाला नहीं है। राजस्थान के करीब 38 हजार गांव हैं। सब-सेण्टर के अन्दर एक नर्स हम नियुक्त करते हैं और नर्स ही महिला होने के कारण जो कि गांव के अन्दर महिलाओं से सम्पर्क में आती है और उनको जनसंख्या कण्ट्रोल करने के बारे में अच्छी राय दे सकती है। हमारे गांवों के अन्दर हम सब सेण्टर नहीं खोल पाते हैं और अब आपने नयी स्कीम चलायी, अच्छी स्कीम है कि यह वहां की लोकल महिला को ट्रेंड करके आप सब-सेंटर चलायेंगे। 700 की जगह आपको 7000 सब सेंटर खोलने चाहिये और अगर इस प्रकार से आपका दृष्टिकोण बदल जायेगा तो मुझे विश्वास कि दो-तीन-चार साल के अन्दर पापुलेशन के दृष्टिकोण से हम जरूर कुछ न कुछ काम कर पायेंगे।

सभापति महोदय मैं एक दो सुझाव और देना चाहूंगा। आज हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उसमें अकाउण्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी के पास में अथोरिटी है, पावर है लेकिन अकाउण्टेबिलिटी नहीं है। रेस्पोन्सिबिलिटी, अथोरिटी के साथ-साथ अकाउण्टेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिये। कहीं पर भी कोई भी कर्मचारी/अधिकारी नीचे के लेवल पर कुछ भी कर देता है, जनता परेशान है लेकिन उनकी कोई अकाउण्टेबिलिटी नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी को भी एक सुझाव देना चाहूंगा

(श्री लक्ष्मणसिंह)

कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, डिसीजन दिया है, जिसमें लखनऊ डवलपमेंट अथोरिटी का जजमेंट और उस जजमेंट के अनुरूप वहां पर एक उपभोक्ता को पूरा पैसा जमा कराने के लिये और फ्लेट का कब्जा देने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जिस अधिकारी की गलती से कब्जा देने में विलम्ब हुआ है उससे ही हर्जाने को वसूल किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, अगर इस प्रकार का रवैया, दृष्टिकोण हम भी अपनायें कि अधिकारी की गलती से अगर सरकारी खजाने में कुछ बोझ पड़ता है, किसी व्यक्ति विशेष को हानि होती है तो वह हानि अधिकारी या उस कर्मचारी स्वयं को भुगतनी पड़ेगी। यह अगर हम दृष्टिकोण अपना लें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, जजमेंट की अनुपालना में तो यह राजस्थान की जनता के हित में होगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हमको थ्योरी ऑफ रिवार्ड एण्ड पनिशमेंट फालो करनी पड़ेगी। जो अच्छे अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको आप रिवार्ड दीजिये, उनको आप इन्सेन्टिव दीजिये, उनको आप प्रमोशन दीजिये, उनकी अहमियत को कान्फिडेन्शियल रिपोर्ट में अंकित कीजिये लेकिन साथ-साथ जो खराब काम करते हैं उनको आपको पनिश भी करना पड़ेगा। जैसे कहावत है कि "भय के बिना प्रीत नहीं होती है" इसलिये सभापति महोदय, रिवार्ड और पनिशमेंट की थ्योरी को जब तक सरकार फालो नही करेगी तब तक हम कोई सार्थक कार्य नहीं कर पायेंगे।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने एक अच्छा निर्णय लिया था लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ व्यापारी वर्ग के दबाव में आकर उस निर्णय को बदल दिया है, जैसा मैंने सुना है। चुंगी ठेके पर देने का निर्णय, इस निर्णय से राजस्थान की नगरपालिकाओं की व्यवस्था में काफी अच्छा सुधार आने वाला था। जहां आज चुंगी एक करोड़ आती है उसकी जगह कई जगह पर ढ़ाई करोड़ और तीन करोड़ आने वाली थी लेकिन एक वर्ग विशेष, समूह विशेष, व्यापारियों के दबाव में आकर मुख्य मंत्रीजी को यह फैसला बदलना पड़ा, यह बहुत दुःख की बात है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले मुख्य मंत्री भी अगर एक अच्छा फैसला लेने के पश्चात् अगर बदल जाये तो यह एक अच्छी चीज नहीं है।

सभापति महोदय, इस सरकार ने जो अपनी आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की है। अपने आपको संवेदनशील कहने वाली सरकार, किसानों के प्रति संवेदनशील कहने वाली सरकार ने किसानों के लिये क्या किया है ? इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, पिछले दो-तीन वर्षों का जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसकी तरफ ध्यान दें तो 1992-93 के अन्दर खरीफ का जो प्रोडक्शन था, वह 44.97 लाख टन था, वह 94-95 में घट कर 35.28 लाख टन हो गया। रबी का प्रोडक्शन जो 92-93 में 55.24 लाख टन था, वह 1994-95 में घट कर 51.89 लाख टन हो गया। खरीफ का प्रोडक्शन जो 6.23 लाख टन था वह घट कर 1994-95 में 5.42 लाख टन हो गया। खरीफ का खाद्यान्न उत्पादन जो 51.20 लाख टन था, 92-93 में, वह घट कर 40.70 लाख टन हो गया। कुल मिलाकर 114.79 लाख टन जो प्रोडक्शन 1992-93 में था वह घट कर 105.37 लाख टन हो गया। गन्ने का प्रोडक्शन जो 1992-93 में 11.29 लाख टन था वह घट कर 8.9 लाख टन हो गया। अब सभापति महोदय, किसानों का जो यह

(श्री लक्ष्मणसिंह)

प्रोडक्शन है, राज्य का प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वह लगातार गिरता गया, क्यों ? इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि इस संवेदनहीन सरकार ने किसानों को कुछ नहीं दिया। किसान को दो चीज मुख्य रूप से चाहिये, ऊर्जा चाहिये और सिंचाई के साधन चाहिये अर्थात् उसको पानी चाहिये लेकिन इस सरकार की सूची में बहुत गिरावट आयी। सरकार की मानसिकता ही नहीं है कि वह किसानों का भला करे और यह तो किसान विरोधी सरकार है, इसका भी मैं आपको बजट स्टडी से ही कोट कर रहा हूँ, बजट रिव्यू से ही कोट कर रहा हूं। आपका जो सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण...

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त करिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : दो मिनट। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 1992-93 में आपने 18.52 प्रतिशत, आपका जो प्लान एक्सपेंडीचर था, योजना व्यय सिंचाई पर 18.52 प्रतिशत था। 1993-94 में घट कर 16.54 हो गया और 1994-95 में एस्टीमेट है, घट कर 15.83 प्रतिशत हो गया। पिछले तीन वर्षों में आपका बजट एस्टीमेट सिंचाई के मद पर लगातार घटता जा रहा है और फिर आप अपने आपको किसान का हिमायती कहते हैं, इससे बढ़कर मेरे ख्याल से मिसगाइड करने वाला सरकार का रवैया और क्या हो सकता है ? ऊर्जा के क्षेत्र में ले लीजिये, सभापति महोदय, 1993-94 के अन्दर ऊर्जा में आपका प्लान एक्सपेंडीचर 28.66 प्रतिशत था, वह 1994-95 में घट कर 26.51 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार आपका जो उद्योग वगैरह पर प्लान एक्सपेंडीचर था, 1992-93 में 5.83 प्रतिशत था, 1993-94 में 5.5 प्रतिशत हो गया और 1994-95 में घट कर 4.88 प्रतिशत रह गया तो सभापति महोदय, यह सरकार अगर मैं किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं ज्यादा नहीं कह कर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इतनी दूर मत जाओ...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मणसिंह : अब हम तो प्रार्थना करते हैं कि आप...(व्यवधान)... तो सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और सरकार से यह अपेक्षा करता हूँ कि सरकार अपने सोच में परिवर्तन लाये, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाये और परिवर्तन लाकर इस प्रदेश के किसानों, मजदूरों और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिये नीतियां अपनाये, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदय, आज विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद और पारण तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया जाता है।

विधयेक पर अग्रेतर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3)

विधेयक, 1995

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदय, हाउस के अन्दर बड़ी जोर-शोर से चर्चा हो रही थी कि राजस्थान को सरकार ने कर्जे में डुबो दिया है। सभापति महोदय, यह बात बिलकुल ही सही नहीं है। मैं वही बात निवेदन करूंगा जो विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में मुझे देखने को मिली है। मैंने देखा है, 10-10, 15-15 किलोमीटर तक प्राथमिक पाठशाला ही उपलब्ध नहीं थी और आजकल मैंने देखा है छोटी-छोटी बस्तियों के अन्दर, ढाणियों के अन्दर, चकों के अन्दर प्राथमिक पाठशाला उपलब्ध है, यह कोई कम बात नहीं है।

श्री रामनारायण डूडी : कासनियांजी, हमने 20 घरों की ढाणियों के अन्दर भी प्राइमरी स्कूलें खोली, कौनसा बड़ा काम आपने कर दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं करें, आप बिराजें।

श्री रामनारायण डूडी : एक भी ऐसी ढाणी नहीं जो—

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय सदस्य, मैं वही बोल रहा हूं जो सही है, असत्य बोलने का—

श्री सभापति : कासनियांजी, आसन की तरफ देखिये आप।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदय, यह बात बिलकुल ही गलत है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया।

इसके अलावा पक्की रोड खूब बनी है। पिछले 15 वर्ष में जितनी रोड नहीं बनी उससे ज्यादा इस चार, साढे चार साल के कार्यकाल में बनी हैं।

इसी तरह से बिजली के मामले में विशेषकर मैं हनुमानगढ़ जिले की बात कह रहा हूं, सभापति महोदय, आप ताज्जुब करोगे कि पिछले 20 साल में जितने गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ वह तीन-चार साल में ही हो गया।

सभापति महोदय, इसके अलावा यहां पर कर्ज की बात, वैसे तो यह मेरे बस की बात नही है, बड़े-बड़े लोग, बैदजी, घनश्यामजी बोले हैं, फिर भी मैं जितना कुछ समझ पाया हूं वह निवेदन करना चाहता हूं। मैंने ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर देखा है कि जिस किसी व्यक्ति ने कर्ज लेकर और अच्छे काम में लगा दिया, चाहे कोई बिजनस हो, चाहे जमीन खरीद ली या कोई अन्य दूसरा काम कर लिया, सभापति महोदय, उनके तो बेड़े ही पार हो गये और जिस व्यक्ति ने कर्ज लेकर शराब पीने में, जुआ खेलने में या कोई गलत काम में खर्च कर दिया तो उसका रिजल्ट तो वाकई ही बुरा है।

सभापति महोदय, यह कर्ज लेने में दिक्कत कहां है ? आज ग्रामीण क्षेत्र में हालत यह है कि गांव के अन्दर अपना गांव अपना काम स्कीम के तहत चाहे कितना ही काम करवाओ, काम करवाने वाले थक रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। सभापति महोदय, यह मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जो मौके पर देखा है वह निवेदन कर रहा हूं। जब हम लोग गांवों में जाते हैं और गांव वाले मांग करते हैं कि हमारे गांव में यह स्कूल बनना चाहिये, औषधालय की बिल्डिंग बननी चाहिये तो हम तपाक से बोल देते हैं कि आप अपना गांव अपना काम स्कीम के तहत निर्माण करवाओ। सभापति महोदय, जो लोग तैयार होते हैं 20 प्रतिशत सहयोग करने के लिए उन गांवों में काम खूब होता है। इसके अलावा और भी बहुत-सी योजनाएं हैं

(श्री रामप्रताप कासनियां)

जिनमें एक पैसा ही खर्च नहीं करना पड़ता। मोटे रूप से देखने में यह मिला है कि हर गांव में कहीं औषधालय का निर्माण हो रहा है, कहीं प्राथमिक पाठशाला की बिल्डिंग बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है। यह तो मैं पीछे की बात कर रहा हूं और वर्तमान में इस वर्ष में जो कुछ होगा वह भी आपके सामने है।

सभापति महोदय, नारे तो बहुत लगाते हैं, कल मैं यहां सुन रहा था। ओ.बी.सी. को आरक्षण दो, आरक्षण दो, सभापति महोदय, यह + + + हैं। गरीब को आरक्षण का पहले ज्यादा फायदा नहीं मिला, जब यह आरक्षण लागू हुआ उस समय तो मिला था परन्तु बाद में आरक्षण में एक बड़ी क्लास तैयार हो गयी। सभापति महोदय, आरक्षण का फायदा उन लोगों को ही हुआ है और आज चाहे कोई हरिजन हो या कोई अन्य जाति का हो, फायदा उसी को ही मिलेगा जो साधन सम्पन्न है। इस रिजर्वेशन का फायदा वही लोग उठायेंगे जो साधन सम्पन्न हैं। यह उदाहरण आप राजस्थान के हिसाब से देख लीजियेगा कि जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है उनके परिवार में आप देख लो कि कितने आई.ए.एस. हैं, आर.ए.एस. हैं या अन्य कोई दूसरी नौकरियों में हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिये, मेरी यह सोच है बाकी तो जैसा होगा वह मेरे से कुछ छिपी हुई बात नही है।सभापति महोदय, मैं तो जो असलियत है वह निवेदन कर रहा हूं कि इसमें फायदा तभी होगा जब आर्थिक बेस पर आरक्षण दिया जायेगा नहीं तो इससे अनावश्यक रूप से समाज में टकराव पैदा होगा।

सभापति महोदय, यहां अभी माननीय लक्ष्मणसिंह जी कह रहे थे किसानों का यह नहीं किया, किसानों का वह नहीं किया, सभापति महोदय, बोलते वक्त यह ध्यान नहीं रहता कि किसान के क्या तकलीफ है। इन पिछले चार वर्षों में क्या-क्या तकलीफ दूर हुई। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान के अन्दर रेवेन्यु से सम्बन्धित जो भी समस्या थीं उन सारी समस्याओं का समाधान हुआ है।चाहे वह 15 एएए हो, चाहे धारा 13 ए हो, चाहे फ्रेगमेंट हो, भाखड़ा में बेटरमेंट टैक्स का सवाल हो, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिये, पर सभापति महोदय, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहां बारबार यह बात उठती है कि नरपत सिंहजी को फायदा देने के लिए 15 एएए में संशोधन कर दिया। सभापति महोदय, यह बात बिलकुल गलत है। गंगानगर जिले और बीकानेर के काश्तकारों ने इस मांग को मनवाने के लिए 10-10 वर्ष तक आन्दोलन किया है। एक ही जमीन को तीन-तीन बार अलाट कर दिया, कभी 17,000 रुपये कीमत लगा दी, कभी 35,000 रुपये लगा दी तो कभी 50,000 रुपये लगा दी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो मुरब्बा भूमि बिना किश्त के फ्री देने का जो निर्णय लिया है यह कोई छोटी बात नहीं है।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल हम गांवों में आते हैं तो हमारे आगे सामूहिक रूप से कोई समस्या आये, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो आये दिन हमारे यह परेशानी है, हमारे वह परेशानी है, मोटे रूप से 90 प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो गया।

सभापति महोदय, इसके अलावा नारे तो खूब लगाते हैं गरीबों के, दिया क्या गरीबों

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

को ? अभी वर्तमान बजट के अन्दर जो प्रावधान किये हैं, समाज कल्याण विभाग के तहत जो छात्रावास चलते थे उनके अन्दर मैस भत्ता पिछले कार्यकाल में भी इस सरकार ने बढ़ाया और अब की बार भी 250 रुपये से 300 रुपये, 350 रुपये कर दिये, यह कोई छोटी बात नहीं है और इतना ही नहीं, सभापति महोदय, छात्रावासों में उन लड़कों को एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर्स की भी व्यवस्था की है। इससे सरकार की मंशा का पता लगता है कि गरीबों के प्रति यह सरकार किस तरह का सोच रखती है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मंद बुद्धि, बड़े लोग तो उनसे नफरत करते हैं, बात ही करना पसन्द नहीं करते और हमारी सरकार ने मंद बुद्धि वालों को पढ़ाने के लिये, शिक्षा देने के लिये भी बजट में कितना प्रावधान रखा है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। (व्यवधान) मंद बुद्धि तो मैं दूसरे को तो नहीं, खुद को ही कह सकता हूं।

सभापति महोदय, इसके अलावा वर्तमान बजट के अन्दर विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने के लिये चिकित्सा के अन्दर जो इस वर्ष बजट रखा गया है, उसमें बहुत कुछ बातें रखी गयी हैं। हास्पिटल नये खुलेंगे, पी.एच.सी. खुलेगी और इतना ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर डाक्टर नहीं रुकते थे, उनके लिये भवन का निर्माण

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

करवाने के लिये भी बजट के अन्दर अब की बार 75 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

सभापति महोदय, पहले तो इतना बजट पूरी चिकित्सा पर भी नहीं था और इस बार भवन के निर्माण के लिये और दूसरे पी.एच.सी. की बिल्डिंग बनाने के लिये भी बजट में प्रावधान रखा है।

सभापति महोदय, यहां कर्जे की बात हो रही थी। कर्जे के बारे में मैं बीच में ही बात को छोड़ गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि कर्जा लेकर कोई बढ़िया काम में लगाये तो कोई बुरी बात नहीं है। मैंने गांव के अन्दर आम बात देखी है। कई लोग यह चर्चा करते हैं कि जब हमारे पास पैसा होगा तभी हम ट्रैक्टर खरीदेंगे और जब तक घरू पैसा नहीं होगा तब तक हम ट्रैक्टर नहीं खरीदेंगे।

सभापति महोदय, जिन लोगों ने बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर ले लिया, अच्छी फसल की, उनसे लोगों ने, मैंने देखा है, जमीन भी खरीद ली और भी बिजनस कर लिया और आज लोग यह इन्तजार कर रहे थे कि हम तो अब तक हमारे पास जेब में पैसा नहीं होगा तब तक कुछ खरीदने वाले नहीं हैं। सभापति महोदय, इस तरह की सोच के लोग अपनी जमीन में खाद ही नहीं डाल सकते, पेस्टिसाइड ही यूज नहीं कर सकते। जब वह खाद और पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे तो फिर फसल कहां से होगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है।

आपने पिछले चार-पांच वर्षों में देखा होगा। अनावश्यक खर्चों में कटौती करके और अनावश्यक खर्चों में कितना बड़ा अंकुश लगाया है। यह सारी बात आपके सामने है और एक बात और देखी होगी। सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके अन्दर बिना किसी कर लगाये और विकास के लिये बजट में पैसे का कितना प्रावधान रखा है। सभापति महोदय—

श्री सभापति : अब आप विराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां : नहीं साहब, अभी कुछ मिनट और। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में–

श्री सभापति : आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : निर्माण कार्य के अन्दर कितनी गुणवत्ता आयी है। वह मौके पर निर्माणकार्य कर रहे हैं और जो पहले हुए हैं, उनकी तुलना की जा सकती है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। मोटे रूप में जिस परपज के लिये मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं–

श्री किशन मोटवानी : धन्यवाद दे दो अब।

श्री रामप्रताप कासनियां : नहीं-नहीं, वह बात बोलनी बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 20-40 गांव ऐसे हैं जिनमें पिछले बीस सालों से सीपेज आ रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो हमारे सिर के ऊपर मौत का साया खड़ा करके छोड़ दिया, उस मौत के साये को अगर आपने नहीं हटाया तो फिर काश्तकार की सुनने वाला कोई है नहीं। इन लोगों ने तो पिछले 15 बरस में उन काश्तकारों की एक भी बात नहीं सुनी।

सभापति महोदय, आज वहां की हालत यह है कि न खाने के लिये अनाज है, न पशुओं के लिये चारा है, न रहने के लिये मकान है और सभापति महोदय, हालत यह हो गयी, मौके पर जो सही सिचुएशन है, मैं वही निवेदन कर रहा हूं। पैंतीस-पैंतीस, चालीस-चालीस बरस के लड़के कुंआरे घूम रहे हैं। आप जाकर, सभापति महोदय, पता करिये यह बात बिलकुल सही है। उनको कोई लड़की देने के लिये तैयार नहीं।

सभापति महोदय, कांग्रेस के जमाने में योजना बहुत बनी थी। करोड़ों रुपये खर्च हुए। पानी आया मिट्टी बह गयी। करोड़ों रुपये की मिट्टी पानी में बहती है, सभापति महोदय, कांग्रेस के शासन काल में एक-एक, दो-दो करोड़ रुपये की मिट्टी तो पानी में बह गयी। बहुत पैसा खर्च हुआ। इंजीनियरों की भी मंशा यही रही है कि इस समस्या का सही समाधान हो गया तो सालाना करोड़ों रुपये बजट नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, बड़े दुःख की बात है कि हमारे डिप्रेशन नम्बर 16 और 15 के बीच में से बीकानेर रोड और रेलवे लाइन, दोनों गुजरती है। वहां पर एक रेगुलेटर बना हुआ है। उस रेगुलेटर का लेवल है 590 और डिप्रेशन का लेवल है 570। यानि 20 फुट का फर्क है और इंजीनियर क्या कर रहे हैं ? उस डिप्रेशन नम्बर 15 के आगे 16 से अनूपगढ़ शाखा का लिंक कर रहे हैं। जिस पर करोड़ों रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा एक माणकसर डिस्ट्रीब्यूटरी बनायी है जिस पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये और सोच क्या है कि 16 नम्बर डिप्रेशन में अब पानी आयेगा तो अनूपगढ़ शाखा में दे देंगे या कोई और नई डिस्ट्रीब्यूटरी निकाल देंगे। वह स्कीम है चार-पांच करोड़ रुपये की।

मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करके वह बड़ी मुश्किल से रुकवाई। मेरा कहने का मतलब यह है कि इंजीनियर किस तरह की स्कीम बनाते हैं जब डिप्रेशन नम्बर 15 में पानी नहीं पहुंचता क्योंकि वह लेवल जो है रेगुलेटर का 590 है और बैंढ का 570 है तो 20 फीट पानी खड़ा रहेगा और 20 फीट पानी बहुत कम चांस है कि कभी-कभी 590 के

(श्री रामप्रताप कासनियां)

लेवल पर पानी पहुंचता है तो जब 590 के लेवल से पानी ऊपर होगा तभी तो पानी उस रेगुलेटर से पास होकर आगे डिप्रेशन नम्बर 16 में जा सकता है।

मैं निवेदन कर रहा था। कांग्रेस के टाइम में इस तरह की स्कीम बनी है और बनी ही नहीं, उन पर पैसा भी खर्च हुआ है। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि अब तक कांग्रेस की सरकार से बार-बार किसान मांग करते रहे, परन्तु सही काम पर एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रंग महल गांव के पास डिप्रेशन नम्बर 6 पर एस्केप बनाने की जो मंजूरी दी है उसे उससे समस्या का तीस-चालीस पर्सेण्ट समाधान होगा। सभापति महोदय, इसके अलावा उस क्षेत्र के अन्दर ड्रेन बनाकर और पानी लिफ्ट करके निकाल जा सकता है। अभी सरकार ने वर्तमान में एक स्कीम बनायी है। उस स्कीम से मैं सहमत तो हूं पर पूर्णतया सहमत नहीं हूं। ट्यूबवैल लगाकर पानी लिफ्ट करके नहर में डालने का प्रावधान रखा है। सभापति महोदय, मेरा इसमें यह निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, उस स्कीम में कुछ संशोधन करके सीपेज वाले एरिये के अन्दर ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैल लगाकर पानी लिफ्ट करके डिप्रेशनों में और सूरतगढ़ ब्रांच में डाला जा सकता है।डिप्रेशनों में पानी डालना वैसे तो बुरी बात है परन्तु अब बुरी बात नहीं है। वह एस्केप बन गया।

हमारे घग्घर बैल्ट के अन्दर तीन महीने तक पानी चलता है और तीन महीने पानी लगातार नहीं चलता। सभापति महोदय, दस दिन पानी आ गया, पांच दिन बीच में बंद हो गया। जब पानी पीछे से बंद होता है तो उस एस्केप के जरिये वाली बैड में पानी डाला जा सकता है। इससे एक तो अनूपगढ़ क्षेत्र तक के काश्तकारों को चावल की फसल के लिये पानी मिलेगा। इससे एक तो हमारा पानी व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरा तीस पर्सेण्ट सीपेज की समस्या का भी समाधान होगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1977 के अन्दर जब जनता पार्टी की सरकार आयी थी...

श्री सभापति : अब आप समाप्त करिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : उस समय वहां के निवासियों को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घरों का मुआवजा दिया था। उस समय तक जितने घर सेम से नष्ट हो गये थे, उन लोगों को मुआवजा दिया था। परन्तु आज जो लोग शेष बचे थे उन सबके मकान नष्ट हो गये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि वहां के लोग, वहां के काश्तकार आपको जिन्दगी भर पूजते रहेंगे। अगर इस समस्या का समाधान आप के द्वारा हो गया तो हम यह अहसान आपका जिन्दगी भर नहीं भूल पायेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति जी, बजट प्रावधानों पर चर्चा का आज आखिरी दिन आ गया। इसके बाद सरकार को अधिकार होगा कि वह संचित निधि से रुपया निकालकर खर्च करें।

सभापति जी, बजट के कई उद्देश्य होते हैं। एक समय था जब बजट का रुपया राज्य प्रशासन को चलाने में खर्च होता था, पुलिस था, रेवेन्यू था आज हमारा वेलफेयर स्टेट है

(श्री शिवनाथ सिंह)

और उस वेलफेयर स्टेट में बजट बनाने का खर्च करने का दृष्टिकोण बिलकुल भिन्न हो गया। चर्चा यहां चली ऋण लेने की। और भी बातें आयी। मेरा निवेदन है कि जो रुपया आयेगा वह या तो टैक्स से आयेगा, ऋण लेने से आयेगा या आपको कोई दान दे देगा। ऋण लेना बुरा नहीं है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। ऋण परिसम्पत्तियों का जिक्र माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया, दूसरे माननीय सदस्यों ने भी किया। परिसम्पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक वह परिसम्पत्तियों जो हमको रिटर्न देती है दूसरी वह परिसम्पत्तियां जो आवश्यक हैं, समाज के लिये आवश्यक हैं लेकिन वह हमको रिटर्न नहीं दे पातीं। आज गावं में एक स्कूल बना वह एक परिसम्पत्ति है और भी ऐसे काम हैं जो परिसम्पत्ति हैं उनको यदि हम जोड़े ऋण से उनका मुकाबला करें तो हमने दस करोड़ रुपया लिया, दस करोड़ की परिसम्पत्तियां बना लीं वह एक सही दृष्टिकोण नहीं होगा। हमको देखना यह पड़ेगा कि उन परिसम्पत्तियों से जो ऋण लिया है उसका ब्याज और वह रुपया चुका पाये हैं या नहीं चुका पाये हैं। मैं बड़े आदमी के बीच में नहीं पड़ना चाहूंगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन परिसम्पत्तियों के आधार हम अपना मूल्यांकन करें, आज उचित नहीं है। यह बात सही है कि ऋण का भार बढ़ रहा है उस ऋण के भार को हम कितना कम कर पाये यह देखने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति जी, जहां तक टैक्सेज का सवाल है मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा और भी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा। मेरी भी मान्यता है कि टैक्स न लगाना बजट अच्छे होने का प्रमाण नहीं है। आज हमारे खर्चे से जो विकास हम कर रहे हैं उसके आधर पर जिनको फायदा हो रहा है निश्चित रूप से उन पर टैक्स लगना चाहिए और जो समाज का कमजोर वर्ग है उस वर्ग को दूसरों से लेकर उनके लिये कोई अच्छे काम किये जायं। टैक्स की बुराई नहीं है, टैक्स लगाना चाहिए। आज एक चलन चल गया कि हम टैक्स को जितना कम कर पाएं वह बजट अच्छा होगा। मेरी मान्यता इससे भिन्न है। आवश्यकता है तो टैक्स लगाया जाये और जहां आवश्यक नहीं हो वहां टैक्स नहीं लगाया जाए।

माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट का मुख्य उद्देश्य और भी है। वह यह है कि स्टेट में जो इम्बेलेन्सेज हैं उनको खतम किया जाए और इम्बेलेन्सेज कायम नहीं हो पाएं। बहुत से इम्बेलेन्सेज हैं, बहुत सी आवश्यकताएं हैं क्षेत्र के हिसाब से और दूसरे हिसाब से भी। मैं सीमित रखूंगा। अपने जिलों की तरफ से चूरू, झुन्झुनूं सीकर और नागौर इस प्रकार के सेमी डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर आज विकट समस्या है। एक समय था, इन जिलों के निवासी बड़े खुश थे। वर्षा हो जाती थी, फसल हो जाती थी, बाहर सेठ कमाते थे और रुपया खर्च करते थे, स्कूलें खोलते थे लेकिन आज वह समय बदल गया है। आज इन जिलों में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। आज सिंचाई की बात करना तो दूसरा है लेकिन पीने के पानी का भयंकर संकट है और आने वाले दस-पन्द्रह साल में यह स्थिति बन जाएगी कि नीचे का सब पानी खतम हो जाएगा और यहां के लोगों को जब तक दूसरा साधन पीने के पानी का नहीं दिया गया तो इनको माइग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन जिलों में सिंचाई के लिये नहीं, लेकिन पीने का पानी लाने की व्यवस्था की जाए। गंगा का पानी लाने की बात की जा रही है। जमुना का पानी

(श्री शिवनाथ सिंह)

आया, स्वागत है, आपको हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। गंगा का पानी भी लाने की बात है तो सीकर और झुन्झुनूं जिले को इस सुविधा से वंचित नहीं रखें और इस प्रकार प्रावधान करने की आप चेष्टा करें।

माननीय सभापति जी, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाकर तीन-चार बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बार-बार कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ध्यान देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में साधन उपलब्ध कराते हैं। जिससे कि वहां रोजगार के साधन हो जाएं।शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में भेद-भाव हम नहीं रखना चाहते, कई बातें वह कहते हैं, इन बातों को उन्होंने किया भी है। लेकिन मन, वचन और कर्म, तीन हैं। वचन में तो बिलकुल बराबर हैं। वचन में कोई कमी नहीं आने देते हैं। जहां भी वचन का सवाल होता है माननीय मुख्य मंत्री जी सबको समान रखते हैं, सबका पूरा उद्धार करने की सोच रखते हैं। लेकिन कर्म गड़बड़ है, मन गड़बड़ है। जब तक मन, वचन और कर्म तीनों का सामंजस्य नहीं बैठता है, माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी वह वाहवाही हमसे नहीं ले पायेंगे जो लेनी चाहिए।

बहुत दफा जिक्र किया जाता है, पिछला साल शिक्षा को समर्पित था, यह साल हमने स्वास्थ्य को समर्पित किया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं पिछले वर्ष में स्कूलें खुली हैं इस बात को कोई इंकार नहीं कर सकता। इस साल हो सकता है बजट में कम प्रावधान रखा हो लेकिन फिर भी स्कूलें खुलेंगी और जो स्कूलें खुलीं वह मेरी मान्यता है कि ठीक ढंग से खुली। लेकिन इस बात से हमको प्रसन्न नहीं होना चाहिए या हमको सन्तोष नहीं करना चाहिए। शिक्षा के मामले में हमें यह देखना है कि स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं उसके पर्सेण्टेज को हम कितना कवरअप कर पाये हैं। आज आप कहते हैं कि हमने इतनी स्कूलें खोल दीं तो जनसंख्या की बढ़ोतरी कितनी हो रही है और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को, जो शिक्षा से वंचित रहते हैं उनका जो पर्सेण्टेज है उस पर्सेण्टेज को यदि हम बढ़ने नहीं देते हैं तो हमारा एक स्टेप है और यदि उसको संख्या में कम करते हैं तो हमारा अचीवमेंट है लेकिन यदि उस संख्या में बढ़ोतरी होती है तो हमारी फेल्योर्स है। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए शिक्षा का इस प्रकार का विस्तार करें जिससे कि इस पीढ़ी, को, जो आने वाली पीढ़ी है, उसमें शिक्षा के मामले में लोग अशिक्षित नहीं रहें।

माननीय सभापति जी, आज सम्पूर्ण साक्षरता की बात हो रही है। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि सम्पूर्ण साक्षरता प्रोग्राम जिस तरह से चलना चाहिए उतना नहीं चल पाता है। मजबूरियां हैं राज्य सरकार की किन्तु ऊपर से रुपया आता है। विदेशों से रुपया आता है और निश्चित उनकी स्कीम्स हैं लेकिन फिर भी राज्य सरकार उसमें नियंत्रण कर सकती है और नियंत्रण करके जनता के अन्दर इसकी जो एक बुरी शेप सामने आ रही है उसको मिटा सकती है। आज लिटरेचर के नाम पर प्रोपेगेण्डा के नाम पर इतना अपव्यय हो रहा है, जनता की आंखों में यह प्रोग्राम अच्छा होने के बजाय बुरा हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक दफा कहा था कि इससे शिक्षा का वातावरण बनता है। वातावरण तो, माननीय सभापति जी, बनता है लेकिन जहां पहले से वातावरण बना हुआ है, लोग कहते हैं हमारे स्कूल खोलो, तो

(श्री शिवनाथ सिंह)

जगह-जगह प्रोपेगेण्डा का क्या असर पड़ेगा ?

माननीय सभापतिजी, मैं मुख्य मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जितना आप सुधार कर सकते हैं करें। रुपया आपका भी लगता हैं, केन्द्र का भी रुपया लगता है, विदेशों का रुपया लगता है, आप जितना इसमें सुधर कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा। आज तक जो परिणाम आए हैं, अजमेर का आपने उदाहरण दिया, दूसरे जिलों का उदाहरण दिया, कागजों में सब साक्षर हो गये यह बात सही है लेकिन वास्तविकता इससे बिलकुल परे है और यह सब भुलावे वाले आंकड़े हैं इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी, इसमें ध्यान दें। इस प्रोग्राम में जो आप सुधार कर सकें, करने की चेष्टा करें।

माननीय सभापति जी यह स्वास्थ्य को समर्पित बजट है।...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो-तीन मिनट में खतम कर देता हूं। स्वास्थ्य के मामले में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सात सौ सब सेण्टर खोलेंगे। वह सेण्टर कहां से खोलेंगे ? उन गांवों में लोगों को चुनकर देंगे। माननीय सभापति जी, यह सेण्टर नहीं होंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक कैडर बनेगा। मैं आरोप नहीं, लेकिन एक सही बात कह दूं कि पार्टी वर्कस को चुनकर और सात सौ आदमियों की पार्टी वर्कर्स की टीम तैयार की जाएगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी, बार-बार कहते हैं कि प्रणव मुखर्जी का सर्टिफिकेट मेरे पास है। आज के अखबार में वह कह सकते हैं कि भुवनेश चतुर्वेदी का प्रमाण पत्र भी मेरे पास में है और मैं भागीरथ हूं। मैं उन सर्टिफिकेट् की तरफ ध्यान नहीं देता, आपका ध्यान भी नहीं दिलाना चाहता.(व्यवधान) माननीय सभापतिजी, मैं 3-4 सर्टिफिकेट्स लाया हूं और वह भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक के हैं। रात को ही यह किताब हमको मिली है, पहले मिलती तो मैं इसमें से और भी सर्टिफिकेट छांट लेता। मैं, एक-एक सेम्पल के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा। इन्होंने एक जगह लिखा है, एक राजस्थान जल विकास निगम है। आपका उपक्रम है, पूरा नियंत्रण है और आप उसको रुपया देते हैं। उसके लिये आपके नियंत्रक महा लेखा परीक्षक ने लिखा है, आर.जे.वी.एन. राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड अपेक्षित उद्देश्यों में से कोई भी उद्देश्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है। यह सर्टिफिकेट आपका है।

श्री किशन मोटवानी : दुबारा पढ़ो, साहब।

श्री शिवनाथ सिंह : यह सर्टिफिकेट आपका है। आर.जे.वी.एन. अपने अपेक्षित उद्देश्यों में से कोई भी उद्देश्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ।

वनों के बारे में इन्हीं नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने टिप्पणी की है। बड़ी रोचक टिप्पणी है। वह कहते हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सवा पांच बजे प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोलेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं समाप्त कर देता हूं। आपने हैडिंग दिया है अन्य रूचिकर बिन्दु। जिसमें इन्होंने दिया है कि रुपया दिया गया था किसी काम के लिये और आपने खर्च करा दिया मोटर साइकिलों में। माननीय मुख्य मंत्री जी कह देंगे कि पता नहीं कब का है ? यह रुपया खर्च किया गया है आपके काल का 1989 से 1991 में। रुपया दिया गया था विकास कार्यों के लिये, दे दिया मोटर साइकिलों पर खर्च करने के लिये और उसमें नियंत्रक महोदय ने बहुत बड़ी आपत्ति की है।

(श्री शिवनाथ सिंह)

दूसरा सर्टिफिकेट, एक ठेकेदार को काम करने के लिये रुपया एडवांस दे दिया गया, मैटीरियल आ गया और जब जांच की गयी तो वह मैटीरियल न तो उस किस्म का था, न उतनी मात्रा में था और उस ठेकेदार से रुपया वसूल नहीं कर पाये। ठेकेदार एडवांस दिया हुआ रुपये खा गया। उसके लिये आपने लिखा है, ठेकेदार से क्षति पूर्ति अतिरिक्त लागत सामग्री के मूल्य की वसूली राशि रुपये 35.05 लाख के समक्ष विभाग के पास केवल रुपये 3.58 लाख ठेकेदार के सुरक्षा निपेक्ष के बकाया थे। शेष राशि रुपये 31.47 लाख की वसूली के लिये दिसम्बर, 1993 तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। राज्य सरकार को प्रकरण मार्च, 1994 में संदर्भित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। यह आपका नियंत्रण है और फिस्कल मेनेजमेंट का एक उदाहरण है और प्रबंधन है।

श्री चन्दनमल बैद : रिपोर्ट पहले देते तो हम भी कुछ बोलते।

श्री शिवनाथ सिंह : दूसरा सर्टिफिकेट दिया गया है कि 25 लाख रुपये के 41 कार्य तो अनुमान के बिना ही निष्पादित कर दिये गये। 25 लाख रुपये के काम बिना कोई बजट के, बिना किसी स्वीकृति के खर्च कर दिये गये।

एक सर्टिफिकेट और पेश करना चाहूंगा और वह है माननीय मुख्य मंत्रीजी का मन, वचन और कर्म का प्रतीक। आपने ग्रामीण विकास के लिये बहुत बात कही कि गांवों का हम विकास करना चाहते हैं। शहरों और गावों में हम फर्क रखना नहीं चाहते हैं। आपने शहरों में जल आपूर्ति के लिये प्रावधान रखा था 20.7207 खर्च कर दिया 23 और उसके लिये नियंत्रक महोदय ने लिखा है, उपरोक्त दो शीर्षों में 46,373 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत होने तथा 473.18 लाख रुपये के अंतिम आधिक्य के कारण संशोधित नहीं किये गये हैं। इस कारण से हुए हैं तो वहां पर तो आपने रुपया खर्च कर दिया ज्यादा। ग्रामीण विकास में आपने रुपया रखा था 8,93,11,000 और खर्च हुआ है 6,29,80,990 कम खर्च किया गया है। तो क्या है कि 82.98 लाख रुपये की अंतिम बचत के संदर्भ में 1.53 लाख रुपये की राशि का आधिक्य है। एक तरफ आपने बचा लिया और दूसरी तरफ अधिक खर्चा कर दिया और खर्चा किया है शहर में, बताया है गांवों के अन्दर।

इसी तरह से जहां ग्रामीण रोजगार पैदा करने की बात कहते हैं उसके लिये भी नियंत्रक महोदय ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की है। वेस्टफुल एक्सपेण्डीचर हैडिंग दिया है उन्होंने और लिखा है,

Thus apart from depriving the scheduled castes students of hostel accommodation there has been wasteful expenditure of Rs. 1.28 lakh and blocking of funds of Rs. 6.72 lakh.

इनके लिये आप बहुत पैरवी करते हैं कहते भी हैं लेकिन इस प्रकार की विसंगतियां हैं। इस प्रकार उसके हिसाब से आप यह मान लीजिये कि हम क्या आशा रख सकते हैं यह तो उनका कहना था लेकिन आपने जो हमको आर्थिक समीक्षा दी है। यह आखिरी सर्टिफिकेट है। आपने कहा है, देहात और शहर का भेदभाव इसमें दर्शाया गया है।

During the year 1994-95 a budget of Rs. 203.24 crore was made available under the state plan

(श्री शिवनाथ सिंह)

for drinking water supply in the state. Out of which Rs. 130.59 crore were earmarked for urban areas and Rs. 72.65 crore for rural areas.

आज रूरल एरिया को हम देखें। उसकी आबादी देखें तो शहरी एरिये के मुकाबले में बहुत बढ़ी है। तिगुनी आबादी बढ़ी है और रुपया रखा है 1/3 माननीय सभापतिजी, इसी तरह के कितने सर्टिफ़िकेट मैं आपको बताऊं। रिलीफ के लिये बार-बार मांग की जा रही है चाहे केलेमिटीज से हैं, चाहे फेमिन से हैं, चाहे ओलावृष्टि से हैं, उन लोगों को रिलीफ नहीं मिल पा रही है और इधर जो प्रावधान किया गया था उससे आधार है रुपया खर्च किया गया है। मैं, इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि मुखर्जी साहब और भुवनेश जी के सर्टिफिकेट को छोड़िये, आडिटर जनरल ने जो आपको सर्टिफिकेट दिये, उनकी तरफ ध्यान दीजिये और जो आपका फिस्कल मेनेजमेंट है उसकी तरफ आप सोचें कि आखिर कितना फिस्कल मेनेजमेंट आप कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ मुगालते के लिये है।

माननीय सभापतिजी, अन्त में, मैं, निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बजट प्रावधान हैं, पिछले साल के बजट का जो हश्र हुआ, वह इस साल के बजट प्रावधान का नहीं हो। जैसा मैंने कहा कि और भी बहुत से उदाहरण हैं तो जिन आवश्यक सेवाओं में खर्च करने की आवश्यकता थी, वहां खर्च नहीं किया गया और शहरी क्षेत्र के बजाय देहाती क्षेत्र को बहुत बुरी तरह से वंचित रखा गया है जिसमें आपके एम्प्लायमेंट जनरेशन के जो प्रोग्राम थे, उन सबमें आप टोटली फेल हैं। चाहे आपका डी.आर.डी.ए. के मार्फत हो, चाहे जे. आर. वाई. का हो, सब रुपया आपने बचा लिया है और बचे हुए के हिसाब से आप कहते हो कि हमने बजट को संतुलित कर दिया है, घाटा नहीं दिखाया है, यह कोई शान नहीं है, न कोई चतुराई है और यह बस जनता के साथ धोखा है।...

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (नेताप्रतिपक्ष) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान विनियोग (संख्या-3), विधेयक, 1995 सदन में कल से विचाराधीन है। सभापति, महोदय, राज्य सरकार इस बिल को लेकर आयी है और इस सदन को कांस्टीट्यूशन में इस बात का अधिकार है कि स्टेट के कन्सोलिडेटेड फण्ड में से कुछ सर्विसेज और कुछ पर्पेजेज के लिये राज्य सरकार को प्राधिकृत किया जाय, उसको अथोराइड किया जाय कि कन्सोलिडेटेड फण्ड में से जो शिड्यूल है और उस शिड्यूल के सामने जो अंकित धनराशि है उसको वह खर्च कर सके।

सभापतिजी, इस विनियोग विधेयक को सरकार और सत्ता पक्ष पास कराना चाहती है। सर्विस का जो टोटल अमाउण्ट है वह 11 हजार 100 करोड़ 48 लाख 96 हजार हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान की इन्टीग्रेशन के बाद में और इस राज्य के बनने के बाद में यह सबसे बड़ा बजट है, इसका आकार बहुत बड़ा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : एक खरब का हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : खरब-अरब का तो बैदजी वगैरह कोई लेखा करने वाला आदमी ही ज्यादा विवेचन कर सकता है। हमने तो "जोशी रहे जी मथा बजर उवर सी

(श्री परसराम मदेरणा)

अंगार" तो रोटियां सेको चूरमा भरके, वेद को कंठस्थ करना है। इसलिए बजट के सम्स 11 हजार 100 करोड़ के आसपास में है। यह अपने आप में मैं समझता हूं सबसे बड़ा आंकड़ा है और मुख्य मंत्रीजी जब इतना बड़ा बजट लेकर यहां पर आये हैं और सम्स लेकर आये हैं और कन्सोलिडेटेड फण्ड में से आप खर्च करना चाहते हैं, इस साल की आपकी योजना से पहले के सब कीर्तिमान टूट

(17.25)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

चुके हैं। 32000 करोड़ की है और आपने केवल इकोनोमी सर्वे प्रस्तुत किया है इस साल का गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया इकोनोमी सर्वे हमेशा बजट प्रस्तुत करने के पहले वहां पर माननीय सदस्यों को वितरित करता है बोथ द हाउसेज आफ पार्लियामेण्ट में और इसमें यहां पर जो होल सेल की प्राइस की बढ़ोतरी हुई है वह 9.6 पर्सेण्ट है। इसलिए आप यह मान कर चलिये कि आकार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उस आकार से आप भौतिक लक्ष्य प्राप्त कर सके जो कि पहली योजना में हमने किये थे या दूसरी योजना में किये थे आप मृग मरीचिका में घूम रहे हैं, दिवा स्वप्न में हैं।

क्योंकि इन्फ्लेशनीर इकोनोमिक के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर करने के लिये हर एक की कम्पोनेंट प्राइस बढ़ गयी है।

यहां पर बात कहीं गयी मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं 11 हजार 500 करोड़ की योजनाएं लेकर आया हूं लेकिन इस सदन में पूर्व में शायद यह आंकड़ें प्रस्तुत किये जा चुके हैं कि जो एट्‌थ फाइव ईयर प्लान के अन्दर जो टोटल नेशनल प्लान है वह 4 लाख 34 हजार करोड़ का है और 4 लाख 34 हजार करोड़ के प्लान के अन्दर आप 11 हजार 500 करोड़ रुपये लेकर आये हैं। इसलिए आप यह मत समझिये कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा अचीवमेण्ट कर लिया है। अन्य राज्यों का प्लान आउट ले लगातार निश्चित तौर पर प्रोपोर्शनेटली बढ़ा है। आपने 280 पर्सेण्ट की बढ़ोतरी की है और उसके साथ ही मुख्य मंत्रीजी ने अभी अपने बजट भाषण में दिया है, प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेण्ट होने जा रहा है योजनागत विनियोजन 727 रुपया है। पिछले साल 566 रुपया, अन्य राज्यों का औसत 465 रुपया है, सुन रहे हो ना चीफ व्हिप महोदय। अन्य राज्यों का औसत 465 रुपया और राजस्थान का प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोजन 727 रुपया है। इसका मतलब यह है कि 1990 के अन्दर 14 बड़े राज्यों के अन्दर सोसियोइकोनोमिक्स और जो इण्डीकेटर्स थे उसमें हमारी रैंकिंग थी। पिछली दफा मैंने जब यहां सदन में विचार रखा था और मुख्य मंत्री जी से जानना चाहा था कि जब आपने इतनी भारी रकम खर्च कर दी 7 हजार 700 करोड़ रुपये योजना में और योजना भिन्न भी, राजस्व व्यय भी होता है तो अब आपकी रैंकिंग ऊपर कहां आ गयी अलग-अलग सेक्टर के अन्दर। मुख्य मंत्रीजी यह सदन इस बात का हिसाब मांगता है, कि आप सदन को कांफीडेंस में लीजिये, राजस्था की जनता को कांफीडेंस में लीजिये क्योंकि लगातार आप इस बढ़ते हुए आकार के साथ आप कर्जे का आकार भी बढ़ा रहे हैं। कर्जे का भार आपने बढ़ाया है उस के सम्बन्ध में तो तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कि मुझे जानकारी दी है, उन्होंने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी, जो वित्त मंत्री भी है, उनका ध्यान आकर्षित किया है इसलिए मैं उस विषय के ऊपर सदन का समय नहीं लेते हुए मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जब आप

(श्री परसराम मदेरणा)

आल इण्डिया एवरेज में ऊपर आ गये है, आप राज्य में प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोजन में आगे बढ़ गये हैं तो निश्चित तौर पर आपका बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने में, राजस्थान के लोगों की प्रति व्यक्ति व्यय में बढ़ोतरी हुई होगी, कैपिटल का फोरमेशन हुआ होगा और प्राइमरी सैकण्डरी और नर्सरी सेक्टर के अन्दर निश्चित तौर पर हम आगे बढ़े होंगे। कुल मिलाकर राजस्थान की जो इकोनोमी ग्रोथ है उसमें भी बढ़ोतरी हुई होगी। मुख्य मंत्रीजी, आपने 3200 करोड़ की वर्तमान वर्ष की योजना का आकार 11 हजार 100 करोड़ 48 लाख 96 हजार का बजट रखा है, बजट के सम्स हैं। पिछले वर्ष बजट को आपने शिक्षा को समर्पित किया था और इस वर्ष आपने बजट को चिकित्सा और स्वास्थ्य को समर्पित किया है।

मैं मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण की और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अधिक वर्षा होने के कारण इस वर्ष मलेरिया का विशेष प्रकोप हुआ। प्रशासन ने तत्परता से व्याधि पर नियंत्रण किया। माननीय सदस्य सरकार द्वारा मलेरिया नियंत्रण के लिये उठाये गये कदमों से परिचित हैं। बजट में इन्होंने कहा, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता को महसूस करता हूं और राज्य के विकास की मूलभूत समस्याओं का ध्यान रखते हुए पिछला बजट मैंने शिक्षा को समर्पित किया था, उसी तरह इस बजट को चिकित्सा और स्वास्थ्य को समर्पित करता हूं।" 11 करोड़ 48 लाख रुपये में से आपने 12 सौ 16 करोड़ रुपये का जो टोटल बजट है, 35 लाख रुपये का बजट चिकित्सा का बजट, उसमें से प्लान के अंदर योजना के 32 सौ करोड़ रुपये की योजना जो चालू वर्ष में, पिछले साल का बजट जो 73 करोड़ 52 लाख रुपये का था, आपने अगले वर्ष लिखा है लेकिन, चूंकि यह 27 मार्च को पेश हुआ था, 124 करोड़, 66 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 124 करोड़, 66 लाख रुपये का प्रवधान आपने इस साल किया है। 73 करोड़, 9 लाख रुपये का प्रावधान पिछले साल था। इसका मतलब 51 करोड़, 57 लाख रुपये की वृद्धि की है। 57 लाख रुपये की वृद्धि आपने मुख्य मंत्रीजी की है, इसलिए की है कि हालांकि वृद्धि निश्चित तौर पर है और मुझे स्वीकार करने में कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन है कितनी ?

124 करोड़, 66 लाख रुपये की वृद्धि पूरी योजना की साल भर की 32 सौ करोड़ रुपये की, उसमें 124 करोड़, 66 लाख रुपये का पर्सेण्ट आता है 3.87 पर्सेण्ट और उसमें टोटल व्यय जो 516 करोड़ रुपये और 36 लाख है अगर बजट सम्स 11 हजार, 1 करोड़ 48 लाख का पर्सेण्ट अगर निकालें तो वह होता है, 4.69 पर्सेण्ट। योजना के अंदर 3.87 पर्सेण्ट की आपने जो बढ़ोत्तरी की है और बजट सम्र में केवल 4.69 पर्सेण्ट को बढ़ोत्तरी करने के बाद मुख्य मंत्रीजी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या समर्पण किया है ? बजट तो समर्पित किया नहीं, बजट में तो कई सेक्टर्स हैं, उसमें खर्चा हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : जो कुछ किया है, अच्छा नहीं लगा ?

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा नहीं, मैं अच्छे की बात नहीं कह रहा हूं। पूरा बजट आपने समर्पित नहीं किया। उसके अंदर कुछ प्रावधान रखे हैं। मैं यह नहीं कहता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो कुछ रखा है, वह आपको अच्छा लगा कि नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे तो अच्छा इसलिए लगा है कि उसका मूल कारण, सोच

(श्री परसराम मदेरणा)

और अप्रोच जो रही है, वह इसलिए रही है कि पिछले साल मलेरिया के अंदर राज्य सरकार जिस तरह से फैल हो गयी और 10 हजार आदमी मलेरिया की वजह से मरे पेरा मेडिकल स्टाफ नहीं था, लेबोरेट्री नहीं थी, आपकी स्लाइड्स और टैस्ट करने वाले नहीं थे।, टैक्नीशियंस नहीं थे, दवाइयां नहीं थी और अगर थी तो मुख्य मंत्रीजी मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि एक पत्र मैंने आपको लिखा था, आपके उप मुख्य मंत्रीजी को–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जवाब दूंगा आपको।

श्री परसराम मदेरणा : उस पत्र में मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि जब मुख्य मंत्रीजी आप 23 तारीख को अमेरिका से आए, यहां पर मेडिकल मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमें इस बात की जानकारी मिल गयी थी कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों के अंदर ज्यादा बरसात होने के फलस्वरूप सितम्बर के दूसरे वीक में हमको सूचना मिल गयी थी। अगर आपको सितम्बर के दूसरे सप्ताह में सूचना मिल गयी थी तो आप 3 अक्टूबर तक यहां पर क्या कर रहे थे, नींद में सो रहे थे आप 2 अक्टूबर को गांधी जयन्ती के दिन मुख्य मंत्रीजी ओर मेरी बातचीत हुई थी।

मैंने उनसे यह बात कही कि ...(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : यह तो अपना-अपना सौभाग्य है। जब-जब भैरोंसिंहजी आएं हैं, अच्छी बरसात हुई है और धन-धान्य से भरी-पूरी बरसात हुई है। इससे आप चिढ़ते क्यों हो ? आप भी ऐसे कर्म करो जो बरसात अच्छी हो।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : आप क्यों परेशान हैं ?

श्री टीकमचंद कांत (सिवाना) : ये तो मंत्रियों की दादी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह पद भी किसी-किसी को मिलता है, मैं इतनी सौभाग्यशाली हूं।

श्री परसराम मदेरणा : जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैंने उनसे प्रश्न किया था। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी के ऊपर मैं एस्पर्शन कास्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि गवर्नमेंट पार्ट पर लेप्सेज थे। इन्होंने 3 अक्टूबर को मीटिंग की, एक करोड़ रुपये का प्रावधान रखा, ऑफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट्स का इंचार्ज बनाया, हजारों लोग सफाखानों के हत्थों पड़े हुए थे। मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा, उसमें यह बात लिखी कि तुम लोग बुरी तरह से असफल रहे हो। मुख्य मंत्री जी जब अमेरिका से आए तो उन्होंने इस बात का असेसमेंट किया और रियलाइजेशन किया कि मेरी अनुपस्थिति के अंदर यह सरकार अकर्मण्य रही है और मैंने उनके पत्र में लिखा उस पत्र की कॉपी मैंने मुख्य मंत्रीजी को भी भेजी है, दीपावली के दूसरे दिन रामा-श्यामा के दिन। इसमें लिखा है कि दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाओं सहित। दोनों को चिट्ठियां एक ही दिन लिखी। इसमें लिखा कि मुख्य मंत्रीजी ने विदेश से आते ही मलेरिया उपचार हेतु उठाये गये कदमों से असंतुष्ट होकर स्थिति की गंभीरता का आंकलन कर सचिव स्तर के प्रशासिक अधिकारियों को विभिन्न जिलों में व्यवस्था करने हेतु राजकीय वायुयान से भिजवाया। क्या जरूरत थी भेजने की? राजकीय वायुयान तो मुख्य मंत्री और गवर्नर किसी को

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं देते हैं। हेलीकॉप्टर में नहीं भेजा था, गृह मंत्रीजी, सबको भेजा, हवाई जहाज के अंदर और ऑफिसर्स को भेजा और सेक्रेटरी लेवर के 2-2 ऑफिसर्स, एक-एक जिले में लगाये और उस दिन जब ये ऑफिसर बाड़मेर में पहुँचे थे तो मैं बाड़मेर में था। लेकिन मैं एक घण्टा पहले धोरी मन्ना और गुढ़ा मालानी की तरफ रवाना हो गया था। दूसरे दिन मैंने ऑफिसर्स से बात की थी कि आप एक व्यवस्था तो कीजिये कि अभी ये मलेरिया रोगी जो बाहर पड़े हुए हैं, बाड़मेर में अस्पताल में जगह तो है नहीं, एक स्टेज तो ऐसा था कि एक अक्टूबर को वहां 3-4 हजार आदमी थे, जोधपुर में करीब 5-6 हजार लोग थे, वहां तो ठीक है, वहां पर दूसरे प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स बहुत हैं। उन्होंने खूब लूटा है इनको। मेरा कहने का मतलब है कि स्थिति ऐसी है कि प्लेग से हम इतने डर गये थे, मलेरिया की बात मैं करता हूं तो लोग यह समझते हैं कि मच्छर मारने की बात यहां हाऊस में कह रहे हो, यह मच्छर नहीं है, यह बीमारी है और यह बीमारी उन लोगों के है जो किसान है, खेती करते हैं और हल चलाते हैं। इस साल फसल अच्छी हुई थी। पूरे परिवार के परिवार बीमार पड़े हुए थे, उनके पास फसल काटने वाला नहीं था, सौ रुपये में मजदूर नहीं मिल रहा था और उनकी आमदनी के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और फसल यूं की यूं ही झड़ गयी। इसलिए आप समर्पित कर रहे हैं, चिकित्सा को। कुछ हद तक मलेरिया से 10 हजार आदमियों की मौत के बाद ...(व्यवधान)...अभी तो बैठो, डोंट डिस्टर्ब मी। अपन दोनों एक ही जिले के प्रतिनिधि हैं लेकिन बीच में व्यवधान मत डालो। मैं बैठ जाता हूं, फिर आप बोलिये ...(व्यवधान)...आपके वहां तो ठीक गये, बेईमानी करके। एक बात पूछता हूं, मुख्य मंत्रीजी से थोड़ी-बहुत उनकी दोस्ती हो सकती है लेकिन जान पहचान तो है, मुख्य मंत्रीजी के क्वार्टर के पास रणजीत सिंह जी एक्स एम.एल.ए. रहते थे। अब मैं कहता हूं कि आपके डिप्टी डाइरेक्टर वहां नोसर गांव में गये और वहां 8 हजार रुपये प्राइवेट प्रेक्टिशनर से ले लिये कि तू प्राइवेट प्रेक्टिस कैसे करता है ? उनका एक्सीडेंट हुआ ही था। वे वहां कॉटेज वार्ड में भर्ती थे, उन्होंने टेलीफोन करके डिप्टी डाइरेक्टर को बुलाया और कहा तुमने ये रुपये कैसे लिये मै अभी मुख्य मंत्रीजी को फोन करूंगा। उसने हाथ जोड़कर कह दिया कि मैं आपके पैसे दे दूंगा और शाम को पैसे दे दिये। तो यहां तो लुटाई हो रही थी। आपके वहां क्या लुटाई हो रही थी, वह तो दवाइयों की खरीद में की होगी। ... जोधपुर के सी.एम.एच.ओ. ने की है लेकिन बाड़मेर कलक्टर ने यह लिखा है कि यहां का सी.एम.एच.ओ. जो गोलियां आप भेज रहे हैं, इसने अपनी प्राइवेट दुकान खोल रखी है इसलिए उसको बीच में ट्रान्सफर किया है, करना तो सस्पैंड चाहिए था। यह कलक्टर का राइटिंग हू टॅ दी गवर्नमेंट। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सुदूर गावों में लोग बैठे हुए हैं वहां सड़कें हैं नहीं, ढाणियां है, साधन नहीं हैं, ट्रासपोर्ट का सिस्टम नहीं है और मलेरिया होता है उस वक्त् जब कि खेत में फसल खड़ी रहती है। इसलिए प्रयास आपका ठीक है लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा है। इसलिए आप यह कहें कि इस वक्त्

(श्री परसराम मदेरणा)

हमने मेडिकल और हेल्थ के सम्बन्ध में कुछ प्रावधान रखा है वह ठीक है लेकिन बजट समर्पित नहीं है_

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सब नहीं लिखना चाहिए ?

श्री परसराम मदेरणा : आप सभी समर्पित करो न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारा बजट ही राजस्थान को समर्पित है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको एक बात पूदना चाहता हूं। आपकी $11\frac{1}{2}$ हजार करोड़ की पंचवर्षीय योजना है। $11\frac{1}{2}$ हजार करोड़ के अन्दर इर्रिगेशन और पावर में वह योजना आपकी जाकर 5 हजार करोड़ के आसपास है और जो अनुअल प्लान है यह इसमें 3200 करोड़ में से 1296 करोड़ की योजना इर्रिगेशन और पावर की है। कहां तो 479 करोड़ तो इर्रिगेशन में आपने 3200 करोड़ में से रखी हैं और पावर में रखे है 816 करोड़। वहां पर आपने बढ़ाया है 51 करोड़ 57 लाख। यह तो समर्पित इर्रिगेशन और पावर को कर चुके हैं आलरेडी बजट उसके मुकाबले में यह बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं है। और इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था_(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनके मुकाबले में भी पर्सेण्ट की बढ़ोतरी है और इसमें 70 पर्सेंट टोटल बढ़ोतरी हुई है पिछली बार की जगह और ग्रामीण क्षेत्र में 125 पर्सेंट बढ़ोतरी है और 70 पर्सेण्ट किसी भी मद में नहीं हुई है। केवल स्वास्थ्य और चिकित्सा में हुई है। बिजली और सिंचाई में भी 70 पर्सेंट नहीं हुई है पिछले बजट से।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो मैं मानता हूं। 70 पर्सेण्ट योजना के अन्दर प्रावधान बढ़ाया है लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि वह 70 पर्सेंट जो बढ़ाया है वह अमाउन्ट तो 51 करोड़ 57 लाख ही बढ़ा है और 11,148 करोड़ में केवल 4.69 पर्सेंट ही है। इसलिए 70 पर्सेंट आपने इन्टरसी बढ़ा दी लेकिन ओवर आल बजट के अन्दर कहीं $41\frac{1}{2}$ पर्सेंट तो कहीं $41\frac{3}{4}$ पर्सेंट बढ़ा है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि पिछले साल का बजट आपने शिक्षा को समर्पित किया मुख्य मंत्री जी और आपने एक बात कही 5 अप्रैल को जब आप गवर्नर साहब के धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। मैं उस दिन सदन में नहीं था और मैंने आपके भाषण को पढ़ा है। मुख्य मंत्री जी आपने अपने भाषण में एक बात कहीं थी कि मैं जहां-कहीं भी इन्टरस्टेट कान्फ्रेन्स में जाता हूं तो राजस्थान के ऊपर दो कलंक लगे हुए हैं। एक कलंक तो इल्लीट्रेसी का है और दूसरा कलंक लगा हुआ है पापुलेशन एक्सप्लोजन का। जहां कहीं भी हम जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे पीछे है लास्ट बट वन। यह बात आप लगातार कहते हुए जा रहे हैं और यह 1990 की बात है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो उन्होंने 16 मार्च, 1990 को दिया था पेज 9 लास्ट पैराग्राफ "साक्षरता की दृष्टि से 1951 में देश में राजस्थान का नीचे से दूसरा स्थान था। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी आज भी देश में राजस्थान का स्थान नीचे से दूसरा ही है। पिछले साल आपने बजट समर्पित किया शिक्षा को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने 2 हजार से ऊपर प्राइमरी स्कूलें खोलीं, 1192 आपने मिडिल स्कूलें खोलीं और 148 सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलें खोली और मुख्य मंत्री जी ने

(श्री परसराम मदेरणा)

5 तारीख को अपने भाषण में यह बात भी कही कि 4 लाख नये बच्चे और बच्चियों का एनरोलमेन्ट और एडमिशन हुआ है। यह स्टैप फारवर्ड है लेकिन मुख्यमंत्री जी मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि 4 मार्च को जब आप मुख्यमंत्री बने थे सन् 1990 में राजस्थान की पापुलेशन की इन्क्रीज प्रतिवर्ष 10.8 लाख है। 10 लाख 80 हजार बच्चे और बच्चियां जो 4 मार्च, 1990 को पैदा हुए थे वह 4 साल के बाद में स्कूल जाने के योग्य हो गये। पहले वालों को छोड़ दीजिए। लगातार हर साल 10 लाख 80 हजार एडमिशन के लिये तैयार हो रहे हैं। अब एक साल में आपको स्कूल चाहिए 6800 मैंने 18 तारीख को जिक्र किया था और यह बात मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं गवर्नर साहब के एड्रेस में उन्होंने यह बात कही थी इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन के सामने भी राज्य सरकार ने यही आंकड़े रखे हैं 6800 स्कूलों के बढ़ती हुई आबादी के साथ में जो लड़के इलीजीबल हैं और यूनीवर्सल एजूकेशन के टार्गेट को हम एचीव करना चाहते हैं सन् 2000 तक तो हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है प्रतिवर्ष हमको 6800 प्राइमरी स्कूलें खोलनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्राइवेट सैक्टर में भी तो खुलते हैं।

श्री विष्णु मोदी : सरकार का भी ठेका प्राइवेट सेक्टर में दे दो।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्यमंत्री जी साक्षरता का जो हमारा पर्सेंटेज है वह 38.55 पर्सेंट है और महिला एजूकेशन का पर्सेंटेज है 20.44 पर्सेंट। नीचे से हम दूसरे नम्बर पर है। मुख्यमंत्री जी, मैं देख रहा था और मैंने प्लानिंग कमीशन से यह जानकारी ली कि राजस्थान के जो जिले हैं और पूरे देश के अन्दर जो आल इण्डिया में डिस्ट्रिक्टस हैं वह कितने हैं तो उन्होंने 478 की जानकारी दी। और एक हनुमानगढ़ इसके अन्दर एड हुआ है। उसके बाद में कोई भी और जिला देश के किसी भी राज्य में नहीं बना है। 479 जिले हैं पूरे देश में और 479 जिलों के अन्दर मुख्य मंत्रीजी, जो फीमेल एजूकेशन है वह लास्ट बट वन नहीं पर लास्ट है। यह जिला बाड़मेर हैं। उसके बाद उसके ऊपर जिला है जालौर और जालौर के ऊपर जैसलमेर है। 479 जिलों के अन्दर 3 जिले फीमेल एजूकेशन में देश में सबसे पीछे हैं। बाड़मेर में पर्सेंटेज है 7.68 पर्सेंट, जालौर में 7.75 पर्सेंट और जैसलमेर में 11.58 पर्सेंट है। अगर मुख्यमंत्री जी आप यूनीवर्सल एजूकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं सन् 2000 तक तो यह लिटरेसी में जो इम्बेलेन्स है, इस इम्बेलेंस को दूर करने के लिये आप क्राइटेरिया फिक्स कर दीजिए यह मेरा आपसे निवेदन है।

एक साल आप समर्पित करके दूसरे साल आप चुप हो गये। मैं कुछ नहीं कह सकता जैसी आपकी स्टेटेजी है और आबजेक्टिव्ज हैं और आपका आकंलन है (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी यह चाहते हैं कि हमको सुझाव देना चाहिए। ठीक है, एक वरिष्ठ सदस्य अगर ठीक ही बात कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ वह ठीक हैं, हमें सुझाव देने चाहिए। मुख्यमंत्री जी मेरा आपको सुझाव यह है कि अगले वर्ष का बजट आप पेयजल को समर्पित कीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एग्रीड।

श्री परसराम मदेरणा : वह इसलिए कीजिए मैं कारण भी देना चाहता हूँ। आप स्वयं इस बात को जानते हैं और चामू से आने वाले माननीय सदस्य इस कमेटी के मेम्बर थे–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चामू मत कहो, चौमूं है।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा चामू वहां है, यह चौमूं है। पूर्वी राजस्थान में डेगाना के पास चानार रोड है और चौमूं आपका है, इसकी बहुत चर्चा चलती है दोनों की कि निवासी है वहां के रहने वाले हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में इसलिए कह रहा था कि 45 हजार के ऊपर ढाणियां हैं, 16560 गांवों में फ्लोराइड ज्यादा है, दस हजार गांव के आसपास पी.पी.एम. ज्यादा है टी.डी.एस. भी ज्यादा है और नाइट्रेट तो बहुत ही ज्यादा है। जयपुर में आपके 500-500 ट्यूबवैल्स है, लैबोरेट्री टैस्ट से देख लीजिए। जोधपुर में पहले हैण्ड पम्प खुदवाये थे उस वक्त आपने कहा था कि नाइट्रेट ज्यादा होगी तो बच्चे नीले पड़ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो मैंने नहीं कहा था नीले पड़ जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : आप मान कर चलिये, मैं तो बोल नहीं रहा था, आज नाइट्रेट ज्यादा है। गवर्नर और आप जो पानी पी रहे हैं, रामगढ़ की पहले यहां लाइन डाली हुई थी, वह रामगढ़ का पानी आ रहा है आप भी नाइट्रेट वाला पानी पी रहे हैं। आप ग्राउन्डसन तो बड़े हो गये, 12 महीने के बच्चे के लिये ज्यादा खतरनाक होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी अच्छा हुआ, नाइट्रेट के डर से बच्चे ज्यादा नहीं करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि एक हजार कुछ करोड़ रुपये खर्च करने के बाद आप राजस्थान के अन्दर पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सके। अब आप करा लो।

जयपुर को बीसलपुर पानी देने की एक योजना है वह 612 करोड़ रूपये की है उसका एस्टीमेट आज की प्राइसेस के ऊपर है। जोधपुर में जो पानी आ रहा है वह योजना 256 करोड़ रुपये की है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : 38 करोड़ रुपये से शुरू हुई थी।

श्री परसराम मदेरणा : और बीसलपुर की योजना से पानी अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ और केकड़ी को दिया जा रहा है 155 करोड़ रुपये की उसकी लागत है। राजस्थान में पोर्टेबल पानी, सही पानी और मीठा पानी देना चाहते हैं। पानी का एन्डोमेंट सिर्फ एक पर्सेंट है, पानी नीचे जा रहा है और फिजियो कैमिकल उसमें कई प्रकार के चेन्जेज आ रहे हैं। ऐसी सूरत में हम पीने के पानी की और सेफ ड्रिंकिंग वाटर नियमित और पर्याप्त देने में असफल रहे हैं, यह जीवन की मूलभूत आवश्यकता नहीं है ? पानी तो जीवन है। मैं पानी के सम्बन्ध में काफी ध्यान रखता हूँ जहां कहीं मुझे रेन्ड वाटर मिल जाता है बॉयल करके उस पानी को पीने की कोशिश करता हूँ। आप तो अभी जवान है, रेसिसटेन्स पावर ज्यादा है, मेरे में उतनी रेसिसटेन्स पावर नहीं है इसलिए पीने के पानी तो कम से कम सेफ होना चाहिए। इसलिए मेरा यह सुझाव था कि अगर मुख्य मंत्री जी अगले साल का बजट पेयजल को समर्पित कर दें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, यहां पर 11500 करोड़ रुपये की योजना, आय-व्ययक अनुमान का खण्ड-4-ब को मैं देख रहा था। पिछले साल की आपकी योजना 2450 करोड़ की थी। दिसम्बर तक आपने उसमें खर्च किया 1939 लाख और 89 हजार रुपये। 9 महीने के अन्दर केवल 50.61 पर्सेंट खर्च किया और शेष राशि 1210 करोड़ 11 लाख तीन महीनों में खर्च कर दी। बजट में मैं यह

(श्री परसराम मदेरणा)

देख रहा था कि 2450 करोड़ के अन्दर न तो योजना का आकार बढ़ा है, न घटा है। पूरे के पूरे 2450 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किये है। 9 माह में औसतन 138 करोड़ रुपये प्रतिमाह खर्च किये हैं। और तीन महीने में 433 करोड़ रुपये प्रतिमाह आप खर्च कर रहे थे। टोटल आउटले 2450 करोड़ का तीन महीने में आपने 49.39 पर्सेंट खर्च किया है और आप सुपर सोनिक स्पीड से दौड़े। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने यहां पर बात की कि मैंने सिस्टम इम्प्रूव किया है और बजटरी फाइनेंशियल एकाउंट रूल्ज में जो पावर्स सैन्ट्रलाइज्ड हैं, उनको मैंने डीसेन्ट्रलाइज्ड की है लेकिन आपकी योजना में जो व्यय करने का तरीका हैं,

इस सिस्टम में कतई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। आप 50 पर्सेंट तो खर्च कर रहे हैं 9 महीने में और 50 पर्सेंट खर्च कर रहे हैं तीन महीने में और यह क्लीयर कट ब्राड एण्ड क्लीयर एण्ड हैफ जर्डवे में जो आप योजना का खर्चा कर रहे हो इससे आप भौतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकोगे और प्लान का जो अनप्लाइन्ड एक्सपेन्डीचर है, यह इस बात को इंगित करता है कि आपका फिस्कल मैनेजमेंट कैसा है ? यहां पर मुख्यमंत्री जी आपने 5 तारीख को यह भी बात कही कि हमको एक्सटरनल एड मिल रही है और आपको 38 वर्षों में 178 करोड़ रुपये मिले। और हमने अभी तक 200 करोड़ रुपये प्राप्त कर लिये। और 1995-96 में हमको 350 करोड़ रुपये मिलेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1500 करोड़ रुपये की एक्सटरनल बजट मिलेगी यह हमारी क्रेडिटेबिलिटी है। यह क्रेडिटेबिलिटी का जो आप केनोपी के अन्दर कीर्तिमान स्थापित करके खड़े हैं, प्राइवेट सैक्टर में थर्मल पावर को ले जा रहे हैं उसका खर्चा 15 हजार करोड़ रुपये के आसपास है, वह भी तो है। 13 हजार करोड़ से ऊपर आपने कर्जदार बना दिया। एक्सटरनल एड भी तो कर्ज है यह तो राजस्थान को डेट की ट्रैप में डाल रहे हैं यह कोई बहुत बड़ी नहीं है यह तो भारत सरकार की मार्फत आती है आपके पास, सीधी एक्टरनल एड आपको नहीं मिल रही है। आपने प्रारम्भ में कहा था कि 1990 में या 1991 में कि 5 हजार करोड़ की योजना बनाकर मैं भेज रहा हूँ फिर आये आप तीन हजार करोड़ में और अब आप कह रहे है कि 1500 करोड़ की हो जायेगी एट्थ फाइव ईयर प्लान के एण्ड तक। मैं यह निवेदन कर रहा था प्रति व्यक्ति विनियोजन भी आपका ज्यादा हो रहा है और कर्ज भी आप खूब ले रहे है आप तो यह बताइये राजस्थान की जो कुल मिलाकर बहबूदी हुई है, विकास हुआ है, डवलवपमेंट हुआ है उस डवलपमेंट से हम आज तक दुःखी हैं। आप कह रहे है कि हम योजनागत विनियोजन कर रहे हो, वह तो मैंने पढ़ा है पूरा। प्रति व्यक्ति आय की आल इण्डिया एवरेज 2404 है, आप अभी तक 2016 पर ही है, यहां आप आल इण्डिया एवरेज से पीछे रहे गये। जब वहां पर पीछे रहे गये तो कितने वर्षों के बाद में जो आकार बढ़ रहा है और जो आपका विनियोजन चल रहा है और तीन महीने के अन्दर 50 पर्सेण्ट खर्च कर रहे हैं सुपर सोनिक स्पीड से, आल इण्डिया एवरेज तक आप कब पहुँचेंगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक-दो साल इन्तजार करना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : यह जरा बता दीजिये। अब आप कर्जभार राजस्थान पर डाल रहे हैं। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य यह केवल नहीं कह रहा हूं, टेन्थ फाइनेंस कमीशन ने—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे माफ करें, आप कैपीटा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या पर कैपीटा इनकम की बात कह रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : दोनों की ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप किसमें कह रहे हो कि आल इण्डिया एवरेज से नीचे है ?

श्री परसराम मदेरणा : आल इण्डिया एवरेज में पर कैपीटा इनकम में वह तो मैंने पूरे बता दिये हैं आंकड़े सात सौ कुछ करोड़ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो अर्थशास्त्री हैं दोनों ही इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट हाथ की हाथ तो आने नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो कामनर हूं, अर्थशास्त्री तो नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पर कैपीटा इन्वेस्टमेंट आल इण्डिया एवरेज से ज्यादा हुआ है, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है।

श्री परसराम मदेरणा : फिस्कल मैनेजमेंट का...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका जब असेसमेंट होगा तो पता लग जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : वह असेसमेंट ही कह रहा हूं कि अपने को साथ-साथ इवलेल्युएशन करते हुए चले जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं होता है।

श्री परसराम मदेरणा : यह नहीं होगा तो फिर होगा क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : आपने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने बहुत ही इम्पूर्व किया है, आपने तो कुछ किया ही नहीं। आपने किया होता तो राजस्थान की हालत यह नहीं होती। अब बताऊंगा मैं।

श्री चन्दनमल बैद : तब तो बिजली ही नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजली नहीं होती आप नहीं होते मोमबत्ती से ही काम चल जाता।

श्री चन्दनमल बैद : वह तो कर रहे हैं, कैण्डल कल्चर के आप जन्मदाता हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, मैं इसलिये नहीं कह रहा था कि इसका इवेल्युएशन सम्भव नहीं है। आपने इस बात का उललेख किया है कि मैं कन्टीन्युअसली प्लान के पीरियड में इवैल्युएशन करवाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये मैं कह रहा था। आपने कहा कि यह सम्भव नहीं है, सम्भव कैसे नहीं है ? आपने खुद यह कहा है, एप्रोच टू दी प्लान में जाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मानता हूं मैंने कहा, लेकिन...

श्री परसराम मदेरणा : All plan and non-plan activities should be subjected to work effectiveness and zero-base analysis , and consolidated to increase their efficiency. **Evaluation studies both post-project and current evaluation to assess the impact of the programme of required increase emphasis so that the corrective** measures can be taken in the planning and implementation. Appropriate management inform-

(श्री परसराम मदेरणा)

ation system would have to be devised to effect qualitative improvement in the programme. आप खुद यह लगातार बात कह रहे हैं। आगे एक और पढ़ता हूं।

The importance of the management efficiency, particularly in the areas of power, irrigation, industries and social services can hardly be over-emphasized. In an environment of limited sources to meet the growing needs, the substantial improvement with efficiency of utilization of resources can yield better results for the society.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : फॉल्ट पर एक बात आ गयी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय सुने लें : The fault, dear brutus, is not in our stars, but in ourselves that we are underlings.

शैक्सपियर ने कहा है। यह बात याद आ गयी।

श्री परसराम मदेरणा : आपको मैंने उस दिन बीच में जब मुझे इंटरबीन किया मैंने कहा, हाउस ऑफ कामंस के बाहर लिखा हुआ है, हरेक उसको पढ़कर अन्दर जाता है।

It is better to look fool rather than open the mouth and prove it.

Developing appropriate management information system and adopting modern management techniques would be appropriate steps in the direction.

मुख्य मंत्रीजी आप खुद कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम मुझे डवलप करना पड़ेगा, सिस्टम इम्पूवेंट मुझे करना पड़ेगा, इवेल्युएशन लगातार मुझे करना पड़ेगा, रिअप्रेजल मुझे करना पड़ेगा। इसलिये मैं यह कहा रहा था कि आप कन्टीन्युअसली इसको कीजिये क्योंकि किसी भी योजना का एक भाग है इवेल्युएशन, दूसरी है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्या है ? किसी प्रोग्राम को लेकर उसका इफेक्ट होता है या नहीं होता है, लोगों को सुविधा मिली है या नहीं मिली है, यह क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए और इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप इनका इवेल्युएशन कराइये। मैंने देनदारियों के सम्बन्ध में कहा था, कर्जभार की बात कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, उसी बीच में यह प्रश्न आ गया। टैन्थ फाइनेंस कमीशन ने यह बात कही है, अपनी टेबल यह बात बतायी है कि सबसे ज्यादा जो आपने फिगर्स दिये, डिवोल्युएशन के पहले, टेन्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन के पहले, उन्होंने पेज 145 पर राजस्थान के ऊपर, 10172 करोड़ रुपये का आपके ऊपर डैट है और जब मैं पूरे राज्यों को देखता हूं, सिवाय पंजाब के राजस्थान के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है। अभी पंजाब पर इसलिए कर्जा है कि पंजाब का लॉ एण्ड ऑर्डर पर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा, अभी मुख्य मंत्रीजी चार दिन पहले पंजाब गये थे तब उन्होंने उसको राइटऑफ कर दिया है। मतलब यह है कि अब राजस्थान के ऊपर कर्जभार इस देश के सभी बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है और कमर टूट रही है। कमर टूटेगी उस दरिद्र नारायण की, गृह मंत्रीजी जो आपके बहुत नजदीक है और जिस वर्ग से आप आ रहे हैं। पुरूषोत्तम जलोटा का एक भजन है ओम नमः नारायण, तो यह दरिद्र नारायण

(श्री परसराम मदेरणा)

कुबड़ा हो जाएगा जैसे कोई फ्लोराइड का पानी पीता हो। इसलिये यह कर्जभार, यह कोई अच्छा मैनेजमेंट नहीं है आपका।

उसके बाद में, मुख्य मंत्रीजी, एक बात की आप बहुत चर्चा करते हैं। इस सदन में कम से कम उन्होंने कई दफे कीर्तिमान स्थापित करने की बात की है, लेकिन प्लांट लोड फैक्टर पावर के सम्बन्ध में यह राज्य सरकार बुरी तरह से विफल रही है। पावर पर पांच तारीख को बहस होने वाली है, उस पर भी मैं अपने विचार रखूंगा। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो बिजली के उत्पादन का लक्ष्य था उसमें भी काफी लैग बिहाइंड कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने सदन को अवगत करा दिया इसलिये मैं उन आंकड़ों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह निवेदन जरूर करूंगा कि यह जो टेबल 8.4 है, इकोनोमिक सर्वे ऑफ इण्डिया, 1994-95 इसके अनुसार राजस्थान का 1992-93 के अन्दर से 94 में तो प्लांट लोड फैक्टर बढ़ा है लेकिन 1993 में यह घटकर के 76.6 पर्सेण्ट हो गया है। 1994 में जहां टार्गेट 78.1 पर्सेण्ट था प्लांट लोड फैक्टर का राजस्थान के थर्मल प्लांट लोड फैक्टर की बात कर रहा हूं क्योंकि वही है अपने राजस्थान में 1 टार्गेट आपका था 78.1 पर्सेण्ट और एक्चुअल आपने 1994 में प्राप्त किया एनर्जी मिनिस्टर साहब 73.6 पर्सेण्ट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और आपके राज से ड्योढ़ा है।

श्री परसराम मदेरणा : टार्गेट आपका 78.1 पर्सेण्ट था और अपने एचीव किया 73.6 पर्सेण्ट, मैं यह बात कह रहा हूं इसलिये आप वाहवाही लूटने की ओर_

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्लांट लोड फैक्टर था_(व्यवधान)_

श्री परसराम मदेरणा : और प्रशंसा की बात कहते है। ऐसा नहीं है आपका प्लांट लोड फैक्टर गिरा है और आप यह कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। यह देश है 90-92 करोड़ का, मुझे नाम याद नहीं है शायद होंगे तो होंगे। दो पावर प्रोजेक्ट्स ऐसे है नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के शायद रिसेंट में नेवली का नहीं है, दो हैं, अलग है। उसमें एक में प्लांट लोड फैक्टर आया है 85 पर्सेण्ट और एक में प्लांट लोड फैक्टर 100 पर्सेण्ट है। मैं श्री घनश्यामजी को इन्वाइट करता हूं, क्योंकि फिगर्स मेरे पास शायद अभी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा और वह गवर्नमेंट आफ इण्डिया की एनर्जी मिनिस्ट्री ने जो किताब निकाली है उसके अन्दर उसका उल्लेख किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं करेक्ट कर लूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ नहीं तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपये की किताब है। मैं अभी गया था 5 तारीख को तब लाया था और वह किताब मैं आपको भेज दूंगा। आप उसमें दोनों देख लेना।_(व्यवधान)_

श्री चन्दनमल बैद : वह किताब हजम कर जाएंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई बात नहीं है, मेरे मित्र हैं हजम कर जाएंगे तो, 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी नॉलेज बढ़ जाएगी और ये मेरी स्पीच में बीच में व्यवधान नहीं डालेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : साढ़े तीन सौ रुपये की किताब लेने के बाद मैं बिजली के मामले में कभी बीच में नहीं बोलूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : इतनी ही घूस है क्या आपकी ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी राजस्थान को बैंकवर्ड मत कहिये, आप इस तरह की बात कहते है तो राजस्थान का अहित करते हैं, लोग वह समझते है कि राजस्थान बैकवर्ड रह गया है। इस बैकवर्ड शब्द का बार-बार इस्तेमाल तो आपने ही किया है, कम से कम 4-5 बार तो आपके भाषणों में आ गया है, प्लानिंग कमीशन में आपने कर दिया है। मुख्यमंत्रीजी, कोटा की पांचवीं इकाई की स्लिपेज कैसे हुई हैं ? पिछले साल 7 मार्च, 1994 को जब आप बजट प्रस्तुत कर रहे थे इस सदन में उस समय आपने यह कहा है, पैरा 42 में—

"विद्युत उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कोटा तापीय विद्युत संयंत्र की 210 मेगावाट की पांचवीं इकाई को चालू करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उक्त इकाई से विद्युत उत्पादन इसी माह में ही प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है।"

7 मार्च, 1994 से लेकर आज मई की तारीख 2 हो गयी, 1 साल और डेढ़ महीने का समय तो निकल गया और अभी तक सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है।

श्री परसराम मदेरणा : आप इस सदन में वही बात कीजिये जिसको आप कर सकते हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सिंक्रोनाइज तो हो गया था लेकिन भेल ने जो जेनरेटर लगाया था वह डिफेक्टिव था और इसमें भेल ही जिम्मेदार है। हमको हैण्डओवर ही नहीं किया, उसके चार्ज में ही चल रहा था। सिंक्रोनाइज तो हो गया था बाद में डिफेक्ट निकला।

श्री विष्णु मोदी : सिंक्रोनाइज पूरा नहीं हुआ, ट्रायल में था, सिन्क्रोनाइज पूरा नहीं हुआ था। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी पूछना है वह मुझसे पूछिये आप। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप यहां बैठ जाइये, आपसे पूछना शुरू कर देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई अन्तर नहीं है। एक ही जगह हैं। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मुख्यमंत्रीजी टेंथ फाइनेंश कमीशन के रिसोर्सेज में टैक्सेज में डिवोल्युशन की बात अभी आपने 18 तारीख को बजट पर उत्तर देते हुए आपने कहा कि टेंथ फाइनेंस कमीशन ने जो क्राइटेरिया निर्धारित किया है उसमें दो मुद्दों पर एक बेकवर्डनेस और एक पावर्टी और इन्फ्रास्टक्चर पर हम कामयाब हुए हैं। यह बताने के लिए एक एरिया और एक इन्फ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ-साथ में गाडगिल को भी पापुलेशन में जोड़ दिया। गाडगिल का कोई सम्बन्ध नहीं है टेंथ फाइनेंश कमीशन से, गाडगिल का आपके प्लानिंग कमीशन में जो डिटरमिनेशन होता है, प्लान में जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है उससे सम्बन्ध है, टेंथ फाइनेंश कमीशन के सामने गाडगिल-वाडगिल कहीं नहीं है। लेकिन आप वहां पर एरिया और इन्फ्रास्ट्रक्चर लाते हुए पापुलेशन ले आये बीच में। इस पापुलेशन के मामले में मुख्यमंत्रीजी आप जानते हैं कि आपने नेशनल डवलपमेंट कांउसिल में गाडगिल फार्मूले में मोडिफिकेशन

(श्री परसराम मदेरणा)

की बात की थी। मोडिफिकेशन की बात कहने के बाद में जो आपकी कन्सेंसस बनते-बनते रह गयी। 1991 में जब आप नेशनल डवलपमेंट काउंसिल में गये तो आपने कहा कि मेरी बात और जो पहले कन्सेंसस था, इसकी बात मानी नहीं। एक दफा बात तय हो जाती है इतनी बड़ी एपेक्स बॉडी में उस बात को चेंज नहीं करना चाहिये लेकिन क्राइटेरिया के सम्बन्ध में जो आप निर्धारित करवाना चाहते थे, उस बारे में आपकी कोई बात नहीं सुनी गयी।

यह भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, 5 वर्षो के अन्दर गांवों में पेयजल, विद्युत सुविधाएं और विद्यालय, यूनिवर्सल एजुकेशन हम पूरी एचीव कर लेंगे। अभी तक आप मीलों दूर हैं इनसे और मैनिफेस्टो में जो लोगों से वायदे आपने किये हैं इनको आप भूलेंगे नहीं।

अब अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी मुद्दे पर आ रहा हूँ और वह है यमुना जल की भागीदारी_

श्री विष्णु मोदी : गंगा आ रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गंगा यमुना आ रही है जलन क्यों हो रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : गंगा फ्लड पानी आना चाहिये राजस्थान में, जिस वक्त पहले प्रयत्न किये गये थे और इस समय क्या प्रयत्न किये गये लेकिन वह प्रयत्न जारी रखें और मुख्यमंत्रीजी ने वहां जाने के बाद गंगा की बात कही। अभी तक गंगा जल के बारे में 5 साल में कभी कोई मीटिंग हुई है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेटेस्ट की मालूम नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : हुई है अपन को इसमें कोशिश करनी चाहिये। लेकिन मुख्य मंत्रीजी यमुना का पानी अभी आया है उस पानी की आपने पूजा अर्चना की है, बहुत अच्छी बात है। यह इसका भरतपुर फीडर में पहली दफा पानी नहीं आया है और न डीग फीडर में आया है, पहले भी आता रहा है। पीने के पानी के लिए लास्ट ईयर भी आया था, 250 क्यूसेक के लिए आप कह रहे है कि वह आ रहा है, समझौता किया अभी आपने मई, 1994 में मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टेंडिग जब साइन हो गया, 250 क्यूसेक आ रहा है, 250 क्यूसेक तो नहीं आया 30-40 क्यूसेक पानी जरूर पीने के लिए आया है। अभी जो पानी आया है मुख्यमंत्रीजी सिर्फ टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, 8 मई तक के लिए आया है यह अखबार में था, यह कहां तक सही है ? मैं पेपर्स के आधार पर कह रहा हूँ। आपकी 8 मई, को बोर्ड की मीटिंग और होगी। यह तो ड्रिंकिंग वाटर के लिये पहले भी राजस्थान को मिलता रहा है अगर आप पानी लेना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो टोटल अपनी डिमाण्ड कर रहे थे और यमुना बेसिन में राजस्थान 23.40 पर्सेंट है। उसके मुकाबले में आप पानी लेकर आये हैं 1.119 डी.सी.एम.। राजस्थान हमेशा डिमांड और क्लेम यह कर रहा था कि इरिगेशन के लिए 3.15 डी.सी.एम. पानी हमारा क्लेम है और इसलिये हम डिमांड करते आये हैं और बेसिन स्टेट होने के नाते ड्रिंकिंग वाटर और वाइल्ड लाइफ के अन्दर 2.05 बी.सी.एम. का हमारा क्लेम बनता है, टोटल क्लेम बनता है 5.205 बी.सी.एम.। एक बी.सी.एम. होता है 0.90 एम.ए.एफ.। यह करीबन पौने चार एम.ए.एफ. पानी था, उसमें आप लेकर आये हैं दशमलव 90 एम.ए.एफ.। मुख्यमंत्रीजी, जो आपका क्लेम था और राजस्थान की डिमांड जो हमेशा से रही है, उस

-(श्री परसराम मदेरणा)

डिमांड के मुकाबले में आपको पानी एक चौथाई दिया है। एक चौथाई भी नहीं दिया है, 5वां हिस्सा पानी दिया है और इसके लिये आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिये था, ट्रिब्यूनल में जाना चाहिये था, आप इसके लिये लड़ते-झगड़ते। आप फैसाला करके आ गये और पानी ले लिया 1/5, यह टोटल क्लेम आफ डिमांड थी, मुख्यमंत्रीजी आपने राजस्थान के हितों के साथ में कम्प्रोमाइज किया है और कम्प्रोमाइज ही नहीं किया है आपने जब देखा कि पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा और पानी नहीं मिला तो भागते चोर की लंगोटी ही पकड़ो। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : बाबाजी।

श्री परसराम मदेरणा : अभी चुनरी का साफा उतार दो तो बाबाजी आप ही बन जाओ।

इसलिए आप वहां पर राजस्थान के क्लेम को, क्योंकि मैं सुन रहा था यहां एक दिन शिवचरण जी माथुर को मार्च, 1990 के अन्दर आप यहां पर कह रहे थे कि आपने जाकर के वहां घुटने टेक दिये। जिस वक्त इस प्रकार की कोई भी स्थिति राजस्थान के सामने आयेगी और राजस्थान के हितों की बात अगर नहीं सुनी जायेगी तो मैं कुर्सी को लात मार दूंगा। वह प्रोसिडिंग में पढ़ लीजिये। कुर्सी के लात मारने वाली बात तो दूर रही, आपने वहां पर घुटने ही नहीं टेके, आप तो साष्टांग दण्डवत करके आ गये और अब कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा एचीवमेंट कर लिया। यह पीने का पानी तो पहले से ही आ रहा था। यह कामेटेड यूज हैं, यह प्रोटेक्टेड पानी था जो आपको प्रोटेक्टेड पानी मिला है 0.109 उसमें से यह पानी मिला था। यह पहले भी था आपने इसलिये मुख्यमंत्रीजी, आप प्रचार करने में (व्यवधान) 100 क्यूसेक्स तो पानी आ रहा था, पीने का पानी है, पहले ही आ रहा था। आज नहीं आ रहा है, करीब 35-40 सालों से आ रहा था और वहां जाकर लम्बी-चौड़ी पब्लिसिटी करके जैसे कोई राजस्थान का_

आप यह बताइये कि इससे इर्रिगेशन कितने जिलों में होगा ? उस इर्रिगेशन को करने के लिये आपको डेम्स बनाने पड़ेंगे। कौनसे साल में बन जायेंगे, उनका शिड्यूल क्या है ? यह पानी झुंझनू और चूरू को भी मिलना चाहिए था, वह पानी इनको कब मिलेगा ?

श्री विष्णु मोदी : सीकर भी है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : भरतपुर में 400 एकड़ की सिंचाई होगी।

श्री परसराम मदेरणा : सीकर भी इसमें है और भरतपुर में कितने एकड़ में सिंचाई होगी और उस सिंचाई के लिए जो पूरा नेटवर्क कन्वेयेंस का है, उस सम्बन्ध में आपने इस बजट में कितना प्रावधान रखा हैं? 11001 करोड़ रुपये का है। मैं समझता हूँ, मुख्य मंत्रीजी का ज्यादा प्रचार धुआंधार है और जब हम यह बात कहते हैं कि_

श्री परसादीलाल मीणा : + + +

श्री रतनलाल ताम्बी : इसमें तो कला चाहिए। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले सोचेंगे कि मैं उनकी कोई आलोचना कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसराम मदेरणा)

हूँ लेकिन जो हकीकत है, वह बयान कर रहा हूँ। यह आपका बीजेपी का नेता है ना, यह बहुत बड़ा जादूगर है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मोहिनी जादू। मोहिनी मंत्र है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मैं यह बात तो कहूंगा कि धारा प्रवाह भाषण के अन्दर इधर-उधर उसको मोड़ बनाकर के एक इम्प्रेशन यहां क्रिएट कर देते हैं कि 40 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया और मैं आगे बढ़ गया हूं इतना और मैं जा रहा हूँ सुपरसोनिक स्पीड से और आप पहुंच नहीं सकते, मुझे पकड़ नहीं सकते लेकिन आप इस सबका इवेल्यूशन कराइये और मैं यह समझता हूँ कि वस्तुपरक जमीन पर क्या स्थिति है और हमने टार्गेट्स एचीव किया है कि नहीं किया है और पब्लिक ओपिनियन है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जनता जानती है (व्यवधान) मैदान में जाओ, पता लग जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह नहीं कहता कि जनता जो है, मुख्यमंत्रीजी, मैं जादूगर आपको इसलिये कह रहा हूँ कि आपने यह बात कही है कि 5 अप्रैल को इस सदन में कि आप छवि के बारे में हमारी बात कर रहे हैं। पंचायतों के चुनावों में आपने देखी हमारी छवि। जादूगर नहीं होते तो यह, आपने पंचायत चुनावों में ऊपर से शुरू किया। जिला परिषद और पंचायत समिति से इनका शीर्षासन कर दिया। शीर्षासन से जो शुरू करते हैं, वह जादूगर है इसलिए आप खुद मल्टी-नेशनल कम्पनीज को इन्वाइट कर रहे हैं तो वह यहां पर इकोनोमिक सोवरनिटी सरेण्डर नहीं होती है राजस्थान की, भारत सरकार अगर करती है तो वहां इकोनोमिक सोवरनिटी सरेण्डर होती है इसलिए मैं यह कहूंगा कि "बीजेपी तेरा लीडर दीवाना, हाय राम, मल्टी नेशनल को डाले दाना और इस राजस्थान को कर्ज से बचाना"।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दुबारा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी 2-3 बातें और रह गयी थीं। आपकी एक-दो बात छूट गयी।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो भूला नहीं। आपके दिल में कुछ उलझन थी, जो मैं कहना नहीं चाहता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : थोड़ा सा भूले थे। यह बिजली जो थी, आनन्दपुर साहिब में, रोपड़ में, नोन कंजम्पटिवली यूज के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना था और उसके कारण से अपने अधिकारों की क्षति हो रही है। उस क्षति के बारे में, राजस्थान इसको कैसे प्राप्त करे ? सदन में हमारे बहुत से माननीय सदस्य हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए आपकी क्या राय है ?

श्री परसराम मदेरणा : 1984 के एग्रीमेंट में इस बात का उल्लेख था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रेफर किया गया। अगर वह ओपिनियम नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया के ट्रिब्यूनल को बैठाया जाय। सुप्रीम कोर्ट के जज को यह बात 15 दिन में करनी थी, उस 15 दिन के अन्दर अभी 11 साल तो निकल गये। अभी मुख्य मंत्रीजी गये थे और मीटिंग हुई थी रिव्यू कमेटी की यमुना के बारे में, उस वक्त उन्होंने प्रश्न उठाया है कि... मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, सुप्रीम कोर्ट को रेफर नहीं किया है। अगर इस सदन में कोई भी प्रस्ताव पास करना है तो प्रतिपक्ष इसके लिए तैयार है और यह प्रस्ताव पास करना चाहिए और भारत सरकार के ऊपर

(श्री परसराम मदेरणा)

दबाव डालना चाहिए और कहना चाहिए कि इमिजियेटली रेफर किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर जिस प्रकार की चर्चा हुई है, उस चर्चा में कोई ऐसी बात नहीं आयी जिसका उल्लेख बजट भाषण में नहीं किया गया हो लेकिन एक बात इस चर्चा से जरूर स्पष्ट हुई कि कुछ मुद्दों का बार-बार जिक्र करने के पीछे कांग्रेस पार्टी का कोई षड़यंत्र है। यहां कर्जे का जिक्र करना, मलेरिया का जिक्र करना, मोमबत्ती का जिक्र करना...

श्री चन्दनमल बैद : बिजली का जिक्र करना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनिये थोड़ा। पीने के पानी का जिक्र करना, यहां बार-बार इसी बात की चर्चा उठाना, इसके पीछे एक कारण है कि राजस्थान से लोग आकर्षित नहीं हों, राजस्थान में पूंजी का विनियोजन नहीं हो, राजस्थान में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो। कर्जे की बात का स्पष्टीकरण हो गया था। मलेरिया में बार-बार यह कहना कि दस हजार, ग्यारह हजार आदमियों की मृत्यु हो गयी, बिजली के प्रसंग को लेकर सारी स्थिति विपक्ष के सामने है, उस स्थिति को लेकर भी यह कहना कि मोमबत्ती का कारखाना यहां खोल दिया जाय, बार-बार यहां इस बात का उल्लेख करना कि पीने का पानी का प्रबन्ध किया जाय, यह चारों बातें यदि समाचार-पत्रों के माध्यम से राजस्थान के बाहर या देश के बाहर जायेगी तो यहां पूंजी का विनियोजन करने के लिए कौन आयेगा ?

श्री शिवनाथ सिंह : आपकी क्रेडिबलिटी पर आयेगा वह तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप बोलने दीजिये। मैंने बहुत सुना है, शांति से सुना है, अब शांति से आप सुनें। कोई विनियोजन करने नहीं आयेगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह षडयंत्र चल रहा है और वह पार्टी बोल रही है जिस पार्टी ने राजस्थान को धरातल पर ले जाकर छोड़ा है। आज हमारे सात वर्ष के रहे हुए वित्त मंत्री यहां भाषण दे रहे थे, फाइनेंस कमीश्न के सामने यह बात नहीं रखी, फाइनेंस कमीशन के सामने यह नहीं रखी, अब बार-बार उस चीज को मैं दोहराऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा कि टेन्थ फाइनेंस कमीशन के सामने प्रतिवेदन मैंने नहीं रखा था, राज्यपाल के शासन में रखा गया, मई सन् 1993 में रखा गया और उस दिन मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री नहीं था। लेकिन बार-बार उस चीज को कहना कि टेन्थ फाइनेंस कमीशन के सामने मेमोरेंडम मैंने रखा है और उसमें जो कुछ लिखा जाना चाहिए था वह नहीं लिखा, मैं आज चन्दनमलजी आज कहना चाहता हूं, याद करो 1967 और 1968, जिस समय हिन्दुस्तान में गाडगिल फार्मूला लागू किया था और जिस गाडगिल फार्मूले ने राजस्थान को आज तक तबाह कर रखा है, वह आपके राज में हुआ था। उस गाडगिल फामूले का आज भी आप खड़े होकर समर्थन नहीं कर सकते। न विपक्ष के नेता कर सकते और न आप कर सकते और राजस्थान में जितना डिबोल्यूशन होना चाहिए, राजस्थान को जितनी केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिए, टैक्सेज में राजस्थान का जितना शेयर होना चाहिए, वह गाडगिल फार्मूले के कारण से राजस्थान को नुकसान हुआ है और उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मुझे मालूम है कि बार-बार आप लोग जिक्र करते रहे हैं, मुझे तो याद ही नहीं था, विपक्ष के नेता जिक्र कर रहे थे कि 1990-91 में मैंने गाडगिल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

फार्मूले में कोई तरमीम करने की कोशिश की थी। मैं लगातार इस कोशिश में हूं। आज भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन होना चाहिए। गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन नहीं होगा तो राजस्थान को सदा के लिए नुकसान होता रहेगा। अब आज यहां जिक्र किया गया, मुझे बहुत अफसोस हुआ और कोई सदस्य बोलता तो इतना अफसोस नहीं होता। यमुना के पानी के मामले में आज प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि मैंने राजस्थान का हक छोड़ दिया। या तो मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान की चार करोड़ जनता अंधी है, बहरी है, गूंगी है, इसको कुछ पता ही नहीं है कि अपना हक क्या है और अगर पता है तो केवल मदेरणा साहब को है। अब आज मैं आप से पूछना चाहता हूं, इस समझौते को अंतिम रूप देने से पहले मैंने प्रतिपक्ष को विश्वास में लिया था, उस समय मदेरणा साहब नहीं बोले, उस समय मदेरणा साहब ने कहा कि जो मिल रहा है, अच्छा है। आज वही मदेरणा साहब इस सदन में आकर यह कहें कि मैंने राजस्थान की जनता को धोखा दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो समझौता किया है जिसमें 1.119 बी.सी.एम. हमने लिया है, क्या आप इस बात की क्षमता रखते हैं कि आप ज्यादा ले सकते हैं और यदि ज्यादा आप ले सकते हैं तो दिल्ली में आपकी सरकार है, जिस समय मैंने समझौते पर दस्तख्त किये, मैं आज कहना चाहूंगा, मुझे बड़ी वेदना हुई है इस बात से, जिस समय मैंने समझौते पर हस्ताक्षर किये, दिल्ली से इनको टेलीफोन किया कि कल इसके ऊपर हस्ताक्षर होने वाले हैं, आप इसमें शामिल हो जाइये तो कहा कि मुझे बुखार हो रहा है, होगा, मैं उसको गलत नहीं मानता लेकिन नहीं आये। मैंने टेलीफोन पर बताया कि मैंने इतना अचीव कर लिया है, इसके आगे संभव नहीं है, तो कहा कि कर लीजिये। अब आज वह यह कहें—

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, यह पहले की बात है। उसके बहुत बाद में हुआ है। आपने मुझे—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले की ही तो कह रहा हूं। अभी-अभी समझौता—

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो मुझे बुलाया था वह अप्रैल के फर्स्ट वीक में वहां पर मैं बीमार था और दिल्ली के अन्दर मुझे कागज वगैरह दिये थे। यह समझौता तो आपका मई में हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूं आपको, समझौता मई में हुआ है। मई में समझौता हुआ तो लगातार चार दिन तक बैठक चली और चार दिन तक बैठक में मैं यह समझता था कि दिल्ली की कांग्रेस पार्टी में और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में इतना तो समझौता, हमदर्दी होगी कि अगर परसरामजी यहां आ जाय तो मुझे एक बाल्टी पानी की और ज्यादा मिल जाय, लेकिन वहां समझौते का तो कोई सवाल ही नहीं। उस समय विरोध नहीं किया। उसके बाद मैंने सैक्रेटेरिएट में मीटिंग बुलायी, उस समय विरोध नहीं किया और आज मदेरणा साहब, आप बोलें, आपकी मरजी की बात है लेकिन आपने यह बात कह कर अपनी विश्वसनीयता खोयी है।

श्री परसराम मदेरणा : सैक्रेटेरिएट में तो आपने मीटिंग बुलायी थी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है उस सम्बन्ध में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मैं एक बता दूं, उस पर मत जाइये। आज तक अध्यक्ष महोदय—

श्री परसराम मदेरणा : और उसमें प्रोटेस्ट किया क्योंकि उन लोगों ने ओवरराइडिंग कर लिया। आपका क्लेम था या नहीं था, 5.205 राजस्थान क्लेम करता आ रहा था या नहीं आ रहा था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात सुन लीजिये आप। यह यमुना के पानी का मामला मैंने 12 मई, 1994 को समझौता किया तो मैं पूछना चाहता हूं, यह + + + आज तक क्यों नहीं बोला क्या सारे + + + आज तक यह विपक्ष क्यों नहीं बोला ? आज बोला इसलिए है कि पानी वास्तव में आ रहा है। जब पानी नहीं आया था + + + कोई विपक्ष का नेता बोला नहीं, कोई सदस्य बोला नहीं और मदरेणा साहब, आप बोल रहे हैं। और कोई बोले तो बोले–

श्री परसराम मदेरणा : और कोई दूसरा बोल रहा है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अब डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं आप बोल रहे हैं। हां, मैं बोला हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : यह अपनी डिमाण्ड और क्लेम था या नहीं था राजस्थान का ? मैं यह पूछ रहा हूं आपसे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी सुन लीजिये। यह बच्चा- बच्चा जानता है कि आप बोले रहे हैं इसका मतलब क्या है। आप वही हैं न जो 1981 में आपने समझौता किया था, आप वही हैं ने जो 1984 में आपने समझौता किया। 1981 में आपने समझौता करके 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी का नुकसान सारे राजस्थान को पहुंचाया, वह पानी आज तक नहीं मिल रहा। अगर आपने उस समय गलती की, आपने जो 1984 में समझौता किया, 10 या 11 जून को आपने 1984 में समझौता करके आज आप कह रहे हैं कि एक प्रस्ताव पास करके भेजा जाय, हम प्रस्ताव में समर्थन देने को तैयार हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके आर्किटेक्ट कौन हैं ? आप और शिवचरणजी माथुर हैं। इन्दिरा गांधी ने धमकी दी, या तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या इस पर दस्तखत करो। यह कुर्सी के मोह में कौन दस्तखत करके आया ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो रेफर करने के लिए, राजस्थान के हित में कह रहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही था आदमी, हमें भी मालूम है। जिस तरह धमकी दी। बुलाकर और धमकी देकर यहां तक कह दिया कि कुर्सी छोड़ो, नहीं दस्तखत करो।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसको विद्ड्रा करता हूं वापस। हम कोई किसी प्रस्ताव के फेवर में नहीं हैं। हम कोई प्रस्ताव में सहयोग नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह दस्तखत करके आ गये और राजस्थान के इन्टरेस्ट को बेच कर आ गये। वह आज यहां पर कह रहे हैं, बिजली की कमी है। किस बात की बिजली की कमी है ? आप अगर उस समय यह समझौता नहीं करते तो राजस्थान में बिजली का संकट नहीं रहता। बिजली का संकट केवल इसलिए पैदा हुआ है कि आज पंजाब में हमारे पानी के आधार पर कारखाने बन रहे है और हमें उसका हिस्सा नहीं मिलता और हिस्सा नहीं इसलिए मिलता कि 1984 में आप समझौता करके आये थे।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री परसराम मदेरणा : उससे कोई मतलब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब तो कुछ नहीं है। फिर आप कह क्यों रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ, फिर आप कह क्यों रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव लेकर जाओ। मुझे समझ में नहीं आता, 1984 में समझौता करने के बाद, मैंने तो 1994 के मई में समझौता किया और अभी पांच दिन पहले पानी आ गया। एक वर्ष के बाद भी मान लें, एक वर्ष के बाद में पानी आ गया, सन् 1984 में जनू में समझौता किया, सुप्रीम कोर्ट में पन्द्रह दिन में मामला रेफर होना चाहिए था, 1990 में आया, उसके पहले आप क्या कर रहे थे, क्या + + + आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गये ? आपकी गर्वनमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गये ?

श्री परसराम मदेरणा : आप पांच साल में क्या कर रहे थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो कुछ नहीं, आप बताइये पहले। आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गये ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो 1985 से–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने समझौता किया, आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गये ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो 1985 से 1990 तक इस सदन का सदस्य भी नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई बात नहीं। आप से मतलब व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं। मैं कोई भी आज बात कह रहा हूं, परसरामजी या चन्दनमलजी, व्यक्तिगत रूप से नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया था, यह पार्टी क्यों नहीं गयी ? क्यों राजस्थान के साथ गद्दारी की ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई गद्दारी नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय कुर्सी का मोह था, उस कुर्सी का मोह आप छोड़ नहीं पाये। बिजली का समझौता किया, पानी का समझौता किया। आपने समझौता करके राजस्थान को डुबोया, आपने नर्बदा का समझौता किया। नर्बदा के समझौते में आपने राजस्थान को डुबोया, आपने 1981 के समझौते में राजस्थान को डुबोया, आपने 1984 में राजस्थान को डुबोया, आपने गाडगिल फार्मूले से राजस्थान को डुबोया और आज कहते हैं कि हमने तो राजस्थान को बहुत विकास की गति दे दी थी। अगर यही राजस्थान का विकास होता और इन चीजों का डटकर आप विरोध करते तो राजस्थान में आज जैसे मैंने कहा कि दो बातों को लेकर मुझे कई बार शर्म आती है कि राजस्थान शिक्षा के प्रतिशत में बहुत कम है और राजस्थान में बाकी का विकास नहीं होगा, यह दोनों बातें कहने का मौका नहीं मिलता इसलिए मैं कहना चाहता हूं अभी, अध्यक्ष महोदय, बार-बार जिक्र किया मलेरिया का कि राजस्थान में मलेरिया बहुत फैल गया। फैल गया मैं मानता हूं, मैं इसको मना नहीं करता। गुजरात में प्लेग भी फैला था, आसाम के अन्दर मलेरिया बहुत ज्यादा फैल गया था, आसाम में मौत ज्यादा हुई हैं लेकिन खैर, राजस्थान को आप लोगों ने टार्गेट बनाया था, आप लोगों की इच्छा थी कि राजस्थान में मलेरिया हो या नहीं हो, यह मलेरिया नामक मच्छर विदेशों में चले जायं ताकि पर्यटक नहीं आयें, यह मलेरिया के मच्छर पूरे राजस्थान में फैल जायं ताकि यहां पूंजी का विनियोजन नहीं

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो। दोनों मामलों में आप कामयाब नहीं हुए। पर्यटन की दृष्टि से जितने पर्यटक आये उन पर्यटकों की संख्या देखने के बाद में राजस्थान में आपके प्रचार का असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ और इसी आधार पर जितना पूंजी–

श्री चन्दनमल बैद : आपकी खामियों के बारे में हम बोलें ही नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं कहता। मैं यह कहता हूं गांधीजी ने कहा उसके अनुसार थोड़ा सही बोलो, आप बोलो खूब लेकिन सही बोलो और ऐसी बात मत बोलो जिसमें आपकी विश्वसनीयता कम होती हो। मैं केवल यही कहना चाहता हूं राजस्थान के विकास के लिए आप बोलेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने मुख्य मंत्रीजी मेरे लैटर में यह सुझाव दिया था जिसकी कापी मैंने आपको भी भेजी थी उसमें मैंने यह बता कही थी कि मलेरिया के कारण हुई मौतों के बारें में अनेक भ्रामक आंकड़े प्रकाश में आये हैं अतः इस हेतु सर्वे करवाया जाये। निष्पक्ष सर्वे सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ब्लाक स्तर पर तीन-तीन व्यक्तियों की टीम गठित की जाये जिसमें एक राज्य सरकार का कर्मचारी, एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मिलित किया जावे ताकि मृतकों की संख्या का सही आंकलन हो सके तथा सत्ता पार्टी और विपक्ष व जनता के समक्ष वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हो सकें। मैं तो यह चाहता था कि सर्वे करके अगर आप यह कहते हो, यह गलत है तो आप सर्वे करा लीजिये।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी हैल्थ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है और उसका जवाब आज तक नहीं आया मेलेरिया के मामले में।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि इसकी गिनती करायी जाय।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा सर्वे कराया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बिलकुल सर्वे कराया जाय इसका मतलब यह है कि आपको स्वयं को भी अपने आंकड़ों के प्रति विश्वास नहीं था।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, आप चैलेंज कर रहे थे, मैं तो कह रहा था कि इतने लोग मरे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप बार-बार डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा चलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इसलिये कह रहा था कि आपने अपना पत्र लिखा, इस पत्र से एक बात स्पष्ट है, आपने जो 10 हजार, साढ़े 10 हजार के आंकड़े दिये हैं उस पर आपको विश्वास नहीं था इसलिए कह रहे थे इसका पता कराओ लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 1969 और 1970 में आप ही राजस्थान के मंत्री थे, बाड़मेर और जालौर में क्य हालत हुई थी। गेस्ट्रोएंटाइटिस की बीमारी फैली, 41 हजार आदमियों के नाम जिनकी मृत्यु हो गयी थी मैंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिखकर दिये थे। यह 1969-70 की बात कह रहा हूं। 41 हजार आदमी बोर्डर डिस्ट्रक्ट्स में मरे थे जिनकी लिस्ट बनाकर भारत सरकार को दी थी लेकिन आप अगर यह सोचकर चलें कि मलेरिया फैल गया, 18 हजार आदमियों का नाम प्रचार करने से, इसकी जगह विपक्ष से मैं उम्मीद करता था कि इस बीमारी की रोकथाम करने के लिये हमें क्या उपाय करना चाहिये जबकि आपने जो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रावधान रखा है वह कम है, ज्यादा बढ़ाना चाहिए। डाक्टर्स वहां जाते, उनको इस प्रकार से इंसेंटिव देकर डाक्टर्स को भेजना चाहिए, दवाइयां इस प्रकार से मुहैया करानी चाहिए, वहां पर यदि पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी है तो वह उपलब्ध कराना चाहिए। वह तो नहीं बोल रहे हैं, मलेरिया में इतने मर गये, मलेरिया में इतने मर गये उससे लगता है कि मलेरिया के पीछे दूसरा मलेरिया खुजली कर रहा है और उस खुजली को मिटाने के लिए मलेरिया मलेरिया का नाम ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां बार-बार कर्जे की बात कही।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, मैंने 13 सुझाव उस लैटर में दिये थे। मैंने रखा है इस महामारी पर नियन्त्रण करने हेतु और अगर आपकी अनुमति हो तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मेरे पास है, कोई देने की जरूरत नहीं है, नहीं होगा तो मैं आपसे ले लूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने १३ सुझाव दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं ले लूंगा। अध्यक्ष महोदय, यहां बार-बार जिक्र किया मोमबत्ती का, यह बात तो सही है कि चन्दनमल जी ने अच्छी बात याद दिलायी, कारखानों में विश्वास रखते हैं, मोमबत्ती का कारखाना लग जाय। कोई भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं लेकिन मेरी समझ में ...

श्री चन्दनमल बैद : अपन साझे में लगा लें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : साझे में लगायें या नहीं लगायें लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में हम बिजली के मामले में अपने प्रयासों में कहां तक पहुंच पाये हैं। राजस्थान के साथ हरियाणा भी है, राजस्थान के साथ पंजाब भी है, राजस्थान के साथ गुजरात भी है, राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश भी है और भी राज्य हैं, उन राज्यों में बिजली का उत्पादन अधिक हुआ और आपके शासन काल 1990 तक दो वर्ष छोड़ दीजिये, बिजली का उत्पादन राजस्थान में कम हुआ। उसके दो तीन मोटे मोटे कारण हैं। एक तो जहां बिजली का उत्पादन ज्यादा हुआ, वहां हाइडल पावर का जनरेशन ज्यादा हुआ, हाइडल पावर के लिए जितने भी नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं वह हमने टेप कर लिये। चम्बल नदी से जितनी हम बिजली पैदा कर सकते थे, हमने बिजली पैदा कर ली, माही से जितनी हम बिजली पैदा कर सकते थे, बिजली पैदा कर ली, एटोमिक पावर प्लान्ट लगाकर हमें आणविक शक्ति से जितनी बिजली पैदा करनी थी वह कर ली और थर्मल पावर प्लान्ट लगाकर कोयले के आधार पर हम कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं वह कर ली। अब आज कोई यह कहे, दूसरे राज्यों के मुकाबले में आप बहुत पीछे रहे गये तो पीछे किस कारण से रहे ? वहां नेचुरल सोर्सेज हैं। आज भी हिमाचल प्रदेश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता यदि हाइडल पावर जनरेशन का काम आये, आज भी कोई जम्मू कश्मीर का मुकाबला नहीं कर सकता यदि हाइडल पावर के जनरेशन की बात आये, आज भी कोई पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकता यदि वहां पर हाइडल पावर जनरेट करनी हो ओर बाकी जनरेशन का क्वेश्चन यह आता है, कोयले के आधार पर यहां पैसा चाहिए। आज पैसा चाहिए तो मैं कहना चाहूंगा, मैं फिर रिपीट करता हूं, मुझे रिपीट करने में दुःख होता है कि 1984 में आपने जो योजनाएं बनाकर भेजी, 1984 में आपने पांच थर्मल पावर की योजनाएं बनाकर भारत सरकार को भेजी,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

1990 तक वह सारी की सारी रिजेक्ट हो गयी, एक भी उनसे से लागू नहीं हुआ, यह किसकी गलती है ? आपने 1984 में योजना बनाकर भेजी। क्यों नहीं मंजूर करायी ? 1985 गया, 86 गया, 87 गया, 88 गया, 89 गया और 90 गया, आपने कोई योजना मंजूर नहीं करायी। कहां गयी आपकी मांडल की योजना कहां गयी आपकी धौलपुर की योजना ? कहां गयी आपकी चित्तौड़ की योजना ? कहा गयी आपकी माण्डलगढ़ की योजना ? सारी कागजों में बनाकर बस्ता भेज दिया दिल्ली में। अब आप कहें कि दिल्ली में किसकी सरकार थी उस समय ? दिल्ली में आपकी सरकार थी, यहां आपकी सरकार थी। ये पांच योजनाएं बनाकर आपने भारत सरकार को क्या इसलिए भेजी कि उनको रिजेक्ट करके बस्ताए-खामोशी में डाल दें ? आप लोगों ने क्या किया ? यह पांच वर्ष तक आपका दोष है कि नये जनरेशन की आप कोई योजना नहीं ले सके।

श्री परसराम मदेरणा : सूरतगढ़ की तो केवल लिंकेज रही थी, मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसका ?

श्री परसराम मदेरणा : बाकी रिजेक्ट कहां हुई थी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब लिंकेज।

श्री परसराम मदेरणा : श्री सूरतगढ़ की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन सी ?

श्री परसराम मदेरणा : सूरतगढ़ की रिजेक्ट हो गयी थी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब ही बाकी थी न ?

श्री परसराम मदेरणा : बाकी नहीं, सूरतगढ़ में सिर्फ लिंकेज का मैटर था। रिजेक्ट कहां हो गयी थी ? सब को आप रिजेक्ट कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लिंकेज था। इन दोनों को आप कह देंगे, धौलपुर में कह देंगे, एन्वायरमेंट क्लियरेंस बाकी था।

श्री परसराम मदेरणा : वह अलग बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई न कोई कारण होता है।

श्री परसराम मदेरणा : पर रिजेक्शन एक और बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, अभी एक योजना आपने चालू नहीं की तो, मेरी सुनिये बीच में मत बोलो।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं अभी बताता हूं, एक-एक बताता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक बताऊंगा, सूरतगढ़ के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन का इनको क्लियरेंस नहीं मिला वह प्लानिंग कमीशन का क्लियरेंस मैं लाया। अध्यक्ष महोदय, धोलपुर में इनको एन्वायरमेण्टल क्लीयरेंस नहीं मिली, इन्वायरमेंट का क्लीयरेंस मैं लाया।

श्री चन्दमल बैद : गोयनका लाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसा गोयनका ?

श्री चन्दनमल बैद : आर.पी. गोयनका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह गोयनका लाओ चाहे भैरोंसिंह लाओ। अच्छा, आप यह समझते हैं कि वह गोयनका लाया तो गोयनका आपसे अच्छा है। आप नहीं ला पाये और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गोयनका ले आया। मतलब आप गोयनका से इतने प्रभावित हैं कि राजस्थान की सरकार जो काम नहीं कर सकी। वह गोयनका ने कर लिया। आपका मतलब क्या है ? आप सैण्ट्रल गवर्नमेंट के ऊपर मोटिव इम्पोज करना चाहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आप कुछ भी कहें (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ भी क्या कहें। आपका मतलब यह है कि गोयनका मेनिपुलेट कर सकता है और एन्वायरमेंटल क्लीयरेंस ला सकता है। इसका मतलब केन्द्रीय सरकार की एन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के ऊपर आपका सन्देह है। सन्देह है, तो होगा। मुझे चिन्ता नहीं है लेकिन एन्वायरमेंट क्लीयरेंस मिला निश्चित रूप से मिल गया।

सूरतगढ़ का मैं क्लीयरेंस लाया और क्लीयरेंस लाने के बाद में रेल्वे लिंकेज, कोल लिंकेज, इसकी पूरी व्यवस्था की और व्यवस्था करने के बाद में काम चालू हो गया। इसलिये 5 वर्ष का यह जो गेप था, बैदजी यह गेप है जिसके कारण से आज मोमबत्ती हाथ में लेकर के आपको भी घूमने फिरने के लिए विवश होना पड़ा और मुझे भी आज मजबूरी आ गयी। यह मोमबत्ती किसी की देन नहीं है। यह 5 वर्ष के आपके शासन की देन है। इसलिये शासन को याद करो जिसने राजस्थान में मोमबत्ती का कारखाना खोलने के लिये आपको मजबूर कर दिया। मैं इसलिये कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आज यहां इस बात का जिक्र किया गया।

श्री चन्दनमल बैद : आप मेरे हिस्सेदार बन गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो मोमबत्ती का हिस्सेदार, मैंने तो आज दिन तक कोई कारखाना लगाया नहीं, न मुझे कोई कारखाने की जानकारी है लेकिन अगर आप हिस्सेदारी देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि यहां पर कर्जे का जिक्र आया। बड़े जोर-शोर से कर्जे का जिक्र किया गया है। बैदजी ने टेन्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का पेज नम्बर 123 या कौनसा पढ़कर सुनाया और उस 123 नम्बर के पेज के आधार पर यह कहा कि राजस्थान में जितना भी राजस्व है उसका 36 प्रतिशत ब्याज में जा रहा है। अब मैं ऐसा समझता हूं, वह आपने बताया टी.एफ.एस. की रिपोर्ट से। टी.एफ.एस. में यदि आप ईमानदारी से देखते तो वे एस्टीमेट्स हैं। वे एस्टीमेट्स हैं प्री - डिवोल्यूशन के और आफटर डिवोल्यूशन आप लाते तो वही 36 की फिगर घटगर 22 या 24 पर आ जाती। अब आपकी होशियारी है कि आप उस प्री-डिवोल्यूशन और पोस्ट-डिवोल्यूशन की बात को यहां नहीं कह पाये और नहीं कहकर यह कर्जे की बात को कह कर सारे राजस्थान की जनता को एक प्रकार से आपने डराने की कोशिश की है कि राजस्थान पर बहुत कर्जा हो रहा है, बहुत कर्जा हो रहा है। हर आदमी यह समझता है कि टी.एफ.एस. के सामने आंकड़े हैं। प्री-डिवोल्यूशन के आंकड़े हैं। पोस्ट-डिवोल्यूशन के बाद में कितने आंकड़े होते हैं वह ईमानदारी इसमें रहती कि आप यदि बहुत ज्यादा चतुर हैं तो उस ईमानदारी को आप हाऊस के अन्दर रखते और यह कहते कि प्री-डिवोल्यूशन के ये आंकड़े हैं और पोस्ट-डिवोल्यशून के ये आंकड़े हैं और ईमानदारी से इतना अन्तर हुआ है।

अब मैं कहना चाहूंगा । आप तो अपने सात वर्ष की उपलबधियां बता गये। मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सात वर्ष की उपलब्धि तो नहीं लेकिन आपकी उपलब्धि बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, ऋण भार तथा योजना व्यय का आकार, ये दो मोटे क्वेश्चन हैं कि आपने प्लान की साइज कितनी है और प्लान की साइज की तुलना में आपका ऋण-भार कितना है। ये दो चीजें है जिनसे एसेस किया जा सकता है कि हम ऋण-भार चुकाने के लायक हैं कि नहीं या ऋण लाने के लिये उपयुक्त हैं कि नहीं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1982-83 में मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था। 1982 में यदि एक रुपये योजना का आकार मान लें तो एक रुपये के योजना व्यय के मुकाबले में 7 रुपये 8 पैसे का ऋण था। एक रुपया तो योजना व्यय, उसके मुकाबले में 7 रुपये 8 पैसे ऋण का भार था। 1983-84 में यह 7 रुपये 8 पैसे से घटकर हुआ 6 रुपये 50 पैसे। फिर 1984-85 में यह बढ़कर हुआ 7 रुपये 89 पैसे। यह सारा आपका काल है, देखते जाइये। फिर 1986-87 में 7 रुपये 51 पैसे हुआ और 1989-90 में 7 रुपये 77 पैसे हुआ। इसके बाद में मैं आया हूं। 7 रुपये 77 पैसे एक रुपये के योजना व्यय के अनुपात से आपका कर्ज भार था, ऋण भार था। अब यहां हम आ गये। अब यहां आने के बाद में यदि 7 रुपये 77 पैसे से ऋण भार ज्यादा बढ़ता हो तो मेरे ऊपर दोष डाल दो। लेकिन स्थिति क्या हुई। 1990-91 में 6 रुपये 85 पैसे, 1994-95 में 4 रुपये 86 पैसे और 1995-96 में 4 रुपये 36 पैसे। इससे आपको पता लगे कि इस कर्जे के मुकाबले में ऋण भार बताकर ब्याज का भार बताकर राजस्थान को क्यों डरा रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : Is is wrong comparison.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप जिक्र कीजिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कहना भी चाहिये। अपोजिशन को कहते रहना चाहिए ताकि सरकार सावधान रहे कि कर्जा मत लो, कर्जा मत लो। अभी मैं इसका जिक्र करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में आपने कहा है। राजस्थान में ब्याज की अदायगी का भार 1987-88 में 46.31 प्रतिशत था। 1988-89 में 53 प्रतिशत हुआ और 1989-90 में 54.95 प्रतिशत हुआ। यहां मैं आ गया, 1994-95 में 43.24 प्रतिशत घट गया और 1995-96 में 38.29 प्रतिशत। यहां भी मैं समझता हूं कि मैंने गलती नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह आता है कि कर्जा लिया क्यों। तो मैं कहा रहा हूं कि यह षड़यंत्र है। इस कर्जे का जिक्र करके षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र यह है कि राजस्थान में आज गरीबी बहुत है। लगभग 60 प्रतिशत किसान स्माल फार्मस हैं या मार्जिनल फामर्स हैं। करीब 26 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। आज राजस्थान में चाहे शिक्षा की दृष्टि हो, आपने कहा कि यहां साक्षरता 38 प्रतिशत है। अब यह 38 प्रतिशत किसने दिया, किसके कारण से। आप तो 1952 में आ गये थे। 1952 से लेकर 1977 तक आपका राज रहा। ढाई वर्ष छोड़कर फिर आपका राज रहा और अन्त में आप 38 प्रतिशत साक्षर राजस्थान में छोड़कर गये। यह बैंक-लॉग किसने छोड़ा। आपने 40 वर्षों तक क्या किया। क्या 40 वर्षों तक आपने राजस्थान में 38 प्रतिशत साक्षरता के लिये ही सब कुछ किया था। अब मेरे सामने जिम्मेदारी आती है कि मैं राजस्थान को 38 प्रतिशत रखूं या इसको आगे बढ़ाऊं। आगे बढ़ाऊं तो अपने साधनों को देखूं। साधनों को देखूं तो साधन हैं नहीं और कर्जा लूं तो आपको चिढ़। इसका मतलब राजस्थान को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अनपढ़ रखूं ताकि राजस्थान की गरीब जनता का लोग शोषण करते रहें। यह शोषण करने की छूट हम नहीं दे सकते और न कभी देंगे। अब ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, यहां (व्यवधान) सुनते जाओ, सुनते जाओ। अध्यक्ष महोदय, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं (व्यवधान) नुक्कड़ सभाएं तो अब चुभ रही हैं। चुभ रही है नुक्कुड़ सभाएं (व्यवधान) बोलने की आवश्यता भी नहीं है। जो समझे नहीं वह बोले क्यों।

मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान के सोर पैरामीटर्स लेकर, टोटल पैरामीटर्स शिक्षा की दृष्टि से हमारा स्तर क्या था। रोड़ की दृष्टि से हमारा 1990 में स्तर क्या था। हमने चिकित्सा की दृष्टि से कितने बेड के ऊपर कितने पेशेंट का और वह जो सारा अनुपात निकालते हैं, वह क्या स्थिति थी। उनके अन्दर सब राज्यों से हम पीछे थे। आज इस सदन के सामने मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1989-90 में कांग्रेस पार्टी ने जिस स्थति में हमको छोड़ा, शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, सड़कों की दृष्टि से, बिजली की दृष्टि से, पीने के पानी की दृष्टि से जो विकास के पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के आधार पर 1989-90 में इस कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को जिस स्थिति में छोड़ा उस पर मुझे रखना चाहिए या राजस्थान को आगे बढ़ाकर दूसरे राज्यों की तुलना में खड़ा करना चाहिए। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आज जब यह प्रश्न आता है कि हमने कर्जा लिया, कर्जा लिया, कौनसा राज्य है और हिन्दुस्तान की कौनसी सरकार है जो कर्जा नहीं ले रही है। कर्जा सभी ले रहे हैं। अब मैं यदि हरियाणा के कर्जे का जिक्र करूंगा तो आप कहेंगे कि आप तो अपनी बात बताओ। मध्य प्रदेश का जिक्र करूंगा तो कहेंगे आप अपनी बात बताओ। आप दूसरे राज्यों की बात करेंगे और मैं इतना बताता हूं कि आज जो मजाक कर रहे थे गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य कि एसेट्स का हम क्या करें। ऐसेट्स को हम बेचें क्या। एसेट्स को बेचने की आवश्यकता नहीं है। एसेट्स से रिटर्नस अपने आप आ रही हैं। भांखड़ा डेम बना वह बहुत बड़ी एसेट्स हैं, उसकी रिटर्नस आ रही है। माही डेम बना, एक बहुत बड़ी एसेट्स है। उसकी रिटर्नस आ रही हैं।

रोड्स बनी हैं और रोड टैक्स के रूप में उससे रेवेन्यू आ रही है। कोई भी राजस्थान में इन्वेस्टमेट किया जाए और इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिये किया जायं तो उसमें बेचने की शिवनाथ सिंहजी आवश्यकता नहीं है। वह परमानेंट इनकम है। वह इनकम आती रहती है, रेवेन्यू में वह शामिल होती है। परमानेंट एसेट्स हमारी इनकम का धीरे-धीरे साधन बन जाती है इसलिये_

श्री शिवनाथ सिंह : दूसरों का गुस्सा मेरे ऊपर मत करिये। मैंने तो दो तरह से कहा है। आप आज गुस्सा मत करिये, हमको पीड़ा हो रही है। खुशी से बोलिये। आप कैसी भी बात कहें हम मान लेंगे पर गुस्से में मत बोलिये आप

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं गुस्से में हूँ ही नहीं।

श्री शिवनाथ सिंह : आप जो कुछ कहेंगे हम स्वीकार कर लेंगे चाहे वह सत्य हो या असत्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल राजी होकर बोल रहा हूँ। अब आप देखो बहुत राजी होकर बोल रहा हूं। गुस्से का सवाल ही पैदा नहीं है, गुस्सा आता भी नहीं है। आप किसान है इसलिये मैं कह रहा हूँ। अब मैं आपको_(व्यवधान) देखिये बीच में, अध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, यह उचित नहीं है। मैं बहुत ही सहनशीलता से, गम्भीरता से सुनता हूँ तो कम से कम आपकी भी इतनी आदत तो पड़े कि सुनें। अब अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि...

श्री अध्यक्ष : माननीय, शांति रखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि इस सारे बजट को देखें, अब आप कहेंगे कि आपने क्या किया ? मैं एक-एक बारे में शिवनाथ सिंहजी के रिएक्शन जानना चाहूंगा। मैंने 1990 में आकर किसानों का कर्जा माफ किया, यह गलत किया या अच्छा किया ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : गलत किया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गलत किया। जिन लोगों का कर्जा माफ किया...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको नहीं...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के कर्जे माफ किये गये, आज उन लोगों को बैंक दुबारा ऋण नहीं दे रहा है...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप... (व्यवधान)...कृपया, शांति बनाये रखें।

श्री चन्दनमल बैद : या तो आप सवाल मत पूछिये और सवाल पूछे तो जवाब देना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : आपने सवाल पूछा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने इनसे पूछा है।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, आपने सवाल पूछा कि मैंने कर्जा माफ किया तो अच्छा किया या बुरा किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शिवनाथ सिंहजी से पूछा है।

श्री चन्दनमल बैद : तो शिवनाथ सिंहजी से पूछा है तो जवाब कोई भी दे सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं आपसे नहीं पूछूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, मेरे से नहीं पूछा है, मैंने बोला भी नहीं है लेकिन इन्होंने आपसे पूछा था बीच में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको बीच में पड़ना भी नहीं चाहिये। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि 350 करोड़ रुपये का किसानों का कर्जा माफ किया, मैंने गलती नहीं की...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा आप बता दो, ठीक है ? मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : गलती की है।

श्री शिवनाथ सिंह : आप जो भी करते हो सही करते हो...(व्यवधान)...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने बारानी जमीन का लगान माफ किया, गलती की ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : गलती की।

श्री शिवनाथ सिंह : जो भी करते हो सही करते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलते जाओ। मैंने कुओं की सिंचाई का, जिसमें छोटे किसान थे उनका कर्जा माफ किया, वह ठीक किया ?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

श्री शिवनाथ सिंह : लगान का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, लगान माफ किया। उसी प्रकार से जो किसानों के काम आने वाली चीजें थीं उनमें से कुछ का टैक्स हटाया, कुछ का टैक्स कम किया, यह भी गलती नहीं की। अब मैं ऐसी स्थिति में पूछना चाहता हूँ कि यदि उनके कारण से सरकार पर कर्ज हो जाए तो आप पक्ष में बोलेंगे या विरोध में बोलेंगे ? मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ ज्यादा नहीं।

श्री शिवनाथ सिंह : जैसा आप बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। देखिये, मैं तो आपसे किसान के नाते पूछ रहा हूँ और किसान के नाते जब मैं पूछता हूँ तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैंने कर्जा भी लिया और पूरा कर्जा चुकाने की मेरी क्षमता भी बनी रहे और किसान को मैं कर्जा माफ कर देऊं तो किसान उसकी बदुआएं नहीं देगा। किसान दुआएं देगा मगर बददुआएं नहीं देगा। वह ही चिन्ता की आवश्यकता है, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इसलिये कह रहा हूँ और दूसरा राजस्थान में आता है गरीब। आज यह विकास का काम होगा सड़कें बनेंगी, लाभ गरीब को होगा अगर कर्जा लेकर मैं पीने का पानी का प्रबन्ध करता हूं तो बड़े आदमी तो पानी खरीद भी लेंगे लेकिन गरीब को पीने के लिये पानी मिलेगा। अगर मैं सिंचाई का प्रबन्ध करता हूँ तो गरीब को सिंचाई के लिये पानी मिलेगा अगर आज मैं बिजली के लिये कर्जा लेता हूँ और बिजली पैदा करता हूँ तो आम काश्तकार को राहत मिलेगी, आपको दर्द क्यों हो रहा है ?

एक माननीय सदस्य : धारीवालजी को हो रहा है_(व्यवधान)_

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको नहीं, व्यक्तिगत नहीं_(व्यवधान)_आपको दर्द हो रहा है, कर्जा ले लिया। कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया तो बिजली पैदा करूंगा, कर्जा ले लिया तो पीने का पानी लाऊंगा, कर्जा ले लिया तो सड़क बनवाऊंगा, कर्जा ले लिया तो गरीब को रोटी मिले इसके लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करूंगा, वह समझ में नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, यहां इस प्रकार की चर्चा करना कि कर्जे से राजस्थान डूब रहा है, कर्जे से डूब रहा है, आप हिन्दुस्तान की सरकार को भी कहते कि आप तो डेट ट्रेप में आ गये, मुझे क्या उपदेश देते हो ?

श्री चन्दनमल बैद : यहां बैठा हूं इसलिये दे रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वे वहां भेजो ना, आप नाम ले देते हैं। ठीक है, मैं आपका उपदेश मानूंगा लेकिन यह एक प्रचार ही करना कि कर्जा, कर्जा, मलेरिया पीने का पानी यह तीन-चार बातें लेकर जो कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय इसका आधार_

श्री शिवनाथ सिंह : आज जम नहीं रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री शिवनाथ सिंह : जम नहीं रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं जमा रहा हूँ आप बेफिक्र रहो। आपको ऐसा जमा दूंगा कि पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा_(व्यवधान)_

श्री शिवनाथ सिंह : आप उखड़े हुए मत बोलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं बहुत उखड़ा हुआ हूँ। आप यही मान कर चलिये

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि मैं बहुत उखड़ा हुआ हूँ।

श्री चन्दनमल बैद : पानी पी लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेख़ावत : वह तो मैं पी रहा हूँ। मैं अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर यह भी जिक्र किया गया कि कर्जे के साथ साथ, शिवनाथसिंहजी ने कहा और बैदजी ने तो अप्रत्यक्ष रूप से कहा और शिवनाथसिंहजी ने बिल्कुल प्रत्यक्ष में कहा कि कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर जो टैक्स नहीं लगायेगा,वह डरपोक है। बात बिलकुल सही है, बहुत सही है। बैदजी, आपको याद होगा कि आपने इरिंगेशन शुल्क बढ़ाया था, बढ़ाया था तो फिर क्या हुआ ?

श्री चन्दनमल बैद : अन-पापुलर हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेख़ावत : अन-पापुलर नहीं हुआ। आपको वापस लेना पड़ा। आप फिर कहेंगे कि मेरी किताब निकाल रहा है। आप अपनी—

श्री चन्दनमल बैद : आपकी जानकारी अधूरी है।

श्री भैरोंसिंह शेख़ावत : अधूरी है, यह बिलकुल सही है आप कल सही कर देना लेकिन आपने पानी का सिचांई शुल्क बढ़ाया, विधान सभा में जबरदस्त विरोध हुआ तो आपने वापस लिया। अब उस समय कायरता दिखायी, आज कायरता है ? सवाल यह है कि राजस्थान में आपने भी कहा है और मैं भी मानता हूँ कि राजस्थान में टैक्स लगाना एक सेच्यूरेशन पाइंट पर पहुंच गया। हमें उस प्रकार की चीजों की छटनी करनी पड़ेगी जो आज की सुविधाओं का लाभ उठाने से जिनकी इनकम बढ़ी है उन पर हम टैक्स कैसे लगा सकते हैं लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई है कि इस बजट भाषण के कारण कांग्रेस पार्टी ने मुझे यह स्पष्ट रूप से कहा है कि आप टैक्स लगा सकते हैं, मैं समझता हूँ कि यह अच्छा रहा है। लगाना है कि नहीं लेकिन यहां आपकी तरफ से छुट्टी हो गयी। अब छुट्टी हो गयी तो विचार करना पड़ेगा कि कौन-कौन से क्षेत्रों में टैक्स लगाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में यहां चर्चा करना आवश्यक नहीं है। मैंने अपने बजट भाषण में भी कह दिया, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी उसका उल्लेख कर दिया इसलिये मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी ने जनता पर टैक्स लगाने के लिये मुझे अधिकृत किया है। अध्यक्ष महोदय, अब ऐसी स्थिति में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि कई बातें यहां पर कही गयी हैं—

श्रीमती कमला : कई चार्जेज बढ़ाये हो—

श्री भैरोंसिंह शेख़ावत : क्या ?

श्रीमती कमला : बिजली की रेट बहुत बढ़ गयी।

श्री भैरोंसिंह शेख़ावत : नहीं, वह ठीक है, आपमें और इनमें फर्क है। आप तो सही बात समझती हैं। अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह आता है कि राजस्थान में जिस प्रकार का विकास है, उस विकास के लिये धनराशि किस प्रकार से एकत्रित की जाए ? आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि बिजली के मामले में सब्सिडी है। वह क्रॉस्ड सब्सिडी है। पीने के पानी के मामले में सब्सिडी है। इरिंगेशन के मामले में, मेंटिनेंस कॉस्ट भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब दोनों क्वेश्चन आकर खड़े होते हैं। इसका फैसला कर लें कि मैं इन दोनों चीजों पर जितना खर्चा होता है, उतना रुपया वसूल करूं, इसका इन्तजार करूं या कर्जा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लेकर इनकी मेंटिनेंस की और बाकी की चीजों की व्यवस्था करूं। अगर मैं मेंटिनेंस नहीं कर पाता तो टैक्स लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब नष्ट हो जाएगा। पानी से तबाही और हो जाएगी और पानी से तबाही हो जाएगी तो उस तबाही से बचने ओर किसानों के खेत को पानी पहुंच जाए, बिना मेंटिनेंस की चिन्ता किये, उसको मैं आवश्यक समझता हूँ कि मैं इस बात के लिये विचार करता रहूं कि किसान से पैसा लेकर ही मेंटिनेंस पर मैं लगाऊं और लगाने के बाद में ही इसका विकास और उतना किसान से खर्चा वसूल करूं तो मैंने कोई अन्याय नहीं किया। मैंने कर्जा लेकर नहरों को मेन्टेन किया। मेंटिनेंस के कारण से पानी उसके खेत में पहुंचाया और उसकी आमदनी बढ़ायी। आमदनी बढ़ायी तो देश के आर्थिक विकास के अन्दर उसका योगदान हुआ। आज कहते हैं, यह क्यों ? यह वसूली पूरी होनी चाहिये। बिजली की वूसली पूरी होनी चाहिये। पीने के पानी की वसूली पूरी होनी चाहिये। इसके लिये तो मैं आपकी इच्छा का स्वागत करता हूँ। मैं देखूंगा और इस बार आपको किसी भी तरह से निराश नहीं होने देऊंगा कि किस प्रकार से मैं इनकी पूर्ति कर सकता हूँ, मैं इसको देख लूंगा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी जिक्र किया गया_

श्री रतनलाल ताम्बी : यह अंदाजा लग रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अंदाजा काहे का ? आपका हुक्म मानूंगा मैं, नहीं फिर मुझे कहेंगे कर्ज ले रहा है, कर्ज ले रहा है। हुकम मानना पड़ेगा। और जैसे ऐसी स्थिति में_

श्री चन्दनमल बैद : मैंने भी यहां से हुक्म दिया था कि आप उधर चले जाइये और चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को यहां बैठा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां ?

श्री चन्दनमल बैद : कि आप उधर चले जाइये और चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को यहां बैठा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है, उनमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इतना फर्क है, आपने तो बहुत कोशिश की थी कई बार कि शिवचरणजी की जगह बैठ जाऊं, आपने पहाड़ियाजी की जगह लेने की कोशिश की, आपने हरिदेवजी की भी कोशिश की, आपने कोशिश की तो कोई दूसरा करे तो इसमें आपत्ति आपको क्यों हो रही है, करने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं तो नहीं कर रहा हूं, सोगन खा कर कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा चीजों पर नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बात आपने कही है_

श्री रतनलाल ताम्बी : कुछ अच्छी बात करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छी ही कर रहा हूं मैं। आपको बुरी लग रही है, वह अच्छी है।

एक बात बैदजी ने कही और बाकी के माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया कि राजस्थान सरकार के जितने भी सरकारी उपक्रम हैं वह घाटे में चल रहे हैं और घाटे में चल रहे हैं इस कारण से वह उपक्रम जो घाटे से बाहर नहीं निकल सकते उनको बंद किया जाए, जिन उपक्रमों में सुधार हो सकता है उनमें सुधार किया जायं। अब मैं इतना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निवेदन करना चाहता हूं, आंकड़ो में न जाते हुए कि हमारे तीन प्रकार के उपक्रम हैं, एक तो स्टेट्यूटरी कारपोरेशंस, जैसे बिजली बोर्ड है, आर.एस.आर.टी.सी. है इस तरह के स्टेट्यूटरी कारपोरेशंस हैं, एक कम्पनीज है गवर्नमेंट की कम्पनीज और तीसरे कापरेटिव सेक्टर में चलने वाले यह सारे इस तरह के उपक्रम हैं। यह सही है कि मथुरादासजी माथुर ने एक कमेटी अपाइण्ट की थी और उस कमेटी ने फैसला किया, कमेटी की मैंने भी रिपोर्ट देखी है, आपने भी रिपोर्ट देखी होगी, सवाल आता है कि बंद करने का निर्णय। यह आसान बात नहीं है कि आज हम बोलें कि इन कारखानों को बंद कर देओ, यह कारखाने बंद हो जाने चाहिये, यह बोलना बहुत आसान है लेकिन उस कारखाने में जिन लोगों की रोटी और रोजी निहित है उस रोटी और रोजी के कारण मैं उनके पेट पर लात मार कर मैं उन कारखानों को बंद जल्दी नहीं कर सकता। मेरी कोशिश है कि कारखाने बंद हों और जिनकी रोटी और रोजी उन कारखानों पर निहित है उनकी रोटी और रोजी किस प्रकार से सुरक्षित रहे, अब इसके बारे में तो कोई चिंता नहीं करता कारखाने बंद करो, कारखाने बंद करो। कारखाने बंद हो रहे हैं और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि जो कारखाने घाटे में चल रहे है, लोगों की रोटी रोजी का ध्यान रखते हुए मैंने कई कारखाने बंद कर दिये और कई इस वर्ष में बंद कर देऊंगा लेकिन जो स्टेट्यूटरी कारपोरेशंस हैं, अगर आप इसमें कोई नीयत पर संदेह करें तो मैं कह नहीं सकता लेकिन मैं आपका सहयोग चाहता हूं। आज जैसे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और आर.एस.आर.टी.सी. है और इसी तरह के जितने भी स्टेट्यूटरी कारपोरेशंस हैं, मैं इसको एक पार्टी का विषय नहीं बनाना चाहता मैं विपक्ष का सहयोग चाहता हूं और विपक्ष के माननीय सदस्य कहेंगे तो बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में उनको नोमिनेट करना चाहता हूं ताकि दोनों मिल कर उसकी व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, मैं समझता हूं पूरा सदन मिल जाएगा तो सुधार निश्चित रूप से होगा। ऐसा मौका बार-बार आपको मिलने वाला नहीं है इसलिए...

श्री शिवनाथ सिंह : अच्छा पत्थर फैंक दिया, ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पत्थर नहीं फैका। यह अकलमंद के लिए पत्थर नहीं है, शिवनाथ सिंहजी, यह करना है। मैं समझता हूं कि हम सब मिल कर करेंगे तो निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था होगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लाभ के कारखानों में तो डाइरेक्टर्स आपके और हानि के कारखानों में डाइरेक्टर हमारे।...(व्यवधान)...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, जो हानि के कारखाने हैं उनको तो बंद करेंगे लेकिन जो कारखाने हम को चालू ही रखने हैं, मजबूरी है कानून के अन्तर्गत, उनमें लाभ कैसे मिल सके उसके लिए मैं समझता हूं...

श्री चन्दनमल बैद : दो पैसा रेट बढ़ाने में तो लाखों आदमियों को तो जेल भेजने वाले आप भैरोंसिंहजी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जी, हां।

श्री चन्दनमल बैद : और अब हम से आप कहते हो कि मेरे साथ मिल कर सहयोग करो। करेंगे सहयोग आपका।...(व्यवधान)...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं वह तो देखिये, बैदजी, मैं नहीं कह रहा हूं।...(व्यवधान)...बैदजी, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सारे भाषणों का अर्थ एक है कि आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

टैक्स नहीं लगाते, कायर हो, तो आप मेरे साथ आ जाओगे तो मेरी कायरता निकल जाएगी, मैं इसलिए कह रहा हूं।

इसलिए आप दोनों बातें नहीं कर सकते, यह भी नहीं कर सकते कि मैं साथ नहीं देऊं और यह भी नहीं कर सकते कि मैं साथ देऊं, दोनों चीजें नहीं। आपको आपत्ति क्या है?

श्री परसराम मदेरणा : इनको आपत्ति यह है कि आपने नोन टैक्स रेवन्यू बढ़ाई है, नोन टैक्स रेवेन्यू।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सही है, वह नोन टैक्स रेवेन्यु का मतलब ही यही है। कोई भी हो, नोन टैक्स रेवेन्यु हो, टैक्स रेवेन्यु हो, मैं इतना कह सकता हूं कि चन्दनमलजी बैद हों चाहे परसरामजी हों, आप यदि आज सुझाव देते हैं कि यह नोन टैक्स बढ़नी चाहिये, यह टैक्स रेवेन्यू बढ़नी चाहिये तो केबिनेट मेरे पास ही बैठी है, केबिनेट की मंजूरी के साथ अभी घोषणा करता हूं, बोलिये। नहीं बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इतनी जल्दी आपकी बात मान रहे हैं, आज की आज ही स्वीकार कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां चौथी बात...

श्री परसराम मदेरणा : अब क्या मानें, यह आप अभी बता दीजिये ? यह कोई जापान का खिलौना है जो बटन दबाया और यों निकल गया यहां। ...(व्यवधान)...इसमें बैठ कर कोई चर्चा होती है, यों आप जो बात कर रहे हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : यह जो ठोक रहे हैं यों ही और आप हम से सवाल पूछ रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैं भी मानता हूं कि आप अभी नहीं बतायेंगे, मैं मानता हूं यह।

श्री परसराम मदेरणा : रेडिमेड चीज थोड़ी है जो आपने कही और मैं बटन दबाऊं यहां पर...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, रेडिमेड नहीं है। कोई बात नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : वह आ जायं सीधी आपके पास में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह मैं मानता हूं कि रेडिमेड नहीं है लेकिन मैं अपनी तत्परता को प्रकट कर रहा हूं, मैं अपनी तत्परता और मेरी इच्छा-शक्ति को प्रकट कर रहा हूं। यह मानता हूं कि आपके पास कोई बटन नहीं है, बटन दबाते ही निकल जाए यह टैक्स लगा दो, यह नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दो। बटन नहीं है, यह भी मानता हूं और मैं आज कहता हूं, परसरामजी, आप कभी सुझाव देंगे भी नहीं, आपके पास बटन कभी होगा ही नहीं। कभी सुझाव देने वाले नहीं है, यह चुनौती स्वीकार कर लें मेरी, कि आप कभी बटन दबा सकते हैं। आप दबा ही नहीं सकते। इसलिए आज हो चाहे 6 महीने हो, बटन दबने वाला नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास बटन दबाने की ऐसी कला है जो मैं आपको बताने वाला नहीं हूं और डाइबल्ज करने वाला नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस कला को अपने पास रखिये मुझे उसमें काई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आप राजस्थान की जनता के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना मैं हूं।

श्री परसराम मदेरणा : हां, यह बात सही है, इसमें कोई दोराय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें अपने दोनों में कोई कमी नहीं है। अगर मैं बटन दबाऊं और आप बटन दबाएं इसमें फर्क क्या है ? कोई फर्क नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : अब मूड ठीक हो गया, ऐसे ही चलें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपना मूड ठीक ही है।

अध्यक्ष महोदय, यहां एक जिक्र किया गया, चौथा इश्यू जो बारबार जिक्र किया जा रहा है पंचायत राज का। अब पंचायत राज में, मैं जादूगर हूं कि क्या हूं, यह तो मुझे पता ही नहीं और अधिकांश माननीय सदस्य इस बात को जानते होंगे कि मैं इतना सीधा हूं कि मुझे अपने बारे में पता नहीं और सब के बारे में पता है।_(व्यवधान)_ वह ठीक है, वह सब आप जानें, वह अच्छी है लेकिन मुझे पता नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : कई भाषणों में आपने कहा कि मैं जादूगर हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं कहता।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, अखबारों में छपा है और कई भाषणों में आपने पब्लिक मीटिंग में कहा है कि मैं जादूगर हूं मैं जब आता हूं तो पानी बरसता है, अकाल नहीं पड़ता मैं जादूगर हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अकाल नहीं पड़ता, इसकी भी आपको जलन है। अब मैं जब मुख्य मंत्री बनता हूं बरसात हो जाती है, कांग्रेस के लोग इससे ही जलते हैं कि यह क्या तमाशा है। हमारे यहां तो मस्टररोल चलती है, मस्टररोल चलती है यहां बाढ़ ही बाढ़ आती है। अब यह भाग्य की बात है। कोई आपके और मेरे भाग्य में कोई अन्दर नहीं है। राजस्थान की जनता के लिए यदि बरसात होती है और अच्छा रहता है तो सब ठीक है, आपको जलना नहीं चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : देश में हुई है। मुख्य मंत्रीजी, यह जो 5 साल रहे हैं, मैं समझता हूं पिछले 50 वर्ष में यह गोल्डन पीरियड है। राजस्थान में भी रहा है और पूरे देश के अन्दर मानसून अच्छा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के बारे में मैं कह रहा था। पंचायतों के चुनाव हुए तो कहते हैं जादूगर हैं, ऊपर से चुनाव कराये।

श्री शिवनाथ सिंह : शीर्षासन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शीर्षासन किया, कुछ भी किया लेकिन मुझे तो किसी ने यह सुझाव ही नहीं दिया कि ऊपर से मत कराओ नीचे से कराओ_

श्रीमती कमला : देने की जरूरत थोड़ी है इसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, देने की जरूरत नहीं है, यह बिलकुल सही है।

लेकिन मुझे कोई कहता कि ऊपर से चुनाव मत कराओ नीचे से चुनाव कराओ_

श्री चन्दनमल बैद : परसरामजी, सुझाव नहीं दोगे तो उल्टे-उल्टे काम करेंगे यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब वह चुनाव हो गये, अब चुनाव हो गये तो उसके बाद में जब हार गये तो हालत खराब हो गयी।

श्री चन्दनमल बैद : हम तो नहीं हारे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब यह समझदार आदमी का काम नहीं है, हार गये तो स्वीकार करो हार गये। इसमें कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं हारे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खैर, यह आपकी आदत है कि हारने के बाद में भी आप हार नहीं मानते, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं...

श्री लक्ष्मण सिंह : गजट के आंकड़े के अनुसार भाजपा हारी है, मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा मान लो।

श्री लक्ष्मण सिंह : मुख्य मंत्रीजी, 997 जिला परिषद सदस्यों में से 480 कांग्रेस जीती है और आपके 407 सदस्य जीते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आंकड़े तो बोलते हैं कि आप हार गये, सदस्य बोलते हैं कि नहीं हारे, आंकड़े और सदस्य में झगड़ा है इसमें मैं कोई ज्यादा बीच में नहीं पड़ना चाहता।

श्री परसराम मदेरणा : पानी पी लीजिये। मैं यूं कह रहा था कि आंकड़े वाला छोड़ दो। जहां आपने सिम्बलस दिये नहीं, टिकट दिये नहीं, यह सरपंच और वार्ड पंच है। सरपंच ले लो, नौ हजार कुछ पंचायतें हैं। उसमें आपके कितने जीते और कांग्रेस पार्टी के कितने सरपंच जीते ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घनश्याम जी, बता देओ इन्हें।

श्री परसराम मदेरणा : हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 6000 से ऊपर हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 6,107 हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 6,142।

श्री परसराम मदेरणा : यह छह हजार जीते हैं कि नहीं जीते। नौ हजार में से टू थर्ड जीत गये न आपके सिक्सटी पर्सेण्ट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सिक्सटी पर्सेण्ट।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सिक्सटी से ज्यादा।

श्री परसराम मदेरणा : इन सरपंचों का हम एक सम्मेलन पहले मई में बुलाने वाले थे, अब हम जून में बुला रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक ही तारीख को बुला लेते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक ही तारीख को बुला लेते हैं और जयपुर में ही बुला लेते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह बहुत ही बढ़िया रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर फैसला हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा रहेगा फिर आप दोनों मिलकर तय कर लेना। मेरा समय मत लेना।

श्री परसराम मदेरणा : हां, ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : **अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के नतीजे आ गये।** नतीजे आने के बाद में देखा कि बहुत बुरी तरह से पिट गये। अब मान ले ओ मैं लक्ष्मण सिंहजी की बात थोड़ी-सी देर के लिये मान भी लूं कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

साहब हम तो हार गये, वह जीत गये। लेकिन यह तो मानेंगे आप कि आज से पहले हमारे एक जिला परिषद में एक जिला प्रमुख थे इकत्तीस में से। एक ही और वह भी कांग्रेस के लड़ाई-झगड़े में हम किसी तरह से निकल गये। अब के सत्रह पर तो आ गये (व्यवधान) मैं

श्री रतनलाल ताम्बी : दल-बदल बता रहे हैं आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब देखिये। दल-बदल में तो यहां एक्सपर्टस बैठे हैं। यहां तो बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं। इसमें जाने दो रतन लाल जी, मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं पंचायत समितियों में हमारी संख्या 10-15 से ऊपर नहीं गयी। 1959 से चुनाव शुरू हुए। उस समय से लेकर 1990 तक 10-15 से ज्यादा हमारी संख्या नहीं गयी। आज हम 131 पर पहुंच गये। अब उसके मुकाबले में जीत गये।

अब आपके नेताओं ने जाकर दिल्ली में प्रचार किया हम जीत गये, हम जीत गये। जीत गये तो उनसे एक सवाल पूछा कि आप जीत गये, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत-बहुत बधाई। आप यह बता देओ कि पहले बी.जे.पी. के और बाकी के कितने थे और अब उनके कितने हो गये। इनकी संख्या जब बताई तो अपने आप में रिजल्ट आ गया कि बी.जे.पी. जीत गयी।

अब आज ऐसी स्थिति में यह प्रचार में लगे हैं कि इनको कोई अधिकार ही नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चहाता हूं हम तो 1990 में आये। बीच में दो बरसों के लिये आये 1977 से लेकर 1980 तक।

श्री विष्णु मोदी : जिसमें चुनाव नहीं कराये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वह नहीं कह रहा हूं। अभी आपको तो पता ही नहीं। आप बच्चे थे उस समय। आप उस समय स्कूल-कालेज में क्या-क्या करते थे वह (व्यवधान) मैं अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कह रहा हूं। 1977 से लेकर 1980 उसमें हम थे, बाकी में आप थे। आप मुझे यह बता दीजिये पंचायतों को कोई अधिकार आपने दिया जो मैंने अधिकार वापिस ले लिया। इन तीस वर्षों में 1959 से लेकर 1980 तक, आपने पंचायत को कोई अधिकार दिया क्या? जो मैंने वापस ले लिया। (व्यवधान) आप ठहर जाओ। यह आपकी नहीं, इनकी ही बात है। आप और हम काश्तकार हैं, सब जानते हैं। गांव के रहने वाले हैं। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं 1969 से लेकर 1990 तक कोई पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को अधिकार दिया क्या ? हमने वापस लिया (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : कांस्टीट्यूशन में अमेण्डमेण्ट पहले हुआ, बाद में हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं वह बता रहा हूं। मैं आ रहा हूं। कांस्टीट्यूशन अमेण्डमेंट छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने कोई अधिकार वापस नहीं लिया। दूसरा, काम जो आपने साधन दिये थे पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को, साधनों में मैंने कमी नहीं की। साधन ही नहीं, शक्तियों में कमी नहीं की। उनके कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में कमी नहीं की और आज आप कहते हैं पंचायतों को अधिकार नहीं दिये, पंचायतों को अधिकार नहीं दिये (व्यवधान) आप ठहर जाओ।

श्रीमती कमला : वह जो अनुसूचियां हैं न_

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताता हूं आपको।

श्रीमती कमला : सिर्फ अनुसूची की बात कह रही हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये आप कमला जी, आपने वह अनुसूची देखी होगी और आपने 1969 के कानून को, 1952 या 1953 के कानून में जो सूची बना रखी है, उसको देखा होगा, उसमें अन्तर है क्या? कोई नहीं है न ?

श्रीमती कमला : अनुसूची के मुकाबले दोनों पाबन्द है, वह जारी नहीं किया, यह कह रही हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये। मैं कह रहा था। आज यह आवाज पैदा करना कि पंचायतों को अधिकार नहीं दिये। पंचायतों के अधिकार छीन लिये। पंचायतों को देना चाहिये था। देना वह चाहिये था जो अब हम देंगे। लेकिन आपने जो तीस वर्षों में दिया। उसमें मैंने कमी नहीं की, उसको बढ़ाया है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के अंदर इस प्रकर का भ्रम पैदा करना कि आपको कोई अधिकार नहीं मिला। अब पहले जिला परिषद को अधिकार नहीं थे। कई जिला परिषद के सदस्य यहां बैठे होंगे। क्या अधिकार थे? जिला परिषद को कोई अधिकार नहीं थे। पंचायत समितियों को अधिकार थे। ग्राम पंचायतों को थोड़े अधिकार थे। उन पंचायत समिति के अधिकार इन्टेक्ट हैं। ग्राम पंचायत के अधिकार इन्टेक्ट हैं। जिला परिषद के अधिकार इन्टेक्ट हैं तो बार-बार यह बात उछालना कि इनको अधिकार नहीं दिये और चुनाव कब हुए ?

एक माननीय सदस्य : 12 मार्च को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 12 मार्च को कब हुए ? 16 मार्च को चुनाव पूरे हुए। 16 मार्च और 23 मार्च से विधान सभा शुरू हुई है सात दिन बाद। अब विधान सभा शुरू हुई उससे लेकर, अब मैं समझता था कि माननीय सदस्य कुछ सुझाव देंगे और उन सुझावों के आधार पर क्या साधन दिये जायें और क्या शक्तियां दी जायें, क्या काम दिया जाये ? ईमानदारी से कोई सदस्य कह दे कि इस विधान सभा के एक भी माननीय सदस्य ने यह बात कही हो विधान सभा में कि अमुक अधिकार पंचायतों को दिये जायें।

श्रीमती कमला : मैंने सुझाव दिया कि कमेटी बनाकर...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब वह अधिकार पंचायत समितियों को दिये जायें। अमुक अधिकार जिला परिषदों को दिये जायें। कोई बोले नहीं। मौन होकर बैठे रहे तो अधिकार मैं अपनी मर्जी से जो कुछ हमारी पार्टी तय करेगी, वह अधिकार देऊंगा। पंचायतें इससे बैठने वाली नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर पंचायतों के साथ-साथ परिवार नियोजन के मामले में भी बड़ा जिक्र किया गया। बहुत जोर से बोले।

श्री परसराम मदेरणा : थोड़ा-सा इण्टरफियर कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर देओ आप।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, आपने एक दिन यहां सदन में एक प्रस्ताव रखा था और प्रस्ताव यह था कि इन पंचायती राज संस्थाओं को क्या अधिकार दिये जायें ? मैं एक कमेटी का गठन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुनो। मैंने आपके प्रस्ताव का समर्थन किया। आज आपने कहा कि कोई अधिकार-वधिकार कुछ नहीं, मेरी पार्टी कहेगी, वह करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह दोनों अलग चीजें हैं उसका मिक्स-अप मत करो।

श्री परसराम मदेरणा : आज इसका मतलब यह है कि–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह मतलब नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अगर उस कमेटी का कोई मतलब नहीं है। मैंने सहर्ष स्वीकार किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, वह मैं भी स्वीकार कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : इसको इन मेटिकुल्स डिटेल में देखना चाहिये। उस शिड्यूल को भी देखना चाहिये और पहले वाली शिड्यूल को भी देखना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह देख लिया मैंने।

श्री परसराम मदेरणा : अब आप आज यह कह रहे हैं कि–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कहने का यह अर्थ नहीं लें।

श्री परसराम मदेरणा : हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस कहने का अर्थ नहीं लें। जो उस कमेटी, कमीशन के अधिकार हैं वह इन्टेक्ट हैं। और कमीशन, आज यह–

श्री परसराम मदेरणा : कमीशन का नहीं कह रहा हूं। आपने एक कमेटी कांस्टीट्यूट करने की बात कही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम वह भी करेंगे कमीशन।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, कमीशन की नहीं कह रहा हूं मैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो ?

श्री परसराम मदेरणा : वह तो कांस्टीट्यूट है। आपने इस हाउस में–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कमेटी मैंने चार दिन पहले कहा है। उस कमेटी के कौन-कौन पर्सनल हो, मैं विचार कर रहा हूं और उसकी घोषणा भी जल्दी कर देऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आपने कहा कि आप इस कमेटी में हमारे साथ सम्मिलित होइये। मैंने कहा हम सहर्ष सम्मिलित होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : सहर्ष सम्मिलित होंगे। मैंने यह कहा कि–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा वह स्वीकार है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने समर्थन किया। उस समर्थन करने की बात में–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं इसका मतलब यह नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ लोगों में गलतफहमी भी हुई कि आपने चीफ मिनिस्टर के प्रस्ताव को स्वीकार क्यों किया ? बल्कि यह पंचायती राज संस्थानों के हक में है, एक कमेटी बनाना और डिटेल में उसका एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है और उसमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जरूरी है।

(श्री परसराम मदेरणा)

अब आज आप यह कह रहे हैं कि अधिकार-वधिकार कुछ नहीं, मैं मेरी पार्टी कहेगी, वैसा करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, प्रतिपक्ष ने अपना स्वाभिमान ऑनर–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक मिनट बैठ जाऊं।

श्रीमती कमला : वह आप ज्यादा जोश में बोल गये।

श्री परसराम मदेरणा : वह हमने यहां पर सरेण्डर नहीं किया है। अगर आप उस कमेटी में जो वह कहेंगे और आपकी पार्टी तय करेगी तो इस प्रकार की कमेटी में फिर हमें सम्मिलित होने से क्या मतलब है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कह सकता हूं कि–

श्री परसराम मदेरणा : अपने गुड फेथ में एक बात कही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं बोल रहा हूं न। आप मुझे बोलने दीजिये। आपका भ्रम निकल जाएगा। न तो मैं कमीशन के कार्य में हस्तक्षेप करने के लिये बोल रहा हूं। न यह जो प्रस्तावित कमेटी है, उसके कार्य क्षेत्र में कुछ बोल रहा हूं। लेकिन मैं बोलने के लिये अपनी पार्टी न बोलूं, इस बात को अपने अधिकार को समाप्त करने को भी तैयार हूं। आखिर कमेटी हो चाहे कमीशन। आपकी पार्टी और हमारी पार्टी अपने सुझाव दे सकती है, सुझाव देगी और सुझाव आने के बाद में जो निर्णय होंगे वह लागू किये जाएंगे। इसलिये इस बारे में कोई वहम करने की आवश्यकता नहीं है कि कमेटी–(व्यवधान)

श्रीमती कमला : चलो गलती से कह दिया होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये आप मानें तो बहुत बड़ी बात है मिलकर व्यवस्था कर दें और नहीं मानें तो भी मुझे तो करना पड़ेगा तो उसमें मजबूरी है–(व्यवधान) मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर परिवार नियोजन की चर्चा हुई और एक माननीय सदस्य तो यहां तक कह गये कि परिवार नियोजन के मामले में आपने जो सारे हिन्दुस्तान में प्रसिद्धि प्राप्त की वह खतम हो गयी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना प्रसिद्ध हो गया हूं। अगर आप पहले इसकी जानकारी देते तो मैं विचार करता यह संशोधन लाने के पहले लेकिन यह संशोधन क्या था। इस हाउस को, राजस्थान की जनता को मैंने एक विश्वास दिया था और विश्वास यह दिया कि चुनाव होने के बाद एक वर्ष में यदि दो बच्चे पहले हो चुके या पहले दो तो मिनिमम और दो से ज्यादा भी हो गये, उसके बाद में एक बच्चा होगा तो डिसक्वालिफाई हो जाएंगे। मैंने विधान सभा में यह कहकर कानून पास कराया, जनता से मैंने यह कहकर समर्थन लिया। चुनाव में विलम्ब हुआ और चुनाव की अवधि एक वर्ष की, उस एक वर्ष की अवधि में संशोधन करना आवश्यक था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं एक बात आप मंजूर करेंगे क्या ? यह तो पंचायतों के मामले में, इसमें तो कानून लागू हो गया और कानून लागू हो गया तो जो कुछ सदन से मैंने विश्वास प्राप्त किया था कि इस मुद्दे पर, जिस कारण पर उसी के आधार पर मैंने यह सब व्यवस्था की है। लेकिन परिवार नियोजन का मामला प्रतिपक्ष के नेता, यह मेरा अकेले का विषय नहीं है यह तो पूरे राष्ट्र का विषय है और इस राष्ट्रीय विषय के ऊपर हमें–

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि म्युनिसिपैलिटी में आपने अमेंडमेंट इसलिए किया, मैंने टेलिफोन पर आपसे बातचीत की थी जोधपुर से, आपने कहा कि कुछ म्युनिसिपैलिटीज जिनके चुनाव हो चुके हैं और वहां पर इसको लागू करने में बहुत से आदमी डिसक्वालिफाई हो जाएंगे। मैंने कहा आप पंचायत राज संस्थाओं के बारे में क्या सोचते हैं? तो आपने मुझे बहुत कर्टली और प्लेजरनैस में टेलीफोन पर कहा, जवाब दिया कि उमसें मैं कोई अमेन्डमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इसमें अमेन्डमेंट नहीं होगा। फिर वह अमेन्डमेंट क्यों कर दिया? मैंने जब आपसे बात की–

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, वह सही है आप जो कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने कहा कि नहीं उसमें नहीं कर रहा हूं तो मैं तो वस्तु स्थिति जानना चाहता था। फिर उसके बाद में आपने फिर अमेन्डमेंट कर दिया

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह मैं आपको बता दूं कि जिस समय मेरी बात चीत हुई उस समय यह समस्या खड़ी हो रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे इसको एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ज्योंहि मैंने इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू की तो मेरे सामने यह बात आई कि इसमें बहुत लोग जो दोषी नहीं हैं वह लोग डिसक्वालिफाई अपने आप ही हो जाएंगे। एक वर्ष पहले से यह कानून लागू हो गया तो हिन्दुस्तान का नवयुवक, खास तौर से जिक्र किया गया कि हिन्दुस्तान का नवयुवक जो चुनाव लड़ना चाहता है वह राजस्थान का आदमी उससे महरूम रह जाएगा। मैंने जो कुछ किया वह नवयुवकों के हित में फैसला कर दिया। इस बात का अगर आप मुझे इनाम यही देना चाहें तो आपकी मर्जी की बात है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर यह पहला राजस्थान का बजट होगा, पहला बजट, जिस बजट के अन्दर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव टैक्स लगाने के सम्बन्ध में या लगाये हुए टैक्स कम किये जाएं या हटा दिये जाएं इस बारे में कोई सुझाव नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : घनश्याम जी तिवाड़ी ने दिया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई नहीं, आपने दिया हो तो बता दो। घनश्याम जी ने दिया वो तो दूसरी बात है मैं तो आपसे पूछ रहा हूं।

श्रीमती कमला : मैंने दिये हैं तीन सुझाव।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने दूसरी तरह का सुझाव दिया है वह मेरे हाथ में है यह सुझाव दूसरा है मैं उसका अभी जवाब दूंगा।

लेकिन कोई सुझाव नहीं आया। बजट के टैक्स के मामले में किसी प्रकार का कोई सुझाव न तो आया कि जो लगाया है उसको कम किया जाए या जो लगे हुए हैं उनको कम किया जाए। किसी तरह का कोई सुझाव नहीं है। अब इस आधार पर मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में यह पहला बजट होगा जिस बजट के आय के सम्बन्ध में कोई कर लगा हुआ हो उस कर को कम करने की या कर घटाने की कोई सिफारिश नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : छूट दे रहे हो क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : छूट छोटी सी दे रहा हूं ज्यादा नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : दिख रहा है।

(श्री परसराम मदेरणा)

भूमिका जो आप बना रहे हो तो कोई न कोई बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भूमिका इसीलिए बना रहा हूं। मैं बिना मांगे भी, मतलब सरकार कितनी संवेदनशील है कि (व्यवधान)... अपने बजट को देखकर उसने देखा कि इसके कारण से कुछ गड़बड़ हो सकती है। बजट प्रस्तावों में टैक्सटाइल वस्तुओं की ऐसी वस्तुएं जिन पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पादन कर वसूल नहीं किया जाता जैसे कम्बल, रुमाल, शालें, स्कार्फ, मफलर, बैडशीट्स, बैडलिनन, पर्दे, तोलिये, टैक्सटाइल, इम्प्रेगनेटेड वस्त्र, रबडयुक्त कोटेड, कवर्ड, कन्वेयर बैल्ट व बेल्टिंग आदि-आदि पर दो प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की भावनाओं, आम-उपभोक्ताओं के हित तथा छपाई, रंगाई उद्योग के विकास को ध्यान में रखते हुए कम्बल, रूमाल, शालें, स्कार्फ्स, मफलर बैडशीट्स, बैडलिनन, पर्दे तथा तौलिये पर लगाया गया कर दो प्रतिशत वापिस लेता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं छह तौलिये एक साथ खरीदता हूं और बारह साल तक उनका इस्तेमाल करता हूं। पहले वाले बहुत मोटे हो गये थे तो मैंने अभी छह तौलिये खरीद लिये मुझे क्या मालूम था कि यह आप करने जा रहे हो (व्यवधान)...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो मंहगे तौलिये खरीदे हैं वह आज ही मेरे पास भिजवा दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : मैं टैक्स पेअर हूं और ओनेस्ट टैक्स पेअर हूं अब वह ले लिया तो + + + तौलिये अब मानलो अच्छे हैं, या वो ठीक हैं कि नहीं हैं आप कहो तो मैं एक तौलिया आपको भेंट कर दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भेंट कर देना। इसके साथ ही इम्प्रेगनेटेड, रबड़युक्त कोटेडकवर्ड व लेमिनेटेड टैक्सटाइल तथा बैल्ट व बैल्टिंग पर यह कर चालू रहेगा।

बजट प्रस्तावों पर मैंने खांडसारी जिस पर अतिरिक्त उत्पादन कर देय नहीं है, दो प्रतिशत की दर से बिक्री कर आरोपित किया था। आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए तथा कर वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कर की दर को दो प्रतिशत रखते हुए यह प्रस्ताव करता हूं कि खांडसारी के पंजीकृत व्यापारी पांच हजार रुपये वार्षिक कर राशि जमा कर अपना कर दायित्व प्रसंविद (कम्पाउण्ड) करवाकर निर्धारण व निरीक्षण की जटिलताओं से मुक्ति पा सकेंगे। यह कम्पाउण्ड लेवी केवल रजिस्टर्ड व्यापारियों से ही देय होगी न कि अनरजिस्टर्ड छोटे व्यापारियों अथवा इस उद्योग में लगे व्यक्तियों से।

अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रस्ताव गलती से रह गया था। बजट प्रस्तावों में पंजीकृत व्यापारी को प्लास्टिक स्क्रेप, खाली बोतल और बेकार कागज को अपंजीकृत व्यवसायी से खरीद कर राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत देय कर क्रय कर से छूट प्रदान की गयी थी। इस प्रकार के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए कांच के टुकड़ों की खरीद को भी इस सूची में शामिल कर क्रय मुक्ति से मुक्त करने की घोषणा की गयी है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस वर्ष के बजट प्रस्तावों में बिना "सी" फार्म नमदा की अन्तरराज्जीय बिक्री कर बिक्री पर छूट प्रदान करते हुए कर की दर दस प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दी गई है। जबकि फेल्ट व फेल्ट वस्तुओं की अन्तरराज्यी बिक्री पर बिना "सी" फार्म के दस प्रतिशत की दर से बिक्री कर देय है। अब मैं यह छूट नमदा की भांति फेल्ट व फेल्ट वस्तुओं की अन्तरराज्जीय बिक्री पर भी प्रदान करता हूं। जिसे बिना "सी" फार्म बिक्री कर केवल छह प्रतिशत ही देय होगा।

बजट प्रस्तावों में बेल्डिंग, इलेक्ट्रो रॉड्स पर कर की दर दस प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत तक की गई है। वेल्डिंग रोड्स की बिक्री भी समान प्रकृति है परन्तु वेल्डिंग रोड्स पर सामान्य दर दस प्रतिशत से बिक्री कर प्रभावी है अतः इस विषमता को दूर करने के लिए वेल्डिंग रोड्स पर भी बिक्री कर की दर छह प्रतिशत की घोषणा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय 22.4.1988 से कर मुक्त एवं कर चुके माल की बिक्री में काम आने वाले बारदाने की बिक्री पर कर लगाया गया था फलस्वरूप व्यापारियों को काफी परेशानी हो गयी थी। इनके हल के लिए सन् 1991 में चीनी तथा पशु आहार के बारदाने पर कर से छूट दी गयी थी। परन्तु अन्तराल अवधि में यह कर देय था और खांडसारी बारदाना पर यह छूट नहीं दी गई थी। अतः कर में एकरूपता की दृष्टि से चीनी, पशु आहार और खांडसारी के बारदाने पर भी कर की छूट देता हूं।

कर प्रस्तावों के अनुसार सभी प्रकार के सूती धागे, सूती धागों की छीजत पर दो प्रतिशत की दर से टैक्स देय है। सिलाई व कढ़ाई के धागे भी सूती धागों का ही एक रूप है। जबकि सिलाई व कढ़ाई के धागों की बिक्री पर चार प्रतिशत की दर से करदेय था। दोनों ही धागों की बिक्री पर अलग-अलग बिक्री कर होने के कारण इस विषमता को दूर करने के लिए सिलाई व कढ़ाई के धागों की बिक्री पर भी दो प्रतिशत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां दो बातों का मैं जिक्र करके अपना भाषण समाप्त करूंगा।

श्री राधेश्याम : खाद और डीजल का क्या हुआ ?

श्रीमती कमला : एग्रीकल्चर लैण्ड पर आपने स्टेम्प ड्यूटी कम नहीं की, बाकी पर आपने डिक्लेयर कर दिये, इस पर नहीं किया। एग्रीकल्चर लैण्ड पर स्टेम्प ड्यूटी आपने कम नहीं कि जबकि शहरी क्षेत्रों में मकानात वगैरह के बेचान का स्टेम्प ड्यूटी का कम किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां शिक्षा के मामले में बड़ा जिक्र किया गया, संस्कृत शिक्षा के सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्यों द्वारा यहां जिक्र किया गया। यह सही है कि जयपुर को पहले द्वितीय काशी के नाम से पुकारा जाता था। संस्कृत में ज्योतिष का, आयुर्वेद का यहां काफी प्रचार था। बड़े-बड़े यहां विद्वान हुए और इन विद्वानों की रचना आज भी संसार में पढ़ी जाती है। उस रचना से लोग प्रेरणा लेते हैं। जयपुर जैसे शहर और खास तौर से राजस्थान राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय न हो, यह ठीक नहीं है। इसलिये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि यहां पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और उसी स्थापना के लिये शीघ्र ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जो इसकी सारी रूपरेखा बनाकर राजस्थान की सरकार के सामने रखें और उसको हम स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय, यहां महिला शिक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ जिक्र किया गया और जिक्र में राजस्थान सरकार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन पिछले वर्ष से निरन्तर दे रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमने इस वर्ष तीन अतिरिक्त कन्या महाविद्यालय और खोलने का निश्चय किया है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, यहां पर गंगानगर जिले में सेम की समस्या को लेकर एक माननीय सदस्य ने बहुत ही पीड़ा प्रकट की है। मैं समझता हूं उस क्षेत्र में कोई भी जाता है तो उस सारे हालात को देखकर पीड़ित हुए बिना नहीं रह सकता। मैंने बजट में इसके लिये राशि का प्रावधान किया लेकिन इसमें लोगों का मत मतान्तर होने के कारण किस प्रकार से सेम की समस्या का निराकरण किया जाए, यह समझ में नहीं आता। मैं, माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि आप इस समस्या का समाधान जिस प्रकार से भी चाहते हों, मैं उस सम्बन्ध में एक्सपर्टस की एक कमेटी बनाकर उस कमेटी के माध्यम से एक महीने के अन्दर उनकी योजना लूंगा और उसमें जितना धन खर्च होगा, उतना धन खर्च करके मैं इस समस्या का समाधान करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं, अंत में मैं, यह कहना चाहूंगा कि इस वर्ष बजट में संभावित घाटों को संशोधित अनुमानों में पूरित होने की संभावना मैंने दिनांक 27 मार्च, 1995 को बजट प्रस्तुत करते समय व्यक्त की थी। उस सम्बन्ध में मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि रिजर्व बैंक की सूचना जो अभी सुबह प्राप्त हुई है, अनुसार समस्त हिसाब रिकंसाइल करने पर हमने न केवल उक्त घाटे को पूरित किया वरन् 31 मार्च, 1995 को रिजर्व बैंक में करीब 6 करोड़ का अधिशेष इस वर्ष छोड़ा है। ऐसी स्थिति में मैं, इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि हमने राजस्थान का विकास अपना लक्ष्य बनाकर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हमने सब कुछ यह व्यवस्था की है। आप और हम सब चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो। आप और सब चाहते हैं कि राजस्थान में गरीब की रोटी का इन्तजाम हो। गरीब को सिर ढंकने के लिये छाया मिले और ऐसी स्थिति में मैं, समझता हूं आपके और हमारे बीच में ज्यादा मतभेद नहीं हैं। यह टेबल सब दिखावटी है लेकिन मन हमारा एक हो और एक मन से हम राजस्थान के विकास पर लग जाएं, इस इच्छा के साथ मैं, सदन के माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक 1995 को पारित किया जाए।

विधयेक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1995 पारित किया किया।

मुझे एक माननीय विधायक ने व्यवस्था देने के लिये कहा था, मैं कल उनको पढ़कर सुना दूंगा, वैसे तैयार है।

सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 3 मई, 1995 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 19.45 बजे बुधवार दिनांक 3 मई, 1995 की प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 636 का विवरण)

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

प्रेषित—

जिला क्लेक्टर,

अजमेर (राज)

क्रमांक प. 12 (53) राज/ग्रुप-1/71 पार्ट जयपुर, दिनांक 24.11.92

विषय—अजमेर जिले को भू-संशोधन समस्याओं बाबत।

महोदय,

अजमेर जिले की भू-संशोधन समस्याओं के निराकरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार विमर्श किया जाकर निम्न निर्णय लिये गये है—

गैर मुमकिन भूमि के मामले

वर्ष 1970-72 के भू-संशोधन के दौरान जिनके नाम खातेदारी अंकित कर दी गई, ऐसे सभी मामलों में जिनका 1940-41 व 1950-51 को मिसल बन्दोबस्त में नाम था लेकिन बाद में चौसाला जमाबन्दी तथा वर्किंग जमाबन्दी में नमा नहीं आया व भूमि सिवाय चद अंकित हो गई, जितनी भूमि पर उनका मिसल बन्दोबस्त में इन्द्राज है उस पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। रेकार्ड के अनुसार व मौके पर विद्यमान गैर मुमकिन आबादी, सार्वजनिक भूमि, रास्ते, नाले, कब्रिस्तान, शमशान, मन्दिर आदि पर किसी भी स्थिति में खातेदारी नहीं दी जावे।

2. सिवाय चक व चरागाह भूमि के मामले.

ऐसे सिवाय चक भूमि के मामले जिनमें 70-72 के भू-संशोधन के दौरान खातेदारी अंकित कर दी गई थी, में यदि वर्तमान में कब्जा 1.7.75 से पूर्व से लगातार साबित होता है तथा चारागाह भूमि के मामले में कब्जा दिनांक 1.7.70 के पूर्व से लगातार साबित होता है, ऐसे मामलों में स्वयं द्वारा पूर्व में धारित भूमि को सम्मिलित करते हुए 10 एकल की सीमा तक नियमन की कार्यवाही की जाकर मामले निपटाये जा सकते है।

3. शामलात देह की भूमि के मामले

ऐसे काश्तकार जिन्हें बन्दोबस्ती जमाबन्दी में ताबेमर्जी काश्तकार दर्ज किया हुआ है तथा काश्त की अवधि भी बताई हुई है तथा जिनका नाम भू-संशोधन जमाबन्दी 70-72 में खातेदार की हैसियत से अंकित हो गया था, लेकिन बाद की वर्किग जमाबंदी में जिनका नाम हटा दिया था, को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इसमें गैर मुमकिन जमीनों के मामले में पैरा 1 के अनुसार ही कार्याही की जावेगी। इन शामलात के टीनेन्ट को धारा 15-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन कानूनी अधिकार प्राप्त है, अतः उसके मुताबिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

4. पेटा काश्त भूमि के मामले

राजस्व नियमों के तहत तालाबों के पेटे की भूमि पर खातेदारी अधिकारी नहीं दिये जा सकते है। पेटे की भूमि पर खातेदारी अधिकार देने की स्थिति में यह संभावना रहती है कि उस पर भूमि पर अच्छी फसल पाने के लिए तालाब के पानी को अनावश्यक रूप से खाली करके पानी का दुरूपयोग किया जावे।

अतः पेटे की भूमि पर खातेदारी अधिकार देने से तालाबों के पानी को व्यर्थ ही समाप्त करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलेगा। अजमेर जिले में जहां "सरफेस वाटर" की आवश्यकता है, पेटे की भूमि के मामलों में खातेदारी अधिकार न दिये जाकर वर्तमान नियमों के अनुरूप ही कार्यवाही की जानी चाहिये। यदि बन्दोबस्ती जमाबन्दी में कोई अधिकार मिले है तो उनको गैर खतेदारी अधिकार मानकर उनको काशत या अधिकार दिया जा सकता है।

5. नगर परिषद् एवं नगरपालिका पैराफेरी की मामले

पेराफेरी के गांवों में जिनके नाम 70-72 की जमाबन्दी में अंकित कर दिये परन्तु उनका नाम वर्किग जमाबन्दी में नहीं आया ऐसे मामलों में से जिनके नाम मिसल बन्दोंबस्त में या शामलात में होने से उपरोक्त पैरा 3 में नियमित हो जाते है, उनको छोडकर शेष के लिए यह प्रस्तावित है कि यदि उनका नाम 70-72 की जमाबन्दी में है और उनका कब्जा है तो अकृषि प्रयोग करने पर 1981 के शहरी भूमि रूपान्तरण के नियमों के नियम (10) के अनुसार भूमि रूपान्तरण शुल्क से लिया जावे और कृषि उपयोग में ही है तो 70-72 की प्रचलित बाजार देर लेकर नियमित किया जा सकता है।

अतः निदेशानुसार निवेदन है कि भू-संशोधन से सम्बन्धित विचाराधीन मामलों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0/-

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं—

1. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राज. जयपुर।
2. मंत्रिमण्डल सचिवालय को उनके डी-294/मं.मं/92 दि. 17.11.92 के संदर्भ में।

ह0/-

शासन उप सचिव

परिशिष्ट-अ

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 643 का विवरण

Table IAppendix I

Statement Showing District wise and Sector wise Release of funds under BADP in two instalments in the year 1993-94 to be used in 1994-95 for Rs. 1905-74

(Rs. in Lacs)

S. No.	Sanction	Barner			Jaisalner			Bikaner			Ganganagar			Total		G.Total of 1&2
		Installment			Installment			Installment			Installment			Installment		Instt.
		1	2	Total	1	2	Total	1	2	Total	1	2	Total	1	2	
1.	Border ROAD	–	63.91	63.91	–	90.19	90.19	–	115.38	115.38	–	11.20	11.20	0.00	280.68	280.68
2.	Drinking Water	279.00	21.00	300.00	40.18	29.86	70.04	41.96	28.04	70.00	–	14.96	14/96	361.14	93.86	455.00
3.	Urmul	–	–	–	11.00	–	11.00	7.50	–	7.50	–	–	0.00	18.50	0.00	18.50
4.	Medical & Health	54.35	17.63	71.98	26.74	6.37	33.11	34.59	7.02	41.61	44.44	13.18	57.62	160.12	44.20	204.32
5.	Sheep & Wool	5.00	1.86	6.86	5.00	1.87	6.87	5.00	1.87	6.87	–	–	0.00	15.00	5.60	20.60
6.	Revenue	9.30	–	9.30	10.05	13.68	23.73	16.20	–	16.20	15.50	–	15.50	51.05	13.68	64.73

227

	1	2	Total	1	2	Total	1	2	Total	1	2	Total	1	2	
7. Aninal Husbandry	9.20	1.24	10.44	4.16	1.24	5.40	3.84	0.93	4.77	9.20	1.87	11.07	26.40	5.28	31.68
8. Education (New)	–	–	–	–	13.05	13.05	–	10.25	10.25	–	20.15	20.15	0.00	43.45	43.45
9. Ayurved	10.20	9.95	20.15	8.40	4.35	12.75	10.60	11.20	21.80	10.60	11.20	21.80	39.80	36.70	76.50
10. Connunity Weaving	–	–	0.00	–	–	0.00	–	–	0.00	–	–	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Police	86.32	64.75	151.07	80.02	35.30	115.32	76.02	25.85	101.87	39.55	–	39.55	281.91	125.90	407.81
12. Identity Cards (Home)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90.00	90.00
13. B.S.F.	11.43	–	11.43	–	0.65	0.65	–	–	0.00	–	–	0.00	11.43	0.65	12.08
14. Panchyat Building & Connunity Centre	–	6.93	6.93	–	38.48	39.48	–	34.84	34.84	–	–	–	–	80.25	80.25
15. Non Conventional Energy Sources	10.50	–	10.50	24.15	–	24.15	–	–	0.00	–	–	0.00	34.65	0.00	34.65
16. Adult Education	–	28.94	28.94	–	24.67	24.67	–	4.20	4.20	–	27.68	27.68	0.00	85.49	85.49
Total	475.30	216.21	691.51	209.70	259.71	469.41	195.71	239.58	435.29	119.29	100.24	219.53	1000.00	905.74	1905.74

Appendix II

TABLE SHOWING AMOUT RELEASED UNDER BORDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME FOR THE YEAR 1994-95 FOR RS. 1022.00 LAKH AS I INSTALMENT

परिशिष्ट-ब

S. No.	Sanction	Barmer Released Amount	Jaisalmer Released Amount	Bikaner Released Amount	Ganganagar Released Amount	Total Released Amount
1.	Border Road	100.30	141.52	181.16	17.60	440.58
2.	Medical & Health	27.30	10.00	11.02	20.68	69.00
3.	Drinking Water	-	-	-	23.50	23.50
4.	Revenue	-	21.55	-	-	21.55
5.	Sheep & Wool	2.94	2.94	2.92	-	8.80
6.	Animal Husbandry	1.80	1.80	1.80	2.90	8.30
7.	Education	15.62	20.49	16.10	31.64	68.23

8.	Ayurved	15.62	6.85	17.56	17.57	57.60
9.	Panchayat·Building & Community Centre	10.90	39.13	27.37	-	77.40
10.	Community Weaving Centre	-	21.24	-	-	21.24
11.	Police	-	55.36	40.54	-	197.50
12.	B.S.F.	101.60	1.05	-	-	1.05
13.	Development Programme through URMUL Trust	-	-	27.25	-	27.25
	Total	260.46	321.93	325.72	113.89	1022.00

परिशिष्ट-3

सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 1994-95 की द्वितीय किश्त का आवंटन (1022.00 लाख)

क्र. सं.	जिले का नाम	आवंटित राशि (लाखों में)
1.	बाड़मेर	319.40
2.	जैसलमेर	349.33
3.	बीकानेर	259.95
4.	गंगानगर	93.32
	योग	1022.00

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के किसानों की भूमि पर विभाग का कब्जा

644. श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग ने सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अपनी आरक्षित भूमि से लगती हुई किसानों की भूमि पर कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो किस-किस किसान की किस-किस नम्बर, मुरब्बा नम्बर व किस चक की कितनी-कितनी भूमि पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसानों द्वारा नहर के दोनों तरफ जो पेड़ लगा रखे थे उन पर वन विभाग द्वारा अपने नम्बर लगा दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त किसानों की भूमि जिस पर वर्तमान में वन विभाग का कब्जा है संबंधित किसानों को सौंपने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कुछ ऐसी भूमि पर वृक्षारोपण करवाया हुआ है जो किसानों को आवंटित है। किन्तु ऐसी भूमि का कब्जा वन विभाग के पास ही है। विवरण सदन की मेज प परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है।

(2) उपरोक्त में से कुछ भूमि पर विभाग द्वारा रोपित वृक्षों पर ही अवैध कटान रोकने की दृष्टि से नम्बर लगाये गये हैं।

(3) जी नहीं। यह भूमि वन विभाग को ही आवंटित किया जाना तथा इसके बदले किसानों को अन्यत्र भूमि आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "क"

सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा ऐसी भूमि पर कराये गये वृक्षारोपण की सूची जिसे किसानों को आवंटित कर दिया गया।

क्र. सं.	भूमि के दावेदार अलाटी का नाम/पिता का नाम	चक नाम व नम्बर	विवादास्पद भूमि का ब्लॉक व मुरब्बा नं.	क्षेत्रफल	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री छिंदा सिंह/बाघसिंह	2 एम. एल.के.	50/23	25.00	बीघा
2.	श्री साहबराम/मनीराम	" "	50/24	25.00	"
3.	श्री सुराराम/बीरबलराम	5 " "	12/49	25.00	"
4.	श्री काशीराम बिहारी	" "	12/57	25.00	"
5.	श्री दीदारसिंह/जगसिंह	" "	32/1	25.00	"

232

1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	श्री सदरान सिंह/रामसिंह	" "	32/9	25.00	"
7.	श्री उदाराम/चतरा राम	" "	31/23	25.00	"
8.	श्री गुरनामसिंह/नारायणसिंह	" "	31/31	25.00	"
9.	श्री राम प्रताप/मोमन राम	" "	31/24	25.00	"
10.	श्री हाकमसिंह/नारायणसिंह	" "	31/32	25.00	"
11.	श्री चानण राम/गंगा राम	" "	52/52	25.00	"
12.	श्री भोलू राम/राम प्रताप	" "	90/50	19.12	"
13.	श्री बगर सिंह/जीवन सिंह	2 एसटीवाई	109/30	25.00	"
14.	श्री ठाकरसिंह/रतनसिंह	" "	109/38	25.00	"
15.	श्री पुरखाराम/नानूराम	" "	109/38	24.10	"
16.	श्री मखन सिंह/चानणसिंह	2 एसटीवाई	109/22	24.10	बीघा
17.	श्री मन्ना राम/किशनाराम	" "	90/49	8.10	"
18.	श्री मलूरूम/राबू राम	" "	110/41	25.00	"
19.	श्री सोहन लाल/सीजीराम	19 केडब्लूएम	110/31	15.00	"
20.	श्री बिलूसिंह/जगसिंह	" "	110/31	15.00	"
21.	श्री जीतसिंह/सगुतसिंह	" "	110/23	15.00	"
22.	श्री तिलोक चन्द/नंदसिंह	16 केडब्लूएम	130/15	25.00	"
23.	श्री श्रवण/भीयाराम	" "	130/14	25.00	"
24.	श्री बाल चन्द/मोहन लाल	" "	130/7	25.00	"
25.	श्री बृज लाल/हरजी राम	" "	130/8	15.00	"
26.	श्री विलायती/कालूराम	" "	130/16	12.00	"
27.	श्री पूर्ण चन्द/रेखा राम	" "	131/45	25.00	"
28.	श्री ऋण सिंह/दीदारसिंह	" "	131/148	25.00	"
29.	श्री बल सिंह/केहर सिंह	16 केडब्लूएस	151/8	25.00	"
30.	श्री हेतराम/कानाराम	" "	151/13	25.00	"
31.	श्री ठाकर सिंह/कुन्डा सिंह	" "	151/14	25.00	"
32.	श्री बहादुर राज/बालराम	" "	151/16	25.00	"
33.	श्री गुनियां/चन सिंह	" "	151/21	25.00	"
34.	श्री अरजन/बधावा	" "	151/23	25.00	"
35.	श्री वीर सिंह/अजायब सिंह	" "	151/24	25.00	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.
36.	श्री कौलाराम/हजारी राम	" "	151/29	25.00	"
37.	श्री कृष्णराम/गणेशराम	" "	151/30	25.00	"
38.	श्री सुखदेव/गजना राम	" "	151/31	25.00	"
39.	श्री मोतूराम/नानूराम	" "	151/32	25.00	"
40.	श्री राम सिंह/अमर सिंह	" "	151/15	25.00	"
41.	श्री राजा राम/रामजी लाल	11 जीडीबो	226/16	25.00	"
42.	श्रीमति चावली/चन्द्र राम	16 बीएलडी	240/431	20.00	"
43.	श्री शंकर/राझा	4 आरटोएम	257/420	25.00	"
44.	श्री सुरजाराम/मूलाराम	22 ए (ए)	318/436	20.15	"
45.	श्री बीरबल राम	3 एन एम	24/35	2.8	"
46.	श्रीमति राम प्यारी/रामसिंह	1 ए एम	196/33	14.06	बीघा
47.	श्रीमति रामप्यारी/रामसिंह	1 ए एम	196/45	15.00	"
48.	श्रीमति रामप्यारी/रामसिंह	1 ए एम	196/37	15.00	"
49.	श्री बलराम/सोहन लाल	12 केपीडी	179/57	3.00	"
50.	श्री बलराम/सोहन लाल	12 केपीडी	199/1	6.10	"
51.	श्री सोहन लाल/राम चन्द्र	12 केपीडी	179/26	20.00	"
				(5.00 कमांड)	
52.	श्री मांगी लाल/रावताराम	7 आरजेएम	95/45	10.00	"
				(2.00 कमांड)	
53.	श्री इसीलाल पुत्र आदराम	1 केएसएम	232/62	25.00	"
54.	श्री देवीलाल पुत्र बस्तीराम	3 बीएमएम	226/27	25.00	"
55.	मनोहरी बेवा बस्तीराम	3 पीपीएन	132/20	25.00	"
56.	श्री पतराम पुत्र गोविंदराम	2 बीजेडब्ल्यू	71/21	2.00	"
57.	श्री बागाराम पुत्र सरदाराराम	8 एमसी	13/26	6.02	"
58.	(290 आरडी मु. नहर बांई तरफ)				
59.	श्री श्रवण सिंह पुत्र नंदसिंह	1 डी ओ	43/42	23.03	"
60.	श्री मोडूराम पुत्र नानक कुमार	1 एएस	174/16	75.00	"
61.	श्री करतारसिंह पुत्र नंदसिंह	15 एसएचपीडी	103/395	25.00	"
62.	श्री बचन सिंह पुत्र बीरसिंह	1 बीपीएम	61/37	19.18	"

234

कृषि विपणन बोर्ड, भरतपुर द्वारा सड़क निर्माण

645. श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा भरतपुर जिले में पिछले 3 वर्षों में कितनी सड़कों का निर्माण किया गया ? सूची कृषि उपज मण्डी अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जो सड़कें बनाई गयी हैं उनकी क्वालिटी खराब है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार किसी समिति से इसकी जांच करवा कर संबंधित दोषी अधिकारी व ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा भरतपुर जिले में पिछले तीन वर्षों में सड़क निर्माण का ब्यौरा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं।

राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही कराया गया। केवल एक सड़क सोनेखर से नोनेरा की क्वालिटी के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जाँच की कार्यवाही की जा रही है। अतः किसी समिति के गठन का प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट 'अ'

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा भरतपुर जिले में कृषि उच्च मण्डीवार पिछले तीन वर्षों में सड़क निर्माण की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी)	प्रशासनिक स्वीकृत (लाखों में)	वर्ष जिसमें सड़क निर्माण पूर्ण किया गया।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	स.स. बेलारा से कृषि विज्ञान केन्द्र पार्ट-प्रथम	1.50	3.00	92-93	
2.	स.स. " " पार्ट-द्वितीय	1.00	4.00	93-94	
3.	स.स. डीग रोड सुवावास	2.00	3.00	92-93	
4.	स.स. रामनगर दोमेरासे खरेडा पार्ट-प्रथम	2.00	4.00	93-94	
5.	स.स. " " पार्ट-द्वितीय	1.00	4.00	93-94	
6.	स.स. रूपवास रोड से धनागढ पार्ट-प्रथम	0.50	1.00	92-93	
7.	स.स. रूपवास रोड से धनागढ पार्ट-द्वितीय	1.00	4.00	93-94	
8.	स.स. मथुरा रोड़ से तुहिया	1.00	1.60	92-93	600 मीटर से ही कार्य पूर्ण हो गया
9.	स.स. मथुरा रोड़ से तमरोली पार्ट-द्वितीय	1.00	4.00	92-93	
10.	स.स. सातरूक से ओल बोर्डर पार्ट-द्वितीय	0.40	2.00	93-94	
11.	डीग रोड से गुडंवा पार्ट-द्वितीय	0.30	1.20	93-94	
12.	स.स. अस्तावन कम्हेर रोड़ से पूक भटावली	2.00	4.00	92-93	स्वीकृत के अनुसार कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
13.	स.स. अजान से ताखा	2.00	4.00	93-94	स्वीकृत के अनुसारकार्य पूर्ण
14.	स.स. भरतपुर सेवर रोड.से श्योरानी	1.00	4.00	93-94	
15.	स.स. जयपुर भरतपुर रोड से नगला हीरादास	0.50	2.00	93-94	
16.	स.स. अजाल से नाला अजान वाया प्रायमेरी डि.	0.50	2.00	93-94	
17.	स.स. कुम्हेर डीग रोड से बोराई	0.70	2.00	93-94	
18.	स.स. हेलक चितोंदरी पापरेल रोड़ से सोनेरा	1.56	6.00	93-94	
19.	स.स. हीरादास बस स्टेण्ड से गोलपुरु	1.50	6.00	93-94	
20.	स.स. पीपला से नागल गुलाबी	0.60	2.40	93-94	
21.	स.स. सेवर उच्चेन रोड़ से चन्जी	1.50	6.00	94-95	
22.	स.स. फतेहपुर सिंकरी रोड़ से नगला खोहरी	1.50	6.00	93-94	
23.	स.स. अस्तवान कुम्हेर रोड़ से गुढ़ावली	2.50	11.00	93-94	
24.	स.स. पीपला से पहवोली	2.50	11.00	94-95	
25.	स.स. स.स. डिपो बोड से कसोदा बबीन शेब	5.00	17.00	94-95	
26.	स.स. हयैनी से नगला हयैनी	1.75	6.00	94-95	
	कृषि उपज मण्डी समिति कॉमा				
1.	स. स. गुरेरा से टॅटेरा	1.50	4.00	92-93	कार्य पूर्ण कर दिया है केवल ०.3 किमी बी टी नहीं की है सड़क की क्वालिटी की जाँच चल रही है।
2.	स. स. सोनाखर सेनॅनिरा	5.00	15.91	92-93	
	कृषि उपज मण्डी समिति नदबई				
1.	स. स. पहरसल पुलिया से टोहला	2.50	8.00	92-93	
2.	स. स. वैलारा से खेडी देवा सिंह	1.00		92-93	
3.	स. स. रोनीजा से कैलोरी	1.50	3.50	92-93	
4.	स. स. हलैना नदबई रोड़ गुदावली	1.00	3.00	92-93	
5.	स. स. वौर पीपरी से नाम खेडा	3.00	12.00	92-93	
6.	स. स. खेडली रोड़ से झेरौल	0.90	1.75	93-94	
	कृषि उपज मण्डी समिति डीग				
1.	स. स. नरायना से पास्ता	1.50	4.50	93-94	
2.	स. स. डीग से इकलेरा	3.00	9.00	93-94	
	कृषि उपज मण्डी समिति नगर				
1.	स. स. डीग रोड़ से दुदावल	2.00	6.00	93-94	
2.	स. स. नगर डीग रोड़ से मूडिया	1.50	3.00	93-94	
3.	स. स. पहाडी नाका चुंगी से गोविन्दगढ तिराया	1.00	2.00	93-94	
4.	स. स. नगर सीकरी रोड़ से कुम्हाहेडी	1.40	2.00	93-94	
	कृषि उपज मण्डी समिति बयाना				
1.	स. स. कदावल से खेडा ठाकुर		3.75	94-95	
2.	स. स. उचैन वंध वारेठा रोड़ से माडापुर	3.00	7.50	92-93	
3.	स. स. रूपवास रोड़ से सिरसौदा	1.00	2.00	82-93	0.800 मीटर में स्वीकृत स. वि. के अनुसार कार्य करवाया

बेरोजगार डॉक्टर्स/इंजीनियर्स एवं पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक

646. श्री लक्ष्मण सिंह (धौंम) : क्या मुख्य (आयोजना-जनशक्ति) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने डॉक्टर्स, इन्जीनियर्स तथा पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बेरोजगार हैं ?

(2) सरकार उपरोक्त बेरोजगार व्यक्तियों को किस प्रकार से रोजगार प्रदान करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार रोजगार नहीं मिलने तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का भी विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजकीय रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 31 दिसम्बर 1994 को 1369 डाक्टर्स, 7748 इंजीनियर्स तथा 13067 पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त बेरोजगार पंजीकृत थे। राज्य सरकार द्वारा अधिकाधिक रोजगार सृजन के प्रयास किये जा रहे राज्य की वार्षिक योजनाओं में विनियोजन के निर्धारण के समय ऐसे रोजगारोन्मुख कार्यक्रम/विकास मदों को प्राथमिकता दी जा रही है। जिनमें रोजगार की संभावना अधिक हो।

(2) जी, नहीं।

(3) राज्य की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बेरोजगारी भत्ता देना संभव नहीं है।

मेजा बांध (भीलवाड़ा) पर स्थापित हेचरी यूनिट

647. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या मत्स्य पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेजा बांध भीलवाड़ा पर हेचरी यूनिट की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो इस यूनिट पर सरकार का कितना व्यय अब तक हो चुका है ?

(2) उक्त मेजा बांध हेचरी यूनिट की स्थापना से अब तक कुल कितना मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया ?

(3) मेजा बांध भीलवाड़ा स्थित हेचरी यूनिट पर सहायक मत्स्य विकास अधिकारी शुरू से आज दिन तक कौन-कौन लगाये गये ?

(4) वर्तमान में कौन सहायक मत्स्य विकास अधिकारी कब से मेजा बांध हेचरी यूनिट पर ही कार्य कर रहे हैं ? क्या यह अधिकारी दूसरी जगह कहीं पर कार्य कर रहे हैं और किसके आदेश से व क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। मेजा बांध पर एक "डी"-81" हैचरी की स्थापना वर्ष 85-86 में की गई, सरकार का अब तक रुपये 2.41 लाख व्यय हो चुका हैं।

(2) उक्त मेजा हेचरी यूनिट से अब तक कुल 53.00 लाख स्पान मत्स्य बीज उत्पादन किया गया।

(3) मेजा बांध स्थित हेचरी यूनिट हेतु सहायक मत्स्य विकास अधिकारी का पद सृजित नहीं है, बल्कि उक्त पद जिला

(राज्य मंत्री मत्स्य पालन)

भीलवाड़ा के लिये सृजित है। उक्त हेचरी यूनिट से मत्स्य प्रजनन अवधि में मछली का प्रजनन सहायक मत्स्य विकास अधिकारी की देख-रेख में कराया जाता रहा है।

(4) मेजा बांध हेचरी यूनिट पर सहायक मत्स्य विकास अधिकारी का पद सृजित नहीं है। अतः वर्तमान में कोई सहायक मत्स्य विकास अधिकारी मेजा बांध हेचरी यूनिट पर कार्य नहीं कर रहे हैं।

जिला पुलिस बंजर भूमि विकास सहकारी समिति लि., उदयपुर को आवंटित भूमि प्रकरण

648. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला पुलिस बंजर भूमि विकास सहकारी समिति लि., उदयपुर को मौजा ग्राम बडगांव तहसील गिर्वा में कोई भूमि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो जिला पुलिस बंजर भूमि विकास सहकारी समिति लि., उदयपुर को कितने बीघा भूमि आवंटित की गई ?

(2) क्या वह उसी आवंटित भूमि पर ही काबिज है अथवा उससे ज्यादा भूमि पर ? यदि नाजायज रूप से ज्यादा भूमि पर काबिज है, तो कितनी भूमि पर एवं क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि हाल ही में समिति ने बडगांव की आराजी नम्बर 1300 रकबा 0-8650 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 1306 रकबा 0-1600 हैक्टेयर पर जबरन अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो क्या यह कब्जा नियमान्तर्गत है ?

(4) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार गिर्वा के आदेश दिनांक 28-3-1994 से स्पष्ट है कि समिति उक्त खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से जबरन काबिज है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण से बेदखल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार, गिर्वा के आदेश के खिलाफ अपील श्रीमान् जिलाधीश महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला पुलिस बंजड भूमि विकास सहकारी समिति लि. उदयपुर को मौजा बडगांव तहसील गिर्वा में कोई भूमि आवंटन नहीं की गई है।

(2) जिला पुलिस बंजड भूमि विकास सहकारी समिति लि. उदयपुर को मौजा देवाली में आवंटित 28.9800 हैक्टेयर भूमि के अतिरिक्त् मौजा बडगांव तहसील, गिर्वा की आराजी नम्बर 1300 रकबा 0.8650, आ. नं. 1301 रकबा 3.1200, आ. नं. 1308 रकबा 0.1600 एवं आ. नं. 1300/1926 रकबा 0.0650 कुल किता 4 रकबा 4.2100 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर काबिज है।

(3) जिला पुलिस बंजर भूमि विकास सहकारी समिति लि. उदयपुर का मौजा बडगांव के आ. नं. 1300 रकबा 0.8650 है. पर अतिक्रमण है। आराजी नम्बर 1306 पर कब्जा नहीं है।

(4) जी हां। जिला पुलिस बंजड भूमि विकास सहकारी समिति लि. उदयपुर का मौजा बडागांव तहसील गिर्वा की आराजी नम्बर 1300 रकबा 0.8650 एवं आ. नं. 1308

(राजस्व मंत्री)

रकबा 0.1600 है. पर अवैध रूप से काबिज है। बेदखली के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(5) जी हां।

जिला डूंगरपुर के किसानों को आबंटित वाटर पम्प

649. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में अब तक कितने सामुदायिक वाटर पम्प किसानों को आवंटित किये गये ?

(2) सामुदायिक वाटर पम्प आवंटन करने के मानदण्ड क्या हैं ?

(3) प्रति वाटर पम्प की खरीद कीमत क्या है ?

(4) यह पम्प सरकारी कम्पनियों से खरीदे जाते हैं अथवा अन्य कम्पनियों से भी खरीदे जाते हैं ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में अब तक 1045 डीजल पम्पसेट जनजाति कृषकों के समूहों को आबंटित किये गये हैं।

(2) आबंटन के मानदण्ड निम्न अनुसार हैं :—(अ) 5 से 15 जनजाति लघु एवं सीमान्त काश्तकारों का चयन कर समूह बनाया जाता है। इन काश्तकारों के पास कृषि भूमि होनी चाहिये।

(ब) समूह के प्रत्येक सदस्य को पंपसेट के रख-रखाव के लिये कार्यकारी पूंजी के रूप में 100/- रु. का अंशदान देना होता है। रख-रखाव की जिम्मेदारी समूह की होती है।

(स) समूह के सदस्यों द्वारा अपने अध्यक्ष एवं सचिव का चयन किया जाता है जो पम्पसेट के अनुरक्षण, मरम्मत एवं रख-रखाव के लिये जिम्मेदार होते हैं।

(द) पानी की उपलब्धता पर बल दिया जाना महत्त्वपूर्ण है।

(3) वर्ष 1994-95 में प्रति वाटरपम्प की खरीद दर उनकी क्षमता के अनुसार 10520/- रुपये से 14410/- रुपये के बीच रही है।

(4) उक्त पम्प राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के मार्फत उनके द्वारा अनुमोदित दरों पर निजी कम्पनियों से खरीदे जाते हैं।

विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के उच्च माध्यमिक/सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय

650. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम में कितने उच्च माध्यमिक एवं उच्च सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में और सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के उच्च माध्यमिक सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं, अध्यापकों एवं अन्य वर्गों के कर्मचारियों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से पद कब से रिक्त है ? सूची सदन की मेज पर रखें। इन पदों को कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम में निम्नलिखित पांच सीनियर माध्यमिक विद्यालय हैं :—

1. रा. सी. मा. विद्यालय, टोड़ाभीम

2. रा. सी. मा. विद्यालय, नादौती

3. रा. सी. मा. विद्यालय, नागलपहाड़ी

4. रा. सी. मा. विद्यालय, गुढ़ाचन्द्रजी

5. रा. सी. मा. विद्यालय, टोड़ाभीम

(2) वर्ष 95-96 में विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। प्राप्त सभी प्रस्तावों एवं इस क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों में से मापदण्डों के अनुकूल होने वाले प्रस्तावों पर वर्ष 1995-96 के लक्ष्य एवं वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

(3) रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। रिक्त पदों (व्याख्याताओं) की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवायें जाने पर की जा सकेगी। अध्यापकों एवं वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पद भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(बिन्दु सं. : 3 की सूची)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	पद						रिक्त
		प्रधाना.	व्या.	प्र.शा. सहायक	पुस्त. अध्यक्ष II ग्रेड	प्र. शा. सेवक	च. श्रे. क.	कब से
1.	रासीउमा वि, टोडाभीम	–	1	–	–	–	–	1/94
2.	रासीउमावि नादौती	–	3	01	–	–	–	7/93,5/94,8/94
3.	रासीउमावि नागल पहाड़ी	–	3	4	–	–	–	12/94,7/94, 4/94, 8/94
4.	रा सी उ मा वि, गुढाचंद्रजी	–	3	–	–	–	–	2/95,4/95, 9/94
5.	रा बा सी उ मा वि, टोडाभीम	1	3	1	1	1	1	2/95,7/94, 7/94, 10/94, 1/92, 7/94
		1	13	6	1	1	1	

240

लोक अभियोजकों के रिक्त पद

651. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में लोक अभियोजक के कितने पद सृजित हैं और वर्तमान में कितने पद किन कारणों से रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ लोक अभियोजकों के त्यागपत्र प्रस्तुत करने के बाद भी कार्य भार से मुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

उत्तर

(1) राज्य में लोक अभियोजक के कुल 32 पद सृजित है और वर्तमान में एक पद लोक अभियोजक का बालोतरा में रिक्त हैं। बालोतरा में नियुक्त लोक अभियोजक श्री विजय सिंह राठौड़ ने हाल ही में पंचायत चुनावों में सरपंच पद का चुनाव लड़ने के कारण त्याग-पत्र दिया था।

(2) जी, नहीं।

कताई मिलों का "स्पिन फैड" यूनिट

652. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों का "स्पिन फैड" यूनिट बनाया गया है ? यदि हां, तो कुल कितनी कताई मिलें इसमें सम्मिलित की गयी है। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि "स्पिन फैड" में निरन्तर लाभ हो रहा है ? यदि हां, तो विगत तीन वर्ष का लाभ-हानि विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि "स्पिन फैड" का सम्पूर्णतया सरकारीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो मूल कपास उत्पादक सदस्यों की वर्तमान में क्या हैसियत रह गयी है ?

(4) क्या "स्पिन फैड" में सम्मिलित सभी कताई यूनिटों के विस्तार का कार्यक्रम विचाराधीन है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस "स्पिन फैड" का संचालन सहकारिता सिद्धान्त के आधार पर हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या "स्पिन फैड" में आने वाले सभी कताई मिलों के कपास उत्पादक सदस्यों के उन्नयन का कोई कार्यक्रम रखा गया है ? यदि हां, तो कार्यक्रम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। तीन कताई मिलें दिनांक 1-4-93 से स्पिनफैड में सम्मिलित की गई है इनके नाम इस प्रकार है :—

1. राजस्थान को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि. गुलाबपुरा।

2. गंगापुर को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि. गंगापुर।

3. श्री गंगानगर को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल लि. हनुमानगढ़।

(2) स्पिन फैड का गत तीन वर्षों का हानि लाभ निम्न प्रकार रहा है :—

वर्ष 91-92 हानि रुपये 130.40 पै. मात्र वर्ष 92-93 लाभ रुपये 50,703.50 पै. वर्ष 93-94 लाभ रुपये 695.90 लाख

(सहकारिता मंत्री)

(3) जी नहीं। स्पिनफैड में सम्मिलित की गई तीनों इकाईयों गुलाबपुरा, गंगापुर एवं हनुमानगढ़ के कपास उत्पादक सदस्य स्पिनफैड के नाम मात्र (नोमीनल) सदस्य है।

(4) जी हां। स्पिनफैड में सम्मिलित की गई तीनों सूत मिलों के विस्तार/आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का ब्यौरा परिशिष्ट (1) के अनुसार सदन की मेज पर रखा दिया गया है :—

(5) जी हां।

(6) जी हां। कार्यक्रम का ब्यौरा परिशिष्ठ-2 के अनुसार सदन की मेज पर रखा दिया गया है।

परिशिष्ट-1

स्पिडफैड की तीनों इकाईयों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार संबंधित परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण :—

1. गुलाबपुरा इकाई :—

यह इकाई पूर्ववर्ती राजस्थान कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि. के नाम से वर्ष 1965 में पंजीकृत की गई थी और 1972 में वाणिज्य उत्पादन प्रारम्भ हुआ। 1 वर्ष 1976 से 1984-85 के मध्य इकाई की स्थापित क्षमता बढाई जाकर 44608 तक हो गई। निरन्तर 22 वर्षों के उपयोग से इकाई की प्लान्ट एवं मशीनरी में हुए लाभ के फलस्वरूप उत्पादकता एवं उत्पादन की गुणवत्ता में कमी आती गई जिसे दूर करने के लिए 775.00 लाख रु. लागत की एक परियोजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत निम्नानुसार व्यय किया जाना प्रस्तावित है :—

1. भवन 20.00 लाख रु.

2. प्लान्ट मशीनरी एवं स्टोर—555.00 लाख रु.

3. वर्तमान प्लान्ट एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण—119.00 लाख रु.

4. मुफतारिक स्थाई संपत्तियां-20.00 लाख रु.

5. आकस्मिक व्यय हेतु प्रावधान—44.55 लाख रु.

6. परामर्श शुल्क—0.45 लाख रुपये

7. कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी—16.00 लाख रु.

योग 775.00 लाख रु.

उक्त विनियोजन का वित्त पोषण निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :—

1. स्पिनफैड द्वारा अपनी बचत में से विनियोजन 38.75 लाख रु.

2. राज्य सरकार के अंशपूंजी 116.32 लाख रु.

3. दीर्घ अवधि ऋण 620.00 लाख रु.

परियोजना के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी में निम्न सुधार प्रस्तावित है :—

1. 6 नये हाई प्रोडक्शन कार्डस की स्थापना एवं 40 कार्डिग मशीनों में तकनीकी सुधार

2. 6 ड्राफेम मशीनों का परिवर्तन

3. 8 स्पीड फ्रेम मशीनों के स्थान पर 6 नई हाई स्पीड मशीनों की स्थापना एवम् 7 मशीनों में तकनीकी संशोधन

4. रिंगफ्रेम प्रभाग में 34 मशीनों के स्थान पर नई रिंगफ्रेम मशीनों की स्थापना एवं शेष 68 मशीनों में तकनीकी सुधार

242

(सहकारिता मंत्री)

5. दो नई चिज वाईडिंग मशीनों की स्थापना

6. दो नई द्विपक्षीय रोलिंग मशीनों की स्थापना।

7. ह्यूमेडीफिकेशन प्लान्ट लेबोरेटरी के साज सामान और विद्युत सप्लाई सिस्टम में आवश्यक संशोधन

उक्त संशोधनों एवं नई मशीनरी की स्थापना के उपरान्त मिल के वार्षिक उत्पादन में 90 प्रतिशत क्षमता उपभोग स्तर पर 73.74 लाख किलो सूत उत्पादन होने की संभावना है।

2. गंगापुर इकाई—

पूर्ववर्ती गंगापुर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि. का पंजीयन 1981 में किया गया था और यह मिल 1985 में उत्पादन प्रारंभ कर सकी मिल ने सूत उत्पादन क्षेत्र में अपना एक विशिष्ठ स्थान बनाया है एवं इसके उत्पादन को निर्यात उन्मुख बनाने के लिए 650 लाख रु. की लागत से आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार किया जाना तय किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न नई मशीनरी की स्थापित की जायेगी।

1.	हाई प्रोडेक्शन कार्डस	6
2.	ड्राजेप्स	2
3.	स्पीड फ्रेम्स	2
4.	रिंगफ्रेम	5

इसके अतिरिक्त आयातीत मशीनरी स्थापना के अंतर्गत निम्न मशीनरी और लगाई जानी प्रस्तावित है।

1.	कोमार एवं कोम्बर प्रेपरेटरी	
2.	ओटो कोनर्स	2
3.	ओपन एवं रोटर्स	2

सकल परियोजना लागत निम्न है—

1.	सिविल वर्क्स	5 लाख रु.
2.	मशीनरी	595.02 लाख रु.
3.	स्टोर्स एवं स्पेयर्स	5.34 लाख रु.
4.	मुतफारिक स्थाई परिसंपति	14.62 लाख रु.
5.	उक्त दो व 3 पर आकस्मिक व्यय हेतु प्रावधान	30.02 लाख रु.
	योग	650.00 लाख रु.

उद्धत विनियोजन का वित्त पोषण निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

1.	स्पिनफैड के निजी संसाधनों से	65 लाख रु.
2.	राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी अंशदान	195 लाख रु.
3.	दीर्घ अथवा ऋण	390 लाख रु.

उक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप मिल का वार्षिक उत्पादन 90 प्रतिशत क्षमता उपभोग पर 62.63 लाख किलो होने का अनुमान है। एवं मिल में 40 तथा 60 काउन्ट का धागा भी तैयार किया जायेगा। मिल के तकुओं की क्षमता 24,960 से बढ़कर 27,360 एवं 400 रोटर्स हो जावेगी।

3. हनुमानगढ़ इकाई

पूर्ववर्ती श्रीगंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. हनुमानगढ का पंजीयन 1974 में किया गया था और मिल में उत्पादन वर्ष 84-85 में आरम्भ हुआ। मिल की वर्तमान क्षमता 25.80 तकुओं की है। वर्तमान दैनिक औसत उत्पादन 15,500 किलो से बढ़कर 16,350 किलो करने हेतु वर्तमान मशीनरी में कतिपय संशोधन और नई मशीनरी स्थापित करने हेतु 190 लाख रुपये की परियोजना तैयार की गयी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न नई मशीनरी स्थापित की जावेगी :—

(सहकारिता मंत्री)

1.	हाई स्पीड कार्डस	4
2.	चीज वाइंडिंग मशीन	1
3.	टी.एफ.ओ.	1

इसके अतिरिक्त वर्तमान मशीनरी में निम्न परिवर्तन किया जावेगा :—

1.	ड्रा फ्रेम मशीनों में परिवर्तन	
2.	स्पीड फ्रेम मशीनों में संशोधन	
3.	रिंगफ्रेम मशीनों में संशोधन	
4.	ह्यूमीडीफ्रिकेशन में संशोधन	

उक्त संशोधनों एवम् नई मशीनरी स्थापित किये जाने पर लागत अनुमान निम्नानुसार है :—

1.	सिविल वर्क्स	11.50 लाख रुपये
2.	स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स	11.78 लाख रुपये

उक्त लागत का वित्त पोषण निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :—

1.	स्पिनफैड के आन्तरिक संशोधनों से	19.00 लाख रुपये
2.	राज्य सरकार द्वारा अंशदान	57.00 लाख रुपये
3.	दीर्घ अवधि ऋण	114.00 लाख रुपये

उक्त प्रस्तावित परिवर्तनों के फलस्वरूप मिल का वार्षिक उत्पादन 90 प्रतिशत क्षमता उपभोग पर 58.03 लाख किलो होने का अनुमान है।

परिशिष्ट-2

स्पिनफैड के नाम मात्र कृषक सदस्यों के उन्नयन कार्यक्रमों का ब्यौरा

स्पिनफैड को ईकाइयों के पूर्व कपास उत्पादक सदस्यों के उन्मन के कार्यक्रमों का ब्यौरा :—

1. हनुमानगढ ईकाई के कार्यक्षेत्र में क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से कपास उत्पादक सदस्यों के लिए कपास विकास की एक योजना लागू की गयी है। इस योजना पर 5.00 लाख रुपय का खर्च किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत सदस्य कृषकों को कपास उत्पादन में सुधार हेतु कपास के प्रमाणित बीज को उपलब्धी उन्नत विधियों की जानकारी तथा उत्पादित कपास के विपणन हेतु सीधे ही जिनिंग फैक्ट्रीयों में खरीद किया जाना प्रस्तावित है। आर्थिक लाभों के अन्तर्गत प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रिमीयम के अतिरिक्त 5/- रुपये प्रति क्विंटल का परिवहन व्यय भी देय होगा। योजना में भागीदारी करने वाले किसानों को माल सुपुर्दगी के 60 दिवस तक बाजार दर अनुसार मूल्य प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

2. गंगापुर व गुलाबपुरा इकाइयों के कपास उत्पादक सदस्यों को निःशुल्क व रियायती दरों पर प्रमाणित उत्तम किस्म का बीज उपलब्ध करवाया जाता है तथा सीधे इकाई को बेचे जाने वाली कपास प्रचलित बाजार दर से 10/- रुपये प्रति क्विंटल की अधिक राशि पर क्रय की जाती है। इसके अतिरिक्त कीटनाशक दवाइयों एवं उनके उपयोग करने के संयत्र भी अनुदान पर उपलब्ध करवाये जाते है।

रिक्त पदों की पूर्ति

653. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग में किस स्तर के कुल कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ?

244

(श्रीमती उज्वला अरोड़ा)

(2) उक्त रिक्तियों की स्थिति कब तक दूर कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों के कारण प्रशासनिक तथा अन्य कार्यों में आने वाले व्यवधानों को दूर किये जाने हेतु पर्याप्त व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत विभिन्न स्तर के कुल कितने पद, कब से रिक्त हैं, इसका विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त रिक्तियों को यथासंभव शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है। आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 22.3.95 को प्रकाशित की जा चुकी है।

(3) जी हां।

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नवीन नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हेतु अपेक्षित प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बाल विकास परियोजना अधिकारी (पूर्व) शाहबाद द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रकरण

654. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी (पूर्व) शाहबाद द्वारा स्वीकृत नये आंगनबाडी केन्द्रों पर विभागीय परिपत्र दिनांक 25 अगस्त, 1987 के अन्तर्गत गठित कमेटी के विपरीत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां स्थानीय न होते हुए भी की गयी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अनियमित नियुक्तियों की जांच जिला कलक्टर बारां के निर्देश पर की जाकर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध आरोप-पत्र विभाग से प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस प्रकार के कार्यरत अधिकारियों को अपने पैतृक विभाग में भेजने बाबत सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो मार्ग निर्देशिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस संबंध में कोई नीति निर्धारित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी, शाहबाद ने नये स्वीकृत नौ आंगनबाड़ी केन्द्रों में विभागीय परिपत्र दिनांक 25.08.87 तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये अन्य निर्देशों के विपरीत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति गठित समिति के माध्यम से न कर अपने स्तर पर ही कर दी। इनमें से दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं स्थानीय भी नहीं थी।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(2) जी, हां। अनियमित नियुक्तियों की जांच जिला कलक्टर, बारां के निर्देश पर अतिरिक्त कलक्टर, शाहबाद ने कर अपनी जांच रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की है। जिला कलक्टर, बारां से श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र इत्यादि प्राप्त हो गये हैं जो आवश्यक कार्यवाही हेतु उनके पैतृक विभाग को भेजे जा रहे हैं।

(3) बाल विकास परियोजना अधिकारियों को राजस्थान सिविल सेवा (शिशु विकास परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन और उनकी सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 1983 व संशोधित नियम, 1989 के अनुरूप प्रति नियुक्ति पर लिया जाता है। प्रति नियुक्ति की अवधि पूर्ण होने से पहले बिना कोई कारण बताये कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में अधिकारियों को उनके मूल विभाग में भेजा जा सकता है। नियमों की प्रति संलग्न है।

(4) विशेष चयन नियमों के अन्तर्गत नीति पहले से निर्धारित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील टोडाभीम की ग्राम पंचायतों हेतु स्वीकृत सड़कें

655. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर द्वारा तहसील टोडाभीम की ग्राम पंचायत कुढ़ावल एवं ग्राम पंचायत कटारा अजीत को सम्पर्क सड़क से जोड़ने की जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि कस्बा बालघाट से पंचायत मुख्यालय कुढ़ावल एवं लपावली से कटारा अजीत तक सम्पर्क सड़क बनाये जाने के लिये आवश्यक राशि एवं अपेक्षित स्वीकृति अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, करौली को उपलब्ध करवा दी गयी है ? यदि हां, तो कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या सरकार इन सम्पर्क सड़कों को बनाये जाने बाबत निर्देश संबंधित विभाग को प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो सड़क निर्माण कार्य कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, स. माधोपुर ने आदेश क्रमांक 116-22 दिनांक 18.4.94 के द्वारा तहसील टोडाभीम में ग्राम पंचायत कुढावल एवं ग्राम पंचायत कटारा अजीत (अजीज) को ग्रेवल सड़क से जोड़ने के लिये जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत क्रमशः रु. 5.00 लाख एवं 2.00 लाख अनुमानित लागत राशि की दो सड़कों की स्वीकृति दी थी।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार कस्बा बालघाट से पंचायत मुख्यालय कुढावल तथा लयावली (लपावली) से कटारा अजीत (अजीज) की सम्पर्क सड़क बनाये जाने के लिये स्वीकृति सं. 116-22 दिनांक 18.4.94 के द्वारा रु. 7.00 लाख स्वीकृत की गयी थी तथा यह राशि अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, करौली को उपलब्ध करवा दी गयी थी। परियोजना निदेशक, सवाई माधोपुर ने सूचित किया है कि

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

कस्बा बालघाट से पंचायत समिति कुढावल की सम्पर्क सड़क का कार्य प्रगति पर है, यह कार्य बालघाट की ओर प्रारम्भ किया गया है तथा इस पर 2 कि.मी. मिट्टी का कार्य हो चुका है। इस कार्य पर रु. 1.58 लाख व्यय हुई है।

लयावली (लपावली) से कटारा अजीत (अजीज) की सम्पर्क सड़क बनाने का कार्य सड़क के दोनों ओर कृषकों की फसल खड़ी होने के कारण प्रारम्भ नहीं करवाया जा सका।

(3) योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देश पहले ही दिये गये हैं।

पंचायत समिति जालौर एवं आहोर के ग्रामों का विद्युतीकरण

656. श्री भगराज चौधरी (आहोर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम हडमतगढ़, पंचायत समिति जालौर एवं ग्राम रातानाड़ा, पंचायत समिति आहोर को अभी तक विद्युतीकृत नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें अब शीघ्र विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जनगणना पुस्तिका वर्ष 1981 के अनुसार ग्राम देव की पंचायत समिति जालौर कोड नं. 17/2/77 को दिनांक 30.11.1985 को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है और हडमतगढ़ इस ही राजस्व ग्राम का हिस्सा है। खेड़ा, कन्ना, पंचायत समिति आहोर कोड नं. 17/2/3 को मार्च, 1981 को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है और रातानाडा इस ही राजस्व ग्राम का हिस्सा है। विद्युतीकृत ग्राम से अलग हुये राजस्व ग्राम को मूल विद्युतीकृत ग्राम का हिस्सा मानते हुये उसमें कनेक्शन दिये जाते हैं। उक्त दोनों ग्रामों में फिलहाल कोई भी आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित श्रेणी में विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।

कृषि उपज मण्डी समिति बयाना में सरसों की आवक

657. श्री मोती लाल (रूपवास) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति बयाना में अप्रेल-मई, 1994 में कुल कितनी बोरी सरसों की आवक हुई ? दोनों महीनों का दैनिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अप्रेल-मई 1994 में प्रतिदिन कितना टैक्स मंडी समिति बयाना को प्राप्त हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, बयाना में अप्रेल-मई, 1994 में 67300 बोरी सरसों की आवक हुई। दैनिक विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) मण्डी समितियां कोई मण्डी टैक्स वसूल नहीं करती है। प्रतिदिन प्राप्त मंडी शुल्क का विवरण परिशिष्ट "अ" में ही दर्शाया गया है।

247

परिशिष्ट—"अ"

कृषि उपज मण्डी समिति, बयाना में माह अप्रेल, 94 में सरसों की दैनिक आवक एवम् मण्डी शुल्क का विवरण

आवक—बोरियों में

मंडी शुल्क—रुपयों में

दिनांक	माह अप्रेल—94		माह मई—94	
	आवक	मण्डी शुल्क	आवक	मण्डी शुल्क
1.	3595	49.380.92	अवकाश	अवकाश
2.	3966	55.016.35	688	9.964.99
3.	अवकाश	अवकाश	993	14.450.13
4.	अवकाश	अवकाश	1141	16.526.24
5.	3334	40.929.38	640	9.139.20
6.	2618	37.267.01	755	10.678.72
7.	2156	30.347.85	291	4.135.69
8.	3471	48.380.09	अवकाश	अवकाश
9.	2584	37.250.94	509	7.303.13
10.	अवकाश	अवकाश	475	6.815.30
11.	1484	21.191.52	687	9.997.22
12.	1936	28.041.02	372	5.514.52
13.	445	6.596.68	257	3.827.24
14.	अवकाश	अवकाश	341	5.008.60
15.	2995	45.823.49	अवकाश	अवकाश
16.	2619	39.892.60	582	8.587.99
17.	अवकाश	अवकाश	505	7.520.46
18.	2132	32.619.60	430	6.374.32
19.	अवकाश	अवकाश	230	3.393.88
20.	1825	28.418.89	467	6.859.29
21.	1830	28.123.44	635	9.283.70
22.	1480	22.140.80	अवकाश	अवकाश
23.	1693	25.327.28	अवकाश	अवकाश
24.	अवकाश	अवकाश	592	8.494.01
25.	990	14.339.16	300	4.284.00
26.	933	13.577.01	604	8.666.19
27.	895	12.963.18	486	7.006.17
28.	575	8.406.50	862	12.485.20
29.	532	7.886.36	अवकाश	अवकाश
30.	844	12.913.20	686	9.879.37
31.	-	-	476	6.894.38

248

ग्राम वाटिका पंचायत समिति सांगानेर में विदेशी मदिरा का ठेका

658. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सांगानेर के ग्राम वाटिका में अंग्रेजी शराब की दुकान का एक लाइसेंस विभाग ने दिया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी लाइसेंस होल्डर को देशी शराब बेचने का ठेका भी दिया गया है ? यदि नहीं, तो वहां अंग्रेजी एवं देशी दोनों प्रकार की शराब की बिक्री किस आधार पर की जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि टोंक रोड़ पर इस ठेके के नाम से 12 मील, सीतारामपुरा, विधानी एवं अन्य स्थान पर भी अनधिकृत शराब की बिक्री की जा रही है ? यदि हां, तो इस प्रकार की अनधिकृत बिक्री को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह भी सही है कि इसी अनुज्ञाधारी (लाइसेन्स होल्डर) को देशी शराब बेचने का ठेका भी दिया गया है। आबकारी बंदोबस्त की वर्तमान नीति के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष में एकल विशेषाधिकार राशि के आधार पर देशी व भारत निर्मित विदेशी मदिरा (अंग्रेजी शराब) की बिक्री का ठेका एक ही अनुज्ञाधारी को दिया जाता है।

(3) जी नहीं। टोंक रोड पर सीतारामपुरा व विधानी में अनाधिकृत शराब बिक्री की जाने की कोई सूचना नहीं है। वैसे सूचना मिलने पर अनाधिकृत शराब की बिक्री को रोकने के लिए विभाग धावे आयोजित करता है एवं बिक्री होना पाये जाने पर आबकारी नियमों के तहत मुकदमा दायर किया जाता है।

ग्राम बोबास (सांभर) की गैर मुमकिन भूमि पर अनाधिकृत निर्माण

659. श्री बाबू लाल (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बोबास, तहसील सांभर, जिला जयपुर की गैर-मुमकिन नदी 59 खसरा नं. 9 पर पूर्व विधायक भवानी सिंह यादव द्वारा नाजायज कब्जा कर, कुआं व टंकी का निर्माण करके तीन किलोमीटर दूर स्थित अपने कृषि फार्म पर अनधिकृत सिंचाई की जा रही है ?

(2) क्या यह अतिक्रमण अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से हुआ है ?

(3) क्या सरकार इस अतिक्रमण को हटाने और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम बोबास तहसील सांभर की गैमु. नदी 59 ख.नं. 9 के स्थान पर ख.नं. 1 पर पूर्व विधायक भवानी सिंह यादव द्वारा 01 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण सम्वत् 2051 में कर अतिक्रमित भूमि पर बोरिंग कर पम्प सैट लगाकर बोरिंग के ऊपर 30 फुट ऊंची टंकी बनाकर अन्डर ग्राउन्ड लगभग 1 किलोमीटर पाइप लाईन डालकर स्वयं की खातेदारी जमीन की सिंचाई की जा रही है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। यह सही नही हैं कि उक्त अतिक्रमण में किसी अधिकारी/कर्मचारी की मिली भगत है।

(3) जी हां। अतिक्रमण हटाये जाने बाबत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

राजस संघ द्वारा संचालित परियोजनाएं

660. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 में राजस संघ के माध्यम से चलाई जा रही "आपणी दुकान" तथा बीड़ी परियोजना के लिये सरकार द्वारा कितनी राशि आबंटित की गयी ?

(2) अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है ? यदि आबंटित राशि से अधिक राशि खर्च हुई है तो क्या इसके लिये संचालक मण्डल से स्वीकृति प्राप्त की गई है? यदि नहीं, तो इस प्रकार के धन के दुरुपयोग के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में राजसंघ के माध्यम से चलाई जा रही आपणी दुकान के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा बीड़ी परियोजना के लिए 10.00 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा आबंटित की गई।

(2) आपणी दुकान योजना राजसंघ की स्वयं की राशि से चलायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत 172 दुकानों को 3,22,542 रुपये की स्थायी सामग्री तथा 28,70,080.57 रुपये की उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध करवायी गयी है। बीडी परियोजना पर अब तक 39,38,811 रुपये व्यय किये जा चुके हैं। अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति संचालक मण्डल की बैठक में प्राप्त की जा चुकी है।

सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय, फागी

661. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, फागी में विज्ञान विषय, अध्यापकों की कमी के कारण वर्ष 1994-95 में बन्द कर दिया गया है ?

(2) उपरोक्त विद्यालय में किस-किस विषय के अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं?

(3) परीक्षा परिणाम खराब रहने वाले अध्यापकों के विरूद्ध क्या विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विज्ञान विषय के अध्यापक का पद रिक्त नहीं है।

(2) राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय फागी में निम्न विषय अध्यापकों के पद वर्तमान में रिक्त हैं :—

पदनाम	विषय	पदों की संख्या	कब से रिक्त
1. व्याख्याता	अंग्रेजी	1	8/94
	वाणिज्य	1	7/93
	गणित	1	

(3) विद्यालय सत्र 1993-94 का बोर्ड परीक्षा परिणाम न्यून नहीं रहा अतः किसी भी अध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

250

सहकारी भूमि विकास/केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सरकार में बकाया

662. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) एवम् श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं अन्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सरकार के ऊपर किस मद में कितनी-कितनी राशि बकाया है ? ब्याज सहित यह राशि जुलाई, 1994 तक कितनी हो गयी ?

(2) उपरोक्त बकाया राशि में कितनी राशि किन-किन बैंकों को कब-कब चुकायी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार की ओर केवल ऋण राहत योजना 1990 के अन्तर्गत 31-7-94 को सहकारी भूमि विकास बैंकों का 3.26 करोड़ तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों का 42.17 करोड़ बकाया थी योजना में दावे के भुगतान में विलम्ब की सूरत में ब्याज का प्रावधान स्पष्ट नहीं होने से ब्याज संबंधी राशि बताये जाने की स्थिति नहीं बनती।

(2) उक्त बकाया राशि में किन-किन बैंकों को जब-जब राशि चुकायी गयी का विवरण परिशिष्ट अ व ब पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट—अ

जुलाई, 94 के पश्चात् विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ऋण राहत योजनान्तर्गत निम्नानुसार राशि उपलब्ध गराई गई।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक	24.9.94 को उपलब्ध कराई गयी राशि	29.12.94 को उपलब्ध कराई गयी राशि
1.	अजमेर	36.87	42.37
2.	अलवर	39.97	0.42
3.	बांसवाड़ा	36.03	109.51
4.	बाडमेर	154.76	9.00
5.	भरतपुर	(–) 37.30	24.66
6.	भीलवाड़ा	21.03	27.98
7.	बीकानेर	33.66	130.40
8.	बून्दी	31.59	84.45
9.	चित्तौडगढ़	24.46	73.27
10.	चूरू	(–) 1.72	88.72
11.	डूंगरपुर	26.57	19.50
12.	जयपुर	40.15	204.33
13.	जैसलमेर	11.48	17.47
14.	जालौर	39.92	82.61

15.	झालावाड़	44.83	3.05
16.	झुन्झुनूं	19.81	92.69
17.	जोधपुर	234.13	105.93
18.	कोटा	22.82	15.73
19.	नागौर	28.57	149.83
20.	पाली	80.65	116.20
21.	सवाईमाधोपुर	31.02	30.88
22.	सीकर	36.09	59.70
23.	सिरोही	12.54	36.64
24.	श्रीगंगानगर	42.26	42.67
25.	टोंक	4.86	11.06
26.	उदयपुर	59.75	94.43
	योग	1074.80	1673.50

परिशिष्ट—ब

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को जुलाई, 1994 के पश्चात् ऋण राहत योजनान्तर्गत जो राशि उपलब्ध करायी गयी :—

(राशि लाखों में)

नाम बैंक	दिनांक 22.9.94 को उपलब्ध करायी गयी राशि
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक	326.00

राज्य के बेरोजगार आयुर्वेद चिकित्सक

663. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1994-95 में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के कितने पद सृजित किये गये ?

(3) सरकार बेरोजगार आयुर्वेदिक चिकित्सकों को कब तक रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार आयुर्वेदिक अस्पतालों की दयनीय स्थिति को सुधारने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(5) नागौर जिले में आयुर्वेद चिकित्सलाय कहां-कहां हैं ? गांव का नाम व तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त क्षेत्र में कहां-कहां कितने पद रिक्त हैं ? सरकार उन्हें कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति सदन की मेज पर (परिशिष्ट "क") रख दी गयी है।

(2) वर्ष 1994-95 में आयुर्वेद चिकित्सकों के 4 पद सृजित किये गये हैं।

(3) आयुर्वेद चिकित्सक का पाठ्यक्रम एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद वे अपनी निजी क्लीनिक भी चला सकते हैं।

राज्य सरकार ने अपनी आवश्यकतानुसार आयुर्वेदिक चिकित्सकों के स्वीकृत पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती हेतु विज्ञप्ति दिनांक 22.3.95 को प्रकाशित कर दी है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(4) विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की स्थिति दयनीय नहीं है। इनकी स्थिति में और सुधार करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 में औषधालय भवनों की मरम्मत के लिये 8.00 लाख रुपये एवं फर्नीचर उपकरण उपलब्ध कराने के हेतु 14.50 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवायी जा रही है। औषध मद में भी दुगुना प्रावधान कर दिया गया है।

(5) नागौर जिले में विभागान्तर्गत संचालित व स्वीकृत आयुर्वेद औषधालयों / चिकित्सालयों की तहसीलवार सूची (परिशिष्ट-"ख") सदन की मेज पर रख दी गयी है।

जिले में संचालित आयुर्वेद औषधालयों में वर्तमान में रिक्त पड़े पदों का विवरण (परिशिष्ट-"ग") सदन की मेज पर रख दिया गया है।

आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति देने की कार्यवाही की जा रही है।

परिचारक पद की पूर्ति, नवीन नियुक्ति पर रोक हटने/अधिशेष कर्मचारी उपलब्ध होने पर की जा सकेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

महिला विकास कार्यक्रम

664. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में कितने जिलों में महिला विकास कार्यक्रम चल रहे हैं ? प्रत्येक जिले में कितनी साथिनें कार्यरत हैं ?

(2) महिला विकास कार्यक्रम की साथिनों पर कौनसे सेवा नियम लागू हैं ? इनकी वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या नियमों में कोई संशोधन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) साथिनों को कितना वेतन दिया जा रहा है और उसका औचित्य व आधार क्या है ?

(4) क्या किसी एक गांव में महिला विकास कार्यक्रम चलाने की समयावधि निश्चित है ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ?

253

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य के 21 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम स्वीकृत हैं। प्रत्येक जिले में कार्यरत साथिनों की संख्या परिशिष्ट—"क" पर उपलब्ध है।

(2) साथिनों के लिए कोई सेवा नियम नहीं हैं, क्योंकि इन्हें मानदेय पर रखा जाता है। जब इन पर कोई सेवा नियम लागू नहीं हैं तो उनकी वर्तमान स्थिति और नियमों में संशोधन का प्रश्न नहीं उठता।

(3) साथिनों को कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है। अतः उसके औचित्य व आधार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(4) जी, नहीं।

परिशिष्ट—"क"

साथिन की जिलेवार स्थिति

क्र. सं.	नाम जिला	चयनित साथिनों की संख्या
1.	राजसमन्द	6
2.	डूंगरपुर	50
3.	जोधपुर	86
4.	उदयपुर	82
5.	कोटा	22
6.	अजमेर	87
7.	बीकानेर	-
8.	भीलवाड़ा	64
9.	बांरा	6
10.	सीकर	50
11.	दौसा	5
12.	चूरू	-
13.	जयपुर	66
14	बांसवाड़ा	94
	योग	618

बिछीवाड़ा एवं डूंगरपुर की पहाड़ियों के पेड़

665. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति बिछीवाड़ा एवं डूंगरपुर की पहाड़ियों में हवाई-जहाज से वर्ष 1991-92 में बीज डाले गये थे ? यदि हां, तो उसमें कितने प्रकार के बीज थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में विधान सभा के प्रश्न के जवाब में 60 प्रतिशत पेड़ जीवित बताये गये थे ? यदि हां, तो छिड़के गये बीजों में कौन-कौन से पेड़ कितने प्रतिशत अभी मौजूद हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति बिछीवाड़ा एवं डूंगरपुर की पहाड़ियों में वर्ष 91-92 में हवाई जहाज से बीज छिड़काव का कार्य नहीं कराया गया।

(2) वर्ष 1990-92 में डूंगरपुर जिले में किये गये हवाई छिड़काव कार्य का निदेशालय, मूल्यांकन संगठन, राज. जयपुर द्वारा वर्ष 1991-92 में किये गये मूल्यांकन के अनुसार औसतन 4412 पौध प्रति हैक्टेयर जीवित पाये गये। पूर्व में विधानसभा प्रश्न के जवाब में 44.12 प्रतिशत जीवित पौधों का उल्लेख किया गया था। वर्ष 1991-92 के पश्चात् मूल्यांकन नहीं कराया गया है इसलिए यह बताना कठिन है कि छिड़के गये बीजों में से अभी कौन-कौनसे पेड़ कितने प्रतिशत मौजूद हैं।

हरे पेड़ों की कटाई रोकने के उपाय

666. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार की वनों के विकास करने के बारे में क्या नीति निर्धारित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में प्रतिवर्ष कितने पेड़ लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित है ?

(3) क्या सरकार निजी क्षेत्र के पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार निजी क्षेत्र के हरे पेड़ों की कटाई के बाद उनके आवागमन को रोकने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा निर्धारित वन नीति के अनुसार भू-भाग का कम से कम 33% क्षेत्र वन आच्छादित होना चाहिए राज्य सरकार उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

(2) सरकार परिभाषित वन क्षेत्र, नंगी पहाड़ियों एवं पंचायत/सामुदायिक भूमि को प्राथमिकता के आधार पर वनाच्छादित करने को कृत संकल्प है। सभी वनीकरण कार्यों के क्रियान्वयन में जनभागीदारी को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। राज्य में प्रतिवर्ष उपलब्ध संसाधनों एवं बजट प्रावधानों के अनुसार पेड़ लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

(3) निजी क्षेत्र में राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत राजस्व अधिकारियों की अनुमति के बिना वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। लेकिन राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक 6 (23) राज-4/79/12 दिनांक 29.6.89 से 7 प्रजातियों के वृक्षों को निजी भूमि से काटने की छूट प्रदान की है। जिसके लिए उक्त अधिनियम के तहत अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

(4) राज्य में वृक्षों से मिलने वाली उपज के परिवहन हेतु अनुमति राजस्थान (वन उपज परिवहन) नियम 1957 के अन्तर्गत दी जाती है। लेकिन कृषकों तथा ग्रामीणों की कठिनाइयों को मद्दे नजर रखते हुए राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक एफ 2(1)(2) राज-8/73 दिनांक 15.7.86 के जरिये राज्य के 15 जिलों में वन उपज की गैर यांत्रिकी वाहनों से परिवहन की छूट प्रदान की है। इसके पश्चात् राज्य सरकार ने उक्त बिन्दु संख्या 3 में वर्णित अधिसूचना दिनांक 29.6.89 के क्रम में एक अन्य अधिसूचना क्रमांक एफ 2(1)(2) रेवेन्यू 8-73 दिनांक 19.1.91 द्वारा 7 प्रजातियों के वृक्षों की उपज को राज्य के भीतर आवागमन हेतु छूट प्रदान कर दी है।

बीज उत्पादन हेतु जारी अनुज्ञा-पत्र

667. श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य बीज निगम में प्रमाणित बीज उत्पादक का अनुज्ञा-पत्र देने की प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बीज निगम द्वारा कितने व्यक्तियों की बीज उत्पादक अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन बीज उत्पादकों में से कितने व्यक्तियों के स्वयं के खातेदारी में कितनी कृषि भूमि है ?

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

(4) क्या यह भी सही है कि जिन व्यक्तियों के खातेदारी में कृषि भूमि नहीं है, उनको भी बीज उत्पादक का अनुज्ञा-पत्र जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्यों व किस आधार पर ?

(5) क्या यह सही है कि बीज उत्पादक वास्तविक काश्तकारों से ही बीज का उत्पादन करवाकर बीज निगम को उपलब्ध करवाते हैं ?

(6) यदि हां, तो क्या इससे बीज निगम को महंगी दरों पर बीज उपलब्ध होता है एवं निगम द्वारा काश्तकारों को बीज का वितरण महंगे दामों पर किया जाता है ?

उत्तर

(1) निगम बीज उत्पादकों को पंजीकृत करता है। पंजीयन की निर्धारित प्रक्रिया है। बीज उत्पादक बनने के लिए बीज निगम से कोई अनुज्ञा पत्र नहीं लेना पड़ता।

(2) निगम द्वारा अब तक कुल 4185 कृषकों को पंजीकृत किया है जिनमें से श्रीगंगानगर क्षेत्र में 1423, भरतपुर में 287, चित्तौडगढ़ में 817, कोटा में 823, जोधपुर में 252 एवं जयपुर में 583 अंशधारी बीज उत्पादक हैं।

(3) कृषक की खातेदारी अथवा उसके अधिकार में आबंटित भूमि की सूचना निगम एकत्रित नहीं करता बल्कि जो भी भूमि कृषक को उपलब्ध होती है उस पर ही बीज उत्पादन कार्यक्रम दे दिया जाता है।

(4) राज. राज्य बीज निगम उन कृषकों को भी जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है, उनके द्वारा दिये इकरारनामे में विवरण एवं निशानदेही के आधार पर बीज उत्पादन कार्यक्रम देता है।

(5) जी, हां। यह सही है कि बीज निगम वास्तविक काश्तकारों से ही बीज उत्पादन कार्यक्रम करवाता है।

(6) बीज निगम अपने बीज उत्पादक कृषकों को संबंधित मण्डी दर पर अतिरिक्त प्रिमियम फसलानुसार देकर क्रय करता है। इस क्रम में गेहूं में 75/- रु., जौ के लिये 50/- रु., सरसों के लिये 125/- रु. एवं चने में 125/- रु. प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। बीज की विक्रय दर निगम के खर्चे ग्रेडिंग, पैकिंग आदि खर्चे जोड़कर निर्धारित की जाती है। जो कि बोर्ड से अनुमोदित होती है। इस प्रकार बीज की कीमत अधिक नहीं होती, इस बीज की अनाज की दरों से तुलना नहीं की जा सकती है।

तारांकित प्रश्न संख्या 668

(स्थगित)

अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्रकरण

669. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार, बाली जिला पाली ने श्री नरसिंह गर्ग पुत्र श्री गणेश, निवासी बोया तहसील बाली, जिला पाली के नाम अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र क्रमांक 83 दिनांक 21 जनवरी, 1995 जारी किया था ?

(2) क्या यह भी सही कि उक्त प्रमाण-पत्र को तहसीलदार, बाली ने उनके पत्र क्रमांक 168 दिनांक 30 जनवरी, 1995 द्वारा निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो किस आधार पर श्री नरसिंह गर्ग को उपरोक्त

(श्री भीमराज भाटी)

अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया गया एवं किन कारणों से इसे रद्द किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रार्थी श्री नरसिंह गर्ग वास्तव में अनुसूचित जाति का व्यक्ति है ? यदि हां, तो षड़यन्त्रपूर्वक रद्द किये गये प्रमाण-पत्र के प्रकरण में किन-किन दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। श्री नरसिंह द्वारा दिनांक 25.1.95 को "गरूड़ा" अनु. जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं पटवारी, बोया द्वारा अनुकूल रिपोर्ट करने पर, तथा "गरूड़ा" जाति अनु. जाति सूची में शुमार होने पर प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तत्पश्चात् दिनांक 30.1.95 बोया निवासी श्री महावीर सिंह द्वारा उपरोक्त अनु. जाति का प्रमाण पत्र गलत जारी होने एवं प्रार्थी नरसिंह की जाति "गरूड़ा" न होकर "गुरू" होने एवं "गुरू" जाति अनु. जाति में शुमार नहीं होने बाबत शिकायत करने पर पटवारी हल्का बोया की पुनः विपरीत रिपोर्ट एवं राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति के आधार पर प्रार्थी नरसिंह की जाति "गुरू" जाति अनु. जाति में सम्मिलित नहीं होने के कारण जारी प्रमाण पत्र निरस्त किया गया।

(3) प्रार्थी ने अनु. जाति के प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने के आदेश के विरूद्ध एक फौजदारी मुकदमा एसीजेएम. कोर्ट, बाली में पेश कर दिया है, जिस पर सुनवाई के बाद थानाधिकारी बाली को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने के आदेश एसीजेएम. द्वारा प्रदान कर दिये गये हैं। वर्तमान में जांच उप अधीक्षक, बाली द्वारा की जा रही है। एक चुनाव याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पाली में भी पेश की है, जिसमें निर्णय होना बाकी है। पटवारी हल्का बोया द्वारा बिना रिकार्ड के जांच किये विपरीत दोहरी रिपोर्ट करने के लिये राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं, तथा तहसीलदार, बाली को पूर्ण तथ्यों की जांच किये बिना प्रमाण-पत्र जारी करने एवं निरस्त करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जिला सिरोही एवं चित्तौडगढ़ की स्वच्छ परियोजना

670. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर), श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) एवं श्री प्रभुराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वच्छ परियोजना के विस्तार के लिए जिला चित्तौडगढ़ की पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद तथा जिला सिरोही की पंचायत समिति पिण्डवाड़ा को सम्मिलित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इनकी क्रियान्विति कब से प्रारम्भ की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समितियों में प्रतिवर्ष जल जनित रोगों का प्रकोप रहता है ? यदि हां, तो इनकी रोकथाम के लिए क्या-क्या कार्य हाथ में लिए गए ?

(3) उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लिए हैण्डपम्प

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

एवं सार्वजनिक कुओं की गहराई एवं मरम्मत के लिए वर्ष 1995-96 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ? जिलेवार आवंटन एवं लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सामुदायिक ट्यूबवेल योजना प्रारम्भ करने के लिए एवं इनकी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए क्या वर्ष 1994-95 में विस्तृत सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्वच्छ परियोजना के द्वितीय चरण का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 95 को समाप्त हो रहा है। अतः परियोजना के विस्तार का प्रश्न ही नहीं है।

(2) जी, हां। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, दवाई वितरण इत्यादि के कार्यक्रम हाथ में लिये गये।

(3) स्वच्छ परियोजना के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में हैण्डपम्प एवं सार्वजनिक कुओं की गहराई एवं मरम्मत हेतु वर्ष 1995-96 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है—

जिला	हैण्डपम्प स्थापना	कुओं की मरम्मत (लाखों में)
उदयपुर	27.30	63.50
डूंगरपुर	26.05	4.50
बांसवाड़ा	12.60	2.00
	65.95	70.00

लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची परिशिष्ट—1 पर उपलब्ध है।

(4) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सामुदायिक ट्यूबवेल योजना प्रारंभ करने के लिये एवं इनकी संभावनाओं का पता लगाने के लिये वर्ष 1994-95 में कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तृत भूजल-सर्वेक्षण प्रस्तावित था लेकिन अपरिहार्य कारणों से सर्वेक्षण नहीं हो सका जिसके कराये जाने के प्रयास जारी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

शिक्षा उपनिदेशक (पुरुष) उदयपुर मण्डल द्वारा किये गए स्थानान्तरण

671. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा उपनिदेशक (पुरुष) उदयपुर मण्डल, उदयपुर द्वारा जनवरी 1994 से फरवरी 1995 तक कुल कितने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये ? पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रतिबन्ध काल में स्थानान्तरण करने की विशेष स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो इन स्थानान्तरणों के क्या कारण थे ? प्रतिबन्धित अवधि में किये गये स्थानान्तरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपनिदेशक (पुरुष) उदयपुर द्वारा जनवरी 1994 से फरवरी 95 तक कुल 253 शिक्षकों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपनिदेशक (पुरुष) उदयपुर द्वारा प्रतिबन्ध काल में स्थानान्तरण नहीं किये गये,

(शिक्षा मंत्री)

तथा न ही प्रतिबन्धित काल में स्थानान्तरण किये जाने की कोई विशेष अनुमति प्राप्त की गई।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सिकराय विधान सभा क्षेत्र की आंगनबाड़ी केन्द्र

672. श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिकराय विधान सभा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां खोलने का लक्ष्य निर्धारित था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या लक्ष्य में निर्धारित सभी केन्द्र मय स्टाफ के खोल दिये गये है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार आंगनबाड़ी केन्द्र अब कब तक खोलने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विभाग में कार्यरत जितने भी कर्मचारी सिकराय विधान सभा क्षेत्र में पद स्थापित हैं वे मुख्यालय या सम्बन्धित जगह पर नहीं रूकते हैं ? यदि हां, तो इसके लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) सिकराय विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समिति सिकराय में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारम्भ करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां क्रमशः दिनांक 11.2.94 एवं 16.2.94 को जारी की गई थी। इस परियोजना में कुल 146 आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। इसके विरूद्ध 134 केन्द्रों को प्रारम्भ करने की स्वीकृति दिनांक 14.12.94 को विभागीय स्तर पर जारी की गई, जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। कुल स्वीकृत 146 आंगनबाड़ी केन्द्रों के विरूद्ध 43 आंगनबाड़ी केन्द्र अब तक प्रारम्भ कर दिए गए हैं जिनके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का चयन कर लिया गया है। इन केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। परियोजना को एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 18 माह में पूर्ण रूप से कार्यशील किया जाता है। अतः शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों को शीघ्र ही खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) सभी राजकीय कर्मचारियों को परियोजना मुख्यालय या सम्बन्धित मुख्यालय पर ही रहना होता है, इस बारे में समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, तथा अधिकारी द्वारा परियोजना के भ्रमण के समय कर्मचारी/अधिकारियों की उनकी मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ध्यान दिया जाता है।

परिशिष्ट "अ"

बाल विकास परियोजना सिकराय में स्वीकृत केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम जहां केन्द्र स्वीकृत है	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या
1.	2.	3.
1.	करोडी	2
2.	पाडली	1
3.	उदयपुरा	2
4.	भालपुर	1

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

5.	डैण्डाबसेडी	1
6.	गैरोटा	1
7.	देवरी	1
8.	मालावास	1
9.	मीनावाडा	1
10.	गूजरबेराडा	1
11.	गुमानपुरा	2
12.	कोरडा	1
13.	राणोली	1
14.	गढ	2
15.	झापडावास	1
16.	मोहचिंगपुरा	1
17.	बावंनपाडा	1
18.	रायपुरा	1
19.	ब्राह्मण बैराडा	1
20.	रामगढ	1
21.	बुढली	1
22.	बीन्दरवाडा	1
23.	छोकरवाडा	2
24.	ईटका	1
25.	फर्रासपुरा	2
26.	मोलाई	1
27.	जोध्या	1
28.	अचलपुरा	1
29.	सरूण्डला	2
30.	चादेरा	1
31.	सुरेर	1
32.	बृहमवाद	1
33.	ठीकरिया	2
34.	जोपाडा	1
35.	हींगवा	2
36.	गनीपुर	1
37.	कूण्डेरा डूंगर	2
38.	सिंकराय डूंगर	1
39.	पांचोली	1
40.	मुरलीपुर	1
41.	मानपुर	5
42.	पीपलकी	1
43.	धूलकोट	1
44.	सीकरी	1
45.	कालवान	2
46.	पाडलीबाढ	1
47.	सिकराय	4
48.	नाभनेर	1
49.	मोरेड	1
50.	मूण्डीया खेडा	1
51.	कैलाईजगसहायपुरा	1
52.	डोलिका	1
53.	गांगदवाडी	2
54.	झरना	1
55.	गण्डरावा	2
56.	अगावली	2
57.	बहरावण्डा	4
58.	दवाकर	1
59.	कालाखो	1
60.	अम्बाडी	1
61.	गढोरा	2
62.	टोरडा	3
63.	दुब्बी	2
64.	रेटा	2
65.	पीलवाकला	1
66.	गीजगढ	7
67.	सिकन्दरा	7
68.	धूमना	2
69.	गढी	1
70.	कैलाई	2
71.	भोजपुरा	1
72.	मीना सीमला	2
73.	गुजर सीमला	1
74.	नादरी	2
75.	चांदसा	1

(

76.	नाहरखोहरा	1
77.	निहालपुरा	2
78.	भण्डारी	2
79.	लांका	2
80.	मोरोली	1
81.	पीलोडी	1
82.	निकटपुरी	1
83.	मरियाडा	1
84.	लीखली	1
85.	पाटन	1
86.	रामेड़ा	1
		134

परिशिष्ट "ब"

बाल विकास परियोजना सिकराय में खोले गये आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	गाँव का नाम	खोले गये केन्द्रों की संख्या
1.	2.	3.
1.	कैलाई	2
2.	ईटका	1
3.	निहालपुरा	1
4.	भंडारी प्रथम	1
5.	बुडली	1
6.	नांदरी	2
7.	गढ	2
8.	गुमानपुरा	2
9.	सिकन्दरा गांव	1
10.	लीखली	1
11.	कालाखो	1
12.	नाहरखोहरा	1
13.	धूमना	1
14.	मूण्डियाखेडा	1
15.	डोलिका	1
16.	मानपुर	3
17.	रायपुरा	1
18.	सिकराय प्रथम	1
19.	दुब्बी	2
20.	कालवान प्रथम	1
21.	ठीकरिया प्रथम	1
22.	सिकराय डूंगर	1
23.	रेटा	2
24.	ब्राह्मण बैराडा	1
25.	गनीपुर	1
26.	जोध्या	1
27.	मोलाई	1
28.	अम्बाडी	1
29.	फर्रासपुरा	1
30.	रामगढ	1
31.	छोंकरवाडा	1
32.	गण्डरावा	2
33.	मरियाडा	1
34.	पाटन	1
		43

सांसद फण्ड से विकास कार्यों हेतु प्रदत्त राशि का उपयोग

673. श्री शिवदान सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांसदों को उनके क्षेत्र में विकास योजनाओं के लिए आबंटित फण्ड में से राजसंमद जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु जिला कलेक्टर, राजसंमद को कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए कब-कब आबंटित की गई है ?

(2) क्या आबंटित राशि सम्बन्धित विभागों को भेज दी गई ? सम्बन्धित विभागों ने कितनी-कितनी राशि का उपयोग कर लिया है एवं कितनी राशि का उपयोग किया जाना शेष है ?

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

(3) क्या सरकार ऐसी राशि के शत-प्रतिशत निश्चित समय में उपयोग करने के लिये प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) सांसदों को उनके क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु वर्ष 1993-94 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आबंटित राशि रू. 175.00 लाख में से रु. 2.50 लाख राशि जिला कलेक्टर राजसमन्द को दिनांक 29.3.94 को आबंटित की गई थी। संसदीय क्षेत्र का भाग उदयपुर तथा राजसमन्द दोनों जिलों में पड़ता है। वर्ष 94-95 में केन्द्र सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत 1.00 करोड़ रुपये की राशि सीधे ही जिला कलेक्टर, उदयपुर (संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी) को हस्तान्तरित की थी तथा सांसद की इच्छानुसार जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा जिला कलेक्टर, राजसमन्द को 50.00 लाख रुपये राशि जनवरी, 1995 में हस्तान्तरित की गई थी क्योंकि जिला राजसमन्द भी सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में आता है।

इस योजनान्तर्गत जिला कलेक्टर को कार्यबार राशि आबंटित नहीं की जाती है तथा प्राप्त राशि में से कार्यवार राशि का आबंटन सांसद द्वारा दिये गये सुझावानुसार लिये जाने वाले कार्यों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जिला कलेक्टर, राजसमन्द द्वारा कार्यवार स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट—1 पर उपलब्ध है।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राजसमन्द द्वारा स्वीकृत कार्यों की क्रियान्विति हेतु कुल उपलब्ध राशि रू. 52.50 लाख में से 50.60 लाख रुपये विभिन्न कार्यकारी विभागों को हस्तान्तरित की गई। इस मद में कार्यों के प्रस्ताव सांसद से देरी से प्राप्त होने के कारण अधिकतर स्वीकृतियां मार्च, 95 में जारी करना संभव हुआ जिसके कारण कुल हस्तान्तरित राशि में से केवल 3.00 लाख रु. ही व्यय की जा सके। विभागवार आवंटित राशि एवं व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र. सं.	नाम विभाग	आंवटित राशि	व्यय राशि
1.	अधि. अभियंता, जन. स्वा. अभि. विभाग	22.00	-
2.	सिंचाई विभाग	1.80	0.11
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	2.50	-
4.	पंचायत समितियां	11.40	2.29
5.	नगर पालिका	12.90	0.60
	योग	50.60	3.00

(3) भारत सरकार द्वारा इस योजना की प्रभावी क्रियान्विति के लिए जारी की गई मार्गदर्शिका में स्वीकृत कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने एवं प्रगतिरत कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला एवं अन्य स्तर के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(262)

परिशिष्ट—अ

सूची

(जिला राजसमन्द)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्यकारी	पंचायत समिति क्षेत्र	अनुमानित लागत (लाखों में)	वर्ष
1.	उम्बास पेय जल योजना	पी. एच. ई. डी.	खमनौर	5.09	93-94
2.	भाणा जल प्रदाय योजना	— " —	राजसमन्द	5.25	94-95
3.	पुनावली जल प्रदाय योजना	— " —	— " —	4.05	– " –
4.	मजा-नान्दोडा पेयजल योजना	— " —	— " —	5.55	– " –
5.	दोवडा जल प्रदाय योजना	— " —	— " —	3.75	– " –
6.	पेयजल टंकी निर्माण बरवाल	— " —	भीम	1.60	– " –
7.	पेयजल टंकी निर्माण लाखागुडा	— " —	भीम	1.25	– " –
8.	पेयजल टंकी निर्माण ठीकरवास	— " —	— " —	0.90	– " –
9.	पशु चिकित्सालय भवन जणावद	वि.अ.कुम्भलगढ	कुम्भलगढ	1.00	– " –
10.	एनिकट निर्माण माडावाडा भीम	सिंचाई विभाग	भीम	0.51	– " –
11.	वार्ड नं. 2 में सामान्य कार्य	न. पा. नाथद्वारा	नाथद्वारा	1.575	– " –
12.	वार्ड नं. 3 में नाली सडक व तारछ	— " —	(शहरी)	1.30	– " –
13.	वार्ड नं. 5 में नाली सडक लाईट	— " —	— " —	1.59	– " –
14.	वार्ड 6 में नाली निर्माण व सड़क	— " —	— " —	1.20	– " –
15.	वार्ड 7 नाली सडक	— " —	— " —	1.43	– " –
16.	वार्ड 10 सडक निर्माण	— " —	— " —	1.44	– " –
17.	वार्ड 13 नाली निर्माण	— " —	— " —	0.45	– " –
18.	वार्ड 14 नाली निर्माण	— " —	— " —	0.305	– " –
19.	वार्ड 21 में नाली व सड़क निर्माण	— " —	— " —	1.125	– " –
20.	वार्ड 23 में नाली व सडक निर्माण	— " —	— " —	1.00	– " –
21.	वार्ड 24 में नाली व सडक निर्माण	— " —	— " —	1.125	– " –
22.	एप्रोच रोड धायला	प. स. राजसमन्द	राजसमन्द	1.00	– " –
23.	बावपुरा विद्यालय भवन मरम्मत	— " —	— " —	0.50	– " –
24.	झीलोकी भागल-डरी सड़क निर्माण	— " —	— " —	1.00	– " –
25.	खटामला खुर्रा निर्माण	— " —	— " —	0.50	– " –
26.	कालापाथरा से आमेट रोड	न. पा. आमेट	न. पा.	0.50	– " –
27.	कसाईयों का मोहल्ला रोड	— " —	— " —	0.50	– " –
28.	जगपुरा रेलमगरा एप्रोच रोड	रेलमगरा	रेलमगरा	2.00	– " –
29.	चारगुडा से–बीकावास सड़क	भीम	भीम	0.25	– " –

1.	2.	3.	4.	5.	6.
30.	गोदाजी के गांव से आडीकाकर तक सडक निर्माण	भीम	प. स. भीम	0.25	94-95
31.	नेडी करेडा एप्रोच रोड	भीम	प. स. भीम	0.25	– " –
32.	राजवा तालाब व नहर मरम्मत	सिंचाई विभाग	भीम	0.40	– " –
33.	जयनगर से बार सडक निर्माण	प. स. भीम	भीम	0.25	– " –
34.	नायको का बाडिया सडक	प. स. भीम	भीम	0.25	– " –
35.	उमरवास तालाब मरम्मत	— " —	— " —	0.50	– " –
36.	साकडा भाटा तालाब निर्माण	— " —	— " —	0.50	– " –
37.	लाम्बोडी प्रा. स्कूल	प. स. कुम्भलगढ	कुम्भलगढ	2.00	– " –
38.	बादनी से आम्बा की पाल रास्ता	प. स. भीम	भीम	0.25	– " –
39.	मियाला ठीकरवास सडक	प. स. देवगढ	देवगढ	0.50	– " –
40.	मदार देवगढ एप्रोच रोड	प. स. देवगढ	देवगढ	0.50	– " –
41.	अदवास से देवगढ रोड	— " —	— " —	0.50	– " –
42.	पवराना एनिकट आमेट	प. स. आमेट	आमेट	1.00	– " –
43.	कमरा प्रा. शा. सरदारगढ	आमेट	आमेट	0.50	– " –
44.	सम्पर्क सड़क नमाना, भाटोली वाया कुवारिया नाथद्वारा डब्ल्यू बी एम सडक	सा. नि. वि.	राजसमन्द	5.00	– " –
45.	पेयजल टंकी भणाई	पी. एच. ई. डी.		7.21	– " –
				72.24	लाख

ह.

अति कलक्टर (विकास)

जि. ग्रा. वि. अ. राजसमन्द

उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति एवं पदोन्नतियां

674. श्री हबीबुर्रहमान (मूडवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष राजस्थान में अल्प भाषा उर्दू के कितने अध्यापकों को नियुक्ति प्रदान की गयी और कितने अध्यापकों की मांग थी ?

(2) सत्र 1994-95 में अल्प भाषा उर्दू द्वितीय वेतन श्रृंखला व तृतीय वेतन श्रृंखला के कितने अध्यापकों को पदोन्नत किया गया ? क्या उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति व पदोन्नति पर प्रतिबन्ध है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष अल्प भाषा उर्दू के पदों की मांग एवं नियुक्ति निम्नानुसार थी—

क्र.सं.	पद नाम	मांग	नियुक्ति
1.	व्याख्याता	08	07
2.	वरिष्ठ अध्यापक II ग्रेड	03	02
3.	अध्यापक III ग्रेड	22	04

(शिक्षा मंत्री)

(2) सत्र 1994-95 में अल्पभाषा उर्दू द्वितीय वेतन श्रृंखला के 5 उर्दू अध्यापकों को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति दी गई व तृतीय वेतन श्रृंखला से किसी भी अध्यापक को पदोन्नत नहीं किया गया। उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति व पदोन्नति पर प्रतिबन्ध नहीं है।

जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि

675. श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 1982 में जयपुर विकास प्राधिकरण के गठन के पश्चात् जे.डी.ए. एक्ट में जे.डी.ए. सीमा में आने वाली सभी किस्म की सरकारी भूमियों (जैसे सवाई चक, गोचर, सरकारी मिल्कियत की भूमियां) पर जे.डी.ए. का स्वामित्व हो गया ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त भूमियों पर राजस्व विभाग के अधिकारीगण जे.डी.ए. क्षेत्र में आबंटन एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धाराओं (विशेष तौर पर 91 और 90ए) के तहत 1982 से अब तक कार्य कर रहे हैं ?

(3) क्या यह स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है ? यदि हां, तो इस ओर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

(4) क्या यह भी सही है कि राजस्व विभाग के प्रशासनिक न्यायालयों में ऐसी भूमियों से संबंधित मामलों में जे.डी.ए. को पक्षकार नहीं बनाया जाता है ? यदि हां, तो क्यों नहीं और क्या इस तरह बिना जे.डी.ए. को पक्षकार बनाये सरकारी भूमियों के किस्म परिवर्तन एवं मालिकाना हक परिवर्तन के दिये गये फैसलों को सरकार वैधानिक मानती है ? यदि नहीं, तो क्या फैसलों को रद्द करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) भविष्य में इस तरह की कार्यवाही पर सरकार किस प्रकार रोक लगाना चाहती है व कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54 के अनुसार सरकारी भूमियां प्राधिकरण गठन होने के बाद प्राधिकरण में निहित हो गई है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए में यह प्रावधान है कि कृषि भूमियों को राज्य सरकार या प्राधिकृति अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अकृष्य प्रयोजनार्थ काम में नहीं लिया जाना चाहिए और कतिपय मामलों में यदि ऐसा किया गया है तो इसके नियमन के नियम बनाने के प्रावधान किये गये हैं। धारा 91 के अंतर्गत अतिक्रमण के मामलों में स्थानीय निकायों की जमीन पर भी तहसीलदार बेदखली की कार्यवाही करने के लिये अधिकृत हैं। जहां तक भूमि आवंटन का प्रश्न है, अकृष्य प्रयोजनार्थ आबंटन जयपुर विकास प्राधिकरण की सहमति प्राप्त कर किया जाता है।

(3) जी, नहीं। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित संपूर्ण सरकारी भूमियों की निगरानी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रखना संभव नहीं है, अतः जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र 990 दिनांक 3.11.92 द्वारा जिला कलेक्टर, जयपुर को लिखा कि समस्त ग्रामों में उनके स्टॉफ द्वारा भूमियों की

राजस्व मंत्री)

निगरानी रखना संभव नहीं है, अतः तहसीलदारों के माध्यम से इन भूमियों की निगरानी उसी प्रकार रखवाये जिस तरह अन्य राजकीय/सिवाय चक भूमियों की रखते हैं। तदनुसार जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा तहसीलदारों को निर्देश जारी किये गये हैं।

(4) जहाँ तक कृषि भूमि के सपंरिवर्तन का प्रश्न है, 1981 के नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी संपरिवर्तन के आदेश से पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण की राय प्राप्त करने हेतु प्रकरण जयुपर विकास प्राधिकरण को भेजते है तथा अप्रेल, 94 से तो जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को ही प्राधिकृत अधिकारियों की शक्तियाँ दे दी गई । जहाँ तक सरकारी भूमियों अर्थात सिवाय चक वगैरहा पर घोषणात्मक वादों में राजस्व न्यायालयों द्वारा डिक्री जारी करने का प्रश्न है, जयपुर विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। जिला कलेक्टर ने उनके अधीनस्थ न्यायालयों को यह सूचित किया गया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित सरकारी भूमियों से संबंधित वादों में जयपुर विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया जाये।

(5) यदि सरकारी भूमियों पर जयपुर विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाये बिना डिक्री जारी कर दी गई तो ऐसे प्रकरणों का परीक्षण कर रेफेरेन्स की कार्यवाही करने हेतु प्रकरणों को जिला कलेक्टर के ध्यान में लाने के लिये जिला क्लेक्टर ने तहसीलदारों को निर्देश दिये हुये है।

कृषि कार्य हेतु आठ घन्टे विद्युत वितरण

676. श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि सरकार ने पिछली विधान सभा में 8 घंटे लगातार किसानों को सिंचाई हेतु बिजली देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या इस वर्ष किसानों को 8 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं की गयी ?

(2) क्या सरकार किसानों को 8 घण्टे सिंचाई हेतु बिजली वितरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, आश्वासन के अनुकूल कृषि कार्यों हेतु मोटे रूप से 8 घण्टे विद्युत की आपूर्ति यथा संभव की गई है। लेकिन माह दिसम्बर, 1994 से मार्च, 1995 की अवधि में राज्य में विद्युत की उपलब्धि में काफी कमी आ गई जिससे न केवल कृषि हेतु 8 घन्टे बिजली उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाया अपितु उद्योगों पर भी 50 प्रतिशत से लेकर शत प्रतिशत तक एवं शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घन्टे तक विद्युत कटौती (लोड-शेडिंग) की गई। बाहर के स्रोतों से एवं पडौसी राज्यों से मंहगी दर पर बिजली खरीद कर कृषि एवं अन्य कार्यों हेतु बिजली उपलब्ध कराई गई। मंहगी दर पर बिजली खरीदने से विद्युत मण्डल को पिछले वर्ष के मुकावले लगभग 230 करोड़ रूपयों का अतिरिक्त भार वहन करना पडा। अपरिहार्य कारणों से जब-जब भी यह प्रयास किया गया कि

266

(ऊर्जा मंत्री)

किसानों को अधिक से अधिक विद्युत उपलब्ध कराई जाये। मार्च के अन्तिम सप्ताह से उपलब्धि में सुधार होने से अब कृषि कार्यो हेतु 8 घण्टे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

(2) जी हां, लेकिन वर्तमान में मांग और आपूर्ति में जो अन्तर है उसको दृष्टिगत रखते हुये किसानों को यथा संभव 8 घण्टे की विद्युत आपूर्ति हेतु सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये है। विद्युत वितरण में सामन्जस्य एवं सुचारू व्यवस्था हेतु राज्य भर में ग्रिड सब-स्टेशनों से समानुपातिक आधार पर पारियों में विद्युत वितरण की व्यवस्था का क्षेत्रीय विकेन्द्रीकरण कर क्षेत्रीय अभियन्ताओं को दायित्व सौंपा गया है ताकि अपने स्तर पर ग्रिड-सब स्टेशन से उपलब्धि के अनुरूप किसानों को अधिक से अधिक विद्युत उपलब्ध कराई जा सके। अकेले 25,000 कुओं के प्रतिवर्ष विद्युतीकरण से करीब 120 मेगावाट की अतिरिक्त आवश्यकता पडती है। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को करीब 200 मेगावाट का भार प्रतिवर्ष बढ़ जाता है। उसके अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नगण्य रहती है। अतः यह स्वाभाविक है कि प्रति उपभोक्ता को मिलने वाली बिजली में कमी आवे।

एम.एड. शिक्षकों को दो वेतन वृद्धि

677. श्री गुलाब सिंह (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या/यह सही है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी द्वारा विधान सभा में यह घोषणा की गई थी कि प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय को व्याख्याता (स्कूली शिक्षा) से अधिक पारिश्रमिक दे दिया जावेगा, जो अभी तक भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार यह लाभ कब तक दिये जाने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार सभी स्तर के शिक्षकों को, जिनको एम.एड. करने पर दो-दो वेतनवृद्धियां नहीं मिलती हैं, उनको दो-दो वेतनवृद्धियां हर स्तर पर देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। घोषणा की क्रियान्विति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1989 में शिक्षा विभाग राजस्थान अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) के प्रावधान के अन्दर्गत एम.एड. डिग्री-धारकों को एक अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ देय है।

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 934 की सूची)

(बिन्दु सं. 11 की सूची)

क्र.सं.	विद्यालय	रिक्त पदों की संख्या (व्याख्याता)
1	2	3
1.	छोटी खादू	04
2.	मूण्डवा	01
3.	मोलासर	02
4.	मेड़तारोड	01
5.	चावण्डिया	02
6.	कुचेरा	04
7.	जायल	02
8.	डेह	03
9.	लाडनूँ	01
10.	तोषीणा	03
11.	म्हाण्थुन	03
12.	डेगनमा	01
13.	पारां	02
14.	परबतसर	02
15.	नावां	02
16.	कुचामनसिटी	02
17.	मकराना	01
18.	खींवसर	04
19.	सांजू	04
20.	हरसौर	03
21.	जावला	03
22.	मनाना	03
23.	कुक्नवाली	03
24.	डीडवाना	02
25.	मारोठ	03
26.	मेड़तासिटी	06
27.	अलाय	03
28.	नागौर	08
29.	डेगाना	03
30.	जिशिअ (छात्र) नागौर	01
31.	बालिका उमावि, नागौर	07

1	2	3
32.	बालिका उमावि, लाडनूँ	03
33.	बालिका उमावि, डीडवाना	02
34.	बालिका उमावि, मकराना	02
35.	बालिका उमावि, मूण्डवा	01.
36.	बालिका उमावि, परबतसर	01
37.	बालिका उमावि, नावांसिटी	02
	योग	100

वरिष्ठ अध्यापक

1	2	3
1.	रामावि, राठौडीकुऑ	01
2.	राप्रावि नं. 3, मेड़तासिटी	01
3.	राप्रावि नं. 2, मकराना	01
4.	उप्रावि, डीडवाना	01
5.	राबामावि, लाडनूँ	01
6.	राबामावि, कोलिया	01
7.	राबामावि, मारोठ	01
	योग	07

तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक

1	2	3
1.	रामावि, करणूं	01
2.	रामावि, सेवड़ी	01
3.	रामावि, विरलोका	01
4.	रामावि, कुड़छी	01
5.	राउप्रावि, कुड़ल	01
6.	राउप्रावि, सिलगाँव	01
7.	राउप्रावि, साटिकाखुर्द	01
8.	राउप्रावि, टेहरु	01
9.	राउप्रावि, तातवास	01
10.	राउप्रावि, जानणा	01
11.	राउप्रावि, छबीला	01
12.	राउप्रावि, लंगोड़	01
13.	राउप्रावि, दोतीणा	01
14.	राउप्रावि, ईग्यासनी	01
15.	राउप्रावि, बरागणा	01

1	2	3
16.	रा0प्रावि, बेड़वा	01
17.	रा0प्रावि, मौलासर	01
18.	रा0प्रावि, बेरीकला	01
19.	रा0प्रावि, पायली	01
20.	रा0प्रावि, खाखोली	01
21.	राप्रावि नं. 8, डीडवाना	01
22.	रा0प्रावि, ठीकरियाखुर्द	01
23.	रा0प्रावि, परवेडी	01
24.	रा0प्रावि नं. 2, कुचामनसिटी	01
25.	रा0प्रावि, भावतो	01
26.	रा0प्रावि, आनन्दपुरा	01
27.	रा0प्रावि, इन्दोखा	01
28.	रा0प्रावि, बरवाली	01
29.	रा0प्रावि, नोखाचान्दावता	01
30.	प्रावि, मोकाला	01
31.	राबसी0मावि, नागोर	01
	योग	31

परिशिष्ट–5

(अता. प्रश्न संख्या 935 की सूची)

(बिन्दु सं. 1 की सूची)

जिला—श्रीगंगानगर

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद	कार्यालय/विद्यालय का नाम
1.	श्री भाड़ासिंह, चश्रेक.	व0जिशिअ. कार्यालय, अनूपगढ़
2.	श्रीमतति कमला सूद, व.अ.	राबामावि, पदमपुर
3.	श्रीमति इन्द्राणी, स.अ.	राबा0प्रावि, 3 बी छोटी
4.	श्रीमती कमला त्रिपाठी, स.अ.	राबा0प्रावि, 3 बी छोटी
5.	श्री चिमनलाल, चश्रेक	रामावि, फेफाना
6.	श्री राजवीरसिंह, व.अ.	रामावि, झाम्बर
7.	श्री भगवानदास, व.अ.	रासी0मावि, रायसिंहनगर
8.	श्री बलराम, चश्रेक	रामावि, कोकरवाली
9.	श्री वीरसिंह, व.अ.	रा0प्रावि नं. 2, गंगानगर

जिला—झुन्झुनू

1.	श्री चेतराम, व.अ.	रामावि, मोड़की

270

2.	श्री पृथ्वीसिंह, व.अ.	रामावि, चांवरा
3.	श्री फूलचन्द वर्मा, व.अ.	रामावि, कावडीधीरसिंह
4.	श्री नाथूराम शर्मा, व.अ.	रामावि, खिरोड
5.	श्री हनुमान प्रसाद, व.अ.	रामावि, भोजासर
6.	श्री मनोहरलाल, व.अ.	राउप्रावि, घूमनसरकलां

जिला—चुरू

1.	श्री सुरेशचन्द्र हरिजन, चश्रेक	रामावि, महरी
2.	श्री राधाकिसन सैनी, स.अ.	रामावि, रतनपुरा
3.	श्री मोहनलाल, व.अ.	रामावि, राजपुरा
4.	श्री हरीरालाल, व.अ.	रामावि, रतननगर
5.	श्री किशनलाल, चश्रेक	रामावि, भानदा
6.	श्री गोपीचन्द, चश्रेक	रामावि, जैतपुरा
7.	श्री धर्मपाल सिंह, स.अ.	राउप्रावि, रावतसर कूजला
8.	श्री सूरतसिंह, स.अ.	राउप्रावि, बापेऊ
9.	श्री कृष्ण सोनी, स.अ.	राउप्रावि, पातलीसर
10.	श्री प्रहलादसिंह, स.अ.	राउप्रावि, घण्टेल
11.	श्री मोहनलाल, स.अ.	राउप्रावि, कल्याण

जिला—बीकानेर

1.	श्री मोहनलाल नाई, चश्रेक	रासीमावि, बीकानेर
2.	श्री मनोहरलाल, स.अ.	राउप्रावि नं. 3, बीकानेर

जिला—राजसमन्द

1.	श्री देवीलाल धोबी, प्र.स.	राउप्रावि, भावा
2.	श्री केशवलाल बुनकर, व.अ.	राउप्रावि, फूकरखेड़ा

जिला—चित्तौडगढ़

1.	श्री नाथूलाल, व.अ.	राबामावि, नीम्बाहेड़ा
2.	श्री विजयसिंह चौहान, शाशि	रासीउमावि, भागेला
3.	श्रीमती स्नेहलता सुखवाल, पुस्त.अ.	डाईट, चित्तौडगढ़
4.	श्री हुकमीचन्द माहेश्वरी, स.अ.	राउप्रावि सैक्टर नं4, निम्बाहेड़ा

जिला—बांसवाड़ा

1.	श्री देवीलाल भावसर, स.अ.	रा नूतन सीमावि, बांसवाड़ा
2.	श्रीमती हर्षलता, स.अ.	रामावि, सेनावास
3.	श्री डूंगर भोई, जमादार	जिशिअ (प्राशि), बांसवाड़ा

जिला—डूंगरपुर

1.	श्री सुखलाल सेवक, जमादार	रासीमावि, सरोड़ा
2.	श्री नानूलाल डण्डोर, का.स.	जिशिअ (छात्र) कार्यालय, डूंगरपुर
3.	श्री देवीसिंह, स.अ.	राउप्रावि, लोतवासा

4.	श्री नानूराम, व.अ.	राउप्रावि, भेमेई
5.	श्री जीवराम, स.अ.	राउप्रावि, धारवाड़ा
6.	श्री मोहनसिंह, स.अ.	वार्ड नं. 3, डूंगरपुर

जिला—उदयपुर

1.	श्री सुभाष कौशिक, स.अ.	रामावि, कमरपड़ा
2.	श्री मीणा च. खे. क.	रामावि, चेतारणा

जिला—बाड़मेर

1.	श्री मिसराराम, चश्रेक	रामावि, मोकलसर
2.	श्री आदाराम, चश्रेक	रामावि, राखी
3.	श्री गणेशीलाल, स.अ.	रामावि, होड
4.	श्री भैराराम, व.अ.	रामावि, धोरीमना

जिला—सिरोही

1.	श्री आसाकोकचा, स.अ.	राबासीउमावि, आनूपर्वत

जिला—पाली

1.	श्रीमती हर्दीप कौर, चश्रेक	राबामावि, मारवाड़ जंक्शन
2.	श्री बाबूलाल, व.अ.	राउप्रावि, पुनपयता, पाली
3.	श्री मूलदास, स.अ.	राउप्रावि नं. 3, बाली
4.	श्री रामलाल चौरासिया, अ.	सीमावि, नानावाली

जिला—जालौर

1.	श्री सेवाराम, चश्रेक	रासीबामावि, जालौर
2.	श्री बाबूलाल, व.अ.	प्रावि, रेल्वे स्टेशन, भीनमाल
3.	श्री चौथमल, चश्रेक	मावि, चित्रलुआना

जिला—अजमेर

1.	श्री जगदीश प्रसाद, व.अ.	सीमावि, अजमेर
2.	श्री मोटमल, चश्रेक	रामावि, मनोहरपुरा
3.	श्री रायसिंह पंवार, चश्रेक	सीमावि, लोटियाना
4.	श्री सूरतसिंह सानी, स.अ.	सिंधीहिन्दु धर्म मावि, अजमेर
5.	श्री प्रभुलाल, चश्रेक	उमावि, अलवर गेट
6.	श्री मनोहरसिंह, कलि	रामावि, काबरा
7.	श्री बोदसिंह, चेश्रक	रासीमावि, मसूदा
8.	श्री सरदारसिंह, स.अ.	राप्रावि, विजयनगर
9.	श्री भेरालाल, स.अ.	राप्रावि, कानिया
10.	श्री होतचन्द, प्र.अ.	राप्रावि, अजमेर
11.	श्री नारायण शंकर, स.अ.	राउप्रावि, चावंडिया
12.	श्री अमरसिंह, स.अ.	राप्रावि, बायला
13.	श्री रामधन, विकास अधिकारी	राप्रावि, मेहरूकलां

272

14.	श्री धन्नालाल पंचाल, स.अ.	राप्रावि, सांयला
15.	श्री केपी. सिंह, स.अ.	राप्रावि, तोपदड़ा
16.	श्री मूलचन्द शर्मा, स.अ.	राप्रावि, देवलीपाकलां
17.	श्री मालाराम, स.अ.	रासीउमावि, परासना

जिला—टोंक

1.	श्री मानसिंह, व.अ.	रासीमावि, छान
2.	श्रीमति भंवरी देवी, स.अ.	राउप्रावि, आदर्श देवली

जिला—भीलवाड़ा

1.	श्री कैलाशचन्द्र व्यास, स.अ.	रामावि, खामोर
2.	श्री मदनलाल गर्ग, चश्रेक	राउमावि, प्रतापनगर
3.	श्री गुलाबचन्द दरोगा, चश्रेक	रामावि, सांगानेर
4.	श्री भंवरसिंह चौहान, प्रशासे.	राउमावि, सहाड़ा
5.	श्री भंवरलाल गुर्जर, जमादार	रासीमावि, जहाजपुर
6.	श्री गणपतलाल शर्मा, चश्रेक	रामावि, मांडलगढ़
7.	श्री चांदमल पोरवाल, स.अ.	रामावि, कोट
8.	श्री मदनसिंह, चश्रेक	रामावि, रहड़

जिला—नागौर

1.	श्री गिरधारीसिंह, कलि.	उमावि, नावां
2.	~~श्री रामगोपालसिंह, व.अ.~~	~~रामावि, कयामसर~~
3.	श्री रूपाराम, शाशि.	रामावि, जाखेडा
4.	श्री बुद्धराज जोशी, चश्रेक	रामावि, हर्षोलाव
5.	श्री फसाराम, स.अ.	रामावि, कूदस
6.	श्री कृष्णाराव, व.अ.	राउमावि, डीडवाना
7.	श्री संगीतासिंह, स.अ.	रामावि, गोठण
8.	श्री सोहनसिंह, स.अ.	राउप्रावि, लाडनूं
9.	श्री इन्द्रराज गौड़, प्र.अ.	उप्रावि, कलस
10.	श्री अनिल कुमार, स.अ.	उप्रावि, बस्सी
11.	श्री वली मोहम्मद, स.अ.	राउप्रावि, कींगसरिया
12.	श्री गणेशलाल, शाशि	हरसौर उप्रावि
13.	श्री सहदेवसिंह, व.अ.	रामावि, मठोड़ीकुआ

जिला—बारां

1.	श्री गिरीराज रैगर, स.अ.	राउप्रावि, मऊ

जिला—बून्दी

1.	श्री जगदीशी बाई, चश्रेक	बासीमावि, बून्दी

जिला—झालावाड़

1.	श्रीमती अजीजा बेगम, स.अ.	राबासीमावि, झालावाड़

जिला—सवाई माधोपुर

1.	श्रीमती लाडबाई, चग्रेक	राबासकीमावि, करौली
2.	श्रीमती रामेश्वरी मथुरिया, चग्रेक	राबामावि, खण्डार

जिला—सीकर

1.	श्री चन्नीलाल गुप्ता, प्र.अ.	रामावि, बावड़ी
2.	श्री महेशचन्द्र माथुर, वलि.	रामावि, करड़
3.	श्री हरिपालसिंह, प्रधानाचार्य	रासीमावि, पाटन
4.	श्री भगवतीलाल, स.अ.	राउप्रावि, चैनपुरा
5.	श्री राधेश्याम तिवाड़ी, स.अ.	राउप्रावि, नीमका थाना
6.	श्री रामकुमार, स.अ.	राउप्रावि, वाजोर
7.	श्री ओमप्रकाश रैगर, स.अ.	राउप्रावि, ढाणीकागरलान

जिला—धौलपुर

1.	श्री कल्यणसिंह रावत, वलि.	रामावि, विरोधा
2.	श्री भीखाराम, प्र.अ.	राउप्रावि, कनासिल

जिला—अलवर

1.	श्री मानसिंह यादव, शाशि	रासीमावि, बहरोड
2.	श्री धर्मपाल मीणा, प्रधानाचार्य	रासीमावि, गोविन्दगढ़
3.	श्री दाजूराम, चग्रेक	रामावि, नांगलखोड़िया
4.	श्री धापूराम, स.अ.	राउप्रावि, बालेट
5.	श्री राजप्रसाद शर्मा, स.अ.	राउप्रावि, केरवाड़ा
6.	श्री विजयसिंह, स.अ.	राउप्रावि, रसगया
7.	श्री नारायणसिंह, स.अ.	राउप्रावि, रसगया

जिला—जयपुर

1.	श्री प्रवीण कुमार, स.अ.	राउप्रावि, लूणियावास
2.	श्री सूरजनारायण, स.अ.	राउप्रावि, गंगापोल
3.	श्री रामेहर शर्मा, स.अ.	राउप्रावि, शाहपुरा
4.	श्री रामगोपाल, व्या.	रासीमावि, गढ़वाली
5.	श्री चेतनसिंह, प्र.शा.स.	रामावि, सेहगी
6.	श्री शंकरलाल, चग्रेक	रामावि, मनोहरपुरा
7.	श्री अशोक महाजन, कलि	जिशिअ-प्रथम, जयपुर

जिला—दौसा

1.	श्री प्रकाशचंद्र बसेल, वलि	रासीमावि, मण्डावर
2.	श्री गोपाललाल टांक, वलि	रामावि, गढ़ हिम्मतसिंह
3.	श्री अर्जुनसिंह, चग्रेक	राबाउप्रावि, धनावड़

जिला—भरतपुर

1.	श्री बाबूलाल, स.अ.	राउप्रावि, दयापुरा

2.	श्री जगतावर सिंह, व.लि.	रामावि, हेडलीगड़ा
3.	श्री नेताराम, स.अ.	रामावि, नोनेरा
4.	श्री छैलबिहारी शर्मा, स.अ.	रामावि, रारह

जिला—जोधपुर

1.	श्रीमती सावित्री सोलंकी, स.अ.	राबाउप्रावि, उदयमंडी
2.	श्री मोहमन्द ताहिर, उप-प्रधाना.	डाईट, जोधपुर
3.	श्री हरिशंकर, शाशि	रामावि, लूणावासकलां
4.	श्री मकनाराम, चश्रेक	रासीमावि, लोहावट
5.	श्रीमती कृष्णाकासरा, स.अ.	राप्रावि, चौपासनी
6.	श्री अमरसिंह, चश्रेक	उप्रावि, विनयमण्डी

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 937 की सूची)

(बिन्दु संख्या - 01 की सूची)

ख (4) चयन प्रणाली :

(अ) चयन समिति के सदस्य परिशिष्ट (6) में अंकन कार्य (मार्किंग) स्वयं करेंगे।

(आ) योग्यता अंक—

(1) माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशित (जो भी अधिक हो) निकाला जाए।

(2) प्रशिक्षण योग्यता के समस्त अंकों का प्रतिशत निकाला जाए।

(3) उक्त दोनों (ख) (4) आ (1) व (2) प्रतिशतों का औसत निकाला जाए जिसे आधार अंक कहा जाएगा।

नोट— (1) योग्यता के अंकों का प्रतिशत निकालते समय उन विषयों को सम्मिलित नहीं किया जाए जिन पर श्रेणी (डिवीजन) नहीं दी जाती।

(2) इण्टर परीक्षा, अंक निर्धारण में उच्च माध्यमिक स्तर से ऊंची नहीं मानी जाएगी।

(3) पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा में जिस विषय में पूरक परीक्षा योग्यता घोषित किया गया है, उस विषय के मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक हटाकर पूरक परीक्षा के जो अंक प्राप्त हो, वे गिने जाए।

(बिन्दु संख्या - 02)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान को विवरणिका परीक्षा, 1995 के अध्याय-16 के पृष्ठ-22 पर बिन्दु संख्या 20 निम्न प्रकार हैं—

(1) बोर्ड की सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी (अमादमिक) तथा प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा अथवा उच्च परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् पूर्व में लिये गये विषयों में से किसी या किन्हीं विषयों में प्राप्तांकों में सुधार हेतु अथवा पूर्व में लिए गए विषयों एवं वर्ग में श्रेणी सुधार के लिये बैठने हेतु छात्रों को नियमित अथवा स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या : 946 की सूची

बिन्दु संख्या : 1 का विवरण

	विद्यालय का नाम	जिला	आवंटित प्रयोगशाला सहायक (ग्रेड-II) की संख्या
1	2	3	4
1.	रासीउमावि, चूरू	चूरू	02
2.	" गोयनका, चूरू	,,	01
3.	" पी. सी. बी. सुजानगढ़	,,	01
4.	" रतनगढ	,,	01
5.	" श्रीडूंगरगढ	,,	01
6.	" झुंझनू	झुंझनू	02
7.	" बिसाऊ	,,	01
8.	" माणक चौक, जयपुर	जयपुर	03
9.	" मोती कटला, जयपुर	जयपुर	03
10.	" आदर्श नगर, जयपुर	जयपुर	03
11.	" पोद्दार, जयपुर	जयपुर	02
12.	" दरबार, जयपुर	जयपुर	02
13.	" विराट नगर, जयपुर	जयपुर	02
14.	" कल्याण, सीकर	सीकर	03
15.	" रींगस	सीकर	02
16.	" दौसा	दौसा	03
17.	" बांदीकुई	दौसा	02
18.	" भरतपुर	भरतपुर	02
19.	" डीग	भरतपुर	02
20.	" धौलपुर	धौलपुर	02
21.	" बाड़ी	धौलपुर	01
22.	" अलवर	अलवर	02
23.	" नवीन, अलवर	अलवर	02

1		2	3	4
24.	"	राजगढ़, अलवर	अलवर	02
25.	"	खैरथल	अलवर	03
26.	"	नवीन, जोधपुर	जोधपुर	02
27.	"	गांधी, जोधपुर	जोधपुर	01
28.	"	भटियाना, जोधपुर	जोधपुर	01
29.	"	फलौदी	जोधपुर	02
30.	"	बागड, पाली	पाली	03
31.	"	सोजत सिटी	पाली	01
32.	"	मारवाड जं.	पाली	01
33.	"	सुमेरसिंह	पाली	02
34.	"	जैतारण	पाली	01
35.	"	सादडी	पाली	01
36.	"	बाडमेर	बाडमेर	03
37.	"	बालोतरा	बाडमेर	01
38.	"	जैसलमेर	जैसलमेर	02
39.	"	पोकरण	जैसलमेर	01
40.	"	जालौर	जालौर	03
41.	"	सिरोही	सिरोही	02
42.	"	शिवगंज	सिरोही	01
43.	"	तोपदडा, अजमेर	अजमेर	02
44.	"	मो. ई. अजमेर	अजमेर	01
45.	"	आसवाल, अजमेर	अजमेर	02
46.	"	जवाहर, अजमेर	अजमेर	02
47.	"	पटेल, ब्यावर	अजमेर	02
48.	"	टोंक	टोंक	03
49.	"	निवाई	टोंक	01
50.	"	प्रतापनगर, भीलवाड़ा	भीलवाडा	03
50.	"	राजेन्द्र मार्ग, भीलवाड़ा	भीलवाडा	03
52.	"	नागौर	नागौर	03

1		2	3	4
53.	"	कुचामनसिटी	नागौर	01
54.	"	मकराना	नागौर	01
55.	"	भीमगंज मण्डी	कोटा	02
56.	"	रामपुरा	कोटा	02
57.	"	रामगंज मंडी	कोटा	03
58.	"	गुमानपुरा	कोटा	03
59.	"	बांरा	बांरा	02
60.	"	अन्ता	बांरा	01
61.	"	ववड़ी	बांरा	02
62.	"	बून्दी	बून्दी	03
63.	"	केशोरायपाटन	बून्दी	02
64.	"	झालरापाटन	झालावाड़	01
65.	"	भवानीमंडी	झालावाड़	02
66.	"	सवाई माधोपुर	स. माधोपुर	02
67.	"	करौली	स. माधोपुर	02
68.	"	उदयपुर (कंवरपदा)	उदयपुर	02
69.	"	गुरू गोविन्द सिंह	उदयपुर	02
70.	"	फतह उदयपुर	उदयपुर	01
71.	"	राजसमन्द	राजसमन्द	02
72.	"	नाथद्वारा	राजसमन्द	02
73.	"	चित्तौड़गढ	चित्तौड़गढ	01
74.	"	बड़ी सादड़ी	चित्तौड़गढ	02
75.	"	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ	01
76.	"	ब्यावर	अजमेर	03
77.	"	पुष्कर	अजमेर	03
78.	"	किशनगढ़	अजमेर	02
79.	"	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	02
80.	"	शाहपुरा	भीलवाड़ा	01
81.	"	नागौर	नागौर	02

278

1	2	3	4
82.	" टोंक	टोंक	01
83.	रामहाबासीउमा, जयपुर	जयपुर	02
84.	राबासीउमावि., गांधीनगर	जयपुर	03
85.	" बनीपार्क	जयपुर	03
86.	" आदर्शनगर	जयपुर	02
87.	" सांगानेर	जयपुर	03
88.	" एस.बी.के.	भरतपुर	01
89.	राबासीउमावि., बयाना	भतरपुर	03
90.	" धौलपुर	धौलपुर	04
91	" दौसा	दौसा	03
92.	" मारू, सीकर	सीकर	04
93.	रा.महा. बासीउमावि, बीकानेर	बीकानेर	04
94.	राबासीउमावि., दयानन्द मार्ग	बीकानेर	01
95.	" बारागुवाहड़	बीकानेर	03
96.	" गंगानगर	गंगानगर	04
97.	" रायसिंह नगर	गंगानगर	03
98.	" नोहर	गंगानगर	01
99.	" भादरा	गंगानगर	01
100.	" राजमहल	जोधुपर	03
101.	" किशान कन्या	जोधपुर	04
102.	" जालौरी गेट	जोधपुर	04
103.	" पाली	पाली	04
104.	" सिरोही	सिरोही	03
105.	" बाड़मेर	बाड़मेर	01
106.	" बालोतरा	बाड़मेर	01
107.	" रामपुरा कोटा	कोटा	01
108.	" भीमंडी	कोटा	03
109.	" रामगंजमण्डी	कोटा	02
110.	" बांरा	बांरा	02

1	2	3	4
111.	" बून्दी	बून्दी	03
112.	" झालावाड़	झालावाड़	03
113.	" गंगापुर सिटी	स. माधोपुर	03
114.	" करौली	करौली	03
115.	" रेजीडेन्सी	उदयपुर	03
116.	" जगदीश चौक	उदयपुर	02
117.	" राजसमन्द	राजसमन्द	02
118.	" देवगढ	राजसमन्द	02
119.	" चितौड़गढ	चितौड़गढ	03
120.	" प्रतापगढ	चितौड़गढ	02
121.	" एस.एन.डी	अलवर	02
122.	रामावि, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	02
123.	" नगर बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	03
124.	" खान्दु कालोनी	बांसवाड़ा	02
125.	रासीमावि., पहरावतल	डूंगरपुर	03
126.	" पुर्नवास कॉलोनी	डूंगरपुर	02
127.	" महीपाल सामवाड़ा	डूंगरपुर	02
128.	" फतह उदयपुर	उदयपुर	02
129.	" (बालिका) बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	03
130.	" डूंगरगढ़	डूंगरगढ़	03
131.	" सलूम्बर	उदयपुर	—
132.	" रेजीडेन्सी	उदयपुर	02
133.	" जगदीश चौक	उदयपुर	02
134.	" (छात्र) मिर्जेवाली	गंगानगर	—
135.	" पीलीबंगा	गंगानगर	—
136.	" गंगानगर	गंगानगर	02
137.	" हनुमानगढ़	गंगानगर	03
138.	" रायसिंहनगर	गंगानगर	03
139.	" सूरतगढ़	गंगानगर	02

280

1		2	3	4
140.	"	अनूपगढ़	गंगानगर	02
141.	"	विजयनगर	गंगानगर	02
142.	"	छत्तरगढ़	बीकानेर	–
143.	"	फोर्ट	बीकानेर	02
144.	"	सादुल	बीकानेर	02
145.	"	एम. एम.	बीकानेर	02
146.	"	चौपड़ा	बीकानेर	02
147.	"	नापासर	बीकानेर	02
148.	"	देशनोक	बीकानेर	02

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-947 की सूची)

परिशिष्ट (अ)

1. आसिन्द को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., आसिन्द

1. सदस्य संख्या :

	सदस्य संख्या	हिस्सा राशि
(क) व्यक्तिगत कृषक	1632	1,78,000 रुपये
(ख) सहकारी संस्थाएँ	54	60,400 रुपये
(ग) ग्रामीण पंचायते	34	37,200 रुपये

2. संचालक मण्डल—दिनांक 28-5-82 को

राज्य सरकार द्वारा मनोनीत

1.	जिलाधीश, भीलवाड़ा	अध्यक्ष
2.	पंजीयक सहकारी विभाग, राजस्थान	सदस्य
3.	उपशासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	श्री नानूराम कुमावत तत्कालीन विधायक, आसिन्द	सदस्य
5.	श्री मुश्ताक अहमद	सदस्य
6.	श्री औंकार गूजर	सदस्य
7.	श्री सोहनलाल काल्ह	सदस्य
8.	श्री मानसिंह रावत	सदस्य
9.	श्री प्रेमा बलाई	सदस्य
10.	श्री चतुर्भुज शर्मा	सदस्य
11.	श्री उगम लाल जाट	सदस्य
12.	प्रबन्ध संचालक	पदेन सदस्य

2. मांडलगढ अपर माल किसान सहकारी वनस्पति मिल्स लि.

1. सदस्यता	संस्था सं.	हिस्सा राशि
(अ) सहकारी समितियाँ	22	32,100
(ब) व्यक्तिगत कृषक	636	92,600
(स) ग्राम पंचायत	3	3,000
(द) राज्य सरकार	1	1,00,000
	662	

2. संचालक मण्डल

राज्यादेश दिनांक 21.1.84 के द्वारा निम्न संचालक मण्डल गठित किया गया है—

1.	श्री राजेन्द्र कुमार चारू	अध्यक्ष
2.	श्री नाथू लाल पान्डीया	सदस्य
3.	श्री हरफूल यादव	सदस्य
4.	श्री कन्हैया लाल साड	सदस्य
5.	श्री कृष्ण गोपाल सोनी	सदस्य
6.	श्री मुन्शी अब्दुल हकीम	सदस्य
7.	श्री कन्हैया लाल सोमाणी	सदस्य
8.	श्री हफीज मोहम्मद	सदस्य
9.	पंजीयक, सहकारी समितियाँ, राजस्थान	सदस्य
10.	उप शासन सचिव वित्त विभाग राजस्थान	सदस्य
11.	जिलाधीश, भीलवाड़ा	सदस्य
12.	जनरल मैनेजर (प्रोजेक्ट) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि.,	

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 952 की सूची)

परिशिष्ट—अ

धन दुरुपयोग के प्रस्तावित मामलों पर की जा रही कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	आडिट रिपोर्ट पैरा संख्या	राशि	कार्यवाही विवरण
1	2	3	4

282

1.	17.1.1	158744.00	संस्था द्वारा आम सभा दिनांक 21.3.95 में आडिट-रिपोर्ट वर्ष 1993-94 की अनुपालना कर दी गई है तथा-सामान्य से अधिक खाद विक्रय रिबेट राशि= 158744.00 की पुष्टि कर दी गई हैं। यह खाद विक्रय समिति के कार्यक्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को किया गया है।
2.	17.1.6	68855.00	संस्था के सदस्यों को 48855.00 रुपये के उपहार बगैर रजिस्ट्रार की स्वीकृति के दिये गए। जिसकी क्षेत्रीय अंकेक्षक, सहकारी समितियाँ, कोटा द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के तहत कार्यवाही हेतु गठित कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखा गया है। कमेटी की आगामी बैठक दिनांक 23-5-95 निश्चित की गई हैं। जिसमें लिए निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।
3.	17.4.2	8000.00	संचालक मण्डल के प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 22.1.94 से संस्था में 5 कर्मचारियों को एक्सग्रेसिका भुगतान का निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव को उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, कोटा द्वारा अपखण्डित कर राशि वसूली के निर्देश दिये जा चुके हैं।

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-954 का विवरण)

परिशिष्ट—अ

जयपुर शहर जयपुर के कार्यक्षेत्र में पंजीकृत ग्रुप हाऊसिंग को-आपरेटिव सोसायटी की सूची

क्र.सं.	नाम समिति	पंजीयन संख्या	दिनांक
1	2	3	4
1.	अपोलो ग्रुप गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	132/एल.सी.	31.5.91
2.	जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी ग्रुप हाऊसिंग सहकारी समिति लि., जयपुर	98/एल.सी.	8.11.88
3.	जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया आफिसर्स ग्रुप हाऊ. को. आप. सोसायटी लि., जयपुर	91/एल.सी.	10.8.88
4.	बैंक ऑफ राजस्थान एम्पलाइज ग्रुप हाऊसिंग को-आप. सोसायटी लि., जयपुर	60/एल.सी.	13.1.88

1	2	3	4
5.	मॉडल ग्रुप गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर	54/एलसी.	3.11.87
6.	वृन्दावन ग्रुप गृह निर्माण सहकारी समिति लि. विद्याधर नगर योजना, जयपुर	70/एलसी.	24.2.88
7.	आरएसईबी. आफिसर्स ग्रुप हाऊसिंग को-आप. सोसायटी लि., जयपुर	3442/एल	23.1.85
8.	स्वास्तिक ग्रुप हाऊसिंग को-आप. सोसायटी लि. जयपुर	3456/एल	4.4.85

परिशिष्ट-ब

ग्रुप हाऊसिंग सहकारी समितियों की आडिट की स्थिति

क्र.सं.	नाम समिति	वर्ष जहां तक का आडिट किया जा चुका है
1.	अपोलो ग्रुप गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	93-94
2.	जयपुर विकास प्राधिकरण एम्प. ग्रुप हाऊसिंग सहकारी समिति लि.	93-94
3.	वृन्दावन ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी	93-94
4.	जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया	87-89
5.	मॉडल ग्रुप हाऊसिंग	89-90
6.	आरएसईबी. आफिसर्स	87-89
7.	स्वास्तिक ग्रुप हाऊसिंग	86-87
8.	दी बैंक ऑफ राजस्थान एम्पलाइज	87-89

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-962 का विवरण)

परिशिष्ट—क

वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण

क्र.सं.	नाम आवेदक	
1.	श्रीमती शशि वैष्णव	ग्राम सालावास
2.	श्री भंवर लाल पुत्र श्री नेनूराम	ग्राम सालावास
3.	श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह	जोधपुर
4.	मैसर्स मालानी कंस्ट्रक्शन	जोधपुर

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 964 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding herein-after referred to as the 'MOU' is made this day

BETWEEN

The Government of Rajasthan a constituent State of the Union of India with the Capital at Jaipur, hereinafter referred to as the 'GOR' on the first part.

AND

RPG Enterprises, Duncan House, 31 N.S. Road, Calcutta 700001 on the seoncd part "Hereinafter referred to as Company" which expression shall, unless excluded by or repugnant to the subject or context include its successors and assigns.

WHEREAS GOR IS contemplating structural reform in the power sector by ancouraging privatisation of genearation and whereas the Company has approached the GOR to investigate the prospects of setting up a power station at Dholpur with a view to supply bulk power to Rajasthan States Electricity Board (RSEB) as a generating company.

NOW THEREFORE, the parties hereto have agreed to the following :

1. GOR/RSEB agrees to allow the Company to investigate the prospects of establishing a 700/750 MW Napthat (or any other alternative fuel) based Generating Station in Dholpur area of Rajasthan.
2. The Company will be responsible for obtaining clearance from the Ministry of Environment & Forests (MOEF) Government of India for setting up this power project. The State Government will assist the company in octaining the clearance.
3. The Company will look into the source from where the plant and equipment for the proposed power project will be procured.
4. The Company will work out the tentative cost of the project.
5. The Company will be responsible for obtaining Naptha required for the proposed power station. If required, the GOR will assist the Comapny in doing so.
6. The Company, after obtaining the terms and conditions

including the price for supply of Naptha, will work out the cost at which energy will be supplied to RSEB.

7. The Company, is allowed to operate as a distributing licence in some areas of Rajasthan will be permitted to use part of its generation for distribution in the said areas. For transmission of power in bulk from the Generating Station to these areas, it may be necessary to use RSEB network for which Company will agree to pay the necessary wheeling charges and wheeling losses.
8. The Company will obtain all necessary clearances/permits from the Government of India. If required the GOR will assist the Company in doing so.
9. The Company will take necessary steps so as to complete the feasibility study by 15th April 1994, or to such extended time as agreed to by mutual consent A formal proposal will be submitted thereafter.
10. The GOR/RSEB shall not entertain any application by other parties to investigate the prospect of setting up Dholpur Power Station during the validity of this MOU.
11. Neither party shall be liable for any failure to carry out the terms of this MOU because of force majeure.
12. This MOU or any benefit accuring hereunder shall not be assigned by any party without the prior consent of the other.
13. The company shall meet all its expenses for carrying out investigations.
14. Both parties agree not to divulge the contents of this MOU to any Third Party.
15. This MOU may be modified by mutual consent.
16. This MOU shall be governed by the laws of Rajasthan and India. Accordingly nothwith standing anything here above contained, the porvision of the MOU shall be construed as subject to but not in derogation of the provisions of the Electricity Act, 1910 and the Electricity (Supply) Act, 1948.
17. The Chief Minister of Rajasthan shall have the right to turn down the proposal to be submitted by the Company after completing the feasibility study.
18. IN WITNESS AFFIRMATION AND EXECUTION WHEREOF the parties have hereunder set and subscribed their

(28)

respective hands and seals on 17th February, 1994.

WITNESS	On behalf of RSEB	On Behalf of GOR
Sd/-	Sd/-	Sd/-
(A.MUKHERJEE)	(R.C. DAVE)	(RAKESH HOOJA)
CHIEF GENERAL MANAGER GESE LIMITED	Chairman, RSEB	Secretary, Energy

On behalf of Company
Sd/-
(P.B. GHOSH)
DIRECTOR
RPG ENTERPRISES

परिशिष्ट—13
(अतारांकित प्रश्न संख्या 965 की सूची)

प्रपत्र "अ"

विचाराधीन कृषि कनेक्शन प्रार्थना-पत्रों की सूची जिनको मांग पत्र जारी नहीं किये गये है।

क्र. सं.	नाम	ग्राम का नाम	आवेदन तिथि
1	2	3	4
1.	श्री बाबूलाल/जमदीश मीणा	हिरापुर (करवर)	26-12-88
2.	श्री हजारी/पन्ना मीणा	,,	,,
3.	श्री बद्री/बाबू मीणा	,,	,,
4.	श्री छीतर/गनपत मीणा	,,	,,
5.	श्री प्रभू/राम कुमार मीणा	,,	24-3-92
6.	श्री कन्हैया लाल/माधो माली	कुम्हारिया	7-5-90
7.	श्री कैशरा/हजारी मीणा	,,	,,
8.	श्री गोपाल/रामगोपाल माली	,,	,,
9.	श्री रामकरण/हरदेव नाथ	,,	,,
10.	श्री बजरंगा/कल्याण माली	,,	,,
11.	श्री किशना/नारायण माली	,,	,,
12.	श्री काल्या/ग्यारसा माली	,,	,,
13.	श्री हरनारायण/रंगा गोधा	काशीपुरा	1-2-92
14.	श्री रामपाल/धन्ना मीणा	,,	,,
15.	श्री रामफूल/जन्शी मीणा	,,	,,
16.	श्री मोती लाल/डल्ला मीणा	,,	,,
17.	श्री हाथीड़ा/हेमराज मीणा	,,	,,

1	2	3	4
18.	श्री केशरा/भागूता मीणा	,,	,,
19.	श्री शोजी/सावंला मीणा	,,	,,

प्रपत्र "ब"

उन आवेदकों की सूची जिन्होंने रिहायशी (DOM) कनेक्शन लेने के लिये मांग पत्रों की राशि जमा करवा रखी है, परन्तु कनेक्शन अभी तक नहीं हुये है।

क्र.सं.	नाम	ग्राम	मांग पत्र जमा कराने की तिथि
1.	प्रेम शंकर/लक्ष्मीनारायण	कुम्हारिया	21.9.92
2.	देवी लाल/श्री लाल जाट	,,	,,
3.	छीतर/बैजनाथ जाट	,,	,,
4.	ब्रजमोहन/बजरंग मीणा	,,	,,
5.	शौजी/चुन्नी लाल बैरवा	,,	,,
6.	बजरंग/मांगी लाल बैरवा	,,	,,
7.	कालू/मांगी लाल बैरवा	,,	,,
8.	रामलाल/बरधी बैरवा	,,	,,
9.	अमरा/बरधा बैरवा	,,	,,
10.	मोती/स्योनारायण गुजर	,,	,,
11.	शौजी/बन्दा बैरवा	,,	,,

नोट—हिरापुर एवं काशीपुरा में कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है।

प्रपत्र "स"

उन कृषि कनेक्शनों की सूची जिनके मांग पत्र की राशि तो जमा हो चुकी है। परन्तु कनेक्शन अभी तक नहीं हुये है।

क्र.सं.	नाम	ग्राम	मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि
1	2	3	4
1.	देवी लाल/श्री लाला जाट	कुम्हारिया	9.3.89
2.	हनुमान सिंह/मोहन सिंह	कुम्हारिया	1.9.93

नोट—ग्राम कासीपुरा एवं हिरापुर में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं है।

288

प्रपत्र "द"

उन व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने मकानों के कनेक्शनों के लिये मांग पत्र की राशि तो जमा करा दी थी, लेकिन समयावधि में "एल" फार्म प्रस्तुत न करने के कारण उनके प्रार्थना पत्र रद्द कर दिये गये है।

क्र. सं.	नाम	ग्राम	मांग पत्र जमा कराने की तिथि	रद्द करने की जो सूचना दी गई उसके क्रमांक व दिनांक	
1.	जय किशन/रंग लाल मीणा	काशीपुरा	10.9.92	1038	30.9.93
2.	शोराज/मोती राम मीणा	,,	,,	1042	,,
3.	प्रहलाद/हेमराज मीणा	,,	,,	1127	,,
4.	शोराज/रामपाल मीणा	,,	,,	1067	,,
5.	प्रहलाद/भागूता मीणा	,,	,,	1030	,,
6.	बद्री/जन्शी मीणा	,,	,,	1128	,,
7.	जयराज/जन्शी मीणा	,,	,,	1041	,,
8.	लड्डू/हेमराज मीणा	,,	,,	1040	,,
9.	बाबूलाल/सुवालाल मीणा	,,	,,	1039	,,
10.	राजाराम/धन्ना मीणा	,,	,,	1032	,,
11.	गिरिराज/धन्ना मीणा	,,	,,	1129	,,
12.	रामप्रसाद/मोती लाल मीणा	,,	,,	1033	,,
13.	रामफूल/जन्शी मीणा	,,	,,	1034	,,
14.	हरनारायण/रंगा मीणा	,,	,,	1035	,,
15.	शौजी/सावला मीणा	,,	,,	1036	,,
16.	शौजी/रंगा मीणा	,,	,,	1037	,,

परिशिष्ट—14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-968 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

कोयला व लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं की प्रगति

(1) कोटा तापीय विद्युत परियोजना चतुर्थ चरण (210 मे. वा.)

कोटा तापीय विद्युत गृह पर चतुर्थ चरण में 210 मे. वा. की एक इकाई लगाने की योजना है जिसके लिए भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स ने परियोजना प्रतिवेदन बना दिया है जिसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 24-7-94 को तकनिकी- आर्थिक स्वीकृति के लिये भेजा है। राष्ट्रीय पर्यावरण

भियांत्रिकी अनुसंधान (नीरी) को पर्यावरण प्रभाव के अध्ययन का आदेश दे दिया गया है जो जुलाई, 95 में पूर्ण होने की आशा है।

2) चित्तौड़गढ़ तापीय विद्युत परियोजना (1 × 500 मे.वा)

वर्ष 1988 में मैं. सेन्चुरी टेक्सटाईल लि. को राज्य सरकार ने कोयला आधारित विद्युत गृह स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया था। अब तक इससे संबंधित विभिन्न लम्बित मसलों को निपटा लिया गया है। इस परियोजना का प्रतिवेदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा भेजा गया है। स्वीकृति अपेक्षित है।

3) धौलपुर तापीय विद्युत परियोजना (2 × 350 मे.वा.)

17 फरवरी, 1994 को एक निजी कम्पनी मै. आर.पी.जी. एन्टरप्राइजेज से धौलपुर में 700/750 मे.वा. तापीय विद्युत गृह का संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। कम्पनी ने 2 × 350 मे. वा. का परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में विद्युत मण्डल द्वारा आर.एफ.पी. व अन्य दस्तावेज कम्पनी को भेज दिए गए हैं। कम्पनी से 28-2-95 तक अपना अंतिम निविदा प्रस्ताव भेजने को कहा था जो कि प्राप्त हो गया है परन्तु इस सम्बन्ध में कम्पनी ने 6 करोड़ रुपये की अमानत राशि नहीं जमा कराई है। कम्पनी को अमानत राशि जमा कराने के लिए लिखा गया है।

(4) (अ) सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना चरण–1 (2 × 250 मे.वा.)

इस परियोजना की प्रथम इकाई का कार्य प्रगति पर है। तथा मार्च, 97 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है तथा द्वितीय इकाई उसके एक वर्ष बाद चालू होने की सम्भावना है।

(4) (ब) सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना चरण–11 (2 × 250 मे.वा.)

इस सम्बन्ध में निजी कम्पनियों से निविदायें मांगी गई थी व निम्नलिखित छः कम्पनियों को विस्तृत प्रस्तावों के लिए चुना गया है—

1. स्मीड एण्ड विल्किन्सन
2. बोम्बे सबअर्बन इलैक्ट्रिक सप्लाई लि.
3. इन्वायरनमेन्टल पावर इंक
4. लुपिन लेवोरेटरी लि.
5. आई.टी.सी.लि.
6. एस्टकोटर्स लि.

इन कम्पनियों से अंतिम मूल्य निविदा प्राप्त करने की तिथि 31-5-95 निर्धारित की गई है।

(5) बरसिंहसर लिग्नाइट पर आधारित मय खनन तापीय परियोजना (2 × 240 मे.वा.)

इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये विश्वस्तरीय निविदाएं आमंत्रित की गई थी व निम्न कम्पनियों को विस्तृत प्रस्ताव के लिए चुना गया था—

1. हिन्दुस्तान डवलपमेन्ट कारपोरेशन
2. स्नीड एण्ड विल्किन्सन
3. आर.पी.पी. एन्टरप्राईजेज
4. इलैक्ट्रीम
5. बेस्ट पावर
6. एबी.सी.

अन्तिम निविदाऐं 7-4-95 को खोली गई। चार पार्टियों ने निविदाएं भेजी हैं जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

(6) बाडमेर जिले में जालिया (4 × 240 मे.वा.) व कापुर्डी (2 × 250 मे.वा.) में लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत परियोजनाएँ

उपरोक्त परियोजनाओं के लिये प्रिक्वालिफिकेशन निविदाऐं आमंत्रित की गई थी व छः पार्टियों ल्युपिन लेब्स, एच.डी.सी. बोम्बे डाइंग, स्नीड एण्ड विल्किन्सन, बेस्ट पावर व बाम्बे सब अर्बन इलैक्ट्रीक सप्लाई क. का चयन किया गया है। ई.आई.एल. से जो कि इस सम्बन्ध में सलाहकार का कार्य कर रहा है ने इस चयनित कम्पनियों को भेजने के लिये आर.एफ.पी. प्रपत्र तैयार करके भेज दिया है जिन्हें उपरोक्त कम्पनियों को भेज दिया गया है। तथा पी.पी.ए. व आई.ए. दस्तावेज तैयार किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 971 का विवरण)

प्रपत्र "अ"

Extract of the rule No. 6 taken from the RSEB Employees Conduct Regulation, 1976.

6. Taking part in politics and elections :—

1. No employee shall be a member of or be otherwise associated with, any political party or any organisation which takes part in Politics nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner in any political movement or activity.

(2) It shall be the duty of every employee to endeavour to prevent any member of his family from taking part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner any movement or activity which is, or tends directly or indirectly to be, subvarsive fo the Government as by law established and where and employee is unable to prevent a member of his family from taking part in, or subscribing in aid of or assisting in any other manner, any suchmovement or activity, he shall make a report to that effect to the Board.

(3) If any quesion arises whether a party is apolitical party or whether any organisation takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of sub-rule (2), the decision of the Board thereon shall be final.

(4) No employee shall canvass or otherwise interfere with or use hsi influence in connection with, or take part in, an election to any legislature or local authority provided that ;

(i) an employee qualified to vote at such election may exercise his right to vote but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted ;

(ii) an employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this rule by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

Explanation : The display by an employee on his person, vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election, within the meaning of this sub-rule.

Note :

(i) An employee who has reason to believe that attempts are being made to induce him to break the provisions of this rule by or on behalf on an official superior or superiors shall report the facts to the Board.

(ii) Proposing or seconding the nomination of a candidate at an election or acting as a polling Agent shall be deemed as an active participation in the election.

परिशिष्ट-16 परिशिष्ट-क

(अतारांकित प्रश्न संख्या 983 का विवरण)

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर

दिनांक 7.2.95 की निविदा में वर्णित बीज की आपूर्ति हेतु नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी

1. सफल निविदाता को आर्डर जारी होने से पहले निर्धारित समय में कुल माल की 5% धरोहर राशि मुख्यालय में जमा करानी होगी और उसके पश्चात् ही आदेशानुसार माल की आपूर्ति करनी होगी।
2. निविदाता को माल की डिलीवरी आदेश में बताये अनुसार निगम के गन्तव्य (एफ.ओ.आर.) स्थान पर ही करनी होगी।
3. फसल जिनके प्रमाणित बीजों की आवश्यकता है वे इस प्रकार हैं—

क्र. सं.	फसल का नाम	मात्रा (क्विं)
1.	बाजरा	3,000
2.	मूँग	1,000
3.	कपास	10,000
4.	अन्य बीज	

इजराइल बबूल, देशी बबूल, शू-बबूल, नीम, सिरस, खेजड़ी, शीशम, अरडू, आंवला, खैर, बोरड़ी, खोंप, कुमड़ा, अरण्डी, तुम्बा।

4. निविदाता द्वारा बतायी गई दरें दिसम्बर, 95 तक मान्य होगी साथ ही ये दरें सभी प्रकार के कर, जो भी देय हैं सम्मिलित करते हुये होगी।
5. निविदाता को दिये गये आर्डर की तिथि से 15 दिवस के अन्दर-अन्दर बीजों की आपूर्ति करनी होगी। तथा बीज की आपूर्ति करने की अधिकतम अवधि देरी सहित 18 दिवस से अधिक नहीं होगी, देरी के लिए आपूर्ति की गये माल की कीमत का एक प्रतिशत राशि जुर्माने के रूप में वसूल की जावेगी, इसके पश्चात् ऐसे केस में उसकी धरोहर राशि जब्त कर आर्डर दूसरे सफल निविदादाता को दे दिया जावेगा और उस पर होने वाले अतिरिक्त रकम की वसूली पहले निविदादाता से की जावेगी।
6. सप्लाई किये गये बीज की कुल रकम का 75 प्रतिशत गंतव्य स्थान से माल की प्राप्ति की पृविष्टि के आधार पर व शेष 25 प्रतिशत इनके संतुष्टि रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया

जावेगा। इस सम्बन्ध में विपरीत रिपोर्ट प्राप्त होने पर धरोहर राशि व शेष बची राशि जब्त कर ली जायेगी। बीजक में आपूर्ति किये गये बीज की लॉट संख्या अंकित करनी होगी तथा तथा बीज परीक्षण रिपोर्ट प्रति भी संलग्न करनी होगी। बीज की आपूर्ति आर.एस.एस.सी. के पैकिंग में ही की जाकर आपूर्ति करनी होगी।

7. प्रत्येक निविदा के साथ कुल माल की 2 प्रतिशत राशि या अधिकत 10,000/- रु. अमानत राशि के रूप में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट, को राज. स्टेट सीड्स कार्पो. लि., जयपुर के नाम सेदेय हो, भेजना जरूरी है, इसके अभाव में निविदा निरस्त समझी जावेगी।

8. फसलवार विभिन्न किस्मों की उपलब्ध करायी जाने वाली मात्रा का अलग से उल्लेख करें।

9. बीजों की उपलब्धता फसल के सामने दर्शायी गयी पैकिंग में करायी जायेगी :—

क्र. सं.	फसल का नाम	किस्म का नाम	पैकिंग साईज (किलो में)
1.	बाजरा	समस्त वांछित किस्में	3
2.	मूँग	” ”	4
3.	कपास	” ”	20
4.	अन्य बीज	आवश्यकतानुसार आपूर्ति आदेश में दर्शायी जायेगी।	

10. सप्लाई किये जाने वाले बीज की किस्म का एक नमूना भी निविदा के साथ उपलब्ध कराना होगा तथा संबंधित फसल का साहित्य, जिसमे शष्य क्रियाऐं तथा उर्वरक, इंसेक्टीसाईड, पेस्टीसाईड आदि की सिफारिशें तथा उत्पादन का पूर्ण विवरण दो प्रतियों में दें।

11. सशर्त निविदाऐं स्वीकार्य नहीं होगी, साथ ही किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत करने या न करने का अधिकार प्रबंध निदेशक को होगा।

12. बीज उत्पादक को बीज की उपलबधता के साथ बीज परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी।

हमने उपरोक्त शर्तों का अध्ययन कर लिया है और उनसे अपनी सहमति प्रकट करते हैं।

निविदाता के हस्ताक्षर ______

मय सील ______

294

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 987 का विवरण) (परिशिष्ट-अ)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली

ग्राम पंचायत	गाँव	पीने के पानी का साधन
1	2	3
कुलयाना	राखाणा	वायद उच्च जलाश्य से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
दिवान्दी	खुटाणी	माण्डांवास उच्च जलाश्य से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
	दिवान्दी	फेकारिया स्थित उच्च जलाश्य पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
चेण्डा	हंजावा	बस्सी बुस्टर पम्प से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता हैं
	पाती	" "
गेलावास	गेलावास	माण्डावास उच्च जलाश्य से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
	पॉचपदरियॉ	वायद उच्च जलाश्य से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
गढवाडा	जैतपुर	जैतपुर बुस्टर पम्प से पाईप लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों एवं सार्वजनिक नलो द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
	खुण्डावास	सार्वजनिक खुले कुएं से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
सिणगारी	सिणगारी	रोहट बुस्टर पम्प से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों एवं सार्वजनिक नलों द्वारा जल वितरण किया जाताहैं।
खारडा	खारडा	जोधपुर रोड स्थित उच्च जलाश्य एवं निम्बाला बुस्टर पम्प से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों एवं सार्वजनिक नलो द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
भाकरीवाला	भाकरीवाला	भाकरीवाला स्थित फिल्टर प्लान्ट से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों एवं सार्वजनिक नलो द्वारा जल वितरण किया जाता है। एवं तीन हैण्डपम्प भी कार्यरत हैं।

1	2	3
	अरटियाँ	रोहट स्थित उच्च जलाश्य से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
सांवलताकलां	सांवलताकलां	भूरियासनी स्थित उच्च जलाश्य से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
	सांवलताखूर्द	"
	आटण	"
चोटिला	बाण्डाई	रोहट स्थित उच्च जलाश्य से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
राहिट	निम्बली पटे.	भूरियासनी स्थित उच्च जलाश्य से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
	निम्बली ब्रा.	"
	रोहट	रोहट स्थित उच्च जलाश्य से पाईप-लाईन द्वारा घरों में जल वितरण एवं जल सम्बन्ध सार्व. नलो द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
बिठू	चाटेलाव	मूलियावास स्थित पर्म्पींग स्टेशन से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों से जल वितरण किया जाता हैं
खाण्डी	डूंगरपुर	डूंगरपुर स्थित पम्पिंग स्टेशन से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
	साजी	फेक्कारिया स्थित उच्च जलाश्य से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
कलाली	रामपुरा	रोहट स्थित उच्च जलाश्य से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों से जल वितरण किया जाता हैं।
	कलाली	भूरियासनी स्थित उच्च जलाश्य से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्यक के नलो द्वारा जल वितरण किया जाता हैं
कानावास	कानावास	पाली में जोधपुर रोड़ स्थित उच्च जलाश्य एवंनिम्बाडा पर्म्पींग स्टेशन से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों एवं सार्व. नल द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
गिरादड़ा जागिर	गिरादड़ा	पाली में गांधीनगर स्थित फिल्टर प्लान्ट से पाईप लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता हैं।
	पूनायता	"
रूपावास	मूलियावास	"

1	2	3
	नयागाँव	पाली फिल्टर प्लान्ट से पाईप-लाईन द्वारा घरों में जल सम्बन्ध एवं भूतल जलाश्य की टूटियों द्वारा जल वितरण किया जाता है।
	भीलो की ढाणी (पचपदरियों)	वायद उच्च जलाश्य से पाईप-लाईन द्वारा भूतल जलाश्य की टूट्यों द्वारा जल वितरण किया जाता है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली

ग्राम पंचायत 1	गाँव 2	शिक्षण संस्था नाम स्तर 3
कुलथाना	राखाणा	प्राथमिक विद्यालय
दिवान्दी	खुटाणी	प्रा. वि.
	दिवान्दी	उ. प्रा. वि.
चेण्डा	हंजावा	प्रा. वि.
	पाती	"
गेलावास	गेलावास	उ. प्रा. वि.
	पाँचपदरियाँ	उ. प्रा. वि.
गढवाडा	जैतपुर	मा. वि.
	खुण्डावास	उ. प्रा. वि.
सिणगारी	सिणगारी	प्रा. वि.
खारडा	खारडा	"
भाकरीवाला	भाकरीवाला	उ. प्रा. वि.
	अरटियाँ	प्रा. वि.
	सांवलताकलां	प्रा. वि.
	आटप	उ. प्रा. वि.
चोटिला	बाण्डाई	"
रोहट	निम्बली ब्रा.	"
बिठू	चाटेलाव	प्रा. वि.
राणा	राणा	उ. प्रा. वि.
खाण्डी	डूगरपुर	प्रा. वि.
	सांजी	"
कलाली	रामपुरा	"
	कलाली	उ. प्रा. वि.
कानावास	कानावास	प्रा. वि.
गिरादडा	गिरादडा जा.	उ. प्रा. वि.
	पूनायता	"
रूपावास	मूलियावास	प्रा. वि.

1	2	3
	नयागाँव	उ. प्रा. वि.
	टिगरा	प्रा. वि.
	भलो की ढाणी	प्रा. वि.

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली

ग्राम पंचायत	गांव	रोशनी विद्युतिकृत/ अविद्युतीकृत
1	2	3
कुलथाना	राखाना	विद्युतिकृत
दिवानदी	खुटाणी	"
	दिवान्दी	"
चेन्डा	हंजावा	11 के. वी. लाइन व ट्रांसफार्म मार्च 95 लग चुके हैं
	पाती	विद्युतीकृत
गेलावास	गेलावास	"
	पांचपदरिया	"
गढवाड़ा	जैतपुर	"
	खुण्डावास	"
सिणगारी	सिणगारी	"
खारड़ा	खारड़ा	"
भाकरीवाला	भाकरीवाला	"
	रटीया	"
सांवलताकला	सांवलताकला	"
	सांवलताखुर्द	"
	आटण	"
चोटिला	बाण्डाई	"
रोहट	निम्बलीपटेलान	"
	निम्बली ब्राहम्णान	"
	रोहट	"
बिठू	चाटेलाव	"
राणा	राणा	"
खाण्डी	डूगरपुर	"
	साजी	"

298

1	2	3
कलाली	रामपुरा	"
	कलाली	"
कनावास	कनावास	"
गिरदड़ा जागीर	गिरादड़ा	"
	पुनायता	"
रूपावास	मुलियावास	"
	नयागांव	"
खुटाणी	भीलो की ढ़ची	इस वर्ष विद्युतीकृत किया जायेगा।

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 989 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

बाल विकास परियोजना, शाहबाद के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	केन्द्रों की संख्या	क्रम. सं.	ग्राम का नाम	केन्द्रों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	शाहबाद	3	2.	खुशालपुरा	1
3.	शुमधरा	1	4.	कलोनी	2
5.	मुडीयर	1	6.	मामोनी	2
7.	खाडासहरोल	1	8.	राजपुर	3
9.	किराड पहाड़ी	1	10.	बेता	2
11.	तेलनी	1	12.	समरानिया	3
13.	फरेदुआ	1	14.	बांस खेडमाल	1
15.	नारई	2	16.	खतका	1
17.	निवाड़ी	1	18.	सेमली कातक	1
19.	खैराई	1	20.	जरवोनी	1
21.	गणेशपुरा	1	22.	धतुरिया	1
23.	रतई	2	24.	डीकमानी	1
25.	महोदरा	1			4
26.	केलवाड़ा	4	27.	पेनावदा	1
28.	बालदा	1	29.	दाता	1
30.	चिन्डालिया	1	31.	हनवारी	1

1.	2.	3.	4.	5.	6.
32.	पिपलखेडी	1	33.	सिरसोद खुर्द	1
34.	सिरसोद कला	1	35.	ऊनी	1
36.	कलोनिया	1	37.	केदार कुई	1
38.	कुशयारा	1	39.	नारायण खेडा	1
40.	खिरीयां	1	41.	कस्बाथाना	3
42.	ओगाड	1	43.	मझोला	1
44.	आगर	1	45.	रामपुर तलहटी	1
46.	सन्दोकड़ा	1	47.	बमनगवां	1
48.	पुरेनी	1	49.	तिलगवां	1
50.	सनवाड़ा	1	51.	देवरी	3
52.	होडापुरा	1	53.	बिल खेडाडांग	1
54.	बिल खेडा माल	1	55.	चोरा खाडी	1
56.	पठारी	1	57.	पाजनटोरी	1
58.	गोयरा	1	59.	मोमल	1
60.	बुडानोरेरा	1	61.	कस्बा नोनेरा	1
62.	सहरोल तलहटी	2	63.	शुमघरा	1
64.	खुशालपुरा	1	65.	मझारी	1
66.	बिरमानी	1			

बाल विकास परियोजना किशनगंज में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

1.	किशनगंज	5	2.	रानी बड़ोद	1
3.	हीरापुर	1	4.	बाँसथूनी	1
5.	फल्दी	1	6.	रामपुरिया	1
7.	गाड़ीघटा	1	8.	कामठा	1
9.	अमलावदा	1	10.	भँवरगढ़	4
11.	कुन्दा	1	12.	नया गाँव	1
13.	लक्ष्मीपुरा	1	14.	भगवानपुरा	1
15.	जैयसवा	1	16.	रामपुरा टोडिंया	1
17.	खण्डेला	2	18.	गरड़ा	3
19.	बकनपुरा	2	20.	पगारा	2
21.	लालगंज खेड़ली	1	22.	गोपालपुरा	1
23.	करदरी कला	1	24.	करवरी खुर्द	1

1.	2.	3.	4.	5.	6
25.	महरावता	1	26.	मिसाई	1
27.	सोडाना	1	28.	दिगोदपार	2
29.	कागला जम्बोरी	1	30.	बड़ौदिया	1
31.	छिनोद	1	32.	पीपलदा रुन्डी	1
33.	सौभागपुरा	1	34.	दण्डछतरपुरा	1
35.	सुहावन	1	36.	बरुनी	1
37.	मोयदा	1	38.	कैलावन	1
39.	पदमपुरा	1	40.	सेवनी	1
41.	भवानीपुरा	1	42.	किशनाईपुरा	1
43.	अर्जुनपुरा	1	44.	पीपलदाकला	1
45.	मायथा	1	46.	रामगढ़	2
47.	ब्रह्मपुरा	1	48.	किरिकिया	1
49.	चन्द्रपुरा	1	50.	लहरुनी	1
51.	सुवास	1	52.	खण्डेबाखेड़ी	1
53.	जैतपुराकन्डी	1	54.	आकोदिया	1
55.	गोबरुवा	1	56.	कांकड़दा	1
57.	खेकना	1	58.	बरखेड़ा	1
59.	बजरंगगढ़	1	60.	सगरावदा	1
61.	कुन्डी	1	62.	ख्यावदा	1
63.	पीतामपुरा	1	64.	जलवाड़ा	3
65.	खलदा	1	66.	खंलदी	1
67.	छत्रगंज	1	68.	बालापुरा	2
69.	नाहरगढ़	4	70.	गोवचा	1
71.	मामली	1	72.	वादीपुरा	1
73.	पचलावदा	1	74.	गोवर्धनपुरा	1
75.	परानिया	2	76.	घट्टी	2
77.	बिलासगढ़	1	78.	ठिकोनिया	1
			कुल		100

(301)

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 990 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

बाल विकास परियोजना, सुजानगढ़ (चुरू) में वर्ष 1991-95 में नवीन स्वीकृत अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची :—

क्र. सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	केन्द्र की संख्या
1.	कातर बड़ी	1
2.	सडू छोटी	1
3.	बम्बू	1
4.	सारेगसर	1
5.	जैतासर	1
6.	चरला	1
7.	लुहारा	1
8.	गेडाप	1
9.	लिखाणसर	1
10.	जिनरासर	1
11.	भीवसर	1
12.	अमरसर	1
13.	कानूता	1
14.	वासो आथुनी	1
15.	जिली	1
16.	परावा	1
17.	गिरवरसर	1
18.	ज्याक	1
19.	इयारा	1
	कुल	19

परिशिष्ट "ब-

बाल विकास परियोजना, सुजानगढ़ (चूरु) में अक्रियाशील आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची :—

क्र.सं.	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम	कब से बन्द है
1.	गोन्दुसर	मार्च, 1988
2.	सोनियसार	
	उदायता	
3.	पालावास	
4.	बैनाथा ओमजी	
5.	मिगना	नवम्बर, 92 से
6.	गुलेरिया	
7.	धातरी	फरवरी, 94 से
8.	भानी सरिया	मार्च, 93 से
9.	टाडा	
10.	खुडी	मई, 94 से
11.	न्यारा	मार्च, 89 से
12.	हेमासर	
	आथुना	
13.	चक्र राजियासर	मार्च, 1988 से

जिला ग्रमीण विकास अभिकरण : अजमेर

वर्ष 94-95 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किये गये नये/अधूरे कार्यों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	योजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र—ब्यावर					विधान सभा क्षेत्र—मसूदा					विधान सभा क्षेत्र—नसीराबाद				
		नये	अधूरे कार्य	योग	स्वी. राशि	व्यय राशि	नये	अधूरे कार्य	योग	स्वी. राशि	व्यय राशि	नये	अधूरे कार्य	योग	स्वी. राशि	व्यय राशि
1.	जवाहर रोज. यो. 11	35	45	80	74.45	24.75	105	18	123	143.46	82.42	01	77	158	218.60	140.27
2.	आ. रो. यो.	45	31	76	136.84	90.49	94	26	120	187.31	21.68	22	1	23	31.45	9.01
3.	ज. रो. यो.	12	–	12	14.30	6.30	33	–	33	42.75	16.70	0	–	8	10.00	2.47
4.	सांसद विकास कोष	20	7	27	20.90	7.33	11	–	11	6.90	2.80	13	–	13	8.05	2.18
5.	ती. जि. ती. का.	32	–	32	13.05	5.60	22	–	22	13.35	2.20	12	–	12	13.25	2.67
6.	निबन्ध राशि	5	–	5	5.40	5.21	3	–	3	2.35	2.23	5	–	5	6.65	3.57
7.	अ. गा. अ. काम	6	–	6	8.59	5.50	15	–	15	7.77	5.81	9	–	9	7.70	5.64
8.	डी. पी. ए. पी.	127	103	230	19.94	21.22	128	103	231	38.92	37.43	–	–	–	–	–
9.	यू. एन. एफ. पी. ए.	–	–	–	–	–	1	–	1	1.00	1.00	–	–	–	–	–
	योग	282	186	468	293.47	166.40	412	412	559	443.81	172.27	150	78	228	297.46	171.81

303

304

जिला ग्रमीण विकास अभिकरण : अजमेर
वर्ष 94-95 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किये गये नये/अधूरे कार्यों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	योजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र—ब्यावर					विधान सभा क्षेत्र—मसूदा					विधान सभा क्षेत्र—नसीराबाद				
		नये	अधूरे कार्य	योग	स्वी. राशि	व्यय राशि	नये	अधूरे कार्य	योग	स्वी. राशि	व्यय राशि	नये	अधूरे कार्य	योग	स्वी. राशि	व्यय राशि
1.	जवाहर रोज. यो. 11 स्ट्रीम	55	89	144	278.11	173.58	63	93	156	241.74	145.77	90	63	153	170.50	104.31
2.	आ. रो. यो.	19	–	19	26.80	7.47	10	6	16	23.40	5.32	3	–	3	3.00	0.87
3.	ज. रो. यो.	8	–	8	9.80	3.99	23	–	23	25.65	10.71	35	–	35	40.32	13.24
4.	सांसद विकास कोष	15	–	15	8.10	2.50	13	–	13	10.90	3.54	8	–	8	12.50	–
5.	ग्री. वि. ती. का.	26	–	26	12.81	8.08	25	–	25	12.30	9.93	13	–	13	14.26	4.54
6.	निबन्ध राशि	7	1	8	7.85	5.57	1	–	1	5.00	0.02	11	–	11	8.36	6.25
7.	अ. गा. अ. काम	11	–	11	5.84	5.03	9	–	9	5.97	4.06	5	–	– 5	4.08	1.96
8.	डी. पी. ए. पी.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	वाल्मिकी योजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	1.00	0.14
	योग	141	90	231	349.31	206.22	144	99	243	324.96	324.96	166	63	229	254.82	131.31

वर्ष 94-95 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किये गये नये/अधूरे कार्यों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	योजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र—ब्यावर					विधान सभा क्षेत्र—मसूदा					विधान सभा क्षेत्र—नसीराबाद				
		नये	अधूरे कार्य	योग	स्वी. राशि	व्यय राशि	नये	अधूरे कार्य	योग	स्वी. राशि	व्यय राशि	नये	अधूरे कार्य	योग	स्वी. राशि	व्यय राशि
1.	जवाहर रोज. यो. 11 स्ट्रीम	101	59	160	274.04	136.96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	आ. रो. यो.	21	11	32	59.06	24.29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	ज. रो. यो.	29	–	29	34.90	17.83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	सांसद विकास कोष	5	–	5	4.00	1.58	1	–	1	0.60	0.72	4	–	4	3.00	0.52
5.	ती. जि. ती. का.	45	–	45	19.74	8.66	27	–	27	14.10	8.29	29	–	29	13.44	6.64
6.	निबन्ध राशि	8	2	10	5.33	3.39	9	–	9	9.44	4.68	15	–	15	17.17	2.42
7.	अ. गा. अ. काम	9	1	10	8.39	3.76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	डी. पी. ए. पी.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	वाल्मिकी योजना	1	–	1	0.50	0.57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	219	73	292	197.05	197.05	37	–	37	24.14	13.69	48	–	48	33.61	9.58

ह. अति. कलेक्टर विकास (अजमेर)

परिशिष्ट-21
(अतारांकित प्रश्न संख्या 998 की विवरण)
जिला सवाईमाधोपुर में मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्रो/स्थानों का विवरण

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	जिला	प्रेरित प्रजनन फार्म/केन्द्र		शुष्कबन्ध प्रजनन केन्द्र/तालाब		वर्ष वार व्यय (रुपये लाखों में)		
						92-93	93-94	94-95
1	2		3		4	5	6	7
1.	सवाईमाधोपुर	1.	मत्स्य उत्पादन फार्म मानसरोवर, सवाईमाधोपुर	1.	कासदा	7.30	8.84	9.04
				2.	कोयला			
				3.	राजसागर			
				4.	जीनापुर			
		2.	प्रजनन केन्द्र ओगा, करौली		-	5.48	6.14	6.59

परिशिष्ट-3

सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 1994-95 की द्वितीय किश्त का आवंटन (1022.00 लाख)

क्र. सं.	जिले का नाम	आवंटित राशि (लाखों में)
1.	बाडमेर	319.40
2.	जैसलमेर	349.33
3.	बीकानेर	

वर्ष 1992-93, 93-94 94-95 का व्यय एवम् राजस्व विवरण जिला-सवाईमाधोपुर

(रुपये लाखों में)

खण्ड-अ

व्यय

कार्यालय का नाम	वर्ष 1992-93			वर्ष 1993-94			वर्ष 1994-95		
	आयोजनाभिन्न	आयोजना	योग	आयोजनाभिन्न	आयोजना	योग	आयोजनाभिन्न	आयोजना	योग
मत्स्य विकास अधिकारी, सवाईमाधोपुर	4.98	2.32	7.30	6.11	2.73	8.84	6.28	2.76	9.04
मत्स्य विकास अधिकारी (शुष्क बन्ध) करौली	5.48	–	5.48	6.14	–	6.14	6.59	–	6.59
मत्स्य पालक विकास अभिकरण,सवाईमाधोपुर	–	5.55	5.55	–	7.21	7.21	–	4.95	4.95
योग	10.46	7.87	18.33	12.25	9.94	22.19	12.87	7.71	20.58

खण्ड-ब

राजस्व

जिला सवाईमाधोपुर के जलाशयों में मत्स्य आखेट के ठेके एवम् अन्य से राजस्व प्राप्ति विवरण

(रुपये लाखों में)

वर्ष 1992-93	वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95
16.73	12.45	20.60

परिशिष्ट-3

जिला सवाईमाधोपुर के जलाशयों से प्राप्त आय का विवरण

सं.	नाम जलाशय		गत तीन वर्षों की प्राप्त आय		
			1992-93	1993-94	1994-95
1	2		3	4	5
ला-सवाईमाधोपुर के "ए" श्रेणी के जलाशय					
1.	बन्ध कालीसिंल मय नदी बडवासन केरी उमराका स्रोत एवं नेनिया का ताल (करौली)		1365786	–	886786

2.	वन्य नीदंड मय राहर वंजीर (करौली)		140786	154865	200000
3.	बन्ध जगर		–	260000	31112
4.	नदी बनास ईसरदा से चम्बल तक		–	117000	–
5.	बन्ध पांचना मय नदी बरखेड़ा भद्रावती, भैसावट, अटाकी एवं पांचना (करौली)		–	189000	–
6.	बन्ध मानसरोवर मय नदी कुण्डली एवं गालण्डी		94365	106161	13800
"बी" श्रेणी के जलाशय					
1.	बन्ध मामचारी (करौली)		–	127000	13970
2.	बन्ध ओगा भूपेन्द्रसागर मय नदी लिलोद (करौली)		32500	35750	40219
3.	बन्ध मुई		39487	27100	29810
4.	बन्ध सिटोली		35200	61787	63000
5.	बन्ध ढील		मपाविअ	मपाविअ	54988
6.	बन्ध मोतीसागर मय नाला भाई खां एवं नदी खारी		मपाविअ	–	–
7.	बन्ध मोरा सागर		–	–	–
8.	बन्ध मोहनपुरा		–	–	–
"सी" श्रेणी के जलाशय					
1.	नदी गम्भीरी मय नाला नागल पहाडी 0.24				
2.	बन्ध गुमानसारु 018		2500	12096	16000
जिला-सवाईमाधोपुर के "डी" श्रेणी के जलाशय					
1.	बन्ध दलेरागसागर	0.06	2250	5555	6100
2.	बन्ध दण्डसागर	0.02	–	–	–
3.	बन्ध बनियावाला	0.04	2300	3051	3105.05
4.	बन्ध सैंद	0.01	–	–	–
5.	बन्ध महुवा	0.01	–	1005	–
6.	बन्ध महरिया	0.01	–	2190	–
7.	बन्ध रामपुरा	0.01	–	–	–
8.	बन्ध रानीला बड़ीला	0.06	2100	1225	5786
9.	बन्ध शकर सागर	0.01	–	–	–
10.	बन्ध कुण्डला	0.01	–	–	–
11.	बन्ध बनेडिया	0.01	–	–	–
12.	बन्ध मानसागर	0.01	–	–	–
13.	बन्ध कुण्डला	0.01	–	–	–
14.	बन्ध लिवाली	0.01	–	1101	1050

15.	बन्ध गुलाब सागर	0.01	–	–	–
16.	बन्ध कोट बहादुर	0.01	–	–	–
17.	बन्ध कोट मण्डावर	0.01	–	1000	–
18.	बन्ध मोरेल (बधोल)	0.01	–	–	–
19.	बन्ध जयसागर ठोन	0.03	2250	–	3100
20.	बन्ध रामसागर	0.03	2250	–	3100
21.	बन्ध मदनपुर (करौली)	0.02	–	1101	1100
22.	बन्ध नाजिमवाला	0.06	4100	2001	5100
23.	बन्ध रलावता एनीकट	0.02	–	1201	–
24.	बन्ध बिलेई	0.02	–	1600	–
25.	बन्ध दुर्गासागर	0.02	–	1111	2111
26.	बन्ध चन्द्रपुरा	0.01	–	1100	5786
27.	बन्ध गिरधरपुरा	0.01	–	–	–
28.	बन्ध होदायली	0.02	–	–	2100
29.	बन्ध कैमा	0.02	–	–	–

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या 999 का ब्यौरा)

परिशिष्ट–अ

जिला अजमेर में गत 10 वर्षों की अवधि में मत्स्याखेट के ठेकों से प्राप्त राजस्व एवम् अभिकरण को आवंटित जलाशयों से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा

क्र. सं.	वर्ष	प्राप्त राजस्व (राशि रुपये में)
1.	1985-86	29,333.00
2.	1986-87	22,134.00
3.	1987-88	8,799.00
4.	1988-89	10,096.00
5.	1989-90	13,340.00
6.	1990-91	30,800.00
7.	1991-92	58,605.00
8.	1992-93	1,09,653.00
9.	1993-94	54,200.00
10.	1994-95	5,35,523.00

परिशिष्ट-23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1005 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	नाम जलाशय	वर्ष 94-95 में मत्स्य ठेके से प्राप्त आय
1	2	3
जिला-सवाईमाधोपुर		
"ए" श्रेणी के जलाशय		
1.	बन्ध कालीसिंल मय नदी बडवासन केरी उमराका स्रोत एवं नेनिया का ताल	8,86,786
2.	वन्य नीदंड मय राहर बंजीर	2,00,000
3.	बन्ध जगर	3,11,121
4.	नदी वनास ईसरदा से चम्बल तक	–
5.	बन्ध पांचना मय नदी बरखेड़ा भद्रावती, भैसावट, अटाकी एवं पांचना	–
6.	बन्ध मानसरोवर मय नदी कुण्डली एवं गालण्डी	1,38,000
"बी" श्रेणी के जलाशय		
1.	बन्ध मामचारी	1,39,700
2.	बन्ध ओगा भूपेन्द्रसागर मय नदी लिलोद	40,219
3.	बन्ध नुई	29,810
4.	बन्ध सिटोली	63,000
5.	बन्ध ढील	54,988
6.	बन्ध मोतीसागर मय नाला भाई खां एवं नदी खारी	–
7.	बन्ध मोरा सागर	–
8.	बन्ध नोहनपुरा	–
"सी" श्रेणी के जलाशय		
1.	बन्ध गुमानसारु 018	
2.	नदी गम्भीरी मय नाला नागल पहाड़ी 0.24	16,000
जिला-सवाईमाधोपुर के "डी" श्रेणी के जलाशय		
1.	बन्ध दलेरागसागर	6,100
2.	बन्ध दण्डसागर	–
3.	बन्ध बनियावाला	3,105.05
4.	बन्ध सैंद	–
5.	बन्ध महुवा	–
6.	बन्ध महरिया	–

7.	बन्ध रामपुरा	–
8.	बन्ध रानीला मड़ीला	5786
9.	बन्ध शंकर सागर	–
10.	बन्ध रावल	–
11.	बन्ध बनेडिया	–
12.	बन्ध मानसागर	–
13.	बन्ध दुण्डला	–
14.	बन्ध लिवाली	1050
15.	बन्ध गुलाव सागर	–
16.	बन्ध कोट वहादुर	–
17.	बन्ध कोट मण्डावर	–
18.	बन्ध मोरेल (बघोल)	–
19.	बन्ध जयसागर ठोन	3100
20.	बन्ध रामसागर	3100
21.	बन्ध मदनपुर (करौली)	1100
22.	बन्ध नाजिमवाला	5100
23.	बन्ध रलावता एनीकट	–
24.	बन्ध बिलेई	–
25.	बन्ध दुर्गासागर	2111
26.	बन्ध चन्द्रपुरा	5786
27.	बन्ध गिरधरपुरा	–
28.	बन्ध होदायली	2100
29.	बन्ध कैमा	–
जिला-कोटा		
(ए) श्रेणी के जलाशय		
1.	नदी काली सिंध मय बन्ध हीचक बोरदामय नदी अन्ता के खाडी (जिला-कोटा-झालावाड-वांरा)	1,91,000/-
2.	नदी चम्बल लोअर कोटा वैराज से पाली घाट तक (जिला-कोटा-सवाईमाधोपुर)	7,52,000/-
(बी) श्रेणी के जलाशय		
1.	नदी पार्वती पाली गांव से बालुंदा पुल तक (राज. सीमा) मध्यप्रदेश सेन्चुरी एरिया छोड़कर एवं नदी सूखनी (जिला कोटा-बांरा-सवाईमाधोपुर	92,786/-
2.	नदी चम्बल अपर कोटा बैराज से जवाहरसागर डेम तक	–
3.	नदी ठजाड (कोटा-झालावाड)	–

312

4.	बन्ध अलनिया मय नदी चन्द्रसैन (अलनिया डैम के नीचे से मानस गांव तक)	मत्स्यपालक विकास अभिकरण को
(सी) श्रेणी के जलाशय		
1.	दांयी मुख्य नहर कोटा बैराज से बालुंदा पुल तक (राजस्थान सीमा)	36,900/-
2.		–
(डी) श्रेणी के जलाशय		
1.	जवाहर सागर डैम	मगर हेतु आरक्षित
2.	बन्ध अमझार	–
3.	बन्ध सावन भादों	8,888/-
4.	बन्ध रानपुर	–
5.	बन्ध उम्मेदगंज तालाब (दाई मुख्य नहर के बाये किनारे उम्मेदगंज गांव की और)	3,101/-
जिला-बांरा		
(बी) श्रेणी के जलाशय		
1.	नदी परवन (कोटा-झलावाड-बांरा)	1,07,100/-
2.	नदी पार्वती मय बन्ध किशनपुरा (राजस्थान सीमा) बालुन्दा पुल तक	45,786/-
3.	बन्ध बिलास	मत्स्य पालक विकास अभिकरण को
4.	बन्ध इकलेरासागर मय वेस्ट वेयर खड्डे	25,786/-
5.	बन्ध उम्मेद सागर (गरडा)	24,100/-
(सी) श्रेणी के जलाशय		
1.	नदी अंधरी	16,100/-
(डी) श्रेणी के जलाशय		
1.	नदी रेपी	3,787/-
2.	नदी बाणगंगा (बांरा से मांगरोल बम्बोरी तक)	–
3.	नदी कूल	–
4.	नदी कुनु	–
5.	नदी रेतली	5100/-
6.	नदी लासी	–
7.	नदी बिलासी	1500/-
8.	बन्ध नाहर सागर (नाहरगढ)	2300/-
9.	बन्ध मोठपुरा	–
10.	बन्ध तालाब पोखरा अलता	–
11.	बन्ध नया तालाब खटका (बांरा)	171/-

12.	बन्ध भवरगढ	–
13.	बन्ध सेमली फाटक	1151/-
14.	नदी खेतली	–
जिला-बून्दी		
(ए) श्रेणी के जलाशय		
1.	बन्धबरधा मय नदी तालेडा	1,15,000/-
2.	बन्ध गुढा	5,51,786/-
(बी) श्रेणी के जलाशय		
1.	बन्ध दुगारी	61,000/-
2.	बन्ध गोठडा मय नदी बेजान	2,03,000/-
3.	नदी घोडा पछाडमय बन्ध नमाना	48,211/-
4.	नदी मेज (रामगढ सेंचुरी एरिया छोड़कर)	30,100/-
5.	बन्ध पेच की बावडी	29,786/-
6.	बन्ध अभयपुरा	56,100/-
7.	नदी खुराड (बनका खेडा से पिपलदा तक)	–
8.	बन्ध गुढा गोकुलपुरा	26,000/-
9.	नदी भांगली	–
10.	बन्ध नारायणपुरा	26,100/-
(सी) श्रेणी के जलाशय		
1.	बन्ध मोतीपुरा	–
2.	बन्ध बांकिया खाल	25,051/-
3.	बन्ध पाईवालापुरा	21,786/-
(डी) श्रेणी के जलाशय		
1.	नदी चाकना (बून्दी-सवाईमाधोपुर)	6,101/-
2.	बन्ध खानपुरा	5,786/-
3.	बन्ध जैतसागर	धार्मिक
4.	नदी गैरन	–
5.	बन्ध नैत	–
6.	बन्ध बुडिया (खालोद)	–
7.	बाई मुख्य नहर मय बून्दी ब्रांच (नान्ता से खटकड तक) काप्रेन ब्रांच (गिरधरपुरा से देही खेडा तक) पाटन ब्रांच (तीरथ से लवाश तक) जिला-कोटा बून्दी।	6,888/-
8.	बन्ध तलवास	धार्मिक
9.	बन्ध रुण की खाल	–
10.	बन्ध नाहर मालिया (वासनी)	2,786/-
11.	बन्ध अन्नपूर्ण	7,786/-

12.	बन्ध भीमलत	—
13.	बन्ध बनोली गाडरिया	5,786/-
14.	बन्ध ढाढूण	—
जिला-झालावाड		
(बी) श्रेणी के जलाशय		
1.	बन्ध भीमसागर	
(सी) श्रेणी के जलाशय		
1.	नदी आहू (झालावाड-कोटा)	27,786/-
2.		
(डी) श्रेणी के जलाशय		
1.	बन्ध सारण खेडी	—
2.	बन्ध रेनबसेरा	अभियानक हेतु आरक्षित
3.	बन्ध पनवाड़	2121/-
4.	नदी नेवज	1222/-
5.	नदी गण्डर	—
6.	नदी चवली	—
7.	बन्ध गोगुन्दा	—
8.	बन्ध गैंता	—
9.	बन्ध रानीला	—
10.	नदी आमझार	—
11.	नदी छोटी कालिसिंध	—
12.	नदी छापी	—
13.	बन्ध गोलाना	—
14.	बन्ध क्यासरा	—
15.	बन्ध बिस्तुलिया	—
16.	बन्ध तालाब गणेशपुरा	2222/-
17.	बन्ध तालाब जोल्या	—
18.	बन्ध अमीन खेडी	—
19.	बन्ध नाकर सरना	—
20.	बन्ध राजपुरा	3100/-
21.	बन्ध जूना खेडा	—
22.	बन्ध मोलक्या	—
23.	बन्ध रामनिवास घटोद	—
24.	बन्ध सारोला	—

(315)

25.	कन्या बिलासपुर	मुख्य कन्या हेतु आरक्षित
26.	कन्या दुर्गापुरा	–
27.	कन्या मण्डावर	–
28.	कन्या सावनखेड़ा	–
29.	कन्या मोमरा	–
30.	कन्या बोरदा	–

परिशिष्ट-24

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1006 की सूची)

राजस्थान सरकार

सूची भीलवाड़ा जिले के उपकेन्द्रों की जहां कम्पाउण्डर नहीं लगे हैं

क्र. सं.	संस्था का नाम	उपकेन्द्र का नाम	क्र. सं.	संस्था का नाम	उपकेन्द्र का नाम
1.	सांगानेर	रिछड़ा	16.	सिंगोली	सराणा
2.	पुर	पांसल	17.	दौलतगढ़	ताजूड़ा
3.	हमीरगढ़	लखपुरा	18.	श्यामपुरा	मालकाखेड़ा
4.	कनेछनकलां	बासेड़ा	19.	बनकाखेड़ा	चावंडिया
5.	रोपा	भरणी	20.	अमरवासी	कुंवालिया
6.	माण्डलगढ़	खाचरोल	21.	खजूरी	बिसनगढ़
7.	भीमपुरा	जलिन्द्री	22.	मधुवासुर्द	आरणिया
8.	बदनौर	भीमपुरा	23.	सदारामजी का खेड़ा	नाथियों का तालाब
9.	आसींद	कोटड़ास	24.	नन्दराय	किशनगढ़
10.	रायपुर	बोराणा	25.	डूडेल	मोखुन्दा
11.	गंगापुर	लाखोला	26.	बीगोद	खटवाड़ा
12.	बनेड़ी	सुरास	27.	ब्राह्मणों की सरेरी	करजालिया
13.	रायला	लाम्बिया	28.	सरगांव	भरक
14.	महुआ	बीकरण	29.	रासेड़	बोरड़ा
15.	बागूपुरा	कोठिया/भोजरास	30.	बिजौलिया	दशमिकमाराता

परिशिष्ट-25

(स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 689 का विवरण)

क्र. सं.	आ. नं.	पारिवारिक पेंशनर का नाम	मूल पेंशन की दिनांक	पेंशनर की मृत्यु दिनांक
1	2	3	4	5
1.	28111 (आर)	श्रीमति रतन कुंवर पत्नि श्री जगन्नाथ सिंह पूर्व हैड कांस्टेबल	13.10.68	24.11.75
2.	41795 (आर)	अणछी पत्नि श्री प्रताप सिंह पूर्व कांस्टेबल	01.03.70	04.09.76
3.	33915 (आर)	श्रीमति हमिला बाई पत्नि श्री पीरखां पूर्व हैड कांस्टेबल	30.09.67	27.09.77
4.	37321 (आर)	श्रीमति मरयम पत्नि श्री अमीर अफजल पूर्व कांस्टेबल	01.01.72	20.02.78
5.	31046 (आर)	श्रीमति हांसी पत्नि श्री इस्माईलखां पूर्व हैड कांस्टेबल	04.08.69	18.12.78
6.	32396 (आर)	श्रीमति फूम कुंवर राजपूत पत्नि श्री अमरसिंह पूर्व कांस्टेबल	09.08.70	28.12.78
7.	28696 (आर)	श्रीमति मरयम पत्नि श्री शमीमखां पूर्व हैड कांसटेबल	–	01.04.79
8.	25329 (आर)	मुदेखरा बाई पत्नि श्री नुमौहम्मद पूर्व कांस्टेबल	–	25.08.79
9.	1827 (आर)	श्रीमति इटरीस फातमा पत्नि श्री इस्लाम बेग पूर्व कांस्टेबल	–	18.09.79
10.	65444 (आर)	श्रीमती अयोध्याबाई पत्नि श्री रामलाल पूर्व कांस्टेबल	–	30.12.79
11.	22311 (आर)	श्रीमति किशन कुंवर पत्नि श्री समुन्दरसिंह पूर्व कांस्टेबल	01.07.67	06.06.80
12.	35287 (आर)	श्रीमति रफिक फातमा पत्नि मो. अनीस खां पूर्व कांस्टेबल	05.07.69	06.09.80
13.	54049 (आर)	श्रीमति जसवन्तकुंवर पत्नि श्री आंकारसिंह पूर्व कांस्टेबल	01.07.74	27.12.80